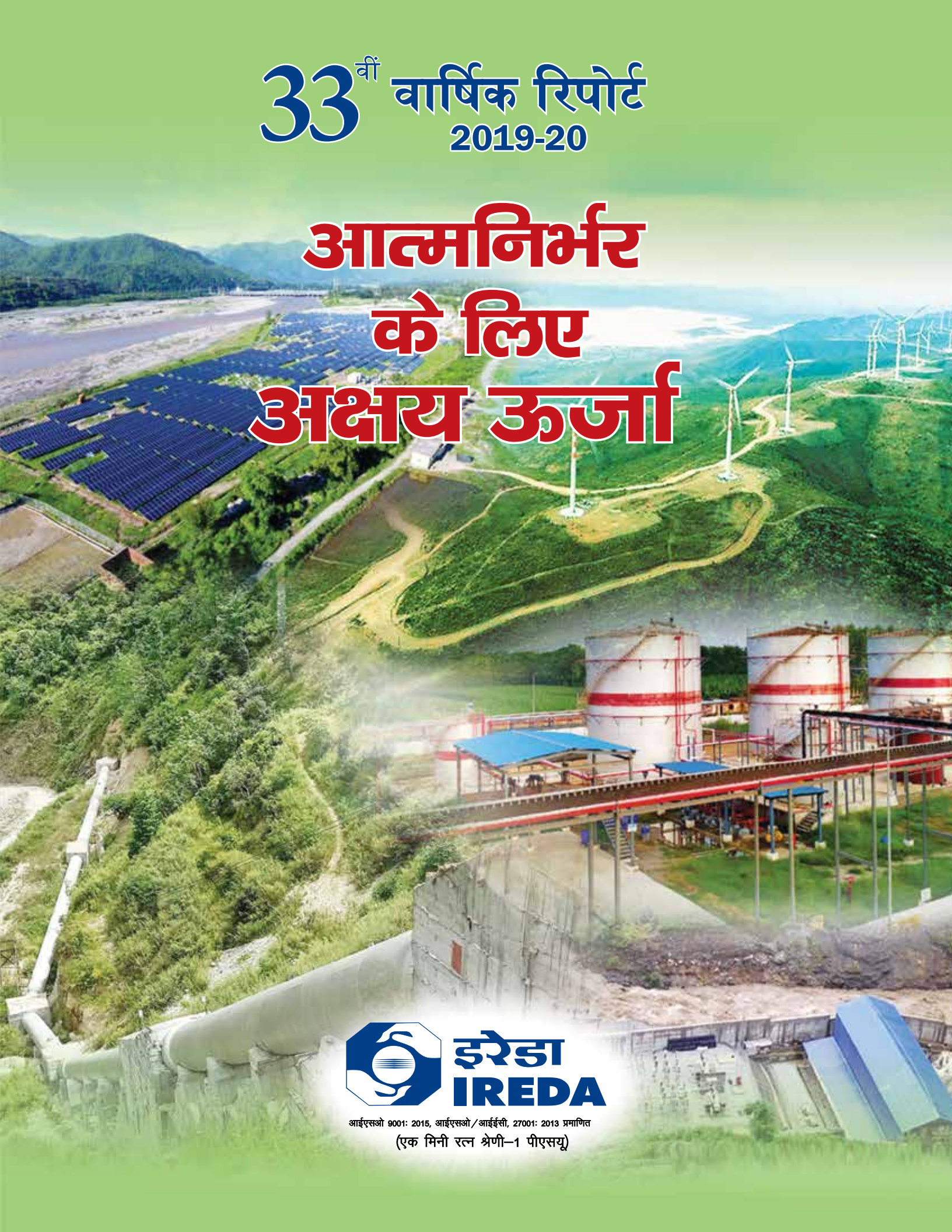
33वीं वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

आत्मनिर्भर के लिए अक्षय ऊर्जा



इरेडा
IREDA

आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ/आईईसी, 27001: 2013 प्रमाणित
(एक मिनी रत्न श्रेणी–1 पीएसयू)

शाश्वत ऊर्जा

33वीं वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

हमारा मिशन

स्थायी विकास हेतु नवीकरणीय स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर निवेश बढ़ाने तथा वित्तपोषण के लिए एक अग्रणी, भागीदार अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धी संस्थान बनना।

गुणवत्ता नीति

इरेडा अपने ग्राहकों को पूरी संतुष्टि देने और पारदर्शिता लाने के लिए कुशल प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता/संरक्षण और पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों में नवीन वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए एक अग्रणी संगठन के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है।

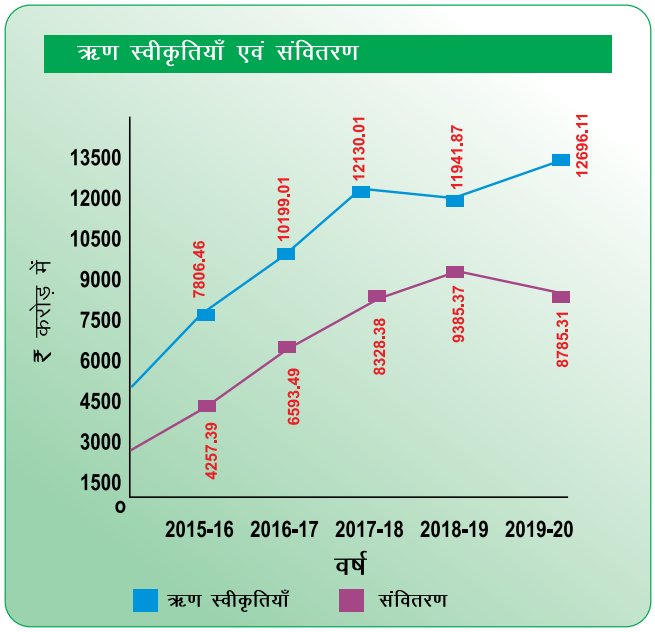
इरेडा प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत रहेगा।

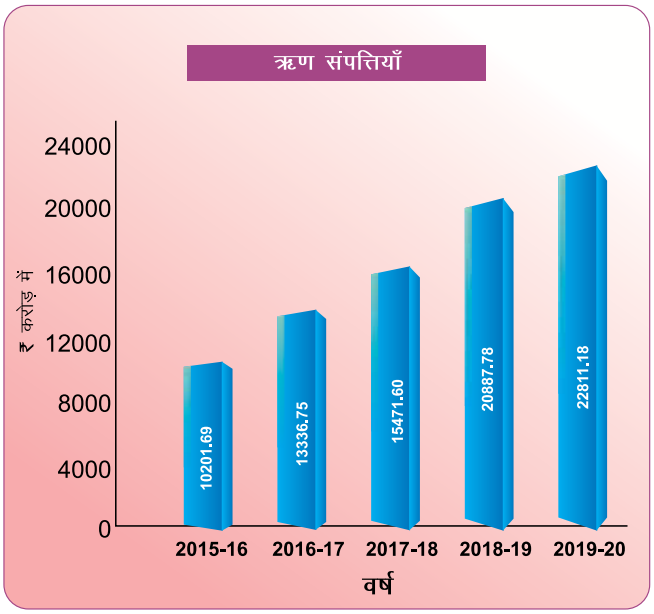
गुणवत्ता के उद्देश्य

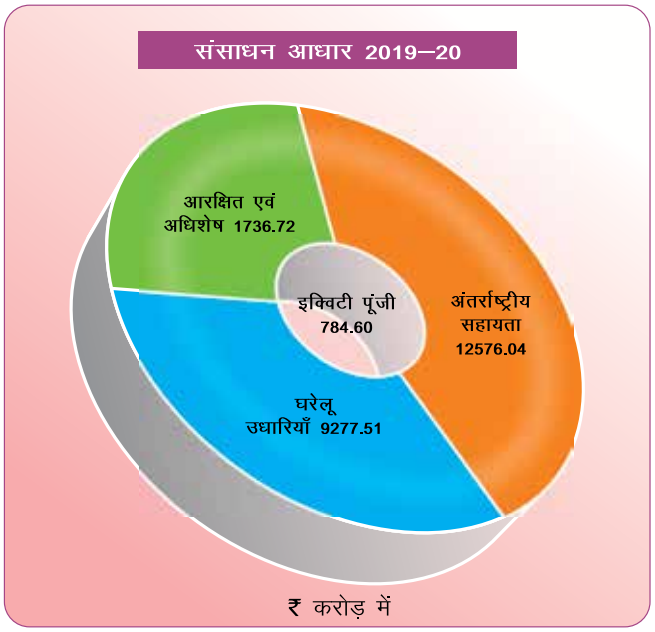
- ग्राहक की पूर्ण संतुष्टि के लिए प्रयास करना।
- कर्मचारियों के पेशेवर कौशल में क्षमता और सुधार के लिए निरंतर उन्नयन।
- ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की क्षमता में सुधार।
- प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सेवाओं में निरंतर सुधार।

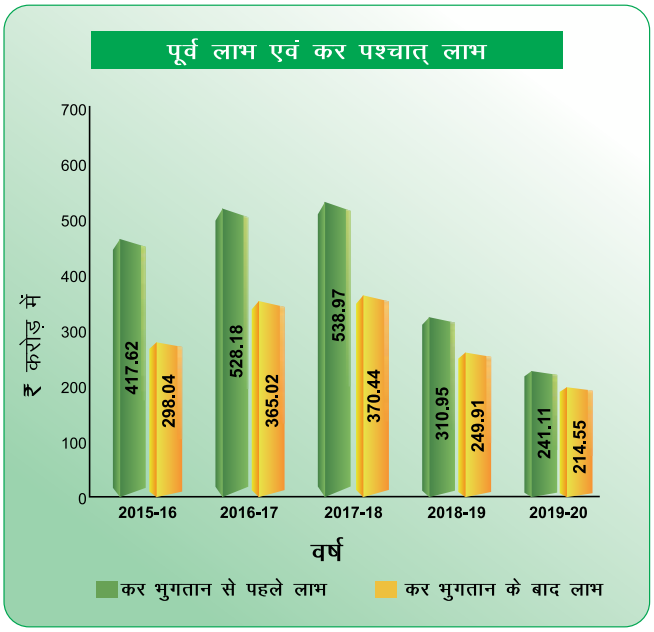


प्रदर्शन की झलकियाँ







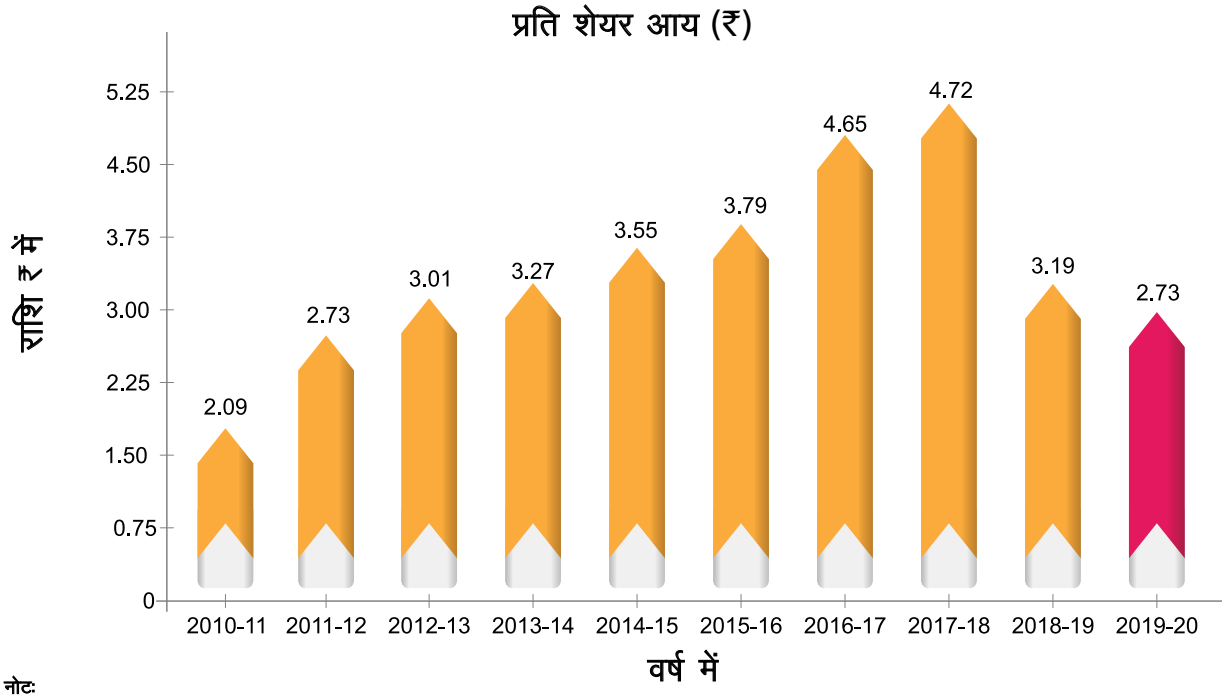


(₹ करोड़ में)

संसाधन	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
इक्विटी पूंजी	784.60	784.60	784.60	784.60	784.60
आरक्षित एवं अधिशेष	1511.47	1725.41	1628.23	1799.37	1736.72
अंतर्राष्ट्रीय उधारियाँ	5552.88	7871.61	9895.10	11850.80	12576.04
घरेलू उधारियाँ	4451.57	5177.22	5097.83	6902.12	9277.51
कुल	**12300.52**	**15558.84**	**17405.76**	**21336.89**	**24374.86**

संचालन	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण स्वीकृतियाँ	7806.46	10199.01	12130.01	11941.87	12696.11
ऋण संवितरण	4257.39	6593.49	8328.38	9385.37	8785.31
उधारकर्ताओं द्वारा अदा की गई राशियाँ	2769.75	3370.37	6199.12	3819.95	6621.72
शुद्ध बकाया ऋण (केवल इरेडा)	10201.69	13336.75	15471.60	20887.78	22811.18

कार्य शील परिणाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल आय	1174.54	1481.67	1813.18	2022.21	2372.38
कर से पहले लाभ	417.62	528.18	538.97	310.95	241.11
कर अदायगी के बाद लाभ	298.04	365.02	370.44	249.91	214.55
प्रति शेयर आय (₹ 10 का अंकित मूल्य)	**3.79**	**4.65**	**4.72**	**3.19**	**2.73**



नोटः

क) कंपनी ने 1 अप्रैल, 2018 से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) को अपनाया था और परिवर्तन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2017 थी। कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष तक का अपना वित्तीय लेखा–जोखा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार तैयार किया था। हालाँकि, परिवर्तन के प्रभावों का विधिवत हिसाब लगाया गया था और तुलनात्मक आंकड़े भारतीय लेखा मानक के अनुरूप कर दिए गए थे।

ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना करने योग्य बनाने के लिए जहाँ–कहीं भी आवश्यकता महसूस हुई है, दोबारा व्यवस्थित पुनः समूहित किया गया है।



विषय-सूची

1.	निदेशक मंडल	**7**
2.	सूचना	**9**
3.	अध्यक्ष का अभिभाषण	**12**
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	**16**
5.	प्रबंधन विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट	**82**
6.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	**91**
7.	बैलेंस शीट	**105**
8.	लाभ एवं हानि का विवरण	**107**
9.	नोट्स	**113**
10.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	**231**
11.	समेकित बैलेंस शीट	**243**
12.	समेकित लाभ और हानि का विवरण	**245**
13.	समेकित वित्तीय विवरण पर नोट्स	**251**

कंपनी संबंधी सूचना

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	श्री प्रदीप कुमार दास (06.05.2020 से) श्री बी.पी. यादव (02.01.2020 से 06.05.2020 तक) श्री प्रवीण कुमार (31.12.2019 तक)
अन्य निदेशकगण	श्री चिंतन शाह श्री बी.पी. यादव (12.06.2020 से) श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन (17.02.2020 से) डॉ. गांगिडी एम. रेड्डी सुश्री मधुश्री एम. स्वामी श्री अभिषेक महावर (13.09.2020 तक) श्री संजय कुमार जैन (01.08.2020 तक) श्री अमितेश कुमार सिन्हा (24.01.2020 से 12.06.2020 तक) सुश्री इंदु बाला (18.03.2020 तक) श्री प्रवीण गर्ग (29.07.2019 से 11.02.2020 तक) श्री एस. के. भार्गव (31.01.2020 तक) श्री अरुण कुमार (29.07.2019 तक)
कंपनी सचिव	श्री सुरेन्द्र सुयाल
पंजीकृत कार्यालय	इंडिया हैबिटेट सेंटर कोर 4 'ए', ईस्ट कोर्ट पहली मंजिल, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003
मुख्य व्यवसायिक कार्यालय	तीसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली –110066
वैधानिक लेखा परीक्षक	मेसर्स जे.एन. मिताल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट जे –85, दूसरी मंजिल, गुलाटी कॉम्प्लेक्स, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली – 110027
सचिवीय लेखा परीक्षक	मेसर्स बी माथुर एंड कंपनी कंपनी सेक्रेटरी 63/12, पहली मंजिल, मेन रामा रोड, नई दिल्ली –110 015
बैंकर्स	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंडसइंड बैंक भारतीय स्टेट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा केनरा बैंक यस बैंक आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक

निदेशक मंडल

(24 सितंबर, 2020 के अनुसार)



श्री प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 07448576)



श्री चिंतन शाह
निदेशक (तकनीकी)
(डीआईएनः 07795952)



श्री बी.पी. यादव
सरकार के नामित निदेशक
(डीआईएनः 07835275)



श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन
सरकार के नामित निदेशक
(डीआईएनः 08701559)



डॉ. गांगिडी एम. रेड्डी
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएनः 07028036)



सुश्री मधुश्री एम. स्वामी
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएनः 07539535)

इरेडा का वरिष्ठ प्रबंधन

(24 सितंबर, 2020 के अनुसार)



श्री के सलिल कुमार
मुख्य सतर्कता अधिकारी



डॉ. पी. श्रीनिवासन
महाप्रबंधक (एचआर)



श्री सोमपाल
महाप्रबंधक (टीएस)



डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (एफ एंड ए) और सीएफओ



श्री के.बी.के. रेड्डी
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री आर.के.विमल
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री ए.बी. किरण
अपर महाप्रबंधक (विधि)



श्री सुरेन्द्र सुयाल
अपर महाप्रबंधक (एफ एंड ए) और सीएस



श्री खाकीहो येथ्थो
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्रीमती देबजानी भाटिया
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री एस. के. डे
अपर. महाप्रबंधक (टीएस)

सूचना

तत्काल सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यवसाय से संबंधित प्रबंध करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के सदस्यों की 33 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 11 नवंबर, 2020 को दोपहर 12.30 बजे, सम्मेलन कक्ष –1, पहली मंजिल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40, मैक्स मुलर मार्ग, नई दिल्ली –110003 में आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय

1. निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट्स के साथ–साथ 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किए हुए स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और अपनाने के लिए।

विशेष व्यवसाय

2. **वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का सत्यापन करना।**

   निम्न प्रस्ताव पर एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करने के लिए और अगर उपयुक्त लगे तो संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के ही पारित होने के लिए:

   "यह प्रस्ताव रखा गया कि कंपनीज (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) नियम, 2014, कंपनीज (लागत रिकॉर्ड्स और ऑडिट) नियम, 2014 और कंपनीज अधिनियम, 2013 के सभी अन्य लागू प्रावधानों के साथ नियम 14 के साथ धारा 148 के अनुसार मेसर्स के. एल. जयसिंह एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 000182), को ₹50,000 (मात्र पचास हजार) वार्षिक तथा टैक्स (जेब खर्च के अलावा सहित) के पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के तौर पर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था अतः के. एल. जयसिंह एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या 000182), लागत लेखाकार हैं एवं इसकी पुष्टि की जाती है और उनके भुगतान किए जाने को मंजूर किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह./–
(सुरेन्द्र सुयाल)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या ए11900

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 नवंबर, 2020

नोट्सः

1. वार्षिक आम बैठक में विशेष व्यवसाय से संबंधित किए जाने वाले प्रबंध के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक बयान यहाँ संलग्न किया जाता है। उपर्युक्त नोटिस के आइटम नंबर 2 में प्रदर्शित होने वाले विशेष व्यवसाय की बात, स्वरूप में अपरिहार्य होने के कारण, कंपनी के 33वें एजीएम में उसका प्रबंध किया जाएगा।

2. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 17/2020 और 14/2020 दिनांक क्रमशः 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 8 अप्रैल, 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 (बाद में सामूहिक रूप से ''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुसार, कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य मीडिया विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम का संचालन करने की अनुमति मिली है।

3. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के इच्छुक सदस्यों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खोली जाएगी। एजीएम के लिए लिंक ईमेल के माध्यम से अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम का हिसाब–किताब लगाने के उद्देश्य से गिना जाएगा। इसलिए, सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में भाग ले सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के तहत, एक प्रॉक्सी को एक सदस्य की ओर से एक सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति दी जाती है जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम न हों। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी फॉर्म, बैठक से कम–से–कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए। एक खाली प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है। जैसा कि कंपनी अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा दे रही है तो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के लिए उपस्थित होने और वोट देने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

6. एजीएम के कार्यक्रम स्थल का रूट यहाँ संलग्न है।

व्याख्यात्मक विवरण

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार)

आइटम संख्या 2

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का सत्यापन करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाने के तदुपरांत, लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर की जाएगी जो सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया हो। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के तहत, लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करते समय बोर्ड को उनके लिए देय पारिश्रमिक को अनुमोदित करना होगा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक की शेयरधारकों द्वारा पुष्टि करनी होती है। तदनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित, बोर्ड ने मैसर्स के. एल. जयसिंह एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 000182) को वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में ₹50,000/– रुपये (रुपये पचास हजार केवल) तथा देय कर के पारिश्रमिक पर नियुक्त किया। उक्त पारिश्रमिक साइट के दौरे के लिए ठहरने और भोजन करने के शुल्क से अलग है, यदि कोई हो। इसकी वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। नोटिस के आइटम नंबर 2 में निर्धारित किए अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से लागत लेखा परीक्षकों के लिए देय पारिश्रमिक का सत्यापन सदस्यों से कराया जा रहा है।

कंपनी के निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी वित्तीय या अन्यथा प्रस्ताव से संबंधित अथवा इच्छुक नहीं है।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल आइटम नंबर 2 में निर्धारित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह./–
(सुरेन्द्र सुयाल)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या ए11900

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 नवंबर, 2020



इरेडा की 32वीं वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में 30 सितंबर 2019 को आयोजित हुई

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लि.
(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
सीआईएनः U65100DL1987GOI027265
पंजीकृत कार्यालयः कोर –4'ए', पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
टेलीफोनः 011–24682206–19/ फैक्सः 91–11–24682202 वेबसाइटः www.ireda.in ईमेलः cmd@ireda.in

प्रॉक्सी फार्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) तथा कंपनी प्रबंधन एवं प्रशासन नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसार]

सदस्य का नामः
पंजीकृत पता :
ईमेल आईडीः
फोलियो नंबर और डीपी आईडी–ग्राहक आईडीः

मैं/हम.....उपरोक्त उल्लिखित नाम की कंपनी के.....शेयरों का सदस्य (सदस्यगण) होने के नाते, निम्नलिखित को नियुक्ति करते हैं

1. नाम : ..... ईमेल आईडी .....
   पता : ..... हस्ताक्षर : ..... या उसे विफल घोषित करते हैं
2. नाम : ..... ईमेल आईडी .....
   पता : ..... हस्ताक्षर : .....

मेरी/हमारी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और मेरे/हमारे लिए (पोल पर) वोट देने हेतु तथा मेरी/हमारी ओर से बुधवार, 11 नवंबर, 2020 को अपराह्न 12.30 बजे एम.एम. सम्मेलन कक्ष –1, पहली मंजिल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40, मैक्स मुलर मार्ग, नई दिल्ली –110003 में आयोजित होने वाली कंपनी की 33 वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए तथा नीचे दिए गए इस तरह के प्रस्ताव के संबंध में किसी भी स्थगन के लिए प्रॉक्सी के तौर पर नियुक्त करते हैं।

आइटम संख्या	विषय	के लिए	विपरीत
1.	**सामान्य व्यवसाय** निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट्स के साथ–साथ 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किए हुए स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और अपनाने के लिए।		
2.	**विशेष व्यवसाय** वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का सत्यापन करना।		

..... दिन, 2020 को ..... इस पर हस्ताक्षर किए।

राजस्व टिकट लगाएँ

शेयरधारक का हस्ताक्षर.....

प्रॉक्सी धारक का हस्ताक्षर.....

नोटः प्रभावी होने के लिए यह प्रॉक्सी फॉर्म विधिवत रूप से पूरा होना चाहिए और बैठक से कम–से–कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए।

एजीएम के स्थान का रूट मैप



अध्यक्ष महोदय का अभिभाषण



प्रिय शेयरधारकगण,

कंपनी संचालन के 33वें वर्ष के अवसर पर आपको आपकी अपनी कंपनी के प्रदर्शन से रू–ब–रू कराने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज आप सभी ने हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला उसके लिए इरेडा के निदेशक मंडल की ओर से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं इस बात से भी अवगत हूं कि यह एजीएम मानव इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में आयोजित की जा रही हैं जब भारत और दुनिया एक अभूतपूर्व महामारी से निपटने की कोशिश कर रही है। इसने जीवन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के सामने चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ ला खड़ा किया है। एक प्रगतिशील और सामाजिक रूप से संवेदनशील सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के हितधारकों के रूप में, हम इस समय अपनी विशेष जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हैं। कहा जाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही चरित्र की सच्ची परीक्षा लेती हैं। इस प्रकार, इससे हमें ताकत मिलती है कि इस कठिन समय में, हमारे साथ आपका सक्रिय समर्थन और ज्ञान है। यह आपका समर्थन ही है जो हमें और अधिक तथा उच्च दक्षता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इरेडा ने भारतीय अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र में भारत के अग्रणी फाइनेंसर के बीच अपना स्थान बनाए रखा है। इसने पूरे भारत में बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। इस प्रकार यह कंपनी एक आरई विकास एजेंसी के रूप में अपने नाम के साथ न्यायोचित है और देश के ऊर्जा क्षेत्र के परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में विकसित हो रही है।

जैसा कि मैंने कहा, वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना कोविड–19 के भीषण प्रसार का गवाह बना जिसने न केवल हमारे जीवन को प्रभावित किया बल्कि हमारे व्यवसायों के लिए अशांत समय भी लेकर आया। हालाँकि, इन वक्तों ने जीवित रहने और व्यापार करने के नए तरीके भी दिखाए हैं, क्योंकि कभी भी राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रेरित होकर, हमारी इच्छाशक्ति में कमी नहीं आई। इरेडा ने बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करना जारी रखा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इरेडा भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और किफायती बनाने में अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

वैश्विक ऊर्जा परिप्रेक्ष

अक्षय ऊर्जा, दुनिया भर के ट्रिलियन डॉलर ऊर्जा उद्योग को बदलने की क्षमता रखता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र दुनिया का पाँचवा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। भारत 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 225 गीगावॉट और 2030 तक 40% स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य तय कर रखा है। आरई में निवेश करने से भारत वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी उद्योगों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में सक्षम होगा जिससे कॉर्पोरेट भारत द्वारा विकास और नेतृत्व के नए अवसर हाथ आ सकते हैं। एक स्वच्छ और बेहतर समाज बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इरेडा इस ग्रह पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारी जिम्मेदारी के प्रति काफी जागरूक है। आज भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष पाँच स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों में शामिल है और आपकी भरपूर सहायता से आपकी कंपनी वैश्विक परिदृश्य में एक उच्च रैंकिंग प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

अक्षय ऊर्जा परिप्रेक्ष

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र भारत में ग्रिड से जुड़े बिजली उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए समाधान के प्रमुख भाग के रूप में उभरने के साथ–साथ ऊर्जा तक पहुँच बनाने के लिए एक आवश्यक खिलाड़ी के रूप में उभरा है। साथ ही साथ, यह स्थायी विकास के एजेंडे का समर्थन भी करता है। देश में कुल स्थापित उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 23.92% है, यानि – 373.02 गीगावॉट (30 सितंबर, 2020 तक)। आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग न केवल बिजली उत्पादन में किया जाता है – हीटिंग, शीतलन और परिवहन के लिए भी बड़ी संभावना है। भारत को अक्षय ऊर्जा के लिए एक समग्र रणनीति की आवश्यकता है ताकि इस संभावना से फायदा उठाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय हवा और पानी की गुणवत्ता सहित आमतौर पर बाजार का विकास स्थायी विकास के लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है। अपशिष्ट–से–ऊर्जा (ईएफडब्ल्यू) सहित बायोएनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने की संभावना भी मौजूद है। इसके लिए मजबूत स्थिर शासन की आवश्यकता होती है।

आरई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। माननीय प्रधान मंत्री आरई क्षेत्र के विकास की वकालत कर रहे हैं और सतत विकास को बनाए रखने की दिशा में हरित ऊर्जा के संभावना को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत तेज शहरीकरण के साथ ही दुनिया

की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं और स्वच्छ भारत के लिए भारत की प्रतिबद्धता के साथ ही, भारत सरकार ने ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के विकास के लिए निरंतर नीति समर्थन के साथ–साथ बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता भी उपलब्ध करा रही है।

कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, भारतीय नवीकरणीय क्षेत्र विभिन्न उभरती अनिश्चितताओं से गुजर रहा है। आरई उद्योग के समर्थन में भारत सरकार द्वारा कई उपायों की घोषणा की गई है। चीन और अन्य देशों से आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं के मद्देनजर, एमएनआरई ने एक प्रावधान पेश किया है कि कोविड –19 के कारण परियोजना कमीशनिंग में किसी भी देरी को अप्रत्याशित घटना की स्थिति मानी जाएगी। मंत्रालय ने लाइन में लगी सभी सौर और पवन परियोजनाओं को 5 महीने का आच्छादित विस्तार प्रदान किया है। आप सराहना करेंगे कि इन उपचारात्मक उपायों में इरेडा के व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं।

भारत का बिजली क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से विविधीकरण होने वाले क्षेत्रों में से एक है। ऊर्जा के स्रोत बड़े पैमाने पर पारंपरिक से ऊर्जा के व्यवहार्य अक्षय स्रोतों जैसे हवा और सौर की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करते हुए सौर ऊर्जा को सुनिश्चित, शुद्ध और सुरक्षित बताया है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने सरकार की नीतियों और योजनाओं को ऐसी दिशा दी है जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखते हुए एक राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश में बिजली की माँग तेजी से बढ़ी है और निकट भविष्य में इसके बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है। देश की तेजी से बढ़ती बिजली खपत की जरूरतें पूरी करने के लिए, आपूर्ति मुख्य रूप से नवीकरणीय स्रोतों से होने जा रही है।

भारत में स्थापित अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता ने पिछले कुछ वर्षों में गति प्राप्त की है। पिछले 5.5 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 2.6 गीगावाट से बढ़कर 36 गीगावाट से अधिक हो गई है। हमने 2010 के दौरान ₹17 प्रति यूनिट से लेकर अभी की ₹2.36 प्रति यूनिट तक सौर ऊर्जा की लागत में कमी देखी है। 10 वर्षों की अवधि के दौरान, बड़े पैमाने पर सोलर पार्कों में सोलर लगाने के कारण तथा असल समय के माध्यम से टैरिफ की खोज, नीलामियों, तकनीकी प्रगति के साथ–साथ साल–दर–साल उपकरणों की लागत में कमी, अनुकूल नीतियों और क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार नियामक सेटअप विकसित करने के कारण ही मुख्य रूप से सौर शुल्कों में लगभग 90% की कमी आई है। सरकार के बढ़ते समर्थन और बेहतर अर्थशास्त्र के साथ ही, पिछले 5 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 226% तक बढ़ी है। जैसा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहता है अतः 2040 तक 15,820 टेरावॉटआवर तक पहुँचने की उम्मीद रखता है। इसमें अक्षय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सरकार की योजना 2030 तक 450 गीगावॉट की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की है।

नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भारत सरकार के बढ़ते आकर्षण ने निवेश के साथ–साथ इस क्षेत्र में रोजगार के लिए आकर्षक अवसर पैदा किए हैं। सरकार के बढ़े हुए समर्थन और बेहतर अर्थशास्त्र के साथ ही, यह क्षेत्र निवेशकों के दृष्टिकोण से अधिक आकर्षक बन गया है और फलफूल रहा है। कोविड–19 के मद्देनजर, अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में मंदी का सामना है तो विद्युत क्षेत्र ने और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने निवेश के लिए एक वैकल्पिक गंतव्य दे दिया है।

काम–काज की झलकियाँ

आइए मैं आपकी कंपनी के परिचालन और कार्यात्मक परिणामों की एक व्यापक तस्वीर पेश करने की कोशिश करता हूँ:

आपकी कंपनी की सकल आय बढ़कर ₹2,372.38 करोड़ हो गई है, जो पिछले वर्ष के ₹2,022.21 करोड़ की सकल आय के मुकाबले 17.32% ज्यादा है। मुख्य रूप से आरबीआई के मानदंडों में बदलाव के कारण, पिछले वर्ष के कर से पहले मुनाफा (पीबीटी) ₹310.95 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत में, पीबीटी ₹241.11 करोड़ तक घट गया। मुख्य रूप से अपेक्षित क्रेडिट घाटा (ईसीएल) गणना के आधार पर उच्चतर प्रावधानीकरण के कारण, पिछले वर्ष के कर के बाद मुनाफा (पीएटी) ₹249.91 करोड़ के मुकाबले में वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत में पीएटी घटकर ₹214.55 करोड़ हो गया। आपकी कंपनी की कुल संपत्ति अब 2,521.32 करोड़ रुपये है।

आपकी कंपनी ने महत्वपूर्ण उपलब्धियों भरा एक और वर्ष दिया है और इसने इस वर्ष के दौरान विभिन्न हिस्सों में प्रगति दिखाई है। इस वर्ष के दौरान दिल को छू लेने वाली वृद्धि देखी गई है। जिसमें आपकी कंपनी ने क्रमशः ₹12,696.11 करोड़ और ₹8,785.31 करोड़ की राशि के कर्जे मंजूर किए हैं और वितरित किया है। इस वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण में 6.32% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष के अंत तक संचयी ऋण स्वीकृतियाँ और वितरण क्रमशः ₹85,599.89 करोड़ और ₹54,289.26 करोड़ तक पहुँच गए। आने वाले वर्षों में, आपकी कंपनी अपने सभी हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने और स्थायी बढ़ोत्तरी को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करेगी।

सह–वित्त पोषित परियोजनाओं/अपने हाथ में लिए कर्जों सहित इस वर्ष के दौरान स्वीकृत कर्जों से पिछले साल के 3266 मेगावाट के मुकाबले में 5673.48 मेगावाट की क्षमता वृद्धि में मदद मिलेगी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने घरेलू बाजार में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से इरेडा कर योग्य बांड के रास्ते ₹1,803 करोड़ की राशि जुटाई थी। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने विदेशी स्रोतों यानि – जेआईसीए–II, एएफडी–II, विश्व बैंक से क्रेडिट की विभिन्न लाइनों के माध्यम से कुल

मिलाकर ₹334.60 करोड़ तक संसाधन जुटाए। केनरा बैंक के साथ ₹500 करोड़ की एक टर्म लोन सुविधा पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें पहले संवितरण की तारीख से दो साल की मोहलत की अवधि के बाद, ₹25 करोड़ की प्रत्येक 20 बराबर–बराबर त्रैमासिक किश्तों में चुकौती का प्रावधान है। 5 साल की अवधि के लिए ₹1,000 करोड़ की टर्म लोन की एक सुविधा पर बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के साथ हस्ताक्षर किए गए है और उसी के तहत ₹600 करोड़ की निकासी की गई।

नई पहल

मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि इस वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा की गई कुछ पहलें हमारे व्यापारिक कार्यों में वृद्धि की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं।

"सरकारी निकायों/डिस्कॉम्स/ट्रांसकोस/राज्य स्वामित्व वाली ट्रेडिंग कंपनियों को अल्पावधि ऋण सुविधा" पीआरओ अनुपालन/आरई पावर की वसूली/आरई जनरेटरों के लिए भुगतान/आरई इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना (ट्रांसमिशन लाइन्स सहित) की जरूरतें पूरी करने के लिए पेश किया गया।

एमएनआरई की योजना जीबीआई के तहत पंजीकृत पवन एवं सौर परियोजनाओं के भावी पीढ़ी आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) की प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण के बदले में ऋण प्रदान करने के लिए "ग्रिड कनेक्टेड विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स के मामले में भविष्य के जीबीआई प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण के बदले ऋण" योजना शुरू की गई थी।

कोरोना महामारी संकट से निपटने के लिए सभी अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु इरेडा के ऋणधारकों के लिए एक संशोधित "टॉप–अप लोन योजना" पेश की गई थी ताकि वे अपनी परियोजना के निर्माण के उद्देश्यों हेतु या नए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए इक्विटी फंडिंग की जरूरतें पूरी करने के लिए अथवा आरई से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए तथा कोविड –19 एवं बड़े पैमाने पर बंद से उत्पन्न हुए संकट के कारण तरलता जरूरतें पूरी कर सकें।

कोविड–19 महामारी के मद्देनजर आए व्यवधानों के कारण पैदा हुए ऋण सर्विसिंग के बोझ को कम करने और बड़े पैमाने पर बंद के बीच व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नई "सावधि ऋण किस्तों के अधिस्थगन के लिए योजना" शुरू की गई थी। कोविड–19 के कारण जारी लॉकडाउन और निरंतर व्यवधानों के मद्देनजर, स्थगन अवधि को तीन महीने और बढ़ा दिया गया था।

"गन्ने के रस/चीनी/चीनी सिरप/बी–हैवी मोलसेस/सी–हैवी मोलसेस/डैमेज्ड फूड ग्रेन" का उपयोग करके इथेनॉल के उत्पादन के लिए मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए नई डिस्टलरी की स्थापना के लिए" वित्तीय योजना मुख्य रूप से इथेनॉल के निर्माण के लिए, मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए नई डिस्टलरी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप, प्रदूषण के स्तर में कमी के लिए पेट्रोलियम में जैव ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा मिलता है साथ ही साथ चीनी की माँग – आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलती हे।

असुरक्षित ऋण/ब्रिज लोन/टेकओवर भाग के लिए परियोजना में लगाए गए अन्य समान उपकरण की प्रतिपूर्ति को कवर करने के लिए "बैंको/वित्तीय संस्थाओं के कर्जों और असुरक्षित कर्जों ब्रिज लोन/लेनदार भुगतान आदि के अधिग्रहण हेतु दिशानिर्देश" के तहत संशोधन किए गए थे

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

इरेडा का उद्देश्य समुदाय और पर्यावरण के लिए अपनी गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुपालन में, हमने सीएसआर गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹13.40 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है। पूरे वर्ष के दौरान, इरेडा द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के विकास, प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत फंड (पीएम–केयर्स), स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा फंड तथा कुछ पॉकेट्स में हेल्थकेयर स्टाफ को पीपीई किट उपलब्ध कराने सहित व्यापक गतिविधियों के लिए ₹24.31 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। चल रही महामारी को ध्यान में रखते हुए, इरेडा ने सीएसआर से वित्त वर्ष 2020–21 के लिए भी पीएम–केयर्स फंड में ₹7.50 करोड़ का योगदान दिया है। आपकी कंपनी अपनी व्यावसायिक योजनाओं के साथ घनिष्ठ एकीकरण में सार्थक सामुदायिक विकास हेतु अपना दिल से लगी रहेगी।

समझौता ज्ञापन अनुमान

मैं आपके साथ ये बात साझा करना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी ये आशा करती है कि वित्त वर्ष 2019–20 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ हस्ताक्षरित एमओयू लक्ष्यों के प्रति आपकी कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर भारत सरकार (जीओआई) द्वारा ''निष्पक्ष'' दर्जा दिया जाएगा। परिचालन मुनाफा, आरओआई और एनपीए में कमी के कारण उक्त रेटिंग्स के प्रमुख बिंदु हैं। आपकी कंपनी के वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एमओयू रेटिंग ''बहुत अच्छी'' थी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यावसायिक संचालन में किए जा रहे नवाचारों के साथ, एक प्रोत्साहन नीति द्वारा समर्थित, आपकी कंपनी बहुत जल्द ही एक नए रंग में नजर आएगी।

मानव संसाधन विकास

एक ऐसे दर्शन के अनुरूप कि एक समर्पित और प्रेरित कार्यबल किसी भी संगठन की नींव होता है। इस संबंध में कंपनी द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। कंपनी क्षमता निर्माण और अपने कर्मचारियों की भलाई को अत्यधिक महत्व देती है। 47 कर्मियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया है। इरेडा द्वारा सेवा नियमों के अनुच्छेद संख्या 34 के अंतर्गत एफआर–56 (जे) के तहत कर्मचारियों की समय–समय पर समीक्षा करने

की प्रक्रिया को भी शामिल किया है। नेतृत्व विकास, प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली में सुधार, आंतरिक संचार को मजबूत करने, ई–आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से निरंतर सीखने के लिए प्रशिक्षण/ पुनःप्रशिक्षण, कर्मचारी केंद्रित बनाने के लिए नीतियों को सरल बनाने आदि जैसे कामों के लिए कदम उठाए गए हैं।

इरेडा ने नीतिगत बंधनों और प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम से कंपनी में प्रदर्शन संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। कंपनी के प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्पादकता हेतु व्यावसायिक कौशल और कर्मचारियों की क्षमता में बढ़ोत्तरी करना है। पूरे वर्ष के दौरान, इरेडा ने 300 प्रशिक्षण मानव–दिवस अर्जित किए हैं, जिसमें 15% से अधिक कर्मचारियों के लिए प्रमुख संस्थानों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से फायदा उठाने और विकास के लिए अवधारणाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए ''मंथली लेक्चर सीरीज'' का आयोजन इरेडा में आम बात बन गई है। कर्मचारियों के आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और व्यवहार विकास की दिशा में प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ भी नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

कॉर्पोरेट प्रशासन

इरेडा अपने सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजन हेतु प्रचलित विनियामक ढांचे के भीतर एक नैतिक और जिम्मेदार तरीके से अपने व्यापार के संचालन का प्रयास करता है। इरेडा कंपनी अधिनियम, सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं जानकारी साझा करने संबंधी आवश्यकताएँ) विनियम, भारतीय रिजर्व बैंक, एमएनआरई और डीपीई दिशानिर्देशों और अन्य कानूनों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करता है।

भविष्य की रणनीतियाँ

कंपनी का ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो लगातार मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में बढ़ रहा है और नई घोषित कुसुम योजना, स्टोरेज का ध्यान, सौर/पवन हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज, जैव ईंधन यानि – इथेनॉल और संपीडित बायो गैस (सीबीजी), ई–मोबिलिटी संबंधित बुनियादी ढाँचा, ऑफ–शोर विंड, सोलर रूफटॉप प्रोग्राम आदि जैसी सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से अतिरिक्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

यह स्पष्ट है कि उभरती शक्ति पारिस्थितिकी तंत्र इरेडा के लिए एक बड़ी संभावना रखती है। अपनी सहायता प्रदान करने के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त और सस्ते संसाधन उपलब्ध कराती है। आपकी कंपनी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय ऋणदाताओं के साथ इस क्षेत्र की संसाधन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रेडिट की नई लाइनों के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। साथ ही साथ आगे उधार देने के लिए पूंजी जुटाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में ग्रीन बॉन्ड भी जारी करती रहेगी।

आपकी कंपनी ऐसे नए उत्पादों और योजनाओं का विकास करेगी जो बाजार की जरूरतों को पूरा करती हों। मुझे यकीन है कि ऐसा होगा, आपकी कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इसके अलावा, निवेश के अवसरों में वृद्धि में सक्षम बनाने वाली आपकी कंपनी के पूंजी आधार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इक्विटी में जान फूँकने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

आभार

मैं भारत सरकार और विशेष रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग के प्रति अपनी निष्ठावन और हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। सरकार के अन्य अंगों जैसे – नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामक प्राधिकरणों को निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रति भी उनके परिश्रमपूर्वक किए गए ऑडिट के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

मैं वास्तव में प्रतिबद्धता और प्रयासों के लिए निदेशक मंडल और कर्मचारियों की समर्पित टीम से प्राप्त अथक प्रयासों और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। वही कंपनी के सर्वश्रेष्ठ संसाधन हैं। मैं भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी निरंतर भागीदारी की आशा करता हूँ।

मैं विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, बैंकरों, बॉन्ड–होल्डर्स, घरेलू वित्तीय संस्थानों, निवेशकों और ग्राहकों की ओर से प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।

अंत में, मैं सदस्यों और हितधारकों के प्रति उनके विश्वास और समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

क्या अब मैं अनुरोध कर सकता हूँ कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, ऑडिट की हुई बैलेंस शीट, मुनाफा और घाटा खाता एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाया जाए।

धन्यवाद,

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः – 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 नवंबर 2020

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यों के लिए,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) के लिए आपकी कंपनी के प्रदर्शन पर आधारित 33वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी महसूस हो रही है। इसमें समेकित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल है।

1. वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन (स्टैंडअलोन) की झलक के साथ–साथ कंपनी की पिछले वित्तीय वर्ष की तुलनात्मक (पुनःसमूहित) स्थिति निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	2019–20	2018–19
1.	स्वीकृत ऋण	12696.11	11941.87
2.	वितरित ऋण	8785.31	9385.37
3.	शुद्ध मूल्य	2521.32	2583.97
4.	सकल आय	2372.38	2022.21
5.	वित्त लागत (अंतरण / लेन–देन विनिमय घाटा / लाभ छोड़कर)	1459.21	1182.90
6.	कर देने से पूर्व लाभ	241.11	310.95
7.	कम करें: वर्तमान कर	100.13	138.88
8.	आस्थगित कर	(73.57)	(77.84)
9.	कर के बाद लाभ (6–7–8)	214.55	249.91
10.	अन्य व्यापक आय	349.38	24.76
11.	इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए लाभ (घाटा) और अन्य व्यापक आय सहित)	563.93	274.66
	विनियोग		
12.	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) में स्थानांतरण	46.29	46.29
13.	स्पेशल रिजर्व में स्थानांतरण	108.20	90.00
14.	एनबीएफसी रिजर्व में स्थानांतरण	43.00	48.83
15.	जनरल रिजर्व से / के लिए स्थानांतरण	(200.00)	–

1.1 वित्तीय झलकियाँ

- आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान आरबीआई द्वारा दिनांक 31.05.2018 को जारी किए गए परिपत्र के अनुसार माना गया है और 90 दिनों से अधिक के बकाये वाले खातों को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 17.32% की वृद्धि दर्ज कराते हुए, पिछले वर्ष की सकल आय 2,022.21 करोड़ के मुकाबले में, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी की सकल आय बढ़कर ₹2,372.38 करोड़ हो गई है।
- कर से पहले मुनाफा (पीबीटी) पिछले वर्ष के पीबीटी ₹310.95 करोड़ के मुकाबले में वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत में घटकर ₹241.11 करोड़ हो गया। ऐसा मुख्य रूप से आरबीआई के मानदंडों में बदलाव के कारण हुआ।
- पिछले साल के पीएटी 249.91 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2019–20 के अंत में कर के बाद मुनाफा (पीएटी) घटकर ₹214.55 करोड़ हो गया। ऐसा मुख्य रूप से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ईसीएल) गणना के आधार पर उच्चतर प्रावधानीकरण के कारण हुआ।
- पिछले वर्ष के शुद्ध मूल्य ₹2,583.97 करोड़ के मुकाबले 2.42: की कमी दर्ज कराते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत में कंपनी का शुद्ध मूल्य घटकर ₹2,521.32 करोड़ हो गया। ऐसा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव और लाभांश भुगतानों के कारण हुआ।
- आरबीआई परिपत्र दिनांक 31.05.2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आरबीआई मानदंडों के तहत 12% की अनुमेय सीमा के भीतर, उक्त वर्ष के अंत में कंपनी की कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स अनुपात (सीआरएआर) 14.34% रिपोर्ट की गई थी।
- इरेडा ने पिछले वर्ष की 94.23% की उपलब्धि के मुकाबले समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कुल उपलब्ध धन का 87.84% वितरित किया।
- पिछले वर्ष की स्वीकृत राशि ₹11,941.87 करोड़ के मुकाबले 6.32% की वृद्धि दर्ज कराते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने ₹12,696.11 करोड़ के कर्जे स्वीकृत किए।

- पिछले वर्ष की ₹9,385.37 करोड़ की वितरित राशि के मुकाबले वित्त वर्ष 2019– 20 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण नीचे की ओर झुकाव दर्ज कराते हुए ऋण वितरण ₹8,785.31 करोड़ था।

1.2 फंड जुटाना

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने घरेलू बाजार में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से इरेडा कर योग्य बांड के रास्ते ₹1,803 करोड़ की राशि जुटाई। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने विदेशी स्रोतों यानि – जेआईसीए– II, एएफडी– II, विश्व बैंक से क्रेडिट की विभिन्न लाइनों के माध्यम से कुल मिलाकर ₹334.60 करोड़ तक संसाधन जुटाए।

1.3 अन्य झलकियाँ

- पूरे वर्ष के दौरान एकमात्र, सह–वित्तपोषण और कंसोर्टियम वित्तपोषण के माध्यम से आपकी कंपनी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का परिणाम 952.69 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के बढ़ने की उम्मीद है।

- ₹13.90 करोड़ जारी करने के लिए प्रत्येक ₹10 के एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से नए इक्विटी शेयर जारी करने के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के अनुपालन में, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) 30 जुलाई, 2019 को सेबी के साथ दोबारा दायर किया गया।

- आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान इरेडा के माध्यम से "भारत सरकार की पूर्ण सेवा बांड्स कुसुम" को उठाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. ऋण संचालन

2.1 स्वीकृतियाँ और वितरण

पिछले वर्ष की स्वीकृत राशि ₹11,941.87 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 6.32% की वृद्धि दर्ज कराते हुए ₹12,696.11 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए।

पिछले वर्ष की ₹9,385.37 करोड़ की वितरित राशि के मुकाबले वित्त वर्ष 2019– 20 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण नीचे की ओर झुकाव दर्ज कराते हुए ऋण वितरण ₹8,785.31 करोड़ था। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान ऋण स्वीकृतियों और वितरणों के क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार हैं:



श्री आनंद कुमार, तत्कालीन सचिव, एमएनआरई, श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन सीएमडी, इरेडा एवं एएस, एमएनआरई ने नई दिल्ली में 27 मई, 2019 को निदेशकों की उपस्थिति में वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के प्रदर्शन लक्ष्यों को रेखांकित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	स्वीकृतियाँ #	% शेयर	वितरण*	% शेयर
पवन ऊर्जा	1610.55	12.69	1057.11	12.03
सौर ऊर्जा	4042.09	31.84	2666.10	30.35
अल्पकालिक ऋण	5060.00	39.85	4507.98	51.31
हाइड्रो पावर	295.28	2.33	295.97	3.37
बायोमास और सह–जेनेरेशन	44.12	0.35	118.11	1.34
अपशिष्ट से ऊर्जा	118.38	0.93	78.12	0.90
ब्रिज लोन	85.50	0.67	5.82	0.07
ऊर्जा दक्षता और संरक्षण	5.00	0.04	0	0.00
बिल की छूट	0	0.00	10.10	0.11
विविध (विनिर्माण)	1435.19	11.30	46.00	0.52
योग	**12,696.11**	**100**	**8,785.31**	**100**

** वितरण की राशि में वित्तीय वर्ष 2019–20 और पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ शामिल हैं।*

#इरेडा ने फ्लोटिंग सोलर, हाइब्रिड विंड और सोलर, स्टोरेज एप्लिकेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, एग्रो वेस्ट की बायो–एनर्जी पैलेटिसेशन, लघु हाइड्रो और वेस्ट टू एनर्जी के लिए ₹386.16 करोड़ की राशि मंजूर की थी।

31 मार्च, 2020 तक संचयी स्वीकृतियाँ और वितरण क्रमशः ₹85,599.89 करोड़ और ₹54,289.26 करोड़ पर रहा। संचयी राज्य–वार और क्षेत्र–वार स्वीकृतियों और वितरणों का विवरण अनुबंध I से IV में दिया गया है।

बाजार की आवश्यकताओं, अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों और लागू वैधानिक जरूरतों के हिसाब से चलने के लिए कंपनी समय–समय पर अपनी नीतियों / प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण में इरेडा की बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए विभिन्न नई योजनाओं और संशोधित मौजूदा योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें शामिल हैं:

1. "सरकारी निकायों / डिस्कॉम्स / ट्रांसकोस / राज्य स्वामित्व वाली ट्रेडिंग कंपनियों को अल्पावधि ऋण सुविधा" पीआरओ अनुपालन / आरई पावर की वसूली / आरई जनरेटरों के लिए भुगतान / आरई इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना (ट्रांसमिशन लाइन्स सहित) की जरूरतें पूरी करने पेश किया गया।

2. एमएनआरई की योजना जीबीआई के तहत पंजीकृत पवन एवं सौर परियोजनाओं के भावी जीवीआई आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) की प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण के बदले में ऋण प्रदान करने के लिए "ग्रिड कनेक्टेड विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स के मामले में भविष्य के जीबीआई प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण के बदले ऋण" योजना शुरू की गई थी।

3. कोरोना महामारी संकट से निपटने के लिए सभी अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु इरेडा के ऋणधारकों के लिए एक संशोधित "टॉप–अप लोन योजना" पेश की गई थी ताकि वे अपनी परियोजना के निर्माण के उद्देश्यों हेतु या नए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए इक्विटी फंडिंग की जरूरतें पूरी करने के लिए अथवा आरई से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए तथा कोविड –19 एवं बड़े पैमाने पर बंद से उत्पन्न हुए संकट के कारण तरलता जरूरतें पूरी कर सकें।

4. कोविड–19 महामारी के मद्देनजर आए व्यवधानों के कारण पैदा हुए ऋण सर्विसिंग के बोझ को कम करने और बड़े पैमाने पर बंद के बीच व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नई "सावधि ऋण किस्तों के अधिस्थगन के लिए योजना" शुरू की गई थी। कोविड–19 के कारण जारी लॉकडाउन और निरंतर व्यवधानों के मद्देनजर, स्थगन अवधि को तीन महीने और बढ़ा दिया गया था।

5. "गन्ने के रस / चीनी / चीनी सिरप / बी–हैवी मोलसेस / सी–हैवी मोलसेस / डैमेज्ड फूड ग्रेन" का उपयोग करके इथेनॉल के उत्पादन के लिए मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए / नई डिस्टलरी की स्थापना के लिए" वित्तीय योजना मुख्य रूप से इथेनॉल के निर्माण के लिए, मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए / नई डिस्टलरी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप, प्रदूषण के स्तर में कमी के लिए पेट्रोलियम में जैव ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा मिलता है साथ ही साथ चीनी की माँग – आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलती हे।

6. असुरक्षित ऋण / ब्रिज लोन / टेकओवर भाग के लिए परियोजना में लगाए गए अन्य समान उपकरण की प्रतिपूर्ति को कवर करने के लिए ''बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के कर्जों और असुरक्षित कर्जों / ब्रिज लोन / लेनदार भुगतान आदि के अधिग्रहण हेतु दिशानिर्देश'' के तहत संशोधन किए गए थे।

7. सौर और पवन परियोजनाओं के लिए पुनर्भुगतान की अवधि 10–15 साल से बढ़ाकर 25 सालों तक या शेष पीपीए अवधि का 80% जो भी कम हो, कर दिया गया है।

8. "फाइनेंसिंग नॉर्म्स एंड स्कीम" के तहत अनुग्रह अवधि को परियोजना की सीओडी की तारीख अधिकतम 1 वर्ष से बढ़ाकर 1½ वर्ष कर दिया गया है।

9. "रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड/इंटरएक्टिव पावर प्रोजेक्ट्स (औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं संस्थागत) के लिए स्कीम" के तहत पहले से निर्धारित 10 वर्ष की अधिकतम चुकौती अवधि से बढ़ाकर 15 साल (जहाँ ऑफ टेकर्स की न्यूनतम 80% क्रेडिट रेटिंग ''ए–'' अथवा ऊपर होनी चाहिए) कर दिया गया है।

2.2 क्षमता की मंजूरी

सह–वित्तपोषित परियोजनाओं/टेकओवर कर्जों सहित वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान मंजूर किए गए कर्जों से 5673.48 मेगावाट की क्षमता वृद्धि में मदद मिलेगी। इरेडा द्वारा वित्तपोषित और सह–वित्तपोषित परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रवार प्रस्तावित क्षमता वृद्धि नीचे दी गई है:

क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)
सौर ऊर्जा	2964.57
पवन ऊर्जा	892.40
बायोमास और को–जेनेरेशन	14.25
हाइड्रो पावर	141.80
अपशिष्ट से ऊर्जा	14.90
ऊर्जा पहुँच (5.56) + निर्माण (1640)	1645.56
योग	**5673.48**

2.3 क्षमता की मंजूरी

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, इरेडा द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कुल क्षमता में 952.69 मेगावाट की वृद्धि हुई, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)
सौर ऊर्जा	722.04
पवन ऊर्जा	120.00
हाइड्रो	110.65
योग	**952.69**



केरल के कासरगोड में इरेडा की 50 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना।

3. सौर ऊर्जा परियोजना

आपकी कंपनी ने केरल राज्य के कासरगोड में स्थित इरेडा के 50 मेगावाट सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2014–15 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पूरा 50 मेगावाट संयंत्र सितंबर, 2017 के महीने में अधिकृत किया गया था और आज की तारीख में ऊर्जा पैदा कर रहा है। इरेडा और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसइबीएल) के बीच 31.03.2017 को@ ₹4.95 /किलोवाटआवर अथवा केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दरों में से जो भी कम हो उसके हिसाब से पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तदनुसार, इरेडा ने केएसईआरसी के साथ पीपीए की मंजूरी के लिए एक याचिका दायर की, जिसके तहत 2 फरवरी, 2018 के अपने अंतरिम आदेश में प्रति यूनिट ₹3.90 प्रति यूनिट के हिसाब से अंतरिम टैरिफ को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, वर्ष 2018–19 के दौरान केएसईआरसी ने 6 फरवरी, 2019 के अपने आदेश में, परियोजना से उत्पन्न बिजली के लिए स्तरित टैरिफ @ ₹3.83 प्रति यूनिट की मंजूरी दी है। इरेडा ने बिजली से संबंधित अपीलीय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) से संपर्क किया है, जिसमें तय किए गए टैरिफ की समीक्षा के लिए एक समीक्षा याचिका दायर की गई है। इसके बावजूद, जेनेरेशन आय का हिसाब@ ₹3.83 प्रति यूनिट है। संयंत्र की परिचालन स्वीकृति मार्च, 2020 में मिल गई है।

4. रिकवरी और स्ट्रेस्ड परिसंपत्तियों का प्रबंधन

उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 7 जून, 2019 को सर्कुलर जारी करके स्ट्रेस्ड एसेट्स की समस्याओं को हल करने के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क से संबंधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं। उक्त परिपत्र के अनुसार, ऋणदाता विशेष परिसंपत्ति खातों (एसएमए) के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करके ऋण खातों में उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस को डिफॉल्ट होने पर तुरंत पहचान सकते हैं। तदनुसार, आय मान्यता, एसेट वर्गीकरण और प्रावधानीकरण को उक्त परिपत्र के अनुसार ही माना गया है और 90 दिनों से अधिक के बकाए वाले खातों को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 के कोविड–19 विनियामक पैकेज से संबंधित आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार, उधार देने वाली संस्थाओं को सभी किश्तों और / या ब्याज के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी गई है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 (''अधिस्थगन अवधि'') के बीच आने वाले पात्र उधारकर्ताओं को यह मोहलत मिलेगी। ऐसे सभी खातों के लिए जहाँ अधिस्थगन प्रदान किया जाता है, संपत्ति वर्गीकरण स्थगन अवधि के दौरान स्थिर रहेगा। तदनुसार, एसेट्स वर्गीकरण लाभ उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹1103.32 करोड़ के कुल ऋण बकाया वाले 19 खातों तक बढ़ाया गया है।

कंपनी के जनादेश और विकासात्मक प्राथमिकता के अंग के रूप में, आपकी कंपनी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है। इसमें निहित तकनीकी और अन्य जोखिम होते हैं। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में अंतर्निहित जोखिम के बावजूद, आपकी कंपनी पिछले वर्ष के 3.74% के आंकड़े के मुकाबले एनपीए को 7.18% तक रख पाने में सक्षम रही है। एनपीए के प्रति रिकवरी की कार्रवाइयों यानि – मीटिंग करना, टीआरए मॉनिटरिंग, वन–टाइम सेटलमेंट, पुनर्निर्धारण, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई, उधार रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी), इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (आईबीसी) आदि के माध्यम से वसूली जारी है। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप एनपीए से ₹138.68 करोड़ की कुल राशि की वसूली हुई। इसमें लेजर से खारिज की जा चुकी संपत्ति से ₹12.92 करोड़ तक की राशि शामिल थी। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन प्रकृति में मौसमों पर आधारित है। साथ ही साथ, परियोजना डेवलपर्स द्वारा जिन्हें बिजली बेची जा रही है उनके मुकाबले में डिस्कॉम यानि– जिनके लिए बिजली पैदा की जा रही है उसके वित्तीय सेहत कारण, कुछ डेवलपर्स द्वारा वर्गीकृत मानक संपत्ति के रूप में इरेडा के बकाया भुगतान में देरी हुई है। पिछले वर्ष के अनुपात 0.79% के मुकाबले, वित्तीय वर्ष 2019–20 का कुल अतिदेय ऋण 31 मार्च, 2020 तक 0.78% था। एनपीए से लेकर कुल लोन तक (नेट) 7.18% था। आपकी कंपनी ने पहले ही ऐसे मामलों की पहचान कर ली है जिनमें आईबीसी के तहत समाधान के लिए राष्ट्रीय कंपनी नियम न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जा रही है।

5. संसाधन संग्रहण

आपकी कंपनी का कुल उधार 31 मार्च 2020 तक ₹21,853.55 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष यह ₹18,752.92 करोड़ था।

5.1 बाहरी संसाधन

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ पहले से ही हस्ताक्षरित विभिन्न क्रेडिट लाइनों (एलओसी) से ₹334.60 करोड़ की कुल राशि इकट्ठा की जो इस प्रकार हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
विश्व बैंक – आईबीआरडी	44.15
विश्व बैंक – सीटीएफ	14.68
एएफडी II	31.27
जेआईसीए II	244.50
योग	**334.60**

इसके अलावा, इरेडा ने केएफडब्ल्यू के साथ 200 मिलियन यूरो (222.82 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर) के एलओसी पर केएफडब्ल्यू–VII एलओसी के रूप में 16 दिसंबर, 2019 को 15 साल की अवधि के लिए 3 साल की रियायती अवधि के साथ उक्त एलओसी पर हस्ताक्षर किए हैं।

5.2 घरेलू संसाधन

उक्त वर्ष के दौरान, इरेडा ने घरेलू बांड बाजार से ₹1,803 करोड़ की राशि को कर योग्य बांड के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाया। ₹1,000 करोड़ और ₹803 करोड़ की राशि के कर योग्य बॉन्ड्स 10 वर्ष की परिपक्वता के साथ जारी किए गए थे। इसमें बोली की तारीख के आधार पर एए+ फिमडा (एफआईएमएमडीए) एनबीएफसी दर की तुलना में क्रमशः 41बीपीएस और 30बीपीएस में से कम रहने वाले के हिसाब से कूपन दर क्रमशः 8.00% सालाना और 7.40% सालाना के हिसाब से जारी किए गए थे। आपकी कंपनी के कर योग्य बांड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड दोनों में सूचीबद्ध हैं।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने घरेलू बैंकों के साथ दो सावधि ऋण सुविधाओं पर हस्ताक्षर किए, यानि –

बैंक का नाम	मंजूर ऋण राशि (₹ करोड़ में)	31.03.2020 तक कुल बकाया ऋण राशि (₹ करोड़ में)	31.03.2020 तक ब्याज दर	ऋण की अवधि (वर्षों में)
केनरा बैंक	500	150	7.65%	7
बैंक ऑफ बड़ौदा	1000	600	7.55%	5



श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन सीएमडी, इरेडा और एएस, एमएनआरई ने 16 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में डॉ. क्रिस्टॉफ केसलर, निदेशक, केएफडब्ल्यू के साथ 200 मिलियन यूरो के एलओसी से फायदा उठाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

6. शेयर पूंजी

31 मार्च, 2020 तक आपकी कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹6,000 करोड़ और ₹784.60 करोड़ थी। संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी भारत सरकार के पास है। उक्त वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

6.1 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)

वर्तमान में, ₹784.60 करोड़ की राशि वाली कंपनी की पूरी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार और उसके नामांकितों के पास है। ₹13.90 करोड़ जारी करने के लिए प्रत्येक ₹10 के एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से नए इक्विटी शेयर जारी करने के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुमोदन कर दिया है। तदनुसार, 30 जुलाई, 2019 को फिर से डीआरएचपी सेबी के साथ दायर किया गया था। डीआरएचपी पर सेबी से मिलने वाली पिछली मंजूरी की समाप्ति के बाद और 27 सितंबर, 2019 को सेबी की ओर से राय हासिल हुई थी।

बाजार में मंदी के रुझान के कारण, उस चरण में स्टॉक की कीमतों में गिरावट देखी गई थी। एनबीएफसी सहित कुल मिलाकर सभी क्षेत्र प्रभावित हुए थे। इस तरह के प्रतिकूल रुझानों को ध्यान में रखते हुए, रन–अप चरण की प्राप्ति तक आईपीओ को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

यस सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड और एलारा कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, कंपनियाँ बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (बीआरएलएम) के रूप में कार्य कर रही हैं तथा मैसर्स सिरिल अमरचंद और मंगलदास घरेलू कानूनी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं एवं क्लाइड एंड कंपनी इस मुद्दे के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रही है।

7. लाभांश

डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम) के दिनांक 27.05.2017 के कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग पर आधारित कार्यालय ज्ञापन की पृष्ठभूमि में, लाभांश के भुगतान के लिए दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी को न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30% पीएटी या 5% नेट वर्थ, जो भी अधिक हो, उसका भुगतान करना आवश्यक है। हालाँकि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने पत्र संख्या 1 (3)/2017–इरेडा, दिनांक 8 सितंबर, 2020 में वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लाभांश के भुगतान के संबंध में डीआईपीएएम द्वारा दी गई छूट को सूचित किया है।

8. क्रेडिट रेटिंग

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, मैसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. लिमिटेड ने टैक्सेबल बॉन्ड्स को स्टैंडअलोन आधार पर "एएए" रेटिंग दिया है।

मैसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2019–20 में दीर्घकालिक बैंक कर्जों को "एएए" रेटिंग दिया है।

वास्तविक रूप से बॉन्ड जारी किए जाने के समय मेसर्स सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड और मैसर्स आईसीआरए लिमिटेड द्वारा "एएए (एसओ)" और "एए+" की रेटिंग दी गई थी। उन्हीं रेटिंग्स को ही अन्य रेटिंग एजेंसियों ने बनाए रखा था। मेसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. मौजूदा बॉन्ड्स पर क्रमशः नकारात्मक दृष्टिकोण और स्थिर दृष्टिकोण के साथ "एएए" की रेटिंग बनाए रखी।

पूरी तरह से भारत सरकार की सर्विस बांड्स के लिए "एएए (स्थिर)" की रेटिंग संबंधित रेटिंग एजेंसियों यानि – इंडिया रेटिंग्स, आईसीआरए और सीएआरई कि जिन्होंने बॉन्ड्स जारी करने के समय मूल रेटिंग दी थी उनके द्वारा उक्त रेटिंग्स बनाए रखी गई थीं।

आपकी कंपनी की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता कंपनी फिच रेटिंग्स इंक ने "बीबी+" की पुष्टि की है लेकिन रेटिंग दृष्टिकोण को स्थिर से नकारात्मक में बदल दिया है। फिच ने वित्तीय वर्ष 2019 में कमजोर वित्तीय प्रदर्शन को नकारात्मक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण कारण बताया है।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कंपनी के दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग (आईडीआर) की "बीएए3" के रूप में फिर से पुष्टि की है।

9. आईएसओ सर्टिफिकेशन

इरेडा एक आईएसओ 27001: 2013 आधारित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित कंपनी है। इरेडा ने इस प्रमाणन को वर्ष 2016 के दौरान अधिग्रहित कर

लिया था और तब से प्रमाणन का नवीनीकरण होता रहता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान निगरानी लेखा परीक्षा भी सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इन मानकों का कार्यान्वयन की बुनियाद पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आवश्यक विभिन्न कानूनों, विनियमों और सूचना सुरक्षा से संबंधित संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन में कंपनी सक्षम बन पाती है। उपरोक्त मानकों के तहत आवश्यक विभिन्न सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने के बाद ही, कंपनी डेटा प्रोसेसिंग और सूचना प्रवाह के लिए एक मजबूत सुरक्षित नेटवर्क बनाने में सक्षम बन पाती है।

इरेडा एनबीएफसी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे पर आरबीआई मास्टर निर्देशों का अनुपालन कर रही है और इसके लिए निम्नलिखित 5 बोर्ड अनुमोदित नीतियों को लागू भी किया गया है: –

- आईटी नीति
- प्रबंधन नीति बदलाव
- सूचना सुरक्षा नीति
- व्यापार निरंतरता प्रबंधन नीति
- साइबर सुरक्षा नीति

कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएस / आईएसओ: 9001: 2015 प्रमाणित भी है। बीआईएस द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमाणन का नवीनीकरण किया गया है। कंपनी अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रणालियों को शामिल करते हुए निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

10. जोखिम प्रबंधन

10.1 एंटरप्राइज–वाइड एकीकृत प्रबंधन

आपकी कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रणाली–आधारित दृष्टिकोण है। नीतियों और प्रक्रियाओं के आश्रय और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का उद्देश्य, व्यावसायिक संचालन के साथ–साथ उसके निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के परिणामस्वरूप संभावित रूप से पैदा होने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों (जैसे – बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम) की पहचान करना, मूल्यांकन करना और प्रबंधन सुनिश्चित करना है। आपकी कंपनी ने एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है और आपकी कंपनी में की गई सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ उक्त पॉलिसी ढांचे के अंतर्गत आती हैं। आपकी कंपनी के पास व्यापार से जुड़े विभिन्न जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने और उन्हें मानक संचालन प्रक्रियाओं मं दस्तावेजीकरण करने की प्रक्रिया है। ये सुनिश्चित करने के लिए



'आईएसओ 27001: 2013' निगरानी लेखा परीक्षा के सफल समापन पर इरेडा की ओर से बधाइयाँ।

समय–समय पर समीक्षा की जाती है कि प्रमुख जोखिमों को अच्छी तरह से पहचाना गया है और जॉच–पड़ताल के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन के लिए एक विशेषज्ञ आरबीआई के नियमों और उद्योगों की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के संदर्भ में, सुधार का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है।

आरबीआई अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी. नंबर/099/03.10.001/2018–19 के अनुसार कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को भी नियुक्त किया है। जिसका काम जोखिमों की पहचान करने, कदम उठाने और उसे घटाने की प्रक्रिया में शामिल होना है। कंपनी जोखिम प्रबंधन और रिकवरी एवं निगरानी समूह के विशेष प्रभागों के वरिष्ठ पेशेवरों को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से इस मामले को आगे बढ़ा रही है।

जोखिमों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

♦ ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उधार परिचालन में निहित जोखिम है और उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता और उधारकर्ताओं द्वारा चुकौती में डिफॉल्ट के जोखिम को कम करने से उत्पन्न होता है। क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से नकद और नकद समकक्षों, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों, परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों, लाभ या हानि और व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली लागू है। इस प्रक्रिया में परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाहरी एजेंसियों द्वारा रेटिंग और क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन, अन्य क्रेडिट जोखिम शमन उपायों के साथ जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त संरचना शामिल है।

♦ बाजार जोखिम

ब्याज दर और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव के कारण प्रमुख रूप से नुकसान की संभावना को बाजार जोखिम कहते हैं। आपकी कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंधों और विदेशी मुद्रा विनिमय अनुबंधों के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा जोखिम को कम किया जा सके। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी समय–समय पर बाजार की स्थितियों और उधार की बढ़ती लागत के आधार पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है।

♦ तरलता जोखिम

तरलता जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जहाँ कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती हो।

तरलता जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, पर्याप्त तरलता बनाए रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने के लिए धन उपलब्ध हो। तरलता अंतराल विश्लेषण द्वारा तरलता की निगरानी की जाती है। आपकी कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए लगातार परिचालन से पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है जब भी कभी वे देय होते हैं। तरलता जोखिम को दीर्घकालिक संसाधन जुटाने, अनुमानित संवितरण और परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर संसाधन जुटाने जैसी कई रणनीतियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

♦ परिचालनात्मक जोखिम

सिस्टम की विश्वसनीयता या ईमानदारी जैसी महत्वपूर्ण कमियों के कारण, नुकसान की संभावना से परिचालन जोखिम उत्पन्न होता है। परिचालन जोखिम को अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें कानूनी जोखिम तो शामिल हैं लेकिन रणनीतिक और प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं है। अधिकांश महत्वपूर्ण प्रकार के परिचालन जोखिमों में आंतरिक नियंत्रण और कॉर्पोरेट प्रशासन में ब्रेकडाउन शामिल हैं। इस तरह के ब्रेकडाउन से निम्नलिखित के माध्यम से वित्तीय नुकसान हो सकता है –

- त्रुटि
- धोखा
- समय पर काम–काज करने में विफलता
- अनैतिक या जोखिम भरे तरीके से व्यवसाय का संचालन करना जैसे कि आग या अन्य आपदाएँ
- आईटी सिस्टम या कार्यक्रमों की विफलता

संवितरणों में देरी, सीईआरएसएआई पंजीकरण / आरओसी फिलिंग मामलों में देरी, बीमा पॉलिसियों का नवीकरण न होना आदि। आंतरिक रूप से समय–समय पर इस तरह की समस्याओं की पहचान की जाती है

और आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से और तदनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। सूचना सुरक्षा परिषद और बोर्ड स्तर की आईटी रणनीति समिति के माध्यम से आईटी संबंधित संचालन जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है।

10.2 संसाधन उत्तरदायित्व प्रबंधन

आपकी कंपनी ने तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों की निगरानी के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता में एक एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी (एएलसीओ) का गठन किया है। एएलसीओ, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट (एएलएम) बेमेल, बजट, संसाधन आदि जैसे व्यापार और काम–काजी परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णय लेता है/उनकी समीक्षा करता है। संचालित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाया गया है और चौकसी एवं नियंत्रण तथा सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ स्तर पर महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की निगरानी की जा रही है। आपकी कंपनी बेमेल की समीक्षा करने के लिए एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की एक रिपोर्टिंग प्रणाली का अनुसरण करती है और उसी के अनुसार उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

10.3 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विनिमय दर का उतार–चढ़ाव, विदेशी मुद्रा उधारों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। एक विदेशी मुद्रा एवं उससे संबंधित जोखिम प्रबंधन नीति और एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति आपकी कंपनी में स्थापित है। साथ ही साथ, मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने घटाने के लिए बचाव–व्यवस्था वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है। 31 मार्च, 2020 तक, कंपनी के पास 24.58% का खुला जोखिम था, यानी, कुल विदेशी मुद्रा उधार ₹10,632.95 करोड़ में से ₹2,613.51 करोड़ जो विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है।

10.4 कंपनी और उठाए गए कदमों पर कोविड–19 का प्रभाव

कोविड–19 ने पूरे विश्व भर में व्यापार परिदृश्य को प्रभावित किया है और इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था के भी प्रभावित होने की संभावना है। अभी उस प्रभाव का







इरेडा ने कोविड–19 का मुकाबला करने के लिए कई उपाय किए हैं।

पूरी तरह से आकलन करना मुश्किल है। हालाँकि, पहले से ही उधारकर्ताओं को प्रदान की गई अधिस्थगन को देखते हुए, पुनर्भुगतान के प्रभावित होने की संभावना है। जिससे तरलता पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, क्रेडिट उधारकर्ताओं पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए, हमारे पोर्टफोलियो पर भी एक बढ़ा हुआ दबाव पड़ सकता है। इसे भी आरबीआई के निर्देशों के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2019–20 की अंतिम तिमाही में, कोविड–19 महामारी का एक अभूतपूर्व वैश्विक ब्रेकआउट कई देशों में लॉकडाउन के लिए अग्रणी रहा है। परिणामस्वरूप, एक महत्वपूर्ण आर्थिक गिरावट देखी गई। दुनिया भर में, विकास में उल्लेखनीय गिरावट आई है। भारत में, कोविड–19 का आर्थिक प्रभाव, पहले से ही चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक माहौल की पृष्ठभूमि पर धीरे–धीरे पड़ रहा है। इन दिनों के लिए, आपकी कंपनी ने कुछ रणनीतिक निर्णय लिए हैं। इसने इरेडा को बदलते बाजारों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया है। साथ ही साथ, हमें मौजूदा परिदृश्य से और मजबूती के साथ उभरने का अवसर प्रदान करेगा।

बदलते बाजारों की जरूरतें पूरी करने के लिए महामारी की अवधि में इरेडा द्वारा कई पहल किए गए हैं। सभी अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु कोरोना महामारी संकट से निपटने के लिए इरेडा ने अपने ऋणदारों के लिए ''टॉप–अप लोन स्कीम'' को संशोधित किया है। उक्त टॉप–अप लोन स्कीम का उद्देश्य है – उनकी परियोजनाओं का निर्माण करना या एक नई अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए इक्विटी फंडिंग की जरूरतें पूरी करना अथवा अक्षय ऊर्जा से संबंधित अन्य गतिविधियों की जरूरतें पूरी करना। साथ ही साथ, कोविड –19 संकट और बड़े पैमाने पर शटडाउन से उत्पन्न होने वाली उनकी तरलता आवश्यकताओं को आसान बनाना। तीन महीने तक की अवधि के लिए ऋण की किस्तों की अधिस्थगन की नई योजना भी कोविड–19 महामारी के व्यवधानों के कारण पैदा हुए ऋण सेवा के बोझ को कम करने के लिए और बड़े पैमाने पर बंद पड़े व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। कोविड–19 के कारण जारी लॉकडाउन और निरंतर व्यवधानों के मद्देनजर, स्थगन अवधि को तीन महीने अतिरिक्त के लिए बढ़ा दिया गया था।

कर्मचारी–सुरक्षा सबसे पहले के अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य किट प्रदान करके इस दिशा में तेजी के साथ कदम उठाए हैं। कंपनी की संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के



इरेडा ने कोविड–19 का मुकाबला करने के लिए कई उपाय किए हैं।

लिए, कर्मचारियों की दक्षता और उत्पादकता में सुधार हेतु ई–ऑफिस और घर से काम करने के दृष्टिकोण को लागू करके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इरेडा के सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त आईटी अवसंरचना प्रदान की गई थी। इसी से कोविड–19 के कारण महामारी की स्थिति और लॉकडाउन के दौरान कार्यालय के संचालन कार्यों को करने में सक्षम बन पाए हैं। मार्च, 2020 में लॉकडाउन की घोषणा के समय से ही मानक संचालन प्रक्रियाओं को अधिसूचित किया गया था और 'घर से काम' की शुरूआत की गई थी। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए, इरेडा कार्यालय न्यूनतम या बिना स्टाफ के ही विस्तारित अवधि तक के लिए काम कर रहा था।

समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में कि जिसके दायरे में रहकर यह कंपनी काम करती है। कंपनी ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट – प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम–केयर्स कोष) में वित्त वर्ष 2019–20 के लिए ₹7.50 करोड़ की राशि अनुदान की है। इसके अतिरिक्त, इरेडा ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर से पीएम–केयर्स फंड के लिए ₹7.50 करोड़ का योगदान दिया है। डीपीई और एमसीए ने यह स्पष्ट करते हुए दिशा–निर्देश जारी किए हैं कि हेल्थकेयर, निवारक हेल्थकेयर और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कोविड–19 (पीएम–केयर्स में योगदान सहित) से संबंधित गतिविधियों पर खर्च किए गए फंड सीएसआर के तहत आते हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और चंदौली आकांक्षापूर्ण जिलों के अस्पतालों/पीएचसीएस और क्वॉरंटीन केंद्रों में लगे चिकित्सा कर्मचारियों के लिए 1500 डिस्पोजेबल पीपीई किट्स और 40,000 थ्री लेयर मास्क भी उपलब्ध कराए हैं।

11. संयुक्त उपक्रम कंपनी/एसोसिएटेड कंपनी और समेकित वित्तीय सांख्यिकी का काम–काज

इरेडा के सहयोग से मेसर्स एम.पी. विंड फार्म्स लिमिटेड (एमपीडब्ल्यूएल), एम.पी. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (मध्य प्रदेश सरकार उद्यम) और कॉन्सोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट्स लिमिटेड को एक निजी क्षेत्र की सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में, वर्तमान में क्रमशः 24%, 25% और 49.5% की शेयरधारिता और दूसरों द्वारा बैलेंस के साथ शामिल किया गया था। ₹100 लाख की अधिकृत शेयर पूंजी के बदले एमपीडब्ल्यूएल की चुकता पूंजी ₹70 लाख है जिसमें आपकी कंपनी की ₹12.00 लाख की प्रारंभिक सदस्यता और ₹4.80 लाख की बोनस हिस्सेदारी शामिल है। एमपीडब्ल्यूएल ने उक्त वर्ष के लिए ₹26.62 लाख का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था। एमपीडब्ल्यूएल का प्रदर्शन आपकी कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। यह मेसर्स एम.पी. विंड फार्म्स लिमिटेड का बहुत छोटा राजस्व और लाभ/हानि परिमाण होने के नाते कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–28 की धारा 129 के अनुपालन में, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए मैसर्स एमपीडब्ल्यूएल द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) प्रमाणित खातों पर इक्विटी पद्धति के आधार पर एसोसिएट कंपनी में निवेश के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। समेकित खाते भी कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ आगामी 33 वीं वार्षिक आम बैठक में रखे जाएँगे। अधिनियम की धारा 129 की उप–धारा (3) के अनुपालन में, इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग एओसी–1 फॉर्म्स में एसोसिएट के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएँ युक्त एक बयान उपलब्ध कराया जाएगा। समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in पर उपलब्ध हैं।

12. अनुसंधान एवं व्यवसाय विकास गतिविधियाँ

आपकी कंपनी ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं में आईटी स्वचालन लाकर अपने व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न अनुसंधान / विकास गतिविधियों के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है। इस संबंध में, संभावित आवेदकों से ऋण आवेदन अब केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाते हैं। इससे ग्राहकों को ऋण सहायता के लिए आवेदन करने का एक सुविधाजनक और किफायती तरीका मिल गया है। साथ ही, इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रणाली संचालित बना दिया गया है।

आपकी कंपनी ने ''व्यावसायिक निरंतरता योजना'' को विभिन्न आईटी संबंधित आयामों के माध्यम से उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान कोविड–19 महामारी की शुरुआत में लॉक–डाउन लागू होने पर उक्त योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया है। इससे अधिकारियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन)

सुरक्षित कनेक्शन के माध्यम से घर पर काम करने में सक्षम बनाया जा सका है। व्यावसायिक निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकों की सुविधाएँ देने के लिए आवश्यक आईटी अवसंरचना का विस्तार किया गया है।

12.1 सूचना और प्रतिक्रिया

आपकी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर अपने प्रकाशनों को पेश करके अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा किफायत और संरक्षण (ईईसी) और अपने वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना जारी रखा है।

प्रभावी आंतरिक संचार सुनिश्चित करने के लिए, इंट्रानेट पोर्टल पर एक मासिक ई–बुलेटिन "ओडिसी" पेश की जा रही है। कंपनी द्वारा किए जा रहे पहल, उपलब्धियों, पुरस्कारों और प्रशस्तियों आदि को कवर करते हुए आपकी कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष ''इरेडा यात्रा'' प्रकाशित की जा रही है। यह उसके इंट्रानेट पोर्टल के साथ–साथ वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संगठन की लगातार सकारात्मक छवि निर्माण के लिए मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का आपकी कंपनी द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग किया जा रहा है।

उक्त वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने मेडिकल प्रतिपूर्ति का दावा करने और कंपनी की गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए इरेडा के अपने वयोवृद्ध कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।

12.2 ग्राहक संबंध

आपकी कंपनी व्यवसाय की महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में ग्राहकों की संतुष्टि को रेखांकित करती है। कंपनी अपने दिन–प्रतिदिन के व्यवहार में अपने ग्राहकों के अनुकूल दृष्टिकोण के साथ काम करती है। आपकी कंपनी के पास ग्राहकों और जनता की समस्याओं का व्यापक रूप से निपटारा करने के लिए अलग से शिकायत निवारण प्रणाली है। ये प्रणालियाँ विधिवत रूप से अधिसूचित हैं और आसानी से पहुँच में हैं। कंपनी के पास अपने कार्य गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचित नागरिक चार्टर भी है। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा त्वरित सुनवाई की प्रतिक्रिया तंत्र द्वारा ऋणधारकों की समस्याओं का निवारण किया जाता है।

वेबसाइट पर एक ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल उधारकर्ताओं को इरेडा के साथ बातचीत करने और उन्हें उनके आवेदन की स्थिति / संवितरण / पुनर्भुगतान / ऋण आदि के बारे में मौजूदा जानकारी प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। इस पोर्टल के अंतर्गत ग्राहकों से संबंधित सभी पहलू आ जाते हैं साथ ही साथ, ग्राहकों को उनके विभिन्न अनुरोधों के संबंध में मौजूदा जानकारी देने के लिए यह पोर्टल एकल–बिंदु स्रोत के रूप में काम करता है।

ग्राहकों की संतुष्टि के महत्व को रेखांकित करते हुए, ग्राहकों को ऑनलाइन फीडबैक के माध्यम से इरेडा के साथ बातचीत करते हुए अपने अनुभव पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा दी गई है। इससे इरेडा को ग्राहकों के अनुभव समझने में मदद मिलती है साथ ही, इससे हमारी प्रक्रियाओं को सरल और कम समय लेने वाली बनाने में भी हमें मदद मिलती है।

13. प्रशासन एवं सामाजिक प्रतिबद्धता

13.1 ऊर्जा का संरक्षणः पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

आपकी कंपनी पारिस्थितिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा दे रही है। इससे प्रदूषण को कम करने के अलावा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपकी कंपनी का आदर्श वाक्य है – ''शाश्वत ऊर्जा''। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन के साथ–साथ परिचालन के दृष्टिकोण से भी एक भौतिक पहलू बनी हुई है। आपकी कंपनी देश में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह केवल अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा बचत परियोजनाओं के वित्तपोषण में लगी हुई है। इससे प्रदूषण को कम करने के अलावा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इरेडा यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक भारत सरकार और राज्य सरकारों की प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक नीतियों, कानूनों और विनियमों का पालन करें और जहा–कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता संस्थाएँ शामिल हों, वे अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं की पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति भी उत्तरदायी रहें। आपकी कंपनी प्रकृति के प्रति काफी सजग रहते हुए पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करती है और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और ऊर्जा बचत परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से ऊर्जा का संरक्षण करती है।

13.2 प्रौद्योगिकी अवशोषण

आपकी कंपनी अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा बचत परियोजनाओं के वित्तपोषण में लगी हुई है और इस रिपोर्ट के तैयार होने की तारीख तक कोई विनिर्माण सुविधा इसके पास नहीं है। इसलिए, यह विषय–वस्तु इस पर लागू नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी ने समीक्षा किए जा रहे वर्ष के

दौरान, अपने संचालन में प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग करना जारी रखा है और निदेशक मंडल की रिपोर्ट में उन विवरणों का उल्लेख करने के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई विशेष विवरण नहीं हैं।

13.3 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

उक्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज के मद में ₹1.67 करोड़ की कमाई हुई थी, जबकि यात्रा, ब्याज और वायदा व्यय के कारण विदेशी मुद्रा व्यय कुल मिलाकर ₹163.18 करोड़ तक पहुँच गया था। इसके अतिरिक्त, उतार–चढ़ाव लागत के तौर पर ₹428.13 करोड़ का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया गया था।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तीय संस्थानों से ₹334.60 करोड़ जुटाए (प्रवाहित किए)।

13.4 पर्यावरण की स्थिरता

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को सबसे अधिक पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से अनुकूल परियोजनाओं के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान होने के नाते इरेडा ने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (इएसएमएस) को अपनाया हुआ है ताकि परियोजनाओं द्वारा जो भी थोड़ा–बहुत प्रभाव पड़ने वाले हों उनकी पहचान की जा सके और उन्हें घटाया जा सके। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, इरेडा की पर्यावरण सामाजिक और सुरक्षा इकाई (इएसएसयू) ने इरेडा द्वारा वित्त–पोषित सभी परियोजनाओं की प्रौद्योगिकियों की जाँच पर्यावरण एवं सामाजिक काम–काज के दृष्टिकोण से की है। परियोजनाओं के पर्यावरण और सामाजिक काम–काज पर भी नियमित रूप से नजर रखी जाती है।

हितधारकों की ओर से मिलने वाले कार्यान्वयन और प्रतिक्रिया के अनुभव की मदद से, प्रणाली में सुधार की गुंजाइश का एहसास हुआ और तदनुसार, नवंबर, 2019 में ईएसएमएस का संशोधित संस्करण अपनाया गया। उसके बाद से ही यह प्रभावी है। नए संस्करण में मुख्य रूप से अधिक क्षेत्र/प्रौद्योगिकी विशिष्ट चेक–लिस्ट और फॉर्मैट्स शामिल हैं। ईएमएमएस के संशोधित संस्करण के बारे में इरेडा के कर्मचारियों और उधारकर्ताओं को संवेदनशील बनाने हेतु उक्त वर्ष के दौरान दो क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं को पीडब्ल्यूसी के संसाधनों तथा भारत और उनके साथी मल्टी कंसल्ट, नॉर्वे द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक थी और इरेडा के उधारकर्ताओं ने भविष्य में भी इस तरह के इंटरैक्टिव कार्यक्रमों में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी।

14 कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से चिरस्थायी ढंग से काम करने में दृढ़ता से विश्वास रखती है। कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) से संबंधित पहल इसी सिद्धांत पर आधारित है और भारत सरकार के लक्ष्यों के साथ–साथ अपनी नीति में उल्लिखित सतत विकास लक्ष्यों के साथ प्रतिध्वनित होती है। वर्षों से, आपकी कंपनी सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा बचत और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं में आत्मनिर्भर निवेश को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से समाज में मूल्य सृजन को बढ़ाती रही है। इसकी सीएसआर गतिविधियों का उद्देश्य कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय को समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ पूरक बनाना है। सीएसआर और सार्थकता का जोर शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी देख–भाल और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा बचत वाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के माध्यम से सामुदायिक सशक्तिकरण के साथ–साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 को कंपनी नियम, 2014 (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) के साथ पढ़ने के तदोपरांत के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर है।

सीएसआर की गतिविधियों की देख–रेख के लिए, कंपनी के पास एक बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति है। समिति कंपनी की सीएसआर नीति तैयार करने और उसकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। सीएसआर पॉलिसी, कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in पर उपलब्ध है। इरेडा के पास कंपनी की सीएसआर गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में एक समर्पित सीएसआर इकाई भी है। उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने एक विषयगत कार्यक्रम – स्कूली शिक्षा और समग्र स्वास्थ्य सेवा में सुधार को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक रूप से कंपनी की सीएसआर द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का चुनाव किया है। इसके अलावा, डीपीई द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 10 दिसंबर, 2018 सीएसआर –08/

0002/2018–डीआईआर (सीएसआर) "सीपीएसई के सीएसआर खर्च हेतु दिशा–निर्देशों" के अनुसार, आपकी कंपनी ने बलरामपुर और चंदौली जैसे महात्वाकांक्षी जिलों के विकास को प्राथमिकता दी है। भारत में कोविड–19 महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए, केंद्र सरकार ने एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट – प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत निधि (पीएम–केयर्स फंड) की स्थापना की है। डीपीई और एमसीए ने यह स्पष्ट करते हुए दिशा–निर्देश जारी किए कि हेल्थकेयर, निवारक हेल्थकेयर और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कोविड–19 (पीएम–केयर्स में योगदान सहित) से संबंधित गतिविधियों पर खर्च किए गए फंड सीएसआर के तहत आते हैं।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार कर से पहले औसत स्टैंडअलोन लाभ के 2% के आधार पर ₹13.40 करोड़ के सीएसआर बजट को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹24.31 करोड़ राशि की परियोजनाएँ मंजूर की गई थीं। ₹24.31 करोड़ की स्वीकृत गतिविधियों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के विकास पर ₹9.81 करोड़, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं इमरजेंसी स्थित राहत फंड (पीएम–केयर्स) में दिया जाने वाला योगदान ₹7.50 करोड़ शामिल है।

एस्पिरेशनल जिलों – बलरामपुर और चंदौली के अस्पतालों/क्वारंटीन केंद्रों में लगे हेल्थकेयर कर्मचारियों को पीपीई किट उपलब्ध कराने के साथ–साथ महामारी के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों में मदद देने के लिए ₹37.25 लाख का फंड उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त, इरेडा का वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर के फंड से पीएम–केयर्स फंड में ₹7.50 करोड़ का योगदान है।

पूरे वर्ष के दौरान पूर्ण हो चुकी/चल रही परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹19.19 करोड़ (वर्ष 2019– 20 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ₹13.22 करोड़ के भुगतान सहित) रुपये खर्च किए हैं। एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, आपकी कंपनी व्यापक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्षयों को स्थापित करके भारत के सतत विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने के उद्देश्य से अपने सीएसआर प्रभाव को बढ़ाने और आने वाले वर्षों में खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इरेडा की सभी सामाजिक विकास संबंधी गतिविधियों का प्रमुख दर्शन, प्रभाव एवं पर्यावरणीय स्थिरता की प्रतिबद्धताओं पर आधारित था। शिक्षा, स्वास्थ्य–सेवा, ग्रामीण अवसंरचना विकास और स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा निधि और सामुदायिक क्षेत्रों के विद्युतीकरण में योगदान के लिए भी कंपनी ने सीएसआर के अंतर्गत पहल की है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) की गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट और प्रत्येक सीएसआर गतिविधि के प्रति किए गए व्यय को इस रिपोर्ट के अनुबंध– V में दर्शाया गया है।

15. निदेशकगण

15.1 मंडल (बोर्ड) और मंडल (बोर्ड) समितियाँ

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों की संरचना, संदर्भ की शर्तों के साथ–साथ संख्या विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में दर्शाया गया है। निदेशक मंडल की 12 (बारह) बैठकें वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित की गई थीं।

ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जहाँ बोर्ड द्वारा ऑडिट कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार न किया गया हो।

15.2 मंडल (बोर्ड) और मंडल (बोर्ड) समितियाँ

वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए

क्रम संख्या	निदेशक का नाम और स्वरूप	नियुक्ति / समाप्ति की तिथि	नियुक्ति / समाप्ति
1.	श्री अरुण कुमार निदेशक (सरकार नामित) डीआईएन: 03054493	29.07.2019	समाप्ति
2.	श्री प्रवीण गर्ग निदेशक (सरकार नामित) डीआईएन: 00208604	29.07.2019/ 11.02.2020	नियुक्ति : समाप्ति
3.	श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डीआईएन: 01523131	31.12.2019	समाप्ति
4.	श्री बी. पी. यादव डायरेक्टर (सरकार नामित) डीआईएन: 07835275	02.01.2020/ 06.05.2020	नियुक्ति / समाप्ति
5.	श्री ए.के. सिन्हा निदेशक (सरकार नामित) डीआईएन: 08672632	24.01.2020/ 12.06.2020	नियुक्ति / समाप्ति
6.	श्री एस के भार्गव निदेशक (वित्त) डीआईएन: 01430006	31.01.2020	समाप्ति

क्रम संख्या	निदेशक का नाम और स्वरूप	नियुक्ति / समाप्ति की तिथि	नियुक्ति / समाप्ति
7.	श्री वी. ए. पटवर्धन निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएन: 08701559	17.02.2020	नियुक्ति
8.	सुश्री इंदु बाला स्वतंत्र निदेशक डीआईएन: 07956450	18.03.2020	समाप्ति

श्री प्रवीण कुमार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री एस.के. भार्गव, निदेशक (वित्त), श्री प्रवीण गर्ग, निदेशक (सरकार नामित), श्री अरुण कुमार, निदेशक (सरकार नामित), श्री अमितेश के सिन्हा, निदेशक (सरकार नामित) और सुश्री इंदु बाला, स्वतंत्र निदेशक के बहुमूल्य योगदान के लिए बोर्ड उनकी तहे दिल से प्रशंसा करता है। इरेडा के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी ने विकास के अनेक आयाम अर्जित किए है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), सीएफओ और कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं। कंपनी के सीएमडी द्वारा सीईओ की भूमिका निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका निभाने वाले श्री एस.के. भार्गव, निदेशक (वित्त) ने प्रभावी रूप से 31.01.2020 से इरेडा के निदेशक के पद को त्याग दिया। बाद में, सीएफओ की जिम्मेदारियाँ कंपनी के जीएम (एफएंडए) डॉ. आर.सी. शर्मा निभा रहे थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) ने इस्तीफा नहीं दिया है। हालाँकि, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्ति के कारण श्री प्रवीण कुमार, अपर सचिव, एमएनआरई ने इरेडा के सीएमडी का पद 31.12.2019 को त्याग दिया। बाद में, श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई निदेशक (सरकार नामित इरेडा) को प्रभावी रूप से 2 जनवरी, 2020 को सीएमडी, इरेडा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। सीएमडी, इरेडा के रूप में श्री प्रदीप कुमार दास की नियुक्त के बाद, श्री भानु प्रताप यादव, सीएमडी इरेडा ने प्रभावी रूप से 6 मई, 2020 को अपना पद त्याग दिया।

15.3 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता का प्रमाण–पत्र

स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा–पत्र प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

16. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित नीति

कार्यात्मक निदेशकों के चयन, नियुक्ति और प्रवेशन की प्रक्रिया, भारत के राष्ट्रपति के साथ एमएनआरई और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के माध्यम से कार्य करती है। सरकारी नामित निदेशकों की नियुक्ति एमएनआरई (संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को डीपीई के परामर्श से भारत सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने की फीस के हकदार होते हैं। सरकार के नामित निदेशकों को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक / बैठने का शुल्क नहीं दिया जाता है। आपके निदेशक वित्तीय विवरण के अन्य खर्चों से संबंधित नोट–38 की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसी से पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक को बैठने की फीस के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण होता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ई) के अनुसार, निदेशक की नियुक्ति के लिए बनाई गई नीति के प्रकटीकरण की आवश्यकता, योग्यता का निर्धारण करने के लिए पारिश्रमिक मानदंड, सकारात्मक गुण, एक निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामले को लेकर सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत, 5 जून, 2015 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इससे छूट दी गई है।

17. मानव संसाधन विकास

17.1 मानव संसाधन

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानती है और उसका ध्येय व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी मानव संपत्ति को पंक्तिबद्ध करना है। इरेडा ने नीतिगत बंधनों और प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के सुधार के माध्यम से कंपनी में कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। पूरे वर्ष के दौरान, इरेडा ने 300 प्रशिक्षण मानव–दिवस अर्जित किए हैं, जिसमें 15% से अधिक कर्मचारियों के लिए प्रमुख संस्थानों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा, तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं के निर्माण के लिए अधिकारियों

हेतु क्षमता विकास पर आधारित वेब लर्निंग कार्यक्रम पूरा किया गया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से फायदा उठाने और विकास के लिए अवधारणाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए ''मंथली लेक्चर सीरीज'' का आयोजन इरेडा में आम बात बन गई है। कर्मचारियों की आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और व्यवहार विकास की दिशा में प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ भी नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष के दौरान 47 कर्मियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया है। इरेडा ने सेवा नियमों की एफआर–56 (जे) की उपधारा संख्या 34 के तहत कर्मचारियों की समय–समय पर समीक्षा प्रणाली को भी अंगीकृत किया है। इरेडा के पास निर्धारित समय–सीमा के भीतर वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन वर्कफ्लो एप्लीकेशन भी है।

आपकी कंपनी ने दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए ई–ऑफिस और घर से काम करने के विकल्प के लिए डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। इससे कोविड–19 के कारण महामारी की स्थिति और लॉकडाउन के दौरान कार्यालय के संचालन कार्यों को सुविधाजनक बनाने में काफी मदद मिली है। मानक संचालन प्रक्रियाओं को अधिसूचित किया गया था और मार्च, 2020 में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही ''वर्क फ्रॉम होम'' के विकल्प को शुरू किया गया था।

इरेडा ने 11 मार्च, 2020 को मिठाई बाँटकर अपना स्थापना दिवस मनाया इरेडा ने 16 से 31 अगस्त, 2019 तक स्वछता पखवाड़ा मनाया और कार्यालय में समर्पित स्वच्छता और जागरूकता अभियान का आयोजन किया। महिला दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में, इरेडा ने डॉ. अनीता मलिक, सलाहकार – रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, वेंकटेश्वर अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य वार्ता की मेजबानी की और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इरेडा ने 21 जून, 2019 को "योग" और "व्याख्यान" के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। कर्मचारियों के बच्चों ने ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' के अवसर पर संगीत, नृत्य और अन्य गतिविधियों का प्रदर्शन किया और इस कार्यक्रम ने कर्मचारियों के बीच आपसी जुड़ाव पैदा कर दिया। इरेडा के कर्मचारियों ने 20 अक्टूबर, 2019 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित "ग्रेट दिल्ली रन – 5 किलोमीटर" श्रेणी की एयरटेल दिल्ली हॉफ मैराथन में भाग लिया।

वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बने रहे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई मानव–दिवस नजरअंदाज नहीं किया गया था।

17.2 कार्मिक और औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानती है और उसका ध्येय व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी मानव संपत्ति को पंक्तिबद्ध करना है। इरेडा ने नीतिगत बंधनों और प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के सुधार के माध्यम से कंपनी में कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। पूरे वर्ष के दौरान, इरेडा ने 300 प्रशिक्षण मानव–दिवस अर्जित किए हैं। इसमें 15% से अधिक कर्मचारियों के लिए प्रमुख संस्थानों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है।

17.3 कर्मचारियों और उनसे संबंधित जानकारियों के प्रकटीकरण का विवरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों की प्रकटीकरण आवश्यकता से छूट दी है। इसलिए, कोई प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

17.4 एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी / ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण

भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग एवं ईडब्ल्यूएस से संबंधित श्रेणियों में लागू सभी तरह के आरक्षण आपकी कंपनी कड़ाई से लागू करती है। आपकी कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन कर रही है।

17.5 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा।

आपकी कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त, सकारात्मक कार्यस्थल के माहौल को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्टिंग की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करती है। कंपनी के पास यौन उत्पीड़न की शिकायतों, यदि कोई हो, और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निषेध, निषेध और निवारण), अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप पूछताछ करने के लिए एक शिकायत समिति है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत समिति को नहीं मिली।

18. वार्षिक रिटर्न्स का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, निर्धारित प्रारूप में आपकी कंपनी के वार्षिक रिटर्न का एक विवरण अनुलग्नक– VI में निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। कंपनी की वेबसाइट के वेब लिंक http://www.ireda.in/ forms/contentpage.aspx?lid=1823 पर भी ये उपलब्ध है।

19. वैधानिक खुलासे

क) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था।

ख) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है।

ग) भविष्य में कंपनी की परिचालन स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए थे।

घ) कंपनियों के वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी हुई या उनके व्यवसाय के साधारण अवधि में ढाँचागत सहूलतों की सुविधा प्रदान करने लगी हुई कंपनियों द्वारा किए गए लोन, कंपनी द्वारा प्रदान की गई गारंटी या प्रतिभूतियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –186 (11) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है। इसलिए, कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

ङ) कंपनी ने निदेशकों या कंपनी के किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

20. खातों का लेखा–परीक्षा और निरीक्षण

20.1 सांविधिक लेखा–परीक्षा

मेसर्स जे एन मिताल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सदस्यों के लिए जारी की गई सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध किए गए धोखाधड़ी का कोई उदाहरण लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा समिति को सूचित नहीं किया गया है।

20.2 लेखा–परीक्षा (ऑडिट) समीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ओर से खातों पर कोई टिप्पणी नहीं आई है।



इरेडा ने 31 जुलाई 2019 को अपने वयोवृद्ध कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया।

20.3 आंतरिक लेखा–परीक्षा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के भीतर पर्याप्त जाँच एवं संतुलन है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपने क्रम में है, आंतरिक लेखा–परीक्षकों द्वारा नियमित और संपूर्ण स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षाएँ निष्पादित की जाती हैं। वे आंतरिक नियंत्रण, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हैं। ऑडिट फंक्शन भी विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए परिचालन प्रक्रिया और सेवा की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश करता रहता है। आपकी कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैसर्स एसपीएमआर एंड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंदर बताए अनुसार, निदेशकों की ऑडिट कमेटी समय–समय पर महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती रहती है।

20.4 सचिवीय लेखा–परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों की धारा 204 के तहत अपेक्षित प्रक्रियानुसार, मेसर्स बी. माथुर एंड कंपनी, कंपनी सचिव को निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के सचिवीय ऑडिट का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया था। भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों में से उपयुक्त मानकों का अनुपालन कंपनी करती है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्न– VII में दी गई है और यह स्व–व्याख्यात्मक है।

20.5 लागत लेखा–परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 को समय–समय पर संशोधित कंपनी (कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट) नियम, 2014 के साथ पढ़ने के तदोपरांत, आपकी कंपनी को कासरगोड सोलर पार्क, केरल के 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लागत रिकॉर्ड को बचाकर रखना और उसका लेखा–परीक्षा कराना आवश्यक है। इसलिए, समीक्षाधीन अवधि के लिए इस तरह के खातों को बनाकर रख रहे हैं तथा रिकॉर्ड बरकरार रखा गया है। कंपनी (कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए मेसर्स के. एल. जयसिंह एंड कंपनी, नई दिल्ली को लागत लेखा–परीक्षा करने के लिए लागत लेखा–परीक्षक नियुक्त किया गया था।

21. कार्पोरेट शासन प्रणाली

21.1 इरेडा हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ ही नैतिक व्यावसायिक निर्णय लेने और मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यवसाय का संचालन करने के लिए



21 जून, 2019 को इरेडा के कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।



इरेडा, कॉर्पोरेट कार्यालय में 6 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

प्रतिबद्ध है। यह कंपनी के सभी हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

आपकी कंपनी सच्चे मन और भावना से सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का अनुपालन करती है। इरेडा में, हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों को बहुत लगन से विकसित करते हैं और उसका पालन करते हैं। आपकी कंपनी संचालन और प्रदर्शन, नेतृत्व और शासन के बारे में समय पर और सटीक जानकारी का खुलासा करना एक अंतर्निहित जिम्मेदारी मानती है। आपकी कंपनी ट्रस्टीशिप, पारदर्शिता, सशक्तिकरण, जवाबदेही और कॉर्पोरेट नैतिकता पर आधारित संस्कृति का अनुसरण करती है।

आपकी कंपनी ने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी मेसर्स बी. माथुर एंड कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट कराया है। निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशा–निर्देशों के अनुपालन के संबंध में उक्त फर्म द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट क्रमशः अनुलग्नक– VIII और अनुलग्नक – IX के रूप में संलग्न है।

21.2 संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण

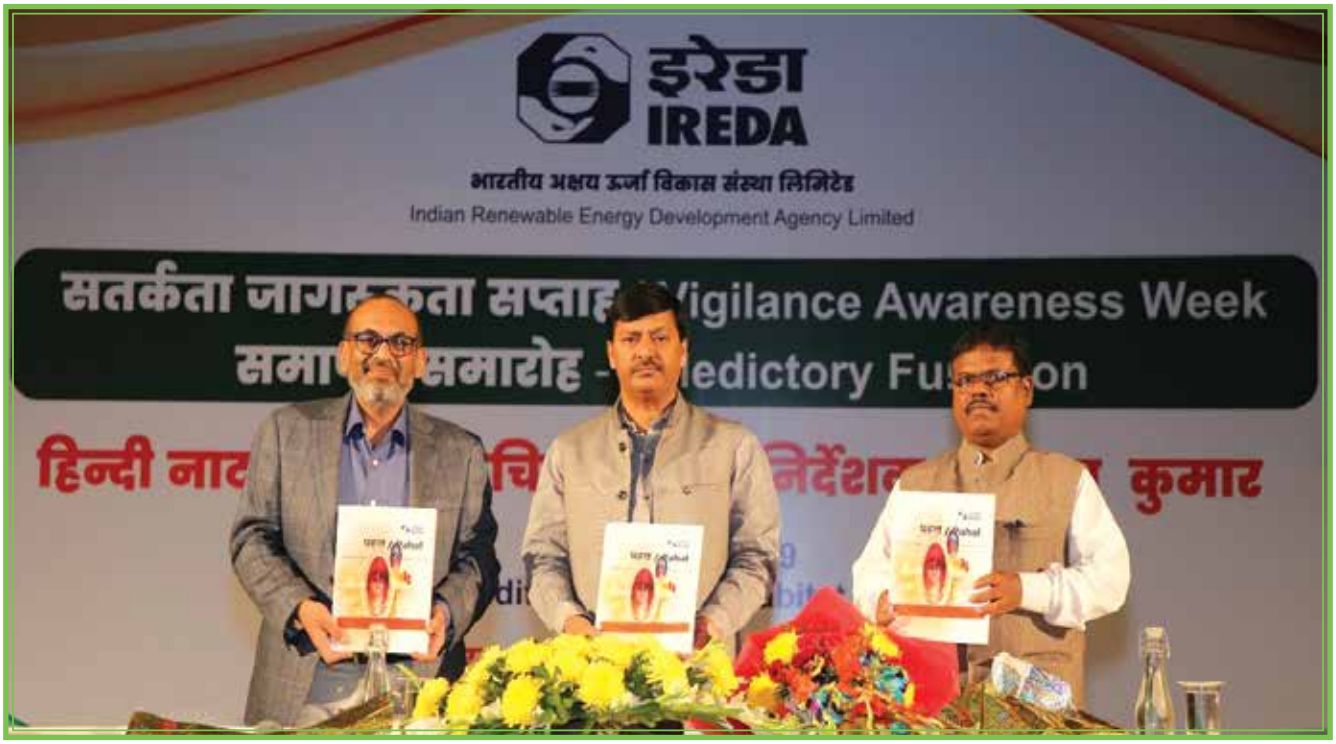
वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ किसी भी सामग्री अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन नहीं किया है। आपके निदेशकगण संबंधित पार्टी के खुलासों को निर्धारित करने वाले वित्तीय विवरणों के ''खातों पर नोट्स'' के नोट 38 (10) की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं।

22. वित्तीय वर्ष की समाप्ति और वार्षिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने योग्य किए जाने वाले सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ (यदि कोई हो)

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली वित्तीय वर्ष के अंत यानि – 31 मार्च, 2020 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की तारीख के बीच हुई कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं है।

23. सतर्कता

आपकी कंपनी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों / दिशा–निर्देशों को लागू करना सुनिश्चित करती है। आपकी कंपनी और अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए, निर्णय लेने में की गई किसी भी अनियमितता और झुकाव की पहचान करने, मैनुअल, प्रक्रियाओं और अन्य दिशा–निर्देशों का पुनरीक्षण करने के लिए निवारक जाँच भी करती है। जहाँ–कहीं मन–मर्जी की गुंजाइश हो वहाँ एसओपी बनाए जाने की जरूरत है। सतर्कता, ऑडिट रिपोर्ट, भर्ती प्रक्रिया और सिस्टम सुधार के लिए सुझाव भी देती है। सतर्कता विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जाँच



'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019' का आयोजन इरेडा द्वारा 1 नवंबर, 2019 को स्टीन ऑडिटोरियम, आईएचसी कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में किया गया था। इस अवसर पर, श्री एस के भार्गव, तत्कालीन निदेशक (वित्त), इरेडा, श्री चिंतन शाह, निदेशक (तकनीकी), इरेडा और श्री फिलिप बारा, तत्कालीन सीवीओ, इरेडा ने ''सतर्कता जर्नल – पहल'' का तीसरा संस्करण जारी किया।

करती है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिश करती है। सतर्कता से संबंधित अनुशासनात्मक मामले में तेजी लाने के लिए उनकी निगरानी भी की जाती है। कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण आयोजित करके सभी अधिकारियों के बीच नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए सतर्कता प्रयास भी करती है। इरेडा की प्रक्रिया और प्रणालियों में अधिकाधिक समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए प्रणाली में सुधार के उपायों की सिफारिश करने पर ही सतर्कता का प्रमुखता से जोर होता है।

आपकी कंपनी ने सिस्टम सुधार, निष्पक्षता और पारदर्शिता से संबंधित कई–एक पहल किए हैं। मानव संसाधन नियमावली में संशोधन, खाता नियमावली, ऋण आवेदन को समय पर अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और समयबद्ध तरीके से ऋण संवितरण जैसे कदम आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए हैं। इरेडा ने बीमा और प्रतिभूतियों के नवीकरण के लिए सिस्टम जनरेटेड लेटर्स और ऑटो एलर्ट्स, एपीएआर की ऑनलाइन फाइलिंग और सिटीजन चार्टर के लिए पोर्टल जैसी पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कई पहल किए हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2019 को 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 तक मनाया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय था – ''ईमानदारी एक जीवनशैली''। उद्घाटन समारोह में, इरेडा के सभी कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी का संकल्प लिया गया था। इरेडा के अधिकारियों के लिए निवारक सतर्कता/दंडात्मक सतर्कता, एनपीए प्रबंधन, आरटीआई और दस्तावेजीकरण के महत्व जैसे विभिन्न विषयों का आयोजन उनके यहाँ देश और समाज में भ्रष्टाचार और उसके परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की अवधि के दौरान किया गया था। इरेडा के कर्मचारियों के लिए भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी और हिंदी भाषा में भागीदारी को बढ़ावा दिया गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक हिस्से के रूप में, इरेडा ने नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद स्थित अपने कार्यालयों में ''विक्रेता/ग्राहक शिकायत निवारण शिविर'' का आयोजन किया था।

इरेडा द्वारा सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए चार स्कूल/कॉलेजों यानि – दिल्ली पुलिस पब्लिक



इरेडा में 14 से 28 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।

स्कूल, नई दिल्ली में 14 अक्टूबर, 2019 कोय ग्रीन फील्ड्स पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में 16 अक्टूबर, 2019 कोय नानक जनता इंटर कॉलेज, सोंडा, गाजियाबाद में 18 अक्टूबर, 2019 को और नव भारत पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद, हरियाणा में 19 अक्टूबर, 2019 को भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों पर जागरूकता पैदा करने और इसके खिलाफ लड़ने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2019 के दौरान छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता (हिंदी और अंग्रेजी में) आयोजित की गई थी। निबंध प्रतियोगिता (हिंदी और अंग्रेजी में) का विषय था – (Integrity a way of life" / "ईमानदारी एक जीवनशैली ")। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को हिंदी या अंग्रेजी में लिखने का विकल्प दिया गया था। निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय और तीन सांत्वना पुरस्कार) दिए गए थे।

₹50.00 लाख से अधिक मूल्य वाले सभी अनुबंधों के लिए ईमानदारी की शर्त को लागू किया गया है। इरेडा के पास एक ''स्वतंत्र बाहरी निगरानी (आईईएम)'' भी है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ईमानदारी की शर्त के कार्यान्वयन की देख–रेख के लिए अनुमोदित किया गया है।

24. राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशा–निर्देशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी में राजभाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहा है। पूरे वर्ष के दौरान, हिंदी में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई, जिसमें इरेडा ने भाग लिया था और बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू किया गया था।

इरेडा के कर्मचारियों को हिंदी भाषा / हिंदी ज्ञान, हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि के संबंध में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था। इसके अलावा, कंपनी में हिंदी के प्रचार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, इरेडा के कर्मचारियों के उपयोग के लिए हिंदी पुस्तकें और सॉफ्टवेयर खरीदे गए थे। यूनिकोड हिंदी सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटरों पर अपलोड किए गए थे। इरेडा के इंट्रानेट पोर्टल पर हिंदी सॉफ्टवेयर, यूनिकोड सुविधा, हिंदी शब्दावली, हिंदी भाषा में एसएमएस सेवाओं के साथ–साथ द्विभाषी इरेडा की वेबसाइट पर निरंतर अपडेट आदि कंप्यूटर पर हिंदी के उपयोग को तेज करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपलब्ध हैं। इसके

अलावा, इरेडा के सभी कर्मचारियों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मुद्रित एक अंग्रेजी–हिंदी शब्दावली वितरित की गई थी। रोजाना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक शब्द और एक उद्धरण कंपनी के सभी कर्मचारियों को एसएमएस और ई–मेल के माध्यम से भेजा जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी के कॉरपोरेट के साथ–साथ पंजीकृत कार्यालयों में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन आधिकारिक कार्यों के लिए रोजाना के आधार पर हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

इसके अलावा, सितंबर, 2019 के महीने के दौरान, हिंदी पखवाड़े और हिंदी दिवस के मौके पर एक भव्य आयोजन किया गया था। हिंदी पखवाड़े के समापन अवसर पर, हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी ई–पत्रिका के उपयोग को बढ़ाने के लिए "अक्षय क्रांति" को नियमित रूप से इरेडा में प्रकाशित किया जाता है। ई–पत्रिका ''अक्षय क्रांति'' हिंदी पखवाड़े पर जारी की गई थी, जो इरेडा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, कंपनी की आंतरिक मासिक पत्रिका ''ओडिसी'' द्विभाषी आधार पर प्रकाशित होती है, जिसमें हिंदी गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं।

25. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष के अवसर पर संसद द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अधिनियमित करने के अनुपालन में, इरेडा ने भारत के नागरिकों को जानकारी प्रदान करने और कंपनी के काम–काज में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकरण को मनोनीत किया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के तहत 154 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 142 आवेदनों का मार्च–2020 के अंत तक निस्तारण कर दिया गया था। हालाँकि, देश में कोविड–19 की वजह से लॉकडाउन के कारण, शेष 12 आवेदनों का निस्तारण बाद में किया गया। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में, अपेक्षित विवरणों को इरेडा की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है/डाल दिया गया है। इरेडा ने सक्रिय प्रकटीकरण दिशा–निर्देशों के उचित अनुपालन के लिए, एक नोडल अधिकारी/पारदर्शिता अधिकारी को भी नामित किया है। इसके अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि जानकारी ऐसे रूप और तरीके से व्यापक रूप से प्रसारित की जाए जो आसानी से जनता के लिए सुलभ हो।

26. भारत सरकार (भारत सरकार) के साथ समझौता ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में सहमत लक्ष्यों के प्रति आपकी कंपनी द्वारा की गई उपलब्धियों के आधार पर, आपकी कंपनी का प्रदर्शन "फेयर" के रूप में रेट होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए आपकी कंपनी की रेटिंग ''बहुत अच्छी'' थी।

27. निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) की आवश्यकता के अनुसार, निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में, कंपनी के निदेशक मंडल ने कहा कि;

क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और उस से कोई सामग्री छूटी नहीं है;

ख) निदेशकों ने इस तरह की लेखांकन नीतियों का चयन किया है, उन्हें लगातार लागू किया है और उन्हीं के आधार पर निर्णय लिए हैं, इस्टिमेट बनाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सकेय

ग) कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रख–रखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों को एक लाभकारी कारोबार आधार पर तैयार किया है।



इरेडा ने मनियाची स्थल, जिला तूतीकोरिन, तमिलनाडु में 252 मेगावाट की पवन परियोजना को वित्तपोषित किया

ड़) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है और ये कि इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त होते हैं और प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। तथा

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही थीं।

28. आभार

आपके निदेशकगण जारी मार्गदर्शन, सहयोग, समर्थन और भारत सरकार द्वारा कंपनी के लिए विस्तारित प्रोत्साहन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और अन्य नियामकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपके निदेशकगण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), क्रिडेन्स्टाल्ट फर विदेराउफबाऊ (केएफडब्ल्यू), एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), एग्नेस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी), यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईडी), नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक (एनआईबी), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग), वैधानिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रति उनके मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशकगण कर्मचारियों के योगदान के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और कंपनी की प्रगति के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए आशावान हैं। कंपनी में अपने निरंतर भरोसे और विश्वास को बनाए रखने के लिए निदेशकगण शेयरधारकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से
ह. / –
(प्रदीप कुमार दास)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 07448576)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 सितंबर, 2020

अनुलग्नक– I

पिछले पाँच सालों के दौरान राज्य–वार ऋण स्वीकृतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015–16		2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		1987 से संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि
क.	**राज्य**												
1	आंध्र प्रदेश	8	1090.44	11	2025	17	3231.81	8	1801.90	4	1666.72	313	12103.94
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	2	98.92	1	33.42	0	0.00	8	1115.84
3	असम	0	0.00	0	0.00	1	300.00	4	20.65	1	34.50	9	364.55
4	बिहार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	11.42	0	0.00	12	48.09
5	छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00	2	271.15	1	29.95	1	33.58	11	501.49
6	गुजरात	5	394.11	5	660	6	274.62	13	1068.50	9	1147.88	165	5717.39
7	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	300.00	0	0.00	9	300.62
8	हरियाणा	3	11.82	0	0.00	0	0.00	2	11.05	4	288.17	34	448.55
9	हिमाचल प्रदेश	6	188.32	5	74.05	4	68.77	3	51.09	3	62.80	95	2805.33
10	जम्मू–कश्मीर	0	0.00	0	0.00	1	6.25	0	0.00	1	312.42	5	334.35
11	झारखंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.54	0	0.00	8	140.43
12	कर्नाटक	7	1247.82	18	645.56	24	2602.28	14	1060.47	22	1384.56	383	11342.74
13	केरल	1	36.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	33	256.11
14	मध्य प्रदेश	5	654.35	1	328	4	441.62	1	142.48	4	940.00	95	3260.01
15	महाराष्ट्र	6	902.06	5	1477.17	7	1705.00	7	1138.97	12	942.50	402	10751.32
16	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.46
17	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.16
18	नगालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	200.00	0	0.00	2	200.82
19	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	1125.00	2	422.50	2	900.00	2	500.00	12	233.67	82	3228.80
20	ओडिशा	3	147.00	2	80.60	3	208.10	1	18.90	2	65.00	27	1048.77
21	पंजाब	11	632.67	4	517.95	1	3.20	3	8.91	0	0.00	61	1757.82
22	राजस्थान	1	25.66	9	1508	1	5.00	7	1254.28	5	1326.38	128	8164.97
23	सिक्किम	0	0.00	1	43.59	0	0.00	0	0.00	1	140.00	5	505.64
24	तमिलनाडु	2	292.15	4	481.63	6	1428.19	13	2323.09	11	2368.85	477	9324.14
25	तेलंगाना	10	629.10	8	898.79	2	94.21	7	594.52	14	1402.23	42	3627.86
26	उत्तर प्रदेश	2	291.91	4	521.67	1	4.39	8	515.08	5	291.46	107	2570.82
27	उत्तराखंड	0	0.00	6	365.50	2	153.75	1	3.75	1	8.40	32	1313.86
28	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	1	10.00	58	278.67
29	एनसीईएफ	3	16.91	8	38.36	1	1.29	0	0.00	0	0.00	14	156.56
30	ब्रिज लोन	27	61.48	15	35.22	5	26.06	0	0.00	0	0.00	47	170.99
31	मल्टीस्टैट प्रोजेक्ट	1	50.00	1	51.97	2	258.88	5	847.71	0	0.00	21	3625.65
32	बिल की छूट	4	9.66	3	23.45	4	46.52	0	0.00	0	0.00	11	79.63
	कुल 'क'	**108**	**7806.46**	**112**	**10199.01**	**98**	**12130.01**	**107**	**11939.99**	**113**	**12659.13**	**2700**	**85546.38**
ख.	केंद्र शासित प्रदेश												
1	अंडमान निकोबार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
2	दमन	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.00
3	पांडिचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.88	1	36.98	5	45.00
	कुल 'ख'	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**1**	**1.88**	1	36.98	**8**	**54.00**
कुल 'क'+'ख'		**108**	**7806.46**	**112**	**10199.01**	**98**	**12130.01**	**108**	**11941.87**	**114**	**12696.11**	**2708**	**85599.89**

अनुलग्नक– II

पिछले पाँच सालों के दौरान क्षेत्रवार ऋण स्वीकृतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	1987 से बढ़ती हुई रकम
1	पवन ऊर्जा	2738.51	2460.50	3369.13	1524.94	1610.55	26137.22
2	पन–बिजली	395.92	329.74	510.49	134.36	295.28	8445.49
3	बायोमास पावर एवं कोजेनरेशन	310.63	146.38	164.00	24.87	44.12	5340.88
4	ऊर्जा बचत एवं संरक्षण	0.00	295.00	0.00	0.00	5.00	1276.10
5	सौर ऊर्जा	268468	4778.39	4630.91	5748.62	4042.09	25493.61
6	अपशिष्ट से ऊर्जा	13.67	0.00	317.60	327.14	118.38	868.28
7	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	16.92	38.36	1.29	0.00	0.00	156.57
8	बिल की छूट	9.65	23.45	46.52	102.35	0.00	181.97
9	ब्रिज लोन	61.48	35.22	26.06	4.79	85.50	213.05
10	अल्पकालिक ऋण	1575.00	2040.00	2780.00	3830.00	5060.00	15366.39
11	बायोमास (ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट से मीथेनेसन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.37
12	विविध (गारंटी योजना + ऊर्जा पहुँच + इथेनॉल एलओसी + विनिर्माण)	0.00	51.97	284.00	244.80	1435.19	2015.96
कुल		**7806.46**	**10199.01**	**12130.01**	**11941.87**	**12696.11**	**85599.89**



इरेडा ने जिला तूतीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित 100 मेगावाट की सौर परियोजना को वित्तपोषित किया

अनुलग्नक– III

पिछले पाँच सालों के दौरान राज्यवार ऋण वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य / संघ क्षेत्र का नाम	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	1987 से बढ़ती हुई रकम
क.	राज्य						
1	आंध्र प्रदेश	272.61	1858.45	2560.75	1680.61	1416.93	9539.55
2	अरुणाचल प्रदेश	18.76	50.89	49.08	55.69	3.92	178.33
3	असम	0.00	0.00	0.00	118.47	110.90	229.58
4	बिहार	10.83	1.25	0.00	10.11	1.13	36.86
5	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	1.19
6	छत्तीसगढ़	10.17	0.00	42.70	187.33	30.70	405.10
7	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	21.82	29.65	0.00	51.47
8	गुजरात	401.77	36.19	276.25	536.04	129.14	2605.18
9	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
10	हरियाणा	8.73	16.38	9.46	6.05	1.73	128.36
11	हिमाचल प्रदेश	111.52	123.21	110.09	130.23	113.14	2095.24
12	जम्मू–कश्मीर	5.86	5.39	3.75	5.23	1.02	21.25
13	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	68.79
14	कर्नाटक	471.08	462ण्39	1079.45	1290.87	717.25	7353.98
15	केरल	19.90	10.70	4.75	4.70	0.00	174.73
16	मध्य प्रदेश	131.03	533.58	52.95	183.66	324.18	1526.28
17	महाराष्ट्र	124.65	1601.76	1433.29	1285.21	631.71	7945.63
18	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1125.00	400.00	921.38	460.00	0.00	2918.93
19	नगालैंड	0.00	0ण्00	0.00	0.00	0.00	0.65
20	ओडिशा	148.02	63.69	40.12	168.20	17.27	668.53
21	पंजाब	565.32	213.45	145.48	4.99	4.47	1180.43
22	राजस्थान	440ण्55	30ण्62	457.52	701.59	1468.08	5367.54
23	सिक्किम	5.84	13.79	6.86	22.94	102.70	443.33
24	तमिलनाडु	50.08	70.79	340.94	1534.89	2159.91	5821.32
25	तेलंगाना	162.78	393.92	576.16	575.91	1047.44	2756.21
26	उत्तर प्रदेश	167.87	382.54	161.61	235.76	112.85	1491.71
27	उत्तराखंड	0.00	317.10	32.78	9.26	10.75	586.56
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	53.06
29	अतिरिक्त ऋण (बहुराज्यी परियोजनाएँ)	0.00	7.40	0.00	144.65	379.56	631.61
	कुल 'क'	**4252.37**	**6593.49**	**8328.38**	**9385.37**	**8785.31**	**54281.62**
ख	**केंद्र शासित प्रदेश**						
1	दमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2	पांडिचेरी	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
	कुल 'ख'	**5.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.64**
	कुल + 'क' + 'ख'	**4257.39**	**6593.49**	**8328.38**	**9385.37**	**8785.31**	**54289.26**

अनुलग्नक–IV

पिछले पाँच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार ऋण वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	1987 से बढ़ती हुई रकम
1	पवन ऊर्जा	873.50	2535.59	2823.49	1557.16	1057.11	17458.02
2	हाइड्रो पावर	373.15	340.87	330.20	352.65	295.97	4961.90
3	बायोमास पावर और कोजेनरेशन	305.32	86.84	59.25	46.83	118.11	3503.07
4	ऊर्जा बचत और संरक्षण	0.00	6.63	0.44	2.47	0.00	342.50
5	सौर ऊर्जा	1519.18	1524.03	2746.31	3828.47	2666.10	13848.77
6	अपशिष्ट से ऊर्जा	0.85	2.59	0	143.79	78.12	286.20
7	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	0.00	15.11	12.03	0.00	0.00	127.14
8	बिल की छूट	9.66	23.45	26.52	92.03	10.10	161.76
9	अल्पकालिक ऋण	1125.00	2005.00	2250.00	3327.54	4507.97	13215.51
10	ब्रिज लोन	50.73	27.05	22.59	4.79	5.82	152.14
11	बायोमास (ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट से मीथेनेसन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.71
12	विविध (विनिर्माण)	0	26.33	57.55	29.65	46.00	159.53
	कुल	**4257.39**	**6593.49**	**8328.38**	**9385.37**	**8785.31**	**54289.26**



इरेडा ने पश्चिमी कामेंग, अरुणाचल प्रदेश में 24 मेगावाट की दीक्षी जलविद्युत परियोजना को वित्तपोषित किया।

अनुलग्नक– V

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

क्र. स.	विवरण	टिप्पणियाँ
1	शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अवलोकन सहित कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा और सीएसआर नीति और परियोजना या कार्यक्रमों के लिए वेब–लिंक का संदर्भ	इरेडा ने सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा बचत और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं में आत्मनिर्भर निवेश को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से समाज में मूल्य सृजन को बढ़ाती रही है। सीएसआर गतिविधियों का उद्देश्य कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय को समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ पूरक बनाना है। सीएसआर पॉलिसी को कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in पर एक्सेस किया जा सकता है। **शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकनः** इरेडा ने ऐसी परियोजनाएँ शुरू की हैं या शुरू करने का प्रस्ताव पेश करता है जो – ♦ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुदायों को लाभान्वित करते हों और जिनका परिणाम एक समय के बाद, ऊर्जा बचत/संरक्षण के रूप में और स्थानीय आबादी के जीवन की गुणवत्ता को और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के रूप में निकलता हो। ♦ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से चिरस्थाई तरीके से अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हों। ♦ इरेडा के लिए एक सामुदायिक साख उत्पन्न करते हों और एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में इरेडा की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करते हों। ♦ लिंग संवेदनशीलता, कौशल वृद्धि, उद्यमशीलता विकास आदि से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के साथ पंक्तिबद्धता को प्रोत्साहित करते हों। ♦ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमएएस) और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अन्य संगठनों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करे ताकि आपदा लचीलेपन के प्रति समुदायों की तैयारी सुनिश्चित हो सके। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए प्रोजेक्ट्स इस रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए हैं।

2	सीएसआर समिति की संरचना।	31 मार्च, 2020 तक, सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं: 1. श्री भानु प्रताप यादव : अध्यक्ष 2. श्री चिंतन शाह : सदस्य 3. श्री अमितेश कुमार सिन्हा : सदस्य 4. सुश्री इंदु बाला ' : सदस्य 5 सुश्री मधुश्री एम. स्वामी : सदस्य *सुश्री इंदु बाला, स्वतंत्र निदेशक ने 18 मार्च, 2020 को इरेडा के निदेशक के रूप में पद त्याग दिया ।
3	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।	₹670.00 करोड़
4	निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त आइटम 3 में दर्ज राशि का दो प्रतिशत)।	₹13.40 करोड़
5	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि ख) खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई हो ग) वित्तीय वर्ष के दौरान राशि खर्च करने का तरीका	क) ₹13.40 करोड़ ख) निल ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस तरीके से राशि खर्च की गई वह नीचे दी गई है।



श्री फिलिप बारा, तत्कालीन सीवीओ, इरेडा और डॉ. पी. श्रीनिवासन, जीएम (एचआर एवं सीएसआर) ने 09.08.2019 को झारखंड के गुमला जिले में जल संरक्षण के लिए चेक डैम का उद्घाटन किया।

वित्त वर्ष 2019–20 में सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च किए जाने का विवरण

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	वह क्षेत्र जिसे परियोजना में कवर किया गया	परियोजनाएँ या कार्यक्रम	परियोजना या कार्यक्रम की राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि सब–हेड परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर (क) प्रत्यक्ष व्यय (ख) ओवरहेड्स		समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय।	खर्च की गई राशि प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2) अन्य, परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए राज्य और जिले निर्दिष्ट करें।		(क)	(ख)		
1	उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और चंदौली में आकांक्षात्मक जिला विकास कार्यक्रम	आकांक्षात्मक जिला विकास	बलरामपुर, उत्तर प्रदेश चंदौली, उत्तर प्रदेश	80400000	37075107	77075	37152182	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, केंद्रीय भंडार)
2	आकांक्षात्मक जिले में इंडक्शन कुक स्टोव आधारित आरई – 350 सौर पीवी	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	आकांक्षात्मक जिले	26250000#	0	0	0	कार्यान्वयन एजेंसी (भारतीय सौर ऊर्जा निगम)
3	स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल	पैन इंडिया	20000000	20000000	0	20000000	सीधे इरेडा द्वारा
4	रायचूर में आकांक्षात्मक जिला विकास कार्यक्रम	आकांक्षात्मक जिला विकास	रायचूर, कर्नाटक	8060000	0	0	0	सीधे इरेडा द्वारा
5	यादगीर में आकांक्षात्मक जिला विकास कार्यक्रम	आकांक्षात्मक जिला विकास	यादगीर, कर्नाटक	9652650	0	0	0	सीधे इरेडा द्वारा
6	बलरामपुर और चंदौली के आकांक्षात्मक जिलों के लिए 3000 पीपीई किट की आपूर्ति	आकांक्षात्मक जिला विकास	बलरामपुर, उत्तर प्रदेश चंदौली, उत्तर प्रदेश	3725000	0	0	0	कार्यान्वयन एजेंसी (केंद्रीय भंडार)
7	नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित आरई फाउंडेशन की ओर कॉर्पस का निर्माण	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	पैन इंडिया	20000000	0	0	0	सीधे इरेडा द्वारा
8	पीएम केयर्स राहत कोष में दान	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान	पैन इंडिया	75000000	75000000	0	75000000	सीधे इरेडा द्वारा
योग				**243087650**	**132075107**	**77075**	**132152182**	

पहले के वर्षों में मंजूरी दे दी गई सीएसआर परियोजनाओं का व्यय विवरण हालाँकि व्यय में वित्तीय वर्ष 2019–20 में किया गया

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	वह क्षेत्र जो परियोजना में कवर किया गया	परियोजनाएँ या कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2) अन्य, परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए राज्य और जिले निर्दिष्ट करें।	परियोजना या कार्यक्रम की राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि सब–हेड परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर (क) प्रत्यक्ष व्यय (ख) ओवरहेड्स		वित्त वर्ष 2019– 20 में कुल व्यय	खर्च की गई राशि प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय।
					(क)	(ख)			
1	ई एंड एसडी – दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू) में योग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए योग प्रशिक्षक के वेतन के पारिश्रमिक के लिए वित्तीय सहायता।	शिक्षा को बढ़ावा देना	दिल्ली	360000	60000	0.00	60000	सीधे इरेडा द्वारा	360000
2	तिलोनिया, अजमेर, राजस्थान में 60 'सोलर मामा' के प्रशिक्षण के लिए बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल को ई एंड एसडी–योगदान।	शिक्षा को बढ़ावा देना	तिलोनिया, राजस्थान	6670000	1716768	19137	1735905	कार्यान्वयन एजेंसी (बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल)	6622905
3	ई एंड एसडी – संगम विहार, नई दिल्ली में सामाजिक और शैक्षिक कल्याण सोसायटी – सृष्टि को कंप्यूटर लैब संबंधित सुविधाएँ और सिलाई मशीनें प्रदान करके कौशल विकास केंद्र चलाने के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना	दिल्ली	1236750	1236750	0.00	1236750	कार्यान्वयन एजेंसी (सृष्टि – सामाजिक और शैक्षिक कल्याण सोसयटी तथा महिला बाल कल्याण एवं ग्रामीण विकास सोसाइटी (डब्ल्यूएआरडीएस)	1236750
4	एचएस एंड डीडब्ल्यू – हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पुनर्वास केंद्र ष्मानव मंदिरष् में चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर आइटम की व्यवस्था।	स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल	सोलन, हिमाचल प्रदेश	3500174	0.00	9716	9716	कार्यान्वयन एजेंसी (इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी)	3442716
5	आरई – सिद्धार्थनगर संसदीय क्षेत्र में 200 सौर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, यू.पी.	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश	4452000	432600.00	22879	455479	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	4462479
6	आरई – फतेहपुर संसदीय क्षेत्र में 500 सौर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, यू.पी.	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	11130000	1081500	37463	1118963	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	11122963
7	उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और चंदौली में आकांक्षात्मक जिला विकास कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	बलरामपुर, उत्तर प्रदेश चंदौली, उत्तर प्रदेश	66200000	8493664	0	8493664	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	37593664

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	वह क्षेत्र जो परियोजना में कवर किया गया	परियोजनाएँ या कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2) अन्य, परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए राज्य और जिले निर्दिष्ट करें।	परियोजना या कार्यक्रम की राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि सब–हेड परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर (क) प्रत्यक्ष व्यय (ख) ओवरहेड्स		वित्त वर्ष 2019– 20 में कुल व्यय	खर्च की गई राशि प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय।
					(क)	(ख)			
8	आरई – जवाहर नवोदय विद्यालय, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में 8000 एलपीडी सोलर वाटर हीटिंग प्रणाली स्थापित की गई	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	1700000	1679000	44697	1723697	सीधे इरेडा (स्थापित करने वाली एजेंसी –दर्शन सोलर एनर्जी) द्वारा	1723697
9	आरई – खुर्रमपुर गांव, गुरुग्राम, हरियाणा में 30 सोलर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	गुरुग्राम, हरियाणा	668430	668430	1442	669872	कार्यान्वयन एजेंसी (राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड)	671872
10	आरई – 50 सौर पीवी हाई मास्ट लाइटिंग सिस्टम रायबरेली, उत्तर प्रदेश में	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	रायबरेली, उत्तर प्रदेश	4777500	475387.50	13496.5	488884	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	4766884
11	आरई – 50 सौर पीवी हाई मास्ट लाइटिंग सिस्टम रायबरेली, उत्तर प्रदेश में	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	रायबरेली, उत्तर प्रदेश	4777500	475387.50	13496.5	488884	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	4766884
12	आरई – अंडमान और निकोबार में 100 सौर पीवी आधारित इंडक्शन कुक स्टोव	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7500000	7500000	0.00	7500000	कार्यान्वयन एजेंसी (एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड)	7500000
13	ग्रामीण अवसंरचना विकास – राजस्थान के सीकर में चेक डैम और फ्लोराइड प्लांट के निर्माण के माध्यम से गाँव का समेकित विकास	ग्रामीण विकास	सीकर, राजस्थान	2531700	2531700	1050	2532750	कार्यान्वयन एजेंसी (रोटरी क्लब ऑफ इंडिया, पीएचडी रूरल फाउंडेशन)	2539750
14	ई एंड एसडी – धौला कुआँ, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले छात्रों के शिक्षा स्तर में सुधार के लिए बुनियादी ढाँचे का उन्नयन	शिक्षा को बढ़ावा देना	धौला कुआँ, हिमाचल प्रदेश	750000	479728	0.00	479728	सीधे इरेडा द्वारा	494728
15	आरई – अजय ट्रस्ट, कर्नाटक में 4000 लीटर सोलर वॉटर हीटर, 13 सोलर स्ट्रीट लाइट्स और 70 केडब्ल्यूपी ग्रिड इंटरएक्टिव रूफ–टॉप सोलर पीवी सिस्टम।	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	कर्नाटक	4990000	4861500	0.00	4861500	सीधे इरेडा द्वारा	4868500
16	एचएस एंड डीडब्ल्यू – उत्तर प्रदेश के मछली–शहर में 100 इंडिया मार्का हैंड पंपों की स्थापना	स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल	मछलीशहर, उत्तर प्रदेश	5445000	4319974	12177.00	4332151	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	4352151

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	वह क्षेत्र जो परियोजना में कवर किया गया	परियोजनाएँ या कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2) अन्य, परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए राज्य और जिले निर्दिष्ट करें।	परियोजना या कार्यक्रम की राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि सब–हेड परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर (क) प्रत्यक्ष व्यय (ख) ओवरहेड्स		वित्त वर्ष 2019– 20 में कुल व्यय	खर्च की गई राशि प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय।
					(क)	(ख)			
17	एचएस एंड डीडब्ल्यू–गुमला, झारखंड में चेकडैम का निर्माण	स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल	गुमला, झारखंड	2000000	200000	146493	346493	कार्यान्वयन एजेंसी (पथ कल्याण सोसायटी)	2230493
18	ग्रामीण विकास – मडईकाई ग्राम पंचायत, कासरगोड, केरल में 2 फुटबॉल मैदानों का निर्माण	ग्रामीण विकास	कासरगोड, केरल	2020000	0.00	87926	87926	कार्यान्वयन एजेंसी (अक्षय ऊर्जा निगम केरल लिमिटेड)	1376786
19	आरई – वार मेमोरियल बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, देहरादून, उत्तराखंड में 3 X 25 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी सिस्टम	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	देहरादून, उत्तराखंड	1350000'	135000	41615	176615	सीधे इरेडा (इंस्टालेशन एजेंसी – जीव इंटरनेशनल लिमिटेड) द्वारा	963615
20	कोडरमा संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में आरई – 100 सौर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	कोडरमा, झारखंड	1670000	166477	26872	193349	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	1691349
21	आरई – सिरसा संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 200 सोलर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	सिरसा, हरियाणा	3339000	427050	0.00	427050	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	3348050
22	बिजनौर संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आरई – 100 सोलर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	बिजनौर, उत्तर प्रदेश	1670000	162225	0.00	162225	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	1672225
23	ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए इरेडा केयर्स मॉडल	स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल एवं पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	विभिन्न राज्यों में बीआरजीएफ जिलों के भीतर	60000000	10388461	3775	10392236	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	12914236
24	आरई – गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, झाड़ोल में 10 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी सिस्टम	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	झाड़ोल, उदयपुर, राजथान	417000	375300	0.00	375300	कार्यान्वयन एजेंसी (भांबरी सोलर प्राइवेट लिमिटेड)	375300

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	वह क्षेत्र जो परियोजना में कवर किया गया	परियोजनाएँ या कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2) अन्य, परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए राज्य और जिले निर्दिष्ट करें।	परियोजना या कार्यक्रम की राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि सब–हेड परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर (क) प्रत्यक्ष व्यय (ख) ओवरहेड्स		वित्त वर्ष 2019– 20 में कुल व्यय	खर्च की गई राशि प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय।
					(क)	(ख)			
25	पर्यावरणीय स्थिरता – वाराणसी (उत्तर), वाराणसी (दक्षिण) और वाराणसी (कैंट) विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 120 हाई मास्ट और 300 सोलर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम।	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	21024000	10869294	0.00	10869294	कार्यान्वयन एजेंसी (एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड)	17447294
26	आरई – 60 सोलर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और अकबरपुर, यूपी निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 60 इंडिया मार्का हैंड पंप।	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	अकबरपुर, उत्तर प्रदेश	3659000	365850.00	0.00	365850	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	365850
27	सीएसआर प्रस्तावों के मूल्यांकन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्य ओवरहेड लागत	स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल, शिक्षा एवं पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	पैन इंडिया	0	0	167543	167543		167543
कुल				**222488054**	**59102046**	**649778**	**59751824**		**139078684**

पहले के वर्षों के मंजूर सीएसआर परियोजनाओं के विवरण, हालाँकि वित्त वर्ष 2019–20 में प्राप्त कोई अन्य व्यय नहीं किया गया

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	वह सेक्टर जो परियोजना में कवर किया गया है	परियोजनाएँ या कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2) अन्य, परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए राज्य और जिले निर्दिष्ट करें।	परियोजना या कार्यक्रम की राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि सब–हेड परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर (क) प्रत्यक्ष व्यय (ख) ओवरहेड्स		वित्त वर्ष 2019–20 में कुल व्यय	खर्च की गई राशि प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय।
					(क)	(ख)			
1	ई एंड एसडी – राजस्थान के उदयपुर जिले के झाड़ोल ब्लॉक में आरबीकेएस द्वारा संचालित बालिका सीनियर सेकेंडरी आवासीय विद्यालय और आरपीएस माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर लैब से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था।	शिक्षा को बढ़ावा देना	उदयपुर, राजस्थान	1440000	0	0	0	कार्यान्वयन एजेंसी (राजस्थान बाल कल्याण समिति)	1121362.4
2	विकलांगों के लिए आरई – 49 केडब्ल्यूपी रूफ–टॉप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम समर्थनम ट्रस्ट में बेंगलुरु कर्नाटक में।	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	बेंगलुरु, कर्नाटक	2695000	0	0	0	सीधे इरेडा (इंस्टालेशन एजेंसी – जेनसोल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा	0
3	एचएस एंड डीडब्ल्यू – काराकाट, बिहार में 50 तिपहिया साइकिलें	स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल	केराकत, बिहार	1950000	0	0	0	सीधे इरेडा (इंस्टालेशन एजेंसी – बीडीबी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा	0
4	आरई – उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में 10 सौर जल पम्पिंग सिस्टम	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश	3575000	0	0	0	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	0
5	केरल में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आरई – 5000 सौर लालटेन और 50 शेल्टर किट	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	केरल	4000000	0	0	0	निधि को आकांक्षात्मक जिला प्रोग्राम में पुनरूप्रेषित किया गया	0
6	आरई – सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 सौर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण	सीतामढ़ी, बिहार	1670000	0	33000	33000	कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम)	33000

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	वह सेक्टर जो परियोजना में कवर किया गया है	परियोजनाएँ या कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2) अन्य, परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए राज्य और जिले निर्दिष्ट करें।	परियोजना या कार्यक्रम की राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि सब–हेड परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर (क) प्रत्यक्ष व्यय (ख) ओवरहेड्स		वित्त वर्ष 2019–20 में कुल व्यय	खर्च की गई राशि प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय।
					(क)	(ख)			
7	उत्तर प्रदेश में 3 सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण	उत्तर प्रदेश	279000	0	0	0	आकलन एजेंसी (इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड)	0

*सीएसआर समिति की अनुशंसा पर निदेशक मंडल द्वारा ₹15.12 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी, हालांकि बजट परिव्यय में सबसे कम बोली राशि पर विचार किया गया था।

वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद, एमएनआरई ने कोविड–19 से लोगों की मदद करने से संबंधित गतिविधियों के लिए इन सीएसआर निधियों का उपयोग करने के तरीके तलाशने का सुझाव दिया। सीएसआर समिति और बोर्ड द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई थी। इरेडा स्वच्छ खाना पकाने के अन्य तरीकों के लिए सहायता प्रदान करने पर विचार करता है।

पूरे वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर ₹24.31 करोड़ (यानि वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर प्रावधान के लगभग 181%) को मंजूरी दी है। सीएसआर गतिविधियों के तहत आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई कुछ परियोजनाएँ प्रगति पर हैं जो अगले वित्तीय वर्ष में पूरी हो जाएँगी और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रगति के आधार पर/ इन एजेंसियों के साथ हुए समझौते के अनुसार भुगतान की माँग के अनुसार, भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीएसआर प्रावधान नॉन–लेप्सेबल होते हैं और उसे अगले वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है और इसीलिए, किए गए प्रावधानों का बाद के वर्षों में उपयोग किया जाएगा।

कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालनानुसार ही सीएसआर का कार्यान्वयन और निगरानी तथा स्थिरता नीति कार्यान्वित होती है।

एसडी/–
प्रदीप कुमार दास एम
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07448576

एसडी/–
मधुश्री एम. स्वामी
सीएसआर समिति सदस्य
डीआईएनः 07539535

अनुलग्नक–VI

फार्म नंबर एमजीटी– 9

वार्षिक रिटर्न्स का सार

31–मार्च –20 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 और नियम 12 (1) के अनुसार]

I पंजीकरण और अन्य विवरण:

i	सीआईएन	U65100DL1987GOI027265
ii	पंजीकरण की तारीख	11 मार्च, 1987
iii	कंपनी का नाम	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	संघ सरकार कंपनी–शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड
v	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	इंडिया हैबिटेट सेंटर, पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट, कोर 4 'ए', लोधी रोड, नई दिल्ली –110 003
vi	यदि सूचीबद्ध कंपनी हो	हाँ (केवल कंपनी के बांड्स ही बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हैं)
vii	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड C-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई– 400083 दूरभाष: 022–49186270 केफिन टेक्नॉलोजीज प्रा. लिमिटेड कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31–32, गचीबावली, फिनानशियल जिला, नानकग्रामगुडा, हैदराबाद –500032, भारत दूरभाष: 040–67162222

II कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाएगा

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का :
1	वित्तीय मध्यस्थता, बीमा और पेंशन फंडिंग को छोड़कर	65923	100%

नोट: यह कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के यहाँ सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार को शुरू करने / चलाने के लिए पंजीकृत है। यह कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है।

III स्वामित्व, सहायक कंपनी और एसोसिएटेड कंपनियों का विवरण

क्रम संख्या	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	स्वामित्व / सहायक कंपनी / एसोसिएट	शेयर के स्वामित्व का :	लागू अंश
1	**मेसर्स एम.पी. विंड फार्म्स लिमिटेड** पंजीकृत कार्यालय: "एनर्जी टॉवर", 64, बी–सेक्टर, कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश –46323।	U40107MP1994PLC008737	एसोशिएट	24%	2(6)

IV शेयर के स्वामित्व का पैटर्न (कुल इक्विटी का % के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

(i) श्रेणी–वार शेयर होल्डिंग्स

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में शेयरों के स्वामित्व की संख्या				वर्ष के अंत तक शेयरों के स्वामित्व की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	शारीरिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर्स									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत / एचयूएफ	-	-							-
ख) केंद्रीय सरकार	784,600,000	-	784,600,000	100%	784,600,000	-	784,600,000	100%	कोई परिवर्तन नहीं
ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय कॉर्पोरेट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योगः (क) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) एनआरआई– व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय कॉर्प.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) कोई अन्य...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योगः (क) (2)	-								-
प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी (क) = (क)(1) + (क)(2)	**784,600,000**	-	**784,600,000**	**100%**	**784,600,000**	-	**784,600,000**	**100%**	कोई परिवर्तन नहीं
									-
बी. सार्वजनिक शेयरिंग									-
(1) संस्थाएँ									-
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक /एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) क्रेंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योगः (ख) (1):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) गैर–संस्थान									
क) निकाय कॉर्पोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) प्रवासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) व्यक्तिगत शेयरधारकों के पास ₹ 1 लाख तक की सांकेतिक शेयर पूंजी होती है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकों के पास ₹ 1 लाख से अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी होती है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योगः (ख) (2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा लिया गया शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	**784,600,000**	-	**784,600,000**	**100%**	**784,600,000**	-	**784,600,000**	**100%**	कोई परिवर्तन नहीं

(ii) **प्रमोटरों की हिस्सेदारी**

क्रम संख्या	शेयरधारकों के नाम	वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी			वर्ष के अंत में हिस्सेदारी			वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में परिवर्तन का :
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों से गिरवी / ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों से गिरवी / ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	784,600,000	100%	0	784,600,000	100%	0	**कोई परिवर्तन नहीं**
	कुल	**784,600,000**	**100%**	**0**	**784,600,000**	**100%**		

(iii) **प्रमोटरों की हिस्सेदारी में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो तो निर्दिष्ट करें)**

क्रम संख्या		वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति				
	साल की शुरुआत में	784,600,000	100%		
	साल के अंत में			784,600,000	100%

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकगण, प्रमोटर्स और जीडीआर और एडीआर धारकों के अलावा) की हिस्सेदारी का पैटर्न

शून्य

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की हिस्सेदारी

श्री बी.पी. यादव, निदेशक (सरकार नामित) भारत सरकार की ओर से 100 शेयर रखते हैं।

V ऋणग्रस्तता

ब्याज बकाया / उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) प्रिंसिपल अमाउंट	88,752,539,326.00	97,797,536,301	-	186,550,075,627
ii) ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है	-	-	-	-
iii) याज उपार्जित नहीं बल्कि देय	2,049,736,169	1,565,255,964	-	3,614,992,134
कुल (i+ii+iii)	**90,802,275,495**	**99,362,792,265**	**-**	**190,165,067,760**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
परिवर्धन	29,217,237,394.34	9,076,919,224	-	38,294,156,618
कमी	4,992,377,506.05	2,248,898,612	-	7,241,276,118
शुद्ध परिवर्तन	**24,224,859,888.29**	**6,828,020,612**	**-**	**31,052,880,500**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) प्रिंसिपल अमाउंट	113,102,673,978	104,662,441,036	-	217,765,115,014
ii) ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है	-	-	-	-
iii) ब्याज उपार्जित नहीं बल्कि देय	2,408,562,510	1,528,371,839	-	3,936,934,349
कुल (i+ii+iii)	**115,511,236,488**	**106,190,812,876**	**-**	**221,702,049,364**

VI निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक और / या प्रबंधक को पारिश्रमिकः					
क्रम संख्या	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी / डब्ल्यूटीडी / प्रबंधक का नाम			कुल रकम
		श्री प्रवीण कुमार और श्री बी.पी. यादव (सीएमडी)*	श्री एस के भार्गव डी (एफ)	श्री चिंतन शाह डी (टी)	
1	**सकल वेतन**				
	(क) आयकर 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन।	शून्य। श्री प्रवीण कुमार, अतिरिक्त सचिव, एमएनआरई और श्री बी. पी. यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इरेडा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।	8,514,263	3,205,981	11,720,244
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य		433,316	401,962	835,278
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ		-	-	-
2	स्टॉक का विकल्प		-	-	-
3	उद्यम इक्विटी		-	-	-
4	कमीशन		-	-	-
	लाभ के % के रूप में		-	-	-
	अन्य (निर्दिष्ट करें) (परोपकारी निधि)		1,000	1,200	2,200
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				-
	नियोक्ता पीएफ योगदान		273,073	256,443	529,516
	नियोक्ता वयोवृद्ध योगदान		182,982	150,039	333,021
	कुल (क)		**9,404,634**	**4,015,625**	**13,420,259**
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग (ऊपरी सीमा)	5 जून 2015 को जारी किए गए एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए छूट			

*श्री प्रवीण कुमार ने इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को प्रभावी रूप से 31 दिसंबर, 2019 को त्याग दिया। बी.पी. यादव निदेशक (सरकार नामित) को सीएमडी, इरेडा के रूप में प्रभावी रूप से 2 जनवरी, 2020 को नियुक्त किया गया था और उन्होंने सीएमडी, इरेडा के पद को 6 मई, 2020 त्याग दिया।

*श्री एस. के. भार्गव, निदेशक (वित्त) ने 31 जनवरी, 2020 को अपना पद त्याग दिया।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः							
क्रम संख्या	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम					कुल रकम
		श्री अभिषेक महावार	सुश्री इंदु बाला	श्री जी.एम. रेड्डी	सुश्री मधुश्री एम स्वामी	श्री संजय जैन	
1	**स्वतंत्र निदेशक**						
	(क) बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने की फीस	640,000	260,000	560,000	360,000	100,000	
	(ख) कमीशन	-	-	-	-	-	
	(ग) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	
	कुल (1)	**640,000**	**260,000**	**560,000**	**360,000**	**100,000**	**1,920,000**
2	**अन्य गैर कार्यकारी निदेशकगण**	**श्री प्रवीण गर्ग**	**श्री अरुण कुमार**	**श्री बी.पी. यादव**	**श्री अमितेश के. सिन्हा**	**श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन**	
	(क) बोर्ड समितियों की बैठक में भाग लेने की फीस	-	-	-	-	-	-
	(ख) कमीशन	-	-	-	-	-	-
	(ग) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें।	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल (ख) = (1 + 2)	**640,000**	**260,000**	**560,000**	**360,000**	**100,000**	**1,920,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क + ख)						**15,340,259**
	अधिनियम के अनुसार कुल सीलिंग।	5 जून 2015 को जारी किए गए एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए छूट					

ग. एमडी / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक:					
क्रम संख्या	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
1	सकल वेतन	सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन।		4,541,697	662,344	5,204,041
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुलाभों का मूल्य यू/ऐस 17 (2) है		259,549	83,596	343,145
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ				-
2	स्टॉक का विकल्प		-		
3	उद्यम इक्विटी		-		
4	कमीशन		-		
	लाभ के % के रूप में		-		
	अन्य, निर्दिष्ट करें (परोपकारी निधि)		1,200	200	1,400
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				-
	नियोक्ता पीएफ योगदान		263,436		263,436
	नियोक्ता वयोवृद्ध योगदान		145,878	53,064	198,942
	कुल		**5,211,760**	**799,204**	**6,010,964**

नोटः एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सीईओ की भूमिका "सीएमडी" द्वारा निभाई जा रही है। सीएफओ की भूमिका प्रभावी रूप से 1 फरवरी, 2020 से डॉ. आर. सी. शर्मा, जीएम (एफ एवं ए) द्वारा निभाई जा रही है।

VII जुर्माना/सजा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माना / सजा / कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण (आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट)	अपील की गई, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	कोई नहीं				
सजा					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	कोई नहीं				
सजा					
कंपाउंडिंग					
ग. डिफॉल्ट में अन्य अधिकारीगण					
जुर्माना	कोई नहीं				
सजा					
कंपाउंडिंग					

अनुलग्नक–VII

फॉर्म नंबर एमआर–3

सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम, 2014 के नियम संख्या 9 (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के अनुपालन में]

सेवा में,

सदस्यगण,

मैसर्स भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

नई दिल्ली

हमने उपयुक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और मैसर्स भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (बाद में जिसे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा–परीक्षा करवाया है। सचिवीय ऑडिट (लेखा–परीक्षा) एक ऐसे तरीके से आयोजित किया गया था, जिसने हमें कॉरपोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट से संबंधित पुस्तकों, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड्स के हमारे भौतिक एवं आभासी दोनों के आधार पर किए गए सत्यापन के साथ–साथ सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारीगण, अधिकृत प्रतिनिधिगण द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी ने यहाँ सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन प्रणाली निम्नलिखित रिपोर्टिंग के अंतर्गत प्रचलन में है: हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए पुस्तकों, पत्रों, मिनट्स पर आधारित पुस्तकों, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों की जाँच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम; लागू नहीं होते

(iii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम एवं उपनियम

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और कानून की सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाहरी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यिक उधारय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाहरी प्रत्यक्ष निवेश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश: –

  क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अभिग्रहण) विनियम, 2011; लागू नहीं होता

  ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992य लागू नहीं होता

  ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009य लागू नहीं होता

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशा–निर्देश, 1999य लागू नहीं होता

ड. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति जारी और सूचीकरण करना) विनियम, 2008;

च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर जारी करना एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ आदान–प्रदान करने के बारे में

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009, लागू नहीं होता

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998, लागू नहीं होता

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, जमा न लेनेवाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अंतिम सीमा तक (एनबीएफसी–एनडी–एसआई) लागू होता है

(vii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर आधारित दिशा–निर्देश

(viii) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, अनुबंध श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम और उपरोक्त अधिनियमों के तहत समय–समय पर श्रम विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना।

हमने निम्नलिखित के उपयुक्त अनुच्छेदों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) भारत के कंपनी सचिवों की संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक

(ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध समझौते

(iii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015।

हम साथ ही साथ रिपोर्ट करते हैं कि;

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशक (कों), गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को एजेंडा के साथ–साथ बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और एजेंडा पर आधारित विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे। साथ ही साथ, बैठक से पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एजेंडा आइटम्स पर अधिक जानकारी लेने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए गए थे। असंतोष के मामले में मिनट्स के हिस्से के रूप में उसे दर्ज किया गया था।

साथ ही साथ, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उपयुक्त कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी करने और उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के हिसाब से कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम ये भी रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान, उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों आदि के पालन में कंपनी के मामलों में प्रमुख असर डालने वाली विशिष्ट घटनाओं / प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।

जो हैं –

हम ये भी रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) कंपनी ने बाद की बोर्ड बैठकों में परिपत्र प्रस्तावों को नोट किया है और उसे एजेंडा पत्रों में मिनट्स के हिस्से के रूप में रखा है।

(ii) कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से घरेलू और या अंतरराष्ट्रीय बाजार से ₹4,100 करोड़ के 'इरेडा ग्रीन टैक्सेबल बॉन्ड्स / डोमेस्टिक टैक्सेबल बॉन्ड्स / ग्रीन मसाला बॉन्ड्स /ऑफशोर ग्रीन बॉन्ड्स" नामक सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी बांड्स जारी करके दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने को मंजूरी दी है। जिसमें से कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक डीमैटरियलाइजेशन (यानि डीमैट) के रूप में निम्नलिखित आवंटन किए है:

क) 10,000 इरेडा सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी बांड्स ("श्रृंखला IX-A"), प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख है और कुल मिलाकर ₹1,000 करोड़ हैय

ख) 8,030 इरेडा सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी बॉन्ड्स ("सीरीज IX-B"), जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹10 लाख है, कुल मिलाकर ₹803 करोड़ है।

बी माथुर एंड कंपनी के लिए,

कंपनी सचिवगण

सोनाक्षी चौरसिया

(पार्टनर)

एसीएसः 58636

सीओपी नंबरः 22578

यूडीआईएनः A058636B000632847

दिनांकः 29 अगस्त, 2020

स्थानः नई दिल्ली

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

कंपनी स्थायी दीर्घकालीन विकास और लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के आधार पर कॉर्पोरेट प्रथाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एक सरकारी कंपनी के रूप में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों का पालन कंपनी द्वारा किया जाता है। डीपीई दिशा–निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक रिपोर्ट निदेशक के रिपोर्ट के एक भाग के रूप में नीचे दी गई है। साथ ही साथ, कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में कंपनी के व्यावसायिक सचिवों मेसर्स बी. माथुर एंड कंपनी द्वारा जारी किए गए एक प्रमाण–पत्र अनुबंध– IX जारी किया गया है।

1. कॉर्पोरेट प्रशासन संहिता पर कंपनी की विचारधारा

कंपनी अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन में दृढ़ता से विश्वास करती है और लगातार उसका अनुसरण करती है। कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों से परिलक्षित होती है। कंपनी इन पहलुओं की बेहतरी की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और इस तरह अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, हितधारकों और समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य पैदा कर रही है।

इरेडा एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक–हितैषी और विकासोन्मुखी संगठन बनने के लिए प्रतिबद्ध है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा बचत परियोजनाओं को वित्तपोषित और बढ़ावा देती है। कंपनी का कॉर्पोरेट ढांचा, व्यवसाय संचालन और प्रकटीकरण प्रथाएँ उसके कॉर्पोरेट प्रशासन की विचारधारा से पंक्तिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल ('बोर्ड') के पास कुल मिलाकर प्रबंधन, सामान्य मामले, दिशा–निर्देशन, प्रदर्शन एवं व्यवसाय की सफलता की पूरी जिम्मेदारी होती है। बोर्ड रणनीतियों और नीतियों को तैयार करता है। उनके कार्यान्वयन की देख–रेख करता है और समय–समय पर कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा भी करता है।

इरेडा का निदेशक मंडल, कंपनी को नेतृत्व, वस्तुनिष्ठ निर्णय, रणनीतिक मार्गदर्शन देता हैं एवं उसके प्रयोग पर नियंत्रण रखता है। साथ ही साथ, वह सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेह भी होता है। बोर्ड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तथा कंपनी अधिनियम, ज्ञापन एवं कंपनी एसोसिएशन की धाराओं के साथ–साथ स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता के समझौतों तथा कंपनी की आंतरिक नियमावलियोंध्प्रक्रियाओं के अनुसार कंपनी के मामलों का प्रबंधन करता है।

2.1 निदेशक मंडल की संरचना

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है क्योंकि भुगतान की गई शेयर पूंजी का 100: भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के स्वामित्व में है। इरेडा एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय यानि– नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के साथ निहित है। इसके अलावा, कंपनी एसोसिएशन की धाराओं के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम नहीं होगी और 15 से अधिक नहीं होगी।

वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्रम संख्या	नाम और निदेशक का स्वरूप	नियुक्ति / समाप्ति की तिथि	नियुक्ति / समाप्ति
1.	श्री अरुण कुमार निदेशक (सरकार नामित) डीआईएनः 03054493	29.07.2019	समाप्ति
2.	श्री प्रवीण गर्ग डायरेक्टर (गवर्नमेंट नॉमिनी) डीआईएनः 00208604	29.07.2019 / 11.02.2020	नियुक्ति / समाप्ति
3.	श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डीआईएनः 01523131	31.12.2019	समाप्ति
4.	श्री भानु प्रताप यादव * निदेशक (सरकार नामित) डीआईएनः 07835275	02.01.2020 / 06.05.2020	नियुक्ति / समाप्ति
5.	श्री अमितेश कुमार सिन्हा निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएनः 08672632	24.01.2020 / 12.06.2020	नियुक्ति / समाप्ति
6.	श्री सतीश कुमार भार्गव निदेशक (वित्त) डीआईएनः 01430006	31.01.2020	समाप्ति
7.	श्री विमलेंद्र ए. पटवधन # निदेशक (सरकार नामित) डीआईएनरू 08701559	17.02.2020#	नियुक्ति
8.	सुश्री इंदु बाला स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 07956450	18.03.2020	समाप्ति

टिप्पणियाँः

* श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई (निदेशक, सरकार नामित, इरेडा) को प्रभावी रूप से 2 जनवरी, 2020 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इरेडा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। श्री प्रदीप कुमार दास की प्रभावी रूप से 6 मई, 2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा के रूप में नियुक्ति के बाद, श्री भानु प्रताप यादव सीएमडी, इरेडा ने अपना पद त्याग दिया। तत्पश्चात, 12 जून, 2020 को जारी किए गए एनएनआरई के पत्र द्वारा श्री अमितेश के सिन्हा, जेएस, एमएनआरई के स्थान पर निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में श्री भानु प्रताप यादव को निदेशक (सरकार नामित)के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमएनआरई को दिनांक 11 फरवरी, 2020 को जारी हुए पत्र एमएनआरई पत्र क्रमांक 340/85/2017 / इरेडा के अनुपालन में प्रभावी रूप से 11 फरवरी, 2020 से निदेशक (सरकारी नामित) किया गया था। हालांकि, 17 फरवरी, 2020 को उन्हें डीआईएन आवंटित किया गया था।

31 मार्च, 2020 तक कंपनी के बोर्ड में 8 निदेशक शामिल थे, जिसमें 2 कार्यात्मक निदेशक, 2 अंशकालिक सरकारी द्वारा नामित निदेशक और 4 अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल थे। इस रिपोर्ट में सभी निदेशकों का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

31 मार्च, 2020 तक बोर्ड की संरचना इस प्रकार हैः

कार्यात्मक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)		
1.	श्री भानु प्रताप यादव डीआईएनः 07835275	संयुक्त सचिव, एमएनआरई को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा केएमपी के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया
2.	श्री चिंतन शाह * डीआईएनः 07795952	निदेशक (तकनीकी)
पूर्व सरकारी अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक)		
3.	श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन डीआईएनः 08701559	निदेशक (सरकार द्वारा नामित)
4.	श्री अमितेश कुमार सिन्हा डीआईएनः 08672632	निदेशक (सरकार द्वारा नामित)
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)		
5.	श्री अभिषेक महावार डीआईएनः 02192597	स्वतंत्र निदेशक
6.	सुश्री मधुश्री एम. स्वामी डीआईएनः 07539535	स्वतंत्र निदेशक
7.	डॉ. गांगिडी मनोहर रेड्डी डीआईएनः 07028036	स्वतंत्र निदेशक
8.	श्री संजय कुमार जैन डीआईएनः 08103209	स्वतंत्र निदेशक

टिप्पणियाँः

* श्री चिंतन शाह, निदेशक (तकनीकी) को अतिरिक्त तौर पर प्रभावी रूप से 01.02.2020 से 3 महीने की अवधि अथवा एक नियमित रूप से अवलंबी की नियुक्ति तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो उस समय तक के लिए निदेशक (वित्त) का प्रभार सौंपा गया था।

2.2 पूरे वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

कंपनी बोर्ड द्वारा निर्णय लेने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का अनुसरण करती है। बोर्ड की बैठकें आमतौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और पहले से निर्धारित होती हैं। बैठक में सभी बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी निदेशकों के परामर्श से ही बैठक की तारीखों को अंतिम रूप दिया जाता है। वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में व्याख्यात्मक नोटों सहित विस्तृत एजेंडा पत्र सभी निदेशकों के बीच बोर्ड की बैठक से पहले ही वितरित कर दिए जाते हैं। विशिष्ट तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, सभी निदेशकों की सहमति से बैठकें संक्षिप्त नोटिस पर भी आयोजित की जाती हैं। ऐसे कुछ उदाहरण मिले हैं जिनमें, प्रस्तावों को सर्कुलेशन द्वारा पारित किया गया है जिसकी पुष्टि अगली बोर्ड बैठक में की गई है। अधिनियम और सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार वीडियो मोड द्वारा भी बैठक में भाग लेने की सुविधा बोर्ड के सदस्यों को प्रदान की जाती है। अन्य बोर्ड सदस्यों की सहमति से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसी भी मामले को एजेंडे में शामिल करने का निर्णय लेते हैं साथ ही साथ, बोर्ड की बैठकों में, अगर जरूरत पड़े तो, बोर्ड के विभागाध्यक्ष (एचओडी) एवं वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों भी को चर्चा किए जा रहे मामलों पर अतिरिक्त इनपुट प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड द्वारा कुछ एजेंडा आइटमों पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी जाती है। कंपनी, बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग्स के संबंध में, 1 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों के संशोधित संस्करण का अनुपालन भी कर रही है। मीटिंग के बाद, ड्राफ्ट मिनट्स और हस्ताक्षरित मिनट्स की एक प्रति निदेशकों के बीच निर्धारित समय के भीतर प्रसारित की जाती है।

बदलते परिवेश के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इरेडा ने एजेंडा की हार्ड कॉपी मुहैया न कराकर कागज रहित बैठकों की दिशा में एक पहल की है। इरेडा ने बोर्ड और समिति की बैठकों के लिए एजेंडा को डिजिटल कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, 12 (बारह) बोर्ड की बैठकें आयोजित की गई थीं, यानि – 26/04/2019, 30/05/2019, 12/07/2019, 29/07/2019, 23/08/2019, 30/09/2019, 15/10/2019, 13/11/2019, 16/12/2019, 31/01/2020, 05/03/2020 और 30/03/2020। किसी भी दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 14 दिन और 45 दिन था।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर आधारित डीपीई में उल्लिखित दिशा–निर्देशों सहित बोर्ड के पास कंपनी के भीतर की सभी संबंधित सूचनाओं तक पूरा एक्सेस है।

2.3 बोर्ड की बैठकों एवं अंतिम वार्षिक आम बैठक में निदेशकों का उपस्थिति रिकॉर्ड तथा अन्य निदेशक पदों / समिति की सदस्यताएँ / अध्यक्षताओं की संख्या

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों तथा 30 सितंबर, 2019 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति तथा अन्य निदेशक पदों / समिति की सदस्यताओं / अध्यक्षताओं की संख्या नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम और पदनाम	बोर्ड बैठकें		31.03.2020 तक अन्य निदेशक पदों की संख्या	31.03.2020 तक अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (30.09.2019)
	पूरे वर्ष के दौरान (कार्यकाल के अनुसार)	भाग लिया (कार्यकाल के अनुसार)		सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में	
श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	9	9	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	में भाग लिया
श्री भानु प्रताप यादव अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	12	10	लागू नहीं होता	0	0	भाग लिया
श्री सतीश कुमार भार्गव निदेशक (वित्त)	10	10	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	भाग लिया
श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	12	12	लागू नहीं होता	0	0	भाग लिया
श्री अरुण कुमार निदेशक (सरकार नामित)	3	2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
श्री प्रवीण गर्ग निदेशक (सरकार नामित)	6	2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	भाग नहीं लिया
श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	12	12	2	0	0	भाग लिया
सुश्री इंदु बाला स्वतंत्र निदेशक	11	7	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	भाग नहीं लिया
सुश्री मधुश्री एम. स्वामी स्वतंत्र निदेशक	12	11	शून्य	0	0	भाग लिया
डॉ. जी.एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	12	12	शून्य	0	0	भाग लिया
श्री संजय कुमार जैन स्वतंत्र निदेशक	12	3	शून्य	0	0	भाग लिया
श्री अमितेश कुमार सिन्हा निदेशक (सरकार नामित)	3	3	1	0	0	लागू नहीं होता
श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन निदेशक (सरकार नामित)	2	2	7	2	3	लागू नहीं होता

टिप्पणियाँ:

- ऑडिट कमेटी और शेयरहोल्डर्स / इन्वेस्टर्स शिकायत समिति के अलावा बोर्ड समितियों के अध्यक्ष पद/ सदस्यता शामिल नहीं है।
- कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक–दूसरे से संबंधित नहीं हैय और लागू नहीं होता से यह पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति इरेडा के बोर्ड में संबंधित तारीख तक सदस्य नहीं था।

2.4 बोर्ड को उपलब्ध जानकारी

बोर्ड को कंपनी के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी तक पूरी पहुंच हासिल है। बोर्ड को नियमित रूप से दी गई जानकारी में विशेष रूप से शामिल हैं:

- वार्षिक परिचालन योजनाएँ, बजट्स और उनसे संबंधित कोई अपडेट
- कैपिटल बजट और उससे संबंधित कोई अपडेट।
- कंपनी को हासिल होने वली त्रैमासिक एमओयू उपलब्धियाँ / परिणाम।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के मिनट्स
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे वाले वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती / पारिश्रमिक की जानकारी।
- सामग्री शो कॉज, मांग, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस, यदि कोई हो।
- कंपनी को या उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए वित्तीय दायित्वों में कोई सामग्री डिफॉल्ट या कंपनी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए कंपनी को पर्याप्त भुगतान नहीं हुआ है।
- किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते के विवरण।
- निवेश।
- त्रैमासिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर और प्रतिकूल विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, अगर भौतिक हो।
- कंपनी पर लागू नियामक या वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन / अनानुपालन पर आधारित रिपोर्ट।
- बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो ऐसे सभी लंबित मामलों पर अद्यतन स्थिति प्रदान करती हो।
- जानकारी और / या अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक कोई अन्य सूचना।

निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा:

श्री प्रदीप कुमार दास, 6 मई, 2020 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर हैं। उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर से पोस्ट–ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया है। कंपनी में शामिल होने से पहले, वह भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी) में निदेशक (वित्त) थे। उन्होंने आरईसी लिमिटेड (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीएल), भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), कुसुम प्रॉडक्ट्स लिमिटेड और अन्य संगठनों के साथ भी काम किया है। उनके पास सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों में वित्त, बैंकिंग, लेखा, लेखा परीक्षा आदि में विभिन्न पदों पर 32 वर्षों का विशाल अनुभव है।

श्री भानु प्रताप यादव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और व्यवहार एवं सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद से वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों हेतु प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम पूरा किया है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स से प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक हैं। वह मई, 2017 से कंपनी से जुड़े हुए हैं। उन्हें आंतरिक और साथ ही बाहरी ऑडिट के क्षेत्र में 21 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वह वर्तमान में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं और कंपनी के निदेशक (सरकार नामित) के रूप में कार्यरत हैं।

श्री चिंतन शाह, कंपनी के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि ली है। उन्होंने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के साथ अध्यक्ष – एसबीडी और कॉरपोरेट मामलों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड तथा सुजलॉन ग्रीन पावर लिमिटेड के साथ उपाध्यक्ष / एसबीडी के रूप में कार्य किया है। साथ ही साथ, वह पहले ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के

साथ भी काम कर चुके हैं। उनके पास आरई सिस्टम्स / उत्पाद, परियोजना निष्पादन, परियोजना परामर्श, परियोजना वित्तपोषण और नीति नियोजन जैसी विभिन्न गतिविधियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा में 23 वर्षों का अनुभव है।

श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन, कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) हैं। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की ओर से एक ऐसे अधिकारी हैं जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश को लागू करते हैं। उन्होंने अपने करियर के 21 वर्षों में मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन के पदों को संभाला है। साथ ही साथ, उन्होंने सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा परीक्षा, मूल्यांकन और वित्त / लेखा की योजना और क्रियान्वयन की जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। उनके इनपुट के परिणामस्वरूप ऐसी रिपोर्टें आईं हैं जिन पर भारत की संसद द्वारा चर्चा की गईं। जिसके कारण सार्वजनिक धोखाधड़ी के कई मामलों में कार्रवाई के लिए सिस्टम सुधार की सिफारिशें भी हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पर्यटन संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के ऑडिट के लिए उनका एक्सपोजर फाइनेंशियल के साथ–साथ रेग्युलरिटी ऑडिट को भी कवर करता है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के साथ और बाद में वित्तीय सलाहकार के रूप में अपने कार्यावधि के दौरान, उन्होंने मौजूदा प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के माध्यम से अपनी प्रक्रियाओं और नीतियों को बेहतर बनाने में संगठनों की सहायता की है। संगठनों में नीति मूल्यांकन ढांचे का उपयोग जारी है। एडवांस्ड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कमर्शियल लॉ जैसे मुख्य विषयों के साथ बैचलर ऑफ कॉमर्स के साथ ही उनके पास बड़ी टीमों के प्रबंधन और उनके काम में सामंजस्य बनाने का अनुभव है।

सुश्री मधुश्री एम स्वामी, कंपनी की एक स्वतंत्र निदेशक हैं। वह कानून में स्नातक की डिग्री और कुवेम्पु विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री रखती है। वह मार्च, 2018 से कंपनी से जुड़ी हुई हैं।

वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों से स्वामी विवेकानंद योग एवं समग्र स्वास्थ्य ट्रस्ट के साथ काम किया है।

डॉ. गांगिडी मनोहर रेड्डी, कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर और भौतिक रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि ली है। वह मार्च, 2018 से कंपनी से जुड़े हुए हैं। वह एक दूरदर्शी शिक्षाविद् हैं और कई शैक्षणिक संस्थानों के सदस्य हैं। वह हैदराबाद में लेक्चरर थे। वह यंग मेंस इम्प्रूवमेंट सोसयटी के आजीवन सदस्य भी हैं।

2.5 आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और उद्देश्यों के साथ संयोजन में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता बना रखी है और इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट यानी www.ireda.in पर उपलब्ध है।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के तहत आवश्यक घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(प्रदीप कुमार दास)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

3. निदेशक मंडल की की समितियाँ

बोर्ड या तो विशिष्ट परिचालन क्षेत्रों की देख–रेख के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से या फिर पूर्ण बोर्ड के रूप में कार्य करता है। बोर्ड की प्रत्येक समिति अपने संदर्भ की शर्तों द्वारा निर्देशित होती है, जो समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियाँ नियमित अंतराल पर बैठकें करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और साथ ही साथ प्राधिकार के भीतर निर्णय लेती हैं।

31 मार्च, 2020 तक, बोर्ड की समितियाँ इस प्रकार हैं:

3.1 निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति;

3.2 निदेशकों की ऋण समिति;

3.3 निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति;

3.4 निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति;

3.5 निदेशकों की निवेश समिति;

3.6 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति;

3.7 आईटी रणनीति समिति।

समितियों की बैठकों के मिनट्स को सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

3.1 निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति

इरेडा ने बोर्ड की एक समिति का गठन किया था जिसे "लेखा परीक्षा समिति" के नाम से जाना जाता था। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति को 31 जनवरी, 2020 को आयोजित 324 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अंतिम बार पुनर्गठित किया गया था। लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ में पुनरीक्षण पिछली बार 29 जुलाई, 2019 को हुई निदेशक मंडल की 318 वीं बैठक में किया गया था।

31 मार्च, 2020 तक, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम संख्या	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री ए.के. सिन्हा निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य
3.	डॉ. जी. एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री संजय कुमार जैन स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

3.1.1 लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी का वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का निरीक्षण ।

2. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और नियुक्ति की शर्तों पर नोट लेना।

3. लेखा–परीक्षा शुल्क के निर्धारण पर बोर्ड को सिफारिश करना।

4. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को की जाने वाली भुगतान की स्वीकृति।

5. निम्नलिखित विशेष संदर्भ के साथ, अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना और जाँच करना:

   (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा 3 के खंड (सी) के संदर्भ में, बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक दायित्व विवरण में शामिल होने वाले आवश्यक मामले;

   (ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, साथ ही साथ परिवर्तन के कारण;

   (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने के आधार पर अनुमानों में शामिल प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ;

   (घ) लेखा–परीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

   (ड.) वित्तीय विवरणों और लिस्टिंग से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

   (च) किसी भी संबंधित पार्टी से लेनदेन का खुलासाय तथा

(छ) ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित राय।

6. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, त्रैमासिक / अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7. वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों का प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा प्रबंधन के साथ करना।

8. आंतरिक ऑडिट विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के आधिकारिक अध्यक्ष की वरिष्ठता, संरचना कवरेज की रिपोर्टिंग तथा आंतरिक ऑडिट की आवृत्ति सहित आंतरिक ऑडिट फंक्शन की पर्याप्तता की, यदि कोई हो, समीक्षा करना।

9. आंतरिक लेखा परीक्षकों और / या लेखा परीक्षकों के द्वारा पेश किए गए किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं तत्पश्चात उसके फॉलो–अप पर चर्चा करना।

10. संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या सामग्री स्वरूप तथा उक्त मामले को बोर्ड के समक्ष उठाने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता से संबंधित मामलों के बारे में आंतरिक लेखा परीक्षकों / लेखा परीक्षकों / एजेंसियों द्वारा पेश की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना।

11. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले ही लेखा परीक्षा के स्वरूप और दायरे के बारे में संवैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ ही चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा–परीक्षा के बाद चर्चा करना।

12. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को किए जाने वाले भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करना।

13. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्य की समीक्षा और निगरानी करना।

14. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन कर लेने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी देनाय अगर निदेशक (वित्त) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो वह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

15. सीएजी ऑडिट की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर फॉलो–अप कार्रवाई की समीक्षा करना।

16. संसद की सार्वजनिक उपक्रमों के लिए बनी समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती (फॉलो–अप) कार्रवाई की समीक्षा करना।

17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला रास्ता प्रदान करना।

18. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन के अनुमोदन या बाद के संशोधन।

19. कंपनी की ओर से किए गए समझौते के अनुसार प्रस्तावित पार्टी लेनदेन से संबंधित निर्धारित शर्तों के अनुरूप सर्वव्यापी अनुमोदन करना।

20. अनावश्यक परिश्रम कम करके कवरेज परिपूर्णता को तथा सभी लेखा–परीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, स्वतंत्र ऑडिटर के साथ लेखा–परीक्षा से संबंधित कार्यों के समन्वय की समीक्षा करें।

21. स्वतंत्र ऑडिटर और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करें और समीक्षा करें:।

    - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण एवं सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
    - प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ संबंधित निष्कर्ष और सिफारिश तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षक एवं आंतरिक लेखा परीक्षक।

22. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करें और समीक्षा करें:

    - पिछली लेखा–परीक्षा सिफारिशों की स्थिति

सहित पूरे वर्ष के दौरान के महत्वपूर्ण निष्कर्ष; तथा

- गतिविधियों के दायरे में कोई रुकावट अथवा आवश्यक जानकारी तक पहुंच सहित लेखा–परीक्षा कार्य के दौरान सामना की गई किसी भी तरह की कठिनाइयाँ

23. लेखा–परीक्षा समिति निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य रूप समीक्षा करेगी:

I. वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण।

II. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत, महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन का विवरण (लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किए अनुसार)।

III. प्रबंधन पत्र / वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए आंतरिक कमजोरियों के नियंत्रण से संबंधित पत्र।

IV. आंतरिक कमजोरियों से संबंधित नियंत्रण पर आधारित आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट।

V. आंतरिक / सिस्टम ऑडिट के प्रमुख की नियुक्ति, निष्कासन और स्थानांतरण ऑडिट समिति के समक्ष रखा जाएगा।

VI. बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले मुख्य कार्यकारी / मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा जारी किए गए वित्तीय विवरणों की घोषणा/ प्रमाणन।

VII. डीवीऐशन का कथन:

(i) विनियम, 2015 ("सूचीबद्ध विनियम") के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियमन 32 (1) (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की गई निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित डीवीऐशन का त्रैमासिक विवरण, यदि लागू हो तथा

(ii) सूचीबद्ध विनियमों के नियमन 32 (7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज / प्रोस्पेक्टस / नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए धन का वार्षिक विवरण।

24. वैधानिक लेखा–परीक्षक की स्वतंत्रता एवं प्रदर्शन, और ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी।

25. कॉर्पोरेट्स के बीच आपसी ऋण एवं निवेश की जाँच।

26. जहाँ भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।

27. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

28. निर्गमन (सार्वजनिक निर्गमन, अधिकार निर्गमन, अधिमान्य निर्गमन, आदि) के माध्यम से उगाहे गए धन के उपयोग करने / लगाने के विवरण की, प्रस्ताव दस्तावेज / प्रॉस्पेक्टस / नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा उपयोग किए गए धन के विवरण की तथा सार्वजनिक या अधिकार निर्गमन की प्रक्रियाओं के उपयोग की निगरानी करने वाली, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

29. 1 अप्रैल 2019 तक मौजूदा ऋणों / एड्वांस / निवेशों सहित सहायक कंपनी में स्वामित्व कंपनी द्वारा किए गए ₹100 करोड़ से अधिक अथवा सहायक कंपनी की संपत्ति की साइज के 10% निवेश में से जो भी कम हो उसकी अथवा ऋणों की और या एड्वांस के उपयोग की समीक्षा करना।

30. डीपीई दिशा–निर्देशों, कंपनी अधिनियम तथा सूचीबद्धता विनियमों एवं समय–समय पर कंपनी के लिए लागू होने वाले अन्य नियमों के तहत निर्धारित अन्य कार्य तथा कंपनी के अन्य हितधारकों एवं कंपनी के सर्वोत्तम हित में बोर्ड द्वारा समय–समय पर उपयुक्त समझा गया या निर्धारित कोई अन्य कार्य निष्पादन करना।

31. लेखा–परीक्षा समिति की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ शामिल हैं:

(क) विचारार्थ विषयों के भीतर निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि के मामलों की जाँच करना;

(ख) कंपनी के किसी भी कर्मचारी से जानकारी लेना;

(ग) यदि आवश्यक हो, तो बाहरी स्रोतों से कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह लेना;

(घ) यदि आवश्यक हो, तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति को सुरक्षित करना; तथा

(ड़) कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूर्ण पहुँच रखना।

उपरोक्त के विचारार्थ विषयों के उद्देश्य के लिए:

(क) समिति निदेशक (वित्त) या वित्त से संबंधित कार्यों के प्रमुख और सांविधिक लेखा–परीक्षक के एक प्रतिनिधि तथा इसी तरह के कंपनी के किसी भी अन्य अधिकारियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। बशर्ते कि कभी–कभार ऑडिट कमेटी कंपनी के किसी अधिकारी की मौजूदगी के बिना मिल सकती हो।

(ख) समिति, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले लेखा परीक्षकों के अवलोकन और वित्तीय विवरण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों, लेखा परीक्षा के दायरे से संबंधित स्पष्टीकरण की माँग सकती है और साथ ही साथ, किसी भी संबंधित मुद्दे पर आंतरिक एवं वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा प्रबंधन के साथ चर्चा कर सकती है।

(ग) जब लेखा–परीक्षा समिति लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार कर रही हो तो कंपनी के लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में अपनी बात रखने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट एक लेखा परीक्षा समिति की संरचना का खुलासा करेगी और जहाँ बोर्ड ने ऑडिट समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था, उन्हीं का कारण सहित इस तरह की रिपोर्ट में खुलासा किया जाएगा।

जब तक कि दूसरी तरह से परिभाषित नहीं कर दिया गया हो, उपरोक्त लेखा–परीक्षक की परिभाषा के प्रयोजनों हेतु, इसमें वैधानिक लेखा–परीक्षक, सचिवीय लेखा–परीक्षक, लागत लेखा–परीक्षक तथा आंतरिक लेखा–परीक्षक शामिल होंगे।

3.1.2 लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्यों

वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, ऑडिट कमेटी को एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करने की आवश्यकता होती है और उस वर्ष में दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 6 (छह) बार ऑडिट कमेटी की बैठकें हुईं यानि – 29/05/2019, 11/07/2019, 30/09/2019, 13/11/2019, 17/12/2019 और 04/03/2020। व्याख्यात्मक बयान के साथ विस्तृत एजेंडा, समिति सदस्यों को अग्रिम में प्रसारित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित लेखा–परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पद / पद नाम	कार्य–काल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
1.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	6	6	भाग लिया
2.	श्री अरुण कुमार निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य	2	0	लागू नहीं होता
3.	श्री भानु प्रताप यादव निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य	5	4	भाग लिया
4.	डॉ. जी.एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	6	भाग लिया
5.	सुश्री इंदु बाला स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	3	भाग नहीं लिया
6.	श्री संजय कुमार जैन स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	2	भाग लिया
7.	श्री अमितेश कुमार सिन्हा निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य	1	0	लागू नहीं होता

नोटः 'लागू नहीं होता', यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति इरेडा के बोर्ड में संबंधित तिथि पर सदस्य नहीं था।

कंपनी सचिव, समिति का सचिव होता है।

लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पास लेखांकन एवं वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता होती है। सूचना हेतु बोर्ड के समक्ष लेखा परीक्षा समिति के मिनट्स रखे गए थे।

3.2 निदेशकों की ऋण समिति

इरेडा के आर्टिकिल्स ऑफ एसोसिएशन में शामिल प्रावधानों के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने प्रतिनिधिमंडल संरचना और कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निदेशकों की ऋण समिति (एलसीओडी) का गठन किया था। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, निदेशकों की ऋण समिति को पिछली बार 31 जनवरी, 2020 को आयोजित 324 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा पुनर्गठित किया गया था।

31 मार्च, 2020 तक निदेशकों की ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम संख्या	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बी. पी. यादव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी एवं वित्त)	सदस्य
3.	श्री ए.के. सिन्हा निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य
4.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5.	डॉ. जी.एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

3.2.1 निदेशकों की ऋण समिति के विचारार्थ विषय

1) प्रतिनिधिमंडल के अनुसार परियोजनाओं के लिए ऋण की मंजूरी पर विचार करना। (वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹125 करोड़ तक)।

2) प्रतिनिधिमंडल के अनुसार इरेडा के ऋण लेने वाली परियोजनाओं के लिए पुनरू शेड्यूल प्रस्तावों और अन्य मुद्दों पर विचार करना। (वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹125 करोड़ तक)।

3) एक बारे में भुगतान (ओटीएस) प्रस्तावों और ऐसे अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए जिनमें प्रतिनिधिमंडल के अनुसार इरेडा के ऋण वाली परियोजनाएँ शामिल हैं (वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹125 करोड़ तक)

4) एलसीओडी के दायरे में आने वाली परियोजनाओं के संबंध में वित्त, साइट, गारंटी (ओं), वैधता और ऋण के अन्य नियमों और शर्तों के के साथ–साथ साधनों में परिवर्तन पर विचार करना।

3.2.2 निदेशकों की ऋण समिति की बैठक की संख्या

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, निदेशकों की ऋण समिति की 9 (नौ) बैठकें

(एलसीओडी) का आयोजन यानि – 26/04/2019

30/05/2019, 12/07/2019, 23/08/2019, 15/10/2019, 13/11/2019, 16/12/2019, 31/01/2020 और 05/03/2020 को हुआ था। व्याख्यात्मक नोटों के साथ विस्तृत एजेंडा समिति के लिए अग्रिम में प्रसारित किया गया था। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित एलसीओडी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है

क्रम संख्या	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पद / पदनाम	कार्य–काल के दौरान हुई बैठक की संख्या	भाग ली गई बैठक की संख्या
1.	श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	7	7
2.	श्री बी. पी. यादव* अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य / अध्यक्ष	9	7
3.	श्री एस. के.भार्गव निदेशक (वित्त)	सदस्य	8	8
4.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	9	9
5.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	9	9
6.	डॉ. जी.एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	9	9
7.	श्री ए.के. सिन्हा निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य	2	2

नोटः

* श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई (निदेशक, सरकार नामित इरेडा) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार प्रभावी रूप से 02/01/2020 और बाद में निदेशकों की ऋण समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रभावी रूप से 31/01/2020 को नामित किया गया था।

कंपनी सचिव, समिति का सचिव होता है।

एलसीओडी के मिनट्स को सूचना के लिए निदेशक मंडल के सामने रखा जाता है।

3.3 निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (डीपीई) द्वारा 16 फरवरी, 2017 को जारी किए गए कार्यालय मेमोरेंडम में यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी जिसमें अंशकालिक निदेशक या स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे जो निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस / वेरिएबल पूल एवं अधिकारियों तथा गैर–संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण के लिए नीति तय करेंगे ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार, इरेडा के बोर्ड ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया था, जिसे नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के रूप में जाना जाता था। निदेशकों के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों को निदेशक मंडल द्वारा 29 जुलाई, 2019 को आयोजित बोर्ड की 318 वीं बैठक में संशोधित किया गया था।

31 मार्च, 2020 तक निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम संख्या	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	सुश्री इंदु बाला * स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. जी.एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	सुश्री मधुश्री एम स्वामी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री संजय कुमार जैन स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

नोटः

* प्रभावी रूप से 18/03/2020 को सुश्री इंदु बाला, स्वतंत्र निदेशक, ने इरेडा बोर्ड के निदेशक पद को त्याग दिया।

कंपनी सचिव, समिति का सचिव होता है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के मिनट्स को सूचना के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

3.3.1 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय

विचारार्थ विषय की सीमा के भीतर इरेडा पर लागू होने वाले बिंदु निम्नानुसार हैं:

1) बोर्ड के नीचे के एक स्तर के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की समीक्षा करना और सिफारिशें करना

2) बोर्ड के नीचे के एक स्तर के पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करना;

3) लागू कानून / दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर, अधिकारियों को बोर्ड के वार्षिक बोनस और उसके वितरण के लिए नीति की सिफारिश करना

4) समय–समय पर संशोधित प्रतिभूति कानून का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की रूपरेखा तैयार करना;

5) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के स्तर पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (निदेशकों को छोड़कर) और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के चयन और नियुक्ति के लिए औपचारिक और पारदर्शी प्रणालियाँ हैं;

6) महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के स्तर पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (निदेशकों को छोड़कर) और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के चयन और निष्कासन के लिए विचार करना और बोर्ड को सिफारिश करना;

7) वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, जिस भी रूप मंध हों उनके लिए बोर्ड को सिफारिश करना;

8) प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति और निष्कासन को रिकॉर्ड में लेना;

9) संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्देश पर हमारी कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–काल, यदि कोई हो, के बढ़ाए जाने को रिकॉर्ड में लेना;

10) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास नए निदेशकों के प्रभावी समावेशन के लिए कार्यक्रम मौजूद हैं;

11) अन्य बातों के साथ–साथ, निदेशक मंडल की विविधता पर आधारित नीति तथा निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड सहित भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित विभिन्न नीतियों को रिकॉर्ड में लेना, यदि कोई हो;

12) विचारार्थ विषयों के भीतर बोर्ड द्वारा सौंपी गई किसी अन्य जिम्मेदारी को निभाना;

13) समय–समय पर संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियम और कंपनी अधिनियम, 2013 में सम्मिलित किसी अन्य कार्य को करना;

14) समय–समय पर विचारार्थ विषयों की समीक्षा करना तथा परिवर्तनों के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना;

इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अंतर्गत, सरकारी कंपनियों को निदेशकों की योग्यताओं के निर्धारण से संबंधित मानदंड तैयार करने, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता एवं निदेशकों की पारिश्रमिक से संबंधित नीतियाँ बनाने से संबंधित अपेक्षाओं से छूट दी है।

3.3.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी।

3.4 निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशा–निर्देशों की अपेक्षा अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल स्तर की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति का गठन

किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, 31 जनवरी, 2020 को आयोजित 324वीं बैठक में सीएसआर निदेशकों की समिति को आखरी बार निदेशक मंडल द्वारा पुनर्गठित किया गया था।

31 मार्च, 2020 तक निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम संख्या	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बी. पी. यादव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री ए.के. सिन्हा निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य
4.	सुश्री मधुश्री एम स्वामी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

3.4.1 निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति के विचारार्थ विषय

सीएसआर समिति के मुख्य कार्य / जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

1) वांछित दिशा में सीएसआर एवं चिरस्थायित्व पर आधारित एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता करना;

2) समय–समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति की निगरानी करना;

3) सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की देखरेख करना तथा

4) समय–समय पर संशोधित कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति पर आधारित अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

3.4.2 सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति की 4 (चार) बैठकें यानि – 12/07/2019, 23/08/2019, 30/09/2019 और 16/12/2019 को आयोजित की गईं। व्याख्यात्मक बयान के साथ विस्तृत एजेंडा, समिति सदस्यों को अग्रिम में प्रसारित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2019– 20 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पद / पदनाम	कार्य–काल के दौरान हुई बैठक की संख्या	भाग लिए बैठक की संख्या
1.	श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	4	4
2.	श्री बी.पी. यादव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य / अध्यक्ष	4	2
3.	श्री एस. के. भार्गव निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4
4.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	4	4
5.	सुश्री मधुश्री एम स्वामी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4
6.	सुश्री इंदु बाला ' स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	2

नोटः

* सुश्री इंदु बाला, स्वतंत्र निदेशक, ने प्रभावी रूप से 18 मार्च, 2020 को इरेडा के बोर्ड से निदेशक पद त्याग दिया।

कंपनी सचिव समिति का सचिव होता है।

सीएसआर समिति के निदेशकों के मिनट्स सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखे गए थे।

3.5 निदेशकों की निवेश समिति

इरेडा ने निदेशकों की निवेश समिति का गठन किया था। निदेशकों की निवेश समिति को निवेश प्रस्ताव और अधिशेष निधियों की उपलब्धता के बारे में सूचित किया जाता है।

31 मार्च, 2020 तक निदेशकों की निवेश समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम संख्या	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एस. के. भार्गव निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

नोट:

डॉ. आर.सी. शर्मा, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) समिति के संयोजक हैं।

3.5.1 विचारार्थ विषय

निवेश समिति के मुख्य कार्य / जिम्मेदारियाँ इरेडा के निवेश दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक अवसर पर 1–वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए अधिशेष निधियों का ₹1500 करोड़ तक का निवेश करना है। निवेश समिति का निर्णय अगली बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

3.5.2 निवेश समिति की बैठकों की संख्या।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, निदेशकों की निवेश समिति की 3 (तीन) बैठकें अर्थात – 25.07.2019, 09.08.2019 और 24.10.2019 को आयोजित हुई थीं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित निवेश समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पद / पदनाम	कार्य–काल के दौरान हुई बैठक की संख्या	भाग लिए बैठक की संख्या
1.	श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	3	3
2.	श्री एस. के. भार्गव निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	3
3.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	3	3

डॉ. आर.सी. शर्मा, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) समिति के संयोजक हैं।

3.6 निदेशकों की हितधारक (स्टेकहोल्डर्स) संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों की अपेक्षानुसार कंपनी ने हितधारक संबंध समिति का गठन किया था।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों की हितधारक संबंध समिति को निदेशक मंडल द्वारा पुनर्गठित नहीं किया गया था। हालाँकि, 29 जुलाई, 2019 को हुई बोर्ड की 318 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय में संशोधन किया गया था।

31 मार्च, 2020 तक, निदेशकों की हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम संख्या	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री संजय कुमार जैन स्वतंत्र निदेशक	निदेशक
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	सुश्री मधुश्री एम स्वामी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

3.6.1 निदेशकों के हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय

हितधारकों की संबंध समिति के मुख्य कार्य / जिम्मेदारियां हैं;

1) शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाए गए तंत्र की समीक्षा करना।

2) सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति–धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण / सौंपना, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति, घोषित लाभांश की गैर–प्राप्ति, नए / डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

3) शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वन के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।

4) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाई गई सेवा मानकों के पालन की समीक्षा करना।

5) सूचीबद्ध इकाइयों द्वारा लावारिस लाभांश की मात्रा को कम करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना तथा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट्स / वार्षिक रिपोर्ट्स / संवैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करना।

6) निदेशक मंडल और / या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के अपेक्षित दिशा–निर्देशों के अनुसार, कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित, समय–समय पर संशोधित, साथ ही किसी अन्य लागू वैधानिक नियमों और विनियमों से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा करना एवं कार्यान्वित करना।

3.6.2 हितधारक संबंध समिति की बैठक की संख्या

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, हितधारक संबंध समिति की 2 (दो) बैठकें यानि – 11/07/2019 और 15/10/2019 को आयोजित की गई थीं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित की गई हितधारक संबंध समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पद / पदनाम	कार्य–काल के दौरान हुई बैठक की संख्या	भाग लिए बैठक की संख्या
1.	श्री संजय कुमार जैन स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	0
2.	श्री एस. के. भार्गव निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
3.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	2	2
4.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
5.	सुश्री इंदु बाला स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	1
6.	सुश्री मधुश्री एम स्वामी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2

कंपनी सचिव समिति का सचिव होता है।

जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष निदेशकों की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) के मिनट्स को रखा गया था।

3.6.3 निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

कंपनी अतिशीघ्र एवं तत्काल सभी निवेशक शिकायतों का निपटारा कर रही है। इरेडा के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के समन्वय में निवेशकों की शिकायतों का तुरंत निवारण किया जाता है। सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान निवेशकों की शिकायतों आदि की स्थिति निम्नानुसार है।

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित	0
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किया	43
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान	43
31 मार्च, 2020 तक अनसुलझी शिकायतें	0

3.7 आईटी रणनीति समिति

कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर डायरेक्शन–एनबीएफसी सेक्टर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क, दिनांक 8 जून, 2017 के अनुसार, आईटी रणनीति समिति का गठन किया था। 13 नवंबर 2019 को 322 वीं बोर्ड बैठक में आईटी रणनीति समिति का गठन किया गया था।

31 मार्च, 2020 तक, निदेशकों की आईटी रणनीति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम संख्या	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री बी. पी. यादव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
4.	श्री सुरेंदर सुयाल कंपनी सचिव	सदस्य एवं संयोजक

3.7.1 आईटी रणनीति समिति के विचारार्थ विषय

आईटी रणनीति समिति के मुख्य कार्य / जिम्मेदारियाँ

1) आईटी रणनीति एवं नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है।

2) यह पता लगाना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आईटी, व्यवसाय को मूल्य मुहैया कराता है।

3) ये सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिमों और लाभों के संतुलन को दर्शाता है और ये कि बजट्स स्वीकार्य हैं।

4) उस विधि की निगरानी करना जिसे प्रबंधन, रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और सोर्सिंग के लिए उच्चस्तरीय दिशा प्रदान करने तथा आईटी संसाधनों का उपयोग करने के लिए आईटी संसाधनों का निर्धारण करने हेतु इस्तेमाल करता है।

5) एनबीएफसी की वृद्धि को बनाए रखने और आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम के बारे में जागरूक होने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।

3.7.2 आईटी रणनीति समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आईटी रणनीति समिति की 2 (दो) बैठकें यानि – 25/04/2019 और 17/01/2020 को आयोजित की गई थीं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित आईटी रणनीति समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पद / पदनाम	कार्य–काल के दौरान हुई बैठक की संख्या	भाग लिए बैठक की संख्या
1.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	2	2
3.	श्री बी. पी. यादव निदेशक (सरकार नामित)	सदस्य	2	2
4.	श्री अभिलाख सिंह महाप्रबंधक (टीएस)	सदस्य	1	1
5.	श्री सुरेंदर सुयाल कंपनी सचिव	सदस्य	2	2
6.	श्री संजय कुमार गुप्ता मुख्य प्रबंधक (आईटीएस)	सदस्य	1	1

टिप्पणियाँ;

- श्री अभिलाख सिंह और श्री संजय कुमार गुप्ता, आईटी रणनीति समिति के सदस्यों ने 13 नवंबर, 2019 को अपना पद त्याग दिया था ।

निदेशकों की आईटी रणनीति समिति के मिनट्स को सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया।

4. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के संदर्भ में और सीपीएसई के गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका और जिम्मेदारियों पर डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 26 मार्च, 2020 को आयोजित की गई थी ।

5. कार्यात्मक निदेशकों एवं कंपनी सचिव का पारिश्रमिक

जैसा कि कॉरपोरेट प्रशासन संहिता के तहत अपेक्षित है, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों एवं कंपनी सचिव के पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	नाम	वेतन और भत्ते	अन्य लाभ	नियोक्ता पीएफ योगदान	नियोक्ता पेंशन योगदान	कुल (राशि ₹ में)
1.	श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य				
2.	श्री भानु प्रताप यादव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य				
3.	श्री एस के भार्गव निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	89,47,579	1,000	273,073	182,982	94,04,634
4.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	36,07,943	1,200	2,56,443	1,50,039	40,15,625
5.	श्री सुरेंदर सुयाल कंपनी सचिव	48,01,246	1,200	2,63,436	1,45,878	52,11,760
6.	डॉ. आर. सी. शर्मा (सीएफओ)	7,45,930	200	.	53,064	7,99,204

नोटः

श्री आर.सी. शर्मा, जीएम (एफएंडए), इरेडा को 31.01.2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उनके द्वारा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के तौर पर कार्य करने तथा जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए प्रभावी रूप से 01.02.2020 को अधिकृत किया गया था।

5.1 अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के बैठक फीस

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को दी जाने वाली बैठक फीस निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	राशि (₹)
श्री अभिषेक महावर	6,40,000
सुश्री इंदु बाला	2,60,000
डॉ. जी.एम. रेड्डी	5,60,000
सुश्री मधुश्री एम. स्वामी	3,60,000
श्री संजय कुमार जैन	1,00,000

6. लागू कानूनों के साथ अनुपालन

कंपनी के पास विभिन्न वैधानिक और प्रक्रियात्मक अनुपालन की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली मौजूद है। बोर्ड समय–समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक और अन्य प्रक्रियात्मक अनुपालनों की स्थिति की समीक्षा करता है।

7. सर्वसाधारण सभा

7.1 पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तिथि, समय और स्थान का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	दिन और तारीख	समय	स्थान	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था
2016–17	शुक्रवार 22.09.2017	2.30 दोपहर बाद	सिल्वर ओक 1, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड नई दिल्ली –110003	हाँ
2017–18	बुधवार 05.09.2018	12.30 दोपहर	ग्रैंड बॉल रूम, द लीला पैलेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	नहीं
2018–19	सोमवार 30.09.2019	12.45 दोपहर	जैकरंडा हॉल हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003	नहीं

7.2 33वीं वार्षिक आम बैठक में 1 (एक) विशेष व्यवसाय शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

7.2 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 33 वीं वार्षिक आम बैठक होगी:

दिन तथा दिनांक	बुधवार, 11 नवंबर, 2020
समय	12.30 दोपहर
स्थान	सम्मेलन कक्ष –1, पहली मंजिल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40, मैक्स मुलर मार्ग, नई दिल्ली –110003।

8. सचिवीय लेखा–परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2019– 20 के लिए सचिवीय लेखा–परीक्षा मेसर्स बी. माथुर एवं कंपनी सेक्रेट्रीज, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई तथा उन्होंने अपनी सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट कंपनी को सौंप दी है। सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की प्रति वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

9. प्रकटीकरण

- भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" की अपेक्षानुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के नोट 38 (10) में किया जाता है।
- प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ भौतिक स्वरूप का ऐसा कोई लेन–देन कंपनी द्वारा नहीं किया गया था, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो। गैर–कार्यकारी निदेशक का उनके कार्यकाल में कंपनी के साथ आर्थिक या लेन–देन के विषय में कोई संबंध नहीं था। वित्त वर्ष 2019–20 में, श्री बी.पी. यादव को छोड़कर, गैर–कार्यकारी निदेशक में से कोई भी कंपनी का कोई शेयर नहीं रखता है। उनके पास भारत के राष्ट्रपति की ओर से शेयरों का स्वामित्व है। भारत के राष्ट्रपति नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं।
- कंपनी द्वारा वैधानिक गैर–अनुपालन के कोई उदाहरण नहीं मिले। पिछले 03 वर्षों के दौरान, पूँजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना, अवक्षेप नहीं लगाए गए।
- बैलेंस शीट, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ एवं हानि का विवरण एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के डिवीजन III के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका अनुपाल भारतीय लेखा मानक के साथ करने की जरूरत पड़ती है। कैश फ्लो से संबंधित भारतीय लेखा मानक 7 के अपेक्षानुसार नकदी प्रवाह का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को कोई अध्यक्षीय निर्देश जारी नहीं किया गया था;
- कंपनी ने कॉरपोरेट प्रशासन पर आधारित रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले सभी सुझाए गए आइटमों को अपनाया है।
- प्राप्त घोषणाओं के अनुसार, कंपनी के निदेशकों के बीच कोई अंतर–संबंध नहीं है।
- कंपनी ने कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया है, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए न हो।
- वर्ष 2019–20 के लिए कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 1.14% (पिछले वर्ष 3.01%) है और वर्ष 2019–20 के वित्तीय व्यय का प्रतिशत 1.62% (पिछले वर्ष 3.97%) है।
- डीपीई द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई), 2010 के लिए कॉरपोरेट प्रशासन पर आधारित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, तिमाही के समापन से 15 दिनों के भीतर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) वाली रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर ही नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।

10. संचार के माध्यम

कंपनी समग्र कॉरपोरेट प्रशासन फ्रेमवर्क में एक प्रमुख

तत्व के रूप में संचार को स्वीकार करती है और इसलिए सभी बाहरी क्षेत्रों के लिए निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार को स्वीकार करती है। कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठकों और वेबसाइट के माध्यम से जानकारियाँ उपलब्ध कराती है। अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम समाचार–पत्रों में प्रकाशित होते हैं। वही कंपनी की वेबसाइट अर्थात – www.ireda.in पर भी उपलब्ध होता है, और व्यापक प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जमा भी किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख किया गया है जिसमें दूसरी बातों के साथ–साथ लेखा–परीक्षित अकाउंट्स, निदेशक रिपोर्ट, लेखा–परीक्षक रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर आधारित रिपोर्ट तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल होती है, जो सदस्यों के साथ–साथ अन्य हकदार लोगों के लिए प्रसारित कर दी जाती है।

निम्नांकित तिथियों पर आवश्यकताओं के अनुसार प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में छमाही परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं।

आधे वर्ष की समाप्ति	प्रकाशन की तिथि (हिंदी और अंग्रेजी)	व्यावसायिक समाचार पत्रों का नाम
30.09.2019 (सीमित समीक्षा)	15.11.2019	द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी)
31.03.2020 (लेखा–परीक्षित)	01.08.2020	हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) और हिंदुस्तान (हिंदी)

11. लेखा–परीक्षा योग्यता

वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित कोई लेखा–परीक्षा योग्यता नहीं है।

12. बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण

यह जरूरत आधारित है। बोर्ड के सदस्यों ने अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशकों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नियुक्ति होने पर, बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्ट और आंतरिक नीतियों से सं.बंधित जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रियाओं और प्रथाओं से परिचित हो सकें। इसके अलावा, कंपनी के व्यवसाय और प्रदर्शन पर आधारित प्रजेंटेशन्स, बोर्ड मीटिंग में दी जाती हैं। कंपनी के कामकाज के साथ स्वतंत्र निदेशकों को परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी का विवरण यहाँ उपलब्ध है

http://www.ireda.in/writereaddata/Poli-cy1Familiarisation%20%20programme%20 of%20Independent%20Director.pdf

व्यवसाय से संबंधित सभी मुद्दों और नई पहलों पर उन्हें अपडेट रखने के लिए बोर्ड और समिति की बैठकों में समय–समय पर प्रेजेंटेशन्स दी जाती हैं।

13. सचेतक नीति

सेबी विनियम नीति के अनुपालन में बोर्ड द्वारा सतर्कता तंत्र / सचेतक नीति तैयार की गई थी और वही चलन में है। किसी भी कार्मिक को लेखा–परीक्षा कमेटी तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

14. डेबिंचर ट्रस्टियों का विवरण

कंपनी ने समय–समय पर डिबेंचर / बॉन्ड्स जारी किए हैं। डिबेंचर ट्रस्टी की वर्तमान श्रृंखला का विवरण नीचे दिया गया है

क. III से IX और XIV की श्रृंखला के लिए, भारत सरकार की पूरी तरह से सर्विस्ड बांड्स–नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मेसर्स विस्तरा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड प्लॉट नंबर सी–22, जी ब्लॉक, सातवीं मंजिल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (ईस्ट), मुंबई –400051

ख. XIII की श्रृंखला के लिए

मेसर्स एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड अपीजे हाउस, 6वीं मंजिल, वेस्ट विंग, 3, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई– 400 020

अनुलग्नक– IX

कॉरपोरेट प्रशासन अनुपालन प्रमाण–पत्र

सीआईएन : U65100DL1987GOI027265

अधिकृत पूँजी ₹ 60,00,00,00,000 / – (छह हजार करोड़ रुपये मात्र)

सेवा में,

सदस्यगण

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

हमने सीपीईएस, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए जारी कॉरपोरेट प्रशासन गाइडलाइंस ("दिशा–निर्देशों") के नियमों के अनुपालन को प्रमाणित करने के उद्देश्य से भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("कंपनी") के सभी प्रासंगिक रिकॉर्डों की जाँच की है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीईएस के लिए जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन के नियमों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। हमारी जाँच, प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह प्रमाण–पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता कि जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है, उसके लिए एक आश्वासन है।

पेश किए गए अभिलेखों के साथ–साथ दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचनाओं की अपनी जाँच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया है।

बी माथुर एंड कंपनी के लिए,

कंपनी सचिव

दिनांकः 01 अगस्त, 2020

स्थानः नई दिल्ली

सोनाक्षी चौरसिया

(पार्टनर)

एसीएसः 58636

सीओपी नं .: 22578

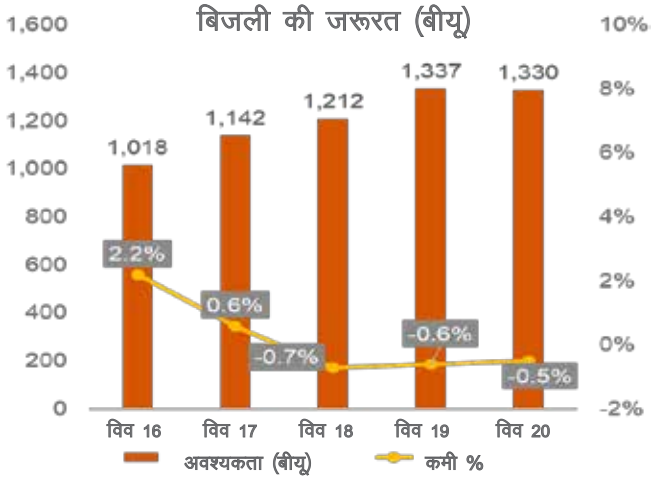
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

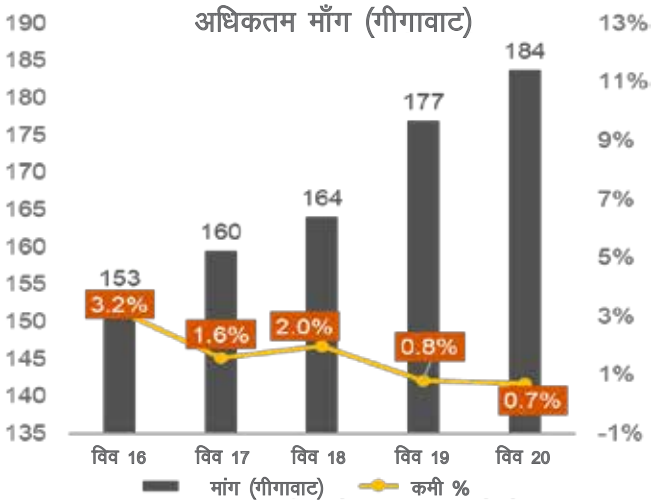
इरेडा का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान के कंपनी के प्रदर्शन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी महसूस करता है।

1. उद्योग संरचना एवं विकास

साल–दर–साल,अक्षय ऊर्जा क्षेत्र भारत में ग्रिड से जुड़े बिजली उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए समाधान के प्रमुख भाग के रूप में उभरने के साथ–साथ ऊर्जा तक पहुँच बनाने के लिए एक आवश्यक खिलाड़ी के रूप में उभरा है। साथ ही साथ, यह स्थायी विकास के एजेंडे का समर्थन भी करता है। भारत सरकार (जीओआई) ने अपतटीय पवन ऊर्जा, फ्लोटिंग सोलर पार्कों, हाइब्रिड परियोजनाओं और भंडारण प्रणाली पर ध्यान देने के साथ ही 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए अपने लक्ष्यों को संशोधित किया है। अक्षय ऊर्जा की ओर भारत सरकार के बढ़ते फोकस ने निवेश के आकर्षक अवसर प्रदान करने के साथ–साथ इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ भी पैदा किया है।

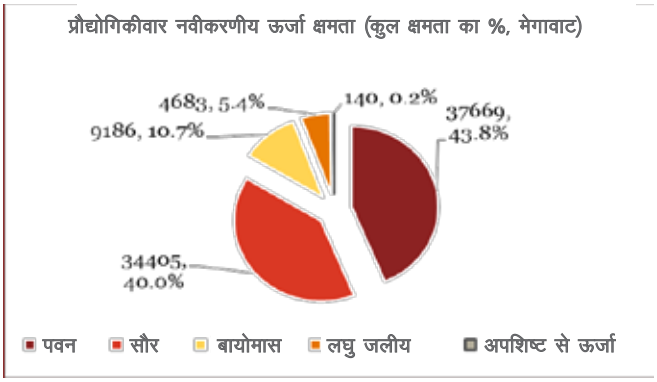
पिछले कुछ वर्षों में, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने देश की कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता एवं बढ़ती हिस्सेदारी दोनों के मामले में परिवर्तनकारी वृद्धि देखी है। भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता ऊर्जा बाजार बन गया है। भारत में अक्षय ऊर्जा का स्थान निवेशकों के दृष्टिकोण से बहुत आकर्षक हो गया है क्योंकि भारत बढ़ती ऊर्जा माँग के साथ ही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत वैश्विक ऊर्जा बाजारों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण देश होगा। भारत सरकार ऊर्जा स्वायत्तता प्राप्त करने के साथ–साथ सभी के लिए स्वच्छ, सस्ती, विश्वसनीय और स्थायी ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत ऊर्जा की क्षमता स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) बनाने की और वर्ष 2005 वाले स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता में 33% से 35% तक कम करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता जताई है।

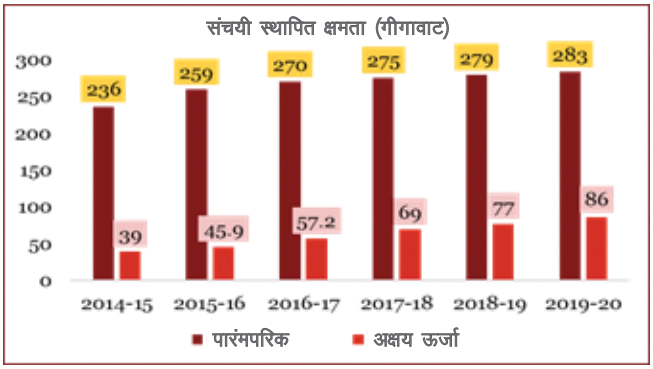




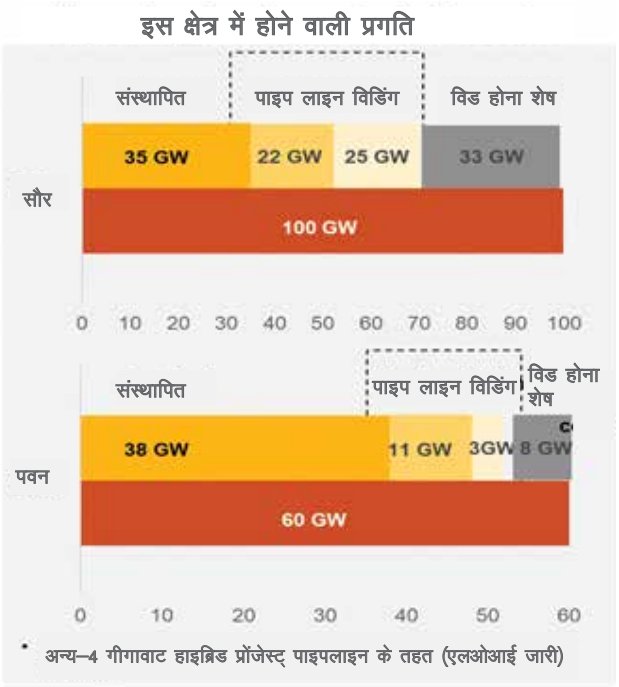
भारत की अधिकतम बिजली माँग तेज गति से बढ़ रही है। देश की अधिकतम बिजली माँग वित्त वर्ष –20 में 184 गीगावॉट तक पहुँच गई है। कोविड–19 लॉकडाउन के प्रभाव के कारण पहली दो तिमाहियों में माँग सुस्त बनी रही और धीरे–धीरे बढ़ रही है ।

भारत की जीडीपी वृद्धि में बिजली एक महत्वपूर्ण इनपुट बनी रहेगी और आने वाले वर्षों में देश के समग्र ऊर्जा पोर्टफोलियो में अक्षय ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होगी। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से संबंधित वास्तविक उच्च लक्ष्यों से अधिकाधिक ऊर्जा सुरक्षा, बेहतर ऊर्जा पहुँच और रोजगार के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही, कई विकसित देशों को भी पीछे छोड़ते हुए, भारत दुनिया के सबसे बड़े हरित ऊर्जा उत्पादकों में से एक बन जाएगा।





31 मार्च, 2020 तक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 86 गीगावाट से अधिक तक पहुँच गई है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिकल्पित लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए तैयार है। सौर ऊर्जा का हिस्सा बढ़ रहा है और नीचे की इमेज भारत में स्थापित क्षमता, पाइपलाइन के तहत और प्रचलित क्षमता की मात्रा को दर्शाती है।



पावर / नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र / सरकारी पहल के हालिया विकास / उपलब्धियाँ

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। माननीय प्रधान मंत्री नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास की वकालत कर रहे हैं और सतत विकास को बनाए रखने की दिशा में हरित ऊर्जा की संभावना को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है, "जब हम बड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ शुरू करते हैं, तो हम यह भी सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा के प्रति हमारा संकल्प जीवन के हर पहलू में दिखाई दे। सौर ऊर्जा के विकास की सराहना भरी अपनी कई टिप्पणियों में, उन्होंने इसे श्सुनिश्चित, शुद्ध और सुरक्षितश बताया है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने सरकार की नीतियों और योजनाओं को दिशा दी है जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखते हुए एक राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम):** रियल टाइम मार्केट्स (आरटीएम) की मंजूरी के बाद, सीईआरसी ने आईईएक्स पर जीटीएएम कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी दे दी है। जीटीएएम एक वैकल्पिक नया मॉडल है। इसे अक्षय डेवलपर्स द्वारा खुले बाजार में लंबी अवधि के पीपीए में शामिल

किए बिना ही बिजली सस्ते में बेचने के लिए पेश किया गया है। इसके अलावा, कथित तौर पर, इससे पहले एक उपयुक्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अनुपस्थिति में, यह देखा गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा–समृद्ध राज्य या तो नवीकरणीय ऊर्जा से पीछे हट रहे थे अथवा अपनी अधिशेष नवीकरणीय ऊर्जा को पारंपरिक बिजली के रूप में बेच रहे थे जोकि डिस्कॉम्स और नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर दोनों के लिए नुकसान का कारण बन रहा था। तो इस प्रकार, ये नवीकरणीय ऊर्जा जेनरेटर और डिस्कॉम्स अब अपनी अतिरिक्त बिजली को बेचने के लिए नए आला प्लेटफॉर्म – जीटीएएम – का उपयोग कर सकेंगे।

- मार्च 2020 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता पहले ही 86 गीगावॉट से अधिक हो गई है, जो कि भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 22% से अधिक है। 2027 तक 3सरी राष्ट्रीय बिजली योजना (एनईपी) के अनुसार, भारत का लक्ष्य निम्नानुसार स्थापित क्षमता बनाने की है:

सौर और पवन	275 गीगावाट
हाइड्रो	72 गीगावाट
नाभिकीय	15 गीगावाट
कोयला आधारित उत्पादन के लिए कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं	

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (सीपीएसयू) स्कीम के दूसरे चरण के लिए अनुमति दे दिया है, जिसके तहत 12 गीगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा सेटअप किया जाएगा। वीजीएफ अधिकतम ₹70 लाख / मेगावाट प्रदान किया जाएगा। यह योजना कुछ पूर्व शर्तो यानि – सभी स्वीकृत परियोजनाएँ केवल 'मेड इन इंडिया'सौर सेल और मॉड्यूल स्थापित करेंगी, और उत्पन्न बिजली की आपूर्ति सीधे सार्वजनिक संस्थाओं या डिस्कॉम्स के माध्यम से की जाएगी। इरेडा सीपीएसयू योजना को लागू करने की सुविधा देने वाली एजेंसी होगी।

- **बजट से संबंधित सहायता**
  - » रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर, रेल पटरियों के साथ एक बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना।
  - » यदि उत्सर्जन पूर्व निर्धारित मानदंडों से ऊपर हो तो पुराने थर्मल प्लांट बंद करने की उपयोगिताएँ।
  - » 2020–21 में बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को ₹22,000 करोड़।
  - » पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता को ₹344 बिलियन की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के साथ जोड़ना है।

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर / पवन ऊर्जा डेवलपर्स और एसईसीआई / एनटीपीसी के बीच हुए विवादों पर विचार करने के लिए जून, 2019 में एक विवाद समाधान तंत्र समिति का गठन किया है। बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण, अवधि के विस्तार से संबंधित मौजूदा अनुच्छेदों को स्पष्ट करने के लिए उक्त से संबंधित संशोधन दिसंबर 2019 में अधिसूचित किए गए थे। इसके अलावा, अवधि विस्तार 'से संबंधित विवाद के मामले में, विवाद समाधान समिति (डीआरसी) की फीस पर अधिकतम ₹1 करोड़ (जो पहले उल्लेख नहीं किया गया था) की एक कैप परिचित कराई गई है।

- अगले 2–3 वर्षों में आवासीय रूफटॉप सौर खंड में तेजी आने की उम्मीद है। इसके पीछे कारण, सरकारी नीति का समर्थन है। इसके तहत आवासीय उपभोक्ताओं को परियोजना लागत की 20–40% की पूँजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। राज्य स्तर पर, गुजरात ने एक ऐसे योजना की घोषणा की है जिसके अंतर्गत गुजरात सरकार मार्च 2022 तक 8,00,000 घरों की छतों पर 1,600 मेगावाट की क्षमता के सोलरों की स्थापना का लक्ष्य रखती है। उम्मीद है कि अन्य राज्य भी गुजरात की राह पर चलेंगे और समान सहायक नीतियों की पेशकश करेंगे।

- आईएसटीएस शुल्कों में छूट की अवधि में बढ़ौतरी विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 30 जून, 2023 से पहले कमीशन की गई सभी सौर एवं पवन परियोजनाओं पर अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क और नुकसान को माफ कर दिया है। यह भंडारण या बिना भंडारण के सभी सौर, पवन एवं हाब्रिड परियोजनाओं पर लागू होगा। नवीकरणीय खरीद शर्तों (आरपीओ) के साथ हस्तांतरण के साथ–साथ संस्थाओं को बिक्री हेतु कमीशन की तारीख से 25 वर्षों तक के लिए आईएसटीएस शुल्क माफ किया जाएगा।

- फ्लोटिंग सोलर पीवीरू फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी बांधों, जलाशयों, नहरों, झीलों और अन्य जल निकायों पर आधारित 280 गीगावाट की अनुमानित क्षमता के साथ ही भारतीय बाजार के लिए एक आकर्षक अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। सौर परियोजना विकास के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्धता से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए यह अवधारण पेश की गई थी। वैश्विक स्तर पर, इसके लागत में कमी करने वाले कारकों और सामग्री डिजाइन प्रौद्योगिकी में सुधार के परिणामस्वरूप,

'फ्लोटर्स' जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की लागत में कमी के कारण इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता बढ़ रही है। वर्तमान में, भारत के पास फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 1.7 गीगावॉट की पाइप लाइन है। संबंधित मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में इसकी मान्यता दी है और तेजी के साथ निविदाएँ निकालकर अपनी भूमिका निभाई है।

- अतिरिक्त स्वच्छ ईंधन की ओर चीनी मिलों में बायोमास आधारित कोजेनरेशन को बढ़ावा देने के लिए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बायोमास आधारित कोजेनरेशन कार्यक्रम को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है तथा दायरे, स्वरूप, कवरेज में कोई बदलाव किए बिना ही अन्य उद्योगों को बढ़ाया जाएगा।

- ऊर्जा भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा थर्मल पावर प्लांट के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है: पिछले वर्ष भंडारण निविदा जारी करने में वृद्धि हुई थी। मार्च 2020 में भंडारण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया। इसमें एसईसीआई 1200 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण निविदा की सफल नीलामी की गई है। इसके अंतर्गत अधिक माँग वाले समय में बिजली की आपूर्ति की गारंटी है। इस निविदा में, नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के रूप में सौर प्रणाली, पवन ऊर्जा प्रणाली या हाइब्रिड प्रणाली हो सकती है, साथ ही साथ, भंडारण के रूप में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, पंपयुक्त भंडारण प्रणाली, यांत्रिक एवं रासायनिक प्रणाली अथवा सबका संयोजन शामिल हो सकते हैं। ~ 3.9 गीगावॉट शुद्ध–प्ले विंड–सोलर हाइब्रिड (डब्ल्यूएसएच) परियोजनाएँ विकास के विभिन्न चरणों में हैं। ~ 4.5 गीगावॉट ऊर्जा भंडारण और ~ 1.1 गीगावॉट आरटीसी योजना (नवीकरणीय ऊर्जा और थर्मल) के हिस्से के रूप में, डब्ल्यूएसएच की अन्य परियोजनाएँ अगले एक साल में आने की उम्मीद है।

- पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्रों के लिए अपार संभावनाएँरू केंद्रीय एजेंसियों द्वारा समर्थित ~ 15 गीगावॉट डब्ल्यूएसएच बिजली की बिडिंग होने की अगले 5 वर्षों में उम्मीद है। डब्ल्यूएसएच के लिए टैरिफ की श्रेणियाँ आईएनआर 2.8– 2.9 / केडब्ल्यूएच डब्ल्यूएसएच के भंडारण के लिए टैरिफ की श्रेणियाँ: आईएनआर 4.04– 4.30 / केडब्ल्यूएच (भारित औसत) हैं।

- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर कोविड–19 का प्रभाव, कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, भारतीय अक्षय क्षेत्र बढ़ती अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के समर्थन में कई उपायों की घोषणा की है। चीन, अन्य देशों से आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित समस्याओं के मद्देनजर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक प्रावधान पेश किया है कि कोविड–19 के कारण परियोजना कमीशनिंग में किसी भी देरी को अप्रत्याशित घटना की स्थिति के रूप में माना जाएगा। मंत्रालय ने लाइन में लगी सभी सौर और पवन परियोजनाओं को 5 महीने का आच्छादित विस्तार प्रदान किया है।

- ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ: ऊर्जा मिश्रण में, नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ ही ऊर्जा भंडारण समाधानों से उन समस्याओं को हल करने की उम्मीद की जाती है जो बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से जुड़ी होती हैं जैसे कि अत्यधिक बिजली का उतार–चढ़ाव और भरोसेमंद बिजली की आपूर्ति। यह क्षेत्र इलेक्ट्रिकल ग्रिड, ऑफ ग्रिड और माइक्रो ग्रिड बाजार की संपूर्ण स्थिरता के महत्व द्वारा संचालित होता है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डीजल ऊर्जा की जगह लेती है।

- इलेक्ट्रिक वाहन: भारत सरकार के पास 2030 तक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट होने की महत्वाकांक्षी योजना है, ताकि तब तक भारतीय सड़कों पर चलने वाले प्रत्येक वाहन को बिजली से संचालित किया जा सके। सरकार ने भारत में एफएएमई–इंडिया (फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक विहीकल्स) के तहत 11 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए माँग से संबंधित प्रोत्साहनों को बढ़ाया है।

- सोलर पीवी विनिर्माण: पिछले पाँच वर्षों के दौरान, भारतीय डाउनस्ट्रीम बाजार में भेजे गए लगभग 85% मॉड्यूल चीनी निर्माताओं के हैं। मौजूदा सेल निर्माणरू पुरानी पीढ़ी की मल्टी–एसआई. एआई–बीएसएफ तकनीक के साथ कम क्षमता (<100 मेगावाट)। मॉड्यूल निर्माण पुराना है और आयातित सेल्स पर निर्भरता रहती है। भारत में कोई भी पॉलीसिलिकॉन / वेफर / इनगॉट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वित्तीय वर्ष –20 के दौरान, विनिर्माण सौर पीवी मॉड्यूल के 3 गीगावाट सहित सौर उत्पादन के 12 गीगावाट के साथ जुड़ी हुई सौर पीवी परियोजनाओं को एसईसीआई ने शुरू किया है।

- आयातित सौर पीवी मॉड्यूलों पर संरक्षण ड्यूटी (एसजीडी) की निरंतरता: घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और उनका संरक्षण करने के लिए एसजीडी को बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने चीन, थाईलैंड और वियतनाम

से आयातित सभी सौर सेल्स और मॉड्यूलों के लिए 30 जुलाई, 2020 से 29 जनवरी, 2021 तक 14.90% और 30 जनवरी, 2021 से 29 जुलाई, 2021 के बीच 14.50% शुल्क की घोषणा की है। संरक्षण शुल्क सौर सेल्स पर लागू होगा, चाहे वह मॉड्यूल में या पैनल में लगे हुए क्यों न हों बशर्ते, वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसूची –1 के अध्याय 85 के टैरिफ हेडिंग 85414011 और / या 85414012 के तहत वर्गीकरणीय हों।

- आरपीओ अनुपालनः भारत सरकार ने आरपीओ दायित्वों को लागू करने के लिए कई उपाय किए हैं। जीटीएएम, बिजली अधिनियम 2020 उनमें से कुछ प्रमुख उपाय हैं।

वैश्विक स्थिति – नवीकरणीय ऊर्जा

2019 के अंत में, वैश्विक अक्षय उत्पादन क्षमता 2537 गीगावॉट हो गई थी। 1190 गीगावॉट की क्षमता के साथ कुल वैश्विक उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रोपावर के क्षेत्र से आता है। पवन और सौर ऊर्जा क्रमशः 623 गीगावॉट और 586 गीगावॉट की क्षमता के साथ उसके बाद आता है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जाओं में 124 गीगावॉट का बायोएनेर्जी और 14 गीगावॉट का भू–तापीय ऊर्जा आता है, साथ ही साथ, उसमें 500 मेगावॉट समुद्री ऊर्जा भी शामिल है। 2019 में अक्षय उत्पादन क्षमता 176 गीगावॉट (+7.4%) तक बढ़ी है। सौर ऊर्जा क्षमता ने 98 गीगावॉट (+20%) की वृद्धि के दर्ज कराते हुए बढ़त बनाए हुए है, इसके बाद पवन ऊर्जा 59 गीगावॉट (+10%) का नंबर आता है। हाइड्रोपावर क्षमता में 12 गीगावॉट (+1%) की बढ़ौतरी हुई है और बायोएनेर्जी 6 गीगावॉट (+5%) बढ़ी है। जियोथर्मल ऊर्जा 700 मेगावाट से कम ही बढ़ी है।

2019 में कुल शुद्ध नवीकरणीय बढ़ौतरियों का 90% संयुक्त रूप से सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र से आता है तथा यही दोनों ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय क्षमता विस्तार में सबसे आगे–आगे हैं। हालाँकि, यह असामान्य उच्च हिस्सेदारी पिछले साल के जलविद्युत के बहुत कम विस्तार को दर्शा सकती है। 2019 में एशिया ने 54% नई क्षमता का आँकड़ा दर्ज कराया। अपनी अक्षय क्षमता को 95.5 गीगावॉट तक बढ़ाते हुए 1.12 टेरावाट (कुल वैश्विक का 44%) तक पहुँच गया। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में क्षमता क्रमशः 35 गीगावॉट (+6.6%) और 22 गीगावॉट (+6.0%) तक विस्तारित हुई। ओशिनिया और मध्य पूर्व सबसे तेजी से (क्रमशः 18.4% और 12.6%) बढ़ने वाले क्षेत्र थे। हालाँकि वैश्विक क्षमता में उनका हिस्सा छोटा है। अफ्रीका में अक्षय क्षमता का समान आँकड़ा है, लेकिन यहाँ केवल 2.0 गीगावॉट (+4.3%) की वृद्धि हुई। 2018 की तुलना में 2019 में, एशिया और अफ्रीका में क्षमता वृद्धि कुछ कम थी, लेकिन यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अधिक थी।

तालिका 1: शीर्ष 10 देश – सौर पीवी क्षमता

देश का रैंक	देश का नाम	दिसम्बर –19 तक स्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	चीन	205
2	जापान	61
3	अमेरीका	60
4	जर्मनी	49
5	भारत	34
6	इटली	20
7	इंग्लैंड	13
8	ऑस्ट्रेलिया	13.5
9	फ्रांस	10.5
10	कोरिया गणराज्य	10.4

तालिका 2: शीर्ष 10 देश– स्थापित पवन क्षमता

देश का रैंक	देश का नाम	दिसम्बर –19 तक स्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	चीन	205
2	अमेरीका	61
3	जर्मनी	60
4	भारत	49
5	स्पेन	34
6	इंग्लैंड	20
7	फ्रांस	13
8	ब्राजिल	13.5
9	कनाडा	10.5
10	इटली	10.4

2019 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में $282.2 बिलियन का निवेश किया गया था जोकि पिछले वर्ष की तुलना में $2 बिलियन अधिक है। पिछले साल के लिए कुल युटिलिटि–स्तरीय अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए $230.1 बिलियन का वित्त पोषण किया गया था। $265 बिलियन और $315 बिलियन के बीच में $50 बिलियन रेंज के उतार–चढ़ाव के साथ, 2014 से नवीकरणीय क्षमता में वैश्विक निवेश अपेक्षाकृत स्थिर है। लेकिन निवेश के भौगोलिक तौर पर विभाजित करने और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के बीच मिश्रण की बुनियाद पर शीर्ष आंकड़ों के भीतर, नई परिवर्धनों की इकाई लागतों से संबंधित बहुत–कुछ बदल रहा है।

2. संभावनाः

अर्थव्यवस्था के विकास के साथ–साथ, भारत में ऊर्जा की माँग कई गुना बढ़ गई है, जिससे यह दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। अप्रैल,

2019 से फरवरी, 2020 की अवधि के दौरान, बिजली की माँग में 2.2% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 5.4% की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, आपूर्ति में जनवरी, 2020 तक साल–दर–साल 3.6% की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की कमी 0.5% रह गई है।

अक्षय ऊर्जा में दुनिया भर के ट्रिलियन–डॉलर ऊर्जा उद्योग को बदलने की क्षमता है। अक्षय ऊर्जा में निवेश करने से भारत वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी उद्योगों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में सक्षम होगा। इससे कॉर्पोरेट भारत द्वारा विकास और नेतृत्व के नए अवसर हाथ आ सकते हैं। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र जो अवसरों और खूबियों से भरा हुआ है, निवेश के लिए तेजी से आकर्षण केंद्र बनता जा रहा है। भारत के ऊर्जा आपूर्ति मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के अलावा, भारत नवीकरणीय वस्तुओं का विनिर्माण केंद्र बन सकता है।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बजटीय आवंटन के मामले में लगातार बढ़ रहा है। इस बीच सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्षेपवक्र धीरे–धीरे 175 गीगावॉट के 2022 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रफ्तार पकड़ रहा है। कोविड–19 के रूप में एक अस्थायी ब्लिप ने पहले से तय की गई क्षमताओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। हालाँकि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समय पर हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, यह अनुमान है कि इन क्षमताओं का कार्यान्वयन थोड़ी देरी के साथ ही सही अपनी राह पर है।

3. वित्तीय और प्रचालन प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष के दौरान, कुल आय और स्वीकृत ऋण में वृद्धि हुई है। हालाँकि, आरबीआई के मानदंडों में बदलाव और कोविड–19 के कारण वित्तीय प्रदर्शन में मामूली कमी आई है।

कुल आयः वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 17.32% की वृद्धि दर्ज कराते हुए की कुल आय ₹2022.21 करोड़ से बढ़कर ₹2372.38 करोड़ दर्शाया है।

टैक्स के बाद लाभ(पीएटी): आपकी कंपनी का टैक्स के बाद लाभ (पीएटी), पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष की ₹249.91 करोड़ की तुलना में इस वित्त वर्ष के दौरान घटकर ₹214.55 करोड़ हो गया।

नेट वर्थः पिछले वित्त वर्ष की 2583.97 करोड़ की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत में कंपनी का नेट वर्थ घटकर ₹2521.32 करोड़ हो गया।

स्वीकृतियाँः वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹12696.11 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत ₹11941.87 करोड़ के ऋण पर 6.32% की वृद्धि उक्त वित्त वर्ष के दौरान दर्ज की गई है।

वितरणः वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹8785.31 करोड़ की राशि का ऋण वितरित किया है। पिछले वर्ष के ₹9385.37 करोड़ की तुलना में वितरण में 6.39% की कमी दर्ज की गई है।

4. ताकत, कमजोरी, संभावनाएँ और खतरे (स्वॉट)

ताकत,

भारत तेजी से ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। भारत सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा, फ्लोटिंग सोलर पार्कों, हाइब्रिड परियोजनाओं और भंडारण प्रणाली पर ध्यान देने के साथ ही 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए अपने लक्ष्यों को संशोधित किया है। अक्षय ऊर्जा की ओर भारत सरकार के बढ़ते ध्यान ने आकर्षक निवेश के साथ–साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को भी सृजन किया है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत नया केंद्र बन गया है इसलिए निवेशकों को आकर्षित करने और वैश्विक खिलाड़ियों द्वारा किए जाने वाले निवेश के लिए नवीकरणीय ऊर्जा सबसे आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि के लिए सहायक सरकारी नीतियाँ प्रमुख कारकों में से एक हैं।

इरेडा के पास 33 वर्षों का परिचालन अनुभव है और वह अपने ग्राहकों को उत्पादन (पारंपरिक एवं नवीकरणीय), हस्तांतरण एवं वितरण परियोजनाओं के साथ–साथ संबंधित नवीकरणीय एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं सहित परियोजना की अवधारणा से लेकर कमीशन के बाद के चरण तक के लिए वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करता है। भारत की अधिकतम बिजली माँग तेज गति से बढ़ रही है। देश की अधिकतम बिजली माँग वित्त वर्ष –20 में 184 गीगावॉट तक पहुँच गई है। कोविड–19 लॉकडाउन के प्रभाव के कारण पहली दो तिमाहियों में माँग सुस्त बनी रही और धीरे–धीरे बढ़ेगी।

भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र, दुनिया का चौथा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। सरकार के बढ़े हुए समर्थन और बेहतर अर्थशास्त्र के साथ ही, यह क्षेत्र निवेशकों के दृष्टिकोण से आकर्षक बन गया है। हालिया पहल के तहत, सरकार ने एक नई हाइड्रो नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के अनुसार, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति बनाकर इस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इससे पहले, केवल 25 मेगावाट क्षमता से कम की छोटी परियोजनाओं को ही अक्षय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस पाबंदी को हटाने के साथ ही, गैर–सौर

नवीकरणीय खरीद दायित्व नीति के तहत बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा, इस प्रकार बिजली खरीददार बड़ी पनबिजली परियोजनाओं से बिजली का एक हिस्सा मँगाने के लिए पाबंद होंगे।

कमजोरी

इरेडा के पास अपने छोटे पूँजी आधार के कारण उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं को ही वित्तपोषित करने की मजबूरी होती है। देर से, अधिकाधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ 500 मेगावाट की उच्च क्षमता के साथ आ रही हैं और इन परियोजनाओं के लिए बड़ी क्षमता के परिव्यय और एक आनुपातिक ऋण की आवश्यकता होती है। हालाँकि, इरेडा विवेकपूर्ण वित्तीय अनुशासन के ढाँचे के भीतर, खुद की अपनी पूँजी और नेट वर्थ पर विचार करते हुए ऐसी परियोजनाओं के लिए विवश पाता है। घरेलू और विदेशी बाजार से फंड जुटाने की क्षमता बढ़ाने के लिए इरेडा का पूँजी आधार बढ़ाना अत्यावश्यक है।

ऊर्जा शुल्क की कीमतों में लगातार गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि हुई है, लेकिन चिंताएँ ये हैं कि यदि शुल्क अप्रभावी स्तर तक गिरते हैं, तो डेवलपर्स रिटर्न बनाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ तकनीकी जोखिमों और प्रकृति से जुड़े जोखिमों के लिए अधिक संभावना हैं, बल्कि जोखिम अधिक हैं क्योंकि जुड़े हुए समय क्षितिज लंबे होते हैं और कुछ प्रौद्योगिकियाँ शुरूआती अवस्था में हैं। अपनी बिजली खरीद से संबंधित दायित्वों को पूरा करने में संस्थाओं की विफलता, कंपनी की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और परिसंपत्ति की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन और प्रभावी रणनीतियों को अपनाने पर ध्यान देना कंपनी की जरूरत बन जाती है। डिस्कॉम्स का कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य बिजली क्षेत्र की वृद्धि के लिए एक बड़ा जोखिम है।

अवसर

आपकी कंपनी बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण पर केंद्रित भारत में एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। इरेडा भारत में अग्रणी वित्तीय संस्थानों में से एक है जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह भारत में बिजली क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों हेतु एक रणनीतिक भूमिका निभाती है। इसके अलावा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 50 गीगावॉट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है, जो दो साल की अवधि 2020–21 (25 गीगावॉट) और 2021– 22 (25 गीगावॉट) के दौरान पूरा होगा। इससे इरेडा के लिए विशाल व्यापार अवसर पैदा होता है। कोविड–19 का प्रभाव मार्च के अंतिम दो हफ्तों के दौरान भारत में उभरने लगा था, हालाँकि आपकी कंपनी ने अपने संचालन को दूरस्थ रूप से प्रबंधित करने के लिए तेजी से अपने आपको अनुकूलित किया है। वास्तव में, लंबे समय से अतीत में न सँभाले जा पाने वाले कार्यालय से संबंधित मुद्दों को समाधान करते हुए, लॉकडाउन में भी, कंपनी अपने सभी व्यावसायिक गतिविधियों को सामान्य तरीके से जारी रखने में सक्षम रही है। जरूरत के मुताबिक तैयार हुए एक विशेष कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों का ऑनलाइन कौशल कई गुना बढ़ गया है।

इरेडा विभिन्न फंड आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें दीर्घकालिक परियोजना वित्तपोषण, अल्पकालिक ऋण, खरीदार की लाइन ऑफ क्रेडिट और ऋण पुनर्वित्त योजनाओं के साथ–साथ गैर–निधि आधारित सहायता शामिल है। वर्तमान घरेलू विनिर्माण, वर्तमान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और परियोजना के अधिकांश मॉड्यूल मुख्य रूप से चीन से आयात किए जाते हैं। सरकार की ओर से मिलने वाले मजबूत समर्थन के साथ ही घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई राजकोषीय प्रोत्साहन प्रचलन में हैं। 60 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर और अनुकूल नीतिगत ढाँचा द्वारा समर्थित 40 गीगावाट सुनिश्चित करने के लिए भारत की महत्वाकांक्षी योजना, पीवी निर्माण में एक अवसर प्रस्तुत करती है। सरकार घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई विनिर्माण नीति के साथ काम कर रही है।

खतरे, जोखिम और चिंताएँ

भारत के आर्थिक विकास में मंदी, कोविड–19 महामारी के निरंतर प्रभाव के साथ, कंपनी के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। कोविड–19 के अप्रत्याशित और व्यापक प्रकोप से वैश्विक अर्थव्यवस्था को कड़ा धक्का लगा है। इससे अब सभी इलाकों और क्षेत्रों में नई चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं। बिजली क्षेत्र को परियोजना निष्पादन कार्यक्रम में रुकावट, प्रवासी श्रमिकों का जाना, वित्त पर दबाव एवं तरलता की कमी जैसी नई समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि, नीतिगत रूपरेखा और संबंधित वित्तीय एवं उसके अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहनों पर निर्भर है। इन लाभों को कम करने या वापस लेने से एवं विदेशी मुद्रा के प्रतिकूल उतार–चढ़ाव से कंपनी के लिए जोखिम पैदा होते हैं, साथ ही साथ, उससे कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

बिजली उत्पादन व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए शुरुआत में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। प्रतिस्पर्धा तीव्र होती जा रही है, लेकिन कई खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त जगह होने के बावजूद, इनपुट्स और प्राकृतिक गैस की कमी और नियामक

बाधाओं ने नए प्रवेशकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सौर ऊर्जा का व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है, जो भारी टैरिफ के कारण अभी तक नहीं चुना गया है। हालाँकि, यह भविष्य में मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र के दृष्टिकोण से एक अवसर भी हो सकता है। इस क्षेत्र में दक्षता सुधार के उपाय, विशेष रूप से आईटी सक्षमता के माध्यम से, भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल अक्षय प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा बचत समाधानों को बढ़ावा देने से विभिन्न हितधारकों को व्यावसायिक अवसर मिलने की उम्मीद है।

चूँकि नवीकरणीय ऊर्जा देश में तीव्र गति से प्रवेश कर रही है, इसलिए बिजली के समय–निर्धारण, पूर्वानुमान और इष्टतम प्रेषण के लिए अधीनस्थ बाजारों की आवश्यकता है। कुछ राज्यों ने नवीकरणीय ऊर्जा पैठ के सुरक्षित स्तरों के बारे में चिंताएँ व्यक्त की हैं और बाजार में बैटरी, सुपर कैपेसिटर और पंप किए गए हाइड्रो सिस्टम जैसे संतुलन करने वाले भंडारों की पहचान की जा रही है।

कंपनी के संचालन को एक ही क्षेत्र, अर्थात केवल नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पाबंद बनाने हेतु आदेशित कर दिया गया है जिससे उसका क्षेत्रीय एकाग्रता जोखिम बढ़ रहा है। इसलिए, कम लागत के साथ संसाधनों की विवेकपूर्ण उगाही और उन निधियों को सबसे अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में लगाने को सुनिश्चित करना ही मुख्यतः कंपनी की लाभप्रदता और वृद्धि का प्रमुख कारक है। भारत में आर्थिक विकास में मंदी का प्रतिकूल असर इरेडा के कारोबार पर पड़ सकता है। इरेडा का प्रदर्शन और उसके व्यवसाय का विकास समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर निर्भर है।

5. जोखिम प्रबंधन रूपरेखा (फ्रेमवर्क)

कंपनी को विभिन्न जोखिमों जैसे कि क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और अन्य के बीच परिचालन जोखिम का सामना रहता है। कंपनी सक्रिय रूप से अपने संचालनों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पैदा होने वाले जोखिमों की पहचान करती है और जोखिमों को संबोधित करने और प्रबंधित करने के लिए समय पर ही कार्रवाई करती है। इरेडा ने एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया हुआ है और इरेडा में की जाने वाली सभी व्यावसायिक गति.विधियाँ उक्त नीति फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती हैं। कंपनी के वित्तीय स्थायित्व को बनाए रखने हेतु प्रचलित वैधानिक नियमों के अनुपालन में सामना किए जाने वाले अपेक्षित जोखिमों के प्रबंधन हेतु एक जोखिम खोजी फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए, उक्त फ्रेमवर्क को संगठन और उसके हितधारकों के पूँजी की रक्षा करने और मूल्य वृद्धि करने के उद्देश्य से अपनाया गया था।

इरेडा के पास जोखिम की पहचान करने और उसे कम करने तथा जोखिम प्रबंधन योजना बनाने, जोखिम प्रबंधन नीति की समय–समय पर समीक्षा करने आदि सहित अन्य उपाय करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति है। जोखिम प्रबंधन समिति के साथ–साथ, कंपनी के व्यवसाय के परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु कंपनी ने परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) का गठन करने का भी प्रस्ताव दिया है। समिति साइबर सुरक्षा की घटनाओं की समीक्षा करेगी और साइबर सुरक्षा संकट प्रबंधन को लागू करेगी। कंपनी के पास व्यापार के स्वरूप में निहित वसूली और एनपीए बनने के खतरे जैसे विभिन्न जोखिमों से निपटने के लिए एक मजबूत नीति है। कंपनी का एक अलग रिकवरी एवं मॉनिटरिंग ग्रुप है, जो स्ट्रेस्ड एवं नॉन–परफॉर्मिंग परिसंपत्तियों की रिकवरी पर काम करता है।

आरबीआई अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी. 099/03. 10.001/2018–19 के अनुपालन में कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए, निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की प्रक्रिया में शामिल होता है। कंपनी रिस्क मैनेजमेंट एवं रिकवरी और मॉनिटरिंग ग्रुप के अनन्य डिवीजनों के प्रमुख पेशेवरों को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से मामले को आगे बढ़ा रही है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका उपयोग

कंपनी ने एक आंतरिक नियंत्रण ढाँचा स्थापित किया है। इसे वित्तीय एवं परिचालन नियंत्रणों की पर्याप्तता, प्रभावशीलता और दक्षता का लगातार आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फ्रेमवर्क, वित्तीय एवं लेखा जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करती है, जवाबदेही को बढ़ावा देती है और धोखाधड़ी को रोकती है। प्रबंधन, संचालन के आकार और जटिलता के अनुरूप एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका काम आंतरिक नीतियों, लागू कानूनों, विनियमों के अनुपालन और संसाधनों एवं परिसंपत्तियों के संरक्षण का आश्वासन देना है। इस तरह की नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण, आंतरिक लेखा–परीक्षा कार्यों का एक हिस्सा होता है और इसे मैसर्स एसपीएमआर एंड एसोसिएट्स द्वारा संचालित किया जाता है।

बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति, समय–समय पर महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। कंपनी का परिचालन प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण वातावरण की बारीकी से निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सिफारिशें प्रभावी रूप से लागू हों।

7. मानव संसाधन / औद्योगिक संबंध

मानव संसाधन प्रबंधन, आपकी कंपनी में मजबूत कर्मचारी

संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी कंपनी लोगों को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में जानती है और इस संपत्ति का पोषण करने के लिए उसने एक खुली और पारदर्शी संस्कृति का निर्माण किया है। कर्मचारी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ–साथ संगठन के वास्तविक धरोहर भी हैं। कंपनी परिचालन के क्षेत्र में ऊँचाइयाँ अर्जित करने के लिए उन्हें काम में लगाते हुए और उनका ख्याल करते हुए उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों को अपने साथ जोड़े रखने में विश्वास रखती है। सही प्रतिभा को आकर्षित करना, विकसित करना और अपने साथ जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अनिवार्यता बनी रहेगी और संगठन इस ओर अपना अविभाजित ध्यान जारी रखेगा। कंपनी बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने पर जोर दे रही है और कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार सही भूमिकाओं पर जनशक्ति की कुशल तैनाती भी कर रही है।

उक्त वर्ष के दौरान, इरेडा ने 300 प्रशिक्षण श्रम–दिवस अर्जित किए हैं, जिसमें 15% से अधिक कर्मचारियों के लिए प्रमुख संस्थानों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से फायदा उठाने और विकास के लिए अवधारणाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए ''मंथली लेक्चर सीरीज'' का आयोजन इरेडा में आम बात बन गई है। कर्मचारियों के आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और व्यवहार विकास की दिशा में प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ भी नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

8. पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

कंपनी का संपूर्ण संचालन सतत विकास की ओर लक्षित है। अक्षय ऊर्जा एक पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा विकल्प है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का नवाचार और विस्तार ही ऊर्जा के एक स्थायी स्तर को बनाए रखने और हमारे ग्रह को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।

कंपनी पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य संस्कृति को विकसित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी न केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण करती है, बल्कि अपने उधारकर्ताओं को कुशल उपकरण स्थापित करने और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। कंपनी के पास पर्यावरण एवं सामाजिक पहलुओं के संबंध में राष्ट्रीय मानक और विभिन्न ऋणदाताओं की अपेक्षाओं की पुष्टि करने वाली एक पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) पर आधारित एक नीति है। इसके लिए एक अलग सेल भी है।

9. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) व्यवसायों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यों में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को समाहित करने की एक निरंतर प्रतिबद्धता है। यह केवल एक परोपकारी गतिविधि नहीं है, बल्कि सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु हर कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी भी है।

कंपनी के पास सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वन के लिए कंपनी की एक अलग सीएसआर इकाई है। इसके अलावा, सीएसआर की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए, कंपनी के पास एक बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति भी है। समिति ही कंपनी की सीएसआर नीति तैयार करने और उसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार होती है। सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट: www.ireda.in पर उपलब्ध है। इरेडा के पास कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वन के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, एक समर्पित सीएसआर इकाई भी है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹24.31 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनमें आकांक्षात्मक जिलों के विकास पर ₹9.81 करोड़, प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत निधि (पीएम–केयर्स) में 7.50 करोड़ रुपये के योगदान के साथ–साथ कुछ पॉकेट्स में हेल्थकेयर कर्मचारियों को पीपीई किट उपलब्ध कराने के लिए ₹37.25 लाख शामिल है। इसके अतिरिक्त, इरेडा ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर से पीएम–केयर्स फंड में 7.50 करोड़ का योगदान दिया है।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी अपने विकास के दर्शन के एक हिस्से के रूप में अपने सामाजिक दायित्व से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करती है। आपकी कंपनी सभी हितधारकों / समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

10. सेगमेंट–वाइज या प्रोडक्ट–वाइज पर्फॉर्मेंस

कंपनी भारत में चल रही है, इसलिए इसे केवल घरेलू सेगमेंट में संचालित करने के तौर पर माना जाता है। कंपनी के सभी संचालन एकल व्यवसाय खंड के रूप में माने जाते हैं, इसलिए कंपनी के पास कोई अलग रिपोर्ट योग्य सेग्मेंट नहीं है।

चेतावनी भरा वक्तव्य

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं और आँकलनों का वर्णन करने के दौरान प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में पेश किए गए विवरण वर्तमान व्यावसायिक वातावरण पर आधारित हैं। भारत और विदेशों दोनों ही में, भविष्य के आर्थिक तथा अन्य विकासों के आधार पर, वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित विवरण से भिन्न हो सकते हैं।

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सनदी लेखाकार)
जे–85, द्वितीय तल, गुलाटी कॉम्प्लेक्स,
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली –110027
टेलीफोनः 91–11–25454601, 41447118,
मोबाइल्सः 9811035821, 9811170568
ई–मेलः jnmitalco@rediffmail.com
jnmitalco@gmail.com
वेब–साइटः jnmitalco.com

सेवा में

सदस्य

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मंतव्य

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक का तुलन पत्र (बैलेंस शीट) और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव का विवरण, और तब समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट्स, इसके साथ –साथ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक विधि से और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2020 तक की कंपनी के मामलों की स्थिति के अनुसार, लाभ, और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस वर्ष उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष की नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मंतव्य का आधार

हमने अधिनियम (एसएएस) की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अप.नी लेखा परीक्षा (ऑडिट) की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के भाग लेखा परीक्षक (ऑडिटर) की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के लिए कंपनी के अधिनियम, 2013 प्रावधानों और नियमों के अंतर्गत स्टैंडअलोन भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ–साथ ऑडिट के लिए आवश्यक प्रासंगिक नैतिक मूल्यों का अनुसरण करने वाली एक स्वतंत्र कंपनी हैं । हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले की प्रमुखता

1. जैसा कि नोट 38 (44) (ए) में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वर्णित है, खातों के अतिदेय संबंध में लेकिन 29 फरवरी 2020 को मानक जहां अधिस्थगन लाभ प्रदान किया गया है, 31 मार्च 2020 को उन खातों का स्टेगिंग भारतीय रिजर्व बैंक कोविड–19 विनियामक पैकेज के अनुसार 29 फरवरी 2020 को यथोचित स्थिति के दिनों के आधार पर है।

2. जैसा कि नोट 38 (44) (बी) में स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्णित है, कोविड–19 महामारी का कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर प्रभाव भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं।

3. जैसा कि नोट 38 (21) (बी) में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वर्णित है, कंपनी ने तुलनात्मक अवधि में खातों का पुनः कथन किया है और इंड एएस 101 के पैरा डी13एए के अनुपालन के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए लेखांकन नीति को सुधार दिया है और सभी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं (हेज किए गए और हैज न किए गए), 31 मार्च 2018 को बकाया के रूप में पर एएस 11 का एएए 46 ए लागू किया गया। जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद लेन–देन रिजर्व अकाउंट (एफसीएमआईटीआर) और नकदी प्रवाह बचाव रिजर्व की तुलना में तुलनात्मक अवधि के लिए पुनः कथन हुआ ।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखा परीक्षा

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

अनु क्रमांक	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों की हानि – अपेक्षित क्रेडिट हानि** (देखें नोट संख्या 38 (39A (ii)) का स्टैंडअलोन Ind AS वित्तीय विवरण पठन लेखांकन नीति नंबर 3(xx) कंपनी निम्नलिखित के रूप में प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर परिशोधन लागत पर किए गए ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए–तीन–चरण मॉडल का अनुसरण करती है, • स्टेज 1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिन्हें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में क्रेडिट जोखिम अल्प है। • स्टेज 2 में ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिन्होंने प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि की है, लेकिन इसमें हानि के वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं है। • स्टेज 3 में ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनके पास रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के वस्तुनिष्ठ प्रमाण है। अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12–माह ईसीएल और चरण 2 के लिए जीवनकाल ईसीएल और चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। डिफॉल्ट की प्रायिकता, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और हानि देते हुए डिफॉल्ट के रूप में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया उत्पाद है, डिफॉल्ट (पीडी) की प्रायिकता – पीडी अपने वित्तीय दायित्व पर, या तो अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी), या दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) तक उधारकर्ता डिफॉल्टिंग की प्रायिकता का प्रतिनिधित्व करता है। हानि दिया गया डिफॉल्ट (एलजीडी)– एलजीडी एक डिफॉल्ट एक्सपोजर पर कंपनी के नुकसान की सीमा का अनुमान दर्शाता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, दावे के प्रकार और वरीयता और संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट समर्थन की उपलब्धता से भिन्न होता है। डिफॉल्ट (ईएडी) पर एक्सपोजर – ईएडी मूल्यांकन तिथि, जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है, पर बकाया जोखिम की मात्रा पर आधारित होता है, । अग्र–दर्शित आर्थिक जानकारी 12–महीने और आजीवन पीडी, ईएडी और एलजीडी को निर्धारित करने में शामिल की जाती है। अपेक्षित क्रेडिट हानि की अंतर्निहित धारणाओं की निगरानी और समीक्षा सतत रूप से की जाती है। आईसीआरए एनालिटिक्स, स्वतंत्र एजेंसी को इंड.स्ट्रीज दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक अपेक्षित क्रेडिट लॉस का विश्लेषण और गणना करने के लिए नियुक्त किया गया था। ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के ऊपर उल्लिखित मान्यताओं के किसी भी अनुचित आवेदन की स्थिति में, या तो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से ऋण दिया जा सकता है और स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज एएस वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए, ऋण की हानि हमारे ऑडिट में मुख्य संपत्तियों को मुख्य लेखा परीक्षा मैटर माना गया है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** हमने इंड एएस 109 "फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स", विभिन्न विनियामक अपडेट और कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के रूप में निर्दिष्ट क्रेडिट हानि के संबंध में दिशानिर्देशों की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को अप.नाया है: ऋण संपत्ति की निगरानी, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण हानि के आकलन के सापेक्ष मुख्य आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन और परीक्षण और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा किसी भी ऋण परिसंपत्ति खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाने के लिए विशाल और बलाघातित ऋण परिसंपत्तियों के परीक्षण के आधार पर ऋण परिसंपत्ति खातों के दस्तावेजों, संचालन / प्रदर्शन और निगरानी की सत्यापन / समीक्षा इस तरह की ऋण परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण और इससे अपेक्षित ऋण हानि सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के नियंत्रण तंत्र की समीक्षा कंपनी ने इंड एएस 109 दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना के लिए स्वतंत्र एजेंसी मैसर्स आईसीआर विश्लेषिकी को नियुक्त किया है और लेखा परीक्षक द्वारा उस पर अमल किया गया है।

2.	**आयकर का मामला** देखें नोट 38 (3 (ए)) कंपनी के पास विवाद के तहत मामलों के संबंध में सामग्री अनिश्चित कर का प्रावधान है जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। मूल्यांकन वर्ष 1998–1999 के आकलन वर्ष 2009–2010 के लिए आयकर मामलों को माननीय उच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर वापस संदर्भित किया गया था, जिसे आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेज दिया गया। मूल्यांकन अधिकारी ने अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर इन मामलों पर आदेश पारित नहीं किया था और कंपनी ने उपरोक्त आकलन वर्ष के लिए उठाए गए मांग के आधार पर करों को जमा किया था। इसलिए, रिटर्न के अनुसार देय कर से अधिक भुगतान की गई माँग वापस हो जाती है। उक्त वर्षों के लिए ब्याज के साथ धनवापसी करने के लिए विभाग को आवश्यक आदेश जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के साथ रिट दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया हैः – "इस बीच, उत्तरदाताओं को मूल्यांकन आदेशों को आगे बढ़ाने और पूरा करने की अनुमति दी जाती है और इस पर कोई प्रभाव नहीं डाला जाता है या कोई कार्रवाई नहीं की जाती है"	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाः** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में आयकर के साथ विवादित मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय आईटीएटी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की समीक्षा शामिल है। हमने इन अनिश्चित कर स्थिति पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया शुरू की।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई प्रासंगिक जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि अन्य जानकारी को पढ़ें और विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरण और हमारा ज्ञान या अन्य तरीके से मूर्त रूप से गलत विवरण प्रतीत होता है।

जब हमें अन्य जानकारी प्रदान की जाती है और पढ़ी जाती है, यदि यह लगता है कि इसमें जबर्दस्त रूप से कोई चूक है, तो हमें श्ऑडिटर की जिम्मेदारियों से संबंधित अन्य सूचनाएं एसए 720 के अंतर्गत इस संबंध में प्रशासनिक तौर पर दायी लोगों तक इस मामले को संप्रेषित करना चाहिए '।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी है जोकि वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), भारत में आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी में लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, साथ ही इसमें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित (''इंड एएस'') और अन्य लेखा सिद्धांतों के सह पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है, का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है. इस जिम्मेदारियों में निम्नलिखित भी शामिल है पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चिता प्रदान करते हुए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदनय उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान और डिजाइन, जोकि स्टैंडअलोन इंड एएस की वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक चूक विवरणों से मुक्त होते हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन इकाई की क्षमता का आकलन करने के लिए निकाय निम्न की क्षमता के मूल्यांकन हेतु जिम्मेदार होता है जारी रूप में संगठन को

चलाना, गतिशील संगठन से सं.बंधित मामलों को यथा प्रयोज्य प्रकट करना, जब तक प्रबंधन या तो इकाई को समाप्त करने या संच.ालन को रोकने का इरादा न रखता है या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प न हो, वर्तमान संगठन के लेखांकन के आधार का उपयोग करना।

निदेशक मंडल इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पूर्णरुपेण स्थूल गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे वो धोखाघड़ी से हो या त्रुटिवश हो, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव उपस्थित किसी स्थूल गलत बयानी का पता लगा पाएगी। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और इन्हें स्थूल माना जाता है, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ये यथोचित रूप से इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संदेह बरकरार रखते हैं।

- हम इंड एएस वित्तीय विवरणों की गलत बयानी के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे ये धोखेबाजी हो फिर या त्रुटिगत हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऐसे ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों।
- धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली स्थूल गलत बयानी का जोखिम त्रुटिगत गलत बयानी से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए परिस्थितियों में उपयुक्त प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता कैसी है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- हम जारी संगठन के लेखांकन के आधार को प्रबंधन द्वारा उप और प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या स्थूल अनिश्चितता उन घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित है जो गतिशील संगठन के रूप में समूह की क्षमता और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई स्थूल अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट पर इंड एएस के वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि अपनी राय को संशोधित करने के लिए इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हों। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई को वर्तमान में जारी संगठन व्यवस्था को सम.ाप्त कर सकता है।
- हम मूल्यांकन करते हैं कि इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री तथा खुलासों का, और यह भी देखते हैं कि क्या इंडस्ट्रीज के वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं जिसे निष्पक्ष प्रस्तुति कहा जा सके।
- हम इंड एएस के वित्तीय विवरणों बयानों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के भीतर की व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम इंडस्ट्रीज के वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। इंड एएस के वित्तीय विवरणों में शामिल

अन्य संस्थाओं के लिए, जिन्हें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है, इस तरह के अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई ऑडिट की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम केवल अपनी ऑडिट राय के लिए ही जिम्मेदार हैं।

हम कंपनी के प्रशासनिक प्रभारियों और इंड एएस के वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य निकाओं से संप्रेषण करते हैं, जिनके कि हम स्वतंत्र ऑडिटर हैं, अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का योजबद्ध स्कोप और समय, जिसमें ऑडिट के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पह.चानी गई कोई भी महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है।

हम प्रशासनिक प्रभारियों को इस आशय का एक वक्तव्य भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उनके साथ हमारी स्वतन्त्रता के उचित दायरे में सभी प्रकार के संबंधों और अन्य मामलों के बारे मेंयहाँ तक प्रयोज्य हो सुरक्षा उपायों के संबंध में उनसे संपर्क रखा गया है।

प्रशासन प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के के रूप में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, बशर्ते कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) के अनुसार आवश्यक है, कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) के अनुसार, हम ''अनुलग्नक–ए'', आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, आवश्यक सीमा के लिए और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (5) के संदर्भ में हम ''अनुलग्नक'' –बी में "भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध में जानकारी के संबंध में एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया, जो हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुरूप सर्वोत्तम थे।

   ख) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित खाते की उचित पुस्तकें कंपनी द्वारा अभी तक अनुरक्षित की गई हैं। ऐसा हमारे द्वारा संबंधित पुस्तकों की जांच से स्पष्ट होता है।

   ग) तुलन पत्र (बैलेंस शीट), अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह विवरण खाते की पुस्तकें लेखे की किताबों के अनुरूप हैं।

   घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, सह पठित कंपनियों के नियम 7 (लेखा) नियम, 2014, का अनुपालन करते हैं।

   ड़) चूंकि कंपनी एक सरकारी है, अतः धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, "अनुलग्नक–सी" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

   छ) कंपनी के नियम 11 (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

      i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. कंपनी के पास व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी स्थूल पूर्वदर्शित हानि नहीं थी

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

जे एन मित्तल और कं के लिए
सनदी लेखाकार,
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन
हस्ता / –
सीए आर मित्तल
साझीदार
सदस्यता संख्या 084470
यूडीआईएनः 20084470AAAAED7622
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–क

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के पैरा 1 में उल्लिखित अनुलग्नक "क";

1.क) कंपनी पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड बनाए हुए है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है;

ख) हमें सूचित किया जाता है कि प्रबंधन ने अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया था और इस तरह के सत्यापन में किसी प्रकार की विसंगतियां नहीं पाई गई थीं।

ग) प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी के नाम पर संपत्तियां आवंटित की गई हैं, लेकिन इंडिया हैबिटेट सेंटर और अगस्त क्रांति भवन, नई दिल्ली में इसके कार्यालय परिसर के मामलों में, और जंगपुरा में इसके आवासीय फ्लैट नई दिल्ली, शीर्षक कार्यों को अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।

2. कंपनी किसी भी प्रकार का आविष्कार नहीं करती है क्योंकि ऐसे प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

3. प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

4. अपने पूर्ण कालिक निदेशकों को दिए गए ऋणों के संबंध में, उन्हें धारा 185 के उपधारा 1 के तहत बहिष्करण में कवर किया गया है। धारा 186 का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वित्तीय कंपनियों के व्यवसाय में लगी हुई है। इसके अलावा धारा 186 के उपधारा 1 का प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी नहीं है।

5. कंपनी ने ऐसे किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और कंपनी अधिनियम की धारा 73 और 76 या किसी भी अन्य संबंधित प्रावधान और नियमों के प्रावधान लागू होते हैं ।

6. प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सौर संयंत्र के संबंध में, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित किया है, और उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं।

कंपनी के मामले में आवश्यकतानुसार आगामी खाते और रिकॉर्ड बनाए और अनुरक्षित किए गए हैं।

7.क) रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी आम तौर पर उचित प्राधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया जैसे कि भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया नियमित रूप से जमा करा रही है।

ख) कंपनी निम्नलिखित मामलों में अपील में है:

अधिनियम का नाम	विषय मूल्यांकन वर्ष	राशि रु. करोड़ में	फोरम
आयकर अधिनियम, 1961	2010–11	13.44	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2011–12	14.96	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2012–13	15.19	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2013–14	22.16	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2014–15	15.47	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2015–16	23.11	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2016–17	27.61	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2017–18	53.37	सीआईटी (अपील)

8. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या डिबेंचर धारकों का बकाया चुकाने से कंपनी नहीं चूकी है।

9. कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों से बांड और आवधिक ऋण के माध्यम से धन जुटाया है और धन का उपयोग दीर्घकालिक परियोजनाओं और अल्पकालिक ऋण के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

10. जानकारी के अनुसार, प्रदान किए गए स्पष्टीकरण, कंपनी द्वारा या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को देखा या रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि, नोट 38 (45) को देखें, अन्य कंसोर्टियम उधारदाताओं द्वारा एक धोखाधड़ी का पता लगाया गया था, जिसमें एक पार्टी के 5,107.95 लाख रुपये के ऋण से संबंधित था। ।

11. सरकारी कंपनी होने के नाते, 5 जून, 2015 को जारी एमसीए अधिसूचना के संदर्भ में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12. कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

13. प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां भी प्रयोज्य हो, और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार जैसा आवश्यक है वित्तीय विवरणों आदि में खुलासा किया गया है।

14. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।

15. प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।

16. हाँ। कंपनी की आवश्यकता है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–Iए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है।

जे एन मित्तल और कं के लिए
सनदी लेखाकार,
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

हस्ता / –
सीए आर मित्तल
साझीदार
सदस्यता संख्या 084470
यूडीआईएनः 20084470AAAAED7622
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध–ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश।

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है?

   यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ खातों के एकीकरण पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।

   उत्तर: कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने के लिए सिस्टम (प्रणाली) है। उपलब्ध किए गए हमारे सत्यापन और जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ खातों के एकीकरण पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के कोई निहितार्थ नहीं हैं।

2. कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा छूट / ऋण को बट्टे खाते में डालना / ऋण / ब्याज आदि के पुनर्गठन का कोई मामला है या नहीं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।

   उत्तर: प्रदान किए गए हमारे सत्यापन और सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, एक मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है और ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि के छूट का कोई मामला नहीं है, जो कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी के लिए एक ऋणदाता द्वारा किया गया है। ।

   क्या विशिष्ट योजनाओं के लिए केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से प्राप्त धनराशि / प्राप्य को उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखे में दर्ज किया / उपयोग किया गया था?

3. विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।

   उत्तर: कंपनी को केंद्रीय एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धन प्राप्त हुआ है। उपलब्ध कराए गए हमारे सत्यापन और जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, निधियों का सही तरीके से इसकी शर्तों के अनुसार लेखा–जोखा रखा गया/उपयोग किया गया।

जे एन मित्तल और कं के लिए

सनदी लेखाकार,

फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

हस्ता / –

सीए आर मित्तल

साझीदार

सदस्यता संख्या 084470

यूडीआईएनः 20084470AAAAED7622

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30 जुलाई 2020

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुबंध–ग

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (1) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड (कंपनी) की स्टैंडअलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर, 31 मार्च, 2020 तक की, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ मिलकर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:–पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक मंतव्य व्यक्त करना है। हमने वित्तीय लेखा परीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा ("मार्गदर्शन नोट") और लेखा परीक्षण के मानकों पर दिशानिर्देश नोट, आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत जिसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए आवश्यक सीमा तक निर्धारित माना जाता है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के एक ऑडिट के लिए लागू होते हैं और दोनों भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी स्थूल मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियायों का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में शामिल हैं वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, कोई स्थूल कमजोरी मौजूद है इस जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम पर आंतरिक नियंत्रण ठिकानों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटिगत हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरे / हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत

लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो:

1. अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं

2. उचित आश्वासन दें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए लेन–देन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं तथा

3. कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पहचान या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर एक स्थूल प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड (उल्लंघन) की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और इसका पता न लगे, साथ ही, भविष्य के समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

मंतव्य

हमारी राय में, निम्नलिखित के अलावा, कंपनी को 31 मार्च, 2020 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, समस्त स्थूल मामलों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है,

क) समीक्षा किए जाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल।

ख) अद्यतन किए जाने वाले अभिलेखों के रखरखाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली।

ग) विविध शीर्षकों के तहत आय के संबंध में आईटी सक्षम प्रक्रिया की तैयारी प्रगति पर है।

जे एन मित्तल और कं के लिए
सनदी लेखाकार,
फर्म की पंजीकरण संख्या: 003587एन

हस्ता / –
सीए आर मित्तल
साझीदार
सदस्यता संख्या 084470
यूडीआईएन: 20084470AAAAED7622
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जुलाई 2020

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सनदी लेखाकार)
जे–85, द्वितीय तल, गुलाटी कॉम्प्लेक्स,
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली –110027
टेलीफोनः 91–11–25454601, 41447118,
मोबाइल्सः 9811035821, 9811170568
ई–मेलः jnmitalco@rediffmail.com
jnmitalco@gmail.com
वेब–साइटः jnmitalco.com

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड

नई दिल्ली –110066

प्रिय सदस्यों,

कंपनी के लिए लागू सीमा तक निर्दिष्ट मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा परीक्षा की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) के निदेश, 2016 के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि

1. यह कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन पर अपने पूर्व प्रमाण पत्र संख्या 14.000012 दिनांक 10 फरवरी 1998 के बदले 23 जनवरी, 2008 को जारी किए गए मान्य प्रमाण पत्र संख्या 14.000012 के साथ, गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय में कार्यरत है

2. कंपनी 31 मार्च, 2020 तक अपने प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया (फाइनेंशियल एसेट / इनकम पैटर्न) के संदर्भ में ऐसे COR (कॉर) को जारी रखने की हकदार है।

3. यह कंपनी मास्टर दिशा – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी– प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) के निर्देशों, 2016 के तहत आवश्यक शुद्ध स्वामित्व निधि की आवश्यकता को पूरा कर रही है।

4. निदेशक मंडल ने 25 अप्रैल, 2020 को संकल्प लिया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं करेगी।

5. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है।

6. गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी में परिभाषित एनबीएफसी को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा के संबंध में–

   प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) के निर्देश, 2016:

   क) बैंक को प्रस्तुत किए गए वार्षिक रिटर्न में प्रकट किया गया पूंजी पर्याप्तता अनुपात सही आया है और ये अनुपात बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन करता है।

   ख) कंपनी ने बैंक को निर्धारित अवधि के भीतर पूंजीगत धन, जोखिम परिसंपत्तियां / जोखिम और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया है।

7. गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी को प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर–जमा कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

8. कंपनी ने आय मान्यता, विवेकपूर्ण मानदंडों और संपत्ति वर्गीकरण से संबंधित आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के संदर्भ में आईआरईडीए के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बुरे और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का अनुपालन किया है। कंपनी ने कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुरूप लेखांकन मानकों का अनुपालन भी किया है।

जे एन मित्तल और कं के लिए
सनदी लेखाकार,
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

हस्ता / –
सीए आर मित्तल
साझीदार
सदस्यता संख्या 084470
यूडीआईएनः 20084470AAAAED7622
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई 2020

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (इ) के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास की मानक वित्तीय स्थिति पर भारत के नियंत्रक और महा लेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी के अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत, जोकि 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है, वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं ऐसा करना उनके द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2020 के अपने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन द्वारा कहा गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य संगत कागजात तक पहुँच बनाए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से की गई पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक ही सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

के लिए और की ओर से

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

हस्ता /–

संजय कुमार झा

लेखा परीक्षा के महानिदेशक

(पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग)

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 27/10/2020

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड

31 मार्च, 2020 तक का स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(रू. लाख में)

अनु क्रमांक	ब्यौरे	नोट नं	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
I	**आस्तियां**			
क)	**वित्तीय आस्तियाँ**			
	(क) नकद और नकद समकक्ष	2	98,840.37	55,730.76
	(ख) बैंक बैलेंस से (क) अन्य ऊपर	3	58,731.37	49,603.78
	(ग) व्युत्पन्न वित्तीय साधन	4	71,255.99	15,432.55
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यापार प्राप्य	5	312.98	239.59
	(II) अन्य प्राप्य		-	-
	(ड़) ऋण	6	2,297,768.68	2,098,598.17
	(च) निवेश	7	12.00	12.00
	(छ) अन्य वित्तीय आस्तियां	8	2,486.44	2,847.34
	कुल (क)		**2,529,407.84**	**2,222,464.18**
ख)	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) कर की संपत्ति (शुद्ध)	9	16,506.40	13,842.79
	(ख) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	10	14,264.10	6,856.39
	(ग) निवेश संपत्ति	11	5.09	6.10
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	12	26,468.39	30,269.45
	(ड़) पूंजी कार्य–प्रगति	13	0.86	0.86
	(च) उपयोग की संपत्ति का अधिकार	14	1,714.60	-
	(छ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	15	-	-
	(ज) अमूर्त संपत्ति	16	16.39	21.50
	(झ) अन्य गैर–वित्तीय संपत्ति	17	176,808.49	178,335.35
	कुल (ख)		**235,784.33**	**229,332.44**
	कुल संपत्ति (क+ख)		**2,765,192.17**	**2,451,796.62**
II.	ऋण और शेयर			
	देयताएं			
क)	वित्तीय देनदारियों			
	(क) व्युत्पन्न वित्तीय साधनों	4	6,788.00	26,592.36
	(ख) देय			
	(I) व्यापार भुगतान	18		
	(i) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		45.09	60.47
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		6,535.05	12,556.11
	(ग) ऋण प्रतिभूति	19	926,758.64	761,246.83

(रू. लाख में)

अनु क्रमांक	ब्यौरे	नोट नं	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूति के अलावा)	20	1,243,625.87	1,099,076.95
	(च) अधीनस्थ दायित्व	21	14,970.00	14,967.88
	(छ) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	22	94,064.47	87,620.19
	कुल (क)		**2,292,787.10**	**2,002,120.78**
ख)	गैर–वित्तीय दायित्व			
	(क) प्रावधान	23	45,581.35	16,921.74
	(ख) स्थगित कर देयता (शुद्ध)	10	-	-
	(ग) अन्य गैर–वित्तीय दायित्व	24	174,691.86	174,357.53
	कुल (ख)		**220,273.21**	**191,279.27**
ग)	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर कैपिटल	25	78,460.00	78,460.00
	(ख) अन्य इक्विटी	26	173,671.85	179,936.57
	कुल (ग)		**252,131.85**	**258,396.57**
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख+ग)		**2,765,192.17**	**2,451,796.62**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1

वित्तीय विवरण पर नोट्स 38

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अनुसार

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकर
ICAI Regn No.- 003587N

हस्ता/–
आर. मित्तल
साझीदार
एम. नंबर 084470

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–
डॉ. आर. सी. शर्मा
महाप्रबंधक
(वित्त) और सी.एफ.ओ.

हस्ता/–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन नंबर 07795952

हस्ता/–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 07448576

हस्ता/–
सुरेंद्र सुयाल
कंपनी सचिव
एम. नंबर ए11900

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.07.2020

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण

(रू. लाख में)

अनु क्रमांक	ब्यौरे	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ
I	**संचालन से राजस्व**			
i)	ब्याज आय	27	224,658.02	193,320.13
ii)	शुल्क और कमीशन आय	28	2,162.65	2,370.38
iii)	व्युत्पन्न पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ	29	7,165.33	3,434.80
iv)	सौर संयंत्र संचालन से शुद्ध राजस्व	30	2,745.99	2,831.31
	परिचालन से कुल राजस्व (I)		**236,731.98**	**201,956.61**
II	अन्य आय	31	506.18	264.24
III	**कुल आय (I+II)**		**237,238.17**	**202,220.85**
IV	**व्यय**			
i)	वित्तीय लागत	32	145,920.61	118,290.25
ii)	शुद्ध रूपांतरण / लेन–देन विनिमय हानि	33	4,064.67	5,857.14
iii)	वित्तीय साधनों पर हानि	34	51,809.07	26,586.54
iv)	कर्मचारी लाभ व्यय	35	4,697.50	4,433.19
v)	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	36	2,281.20	2,335.62
vi)	अन्य व्यय	37	2,434.80	4,934.42
vii)	निगम सामाजिक जिम्मेदारी व्यय	38(28)	1,919.04	1,255.53
	कुल व्यय (IV)		**213,126.89**	**163,692.69**
V	असाधारण वस्तुओं और कर (तृतीय–चतुर्थ) से पूर्व लाभ (हानि)		24,111.28	38,528.16
VI	असाधारण वस्तुएं		-	7,432.87
VII	**कर से पहले लाभ (हानि) (V-VI)**		**24,111.28**	**31,095.29**
VIII	**कर व्यय**			
	(I) वर्तमान कर	38(30)	10,013.33	13,888.32
	(II) स्थगित कर		(7,357.10)	(7,783.63)
IX	सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ / (हानि) (VII-VIII)		21,455.04	24,990.60
X	**इस अवधि में लाभ / (हानि)**		**21,455.04**	**24,990.60**
XI	**अन्य व्यापक आय**			
क)	(i) वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्पापनः –			
	उपदान		(53.90)	38.28
	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		(150.47)	(41.77)
	सामान भत्ता		(1.05)	(0.17)
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		50.62	(24.30)

(रू. लाख में)

अनु क्रमांक	ब्यौरे	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ
	उप–योग (क)		**(154.80)**	**(27.96)**
ख)	(i) वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा			
	नकदी प्रवाह बचाव रिजर्व में हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट पर लाभ / (हानि) का प्रभावी हिस्सा		39,479.61	3,115.32
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(4,386.67)	(611.68)
	उप–योग (ख)		**35,092.94**	**2,503.64**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**34,938.14**	**2,475.68**
XII	अवधि के लिए (X + XI) कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभप्रद लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय)		**56,393.18**	**27,466.28**
XIII	प्रति शेयर आय अर्जित करना (सतत संचालन के लिए) (वार्षिक)			
	मूल (रू.)	38(13)	2.73	3.19
	डाइल्यूटेड (द्रवित) (रू.)		2.73	3.19

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1

वित्तीय विवरण पर नोट्स 38

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अनुसार

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकर
ICAI Regn No.- 003587N

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–
आर. मित्तल
साझीदार
एम. नंबर 084470

हस्ता/–
डॉ. आर. सी. शर्मा
महाप्रबंधक
(वित्त) और सी.एफ.ओ.

हस्ता/–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन नंबर 07795952

हस्ता/–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.07.2020

हस्ता/–
सुरेंद्र सुयाल
कंपनी सचिव
एम. नंबर ए11900

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

क	इक्विटी शेयर कैपिटल	(रु. लाख में)
	शेष राशि 01.04.2018 तक	78,460.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
	31.03.2019 तक शेष राशि	78,460.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
	31.03.2020 तक शेष राशि	78,460.00

ख अन्य इक्विटी

(रू. लाख में)

ब्यौरे	रिजर्व और सरप्लस										नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग*	कुल
	सामान्य रिजर्व	विशेष रिजर्व	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	आस्थगित अनुदान				एनबी एफसी रिजर्व	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण रिजर्व*		
				फिक्स्ड आस्तियों के लिए विश्व बैंक से पूंजी अनुदान	नीदरलैंड सरकार की ओर से अनुदान	विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त	अन्य पूंजी अनुदान					
शेष राशि 01.04.2018 तक	95,567.70	73,651.13	16,651.93	1.99	1,678.59	8,394.84	601.44	-	(1,921.11)	(21,640.40)	(10,163.53)	**162,822.59**
त्रुटियों के सुधार का प्रभाव (नोट 38 देखें (21))	2,053.77	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,722.93)	22,722.93	**2,053.77**
01.04.2018 को बहाल शेष	97,621.47	73,651.13	16,651.93	1.99	1,678.59	8,394.84	601.44	-	(1,921.11)	(44,363.33)	12,559.40	**164,876.36**
अवधि के लिए लाभ									24,990.60			**24,990.60**
अन्य व्यापक आय (करों का जाल) के माध्यम से मान्यता											(9,907.23)	**(9,907.23)**
अन्य व्यापक आय									(27.96)			**(27.96)**
31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	**24,962.65**	-	**(9,907.23)**	**15,055.42**
वर्ष के दौरान रिजर्व में रूपांतरण	10,676.86	9,000.00	4,629.11	(1.99)	(1,678.59)	(8,394.84)	(601.44)	4,882.69	(18,511.80)			-
वर्ष के दौरान दीर्घावधि के मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा रूपांतरण हानि										(106.10)		**(106.10)**
वर्ष के दौरान परिशोधन										2,738.90		**2,738.90**
लाभांश									(2,183.50)			**(2,183.50)**
कॉर्पोरेट लाभांश कर									(444.51)			**(444.51)**
31.03.2019 तक शेष राशि	**108,298.33**	**82,651.13**	**21,281.04**	-	-	-	-	**4,882.69**	**1,901.72**	**(41,730.53)**	**2,652.17**	**179,936.57**
त्रुटियों के सुधार का प्रभाव (नोट 38 देखें (21))										(12,410.86)	12,410.86	-

(रू. लाख में)

ब्यौरे	रिजर्व और सरप्लस										नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग*	कुल
	सामान्य रिजर्व	विशेष रिजर्व	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	आस्थगित अनुदान				एनबी एफसी रिजर्व	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण रिजर्व*		
				फिक्स्ड आस्तियों के लिए विश्व बैंक से पूंजी अनुदान	नीदरलैंड सरकार की ओर से अनुदान	विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त	अन्य पूंजी अनुदान					
शेष राशि 31.03.2019 तक	108,298.33	82,651.13	21,281.04	-	-	-	-	4,882.69	1,901.72	(54,141.39)	15,063.03	**179,936.57**
अवधि के दौरान लाभ									21,455.04			**21,455.04**
अन्य व्यापक आय (करों का जाल) के माध्यम से मान्यता									(154.80)		35,092.94	**34,938.14**
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	**21,300.24**	-	**35,092.94**	**56,393.18**
वर्ष के दौरान रिजर्व में रूपांतरण	(20,000.00)	10,820.32	4,629.11					4,300.00	250.57			-
वर्ष के दौरान दीर्घावधि के मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा रूपांतरण हानि										(51,252.72)		**(51,252.72)**
वर्ष के दौरान परिशोधन										4,048.81		**4,048.81**
लाभांश									(12,819.00)			**(12,819.00)**
निगम लाभांश कर									(2,634.98)			**(2,634.98)**
31.03.2020 तक शेष राशि	**88,298.33**	**93,471.45**	**25,910.15**	-	-	-	-	**9,182.69**	**7,998.56**	**(101,345.30)**	**50,155.97**	**173,671.85**

* नोट 38 देखें (21)

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण रिजर्व के शेष में 61,804.60 लाख रुपये (विगत वर्ष 35,133.80 लाख रुपये) की हेज की गई वस्तुओं पर एक विदेशी मुद्रा रूपांतरण हानि शामिल है, जिसके विरुद्ध नकद प्रवाह हेज रिजर्व के शेष में शामिल 48,511.41 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,920.22 लाख रुपये) के व्युत्पन्न पर उचित मूल्य परिवर्तन का लाभ है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1

वित्तीय विवरण पर नोट्स 38

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अनुसार

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकर
ICAI Regn No.- 003587N

हस्ता/–
आर. मित्तल
साझीदार
एम. नंबर 084470

हस्ता/–
डॉ. आर. सी. शर्मा
महाप्रबंधक
(वित्त) और सी.एफ.ओ.

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन नंबर 07795952

हस्ता/–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 07448576

हस्ता/–
सुरेंद्र सुयाल
कंपनी सचिव
एम. नंबर ए11900

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.07.2020

भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकद प्रवाह विवरण

(रू. लाख में)

	ब्यौरे		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
क	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाहः**					
	कर देने से पूर्व लाभ		24,111.28		31,095.29	
	के लिए समायोजनः					
	1	अचल आस्तियां/समायोजन (शुद्ध) की बिक्री पर हानि	0.16		(0.02)	
	2	वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि	51,809.07		26,586.54	
	3	मूल्यह्रास	2,281.20		2,335.62	
	4	लीज देनदारी पर ब्याज	10.63		-	
	5	शुद्ध रूपांतरण / लेन–देन विनिमय हानि	4,064.67		5,857.14	
	6	प्रावधान पुनः लिखित	(10.52)		(19.34)	
	7	मसाला बॉन्ड अनुदान का परिशोधन	(130.94)		(27.33)	
	8	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	(205.42)		(3.66)	
	9	ऋण प्रतिभूतियों पर प्रभावी ब्याज दर	211.80		174.34	
	10	ऋण प्रतिभूति के अलावा अन्य पर प्रभावी ब्याज दर	3.17		(10.00)	
	11	उप ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	2.12		(32.12)	
	12	ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	1,958.50		2,796.55	
	13	व्युत्पन्न पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ	(7,165.33)		(3,434.80)	
	परिचालन परिसंपत्तियों/देयताओं में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**76,940.39**		**65,318.21**	
	परिचालन परिसंपत्तियों / देनदारियों में वृद्धि (कमी)					
	1	ऋण	(224,663.12)		(557,107.03)	
	2	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	360.89		(7,215.13)	
	3	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	1,526.85		46.33	
	4	व्यापार प्राप्य	(73.39)		1,952.03	
	5	अन्य गैर–वित्तीय दायित्व	421.58		(251.77)	
	6	अन्य वित्तीय देनदारियां	6,352.38		7,334.33	
	7	देय व्यापार	(6,036.44)		(1,273.86)	
	8	बैंक शेष नकद और नकद समकक्ष के अलावा	(9,127.59)		3,821.80	
	9	प्रावधान	428.34		(171.43)	
			(278,014.40)		**(562,642.79)**	
	असाधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह					
	असाधारण वस्तु		-		7,432.87	
	कर से पहले संचालन से उत्पन्न नकद		**(201,074.02)**		**(489,891.71)**	
	आयकर		(17,063.61)		(11,909.77)	
	संचालन से उत्पन्न शुद्ध नकद			**(218,137.63)**		**(501,801.49)**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**					
	1	अचल आस्तियों की खरीद	(17.78)		(928.13)	
	2	अचल आस्तियों की बिक्री	2.27		0.54	

(रू. लाख में)

	ब्यौरे		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
	3	पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	-		(2,724.06)	
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			**(15.51)**		**(3,651.65)**
ग	**वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह**					
	1	ऋण प्रतिभूति जारी करना (मोचन का शुद्ध)	165,300.00		76,500.00	
	2	ऋण प्रतिभूतियों के अलावा कुछ और उठाना (चुकौती का शुद्ध)	111,498.21		284,722.99	
	3	अधीनस्थ देयताओं का उठाना (छुटकारे का नेट)	-		15,000.00	
	4	लीज देयता के लिए भुगतान	(81.48)		-	
	5	लाभांश	(12,819.00)		(2,183.50)	
	6	निगम लाभांश कर	(2,634.98)		(444.51)	
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			**261,262.75**		**373,594.98**
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि			**43,109.61**		**(131,858.16)**
	वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष			55,730.76		187,588.92
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष			98,840.37		55,730.76
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि			**43,109.61**		**(131,858.16)**
	अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्षों के घटक					
	भारतीय शाखा में बैंकों के साथ चालू खातों में			50,870.24		39,101.06
	विदेशी शाखा में बैंकों के चालू खातों में			2,585.08		37.21
	बैंकों के ओवरड्राफ्ट खातों में			-		3.90
	बैंकों के जमा खातों में			45,374.52		16,588.19
	बैंकों में बचत बैंक खातों में			10.19		-
	संग्रहाधीन चेक / डीडी इन हैंड एंड पोस्टेज इंप्रेस्ट			0.35		0.40
	कुल			**98,840.37**		**55,730.76**

नकदी प्रवाह विवरण के लिए नोट्स।

1. पिछले वर्षों के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और जहां कहीं भी आवश्यक हुआ पुनः एकत्रित किए गए हैं।
2. आईआरईडीए के पास ऐसा कोई नकद और नकद समतुल्य शेष नहीं है जो आईआरईडीए के उपयोग के लिए उपलब्ध न हो।
3. कुल जमा राशि में रु 5,271.76 लाख से अधिक राशि है जिनकी 90 दिनों की मूल परिपक्वता है।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अनुसार

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकर
ICAI Regn No.- 003587N

हस्ता/–
आर. मित्तल
साझीदार
एम. नंबर 084470

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–
डॉ. आर. सी. शर्मा
महाप्रबंधक
(वित्त) और सी.एफ.ओ.

हस्ता/–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन नंबर 07795952

हस्ता/–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 07448576

हस्ता/–
सुरेंद्र सुयाल
कंपनी सचिव
एम. नंबर ए11900

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.07.2020

नोट–1

1. निगम जानकारी

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड अर्थात– इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अर्थात – मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न (श्रेणी – I) भारत सरकार का उपक्रम है। इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45– Iए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत किया जाता है, जो गैर–जमा राशि लेने वाली गैर–बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी) है। 1987 से, इरेडा अपने आदर्श वाक्य " ऊर्जा हमेशा के लिए" के साथ, ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता / संरक्षण के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तार करने में लगा है। कंपनी केरल राज्य के कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट सौर परियोजना की मालिक है।

2. तैयारी का आधार

(i) इंडस्ट्रीज एएस के साथ अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 133 के अनुसार और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, और आगे संशोधित, के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों (इंडस्ट्रीज एएस) के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण एक जारी प्रतिष्ठान के आधार पर और लेखांकन के क्रमिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन को अपनाया है, जिन्हें अलग–अलग आधार पर मापा गया है तथा इस तरह के आधार का खुलासा संबंधित लेखांकन नीति में किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, बशर्ते जहां एक नया जारी लेखा मानक शुरू में अपनाया गया हो अथवा या किसी मौजूदा लेखांकन मानक के संशोधन में उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

(ii) प्राक्कलन का उपयोग

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, प्राक्कलन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों, और संबंधित खुलासे की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य का परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। लेखांकन अनुमान का कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य में संभावित रूप से मान्य होता है।

लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

(क) महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता की मान्यता – आस्थगित कर परिसंपत्तियों को किस हद तक पहचाना जा सकता है, यह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी प्रबंधन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं रखती है। और इस प्रकार,

बनाए गए और अनुरक्षित किए गए विशेष रिजर्व को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसलिए, कंपनी उक्त रिजर्व पर कोई भी कर देयता नहीं बनाती है।

परिसंपत्तियों की हानि के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का आकलन करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

क्रेडिट बिगड़ा ऋण पर ब्याज आय की गैर मान्यता – क्रेडिट बिगड़ा ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय समझदारी का मामला नहीं माना जा रहा है, तनावग्रस्त संपत्ति के प्रस्तावों के परिणाम लंबित है।

(ख) महत्वपूर्ण प्राक्कलन

मूल्यह्रास / परिशोधन योग्य संपत्ति के उपयोगी जीवन – प्रबंधन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास / परिशोधन योग्य संपत्ति के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितता तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती है।

निर्धारित लाभ दायित्व (डीबीओ) – डीबीओ का प्रबंधन का अनुमान कई अंतर्निहित धारणाओं जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भविष्य के वेतन में वृद्धि की प्रत्याशा पर आधारित है। इन मान्यताओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ खर्चों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य माप – वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें विकासशील अनुमान और धारणाएं शामिल हैं कि कैसे बाजार सहभागी साधन (इन्स्ट्रुमेंट) का मूल्य निर्धारण करते हैं। किसी संपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी बाजार अवलोकन डेटा का उपयोग उस सीमा तक करती है, जहां तक वह उपलब्ध हो। बाजार–अवलोकन डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग उचित मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

आयकर – महत्वपूर्ण प्राक्कलन आयकर के प्रावधान को निर्धारित करते हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान / वसूल की जाने वाली राशि और आस्थगित कर संपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता शामिल हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') – परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते के माप के लिए जटिल मॉडल के उपयोग और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और क्रेडिट व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण धारणाओं (उदाहरण के लिए, डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) की आवश्यकता होती है। ईसीएल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करते समय कंपनी निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है:

- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करना
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद / बाजार और संबंधित ईसीएल के लिए अग्रेषित परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष वेटिंग स्थापित करना
- ईसीएल को मापने के लिए समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना तथा

- डिफॉल्ट और हानि दी गई डिफॉल्ट की संभावना का अनुमान लगाना (डिफॉल्ट के मामले में वसूली योग्य राशि का अनुमान)।

प्रावधान: दायित्व की मान्यता और परिमाणीकरण (मुकदमों सहित) के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं, में निर्णय के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। प्रावधानों और देनदारियों की मात्रा की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है।

(iii) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि प्राथमिक आर्थिक वातावरण की कार्यात्मक मुद्रा है, जिसमें कंपनी संचालित होती है, मूल्यों को लाखों में निकटतम दो दशमलवों तक पूर्ण संख्या में बदला जाता है, बशर्ते अन्यथा न कहा गया हो।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियाँ

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मूर्त संपत्ति (पीपीई)

पीपीई (मूर्त संपत्ति) को प्रारंभ में लागत से पहचाना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत में उसके खरीद मूल्य शामिल होते हैं, जिसमें व्यापार छूट और रियायत घटाने के बाद, आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य कर शामिल होते हैं, और इसके साथ–साथ स्थान पर उस आस्ति को लाने के दौरान लगने वाले व्यय और उपयोग योग्य स्थिति में लाने आवश्यक खर्च भी शामिल होते हैं। स्टोर और पुर्जे जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं और अंतर्निहित परिसंपत्ति की वहन राशि में पूंजीकृत और जोड़े जाते हैं।

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए परवर्ती मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। नतीजतन, समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अपनी लागत से कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि के नुकसान पर, यदि कोई हो, लाए जाते हैं, ।

मान्यता हटाना

पीपीई के आयटम के निपटाए जाने , या जब उस आयटम से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ के उपयोग की उम्मीद नहीं की जाती है तो उससे मान्यता हटाई जाती है। पीपीई की मान्यता हटाए जाने से उत्पन्न होने वाले नुकसान या नुकसान को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, जब संपत्ति की मान्यता हटाई जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में लाई जाने वाली राशि को मान्यता दी जाती है।

कैपिटल कार्य – प्रगति पर

रिपोर्टिंग तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत का खुलासा–'कैपिटल वर्क–इन–प्रोग्रेस' के रूप में किया गया है। यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे किए जाते हैं तो लागत में खरीद मूल्य, उधार लागत तथा संपत्ति कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष लगने वाली लागत शामिल रहता है और रहती होती है। क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की व्यापार छूट और रियायत को घटाया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण / निर्माण के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि जो बैलेंस शीट की तारीख में बकाया है, पूंजी अग्रिम किया जाता है।

(ii) अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है जहां संभावना रहती कि परिसंपत्तियों के कारण भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

परिमित उपयोगी जीवन के साथ सभी अमूर्त संपत्ति बाद में लागत मॉडल पर मान्यता प्राप्त करती हैं। इन अमूर्त संपत्तियों को बाद में इसकी लागत से संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अनुमानित जीवन 5 वर्ष से अधिक नहीं है।

<u>विकास के तहत अमूर्त संपत्ति</u>

व्यय जो कि अमूर्त संपत्ति के तहत पूंजीकरण हेतु पात्रता रखता हैं, विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में किया जाता है जब तक कि ये अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं।

<u>मान्यता हटाना</u>

एक अमूर्त संपत्ति के निपटान होने पर, या जब इनके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता हैं तो उसकी मान्यता हट जाती है। एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता रहित करने से उत्पन्न लाभ या हानि, शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, और संपत्ति के अमान्य होने पर संपत्ति की वहन राशि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

(iii) मूल्यह्रास और परिशोधन

नीचे दी गई संपत्ति को छोड़कर, रिटन डाउन बेसिस (WDV) पर, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार मूर्त PPE पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है:

- पुस्तकालय की पुस्तकों पर मूल्यह्रास क्रय वर्ष में @ 100% प्रदान आ जाता है।
- संबंधित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और संबंधित राज्य आयोग टैरिफ आदेशों के तहत दरों /कार्यप्रणाली पर सीधी रेखा पद्धति पर सौर ऊर्जा परियोजना के पीपीई पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।
- 5,000/– या उससे कम की संपत्ति के संबंध में खरीद के वित्तीय वर्ष में मूल्यह्रास @ 100% प्रदान किया जाता है
- सीधी रेखा के आधार पर अमूर्त संपत्ति का परिशोधन प्रदान किया जा रहा है।
- प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी पीपीई और अमूर्त संपत्ति के लिए उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो, तो लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में जिम्मेदार हैं।
- <u>अनुसूची II के अनुसार संपत्ति का उपयोगी जीवनः</u>

परिसंपत्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के% आयु के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	60 वर्ष	5%
कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ		
–लैपटॉप/कंप्यूटर	3 वर्ष	5%

परिसंपत्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के% आयु के रूप में अवशिष्ट मूल्य
– सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	5%
फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष	5%
वाहन	8 वर्ष	5%
अमूर्त संपत्ति	5 वर्ष	5%

- **सीईआरसी के आदेश के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन**

आस्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के% आयु के रूप में अवशिष्ट मूल्य
सोलर प्लांट	25 वर्ष	10%

(iv) सरकारी अनुदान / सहायता

कंपनी को सरकारी अनुदान प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए कंपनी की परिचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता होती है या कंपनी को कुछ योग्य मानदंडों के आधार पर वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रदान की जाती है।

सरकारी अनुदान को मान्यता तब दी जाती है जब उचित आश्वासन मिलता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करने में सक्षम होगी। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर संपत्ति और राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सरकारी तौर पर दीर्घकालिक संपत्ति खरीदने, निर्माण करने या अन्यथा प्राप्त करने की शर्त के साथ शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक बार आस्थगित आय के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर, इस तरह के अनुदान को संपत्ति के उपयोगी जीवन पर प्रणालीबद्ध लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है। संपत्ति के शेष जीवन पर अनुमानों में परिवर्तन को संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

अनुदान से संबंधित अनुदान को उस अवधि के लाभ और हानि के विवरण में आस्थगित और मान्यता प्राप्त होती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसकी भरपाई करने का इरादा है, खर्च किया जाता है।

ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों (एनआरएसई) के निर्दिष्ट क्षेत्रों में वित्तपोषण परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता को आस्थगित आय के रूप में माना और लेखांकित किया जाता है।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के तहत किए गए व्यय को वसूली योग्य माना जाता है और इसे अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों 'के तहत दिखाया जाता है। बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त सहायता उक्त खाते में जमा की जाती है।

(v) पट्टे

✦ **<u>पट्टेदार के रूप में</u>**

कंपनी अनुबंध की स्थापना के समय यह आकलन करती है कि क्या यह कोई अनुबंध है, या पट्टा है। एक अनुबंध, एक पट्टा हो सकता है अगर अनुबंध मूल्य के बदले में एक अवधि विशेष के लिए किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई

अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि:

(i) क्या अनुबंध में एक पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है:

(ii) क्या कंपनी के पास पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग के सभी आर्थिक लाभ प्रमुखता से हैं, और क्या

(iii) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

कंपनी, अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है। कंपनी लीज भुगतान करने के लिए लीज देनदारियों को मान्यता देती है और अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली राइट–टू–यूज परिसंपत्तियों को पहचानती है।

i) उपयोग का अधिकार संपत्ति

कंपनी पट्टे की शुरुआत की तारीख (यानी, अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है) पर सही उपयोग की परिसंपत्तियों को पहचानती है। उपयोग की जाने वाली संपत्ति को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि का नुकसान और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनर्भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग की सही संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त लीज देनदारी की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागत, और शुरू होने की तारीख से पहले या तारीख पर प्राप्त लीज भुगतान, प्राप्त लीज प्रोत्साहन घटाते हुए, शामिल हैं। संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर उपयोग की गई संपत्ति को मूल्यह्रास किया जाता है।

ii) लीज (पट्टे की) देनदारी

लीज की प्रारंभ की तारीख में, कंपनी लीज अवधि में किए जाने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई लीज की देनदारियों को मान्य करती है। पट्टे के भुगतानों में निश्चित भुगतान (पदार्थ में फिक्स्ड भुगतानों सहित) जिसमें से प्राप्य कोई भी लीज प्रोत्साहन घटाकर, परिवर्तनीय लीज भुगतान जो एक इंडेक्स या एक दर पर निर्भर करते हैं, और अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों का भुगतान किया जाता है। कंपनी लीज शुरू होने की तारीख पर अपने वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऋण की अवधि के लिए वृद्धिशील उधार दर एसबीआई एमसीएलआर दर है यदि ऋण 3 वर्ष तक के लिए है। 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, 3 वर्ष के लिए MCLR दर ली जा सकती है।

iii) अल्पकालिक संपत्ति और निम्न –मूल्य के पट्टे

अल्पकालिक पट्टों पर पट्टा भुगतान (जिसमें 12 महीने तक की लीज अवधि होती है) और निम्न मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे (रु.10, 00,000/– तक की परिसंपत्ति के मूल्य) को पट्टे अवधि पर व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है। लीज अवधि को पट्टे की गैर–निरस्त करने की अवधि के साथ, दोनों के साथ निर्धारित किया जाता है:

(क) पट्टे का विस्तार करने के लिए एक विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि यदि पट्टेदार उचित रूप से उस विकल्प का उपयोग करना निश्चित कर चुका है तथा

(ख) और पट्टों को समाप्त करने के लिए एक विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि यदि पट्टेदार उचित रूप से निश्चित है कि वह उस विकल्प का उपयोग नहीं कर सकता है।

✦ **एक पट्टेकार के रूप में**

जब कंपनी एक पट्टेकार के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे की स्थापना पर निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा है या प्रचालन (ऑपरेटिंग) पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा पर्याप्त रूप से परिसंपत्ति के अंतर्निहित स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और रिवार्ड्स को हस्तांतरित करता है। ऐसे मामले में पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि ऐसा नहीं है, तो यह एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा संपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग हेतु है। यदि किसी व्यवस्था में पट्टे और गैर–पट्टे के घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में विचार मूल्य को आवंटित करने के लिए इंड एएस के 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है। कंपनी परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टे के भुगतान को "परिचालन से राजस्व" के हिस्से के रूप में पट्टे की अवधि के आधार पर आय के रूप में मानती है।

(vi) सहायक, सहयोगी (एसोसिएट्स) और संयुक्त उद्यम में निवेश

- कंपनी लागत पर सहायक, संयुक्त उपक्रम और सहयोगियों में निवेश करती है। कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है। अधिग्रहण की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर भारत के बाहर सहायक कंपनी में निवेश किया जाता है।

- कंपनी के महत्वपूर्ण प्रभाव वाले निवेशों को सहयोगियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशी के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

- एक संयुक्त व्यवस्था जिससे दलों को व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होता है, संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति के अधिकार होते हैं, को एक संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण के अनुबंध पर सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने वाले दलों को नियंत्रण साझा करने के लिए एकमत सहमति की आवश्यकता होती है।

✦ एसोसिएट (सहयोगी) या संयुक्त उद्यम में निवेश पर क्षति (इंपेयरमेंट) हानि

यदि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में इकाई के निवेश के संबंध में हानि का एक संकेत है, तो निवेश के मूल्य को इसकी वहन मूल्य के साथ वसूली योग्य राशि की तुलना करके हानि हेतु परीक्षण किया जाता है और किसी भी परिणामी हानि को सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के वहन मूल्य के खिलाफ नुकसान का प्रभारित किया जाता है।

(vii) गैर–वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी का आकलन करती है क्या ऐसा कोई संकेत हो कि किसी परिसंपत्ति को क्षति सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी संपत्ति की वसूली योग्य राशि संपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य से अधिक होती है जिससे निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य को घटाया जाता है। पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, अन्य परिसंपत्तियों या संपत्ति के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र संपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसे वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य से भुनाया जाता है जो मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, के निर्धारण में, हाल के बाजार लेन–देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि इस तरह के लेन–देन की पहचान नहीं हो सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

(viii) नकद और नकद समकक्ष

नकदी में शामिल होता हैः हाथ में नकदी, बैंक में नकदी सहित बैंक ओवरड्राफ्ट में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, बैंकों के साथ डिमांड डिपॉजिट, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा। नकद समतुल्य अल्पकालिक जमा (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ) हैं, जोकि अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

(ix) उधार लेने की लागत

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे रूप से आरोप्य सामान्य और विशिष्ट उधार की लागत को अद्यतन पूंजीकृत किया जाता है, जब इस तरह के निधियों के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को बंद करने के बाद परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

इस सीमा तक कि कंपनी जहां आम तौर पर धनराशि उधार लेती है और एक योग्य संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लेने की लागत उस परिसंपत्ति पर व्यय पर एक पूंजीकरण दर लागू करके निर्धारित की जाती है।

अन्य उधार लेने की लागत उस अवधि के दौरान खर्च की जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

(x) विदेशी मुद्रा लेन–देन

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेन–देन, लेन–देन की तारीखों में प्रचलित विनिमय की दरों पर मान्य किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्य वाली मौद्रिक वस्तुओं को उस तिथि में प्रचलित दरों पर रूपांतरित किया जाता है। इस तरह के लेन–देन के निपटान से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यित मौद्रिक वस्तुओं के पुनर्मापन को लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

IREDA ने 101 के रूप में इंड एएस के पैरा D13AA की छूट को अपनाया है, पहली बार पॉलिसी ग्रहणकर्ता, पिछले GAAP के अनुसार, प्रथम इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से तुरंत पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है।

तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन–देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 को बकाया दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर, उन दरों से अलग, जिन पर उन्हें शुरू में अवधि के दौरान दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए हैं, ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण रिजर्व खाता'' में जमा रखे जाते हैं और इस तरह के मौद्रिक मद का, प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता द्वारा, शेष दीर्घावधि में परिशोधन होता है।

अपनी उत्पादित होने की तारीख से बारह महीने या उससे अधिक की अवधि वाले विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद को दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद कहा जाता है।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (उत्पत्ति की तारीख में बारह महीने से कम अवधि वाले) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर रुपांतरित होते हैं। ऐसे परिणामी विनिमय उतार–चढ़ाव को प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त होती है।

21 के रूप में इंडस्ट्रीज के पैरा 27 के अनुसार, नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों के रूप में योग्य मौद्रिक वस्तुओं पर अंतर के आदान–प्रदान को, जहां तक हेज प्रभावी है, अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। तदनुसार, कंपनी नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा ऋण के रूपांतरण के कारण विनिमय अंतर को मान्य करती है।

(xi) प्रति शेयर आय

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या और मृदु संभावित इक्विटी शेयरों के एकत्रीकरण द्वारा कर के बाद समायोजित शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर की गई आय की गणना की जाती है। इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से मृदु इक्विटी शेयरों की संख्या को उचित रूप में शेयर विभाजन / रिवर्स शेयर विभाजन और बोनस शेयर के लिए समायोजित किया जाता है।

(xii) प्रावधान

एक प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास विगत इवेंट के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती हैं, जिसके बारे में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

(xiii)आकस्मिक देयताएं

कंपनी के पास विगत इवेंट्स के कारण संभव दायित्व होता है जब आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन नोटों में खुलासा किया जाता है और दायित्व का अस्तित्व भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना पर निर्भर करता है जो कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होते हैं और अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्वों, जहां यह संभावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होता है या दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देनदारियों का निर्धारण लगातार यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है या नहीं। यदि बहिर्वाह संभावित है, तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

(xiv)आकस्मिक आस्तियां

आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन नोटों में खुलासा किया जाता है जो आमतौर पर आर्थिक लाभ की आमद की संभावना को जन्म देने वाले अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होते हैं।

आकस्मिक आस्तियों का मूल्यांकन लगातार यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या आर्थिक लाभ का प्रवाह लगभग निश्चित हो जाता है, तभी ऐसी आस्तियों और संबंधित आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

(xv) खंड रिपोर्टिंग

प्रचालन खंडों को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से सूचित किया जाता है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की पहचान मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में की गई है।

(xvi) सामग्री पूर्वावधि त्रुटियां

जिस अवधि में त्रुटि हुई, उससे पहले की अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को बहाल करके सामग्री पूर्वावधि त्रुटियां को पूर्वव्यापी आधार से ठीक किया जाता है। यदि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए संपत्ति, देनदारियों और इक्विटी की प्रारंभिक शेष राशि को पुनः कथित किया जाता है। रु. 100,000/ – प्रति आयटम तक के पूर्वावधि आयटम, जब और जहां समायोजित / प्राप्त हों परंतु पुनः कथित न हों, लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किए जाते हैं।

(xvii) कराधान

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ 'कर से पहले लाभ' से भिन्न होता है जैसा कि आय और व्यय के मद में सूचित किया जाता है क्योंकि आय या व्यय की वस्तुएं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और ऐसे मद जो कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। कंपनी की वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या महत्वपूर्ण रूप से अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है, बशर्ते कि वे उन वस्तुओं से संबंधित हों जो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त करते हैं, इस स्थिति में, कर क्रमशः अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्य किए जाते हैं। जहां कर संयोजन व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देनदारियों की देय राशि और कर उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता प्राप्त है।

आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देनदारियों मान्य होती है।

आस्थगित कर आस्तियों को आम तौर पर केवल इस हद तक पहचाना जाता है कि संभावित तौर पर भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ आस्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि यह संभावना न रह जाए कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

वर्तमान और आस्थगित कर लाभ और हानि के विवरण में मान्य हैं, बशर्ते जब वे उन वस्तुओं से संबंधित हों जो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त हैं, इस स्थिति में, वर्तमान और स्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय में या सीधे तौर पर इक्विटी में भी मान्य होते है।

(xviii)निवेश सम्पत्ति

निवेश की संपत्ति किराए पर लेने और या पूंजीगत अधिमूल्यन (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) अर्जित करने के लिए आयोजित की जाती है। शुरू में निवेश संपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेन–देन लागत भी शामिल है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी लागत मॉडल का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति के निपटान हो जाने पर उसे अमान्य किया जाता है या तब अमान्य हो जाती है जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग के लिए वर्जित किया जाता है और इस निपटान से भविष्य में किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं रह जाती है। संपत्ति की मान्यता को लेकर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और आस्तियों की वहन राशि के अंतर के रूप में गणना की जाती है) को उस अवधि में लाभ और हानि के आंकड़ों में शामिल किया जाता है, जिसमें संपत्ति की पहचान की जाती है।

संपत्ति के वर्ग के अनुसार निवेश के गुणों का मूल्यह्रास किया जाता है और संपत्ति का जीवन काल कंपनी में उसी वर्ग की आस्ति के जीवन काल के रूप में माना जाएगा।

हालांकि निवेश मॉडल को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य नोटों में बताया गया है।

(xix) कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ जिनमें वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (जैसे कि एक भुगतान किया गया वार्षिक अवकाश) शामिल है, जहां कर्मचारियों को संबंधित सेवा, लाभ साझा करने और बोनस देय अवधि को समाप्त करने के बाद बारह महीने के भीतर अनुपस्थित रहने की संभावना है, और बारह महीनों के भीतर लाभ बंटवारे और देय बोनस, उस अवधि के अंत के बाद जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाओं और वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–मौद्रिक लाभ प्रदान करते हैं, उन्हें अतुलनात्मक आधार पर मापा जाता है।

ख) रोजगार के बाद की योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं और परिभाषित योगदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

(i) परिभाषित योगदान योजना

एक परिभाषित योगदान योजना एक योजना है जिसके तहत कंपनी कर्मचारियों के संबंध में एक अलग निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है। कंपनी का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है कि वह निर्धारित योगदान के भुगतान के बाद आगे के योगदान का भुगतान भी करे। परिभाषित योगदान योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा किए गए योगदान को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण मेँ प्रभारित किया जाता है, जिससे योगदान संबंधित है।

(ii) निर्धारित लाभ योजना

कंपनी का उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (PRMB) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ODRB) के प्रति दायित्व रहता है, जिसे पात्र कर्मचारियों को कवर करने वाली परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जा रहा है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि को कर्मचारी की सेवा अवधि, अंतिम वेतन और अन्य परिभाषित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना आस्तियां अलग रखी गई हों।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति कंपनी का दायित्व प्रत्येक वार्षिक समीक्षाधीन अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त दायित्व रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित लाभ दायित्व (डीबीओ) की योजना परिसंपत्तियों को उचित मूल्य से घटाने के बाद प्राप्त वर्तमान मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र कार्यवाहियों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

अन्य व्यापक आय में देयता/आस्ति के पुनः माप से उत्पन्न बीमांकिक लाभ/हानि।

भविष्य निधि, हितकारी निधि, सेवानिवृत्ति निधि और उपदान के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ की देनदारी अलग–अलग ट्रस्टों में निधिबद्ध की जाती है।

कंपनी के भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि में योगदान को पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग–अलग ट्रस्टों में भेजा जाता है और इसे लाभ तथा हानि के विवरण में डेबिट किया जाता है।

ग) रोजगार के बाद की

प्रतिपूर्तित अनुपस्थिति के संबंध देयता, जोकि बैलेंस शीट की तारीख के बाद से एक वर्ष से अधिक समय से देय हो अथवा जिसका लाभ लिए जाने की अपेक्षा हो, का आकलन अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र कार्यक्षेत्र द्वारा प्रदर्शित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

पिछले अनुभव से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को उस लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिससे उस अवधि में लाभ और हानि निर्धारित की जाती है।

(xx) वित्तीय प्रपत्र

<u>प्रारंभिक मान्यता और माप</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पक्ष (पार्टी) बन जाती है और इसे शुरू में लेन–देन की लागतों द्वारा समायोजित करके उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाए उनके जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य वहन करते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का परवर्ती माप नीचे वर्णित किया गया है।

<u>वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण और परवर्ती माप</u>

परवर्ती माप के उद्देश्य हेतु, वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है

प्रारंभिक मान्यता पर:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति
- अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति

एफवीटीपीएल या एफवीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियां कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई वित्तीय उद्देश्य या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह क्षतिग्रस्त है या नहीं। हानि का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानदंड वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी पर लागू होते हैं, जो नीचे वर्णित हैं।

✦ **ऋण परिशोधित लागत पर**

ऋण (वित्तीय परिसंपत्ति) को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि दोनों निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए वित्तीय आस्तियों को धारण करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होती हैं।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए एक हानि भत्ते को परिशोधन लागत पर ली गई वित्तीय आस्तियों पर पहचाना जाता है।

✦ **एफवीटीपीएल पर वित्तीय लागत**

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में हेजिंग उपकरणों के रूप में निर्दिष्ट और प्रभावी को छोड़कर सभी व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं, जिसके लिए हेज लेखांकन आवश्यकताओं को लागू किया जा रहा है। इस श्रेणी के आस्ति को लाभ और हानि के विवरण मैं मान्य लाभ और हानि सहित उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेन–देन के संदर्भ में या मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अमान्यता

वित्तीय संपत्ति (या जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह की भाग) मान्यता हटाई जाती है (जब कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जब वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गए हों, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और काफी हद तक सभी जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित हो जाते हैं। कंपनी वित्तीय आस्तियां को भी अमान्य कर देती है अगर उसने वित्तीय आस्तियों को हस्तांतरित कर दिया हो और हस्तांतरण अमान्य होने के योग्य हो।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और परवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर परवर्ती मापा जाता है, व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को छोड़कर, जो कि एफवीटीपीएल में किए जाते हैं, बाद में लाभ और हानि के लाभ में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर। (एफवीटीपीएल)।

वित्तीय देनदारियों की गैर मान्यता

एक वित्तीय देयता को तब मान्य किया जाता है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से अलग–अलग शर्तों पर बदल दिया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है । लाभ और हानि के विवरण में संबंधित ली जाने वाली मात्रा में अंतर को मान्यता दी जाती है।

व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (साधन)

कंपनी विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों पर विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव के जोखिम में है। कंपनी व्युत्पन्न के उपयोग सहित स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का पालन करके विदेशी विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करती है।

कंपनी का उपयोग व्युत्पन्न उपकरण में प्रमुख स्वैप, क्रॉस करेंसी और ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए फोरवार्ड्स, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा और क्रॉस करेंसी विकल्प, संरचित उत्पाद आदि शामिल हैं।

व्युत्पन्न को मान्यता दी जाती है और उन्हें उचित मूल्य (एमटीएम) पर मापा जाता है। आरोप्य लेनदेन लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्य होती है।

वित्तीय आस्तियों की मान्यता हटाना:

वित्तीय आस्तियों को तब पहचाना जाता है जब वित्तीय आस्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अनुबंध संबंधी अधिकार समाप्त हो जाता है, या संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अनुबंध के अधिकारों को स्थानांतरित करता है।

हेज लेखांकन

व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर लेखा–जोखा किया जाता है, इसके अलावा व्युत्पन्न के लिए नकद प्रवाह हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, जिसके लिए एक विशिष्ट लेखांकन उपचार की आवश्यकता होती है। हेज लेखांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, हेजिंग संबंध को निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है:

– हेजेड मद और हेजिंग साधन के बीच एक आर्थिक संबंध है।

– क्रेडिट जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है।

– हेजिंग संबंध का हेज अनुपात वही है जो हेज किए गए मद की मात्रा के परिणामस्वरूप होता है जो कि इकाई वास्तव में हेज करता है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की मात्रा जो इकाई वास्तव में हेज्ड आइटम की मात्रा को हेज करने के लिए उपयोग करती है।

कंपनी ने ज्यादातर व्युत्पन्न अनुबंधों को नकदी प्रवाह हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित किया है। विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए इन व्यवस्थाओं को लिया किया गया है, जिसके विरुद्ध ऋण मुद्रा विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित होती है।

- कैश फ्लो हेजिंग, विनिमय दर में उतार–चढ़ाव में बदलाव से कंपनी के नकदी प्रवाह की स्थिति की रक्षा करने और नकदी प्रवाह में परिवर्तनशीलता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

- कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार हेजिंग उपकरणों में प्रवेश करती है लिखित सिद्धांत प्रदान करती है जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति / नीतियों के अनुरूप हो।

- हेज अकाउंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शुरू में उचित मूल्य पर पहचाने जाते हैं और बाद में बैलेंस शीट में उचित मूल्य पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

- हेज उपकरण अनुबंध के प्रारंभ में हेजेज के रूप में नामित और प्रलेखित होते हैं। हेज इंस्ट्रूमेंट्स की प्रभावशीलता का आँकलन और माप स्थापना के समय और सतत आधार पर किया जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से के रूप में संबंधित बैंकों द्वारा प्रदान किए गए एमटीएम मूल्यांकन के आधार पर नामित हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को "कैश फ्लो हेज रिजर्व" के रूप में "अन्य व्यापक आय" में मान्य किया जाता है। अप्रभावी हिस्से को, जब भी यह घटित होता है, लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचान लिया जाता है।

- जिस समय हेज की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है, अन्य व्यापक आय में पहले से पहचाने गए किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय के भीतर पुनरावर्तन समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

- यदि हेजिंग संबंध अब हेज अकाउंटिंग के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो हेज अकाउंटिंग को उत्तरव्यापी प्रभाव से बंद कर दिया जाता है। यदि हेजिंग साधन समाप्त हो जाता है या बेच दिया जाता है या समाप्त हो जाता है, तो कैश फ्लो हेज रिजर्व में मान्यता प्राप्त हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर संचयी लाभ या हानि कैश फ्लो हेज उस अवधि तक रिजर्व में रहता है जब तक हेज प्रभावी था। कैश फ्लो हेज रिजर्व में पहले से पहचाने गए संचयी लाभ या हानि अंतर्निहित लेन–देन घटित होने पर पर लाभ और हानि के विवरण में हस्तांतरित किया जाता है।

क्षति

वित्तीय संपत्तियों की क्षति

✦ **ऋण संपत्ति**

कंपनी निम्नलिखित के रूप में प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर परिशोधन लागत पर किए गए ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए–तीन–चरण मॉडल का अनुसरण करती है:

- चरण 1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम जोखिम है।

- चरण 2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिन्होंने प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि की है, लेकिन इसमें क्षति का वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं होता है।

- चरण 3 में ऋण आस्तियां शामिल हैं जिनके पास रिपोर्टिंग तिथि पर क्षति का वस्तुनिष्ठ प्रमाण है।

अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12–माह ईसीएल और चरण 2 के लिए जीवनकाल ईसीएल और चरण 3 ऋण आस्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना का उत्पाद है, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट रूप से नुकसान को देखते हुए, निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

डिफॉल्ट (पीडी) की संभावना – पीडी अपने वित्तीय दायित्व पर एक उधारकर्ता डिफॉल्टिंग की संभावना

का प्रतिनिधित्व करता है, या तो अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) तक, या दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) तक।

हानि दाता डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी एक डिफॉल्ट एक्सपोजर पर कंपनी के नुकसान की सीमा की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, प्रकार, और दावे की प्राथमिकता और संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट समर्थन की उपलब्धता द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार का होता है।

डिफॉल्ट (ईएडी) पर एक्सपोजर – ईएडी मूल्यांकन की तारीख पर बकाया जोखिम की मात्रा पर आधारित है, जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

अग्रदर्शित आर्थिक जानकारी 12–महीने और आजीवन पीडी, ईएडी और एलजीडी को निर्धारित करने में शामिल है। अपेक्षित क्रेडिट हानि के आधार पर मान्यताओं की निगरानी और समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

✦ **ऋण के अलावा अन्य वित्तीय साधनः**

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, गैर–बिल–निर्दिष्ट राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम शामिल हैं।
- वित्तीय देनदारियों में उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार भुगतान शामिल हैं।

ऋण के अलावा अन्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय साधन शुरू में उचित मूल्य पर पहचाने जाते हैं, जिसमें किसी भी सीधे आरोप्य लेन–देन योग्य लागत शामिल हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब पहचाना जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही रखे जाते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियों को तभी अमान्य किया जाता है जब कंपनी ने वित्तीय आस्तियों पर नियंत्रण न रखा हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन्हें नीचे दिए गए अनुसार मापा जाता हैः

क) नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकदी निम्न में शामिल मानी जाती है। बैंक में, बैंकों के साथ मांग जमा, नकद ऋण, सावधि जमा और विदेशी मुद्रा जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध, जो मांग पर चुकाने योग्य होते हैं और उन्हें कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का भाग माना जाता है । वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं।

ख) व्यापार प्राप्य

कंपनी व्यापार प्राप्यों पर क्षति हानि भत्ते की मान्यता के लिए ''सरलीकृत दृष्टिकोण'' का अनुसरण करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक प्रारंभिक तिथि से, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर जीवन भर ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ते को मान्यता देता है। कंपनी प्राप्तियों के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर क्षति हानि भत्ते का निर्धारण करती है, ऐतिहासिक रूप से व्यापार प्राप्य के अपेक्षित जीवन पर डिफॉल्ट दरों का अवलोकन किया जाता है और इसे आगे के अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है।

ग) अन्य देनदारियां

अन्य देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है, और बाद में परिशोधन पर ले जाया जाता है

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग कर लागत। इन वित्तीय साधनों के लिए, इन उपकरणों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण वहन मात्रा उचित मूल्य को सही करती है।

(xxi) लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांश और अंतरिम लाभांश उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें उन्हें क्रमशः निदेशक मंडल द्वारा और शेयरधारक की बैठक में अनुमोदित किया जाता है।

(xxii) उचित मूल्य मापन और प्रकटीकरण

कंपनी वित्तीय उपकरणों को मापती है, जैसे प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्न।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए एक व्यवस्थित लेन–देन में माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच प्राप्त किया जाएगा या देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस अनुमान के आधार पर है। होता कि या तो परिसंपत्ति को बेचने के लिए या फिर देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेन–देन होता है:

- संपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में

कंपनी द्वारा मूल या सर्वाधिक लाभप्रद बाजार सुलभ होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार के प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे जिसमें जोखिम के बारे में धारणाओं को शामिल करते हुए, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक हित में काम करते हैं। एक गैर–वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य माप एक बाजार प्रतिभागी की आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में संपत्ति का उपयोग करके या किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचने के माध्यम से ध्यान में रखता है।

कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध होते हैं, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हैं और अप्रमाणित आदानों के उपयोग को कम करते हैं।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किए गए हैं, न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो संपूर्ण मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, निम्नानुसार हैं:

- स्तर 1 – समान बाजारों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, गैर–अवलोकनीय है।

नियमित रूप से वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त संपत्ति और देनदारियों के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी निर्धारित करती है कि क्या पुनर्वितरण वर्गीकरण के आधार पर पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है (न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो कि संपूर्ण मूल्य माप के रूप में महत्वपूर्ण है) ।

(xxii)राजस्व मान्यता

✦ **ब्याज आय**

ब्याज आय का हिसाब सभी वित्तीय परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है (क्रेडिट क्षति वित्तीय आस्तियों पर ब्याज आय को छोड़कर, कंपनी इन्हें मान्यता नहीं देती) को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इंड एएस 109, वित्तीय साधनों की लाइन में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्य किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो आरंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का सटीक अनुमान लगाती है। ईआईआर की गणना लेन–देन की लागत और फीस को ध्यान में रखकर की जाती है, जो कि इंड एएस 109 के अनुसार ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। क्रेडिट क्षतिग्रस्त आस्तियों पर ब्याज आय रसीद के आधार पर मान्य होती हैं।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज का समय पर भुगतान करने के कारण रिबेट को संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय पर देय संपूर्ण ब्याज राशि की प्राप्ति पर मान्यता प्राप्त है और यह संबंधित ब्याज आय के मुकाबले शुद्ध है।

क्रेडिट क्षतिग्रस्त आस्तियों से बरामद रकम को निम्नलिखित तरीके से विनियोजित किया जाता है:

1. आकस्मिक शुल्क
2. ब्याज
3. उत्कृष्ट सिद्धांत।

✦ **अन्य राजस्व**

♦ राजस्व (उन वस्तुओं के अलावा, जिनके लिए इंड एएस 109 वित्तीय साधनों के लिए प्रयोज्य हैं) को इंड एएस 115 के अनुसार मान्य किया गया है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व, ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए लेखांकन के एक व्यापक मॉडल को रेखांकित करता है। कंपनी इंड एएस 115 में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को मान्य करती है।

♦ सौर संयंत्र से राजस्व

जब प्रदर्शन दायित्व समय पर संतोषप्रद होता है सौर संयंत्र से आय को मान्य किया जाता है ।

♦ शुल्क और कमीशन से राजस्व

शुल्क और कमीशन को समय के आधार पर एक बिंदु पर मान्यता दी जाती है जब ऐसी फीस जमा करने की संभावना स्थापित होती है।

(xxiv) व्यय

व्यय का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। प्रीपेड खर्च रू. 50,000/– प्रति मद के रूप में और जब भी घटित / समायोजित / प्राप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए स्टैंडअलोन नोट्स

नोट – 2: नकद और नकद समकक्ष

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
I. नकद और नकद समकक्ष		
(क) हाथ में नकदी	-	-
(ख) बैंकों के साथ संतुलनः		
(अ) अनुसूची बैंकों के साथ चालू खाता		
–भारतीय शाखाओं में	50,870.24	39,101.06
–विदेशी शाखाओं में		
i. यूएसडी में	2,585.08	37.21
(ब) जमा खाता (शेष परिपक्वता 3 माह से कम)		
(i) INR– लघु अवधि जमा		
–इरेडा	45,374.52	16,588.19
(सी) बचत बैंक खाता		
– भारतीय शाखाओं में	10.19	-
(सी) संग्रह / डीडी के तहत चेक हाथ में और डाक टिकट	0.35	0.40
(डी) ओवरड्राफ्ट खातों में	-	3.90
कुल (क+ख+ग+घ)	**98,840.37**	**55,730.76**

कैश और कैश समकक्षों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं जैसा कि ऊपर दी गई रिपोर्टिंग अवधि के अंत में है।

नोट – 3: नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
क. बैंकों के साथ निश्चित किए गए शेष		
क) चालू खाते में		
– एमएनआरई	2.15	2.15
– एमएनआरई जीओआई पूरी तरह से सेवा बॉन्ड बैंक लेखा	358.26	371.25
– इरेडा (बांड पर ब्याज)	43.25	38.75
– इरेडा लाभांश खाता	0.10	0.10
– एसडब्ल्यूएचएस का एमएनआरई कार्यान्वयन	357.95	0.00
उप योग (क)	**761.70**	**412.26**
ख) बचत खाते में		
– एमएनआरई यूएनडीपी खाता	56.07	31.46
– एमएनआरई नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड	0.06	0.06
– इरेडा (एमएनआरई जीबीआई कोष)	1,500.70	1,0428.34

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
– एमएनआरई छतशिखर और अन्य छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र	10,955.34	2,961.49
– एमएनआरई चौनल साझीदारों के लिए पूंजी सहायता (सब्सिडी)	5,794.61	5,479.27
– इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष	4,078.16	89.46
– एमएनआरई–राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरणों का संगठन	0.01	0.01
– एमएनआरई–यू एस – भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्त सुविधा (यूएसआईसीईएफ)	765.59	0.00
उप योग (ख)	**23,150.55**	**18,990.10**
ग) जमा खाते (आईएनआर) में		
– इरेडा[1]	36.44	34.11
– एमएनआरई	17.25	17.25
– एमएनआरई– राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	5.74	5.47
– एमएनआरई– इरेडा सह पीढ़ी	35.31	33.21
– इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष	23,382.05	21,621.04
– एमएनआरई जीओआई पूर्णतया सेवा बॉन्ड बैंक	855.29	840.12
– उप कुल (ग)	**24,332.06**	**22,551.20**
जमा खाते (विदेशी मुद्रा) में		
– डॉलर जमा (एडीबी)[2]	5,215.30	7,650.22
उप कुल (घ)	**5,215.30**	**7,650.22**
उप कुल (क) = (क+ख+ग+घ)	**53,459.61**	**49,603.78**
ख. जमा खाता (शेष परिपक्वता 3 महीने से अधिक)		
– आईएनआर सावधि जमा	5,271.76	0.00
उप कुल (ख)	**5,271.76**	**0.00**
कुल (क+ख)	**58,731.37**	**49,603.78**

कंपनी भारत सरकार की कुछ योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना के तहत विभिन्न एजेंसियों को संवितरण के लिए प्राप्त धन एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए निर्विवाद धन (ब्याज सहित, यदि कोई हो) योजना के नामित निधियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। नोट 38 (32) देखें।

[1]दो बॉन्ड धारकों के भुगतान के विरुद्ध, अर्थात मेसर्स द बंगाल क्लब लिमिटेड और सुश्री माया एम. चुलानी के सिविल विविध रिट याचिका 2009 के 28928 पर, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.2.2009 को पारित आदेश के अनुसार, 36.44 लाख रुपये की राशि को ब्याज सहित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खन्ना मार्केट, लोधी रोड, नई दिल्ली में एफडीआर के रूप में रखा गया।

[2]कंपनी ने डॉलर डिपॉजिट के विरुद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लिया है जो नोट 20 के तहत दिखाया गया है।

नोट – 4: व्युत्पन्न वित्तीय साधन उपकरण (साधन)

कंपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के लिए व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश करती है। व्युत्पन्न लेन–देन में देनदारियों को हेज करने के लिए आगे की ओर, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस मुद्रा स्वैप आदि शामिल हैं। ये व्युत्पन्न लेन–देन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार या अव्यवहार्य उद्देश्य के लिए।

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक			31 मार्च 2019 तक		
भाग ।	संवैधानिक राशियाँ	उचित मूल्य – संपत्ति	उचित मूल्य – देयताएं	संवैधानिक राशियाँ	उचित मूल्य – संपत्ति	उचित मूल्य – देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्नः –						
प्रिंसिपल केवल स्वैप	766,757.90	66,990.78	6,788.00	703,487.40	14,249.82	26,395.59
विदेशी मुद्रा आगे अनुबंध	-	-	-	-	-	-
उप–कुल (i)	**766,757.90**	**66,990.78**	**6,788.00**	**703,487.40**	**14,249.82**	**26,395.59**
(ii) ब्याज दर के व्युत्पन्न						
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	73,776.35	4,265.21	-	77,021.07	1,182.74	196.77
उप–कुल (ii)	**73,776.35**	**4,265.21**	**-**	**77,021.07**	**1,182.74**	**196.77**
कुल व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (i+i)	**840,534.25**	**71,255.99**	**6,788.00**	**780,508.48**	**15,432.55**	**26,592.36**

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक			31 मार्च 2019 तक		
भाग ।।	संवैधानिक राशियाँ	उचित मूल्य – संपत्ति	उचित मूल्य – देयताएं	संवैधानिक राशियाँ	उचित मूल्य – संपत्ति	उचित मूल्य – देयताएं
उपरोक्त (भाग ।) में शामिल हेजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं: –						
(i) नकदी प्रवाह हेजिंगः –						
मुद्रा के व्युत्पन्न	702,287.06	60,797.70	6,788.00	644,539.60	13,675.53	24,849.06
ब्याज दर के व्युत्पन्न	73,776.35	4,265.21	-	77,021.07	1,182.74	196.77
उप योग (i)	**776,063.41**	**65,062.91**	**6,788.00**	**721,560.67**	**14,858.27**	**25,045.83**
(ii) समेकित डेरिवेटिवः –						
मुद्रा के व्युत्पन्न	64,470.84	6,193.08	-	58,947.81	574.29	1,546.53
ब्याज दर के व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
उप–कुल (ii)	**64,470.84**	**6,193.08**	**-**	**58,947.81**	**574.29**	**1,546.53**
कुल व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (i)+(ii)	**840,534.25**	**71,255.99**	**6,788.00**	**780,508.48**	**15,432.55**	**26,592.36**

जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण के लिए नोट 38 (39) देखें

नोट –5: प्राप्य

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
क. व्यापार प्राप्य		
(क) प्राप्तियों को अच्छा माना जाता है – सुरक्षित	-	-
(ख) प्राप्तियों को अच्छा माना जाता है – असुरक्षित	312.98	239.59
(ग) प्राप्य जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-
(घ) प्राप्य क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-
उप कुल (ए)	312.98	239.59
हानि (ख) के लिए भत्ता	-	-
कुल (क–ख)	**312.98**	**239.59**

नोट – 6: ऋण

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	कम लागत पर	कम लागत पर
क) ऋण		
सावधि ऋण	2,354,784.13	2,138,866.89
फ्रंट अंत शुल्क समायोजन	(5,575.09)	(3,660.27)
सकल लागत पर सकल ऋण	**2,349,209.04**	**2,135,206.62**
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	254.77	254.77
ब्याज और मनरेगा ऋण पर देय	664.69	664.69
कर्मचारियों को ऋण	301.47	321.68
संबंधित पक्षों को ऋण	11.09	8.23
ब्याज और ऋणों पर देय	19,681.55	10,906.50
द्रवीकृत क्षति का कारण और कारण है	61.05	96.53
ब्याज उपार्जित है, लेकिन ऋणों के कारण नहीं	1,240.84	1,221.88
ब्याज उपार्जित, लेकिन संबंधित पक्ष के ऋणों के कारण नहीं	10.74	6.04
कुल (क) – सकल	**2,371,435.24**	**2,148,686.93**
कमः हानि भत्ता	73,666.55	50,088.76
कुल (क) – नेट	**2,297,768.68**	**2,098,598.17**
(ख) उपरोक्त का उप–वर्गीकरण		
सुरक्षा–वार वर्गीकरण		
(i) मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित		
सावधि ऋण	2,062,536.52	2,097,237.33

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	कम लागत पर	कम लागत पर
कर्मचारियों को ऋण	301.47	321.68
संबंधित पक्षों को ऋण	11.09	8.23
ब्याज और ऋण पर देय	19,681.55	10,906.50
परिनिर्धारित क्षति और कारण	61.05	96.53
ब्याज उपार्जित है, लेकिन ऋणों के कारण नहीं	1,240.84	1,221.88
ब्याज उपार्जित लेकिन संबंधित पक्ष के ऋणों के कारण नहीं	10.74	6.04
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	254.77	254.77
ब्याज और मनरेगा ऋण पर देय	664.69	664.69
(ii) अमूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित	-	-
(iii) बैंक / सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया		
बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित सावधि ऋण	-	433.70
(iv) असुरक्षित		
सावधि ऋण	286,672.52	37,535.59
कुल (ख) – सकल	**2,371,435.24**	**2,148,686.93**
कमरू नुकसान नुकसान भत्ता	73,666.55	50,088.76
कुल (ख) – शुद्ध	**2,297,768.68**	**2,098,598.17**
(ग) (i) भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	428,484.42	224,854.01
(ii) अन्य	1,942,950.82	1,923,832.92
कुल (ग) (i) सकल	**2,371,435.24**	**2,148,686.93**
कमः नुकसान भत्ता	73,666.55	50,088.76
कुल (ग) (i) शुद्ध	**2,297,768.68**	**2,098,598.17**
(ग) (द्वितीय) भारत के बाहर ऋण	-	-
कमः नुकसान भत्ता	-	-
कुल (ग) (ii) शुद्ध	-	-
कुल ग (i) और ग (ii)	**2,297,768.68**	**2,098,598.17**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने, उधारकर्ताओं को 31.03.2020 तक शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे हैं, सिवाय उन मामलों को छोडकर जहां ऋणों को वापस प्राप्त कर लिया गया हो या अदालत / एनसीएलटी के समक्ष लंबित किया गया हो। उक्त शेष राशि के 5.15% की पुष्टि प्राप्त हुई है। शेष ऋण परिसंपत्तियों में से रू. 2,233,601.06 लाख जिसके लिए शेष राशि की पुष्टि नहीं हुई है, 89.47% ऋण मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा, 0:, सरकार की गारंटी के माध्यम से/सरकार को ऋण और 10.53% असुरक्षित ऋण हैं।

क्रेडिट जोखिम पर प्रकटीकरण के लिए, नोट 38 (39) देखें।

नोट – 7: निवेश

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	लागत*	लागत*
एसोसिएट में निवेश		
एमपी विंड फार्म लिमिटेड (24% इक्विटी वाले) में निवेश #	12.00	12.00
कुल – सकल (क)	**12.00**	**12.00**
भारत के बाहर निवेश	-	-
भारत में निवेश	**12.00**	**12.00**
कुल (ख)	**12.00**	**12.00**
घटाना: हानि के लिए भत्ता (ग)	-	-
कुल – नेट (घ) = (क) – (ख)	**12.00**	**12.00**

रु. 4.80 लाख अपवर्जित, एफ.वाई 1996–1997 में आवंटित बोनस शेयर होने के नाते।

* एसोसिएट में निवेश के रूप में इंड एएस 28 के अनुरूप लागत पर मापा जाता है।

नोट – 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
प्रतिभूति जमा	45.21	17.76
कर्मचारियों को अग्रिम	36.41	49.42
संबंधित पक्षों को अग्रिम	1.90	-
अन्य प्राप्तियाँ:–		
एफडीआर – उधारकर्ता	1,927.72	805.18
वाणिज्यिक पत्र	6,899.11	6,899.11
घटाना : क्षति हानि भत्ता	(6,899.11)	(6,899.11)
अन्य	475.20	1,974.97
कुल	**2,486.44**	**2,847.34**

नोट – 9: वर्तमान कर आस्तियाँ (नेट)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
आयकर जमा– पहले के वर्ष*	107,300.28	94,536.58
घटाना: कर–वर्ष के लिए प्रावधान	92,389.39	77,889.39
शुद्ध कर आस्तियां (देयताएं) – पहले के वर्ष	**14,910.89**	**16,647.19**
अग्रिम आयकर और टीडीएस –वर्तमान वर्ष	15,995.51	11,695.60
कम: कर–वर्तमान वर्ष के लिए प्रावधान	14,400.00	14,500.00
शुद्ध कर आस्तियां (देयताएं) – वर्तमान वर्ष	**1,595.51**	**(2,804.40)**
कुल	**16,506.40**	**13,842.79**

* इसमें पहले वर्ष की माँगों के सापेक्ष रू. 10,437.20 लाख (विगत वर्ष रु. 9,369.10 लाख) जमा किए गए आयकर रुपये भी शामिल हैं।

नोट – 10: आस्थगित कर आस्तियाँ / देयता (नेट)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
क. लाभ और हानि अनुभाग		
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	102.05	85.02
उपदान का प्रावधान	0.08	(0.61)
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का प्रावधान	160.82	167.78
बीमार छुट्टी का प्रावधान	87.38	91.05
बैगेज भत्ते का प्रावधान	3.69	3.66
प्रदर्शन प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	281.40	342.44
क्षति	28,313.22	18,496.30
मसाला बॉन्ड अनुदान – पुस्तकों में आस्थगित	-	66.02
फ्रंट एंड फीस – पुस्तकों में आस्थगित	367.83	822.12
उप कुल	**29,316.47**	**20,073.78**
आस्थगित कर उत्तरदायित्व		
मूल्यह्रास	5,047.92	6,440.62
विदेशी मुद्रा हानि अनुवाद अंतर	9,951.61	6,642.02
बांड	104.55	135.83
उप कुल	**15,104.07**	**13,218.47**
कुल (क)	**14,212.40**	**6,855.31**
ख. ओसीआई अनुभाग		
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
ग्रेच्युटी पर जीवनांकिक उपदान	13.57	-

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ पर जीवनांकिक हानि	37.87	12.28
सामान भत्ता पर जीवनांकिक हानि	0.26	0.05
उप कुल	**51.70**	**12.33**
आस्थगित कर उत्तरदायित्व		
अनुदान पर सक्रिय लाभ	-	11.25
उप कुल	**-**	**11.25**
कुल (ख)	**51.70**	**1.08**
नेट आस्थगित कर संपत्ति / (देयता) (क+ख)	**14,264.10**	**6,856.39**

नोट – 11: निवेश संपत्ति

(रु. लाख में)

ब्यौरे	निवेश संपत्ति (भवन – आवासीय)
सकल खंड	
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	**8.75**
जोड़ना	-
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**8.75**
जोड़ना	-
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**8.75**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	**1.44**
मूल्यह्रास व्यय	1.21
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**2.65**
मूल्यह्रास व्यय	1.01
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**3.66**
ले जाने वाली राशि	
31 मार्च 2019 तक	**6.10**
31 मार्च, 2020 तक	**5.09**

नोट – 12: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण *

(रु. लाख में)

ब्यौरे	भवन				संयंत्र एवं यंत्र		वाहन	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय के उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	लीजहोल्ड–आईऐससी**	लीजहोल्ड–एकेबी**	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कम्प्यूटर					
सकल खंड											
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	**172.34**	**2,110.10**	**129.93**	**2,181.53**	**28,636.54**	**103.35**	**39.25**	**80.44**	**28.47**	**-**	**33,481.96**
वर्ष के दौरान परिवर्धन (जोड़े गए)	-	-	-	57.95	754.76	390.59	16.65	8.33	3.86	-	**1,232.14**
घटाना: वर्ष के दौरान निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-	-	-	-	-	1.73	-	0.28	0.77	-	**2.77**
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**172.34**	**2,110.10**	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**492.21**	**55.89**	**88.49**	**31.56**	**-**	**34,711.32**
वर्ष के दौरान परिवर्धन (जोड़े गए)	-	-	-	-	-	6.05	-	5.91	4.49	-	**16.45**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	(172.34)	(2,110.10)	-	-	-	-	-	-	-	-	**(2,282.45)**
घटाना: वर्ष के दौरान निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-	-	-	-	-	5.48	-	2.35	3.17	-	**10.99**
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**-**	**-**	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**492.78**	**55.89**	**92.05**	**32.89**	**-**	**32,434.33**
संचित मूल्यह्रास											
शेष राशि 01 अप्रैल, 2018 तक	**20.71**	**227.87**	**12.34**	**126.15**	**1,642.89**	**47.63**	**12.31**	**21.86**	**5.59**	**-**	**2,117.34**
मूल्यह्रास व्यय	18.02	203.25	11.17	134.62	1,753.22	171.02	12.92	17.47	5.08	-	**2,326.79**
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-	-	-	-	-	1.51	-	0.19	0.56	-	**2.26**
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**38.73**	**431.12**	**23.51**	**260.77**	**3,396.11**	**217.14**	**25.23**	**39.15**	**10.11**	**-**	**4,441.87**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	(38.73)	(431.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	(469.85)
मूल्यह्रास व्यय	-	-	10.11	132.77	1,729.11	106.52	9.50	10.45	4.02	-	**2,002.49**

(रु. लाख में)

ब्यौरे	भवन				संयंत्र एवं यंत्र		वाहन	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय के उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	लीजहोल्ड–आईऐससी**	लीजहोल्ड–एकेबी**	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कम्प्यूटर					
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-	-	-	-	-	4.67	-	1.48	2.42	-	**8.57**
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**-**	**-**	**33.62**	**393.53**	**5,125.23**	**318.99**	**34.73**	**48.12**	**11.71**	**-**	**5,965.93**
ले जाने वाली राशि											
31 मार्च 2019 तक	**133.61**	**1,678.98**	**106.42**	**1,978.72**	**25,995.18**	**275.07**	**30.67**	**49.34**	**21.45**	**-**	**30,269.45**
31 मार्च, 2020 तक	**-**	**-**	**96.31**	**1,845.95**	**24,266.07**	**173.79**	**21.17**	**43.94**	**21.18**	**-**	**26,468.39**

* कंपनी ने अपने पीपीई के वहन मूल्यों के साथ जारी रहना तय किया है, क्योंकि इंड एएस में संक्रमण की तारीख को पिछले यदाशीघ्र के अनुसार मापा गया।

** इंड एएस 116 के पैरा सी 11 के अनुसार, जिन पट्टों को इंड एएस 17 के उपयोग से वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, प्रारंभिक उपयोग की तारीख पर आस्ति के उपयोग–का–अधिकार और पट्टे की देयता की वहन राशि इंड एएस 17 के उपयोग से मापी गई लीज आस्ति और लीज देयता की वहन राशि होगी। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में लीजहोल्ड संपत्तियों के मामले में लीज आस्ति की वहन राशि, कंपनी ने इंड एएस116 के अनुसार उपयोग की गई आस्ति के अधिकार के रूप में उसी राशि को आगे लाया गया है। नोट 38 (12) देखें।

नोट – 13: कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)

(रु. लाख में)

ब्यौरे	राशि
कार्यशील पूंजी– भवन	
शेष राशि 01 अप्रैल, 2018 तक	**303.19**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.86
उधार की लागत पूंजीकृत	-
कम संपत्ति संयंत्र और उपकरण /निवेश संपत्ति में स्थानांतरण	303.19
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**0.86**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
उधार की लागत पूंजीकृत	-
कमः संपत्ति संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति में स्थानांतरण	-
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**0.86**

नोट –14: उपयोग की संपत्ति का अधिकार

(रु. लाख में)

ब्यौरे	राशि			
संपत्ति उपयोग का अधिकार	भवन			कुल
	एक पट्टे के तहत उपयोग का अधिकार – आरआईएनएल	लीजहोल्ड– आईएचसी	लीजहोल्ड– एकेबी	
शेष राशि 01 अप्रैल, 2018 तक	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	173.27	-	-	**173.27**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	172.34	2,110.10	**2,282.45**
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**173.27**	**172.34**	**2,110.10**	**2,455.71**
संचित मूल्यह्रास				
शेष राशि 01 अप्रैल, 2018 तक	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	-	-	-	-
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	-	-	-	-
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	38.73	431.12	**469.85**
मूल्यह्रास व्यय	74.26	15.71	181.30	**271.27**
31 मार्च, 2020 तक शेष राशि	**74.26**	**54.44**	**612.42**	**741.12**
ले जाने वाली राशि				
31 मार्च 2019 तक	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 तक	**99.01**	**117.90**	**1,497.68**	**1,714.60**

नोट 38 (12)

नोट –15: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(रु. लाख में)

ब्यौरे	विकास के अंतर्गत सॉफ्टवेयर
शेष राशि 01 अप्रैल, 2018 तक	**5.59**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
कमः अमूर्त संपत्ति में स्थानांतरण	5.59
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
कमः अमूर्त संपत्ति में स्थानांतरण	-
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	-

नोट –16: अमूर्त संपत्ति

(रु. लाख में)

ब्यौरे	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल खंड	
शेष राशि 01 अप्रैल, 2018 तक	**37.93**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3.91
कमः निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
31 मार्च, 2019 तक शेष राशि	**41.84**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1.33
कमरू निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**43.18**
संचित मूल्यह्रास	
शेष राशि 01 अप्रैल, 2018 तक	**12.72**
परिशोधन खर्च	7.62
कमः निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
31 मार्च 2019 तक संचित मूल्यह्रास	**20.35**
परिशोधन खर्च	6.44
कमः निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
31 मार्च, 2020 तक संचित मूल्यह्रास	**26.79**
ले जाने वाली राशि	
31 मार्च 2019 तक	**21.50**
31 मार्च, 2020 तक	**16.39**

नोट –17: अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
एनबीसीसी परिसर में पार्किंग सहित पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम (कार्यालय और निवास परिसर की खरीद के लिए)।	12,647.83	12,647.83
जीओआई पूर्णतया सेवा बांड प्राप्य	163,879.20	163,879.20
अन्य प्राप्य	204.81	60.96
अन्य अग्रिम	76.66	1,662.80
आईपीओ खर्च–आस्थगित	-	84.56
कुल	**176,808.49**	**178,335.35**

नोट –18: देय

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
देय व्यापार		
सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया	45.09	60.47
सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देय	6,535.05	12,556.11
कुल	**6,580.14**	**12,616.57**

नोट –19: ऋण प्रतिभूति

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
बांड: –		
(I) कर मुक्त बॉन्ड – गैर परिवर्तनीय रिडीमेंबल डिबेंचर (सुरक्षित)		
(कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) पर पारिपासु शुल्क द्वारा सुरक्षित।)		
(i) 8.16% कर मुक्त बांड	7,575.90	7,575.90
(सीरीज XIII ट्रेंच–आई–आईए– 2013–14) (13/03/2024 को प्रतिदेय)		
(ii) 8.41% कर मुक्त बांड	10,529.14	10,529.14
(सीरीज XIII ट्रेंच–आई–आईबी– 2013–14) (13/03/2024 पर प्रतिदेय)		
(iii) 7.17% कर मुक्त बांड	28,400.00	28,400.00
(सीरीज XIV प्राइवेट IC- 2015–16) (01/10/2025 को प्रतिदेय)		
(iv) 7.28% कर मुक्त बांड	10,889.06	10,889.06
(सीरीज XIV ट्रेन्च– I-IA- 2015–16) (21/01/2026 पर प्रतिदेय)		
(v) 7.53% कर मुक्त बांड	12,788.59	12,788.59
(सीरीज XIV ट्रेन्च– I-IB– 2015–16) (21/01/2026 पर प्रतिदेय)		

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
(vi) 8.55% कर मुक्त बांड	12,307.69	12,307.69
(सीरीज XIII ट्रेंच–आई–आईआईए–2013–14) (13/03/2029 पर प्रतिदेय)		
(vii) 8.80% कर मुक्त बांड	23,455.08	23,455.08
(सीरीज XIII ट्रेन्च– I-IIB – 2013–14) (13/03/2029 पर प्रतिदेय)		
(viii) 8.56% कर मुक्त बांड	3,600.00	3,600.00
(सीरीज XIII ट्रेंच–आई–आईसी– 2013–14) (27/03/2029 पर प्रतिदेय)		
(ix) 7.49% कर मुक्त बांड	88,426.52	88,426.52
(सीरीज XIV ट्रेन्च– I-IIA – 2015–16) (21/01/2031 को प्रतिदेय)		
(x) 7.74% कर मुक्त बांड	48,351.53	48,351.53
(सीरीज XIV ट्रेन्च– I-IIB– 2015–16) (21/01/2031 को प्रतिदेय)		
(xi) 8.55% कर मुक्त बांड	3,881.23	3,881.23
(सीरीज XIII ट्रेन्च– I-IIIA– 2013–14) (21/01/2034 को प्रतिदेय)		
(xii) 8.80% कर मुक्त बांड	14,416.42	14,416.42
(सीरीज XIII ट्रेंच–आई– IIIB– 2013–14) (21/01/2034 को प्रतिदेय)		
(xiii) 7.43% कर मुक्त बांड	3,644.42	3,644.42
(सीरीज XIV ट्रेन्च– I-IIIA– 2015–16) (21/01/2036 को प्रतिदेय)		
(xiv) 7.68% कर मुक्त बांड	7,499.88	7,499.88
(सीरीज XIV ट्रेन्च– I-IIIB – 2015–16) (21/01/2036 को प्रतिदेय)		
उप–कुल (क)	**275,765.46**	**275,765.46**
II टैक्सेबल बॉन्ड – गैर परिवर्तनीय रिडीमेंबल डिबेंचर (सुरक्षित)		
(i) 8.85% कर योग्य बांड	-	15,000.00
(सीरीज II – 2009–10) (13/01/2020 पर प्रतिदेय)		
(ii) 8.87% कर योग्य बांड	15,000.00	15,000.00
(सीरीज III– 2010–11 – ट्रेंच–आई) (24/09/2020 को प्रतिदेय)		
(iii) 9.49% कर योग्य बांड	30,000.00	30,000.00
(सीरीज IV– 2012–13) (04/06/2022 को चुकाया गया)		
(iv) 8.44% कर योग्य बांड	30,000.00	30,000.00
(सीरीज वीए– 2013–14) (10/05/2023 पर प्रतिदेय)		
(v) 9.02% कर योग्य बांड	25,000.00	25,000.00
(सीरीज III– 2010–11 – ट्रेंच II) (24/09/2025 को प्रतिदेय)		
(vi) 8.12% कर योग्य ग्रीन बॉन्ड	20,000.00	20,000.00

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
(सीरीज VI A – 2016–17) (24/03/2027 को प्रतिदेय)		
(vii) 8.05% कर योग्य ग्रीन बॉन्ड	50,000.00	50,000.00
(सीरीज VI B – 2016–17) (29/03/2027 को प्रतिदेय)		
(viii) 8.49% कर योग्य बांड	20,000.00	20,000.00
(सीरीज VB – 2013–14) (10/05/2028 को प्रतिदेय)		
(ix) 8.51% कर योग्य बांड	27,477.12	27,475.41
(सीरीज VIIA– 2018–19) (03/01/2029 को प्रतिदेय)		
(x) 8.47% कर योग्य बांड	58,977.06	58,975.34
(सीरीज VIIB – 2018–19) (17/01/2029 को प्रतिदेय)		
(xi) 8% कर योग्य बांड	99,975.90	-
(सीरीज IXA – 2019–20) (24/09/2029 को प्रतिदेय)		
(xii) 7.40% कर योग्य बांड	80,253.84	-
(सीरीज IX B– 2019–20) (03/03/2030 को प्रतिदेय)		
उप–कुल (ख)	**456,683.92**	**291,450.75**
मसाला बॉन्ड्स (अप्रतिभूत)		
7.125% ग्रीन मसाला बॉन्ड	194,309.26	194,030.63
(सीरीज I– 2017–18) (10/10/2022 पर प्रतिदेय)		
उप–कुल (ग)	**194,309.26**	**194,030.63**
कुल बांड (क + ख + ग)	**926,758.64**	**761,246.83**
भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ	732,449.38	567,216.21
ऋण प्रतिभूतियाँ भारत से बाहर	194,309.26	194,030.63
कुल	**926,758.64**	**761,246.83**

नोट :

1. इरेडा द्वारा जारी किए गए कर योग्य बॉन्ड में बांडों को पुनः जारी करने के लिए संबंधित बांड के सूचना ज्ञापन में खंड होता है।
2. कंपनी ने उस वर्ष के दौरान 8.85% कर योग्य बांड – (श्रृंखला II – 2009–10) (आईएसआईएनः INE202E07047) (15,000.00 लाख रुपये) भुनाया है, जिस वर्ष के दौरान इस तरह के बांड को फिर से जारी करने के लिए इसे सक्रिय रखने का अधिकार था।

नोट – 20: उधार (ऋण प्रतिभूति के अलावा)

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
(ए) सावधि ऋण–		
(I) बैंकों से		
क. सावधि ऋण – सुरक्षित		
(i) बैंक ऑफ बड़ौदा (आईएनआर ऋण)	961.26	2,813.27
(बीओबी लंदन के साथ यूएस $ जमा द्वारा सुरक्षित)		
(15.01.2003 से शुरू होकर 15.07.2021 तक छमाही आधार पर पुनर्भुगतान। रू. 19,147,506 से रु. 96,126,342 के बीच की किस्तें।)		
(ii) एशियाई विकास बैंक (ADB -I) से ऋण I	5,240.73	7,646.66
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर पैरी–पासु (बराबर–बराबर) शुल्क द्वारा सुरक्षित और आगे की गारंटी भारत सरकार द्वारा)		
(15.01.2003 से शुरू होकर छमाही आधार पर पुनर्भुगतान यूएस $ 398,900 से लेकर यूएस $ 2,428,269 तक की किस्तों में।)		
(iii) केएफडब्ल्यू ऋण–वी	69,936.90	73,612.92
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर पैरी–पासु (बराबर–बराबर) शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती दिनांक 30.12.2018 से शुरू होकर यूरो 5,263,000 की 16 किस्तों में 30.12.2027 तक और प्रत्येक 3,264,000 यूरो की 3 किस्तों में।)		
(iv) एचडीएफसी सावधि ऋण	11,666.67	18,333.33
(100% कवर के साथ 90 दिनों तक कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) और प्राप्य पर पैरी–पासु (बराबर–बराबर) प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(28.03.2019 से शुरू होने वाले त्रैमासिक आधार पर चुकौती। शेष प्रतिदाय प्रत्येक रु. 166,666,663 की 11 किस्तों में चुकौती शेष)		
(v) एसबीआई सावधि ऋण	84,993.17	75,490.00
(ऋण राशि के 100% के अधीन, (कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (पुस्तक ऋण) के दृष्टि बंधक के माध्यम से प्रथम पैरी–पासु (बराबर–बराबर) प्रभार द्वारा सुरक्षित))		
(20 बराबर त्रैमासिक किस्तों में चुकाए जाने वाले बकाया सावधि ऋण को चुकाना। प्रथम प्रतिपेय 22.09.2019 को देय है।)		
(vi) नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक (एनआईबी)	-	2,470.40
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर पैरी–पासु (बराबर–बराबर) शुल्क द्वारा सुरक्षित)		

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
(दिनांक 17.12.2012 से 17.06.2019 तक प्रत्येक + 3,571,428.58 की 8 किस्तें तथा प्रत्येक यूएस $ 3,571,428.56 की 6 किस्तों द्वारा छमाही आधार पर चुकौती)		
(vii) एशियाई विकास बैंक (एडीबी-II) से ऋण II	150,771.80	138,342.60
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर पैरी–पासु (बराबर–बराबर) शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(दिनांक 15.04.2020 से 15.10.2034 तक प्रत्येक यूएस $ 6,666,666 की 29 समान किस्तें तथा प्रत्येक यूएस $ 6,666,686 की 30वीं किस्तों द्वारा छमाही आधार पर चुकौती)		
(viii) केनरा बैंक से ऋण	15,000.00	-
(कंपनी की मानक आस्तियों पर ऋण और अग्रिम पर पैरी–पासु (बराबर–बराबर) शुल्क द्वारा सुरक्षित (बुक ऋण)।)		
(बकाया ऋण को 20 बराबर तिमाही किस्तों में चुकाना होगा। प्रथम चुकौती (पुनर्भुगतान) 27.06.2021 को देय है)		
(ix) बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण II	60,000.00	-
(सुरक्षा कवरेज के अधीन कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) के दृष्टि बंधक के माध्यम से पहले पैरी–पासु शुल्क द्वारा सुरक्षित) कुल संस्वीकृत सीमा का 100% होगा। मानक संपत्ति से संबंधित पुस्तक ऋण / उधार प्राप्य का दृष्टि बंधक।		
(31.12.2020 से शुरू होने वाली 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकौती।)		
उप कुल (क)	**398,570.53**	**318,709.19**
ख. अवधि ऋण – असुरक्षित		
(i) केएफडब्ल्यू ऋण– I	19,495.85	19,151.97
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती 30.12.2009 से शुरू होकर 30.12.2039 तक यूरो 586,451.79 प्रत्येक की 28 किस्तों में, यूरो 586,963.08 की 32 किस्तें और यूरो 586,963 की 1 किस्त)।		
(ii) केएफडब्ल्यू ऋण– I	3,547.88	7,760.92
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(30.09.2012 से 30.09.2020 से छमाही आधार पर पुनर्भुगतान प्रत्येक किस्त यूरो 2,858,000 की 16 किस्तों में और यूरो 4,272,000 की एक किस्त।)		
(iii) केएफडब्ल्यू ऋण– III	16,585.84	15,517.95

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(छमाही आधार पर पुनर्भुगतान में 30.06.2020 से शुरू होकर 30.12.2049 तक की 3 किस्तें प्रत्येक यूरो 332,000 की 9 किस्तें और यूरो 333,000 की 51 किस्तें।)		
(iv) केएफडब्ल्यू ऋण– IV	55,367.51	69,069.66
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(छमाही आधार पर पुनर्भुगतान में 30.06.2014 से शुरू होकर 30.12.2022 तक की 16 किस्तें प्रत्येक यूरो 11,111,000 की 9 किस्तें और यूरो 11,112,000 की 2 किस्तें।)		
(v) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण II (IBRD-II)	1,998.86	5,322.59
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.12.2005 से शुरू होकर 15.12.2005 तक अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती 1,309,700 यूएसडी से 2,651,500 यूएसडी तक की किस्तों में)		
(vi) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण III (IBRD -III)	8,325.69	3,278.64
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(छमाही आधार पर पुनर्भुगतान में 30.06.2014 से शुरू होकर 15.10.2035 तक की 27 किस्तें प्रत्येक यूरो 2,677,500.00 की 9 किस्तें और यूरो 2,707,500.00 की 28वीं किस्त।)		
(vii) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण III (IBRD-III) (CTF)	2,721.46	1,043.67
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(छमाही आधार पर पुनर्भुगतान में 15.04.2027 से शुरू होकर 15.10.2056 तक की 20 किस्तें प्रत्येक यूरो 230,000.00 की 9 किस्तें और यूरो 460,000.00 की 40 किस्तें।)		
उप कुल (ख)	**108,043.08**	**121,145.40**
बैंकों से कुल ऋण (ग = क + ख)	**506,613.61**	**439,854.59**
(II) दूसरों से		
घ. अवधि ऋण – प्रतिभूत		
(i) भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक	-	1,600.00
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर पैरी–पासु शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(ब्याज / 9.35%, तिमाही आधार पर देय 10.06.2016 से शुरू होकर 70,000,000 रुपये की 14 किस्तों में और प्रत्येक की अंतिम किस्त 20,000,000 रुपये है।)		

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
उप कुल (घ)	-	**1,600.00**
ड. सावधि ऋण – असुरक्षित		
(i) एनसीईएफ–इरेडा से ऋण	7,710.18	8,614.81
(33 – 40 संरचित त्रैमासिक किस्तों में चुकौती)		
(ii) ऋण I एजेंस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी)	42,632.13	43,513.34
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(31.07.2016 से शुरू होकर 31.01.2031 तक अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती, प्रत्येक किस्त यूरो 2,333,333.33 की 30 किस्तों में।)		
(iii) ऋण II एजेंस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी– I।)	78,897.12	74,645.18
(30.11.2019 से शुरू होकर 30.05.2029 तक अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती, प्रत्येक किस्त यूरो 5,000,000 की 20 किस्तों में।)		
(iv) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) से ऋण I	208,950.00	187,560.00
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(20.6.2021 से 20.06.2041 से शुरू होने वाले छमाही के आधार पर चुकौती, जेपीवाई 731,720,000 की 1 किस्त और जेपीवाई 731,707,000 प्रत्येक की 40 किस्तें।)		
(v) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA-II) से ऋण II	208,741.05	165,920.50
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(छमाही आधार पर चुकौती, 20.03.2024 से शुरू होकर 20.03.2044 तक, जेपीवाई 731,000,000 की 1 किस्त और जेपीवाई 730,975,000 प्रत्येक की 40 किस्तें।)		
(vi) यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)	161,340.90	148,956.24
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(ट्रेन्च I – अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती, 26.09.2019 से शुरू होकर 26.03. 2035 तक, यूएस + 662,000 प्रत्येक की 32 किस्तों में होगी।)		
(ट्रेंच II – छमाही आधार पर पुनर्भुगतान, 15.07.2020 से शुरू होकर 15.07. 2036 तक, यूएस + 1,999636.36 की 32 किस्तों में और यूएस + 1,999,636. 48 की 1 किस्त।)		
(ट्रेंच III – छमाही के आधार पर चुकौती 16.02.2021 से शुरू होकर 15.08. 2036 तक यूएस + 4,005,375 प्रत्येक की 32 किस्तों में।)		
(vii) भारत सरकार	28,740.87	27,236.20

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
(अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (IDA) के खिलाफ – द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना (INR ऋण)		
(छमाही आधार पर पुनर्भुगतान में 15.10.2010 से शुरू होकर 15.04.2035 तक की 20 किस्तें प्रत्येक यूरो 625,000 की 9 किस्तें और यूरो 1,250,000 की 30 किस्तें।)		
उप–कुल (ड.)	**737,012.26**	**656,446.27**
दूसरों से कुल ऋण (**च = घ + ड**)	**737,012.26**	**658,046.27**
कुल सावधि ऋण (**क = ग + च**)	**1,243,625.86**	**1,097,900.86**
(ख) मांग पर देय ऋणः –		
प्रतिभूत		
बैंकों से		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.00	1,176.09
(पुस्तक ऋण पर परी पासु शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
उप कुल	**0.00**	**1,176.09**
कुल (क + ख)	**1,243,625.87**	**1,099,076.95**
भारत में उधार	105,331.28	108,027.50
भारत के बाहर उधार	1,138,294.58	991,049.45
कुल	**1,243,625.87**	**1,099,076.95**

नोट –21: देनदारी

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
अप्रतिभूत		
9.23% इरेडा कर योग्य अप्रतिभूत	14,970.00	14,967.88
(22.2.2029 को अधीनस्थ स्तरीय II बांड–चुकौती)		
कुल (क)	**14,970.00**	**14,967.88**
भारत में अधीनस्थ देयताएँ	14,970.00	14,967.88
भारत के बाहर अधीनस्थ दायित्व	-	-
कुल (ख)	**14,970.00**	**14,967.88**

नोट – 22: अन्य वित्तीय देनदारियाँ

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(क) इरेडा–राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	29,847.82	27,084.89
(ख) ब्याज और अन्य प्रभार जमा किए गए लेकिन उधारों के कारण नहीं	39,369.34	36,149.92
(ग) अन्य भुगतानः		
एमएनआरई प्रोग्राम फंड्स	944.85	944.85
एमएनआरई सह पीढ़ी विशिष्ट अनुदान	34.96	32.86
राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	5.80	5.53
एमएनआरई जीबीआई फंड	1,500.70	10,428.34
राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा का संगठन	0.01	0.01
रूफ टॉप और अन्य छोटे पैमाने पर सौर परियोजना	10,955.34	2,961.49
चैनल के लिए एमएनआरई कैपिटल सब्सिडी	5,794.61	5,528.97
एमएनआरई U S – भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्त सुविधा (USICEF) योजना	765.59	-
एमएनआरई यूएनडीपी फंड	56.07	31.46
एमएनआरई एसडब्ल्यूएचएस	357.95	357.95
लावारिस बॉन्ड ब्याज	47.58	38.75
इरेडा से एनसीईएफ को देय	464.03	1,924.52
लीज देयता	102.42	-
अन्य	3,817.39	2,130.65
कुल	**94,064.47**	**87,620.19**

नोट – 23: प्रावधान

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
-छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान	405.46	289.21
-उपदान का प्रावधान	54.22	(40.34)
-सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का प्रावधान	789.47	612.50
-बीमार छुट्टी का प्रावधान	347.19	309.70
-बैगेज अलाउंस का प्रावधान	15.70	12.63
वित्तीय साधनों पर आकस्मिक प्रावधान (ऋण)	43,969.31	15,738.04
कुल	**45,581.35**	**16,921.74**

नोट – 24: अन्य गैर–वित्तीय दायित्व

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
भविष्य निधि देय	47.68	-
सांविधिक देय	830.83	261.13
भारत सरकार पूर्णतया सेवा बांड	164,000.00	164,000.00
एमएनआरई को देय एमआईबीओआर जमा पर ब्याज (भारत सरकार पूरी तरह से बांड)	1,092.75	1,090.57
अन्य	23.40	24.19
निधि पोषित ब्याज सावधि ऋण	7,235.69	7,432.87
लेन–देन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान का आस्थगित आय भाग	-	130.94
अग्रिम वेतन शुल्क अग्रिम में प्राप्त हुआ	1,461.52	1,417.83
कुल	**174,691.86**	**174,357.53**

नोट – 25 : इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(क) अधिकृत शेयर पूंजी		
6,000,000,000 (पिछले वर्ष 6,000,000,000) रुपये के इक्विटी शेयर, प्रत्येक रु 10 का।	600,000.00	600,000.00
कुल	**600,000.00**	**600,000.00**
(ख) जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से भुगतान किया गया		
प्रत्येक 10 मूल्य के 784,600,000 रुपये के इक्विटी शेयर का पूर्णतया भुगतान किया (पिछले वर्ष प्रत्येक 10 रुपये के कुल 784,600,000 रुपये के इक्विटी शेयर)।	78,460.00	78,460.00
पूरी तरह से भुगतान किया		
कुल	**78,460.00**	**78,460.00**

बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्यः–

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक रु. 10)	784,600,000	78,460.00	784,600,000	78,460.00
जोड़ें: – वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस लाया गया	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक रु. 10)	784,600,000	78,460.00	784,600,000	78,460.00

5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों का विवरणः –

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
	शेयरों की संख्या	% रखे	शेयरों की संख्या	% रखे
भारत सरकार	784,600,000	100	784,600,000	100

नोट – 26: अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(क) रिजर्व्स और अधिशेष		
(i) विशेष रिजर्व	93,471.45	82,651.13
(ii) डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	25,910.15	21,281.04
(iii) सामान्य रिजर्व	88,298.33	108,298.33
(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद रिजर्व (FCMITR)*	(101,345.31)	(54,141.39)
(v) प्रतिधारित कमाई	7,998.56	1,901.72
(vi)एनबीएफसी रिजर्व	9,182.69	4,882.69
ख) नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग		
(i) नकद प्रवाह हेज रिजर्व*	50,155.98	15,063.04
कुल अन्य इक्विटी (क + ख)	**173,671.85**	**179,936.57**

* नोट 38 देखें (21)

अन्य इक्विटी का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
♦ **विशेष रिजर्व्स**		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत		
वर्ष की शुरुआत में शेष	82,651.13	73,651.13
जोड़ें: वर्तमान वर्ष स्थानांतरण	10,820.32	9,000.00
कमः वर्तमान अवधि में वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**93,471.45**	**82,651.13**
♦ **डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व**		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	21,281.04	16,651.93
जोड़ें: वर्तमान वर्ष स्थानांतरण	4,629.11	4,629.11
घटाएँ: वर्तमान अवधि में वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**25,910.15**	**21,281.04**
♦ **सामान्य रिजर्व**		
वर्ष की शुरुआत में शेष	108,298.33	97,621.47
जोड़ें: वर्तमान वर्ष स्थानांतरण	(20,000.00)	10,676.86
कमः वर्तमान अवधि में वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**88,298.33**	**108,298.33**

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
♦ **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद रिजर्व (एफसीएमआईटीआर)***		
वर्ष की शुरुआत में शेष	(54,141.39)	(44,363.33)
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	(51,252.72)	(12,516.96)
घटाएँ: वर्ष के दौरान परिशोधन	(4,048.81)	(2,738.90)
वर्ष के अंत में संतुलन शेष	**(101,345.31)**	**(54,141.39)**
♦ **प्रतिधारित कमाई**		
साल की शुरुआत में प्रतिधारित कमाई	1,901.72	(1,921.11)
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	21,455.04	24,990.60
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(154.80)	(27.96)
कम: वित्त वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तावित लाभांश	12,819.00	-
कम: वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	2,634.98	-
कम: वित्त वर्ष 2017–18 के लिए प्रस्तावित लाभांश	-	2,183.50
कम: प्रस्तावित लाभांश वित्त 2017–18 पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	444.51
कम: विशेष रिजर्व में स्थानांतरण	10,820.32	9,000.00
कम: डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरण	4,629.11	4,629.11
कम: जनरल रिजर्व में (से) के लिए स्थानांतरण	(20,000.00)	-
कम: एनबीएफसी रिजर्व में स्थानांतरण	4,300.00	4,882.69
वर्ष के अंत में शेष	**7,998.56**	**1,901.72**
♦ एनबीएफसी रिजर्व (आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी)		
वर्ष की शुरुआत में शेष	4,882.69	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,300.00	4,882.69
घटाएँ: वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**9,182.69**	**4,882.69**
नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग		
♦ **नकदी प्रवाह बचाव रिजर्व '**		
वर्ष की शुरुआत में शेष	15,063.04	12,559.40
हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ / हानि का प्रभावी भाग	39,479.61	3,115.32
घटाएँ: ऊपर का आयकर	(4,386.67)	(611.68)
वर्ष के अंत में शेष राशि (कर का नेट)	**50,155.98**	**15,063.04**
कुल	**173,671.85**	**179,936.57**

* नोट 38 देखें (21)

प्रकृति और भंडार का उद्देश्य

1 **विशेष रिजर्व:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत आयकर कटौती का लाभ उठाने के लिए विशेष भंडार बनाए गए हैं, कर से पहले लाभ का 20% लाभ दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से आता है।

2 **डिबेंचर रिडेम्पशन:** डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को डिबेंचर / बॉन्ड के मोचन के उद्देश्य से रिटायर्ड कमाई से बनाया जाता है। यह रिजर्व कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में निवेशित रहता है।

3 **जनरल रिजर्व:** जनरल रिजर्व का उपयोग समय–समय पर विनियोग आय के लिए मुनाफे को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे में स्थानांतरण करके बनाया जाता है।

4 **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतर रिजर्व (एफसीएमआईटीआर):** विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतर रिजर्व (भंडार) खाता, लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा उधारों पर असंबद्ध विदेशी मुद्रा लाभ / हानि का प्रतिनिधित्व करता है जो संबंधित उधारों के कार्यकाल में परिशोधन होता है।

5 **प्रतिधारित आय:** कंपनी द्वारा अर्जित आय में सीधे मान्यता प्राप्त प्रतिधारित आय, लाभांश वितरण तथा अन्य भंडार से और को स्थानांतरण घटाके लाभ और अन्य व्यापक आय के मद का प्रतिनिधित्व करती है.

6 **एनबीएफसी रिजर्व** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी (1) के तहत बनाया गया रिजर्व, वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ 20% की शुद्ध कमाई से हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करता है।

7 **नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग:** कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रेषित अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज अकाउंटिंग के तहत जिस स्तर तक नामित व्युत्पन्न अनुबंध प्रभावी हेजेज हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन को ''नकद प्रवाह (कैश फ्लो) हेजेज के प्रभावी भाग'' में मान्य किया जाता है। इस तरह के रिजर्व में, जब हेज की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है, मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है ।

नोट – 27: ब्याज आय

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
	अमूर्त लागत पर मापा गया वित्तीय आस्तियों पर ब्याज	अमूर्त लागत पर मापा गया वित्तीय आस्तियों पर ब्याज
ऋण परिचालन से ऋण पर ब्याज	216,310.13	182,565.07
बैंकों के पास जमा राशि पर ब्याज:–	-	-
लघु अवधि जमा–आईएनआर	4,999.78	7,297.01
लघु अवधि जमा–विदेशी मुद्रा	166.57	258.56
अन्य ब्याज आय	-	-
एसबी खाते पर ब्याज	0.19	-
अवकलन ब्याज	3,181.35	2,767.73
वाणिज्यिक पत्रों पर ब्याज	-	431.75
कुल	**224,658.02**	**193,320.13**

नोट – 28: शुल्क और कमीशन आय

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
(क) व्यापार सेवा शुल्क		
(i) ऋण पर आवेदन शुल्क	1,034.00	1,203.00
(ii) आवेदन शुल्क – त्वरित मूल्यह्रास	-	0.40
(iii) आवेदन शुल्क – पीढ़ी आधारित प्रोत्साहन	-	(14.06)
(iv) बोली प्रसंस्करण शुल्क	16.60	-
(v) परामर्श शुल्क प्राप्त हुआ	4.00	-
कुल व्यवसाय सेवा शुल्क	**1,054.60**	**1,189.34**
(ख) व्यापार सेवा शुल्क		
(i) सेवा शुल्क – यूएनडीपी कार्यक्रम निधि	0.34	0.50
(ii) सेवा शुल्क – सृजन आधारित प्रोत्साहन	479.40	499.18
(iii) सेवा शुल्क – सीपीआर, एसएनए और पीए के लिए एमएनआरई पूंजी सब्सिडी (सहायता राशि)	-	6.99
(iv) सेवा शुल्क शीर्ष छत (रूफ टॉप) और अन्य लघु सौर ऊर्जा परियोजना	167.78	351.83
कुल व्यवसाय सेवा शुल्क	**647.52**	**858.51**
(II) प्रत्याभूत आयोग	**460.54**	**322.53**
कुल (क + ख + ग)	**2,162.65**	**2,370.38**

नोट – 29: उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि)*

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों पर शुद्ध लाभ / (हानि)		
व्युत्पन्न		
विदेशी मुद्रा ऋण के लिए लिए गए व्युत्पन्न कवर पर उचित मूल्य परिवर्तन	7,165.33	3,434.80
उचित मूल्य परिवर्तन:		
–प्राप्त	-	-
–अप्राप्त	7,165.33	3,434.80
उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल शुद्ध लाभ / (हानि)	**7,165.33**	**3,434.80**

* इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन अर्जित ब्याज आय / व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले अन्य से अलग हैं।

नोट – 30: सौर संयंत्र प्रचालन से राजस्व (शुद्ध)

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
सौर संयंत्र संचालन से राजस्व	2,802.03	2,889.09
कमः बिजली की बिक्री पर छूट	56.04	57.78
कुल	**2,745.99**	**2,831.31**

नोट – 31: अन्य आय

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
प्रावधान वापस लिखा गया	10.52	19.34
अशोध्य ऋण वसूला	299.36	153.85
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	27.02	26.94
मसाला बॉन्ड अनुदान का परिशोधन	130.94	27.33
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ	0.59	0.15
किराए से आय	6.60	6.60
अन्य	31.15	30.03
कुल	**506.18**	**264.24**

नोट 32: वित्त लागत

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ
	वित्तीय देनदारियों पर वित्तीय लागत को उचित मूल्य पर परिशोधित लागत के माध्यम से मापा जाता है	वित्तीय देनदारियों पर वित्त लागत को उचित मूल्य के माध्यम से मापा जाता है
उधार पर ब्याज	68,764.45	52,865.72
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	64,741.63	55,445.03
अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज	1,384.50	144.14
अन्य उधार लागत	10,730.88	9,610.80
लेन–देन की लागत	288.52	224.56
लीज देनदारी पर ब्याज	10.63	-
कुल	**145,920.61**	**118,290.25**

नोट 33: शुद्ध रूपांतरण / लेनदेन विनिमय हानि / (लाभ)

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
शुद्ध रूपांतरण / लेन–देन विनिमय हानि / (लाभ)	15.86	3,118.25
एफसीएमआईटीआर का परिशोधन	4,048.81	2,738.90
कुल	**4,064.67**	**5,857.14**

नोट – 34: वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रभाव

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ
	वित्तीय उपकरणों पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है	वित्तीय उपकरणों पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है
ऋण *	51,809.07	26,586.54
कुल	**51,809.07**	**26,586.54**

* वहन मूल्य पर ऋण का मूल्य तय किया जाता है

नोट – 35: कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ
वेतन और मजदूरी	4,028.85	3,721.37
भविष्य निधि और अन्य निधियों का योगदान	422.54	377.89
कर्मचारी कल्याण खर्च	236.23	274.02
मानव संसाधन विकास खर्च	9.88	59.92
कुल	**4,697.50**	**4,433.19**

नोट – 36: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	2,002.49	2,326.79
अमूर्त संपत्ति पर मूल्यह्रास	6.44	7.62
संपत्ति निवेश पर मूल्यह्रास	1.01	1.21
संपत्ति उपयोग के अधिकार पर मूल्यह्रास	271.27	-
कुल	**2,281.20**	**2,335.62**

नोट – 37: अन्य खर्च

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ
किराया, कर और ऊर्जा लागत	546.99	262.22
मरम्मत और रखरखाव	376.31	501.89
संचार लागत	30.24	36.92
छपाई और लेखन सामग्री	23.40	41.16
विज्ञापन और प्रचार	84.77	257.60
निर्देशक की फीस, भत्ते और खर्च	19.20	18.40
लेखा परीक्षक की फीस और खर्च	29.75	10.75
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	575.13	328.05

(रु. लाख में)

बीमा	6.85	13.26
बुरा ऋण	77.13	2,490.57
क्रेडिट रेटिंग व्यय (शामिल	188.86	179.22
अचल संपत्ति की बिक्री पर नुकसान	0.75	0.13
आईपीओ खर्च	144.77	-
अन्य व्यय	330.64	794.26
कुल	**2,434.80**	**4,934.42**

नोट – 38: लेखांकन पर टिप्पणियाँ

1. कंपनी एक सरकारी कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य नियामक द्वारा जारी कोई भी दिशा–निर्देश प्रयोजनीय होते ही लागू किया जाता है।

   तुलन पत्र (बैलेंस शीट), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ और हानि का विवरण एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं जो इंड एएस में अनुपालन हेतु आवश्यक हैं। इंड एएस 7–नकदी प्रवाह के विवरण की आवश्यकता के अनुसार नकदी प्रवाह के विवरण को प्रस्तुत किया गया है।

   31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, इंड एएस के अनुरूप कंपनी द्वारा तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण थे। 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए और कंपनी ने इंड एएस के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए, जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (संशोधित) के तहत अधिसूचित लेखा मानक भी शामिल हैं।

2. **भारतीय लेखा मानक (इंड एएस के रूप में) –36 "संपत्ति की क्षति" के संबंध में प्रकटीकरण**

   कंपनी, प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, इस बात का आँकलन करती है कि क्या किसी संपत्ति और/ या नकदी पैदा करने वाली इकाई की हानि का कोई संकेत है। प्रत्येक आस्ति और/ या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि से तुलना करके आस्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया जाता है, शुद्ध विक्रय मूल्य या मूल्य से अधिक होने के कारण। आस्तियों के निरंतर उपयोग से अनुमानित भविष्य के नकदी के वर्तमान मूल्य से उपयोग में मूल्य निर्धारित किया जाता है। कंपनी को चालू और विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कोई हानि/क्षति नहीं हुई है।

3. **भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति" के संबंध में प्रकटीकरण**

   (क) आकस्मिक देयताएं:

(रु. लाख में)

ब्यौर	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
आयकर मामले	18,533.17	13,195.98
बोली सुरक्षा के लिए, इरेडा की "आरई आपूर्तिकर्ता / निर्माता / ईपीसी संविदाकार को गारंटी सहायता" योजना के तहत जारी की गई गारंटी।	24,176.00	6,676.00
गारंटी– इरेडा की लेनदार परिवर्धन आंशिक योजना (क्रेडिट एनहैन्समेंट स्कीम) के तहत बिना शर्त और वसूली योग्य आंशिक क्रेडिट गारंटी।	8,000.00	9,000.00
भुगतान सुरक्षा कोष के निर्माण के लिए जारी की गई गारंटी।	14,400.00	14,400.00
जारी किए गए कम्फर्ट और बकाया के पत्र	60,421.55	78,513.82

अन्य *	265.70	230.79
कुल	**125,796.42**	**122,016.59**

वापस मामले देखें – एवाई 1998–99 – एवाई 2009–10:

वर्ष 1998–99 से लेकर आयु 2002–03 तक के आयकर मामलों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर मूल्यांकन अधिकारी को तथा वर्ष 2003–04 से लेकर वर्ष 2009–10 तक के आयकर मामलों को माननीय आईटीएटी (एओ के रूप में संदर्भित) के दिशा निर्देश में मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेजा गया था। एई 2009– 10 को माननीय अधिकारी को माननीय आईटीएटी (एओ के रूप में संदर्भित) की दिशा में वापस भेजा गया था। एओ ने अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर इन मामलों पर आदेश पारित नहीं किया था और कंपनी ने उपरोक्त आँकलन वर्षों के लिए उठाए गए मांग के आधार पर करों को जमा किया था।

पूर्वगामी को देखते हुए, रिटर्न के अनुसार देय कर पर और उसके ऊपर भुगतान की गई माँगें वापसी योग्य (रिफंडएबल) हो जाती हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018– 19 के दौरान, विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है कि वो उपरोक्त वर्षों के लिए रिफंड देने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करे। दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया "इस बीच, उत्तरदाताओं को मूल्यांकन के आदेशों को आगे बढ़ाने और पूरा करने की अनुमति दी जाती है और इस पर कोई प्रभाव न डाला जाए या कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।" मामले में अंतिम निर्णय अभी भी लंबित है।

* इरेडा की सेवा से बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के रूप में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को संदर्भित करता है। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं है।

ख) आकस्मिक संपत्तिः शून्य

4. प्रतिबद्धताएं

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2020
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:		
एनबीसीसी प्लाजा (आवासीय, वाणिज्यिक और पार्किंग स्थल को मिलाकर) में नए कार्यालय स्थान के अधिग्रहण के संदर्भ में पूंजी अनुबंध का आकलित मूल्य *।	92.92	92.92
कुल	**92.92**	**92.92**

* एनबीसीसी संपत्ति के मूल्य पर सेवा कर / जीएसटी / वैट से संबंधित मामला न्यालायाधीन है और एनबीसीसी ने इसके लिए कोई मांग नहीं उठाई है। इसलिए, इसमें शामिल करों की मात्रा वर्तमान में मात्रात्मक नहीं है। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के कारण उपरोक्त एनबीसीसी परिसर को सौंपने में देरी हो रही है।

5. ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिनका कंपनी में कोई बकाया हो, जो कि 31 मार्च, 2020 (पिछले वर्षः शून्य) से 45 दिनों से अधिक का बकाया हो। जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इस जानकारी को प्रकट करना आवश्यक है, कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान निर्धारित की गई है।

(रु. लाख में)

अनुक्रमांक	ब्यौरे	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2020
1	वर्ष के अंत तक बकाया नहीं भुगतान किए मूल राशि	45.09	60.47
2	वर्ष के अंत तक नहीं भुगतान किए बकाया ब्याज	-	-
3	वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज	-	-
4	भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज और भुगतानी, परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
5	वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और बकाया भुगतानी	-	-
6	बाद के वर्षों में भी देय ब्याज और भुगतानी, ऐसी तारीख तक जब उपरोक्त ब्याज का भुगतान छोटे उद्यमों को वास्तव में किया जाता है	-	-

6. भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज एएस) –21 के संबंध में खुलासा "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव"

(रु. लाख में)

ब्यौरे	2019–20	2018–19
	डेबिट / (क्रेडिट)	डेबिट / (क्रेडिट)
लाभ और हानि के विवरण में शुद्ध डेबिट / (क्रेडिट) की गई विनिमय अंतर की राशि	4,064.67	5,857.14
अन्य व्यापक आय में शुद्ध डेबिट / (क्रेडिट) की गई विनिमय अंतर की राशि	23,696.71	(9,535.14)

वर्ष के दौरान कंपनी ने, आम तौर पर पहले भारत स्वीकृत विदेशी मुद्रा विनिमय / लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं पर हानि के संबंध में लेखांकन सिद्धांत लेखा मानक 11 के पैरा 46 ए "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव" के सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित त्रुटि को ठीक किया"। नोट नंबर 38 (21) देखें।

7. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –23 "उधार लेने की लागत" के संबंध में खुलासा – शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

8. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस के रूप में) –19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

(क) भविष्य निधि: वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्वनिर्धारित प्रतिशत पर भविष्य निधि (प्रोविडेंट निधि) में योगदान के संबंध में 206.25 लाख रुपये (पिछले वर्ष: 199.98 लाख रुपये) के व्यय को मान्यता दी है और इसे लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया। इसके अलावा, कंपनी का दायित्व भविष्य की अवधि में ब्याज की वैधानिक दर के आधार पर, निधि आस्तियों में घाटा, यदि कोई हो, तो न्यूनतम करना है। पीएफ न्यास में 31 मार्च 2020 तक कोई घाटा नहीं है।

(ख) सेवानिवृत्ति लाभ निधि (पारिभाषित योगदान कोष): वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्वनिर्धारित प्रतिशत पर सेवानिवृत्ति कोष / राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए योगदान के संबंध में 163.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष: 141.22 लाख रुपये) के व्यय को मान्यता दी है और इसे लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया।

अन्य लाभ :

(ग) अर्जित अवकाश लाभ (ईएल): प्रति वर्ष 30 दिन अर्जन। सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार नकदीकरण। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर एचपीएल को मिलाकर अधिकतम 300 दिनों की नकदीकरण।

(घ) हाफ पे लीव बेनिफिट (एचपीएल): प्रति वर्ष 10 पूर्ण दिन। सेवा में रहते हुए कोई नकदीकरण नहीं। ईएल को मिलाकर अधिकतम 300 दिनों की सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एक्चुरियल वैल्यूएशन कंपनी के सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार अर्जित अवकाश 91.76 लाख रुपये (पिछले वर्षः 27. 34 लाख रुपये) है।

(ड़) उपदानः सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन का अर्जन। दिनांक 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन के बाद, निहित अवधि 5 वर्ष है और भुगतान 20.00 लाख रुपये तक सीमित है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए उपदान के लिए एक्चुरियल वैल्यूएशन कंपनी के सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के अनुसार रोलबद्ध कर्मचारियों के लिए 105.72 लाख रुपये (पिछले वर्षः 39.44 लाख रुपये) हैं।

(च) पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी) (सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ): कंपनी एक्चुअरी वैल्यूएशन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के उपयोग से सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा निर्धारित लाभ योजनाओं में योगदान करती है। योजना के तहत पात्र पूर्व कर्मचारियों और पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने पूर्व कर्मचारियों के लिए की ओर 252.54 लाख रुपए (पिछले वर्षः 112.04 लाख रुपए) प्रदान किए हैं।

(छ) बैगेज अलाउंसः सुपरनेशन के समय, कर्मचारी अपने पसंद के स्थान पर बसने के हकदार हैं और वे बैगेज भत्ता के लिए पात्र हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने बैगेज भत्ते की ओर 3.07 लाख रुपये (पिछले वर्षः 1.85 लाख रुपये) प्रदान किए हैं।

लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) और अन्य खुलासे के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न निर्धारित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार हैः

✦ **दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(रु. लाख में)

विवरण	एफ.वाई.	उपदान (वित्त पोषित)	बीमारी की छुट्टी (वित्त पोषित)	अर्जित छुट्टी (वित्त पोषित)	सामान (वित्त पोषित)	पीआरएमबी (वित्त पोषित)
शुरुआत के रूप में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2019-20	872.82	309.70	289.20	12.63	612.50
	2018-19	802.39	282.36	205.68	10.78	517.32
ब्याज लागत	2019-20	66.42	23.56	22.00	0.96	46.61
	2018-19	60.98	21.45	15.63	0.81	39.31
वर्तमान सेवा लागत	2019-20	55.21	20.81	43.60	1.05	37.19
	2018-19	49.92	19.42	40.04	0.85	30.92
विगत सेवा लागत	2019-20	-	-	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-	-
लाभ का भुगतान किया	2019-20	-50.28	-54.27	-56.21	-	-57.31
	2018-19	-21.24	-	-20.14	-	-16.87
अधिग्रहण समायोजन में	2019-20	-	-	-	-	-
	2018-19	-	-	3.55	-	-

(रु. लाख में)

विवरण	एफ.वाई.	उपदान	बीमारी की छुट्टी	अर्जित छुट्टी	सामान	पीआरएमबी
		(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)
दायित्वों पर जीवनांकिक (एक्चुरियल) हानि / (लाभ)	2019-20	47.13	47.37	106.85	1.04	150.46
	2018-19	-19.22	-13.54	44.43	0.17	41.79
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2019-20	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46
	2018-19	872.82	309.70	289.20	12.63	612.50

✦ नियोजित संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. लाख में)

विवरण	एफ.वाई.	उपदान	बीमारी की छुट्टी	अर्जित छुट्टी	सामान	पीआरएमबी
		(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2019-20	913.16	-	-	-	-
	2018-19	463.42	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	2019-20	62.72	-	-	-	-
	2018-19	54.27	-	-	-	-
नियोक्ता का योगदान	2019-20	11.48	-	-	-	-
	2018-19	416.71	-	-	-	-
लाभ का भुगतान किया	2019-20	-50.28	-	-	-	-
	2018-19	-21.24	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2019-20	937.08	-	-	-	-
	2018-19	913.16	-	-	-	-

✦ बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

(रु. लाख में)

विवरण	एफ.वाई.	उपदान	बीमारी की छुट्टी	अर्जित छुट्टी	सामान	पीआरएमबी
		(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)	(वित्त पोषित)
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित मूल्य	2019-20	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46
	2018-19	872.82	309.70	289.20	12.63	612.50
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2019-20	937.08	-	-	-	-
	2018-19	913.16	-	-	-	-
तुलन पत्र में शुद्ध देयता को मान्यता दी गई	2019-20	-54.22	-347.19	-405.45	-15.70	-789.46
	2018-19	40.33	-309.70	-289.20	-12.63	-612.50

✦ लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(रु. लाख में)

विवरण	एफ.वाई.	उपदान (वित्त पोषित)	बीमारी की छुट्टी (वित्त पोषित)	अर्जित छुट्टी (वित्त पोषित)	सामान (वित्त पोषित)	पीआरएमबी (वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	2019-20	55.21	20.81	43.60	1.05	37.19
	2018-19	49.92	19.42	40.04	0.85	30.92
कटौती लाभ / हानि सहित विगत सेवा लागत	2019-20	-	-	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	2019-20	66.42	23.56	22.00	0.96	46.61
	2018-19	60.98	21.45	15.63	0.81	39.31
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित वापसी	2019-20	69.49	-	-	-	-
	2018-19	35.22	-	-	-	-
वर्ष में शुद्ध जीवनांकिक (नेट एक्चुएरियल) (लाभ) / हानि को मान्यता दी गई	2019-20	-	47.37	106.85	-	-
	2018-19	-	-13.54	44.43	-	-
आय स्टेटमेंट में मान्यता प्राप्त व्यय	2019-20	52.14	91.76	172.47	2.02	83.80
	2018-19	75.68	27.34	100.11	1.67	70.24

✦ जीवनांकिक अनुमान

विवरण	एफ.वाई.	उपदान (वित्त पोषित)	बीमारी की छुट्टी (वित्त पोषित)	अर्जित छुट्टी (वित्त पोषित)	सामान (वित्त पोषित)	पीआरएमबी (वित्त पोषित)
छूट की दर	2019-20	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
	2018-19	7.61%	7.61%	7.61%	7.61%	7.61%
वेतन वृद्धि की दर	2019-20	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
	2018-19	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
विधि का उपयोग किया	2019-20	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (PUC)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (PUC)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (PUC)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (PUC)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (PUC)
	2018-19					

✦ संवेदनशीलता लाभ परिभाषित लाभ दायित्व का विश्लेषण

(रु. लाख में)

क) छूट की दर में परिवर्तन का प्रभाव	उपदान	बीमारी की छुट्टी	अर्जित छुट्टी	सामान	पीआर एमबी
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	-39.37	-12.43	-18.65	-0.62	-27.23
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	42.23	13.20	20.23	0.67	28.62

ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	उपदान	बीमारी की छुट्टी	अर्जित छुट्टी	सामान	पीआर एमबी
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	20.58	13.17	20.18	0.68	29.01
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	-20.87	-12.48	-18.72	-0.63	-27.88

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता, महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव को गिना नहीं जाता। भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर के रूप में संवेदनशीलता, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पहले पेंशन में वृद्धि की दर प्रयोज्य नहीं है।

9. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –108 के संबंध में प्रकटीकरण: "परिचालन खंड"

(i) संचालन खंड

108 के रूप में इंड एएस में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, सीएमडी, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और व्यापार क्षेत्रों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों को व्यक्तिगत व्यवसाय खंड में राजस्व और व्यय रिकॉर्ड में लगातार लागू किया जाता है, और इन्हें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निर्धारित किया जाता है।

कंपनी 2 खंडों में काम करती है – नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता (ईई) क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियां और केरल के कासरगोड में सौर संयंत्र संचालन के माध्यम से बिजली उत्पादन। कंपनी के लिए प्रमुख राजस्व आरई और ईई सेक्टर में वित्तपोषण गतिविधियों के क्षेत्र से आता है। अन्य प्रचालन खंड (ऑपरेटिंग सेगमेंट)– सौर संयंत्र (सोलर प्लांट) के माध्यम से बिजली का उत्पादन एक रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है। कंपनी भारत में काम करती है, इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में ही संचालित किया जाता है। जैसा कि खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से एकल व्यवसाय / भौगोलिक खंड के रूप में माना जाता है।

(ii) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

हमारे राजस्व में 10 प्रतिशत या अधिक योगदान देने वाला कोई भी बाहरी ग्राहक नहीं है।

(iii) भौगोलिक जानकारी

आस्ति की स्थानिक स्थिति के अनुसार परिचालनों के स्थान पर बाहरी ग्राहकों से राजस्व और इसके गैर–वर्तमान आस्तियों के बारे में जानकारी निम्न हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर तात्कालिक परिसंपत्ति'	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
भारत**	236,731.98	201,956.61	204,732.36	206,824.94
भारत के बाहर	-	-	-	-
कुल	**236,731.98**	**201,956.61**	**204,732.36**	**206,824.94**

* इस राशि में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजी कार्य–में–प्रगति, निवेश संपत्ति, उपयोग की संपत्ति का अधिकार, विकास के तहत अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम और भारत सरकार पूर्णतया सेवा बोंड धन प्राप्य शामिल है।

** ऐसे 7,165.33 लाख रुपये (पिछले वर्ष के 3,434.80 लाख रुपये) की राशि शामिल है, जो कि व्युत्पन्न के उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ से संबंधित है, जिसे बाहरी ग्राहकों द्वारा राजस्व का हिस्सा नहीं माना जाता है।

(iv) प्रमुख उत्पादों से राजस्व

प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए बाहरी ग्राहकों से राजस्व निम्नानुसार हैं:

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2020
ब्याज आय	224,658.02	193,320.13
फीस और कमीशन आय	2,162.65	2,370.38
व्युत्पन्न के उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ '	7,165.33	3,434.80
सौर संयंत्र संचालन से राजस्व	2,745.99	2,831.31
कुल	**236,731.98**	**201,956.61**

* उन्हें बाहरी ग्राहकों से राजस्व का हिस्सा नहीं माना जाता है।

10. भारतीय लेखा मानक 24 के संबंध में प्रकटीकरण "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण"

(क) सरकार के अलावा अन्य तथा सरकार संबंधित संस्थायों के लिए खुलासे

(i) संबंधित पक्ष की सूची

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध का प्रकार	अवधि (01.04.2018 से 31.03.2020)
मेसर्स एम.पी. विंडफर्म्स लिमिटेड	एक संयुक्त क्षेत्र ने एमपी उर्जा विकास निगम लिमिटेड (25%), समेकित ऊर्जा कंसल्टेंट्स लिमिटेड (49.5%), इरेडा (24%) और अन्य (1.5%) के सहयोग से सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को हटा दिया।	01.04.2019 to 31.03.2020 01.04.2018 to 31.03.2019
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		
श्री बी.पी. यादव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक* निदेशक – सरकार नामित	01.04.2019 to 31.03.2020 01.04.2018 to 31.03.2019
श्री प्रवीण कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2019 to 31.12.2019 01.03.2019 to 31.03.2019
श्री के.एस. पोपली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	- 01.04.2018 to 28.02.2019
श्री एस.के. भार्गव	निदेशक– वित्त	01.04.2019 to 31.01.2020 01.04.2018 to 31.03.2019
श्री चिंतन नवीनभाई शाह	निदेशक– तकनीकी निदेशक– वित्त**	01.04.2019 to 31.03.2020 01.04.2018 to 31.03.2019
श्री अरुण कुमार	निदेशक – सरकारी नामिति	01.04.2019 to 29.07.2019 28.01.2019 to 31.03.2019
सुश्री गार्गी कौल	निदेशक – सरकारी नामिति	- 01.04.2018 to 21.12.2018
श्री प्रवीण गर्ग	निदेशक – सरकारी नामिति	29.07.2019 to 11.02.2020
श्री अमितेश कुमार सिन्हा	निदेशक – सरकारी नामिति	24.01.2020 to 31.03.2020
श्री विमलेंद्र ए पटवर्धन	निदेशक – सरकारी नामिति	17.02.2020# to 31.03.2020
श्री अभिषेक महावर	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 to 31.03.2020 01.04.2018 to 31.03.2019

सुश्री इंदु बाला	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 to 18.03.2020 01.04.2018 to 31.03.2019
सुश्री मधुश्री एम. स्वामी	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 to 31.03.2020 01.04.2018 to 31.03.2019
डॉ गांगिडी एम. रेड्डी	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 to 31.03.2020 01.04.2018 to 31.03.2019
श्री संजय जैन	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 to 31.03.2020 12.04.2018 to 31.03.2019
डॉ आर सी शर्मा	जीएम (एफ एंड ए) और मुख्य वित्तीय अधिकारी**	01.02.2020 to 31.03.2020
श्री सुरेन्द्र सुयाल	कंपनी सचिव	01.04.2019 to 31.03.2020 01.04.2018 to 31.03.2019

* श्री बी पी यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई (सरकारी नामित निदेशक, आईआरईडीए) को दिनांक 02.01.2020 के प्रभाव से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), आईआरईडीए के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

** श्री चिंतन नवीनभाई शाह को 01.02.2020 से 05.02.2020 तक की अवधि के लिए निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया गया था।

*** डॉ. आर. सी. शर्मा, जीएम (एफ एंड ए) को 01.02.2020 से मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया गया।

डीआईएन आबंटन की तारीख।

कंपनी के नियंत्रण में न्यास / निधि

- इरेडा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास
- इरेडा लिमिटेड कर्मचारी उपदान निधि न्यास
- इरेडा कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास
- इरेडा कर्मचारी हितकारी निधि
- इरेडा मुद्रा जोखिम प्रशासन निधि

(ii) संबंधित पक्षों को मुआवजा

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक लाभ		
उपस्थिति (स्वतंत्र निदेशकों के लिए) *	19.20	18.40
अन्य (कार्यात्मक निदेशकों को वेतन) **	181.06	235.68
कार्यात्मक निदेशकों को रोजगार उपरांत लाभ **	13.25	19.06
कुल	**213.51**	**273.14**

*** उपस्थिति शुल्क**

अनुक्रमांक	नाम	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	अभिषेक महावर	6.40	5.80
2	इंदु बाला	2.60	2.60
3	जी.एम. रेड्डी	5.60	5.20
4	मधुश्री एम स्वामी	3.60	4.40
5	संजय जैन	1.00	0.40
	कुल	**19.20**	**18.40**

**विवरण के तहत

(रु. लाख में)

एस	विवरण	श्री के एस पोपली, (सीएमडी)[1]		श्री प्रवीण कुमार (सीएमडी)[2]	श्री बी.पी.यादव, (सीएमडी)[3]		श्री एस के भार्गव, (डीएफ)[4]		चिंतन नवीनभाई शाह, (डीटी)		डॉ आर सी शर्मा, (सीएफओ)[5]	श्री सुरेन्द्र सुयाल, (सीएस)	
		2019-20	2018-19	2019-20	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2019-20	2018-19
1	वेतन और भत्ते	-	84.03	-	-	-	83.49	63.44	30.24	27.66	6.28	43.68	33.69
2	अनुलाभ का मूल्य	-	5.60	-	-	-	4.33	5.48	4.01	0.48	0.83	2.59	6.00
3	भविष्य निधि	-	3.05	-	-	-	2.73	2.99	2.56	2.44	0.53	2.63	2.38
4	सेवानिवृत्ति योगदान	-	2.29	-	-	-	1.82	2.24	1.5	1.83	-	1.45	1.78
5	चिकित्सा	-	2.99	-	-	-	1.64	2.92	1.81	1.70	0.33	1.73	1.64
कुल		**-**	**97.96**	**-**	**-**	**-**	**94.01**	**77.07**	**40.12**	**34.11**	**7.97**	**52.08**	**45.49**

1. 28.02.2019 को श्री के.एस.पोपली ने अधिवर्षिता प्राप्त की।
2. श्री प्रवीण कुमार ने 01.03.2019 से 31.12.2019 तक सीएमडी के रूप में कार्य किया।
3. श्री बी. पी. यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई (सरकार नामित निदेशक, इरेडा को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा का 02.01.2020 से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
4. श्री एस के भार्गव ने 31.01.2020 को अधिवर्षिता प्राप्त की।
5. डॉ. आर. सी. शर्मा, जीएम (वित्त तथा लेखा) को 01.02.2020 से मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया।

नोट:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार मासिक शुल्क के भुगतान पर प्रति माह 1000 किलोमीटर की सीलिंग (उच्चतम सीमा) तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार की अनुमति दी गई है।
- कार्यात्मक निदेशकों के लिए उपदान निधि के लिए योगदान अलग से निर्धारण योग्य नहीं है क्योंकि एलआईसी में योगदान कर्मचारी वार नहीं बनाया गया है।
- कार्यात्मक निदेशक को अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ आदि का प्रावधान जीवनांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

(iii) केएमपी से और इसके लिए ऋण:

(रु. लाख में)

विवरण	श्री के एस पोपली, (सीएमडी)		श्री एस के भार्गव, (डीएफ)		श्री चिंतन नवीनभाई शाह (डीटी)		डॉ आर. सी. शर्मा, (सीएफओ)	श्री सुरेन्द्र सुयाल, (सीएस)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2019-20	2018-19
केएमपी को ऋण									
वर्ष की शुरुआत में ऋण	-	-	-	0.64	-	-	15.86	14.27	11.89
ऋण अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	1.90	6.00
चुकौती मिली	-	-	-	0.64	-	-	4.14	3.84	4.29
ब्याज लगाया	-	-	-	-	-	-	0.72	0.52	0.66
ब्याज प्राप्त किया	-	-	-	-	-	-	1.56	-	-
ब्याज सहित वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-	-	-	-	-	10.88*	12.85	14.27
केएमपी से ऋण	-								

*राशि में कंपनी द्वारा देय 0.09 लाख रुपये की राशि शामिल है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर्मचारी ऋण नीतियों के संदर्भ में विभिन्न ऋणों को विस्तारित किया जाता है। केएमपी को ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर दिया जाता है जो कंपनी के अन्य कर्मचारियों के लिए विस्तारित किए जाते हैं। संबंधित पक्षों के लिए कोई लंबित प्रतिबद्धता नहीं है।

ख. सरकार और सरकार के सस्थाओं के साथ दर्ज किए गए लेन–देन के लिए प्रकटीकरण।

(रु. लाख में)

सरकार / सरकारी संस्थाओं का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	2019–20 के दौरान लेन–देन	2018–19 के दौरान लेन–देन	शेष राशि 31 मार्च 2020 तक	31,2019 को शेष राशि
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	प्रशासनिक मंत्रालय	ऋण चुकौती– एमएनआरई के माध्यम से आईडीए	874.96	871.97	28,740.87	27,236.20
		ब्याज भुगतान	205.05	210.83	-	-
		गारंटी भुगतान	9,623.16	8,472.66	-	-
		एमएनआरई की ओर से कर योग्य बॉन्ड का उठाना	-	-	भारत सरकार पूरी तरह से सेवा बांड सीरीज–I : 61,000.00 श्रृंखला–IA : 22,000.00 श्रृंखला आईबी : 81,000.00 कुल : 164,000.00	

इरेडा भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है। उसी सरकार के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण में संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेन–देन निम्नानुसार हैं:

(रु. लाख में)

कंपनी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	2019–20 के दौरान लेन–देन	2018–19 के दौरान लेन–देन	शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	शेष राशि 31 मार्च 2019 तक
आंध्रा बैंक	ऋण की चुकौती	115.92	76.31	-	115.92
पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	ऋण की चुकौती	46,000.00	90,000.00	-	-
पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	ऋण का संवितरण	-	46,000.00	-	46,000.00
आरईडब्ल्युए उल्टा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का संवितरण	2,417.70	4,117.56	9,990.36	7,572.66
भारतीय स्टेट बैंक	ऋण की चुकौती	671.37	1,103.72	494.06	1,165.43
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	सीएसआर गतिविधियों के लिए सौर आधारित और एसपीवी सड़कों की रोशनी की आपूर्ति	183.69	-	-	-
आवास और शहरी विकास निगम लि.	ग्राउंड रेंट और लाइसेंस फीस अदा की	7.69	-	-	-
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, यूनिट अशोक होटल	होटल का भुगतान	16.45	-	-	-

कंपनी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	2019–20 के दौरान लेन–देन	2018–19 के दौरान लेन–देन	शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	शेष राशि 31 मार्च 2019 तक
भारतीय जीवन बीमा निगम	किराया हैदराबाद शाखा कार्यालय के लिए	5.01	5.01	0.34	0.09
राष्ट्रीय निर्माण निगम लिमिटेड	किराए पर लेने की जगह के लिए रखरखाव शुल्क	8.98	4.13	0.42	1.46
इंडिया लिमिटेड का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन।	इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क	9.12	9.22	1.88	2.22
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	किराए पर लिया गया स्थान	93.71	94.14	(0.04)	(26.43)
भारतीय सौर ऊर्जा निगम	व्यय की प्रतिपूर्ति	8.22	4.13	(9.37)	(9.37)
भारतीय सौर ऊर्जा निगम	कासरगोड सौर परियोजना	-	134.65	352.78	352.78

कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के ऋण पर 3,469.57 लाख (पिछले वर्षः 6,555.13 लाख रुपये) रुपये का ब्याज और 46,787.29 लाख के मूलधन (पिछले वर्षः रु. 91,180.03 लाख) का पुनर्भुगतान प्राप्त किया है।

सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ उपर्युक्त लेन–देन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण लेन–देन कवर करते हैं। कंपनी ने अन्य लेन–देन जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई यात्रा और अन्य सीपीएसयू के साथ जमा आदि भी किया है। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए खुलासा नहीं किया गया है। सभी लेनदेन बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।

11. प्रकटीकरण जैसा कि नियमन 34 (3) और 53 (एफ) अनुसूची सेबी के साथ अग्रणी के रूप में सेबी (लिस्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 आवश्यक हैं

सहयोगी (असोसिएट्स)		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
		मार्च 31, 2020 तक की राशि	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	31 मार्च, 2019 तक राशि	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि
1	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम	-		-	
क	एसोसिएट्स को				
ख	जिन कंपनियों में निदेशक रुचि रखते हैं				

12. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस के रूप में) 116 "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 के प्रारंभिक आवेदन की तारीख के साथ इंड एएस 116 लागू किया है। कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके इंड एएस 116 के रूप में इंडस्ट्रीज लागू किया है, जिसके तहत 01 अप्रैल, 2019 को बनाए रखे आय में प्रारंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव को मान्यता दी गई है। । कंपनी अपनी लीज व्यवस्था के सभी उपर्युक्त दृष्टिकोण को 01 अप्रैल, 2019 तक लागू कर चुकी है।

इंड एएस 116 के पैरा सी 11 के अनुसार, वो पट्टे जिन्हें इंड एएस 17 के द्वारा वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की वहन राशि और प्रारंभिक आवेदन की तारीख में पट्टा देयता, उस तिथि से तुरंत पूर्व, जिससे इंड एएस 17 के रूप में लागू करने के लिए मापा गया था, लीज देनदारी की वहन राशि होगी। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में लीजहोल्ड प्रॉपर्टी के मामले में लीज एसेट की वहन राशि को कंपनी ने एएस 116 के अनुसार उपयोग की गई संपत्ति के अधिकार के रूप में उतनी ही राशि को अग्रेषित किया है।

(क) इंड एएस 116 के अनुसार उपयोग के अधिकार के रूप में लेखांकित लीज का विवरण

कंपनी ने दिल्ली, हैदराबाद आदि में कार्यालय स्थान के लिए विभिन्न पक्षों के साथ समझौते किए हैं। प्रत्येक समझौते और किराये के भुगतान का कार्यकाल अलग–अलग है। हमने लीज के लिए इंड एएस 116 के तहत नए माप सिद्धांतों को उन पट्टों के लिए लागू किया है, जिन पर लघु अवधि (शॉर्ट टर्म) लीज के तहत छूट कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप नहीं है।

(ख) 116 के रूप में इंड एएस को अपनाने के कारण लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

ब्यौरे	लीजहोल्ड– आईएचसी	लीजहोल्ड– एकेबी	आरआईएनएल लीज	31 मार्च, 2020 तक
संपत्ति संयंत्र और उपकरणों में कमी	133.61	1,678.98	-	**1,812.59**
द्वारा लीज देनदारी में वृद्धि	-	-	102.42	**102.42**
द्वारा उपयोग के अधिकारों में वृद्धि	133.61	1,678.98	99.01	**1,911.60**
द्वारा वित्त लागत में वृद्धि	-	-	10.63	**10.63**
द्वारा मूल्यह्रास में वृद्धि	-	-	74.26	**74.26**
द्वारा स्थगित कर देयता में शुद्ध वृद्धि	106.24			**106.24**

(ग) पट्टे की देनदारियों का एम अशुद्धता विश्लेषण

(रु. लाख में)

परिपक्वता विश्लेषण – संविदागत अघोषित नकदी प्रवाह	लीजहोल्ड– आईऐचसी	लीजहोल्ड– एकेबी	आरआईएनएल लीज	31 मार्च, 2020 तक
7 दिन तक	-	-	6.79	6.79
7 दिन– 15 दिन तक	-	-	-	-
30/31 दिन (1 माह) तक 15 से अधिक दिन	-	-	-	-
1 महीने से अधिक –2 महीने	-	-	6.79	6.79
2 महीने –3 महीने से अधिक	-	-	6.79	6.79
3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	-	-	20.37	20.37
6 महीने से अधिक 1 वर्ष	-	-	40.74	40.74
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	-	-	27.16	27.16
3 और 5 साल तक	-	-	-	-
5 साल से अधिक	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को कुल गैर–रियायती लीज देनदारियाँ	-	-	108.63	108.63
31 मार्च, 2020 को वित्तीय स्थिति के विवरण में लीज देनदारियाँ शामिल हैं	-	-	102.42	102.42
वर्तमान	लागू नहीं	लागू नहीं	75.73	लागू नहीं
गैर वर्तमान	लागू नहीं	लागू नहीं	26.69	लागू नहीं

(घ) लाभ और हानि की संविधि में मान्यता प्राप्त है

(रु. लाख में)

विवरण	लीजहोल्ड– आईऐचसी	लीजहोल्ड– एकेबी	आरआईएनएल लीज	31 मार्च, 2020 तक
लीज देनदारी पर ब्याज	-	-	10.63	**10.63**
अंतर्निहित आस्ति के वर्ग द्वारा उपयोग के अधिकार वाली आस्ति के लिए मूल्यह्रास शुल्क	15.71	181.30	74.26	**271.27**

(ड़) नकदी प्रवाह के बयान में मान्यता प्राप्त है

(रु. लाख में)

विवरण	लीजहोल्ड–आईएचसी	लीजहोल्ड–एकेबी	आरआईएनएल लीज	31 मार्च, 2020 तक
पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह	-	-	81.48	**81.48**

(च) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है

(रु. लाख में)

विवरण	लीजहोल्ड–आईएचसी	लीजहोल्ड–एकेबी	आरआईएनएल लीज	31 मार्च, 2020 तक
संपत्तियों के सही उपयोग के अतिरिक्त	172.34*	2,110.10*	173.27	**2,455.71**
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सही–उपयोग की परिसंपत्तियों की वहन राशि।	117.90	1,497.68	99.01	**1,714.60**

* इंड एएस 116 के पैरा सी11 के अनुसार, वो पट्टे जिन्हें इंड एएस 17 के द्वारा वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की वहन राशि और प्रारंभिक आवेदन की तारीख में पट्टा देयता, उस तिथि से तुरंत पूर्व, जिससे इंड एएस 17 के रूप में लागू करने के लिए मापा गया था, लीज देनदारी की वहन राशि होगी। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में लीजहोल्ड प्रॉपर्टी के मामले में लीज एसेट की वहन राशि को कंपनी ने एएस 116 के अनुसार उपयोग की गई संपत्ति के अधिकार के रूप में उतनी ही राशि को अग्रेषित किया है।

(छ) अन्य खुलासे

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	**9.12**

13. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –33 के संबंध में खुलासा "प्रति शेयर आय (ईपीएस)"

(क) मूल ईपीएस

मूल ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले सामान्य शेयरों की कमाई और भारित औसत संख्या इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए लाभ (हानि), कंपनी के मालिकों के लिए (रु. लाख)	21,455.04	24,990.60
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय (क) (रु. लाख)	21,455.04	24,990.60
प्रति शेयर बेसिक कमाई के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	784,600,000	784,600,000
बेसिक ईपीएस (क/ख) (रुपये में)	**2.73**	**3.19**

(ख) डाइल्यूटेड ईपीएस

डाइल्यूटेड ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले सामान्य शेयरों की कमाई और भारित औसत संख्या इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए लाभ (हानि), कंपनी के मालिकों के लिए (रु. लाख)	21,455.04	24,990.60
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना में उपयोग की गई आय (क) (लाख रुपये)	21,455.04	24,990.60
प्रति शेयर आय (ख) डाइल्यूटेड आय के उद्देश्य से सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या	784,600,000	784,600,000
डाइल्यूटेड ईपीएस (क/ख) (रुपये में)	**2.73**	**3.19**

14. लाभांश

पूंजी पुनर्गठन (कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग) पर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ओ.एम. दिनांक 27.05.17 के अनुसार, जिसमें लाभांश के भुगतान के लिए दिशा–निर्देश हैं, कंपनी को कर के बाद लाभ (पीएटी) पर 30% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश या शुद्ध मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने वर्ष 2018–19 के लिए 12,819.00 लाख रुपये के अंतिम लाभांश का भुगतान किया।

15. संपत्तियों पर बनाई गई प्रतिभूति

i. प्रतिभूति के रूप में अनुमानित किए गए परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
हमारे ऋण और अग्रिम के आधार पर पैरी–पासू पर पहला शुल्क (कंपनी की पुस्तक ऋण)		
वित्तीय संपत्ति		
कर निशुल्क बॉन्ड	275,765.46	275,765.46
बैंक उधार'	171,659.84	95,423.00
विदेशी मुद्रा ऋण	225,949.43	222,072.58
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
अस्थायी प्रभार		
वित्तीय संपत्ति	-	-
गैर–वित्तीय आस्तियां	-	-

इसके अलावा, कर योग्य बॉन्ड, दिनांक 31.03.2020 को 456,683.92 लाख रुपये (पिछले वर्ष: 291,450.75 लाख) की राशि, नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा प्रतिभूत हैं।

* कंपनी के बैंक ऋणों के संबंध में बनाए गए शुल्कों का विवरण इस प्रकार है:

अनुक्रमांक	ऋणदाता संस्था	सृजित चार्ज का विवरण
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	बुक ऋणों के दृष्टि बंधक के माध्यम से प्रथम पैरी–पासू शुल्क, कुल स्वीकृति सीमा और दृष्टि बंधक के पुस्तक ऋण / मानक प्रापर्टी से संबंधित प्राप्य ऋण के 100% के अधीन, प्रथम पैरी–पासू शुल्क।
2	एचडीएफसी	100% कवर के साथ 90 दिनों तक के बुक ऋण और प्राप्तियों पर पैरी–पासू प्रभार।
3	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	100% ऋण राशि के अधीन पुस्तक ऋणों के अनुमान के माध्यम से प्रथम पारी पासु शुल्क।
4	केनरा बैंक	प्रथम पैरी–पासू प्रभार (ऋण बुक) मानक आस्तियों (एसेट्स) पर।

ii. बुक ऋण पर ऋणात्मक ऋण द्वारा प्रतिभूत

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
ऋणात्मक ग्रहणाधिकार (कंपनी की ऋण बुक)		
वित्तीय संपत्ति		
कर योग्य बांड	456,683.92	291,450.75
गैर वित्तीय आस्तियां	-	-

16. कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्दिष्ट व्युत्पन्न अनुबंध प्रभावी हेज हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में बदलाव ''कैश फ्लो (नकद प्रवाह) हेजेज" के प्रभावी भाग'' में मान्य है। जब हेज की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है, इस तरह के रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

17. उधारी संस्थाओं की संपत्ति आदि के माध्यम से रखी गई सुरक्षा के अलावा, कंपनी के पास दिए गए ऋणों के अतिरिक्त प्रतिभूतियां के रूप में बैंकों द्वारा जारी किए गए एफडीआर और प्रतिभूतियाँ क्रमशः 5,938.06 लाख रुपये और 18,041.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष), 5,740.05 लाख रुपये और 24,527.25 लाख रुपये थीं।

18. बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और इरेडा (आईआरईडीए) के व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा ऋण (बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 40%) पर एक खुला प्रकटीकरण अनुमन्य है। 31 मार्च, 2020 तक खुला एक्सपोजर 261,350.75 लाख रुपये (पिछले सालः 245,459.71 लाख रुपये) है जो बकाया फॉरेक्स उधार का 24.58% (पिछले सालः 24.77%) है और यह अनुमेय सीमा के भीतर है।

उक्त खुला प्रकटीकरण (एक्सपोजर) में रु 46,343.40 लाख रुपए समतुल्य यूरो 61,474–891.72 की आंशिक हेजिंग, यूरो मुद्रा ऋण के लिए मूल रूप से केवल स्वैप (यूएसडी / आईएनआर) (पिछले वर्षः 42,522.98 लाख यूरो, यूरो के 61,474,891.72 डॉलर के बराबर) लेकर, की गई ।

19. भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज एएस) 40 के अनुसार प्रकटीकरण – "निवेश संपत्ति"

i. जंगपुरा, दिल्ली में आवासीय फ्लैट

ii. आय और व्यय का विवरणः

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
किराए से आय	6.60	6.60
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय	0.04	1.25

iii. निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

संपत्ति के बाजार मूल्य का आकलन (प्रमाणित वैल्यूअर द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार) 211.00 लाख रुपये पर 31.03.2020 (पिछले वर्षः 248.00 लाख रुपये) के रूप में किया गया है।

20. भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज के रूप में) 27 – "अलग वित्तीय विवरण"

कंपनी के सहयोगी के संबंध में निम्नलिखित जानकारी है:

इकाई का नाम	व्यापार / समावेश का देश	समूह गैर–नियंत्रित हितों द्वारा स्वामित्व	मुख्य गतिविधियाँ	संबंध	लेखा विधि	ले जाने की राशि* (लाख में रु.)
एसोसिएट में निवेश						
एमपी विंड फार्म लिमिटेड में निवेश	मध्य प्रदेश–भारत	24%	ऊर्जा का सृजन	सहयोगी	इक्विटी पद्धति	12.00

* वित्तीय वर्ष 1996–97 में उक्त कंपनी द्वारा जारी बोनस शेयरों के संबंध में रु. 4.80 लाख को छोड़कर ।

21. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 8 के अनुसार प्रकटीकरण – "लेखांकन नीतियां, लेखांकन आकलनों और त्रुटियों में परिवर्तन"

क) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और उसके बाद के नियमों, सह पठित भारत के सनदी लेखाकार इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों गतिविधियों पर व्यय के लिए मार्गदर्शन नोट, का पालन करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों की गतिविधियों पर खर्च का पुनर्कथन किया। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 8 के अनुसार "लेखांकन नीतियां, लेखांकन आकलन और त्रुटियों में परिवर्तन", "कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय" के तहत लाभ और हानि के विवरण में चालू वर्ष का खर्च 1,196.04 लाख रुपये और पिछले वर्ष की इसी शेष राशि को 1,221.00 लाख रुपये के स्थान पर 1,255. 53 लाख रुपये पर रखा गया है। "कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड" के साथ "अन्य वित्तीय देनदारियों" के तहत 01 अप्रैल, 2018 को 2,053.77 लाख रुपये के साथ शेष राशि के किए गए खुलासे को प्रारंभिक सामान्य भंडार (ओपनिंग जनरल रिजर्व) के साथ समायोजित किया गया है। नतीजतन अन्य वित्तीय देनदारियों में निगमित सामाजिक दायित्व निधि निल हो गई है। तदनुसार पिछले वर्ष की प्रति इक्विटी शेयर आय 3.44 रुपये से 3.11 रुपये तक सीमित कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 0.33 रुपये की कमी आई है।

ख) विदेशी मुद्रा विनिमय / विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा लाभ / हानि के लेखांकन में त्रुटि का सुधार।

31 मार्च, 2019 तक, 31 मार्च, 2018 को लंबी अवधि के लिए विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के बकाया होने की सूचना पर होने वाले विनिमय अंतर, हेज किए गए आइटम के अलावा, एक "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतर अंतर खाता"

(एफसीएमआईटीआर) में जमा होते हैं तथा और प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता द्वारा इस तरह के दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

101 के रूप में इंड एएस के पैरा डी13एए के अनुसार – पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों को एफसीएमआईटीआर में सभी अर्हक दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के लिए विनिमय लाभ / हानि रिकॉर्ड करने के लिए उचित रूप से संशोधित किया है और लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद के कार्यकाल में परिशोधन किया है। जहाँ इस तरह की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को इंड एएस 109 के अनुसार प्रभावी हेज में हेज आइटम के रूप में नामित किया गया है, कंपनी ने परिशोधित लाभ और हानि में पहचानी गई ऐसी वस्तुओं के लिए विनिमय लाभ / हानि की मात्रा के बराबर राशि को पुनर्वर्गीकृत किया है।

तदनुसार, कंपनी ने अपनी तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित बदलाव किए हैं:

- 101 के रूप में इंड एएस के पैरा डी13एए के अनुपालन के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए नीति में संशोधन किया गया है और
- तुलनात्मक अवधि की वित्तीय जानकारी नीचे दी गई है।

इक्विटी में परिवर्तन के सारांश के अनुरूप परिवर्तन के साथ अन्य इक्विटी के भाग के हिस्से के रूप में विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतर रिजर्व अकाउंट (एफसीएमआईटीआर) और कैश फ्लो (नकद प्रवाह) हेज रिजर्व (सीएफएचआर) में परिवर्तन:

(रु. लाख में)

ब्यौरे	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतर रिजर्व (एफसीएमआईटीआर) (जैसा कि पहले बताया गया है)	वृद्धि (कमी)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतर रिजर्व (एफसीएमआईटीआर) (बहाल)
01 अप्रैल, 2018	(21,640.39)	(22,722.93)	(44,363.32)
वर्ष के दौरान परिवर्धन	(106.10)	(15,732.51)	(15,838.61)
वर्ष के दौरान परिशोधन	2,738.90	3,321.65	6,060.55
31 मार्च, 2019	(19,007.59)	(35,133.80)	(54,141.39)

(रु. लाख में)

ब्यौरे	नकद प्रवाह कैश फ्लो हेज रिजर्व (जैसा कि पहले बताया गया है)	वृद्धि / (कमी)	नकद प्रवाह (कैश फ्लो) हेज रिजर्व (बहाल)
01 अप्रैल, 2018	(10,163.53)	22,722.93	12,559.40
हेजिंग उपकरणों के प्रभावी भाग के उचित मूल्य में परिवर्तन	(3,098.18)	-	(3,098.18)
लाभ और हानि खाते में पुनर्वर्गीकृत राशि	(6,197.37)	12,410.86	6,213.49
31 मार्च, 2019 (कर से पहले)	(19,459.08)	35,133.80	15,674.72

(रु. लाख में)

लाभ और हानि का विवरण (सारांश)	31 मार्च, 2019 (जैसा कि पहले बताया गया है)	वृद्धि / (कमी)	31 मार्च, 2019 (पुनर्कथित)
इस साल का लाभ	24,413.46	-	24,990.60
अन्य व्यापक आमदनी			
ऐसे आयटम जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(27.96)	-	(27.96)
वे आयटम जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा	(9,295.55)	12,410.86	3,115.31
कुल अन्य व्यापक आय	(9,323.51)	12,410.86	3,087.35
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	15,089.95	12,410.86	28,077.95

22. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल देनदारियों पर पाबंदी लगाना

परिशिष्ट, 'ए' के रूप में इंड एएस 16 में मौजूदा परिवर्तन, बहाली और समान देयताओं में परिवर्तन के लिए एक डीकमिशनिंग, पुर्नस्थापना या इसी तरह की देयता में निर्दिष्ट बदलावों की आवश्यकता होती है और इसे उस आस्ति की लागत से घटाया जाता है जिससे यह संबंधित है; फिर आस्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि को उसके शेष उपयोगी जीवन के आधार पर भावी रूप में मूल्यह्रासित किया जाता है। ईपीसी संविदाकार द्वारा सौर संयंत्र को सौंपने की प्रक्रिया अभी भी लंबित है। वर्ष के दौरान सौर संयंत्र से संबंधित डीकमीशनिंग देयता को अभी तक पता मान्य नहीं किया गया है।

23. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किया गया और दिनांक 30.07.2020 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

24. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कंपनी के पास सौर ऊर्जा संयंत्र है। 31.03.2017 को इरेडा और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) (शक्ति क्रय अनुबंध) पर / 4.95 / केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, हस्ताक्षर किए गए हैं। तदनुसार, इरेडा (आईआरईडीए) ने केएसईआरसी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट की मंजूरी के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश में दिनांक 14.02.18 को मार्च, 2018 तक 3.90 रुपये प्रति यूनिट के अंतरिम टैरिफ को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, केएसईआरसी ने एक टैरिफ आदेश पारित किया है और प्रति यूनिट रु .3.83 का टैरिफ निर्धारित किया है। तदनुसार, कंपनी ने केएसईबीएल को बिजली के वितरण पर सकल राजस्व को मान्यता दी है।

		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		
अनुक्रमांक	ब्यौरे	यूनिट बिक्री (सैन्य)	दर प्रति यूनिट (रु)	कुल (लाख रुपए में)
i)	शक्ति का सृजन	73.16	3.83	2,802.03
		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		
अनुक्रमांक	ब्यौरे	यूनिट बिक्री (सैन्य)	दर प्रति यूनिट (रु)	कुल (लाख रुपए में)
i)	शक्ति का सृजन	75.43	3.83	2,889.09*

* टैरिफ में अंतर के समायोजन के बाद कुल।

क) राजस्व का विपुंजन

नीचे दिया गया सेट ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विपुंजन है:

सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व

(रु. लाख में)

अनुक्रमांक	ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	राजस्व		
संचालन से शुद्ध राजस्व		2,745.99	2,831.31
2	प्राथमिक भौगोलिक बाजार		
घरेलू राजस्व		2,745.99	2,831.31
अंतर्राष्ट्रीय राजस्व		-	-
कुल राजस्व		**2,745.99**	**2,831.31**
3	राजस्व मान्यता का समय		
बिंदु पर		-	-
समय तक		2,745.99	2,831.31
कुल राजस्व		**2,745.99**	**2,831.31**

नोट: केएसईबीएल बिजली की बिक्री के लिए एकल ग्राहक है।

ख) व्यापार प्राप्य और अनुबंध शेष

निम्नलिखित तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है: –

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2020
व्यापार प्राप्य (नेट) (सौर संयंत्र)	311.96	217.40

25. सौर ऊर्जा परियोजना

कंपनी ने केरल राज्य में कासरगोड में स्थित इरेडा के 50 मेगावाट के सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014–15 सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। इसे वित्त वर्ष 2016–17 में खातों में 29,398.48 लाख रुपये पर पूंजीकृत किया गया है। बदले में, सौर पीवी शक्ति संयंत्र (सोलर पीवी पावर प्लांट) की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, निर्माण, परीक्षण, कमीशन के लिए इरेडा की ओर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के रूप में) ने, रु. 26,929.25 लाख की निश्चित कीमत पर और 8% प्रबंधन शुल्क (कर सहित), रु 2,456.32 लाख एसईसीआई को देय और वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 12.92 लाख रुपये के ब्याज पर, मेसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड को ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) के रूप में चुना है। सौर पार्क डेवलपर को निकासी शुल्क के लिए अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए 1,500.00 लाख रुपये (करों को छोड़कर) की राशि को वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजीकृत किया गया था। वित्त वर्ष 2018– 19 के दौरान, रुपये की एक और राशि रु. 812.71 लाख का भुगतान किया गया था और पूंजीकृत किया गया था। सौर परियोजना लीजहोल्ड भूमि पर स्थापित की गई है, जिसके लिए कोई भी पट्टे का किराया देय नहीं है। भूमि के संबंध में पट्टा समझौते का निष्पादन वर्ष के अंत तक लंबित है।

इरेडा और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 को / 4.95 / केडब्ल्यूएच, या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार इरेडा (आईआरईडीए) ने केएसईआरसी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट को मंजूरी देने के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश में दिनांक 14.02.18 को 3.90 रुपये प्रति यूनिट के अंतरिम टैरिफ को मंजूरी दी। इसके अलावा, केएसईआरसी ने अपने आदेश में दिनांक 06.02.19 को प्रति यूनिट 3.83 रुपये के स्तर पर टैरिफ को मंजूरी दी थी। यह भी निम्नानुसार आगे के आदेश में दिया गया है:

- केएसईबी लिमिटेड, इस आदेश में निर्दिष्ट इक्विटी की राशि तक सीमित, आरओई पर चुकाए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति करेगा। कर का दावा करने के लिए, डेवलपर केएसईबी लिमिटेड को ऐसे कर के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- केएसईबी लिमिटेड प्रतिपूर्ति करेगा, इरेडा / आरपीसीकेएल द्वारा भुगतान की गई भूमि का पट्टा, उपर्युक्त के अलावा, सब्सिडी के रूप में प्राप्त राशि को इससे घटा कर, यदि कोई हो तो।

तदनुसार, इरेडा ने आरपीसीकेएल के विरुद्ध 1,313.00 लाख रुपये का दावा किया था, आरपीसीकेएल ने दावे और इस मूल्य राशि के संबंध में नकारात्मक जवाब दिया था। इसके अलावा, इरेडा ने, निर्धारित टैरिफ की समीक्षा के लिए एक समीक्षा याचिका के साथ, टैरिफ ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) से संपर्क किया। इसके बावजूद, उत्पादन की आय रु. 3.83 प्रति यूनिट के हिसाब से तय की गई है।

संयंत्र की प्रचालन स्वीकृति (प्लांट का ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस) हो चुकी है और कंपनी ने 09.03.2020 को प्रचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। संयंत्र को सौंपना और नियंत्रण प्राप्त करने की प्रक्रिया (प्लांट हैंडओवर और टेकओवर) को प्रचालन स्वीकृति (ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस) की तारीख से एक साल बाद की जानी है और 18% को सफलतापूर्वक हासिल करना है। अनुबंध की शर्तों के अनुरूप आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। उपरोक्त के बाद, जब तक परियोजना को सौंपने और टैरिफ के निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया गया, तब तक आस्ति की किसी भी हानि का आकलन नहीं किया गया है।

26. पट्टों के भवनों के संबंध में हस्तांतरण विलेख – एक आवासीय फ्लैट जिसकी कीमत 41.43 लाख रुपये है (31 मार्च, 2020 तक की कीमतः रु. 5.09 लाख (पिछले वर्षः रु. 6.10 लाख)), कार्यालय परिसर–आईएचसी की कीमत 439.57 लाख रु. (लागत के रूप में वहन करना) 31 मार्च, 2020 रु. 117.90 लाख (पिछले वर्षः रु. 133.61 लाख)), और कार्यालय परिसर–एकेबी की लागत रु. 4,227.58 लाख (31 मार्च, 2020 को लागत)रू 1,497.68 लाख (पिछले वर्षः रु. 1,678.98 लाख)), अभी कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना है। लागत में भूमि का आनुपातिक मूल्य शामिल है जिसे अलग से निर्धारित और हिसाब नहीं दिया गया है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर समग्र मूल्य पर मूल्यह्रास का प्रभार लगाया गया है। नोट संख्या 38 (12) का संदर्भ लें।

27. सभी आवासीय और कार्यालय परिसरों के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक संपत्ति कर की मांग का भुगतान किया गया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यालय भवन के संबंध में संपत्ति कर का भुगतान 31 मार्च 2020 तक इंडिया हैबिटेट सेंटर की मांग के अनुसार किया गया है, जो इकाई क्षेत्र पद्धति पर आधारित था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने 1994–2004 की अवधि के लिए उपयुक्त मूल्य की गणना के लिए सुविधाओं के क्षेत्र के लिए प्राप्त लाइसेंस शुल्क को शामिल करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर के साथ एक मुद्दा उठाया है। यह मामला अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पास लंबित है। यदि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ फैसला दिया, तो नगरपालिका कर के खाते से संबंधित देयता को पुनः निर्धारित करना होगा, जो इस स्तर पर पता नहीं लगाई जा सकती है।

28. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में, इरेडा को निदेशक मंडल की एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समिति का गठन करना आवश्यक है और कंपनी को, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार की गई गणना के आधार पर, कंपनी के तीनों तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों के औसत शुद्ध वित्तीय लाभ का 2% वित्तीय खर्च करना होगा। कंपनी अधिनियम 2013. तदनुसार, इरेडा के पास निदेशक मंडल की सीएसआर समिति है जिसमें 4 निदेशक तथा

एक स्वतंत्र निदेशक है।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली सकल राशि का विवरणः

(रु. लाख में)

अनुक्रमांक	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	1,340.01	1,221.00
2	विगत वर्ष से अग्रेषित	2,019.24	2,053.77
3	खर्च करने के लिए आवश्यक सकल राशि	3,359.25	3,274.77
4	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1,919.04	1,255.53
5	खर्च नहीं की गई राशि	1,440.21	2,019.24

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कर से पहले के औसत स्टैंडअलोन लाभ के 2% के आधार पर 1340.01 लाख (पिछले वर्षः रु. 1,221.00 लाख) के सीएसआर बजट को मंजूरी दी थी। एक वर्ष में स्वीकृत परियोजनाएं आगामी वर्षों में पूरी हो जाती हैं और परियोजना के पूरा होने के विभिन्न चरणों में माइलस्टॉन लिंक्ड भुगतान है। इसके अलावा, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएसआर बजट गैर–कालातीत है और किसी भी अनिर्दिष्ट राशि को अगले वर्ष के लिए उपयोग के लिए अग्रेषित किया जाता है, जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था।

वर्ष के दौरान, 2,430.88 लाख रुपये (पिछले वर्षः 1,560.19 लाख रुपये) के कुल परिव्यय के साथ निम्नलिखित नई परियोजनाओं को सीएसआर के तहत इरेडा द्वारा वित्तपोषित करने की मंजूरी दी गईः

(रु. लाख में)

सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	व्यय	क्रियान्वयन एजेंसी	स्थिति – 31.03.2020
1	पीएम को राहत कोष में दान	750.00	सीधे इरेडा द्वारा	पूरा हो गया
स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल				
2	स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	200.00	सीधे इरेडा द्वारा	पूरा हो गया
पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण				
3	आकांक्षात्मक जिले में आरई 350 सोलर पीवी आधारित इंडक्शन कुक स्टोव	262.50	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	प्रगति में
4	नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित आरई फाउंडेशन की ओर कॉर्पस का निर्माण	200.00	सीधे इरेडा द्वारा	प्रगति में
आकांक्षात्मक जिला विकास				
5	उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और चंदौली में आकांक्षात्मक जिला विकास कार्यक्रम	804.00	उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, केंद्रीय भंडार	प्रगति में
6	रायचूर में आकांक्षात्मक जिला विकास कार्यक्रम	80.60	सीधे इरेडा (आईआरईडीए) द्वारा	प्रगति में

सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	व्यय	क्रियान्वयन एजेंसी	स्थिति – 31.03.2020
7	यादगीर में आकांक्षात्मक जिला विकास कार्यक्रम	96.53	सीधे इरेडा द्वारा	प्रगति में
8	बलरामपुर और चंदौली के आकांक्षापूर्ण (एस्पिरेशनल) जिलों के लिए 3000 पीपीई किट की आपूर्ति	37.25	केंद्रीय भंडार	प्रगति में
कुल परिव्ययः		**2,430.88**		

सीएसआर गतिविधियों पर वर्ष के दौरान खर्च की गई राशिः

(रु. लाख में)

सं.	ब्यौरे	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
		2019-20			2018-19		
(i)	किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	1,911.77	-	1,911.77	1,244.84	-	1,244.84
(ii)	उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	7.27	-	7.27	10.70	-	10.70
कुल		**1,919.04**	**-**	**1,919.04**	**1,255.53**	**-**	**1,255.53**

वर्ष के दौरान, परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं पर 1,919.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष रू1,255.53 लाख रुपये) की राशि खर्च की गई है। वर्ष के दौरान जारी किए गए निधियों में से, 1,321.52 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित है और 597.52 लाख रुपये की शेष राशि पिछले वर्षों (पिछले वर्ष) में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित हैः कुल मिलाकर 1,255.53 लाख रुपये की राशि खर्च की गई, जिसमें से 776.06 लाख रुपये वित्त वर्ष 2018–19 में स्वीकृत और वितरित परियोजनाओं पर व्यय के लिए और शेष पूर्व वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित थे।

29. लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षक		
• सीमित समीक्षा	1.50	1.50
• सांविधिक लेखा – परीक्षा	6.00	6.00
• कर लेखा परीक्षा (टैक्स ऑडिट)	2.00	2.00
अन्य सेवाएं		
• प्रमाणन शुल्क	2.25[1]	1.70
• आईएफसीएस लेखा परीक्षा	2.00[2]	-
• डीआरएचपी आईपीओ संबंधित	16.00[2]	15.00
कुल	**29.75**	**26.45**

टिप्पणियाँ:

1. राशि में से, रु. 1.25 लाख वित्त वर्ष 2018–19 से संबंधित है।

2. वित्त वर्ष 2018–19 से संबंधित है।

30. आस्थगित कर – 12 एस आय करों के अनुसार इंड एएस के अनुसार प्रकटीकरण

क. लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान आयकर व्यय का संबंध:		
वर्तमान वर्ष	10,013.33	13,888.32
पूर्व वर्षों का समायोजन	-	-
उप कुल (क)	10,013.33	13,888.32
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(7,357.10)	(7,783.63)
पूर्व में मान्यता प्राप्त कर हानि, कर क्रेडिट या पूर्व अवधि का अस्थायी अंतर (स्थगित कर व्यय को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है)	-	-
उप कुल (ख)	(7,357.10)	(7,783.63)
कुल (सी = क + ग)	**2,656.23**	**6,104.69**
नकदी प्रवाह हेज रिजर्व (डी) में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ के प्रभावी हिस्से पर कर व्यय को मान्यता दी गई	4,386.67	611.68
कुल कर व्यय (सी + घ)	**7,042.90**	**6,716.37**

ख. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
जीवनांकिक (एक्चुरियल) (लाभ) / हानि	(50.62)	24.30
नकदी प्रवाह बचाव रिजर्व में हेजिंग साधन पर प्रभावी हिस्से पर आयकर	4,386.67	611.68
कुल	**4,336.05**	**635.98**

ग. कर व्यय और लेखा लाभ का पुनर्विचार

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टैक्स और ओसीआई से पहले लाभ	63,385.46	34,206.95
लागू आयकर दर (%)	25.17%	34.94%
अपेक्षित आय कर	15,952.85	11,953.28
आयकर समायोजन का कर प्रभाव		
मूल्यह्रास	(1,745.27)	4.26
आस्थगित आइटम और ओसीआई समायोजन	4,304.98	1,449.47

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
46 ए का उपचार	(11,880.28)	-
आईपीओ व्यय और हानि	3,258.82	644.65
धारा 43 बी और अन्य के तहत नेट अस्वीकृति	134.58	104.92
आयकर अधिनियम 1961 की कटौती यू / एस 36 (1) का लाभ	(3,480.36)	(3,766.49)
सीएसआर खर्च और अन्य की गैर–अनुमति	482.98	426.72
अचल आस्ति (फिक्स्ड एसेट्स) समायोजन	0.04	(0.01)
अन्य कटौती योग्य कर व्यय	(0.50)	(0.69)
अतिरिक्त कर प्रदान किया गया	15.07	225.04
अंतिम वर्ष के खातों में समायोजन	-	(4,324.78)
कुल कर व्यय (नकदी प्रवाह बचाव रिजर्व में हेजिंग साधन पर लाभ के प्रभावी हिस्से पर मान्य कर व्यय सहित)	7,042.90	6,716.37
खाता आय पर वास्तविक प्रभावी आयकर दर (%)	11.11%	19.63%

नोट: चालू वित्त वर्ष में लागू कर की दर 34.94% से घटकर 25.17% हो गई है क्योंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत कर / 22% (प्लस प्रयोज्य अधिभार और उपकर) का भुगतान करने का विकल्प अपनाया है।

घ. आस्थगित कर की गतिविधि

2019-20

(रु. लाख में)

ब्यौरे	1 अप्रैल 2019 तक शुद्ध शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त है	ओसीआई में मान्य	31 मार्च, 2020 तक शुद्ध शेष
आस्थगित कर आस्ति				
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	85.02	17.03	-	102.05
उपदान का प्रावधान	(0.61)	0.69	-	0.08
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का प्रावधान	167.78	(6.96)	-	160.82
बीमारी की छुट्टी का प्रावधान	91.05	(3.66)	-	87.38
सामान भत्ते का प्रावधान	3.66	0.02	-	3.69
निष्पादन प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	342.44	(61.04)	-	281.40
हानि	18,496.30	9,816.93	-	28,313.22
फ्रंट एंड फीस – पुस्तकों में आस्थगित	822.12	(454.29)	-	367.83
मसाला बॉन्ड ग्रांट – पुस्तकों में आस्थगित	66.02	(66.02)	-	-
कुल	**20,073.77**	**9,242.70**	-	**29,316.47**
ओसीआई अनुभाग				
आस्थगित कर परिसंपत्ति				
उपदान पर जीवनांकिक हानि (ग्रेच्युटी पर एक्चुरियल लॉस)	-	-	13.57	13.57
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ पर जीवनांकिक हानि	12.28	-	25.59	37.87
सामान भत्ते पर जीवनांकिक लाभ	0.05	-	0.21	0.26
कुल	**12.33**	-	**39.37**	**51.70**
विलंबित कर देयताएँ				
मूल्यह्रास	6,440.62	(1,392.70)	-	5,047.92
विदेशी मुद्रा हानि अनुवाद अंतर	6,642.02	3,309.59	-	9,951.61
बांड	135.83	(31.28)	-	104.55
कुल	**13,218.47**	**1,885.60**	-	**15,104.07**
ओसीआई अनुभाग				
विलंबित कर उत्तरदायित्व				
उपदान पर जीवनांकिक लाभ	11.25	-	(11.25)	-
कुल	**11.25**	-	**(11.25)**	-
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति / (देयता)	**6,856.38**	**7,357.10**	**50.62**	**14,264.10**

2018 - 19

(रु. लाख में)

ब्यौरे	1 अप्रैल 2018 तक शुद्ध शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त है	ओसीआई में मान्य	31 मार्च 2019 तक शुद्ध शेष
आस्थगित कर आस्ति				
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	60.06	24.96	-	85.02
उपदान का प्रावधान	94.74	(95.35)	-	(0.61)
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का प्रावधान	129.08	38.70	-	167.78
बीमारी की छुट्टी का प्रावधान	82.46	8.59	-	91.05
सामान भत्ते का प्रावधान	4.00	(0.34)	-	3.66
कर रोकना	101.21	(101.21)	-	-
वेतन संशोधन का प्रावधान	30.56	(30.56)	-	-
प्रदर्शन (निष्पादन) प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	274.97	67.47	-	342.44
हानि	9,850.55	8,645.75	-	18,496.30
फ्रंट एंड फीस – पुस्तकों में आस्थगित	-	822.12	-	822.12
मसाला बॉन्ड ग्रांट – पुस्तकों में आस्थगित	-	66.02	-	66.02
कुल	**10,627.63**	**9,446.14**	-	**20,073.77**
ओसीआई अनुभाग				
आस्थगित कर परिसंपत्ति				
उपदान पर जीवनांकिक हानि	4.24	-	(4.24)	-
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ पर जीवनांकिक हानि	21.99	-	(9.71)	12.28
सामान भत्ते पर जीवनांकिक लाभ	-	-	0.05	0.05
कुल	**26.23**	-	**(13.90)**	**12.33**
विलंबित कर उत्तरदायित्व				
मूल्यह्रास	5,180.05	1,260.57	-	6,440.62
विदेशी मुद्रा हानि अनुवाद अंतर	6,246.83	395.19	-	6,642.02
बांड	129.07	6.76	-	135.83
कुल	**11,555.96**	**1,662.51**	-	**13,218.47**
ओसीआई अनुभाग				
विलंबित कर उत्तरदायित्व				
सामान भत्ते पर जीवनांकिक लाभ	0.86	-	(0.86)	-
उपदान पर जीवनांकिक हानि	-	-	11.25	11.25
कुल	**0.86**	-	**10.39**	**11.25**
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति / (देयता)	**(902.95)**	**7,783.63**	**(24.30)**	**6,856.38**

ड. कटौती योग्य अस्थायी अंतर / अप्रयुक्त कर नुकसान / अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे बढ़ाया

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 तक	समाप्ति तिथि	31 मार्च 2019 तक	समाप्ति तिथि
कटौती योग्य अस्थायी अंतर / अप्रयुक्त कर हानि / अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं

च. कुल वर्तमान कर और आस्थगित कर जो सीधे इक्विटी के लिए मान्य है

(रु. लाख में)

ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
	-	-
कुल	-	-

31. अतिरिक्त जानकारी

(क) विदेशी मुद्रा में व्ययः

- यात्रा पर रु. 6.13 लाख (पिछले वर्षः रु. 14.84 लाख)
- ब्याज और प्रतिबद्धता खर्चः रु. 16,311.45 लाख (पिछले वर्षः रु. 15,522.07 लाख)। इसके अलावा, भारतीय मुद्रा में 42,812.71 लाख रुपये (पिछले वर्षः 36,781.83 लाख रुपये) की हेजिंग लागत का भुगतान किया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा में आयः

- ब्याजः रु. 166.57 लाख (पिछले वर्षः रु. 228.00 लाख)

(ग) मैसर्स केएफडब्ल्यू ने रु .140.58 का भुगतान किया (पिछले वर्षः रु. लाख रुपये) सीधे सलाहकारों को, यूरो 0.6 मिलियन की तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी), जोकि भारत में सोलर पीवी प्रोजेक्ट पाइपलाइन के लिए तकनीकी सहायता आदि के लिए केएफडब्ल्यू IV लाइनों के क्रेडिट के संबंध में आईआरईडीए को मंजूर की गई थी, के विरुद्ध प्रत्यक्ष संवितरण प्रक्रियाओं के तहत टीए कार्यक्रम के तहत काम पर हायर किए गए। टीए कार्यक्रम के तहत द्वारा इरेडा को शून्य रुपये (पिछले वर्षः रुपये शून्य) के आगे के यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की गई।

(घ) मेसर्स केएफडब्ल्यू ने 206.40 लाख रुपये (पिछले वर्षः रु 53.51 लाख) का भुगतान किया था, जो सीधे परामर्शदाता के पास टीए कार्यक्रम के तहत काम पर रखा गया था। टीएपी के तहत यूरो 1 मिलियन की टीएपी के खिलाफ प्रत्यक्ष संवितरण प्रक्रिया के तहत विशेषज्ञ सेवाओं के लिए केएफडब्ल्यू VI लाइन के क्रेडिट के संबंध में इरेडा के लिए संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्षमता निर्माण उपायों और लागतों के लिए, इरेडा को मंजूरी दी गई थी।

(ड़) विश्व बैंक ने आईबीआरडी III लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सौर पार्कों परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के वित्तपोषण में सहायता के लिए यूएसडी 2 मिलियन का स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) अनुदान स्वीकृत किया है। वर्ष के दौरान, वर्ल्ड बैंक ने अनुदान के तहत इरेडा को शून्य लाख रुपये प्रतिपूर्ति की।

32. एमएनआरई कार्यक्रम निधि

कंपनी ने अपनी गतिविधियों के अलावा समझौता ज्ञापन (मोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कार्यक्रमों को लागू किया। प्रत्येक समझौता ज्ञापन के निर्धारण में, एमएनआरई ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक सहमति राशि रखी है। एमएनआरई ऋणों पर ब्याज देय आधार पर दिया लेखांकित किया जाता है। जैसा कि एमएनआरई कार्यक्रम के ऋण से उत्पन्न आय कंपनी की आय नहीं है और ऋण की संपत्ति भी एमएनआरई से संबंधित है, उसी प्रकार आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान प्रयोजनों के लिए नहीं माना जाता है। संबंधित कार्यक्रमों के बंद होने पर, कंपनी को एमयूआरई के क्रेडिट की राशि (उस पर पर अर्जित ब्याज सहित) को सेवा प्रभार, अपरिवर्तनीय चूक और अन्य देय, जैसा कि एमओयू में निध ार्ारित है, को घटा कर, एमएनआरआई को राशि स्थानांतरण करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त अवधि के दौरान एमएनआरई के देय राशि, राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ अलग–अलग बैंक खातों में बचत बैंक / अल्पावधि जमा आदि में बैंक शेष के रूप में दिखाए गई राशि, अप्रयुक्त धन पर ब्याज सहित, नकद और नकद समकक्षों में शामिल को छोड़कर (नोट 3 देखें), और इसी देयता को बैलेंस शीट में अन्य वित्तीय देनदारियों (संदर्भ नोट 22) के तहत दिखाया गया है।

33. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) और पूंजी सहायता राशि (सब्सिडी) योजना, एमएनआरई

इरेडा एमएनआरई की ओर से पवन और सौर क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव) और कैपिटल सब्सिडी के वितरण के लिए एक निधि प्रशासक (फंड एडमिनिस्ट्रेटर) है। इन योजनाओं के तहत, एमएनआरई की योजना के अनुसार जीबीआई दावेदारों को उसी के संवितरण के उद्देश्य से एमएनआरई द्वारा इरेडा को विशिष्ट निधि राशि प्रदान की जाती है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, धन की प्राप्ति और उपयोग गतिविधि है। जीबीआई धनराशि के किसी और रिलीज के लिए, इरेडा (आईआरईडीए) को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित खर्च के लेखा परीक्षित विवरण के साथ उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त आवश्यकता पूरी तरह से इरेडा द्वारा अनुपालन की जाती है और एमएनआरई द्वारा अब तक कुछ भी आवश्यक नहीं किया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने योजना के खातों की लेखा परीक्षा नहीं की है।

34. एमएनआरई भारत सरकार पूर्णतया सेवा बांड

आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यालयीन ज्ञापन सं. एफ. 15 (4) – बी /सीडीए/ 2015 दिनांक 03.10.16 के पदों में, इरेडा को भारत सरकार द्वारा ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय शक्ति, ऑफ–ग्रिड / वितरित और विकेंद्रित नवीकरणीय शक्ति से संबंधित एमएनआरई योजनाओं / कार्यक्रमों के लिए और निगमों और स्वायत्त निकायों में निवेश के लिए, पूरी तरह से सेवित बांडों के माध्यम से 400,000.00 लाख रुपये की राशि जुटाने के लिए कहा गया था। 25.01.17 को एमएनआरई और इरेडा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो दोनों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। एमओयू के पेज 5 पर जनरल क्लॉज के पैरा न (सी) विशेष रूप से परिभाषित करते हैं कि एमएनआरई बॉन्ड के उधार को कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय गणना के लिए संपत्ति / देयता न माना जाए। इसका तात्पर्य यह है कि एमएनआरई बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि को उधार के साथ–साथ परिसंपत्तियों में परिलक्षित किया जाएगा, हालांकि, इरेडा के उधार / परिसंपत्तियों या आय / व्यय पर उसी का कोई प्रभाव नहीं होगा।

वर्ष 2016–17 के दौरान इरेडा ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ₹164,000.00 लाख के भारत सरकार सर्विस बांड्स इकट्ठे किए थे। उन्हें नोट संख्या 23 – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियाँ – के तहत दिखाया गया है। उसके एवज में 31 मार्च, 2020 तक विभिन्न योजनाओं / परियोजना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशानुसार ₹163,879.20 लाख (31 मार्च, 2019 तक ₹163,879.20 लाख) वितरित किया गया है। नवीन एवं

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से हासिल होने वाले वसूली योग्य राशि के रूप में उक्त राशि को नोट संख्या 16 – अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ – के तहत दिखाया गया है। यह राशि एमआईबीओआर लिंक्ड डिपॉजिट में रखी गई थी। इस पर 31 मार्च, 2020 तक हासिल होने वाले ₹1,103.40 लाख उपार्जित ब्याज (31 मार्च, 2019 तक ₹1,090.57) को नोट संख्या 23 – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियाँ – के तहत दिखाया गया है। 31 मार्च, 2020 तक शेष संचयी राशि (उपार्जित / अर्जित ब्याज सहित) ₹855.29 लाख (31 मार्च, 2019 तक ₹840.12 लाख) है। जिसे एमआईबीओआर लिंक्ड टर्म डिपॉजिट में रखा गया है और इंडसइंड बैंक के साथ चालू खाते में रखा हुआ है। 31 मार्च, 2020 तक यह राशि ₹258.26 लाख (31 मार्च, 2019 तक ₹371.25 लाख) है। इसे नोट नंबर 3 – संबंधित सब हेड्स में अन्य बैंक बैलेंस – के तहत दिखाया गया है।

वित्त वर्ष के दौरान, भारत सरकार सर्विस बॉन्ड्स पर बनने वाले ब्याज की राशि ₹12,434.70 लाख बकाया रह गई और उतना ही भारत सरकार से मिल गई तथा निवेशकों को अदा कर दी गई।

उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय फंडों को वित्तीय परिसंपत्तियों– अन्य बैंक बैलेंस, करंट / सेविंग बैंक / डिपॉजिट अकाउंट के तहत दिखाया गया है और इस तरह की देनदारी को – अन्य वित्तीय देनदारियाँ – के तहत दिखाया गया है।

35. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सब्सिडी/इंसेंटिव प्राप्त किया गया और उनकी ओर से हस्तान्तरित कर दिया गया

क. ब्याज सब्सिडी

सरकार की नीति के अनुसार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कोजेनेरेशन, लघु हाइड्रो, ब्रिकेटिंग, बायोमास, सौर तापीय एवं अपशिष्ट से ऊर्जा जैसे कार्यक्रमों को एनपीवी के आधार पर और सौर एवं सोलर फोटोवोल्टिक कार्यक्रमों को वास्तविक आधार पर लागू करने वाले उधारकर्ताओं लिए ब्याज सब्सिडी जारी की जाती है। इन ऋण लेने वालों द्वारा स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुपालन के अनुसार तिमाही आधार पर उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

कार्यक्रम–वार ब्याज सब्सिडी के विवरण निम्नानुसार हैं: –

(i) एनपीवी आधार पर ब्याज सब्सिडी: –

(रु. लाख में)

सेक्टर का नाम	बायो–मास को–जेनेरेशन	लघु हाइड्रो	कुल योग (क)
31 मार्च, 2020	215.01	1.83	**216.84**
31 मार्च, 2019	215.01	1.83	**216.84**

(ii) वास्तविक आधार पर ब्याज सब्सिडी: –

(रु. लाख में)

सेक्टर का नाम	सोलर थर्मल सेक्टर	सोलर फोटोवोल्टिक वाट पीक 2000–01	सोलर फोटोवोल्टिक वाट पीक 2001–02	सोलर फोटोवोल्टिक वाट पीक 1999–00	सोलर फोटोवोल्टिक वाट पीक विनिर्माण	सोलर फोटोवोल्टिक वाट पीक 2002–03	त्वरित सौर जल तापन प्रणाली	कुल योग (ख)	संपूर्ण योग (क+ख)
31 मार्च, 2020	0.04	(-)51.35	(-)1,36.03	(-)6.85	(-)2.97	(-)41.39	0.10	**(-)238.45**	**(-) 21.61**
31 मार्च, 2019	0.04	(-)51.35	(-)1,36.03	(-)6.85	(-)2.97	(-)41.39	0.10	**(-)238.45**	**(-) 21.61**

ख. पूँजी सब्सिडी

पूरे वर्ष के दौरान, ₹ शून्य की राशि (पिछले वर्ष: ₹ शून्य) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूँजी सब्सिडी

के रूप में प्राप्त हुआ था। पूँजी सब्सिडी योजना के नियमों और शर्तों के अनुपालनानुसार, कुल उपलब्ध पूँजीगत सब्सिडी राशि में से ₹ शून्य (पिछले वर्ष: ₹ शून्य) उधारकर्ताओं को अदा की गई थी।

36. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 18 (7) (ख) (ii) के संदर्भ में, कंपनी को सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए बॉन्ड्स के 25% तक को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता होती है। कंपनी ने डीआरआर के लिए एक प्रावधान किया है, ताकि कर मुक्त बांड्स के संबंधित कार्यकाल में आवश्यक राशि प्राप्त की जा सके। इस हिसाब से 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष ₹4,629.11 लाख) के लिए ₹4,629.11 लाख प्रदान किए गए हैं।

37. एनबीएफसी रिजर्व

दिनांक 31 मई, 2018 को जारी किए गए आरबीआई के परिपत्र सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी.नं.092 / 03.10.001 /2017.18 के संदर्भ में, इरेडा को आरबीआई अधिनियम की धारा 45–आईसी, 1934 के तहत, कर पश्चात लाभ का / 20: का एनबीएफसी रिजर्व बनाना आवश्यक है। तदनुसार ₹4,300.00 लाख की राशि (पिछले वर्ष: ₹4,882.69 लाख) को एनबीएफसी रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

38. वित्तीय साधनों से संबंधित प्रकटीकरण

I. उचित मूल्य माप

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(रु. लाख में)

विवरण (31 मार्च, 2020)	परिशोधित लागत	कीमत पर	उचित मूल्य पर		योग
			ओसीआई के माध्यम से	पी एंड एल के माध्यम से	
वित्तीय संपत्तियाँ					
नकद और नकद समकक्ष	98,840.37				98,840.37
निर्धारित बैंक बैलेंस	58,731.37				58,731.37
डेरिवेटिव वित्तीय साधन			65,062.91	6,193.07	71,255.99
व्यापार प्राप्य	312.98				312.98
ऋण	2,297,768.68				2,297,768.68
निवेश		12.00			12.00
अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	2,486.44				2,486.44
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	**2,458,139.85**	**12.00**	**65,062.91**	**6,193.07**	**2,529,407.84**
वित्तीय देनदारियाँ					
डेरिवेटिव वित्तीय साधन			6,788.00		6,788.00
व्यापार देय	6,580.14				6,580.14
ऋण प्रतिभूतियाँ	926,758.64				926,758.64
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,243,625.87				1,243,625.87
अधीनस्थ देयताएँ	14,970.00				14,970.00
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	94,064.47				94,064.47
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**2,285,999.11**	**-**	**6,788.00**	**-**	**2,292,787.10**

(रु. लाख में)

विवरण (31 मार्च, 2020)	परिशोधित लागत	कीमत पर	उचित मूल्य पर		योग
			ओसीआई के माध्यम से	पी एंड एल के माध्यम से	
वित्तीय संपत्तियाँ					
नकद और नकद समकक्ष	55,730.76				55,730.76
निर्धारित बैंक बैलेंस	49,603.78				49,603.78
डेरिवेटिव वित्तीय साधनों			14,858.27	574.29	15,432.55
व्यापार प्राप्य	239.59				239.59
ऋण	2,098,598.17				2,098,598.17
निवेश		12.00			12.00
अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	2,847.34				2,847.34
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	**2,207,019.63**	**12.00**	**14,858.26**	**574.29**	**2,222,464.18**
वित्तीय देनदारियाँ					
डेरिवेटिव वित्तीय साधन			25,045.83	1,546.53	26,592.36
व्यापार देय	12,616.57				12,616.57
ऋण प्रतिभूतियाँ	761,246.83				761,246.83
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,099,076.95				1,099,076.95
अधीनस्थ देयताएँ	14,967.88				14,967.88
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	87,620.19				87,620.19
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**1,975,528.42**	**-**	**25,045.83**	**1,546.53**	**2,002,120.78**

II. उचित मूल्य पदानुक्रम

यह खंड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए किए गए निर्णय और अनुमानों की व्याख्या करता है जो –

(क) उचित मूल्य पर स्वीकृत किए तथा मापे जाते हैं, और

(ख) परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए जाने वाले इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर पर आधारित एक स्पष्टीकरण तालिका के नीचे दिया गया है।

(ग) भौतिकता को देखते हुए, हमने कर्मचारी ऋण और सुरक्षा जमाओं की छूट को नजरअंदाज कर दिया है।

कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी साधन, ट्रेडेड बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी उद्धृत कीमत होती है। सभी इक्विटी साधनों (बॉन्ड्स सहित) का उचित मूल्य जिनका कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है उनके मूल्य का निर्धारण विचाराधीन अवधि के अंत में समापन मूल्य का उपयोग करके किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स का मूल्य निर्धारण

एनएवी समापन का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: ऐसे वित्तीय साधन जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, (उदाहरण के लिए, व्यापार किए जाने वाले बांड्स) उनका निर्धारण अन्य तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इसके लिए रिकॉर्ड किए हुए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले सभी इनपुट्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होते हैं।

स्तर 3: ऐसी तकनीक जिसमें इनपुट्स का उपयोग किया जाता है, जो रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है जो कि गैर–सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे अवलोकन योग्य बाजार डाटा पर आधारित नहीं होती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31 मार्च, 2020 तक'

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय संपत्तियाँ :–			
हेजेज के रूप में नामित डेरिवेटिव्ज			
मूलधन केवल स्वैप	-	-	60,797.70
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	4,265.21
हेजेज के रूप में नामित न किए गए डेरिवेटिव्ज			
मूलधन केवल स्वैप	-	-	6,193.07
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	-	-	**71,255.99**
वित्तीय देनदारियाँ			
हेजेज के रूप में नामित डेरिवेटिव्ज			
मूलधन केवल स्वैप	-	-	6,788.00
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
हेजेज के रूप में नामित न किए गए डेरिवेटिव्ज			
मूलधन केवल स्वैप	-	-	-
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियाँ	-	-	**6,788.00**

* राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दिखाई जाती हैं।

ऐसी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिन्हें परिशोधित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है

(रु. लाख में)

31 मार्च, 2020* तक	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय संपत्तियाँ			
परिशोधन पर आधारित वित्तीय संपत्तियाँ:			
कंपनियों को लोन	-	-	2,276,461.95
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	-	-	**2,276,461.95**
वित्तीय देनदारियाँ			
परिशोधन पर आधारित वित्तीय देनदारियाँ:			
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	926,758.64
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	1,243,625.87
अधीनस्थ देनदारियाँ	-	-	14,970.00
कुल वित्तीय देनदारियाँ	-	-	**2,185,354.50**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दिखाया जाता है।

ख. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31 मार्च 2019 तक*

(रु. लाख में)

वित्तीय संपत्तियाँ	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय संपत्तियाँ :–			
हेजेज के रूप में नामित डेरिवेटिव्ज			
मूलधन केवल स्वैप	-	-	13,675.53
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	1,182.74
हेजेज के रूप में नामित न किए गए डेरिवेटिव्ज			
मूलधन केवल स्वैप	-	-	574.29
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	-	-	**15,432.55**
वित्तीय देनदारियाँ			
हेजेज के रूप में नामित डेरिवेटिव्ज			
मूलधन केवल स्वैप	-	-	24,849.06
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	196.77
हेजेज के रूप में नामित न किए गए डेरिवेटिव्ज			
मूलधन केवल स्वैप	-	-	1,546.53
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियाँ	-	-	**26,592.36**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दिखाया जाता है।

ऐसी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिन्हें परिशोधित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है

(रु. लाख में)

31 मार्च, 2019* तक	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय संपत्तियाँ			
परिशोधन पर वित्तीय संपत्तियाँरू			
कंपनियों को लोन	-	-	2,086,037.32
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	-	-	**2,086,037.32**
वित्तीय देनदारियाँ			
परिशोधन पर आधारित वित्तीय देनदारियाँ:			
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	761,246.83
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	1,099,076.95
अधीनस्थ दायित्व	-	-	14,967.88
कुल वित्तीय देनदारियाँ	-	-	**1,875,291.66**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दिखाया जाता है।

III. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

एमटीएम गणना, रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया डेरिवेटिव साधन के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन पर आधारित होती है।

रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण।

महत्वपूर्ण अवलोकनहीन इनपुट्स (स्तर 3) का उपयोग करके उचित मूल्य माप

ऐसी पूर्व–कर दर, जो मौजूदा बाजार में मुद्रा के वास्तविक मूल्य के आकलनों और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाती हो।

निम्न तालिका 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए स्तर 3 को आइटम्स में परिवर्तन प्रस्तुत करती है: –

(रु. लाख में)

विवरण	डेरिवेटिव साधन	डेरिवेटिव वस्तु
डेरिवेटिव लेखांकन में डेरिवेटिव सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ (हानियाँ)	7,165.32	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत लाभ (/हानियाँ)	68,462.48	(28,982.87)
31 मार्च, 2020 तक	**75,627.80**	**(28,982.87)**
डेरिवेटिव लेखांकन में डेरिवेटिव सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ (हानियाँ)	3,434.80	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त (घाटा)	(3,098.18)	6,213.49
31 मार्च 2019 तक	**336.62**	**6,213.49**

IV. मूल्यांकन प्रक्रियाएँ

हेज डील के एमटीएम मूल्य के मूल्यांकन हेतु, इरेडा ने स्वतंत्र मूल्यांकन विशेषज्ञ की सेवाएँ ली हैं। उन्होंने बाजार की स्थिति में उतार–चढ़ाव, विनिमय दर में उतार–चढ़ाव आदि पर विचार करने के बाद ऐसा मूल्यांकन प्रदान किया है।

V. परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
वित्तीय संपत्तियाँ	कैरीइंग अमाउंट	लेन–देन का मूल्य	कैरीइंग अमाउंट	लेन–देन का मूल्य
परिशोधित लागत पर आधारित वित्तीय संपत्तियाँ:				
कंपनियों को लोन	2,276,461.95	2,282,037.04	2,086,037.32	2,089,697.59
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	**2,276,461.95**	**2,282,037.04**	**2,086,037.32**	**2,089,697.59**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
वित्तीय संपत्तियाँ	कैरीइंग अमाउंट	लेन–देन का मूल्य	कैरीइंग अमाउंट	लेन–देन का मूल्य
परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ:				
ऋण प्रतिभूतियाँ	926,758.64	927,565.46	761,246.83	762,265.46
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,243,625.87	1,243,632.70	1,099,076.95	1,099,086.95
अधीनस्थ देनदारियाँ	14,970.00	15,000.00	14,967.88	15,000.00
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**2,185,354.50**	**2,186,198.16**	**1,875,291.66**	**1,876,352.41**

व्यापार प्राप्य, व्यापार के भुगतान, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक बैलेंस, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के कैरीइंग अमाउंट को उनके अल्पकालिक स्वरूप के कारण उनके उचित मूल्यों के समान ही माना जाता है।

उधार के लिए उचित मूल्य, कंपनियों को ऋण, ऋण प्रतिभूतियों की गणना, वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है। उन्हें अपने क्रेडिट जोखिम सहित अवलोकनहीन इनपुट्स के समावेश के कारण, उचित मूल्य पदानुक्रम मंक स्तर 3 उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गैर–वर्तमान उधारों के उचित मूल्य, मौजूदा उधार दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह पर आधारित हुआ करता हैं। उन्हें अपने क्रेडिट जोखिम सहित अवलोकनहीन इनपुट्स के उपयोग के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

39. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम को जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, पहचान माप एवं निगरानी के माध्यम से जोखिम सीमाओं और अन्य नियंत्रणों के अधीन प्रबंधित किया जाता है। निदेशक मंडल, समग्र जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण एवं जोखिम प्रबंधन रणनीतियों तथा सिद्धांतों को अनुमोदित करने के लिए जिम्मेदार है।

जोखिम समिति के पास जोखिम रणनीति तय करने और सिद्धांतों, फ्रेमवर्क, नीतियों और सीमाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। जोखिम समिति, जोखिम से संबंधित निर्णयों का प्रबंधन करने, जोखिम स्तर की निगरानी करने तथा बोर्ड को उसे रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है। कंपनी का वित्त एवं कोष विभाग, अपनी संपत्तियों तथा देयता और

समग्र वित्तीय संरचना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। वित्त एवं कोष, कंपनी की फंडिंग और तरलता के लिए भी जिम्मेदार होता है।

कंपनी की गतिविधियाँ ही उसे बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और क्रेडिट जोखिम से दो–चार करती हैं। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा जोखिम से दो–चारे होने को हेज करने के लिए, विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय साधन, कंपनी में स्थापित किए गए है। डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल विशेष रूप से हेजिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है और न कि ट्रेडिंग या आशान्वित व्यापार संबंधी साधन के रूप में। एक विदेशी मुद्रा एवं डेरिवेटिव्स जोखिम प्रबंधन नीति, एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति कंपनी में मौजूद है तथा मुद्रा एवं ब्याज दर के जोखिम को कम / समाप्त करने के लिए हेजिंग साधनों का उपयोग किया जाता है।

यह नोट जोखिम के स्रोतों के बारे में बताता है, जिनसे कंपनी दो–चार होती है और ये कि कैसे कंपनी वित्तीय विवरणों में, जोखिम तथा हेज लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला एक्सपोजर	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति। (ऋण और एड्वांस), व्यापार प्राप्य, डेरिवेटिव वित्तीय साधन,	एजिंग विश्लेषण क्रेडिट रेटिंग्स	बैंक जमाओं, क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, लेटर ऑफ क्रेडिट, हेजिंग ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग की विविधता
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	रोलिंग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम–विदेशी मुद्रा विनिमय	विदेशी मुद्रा विनिमय दर के कारण वित्तीय साधन का उचित मूल्य या भविष्य में नकदी प्रवाह में में उतार–चढ़ाव होगा	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा अनुबंध
बाजार जोखिम–ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर दीर्घकालिक उधार	संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर स्वैप
बाजार जोखिम सुरक्षा मूल्य	वाणिज्यिक पत्र में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण

क. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, उधार परिचालन में निहित जोखिम होता है और उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में कमी तथा उधारकर्ताओं द्वारा चुकौती में बकाये के जोखिम से उत्पन्न होता है। क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली कंपनी में चलन में है। अन्य क्रेडिट जोखिम शमन उपायों के साथ–साथ जोखिम कम करने के लिए, परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाहरी एजेंसियों द्वारा रेटिंग तथा क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन, उपयुक्त स्ट्रक्चरिंग इस प्रक्रिया में शामिल है।

कंपनी साझा क्रेडिट जोखिम विशेषता के आधार पर, अपने क्रेडिट जोखिमों को छोटे–छोटे जोखिमों में विभाजित करती है, जैसा कि निम्नलिखित क्रम में नीचे वर्णित हैः –

» सुरक्षित / असुरक्षित अर्थात् ऋण सुरक्षित हैं या नहीं, इस पर आधारित।
» सुरक्षा का स्वरूप अर्थात् सुरक्षा का स्वरूप यदि ऋण निश्चित तौर पर सुरक्षित हों।
» ऋण का स्वरूप अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जिसमें ऋण को बढ़ाया गया है।

वित्तीय साधन की शेष अवधि से इतर होने वाले बकाया के जोखिम में परिवर्तन पर विचार करके प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक शुरुआती पहचान किए जाने तक क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हो चुकी है या नहीं, इसका आकलन किया गया है। यह निर्धारित करने में कि शुरुआती पहचान तक बकाया जोखिम काफी बढ़ गया है, कंपनी 30 दिनों से अधिक के अतिदेय को एक पैरामीटर के रूप में मानती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी किसी भी अन्य अवलोकन योग्य इनपुट को क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत मानती है।

जब कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि तक हानि का वस्तुनिष्ठ प्रमाण होता है, तो कंपनी बकाया की स्थिति में, एक वित्तीय साधन को परिभाषित करती है। उसके तहत इन ऋणों का मूल्यांकन चरण III के अंतर्गत परियोजना के बकाया होने के समय, प्रदर्शन / संचालन की बुनियाद पर केस–टू–केस आधार पर किया जाता है।

कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और एड्वांस के प्रावधान को मान्यता दी है।

क) कंपनी व्यक्तिगत काउंटर पार्टियों तथा उद्योग सांद्रताओं के लिए स्वीकार करने जा रही उस जोखिम की राशि पर सीमाएँ निर्धारित करने के साथ ही उन सीमाओं से संबंधित खतरों की निगरानी करके क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करती है और उसे नियंत्रित करती है।

i. अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

चरण	श्रेणी	श्रेणी का विवरण	अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान की मान्यता का आधार
			ऋण
चरण 1	मानक संपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ काउंटर–पार्टी के पास दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता हो और जहाँ बकाया का जोखिम नगण्य या शून्य / नियमित रूप से भुगतान करने वाली संपत्तियाँ हों	12 महीने ई.सी.एल.
चरण 2	बढ़ी हुई क्रेडिट जोखिम वाले ऋण	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रारंभिक मान्यता के बाद से ही क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	पूरी अवधि के दौरान अपेक्षित ऋण हानियाँ
चरण 3	ऋण– असमर्थ	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ बकाया और बट्टे खाते में डाले जाने की उच्च संभावना हो जहाँ वसूली की कम संभावना हो।	अवधि–भर अपेक्षित ऋण हानियाँ

ii. महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

वित्तीय संपत्तियों की हानि

(क) ऋण के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल)

(रु. लाख में)

चरण	संपत्ति समूह	31 मार्च, 2020 तक ऋण पोर्टफोलियो	31 मार्च, 2020 तक ईसीएल
चरण 1	ऋण	1,852,982.99	18,357.73
चरण 2	ऋण	257,070.49	25,070.51
चरण 3	ऋण	237,300.16	73,554.10
योग		**2,347,353.64***	**116,982.34**

*₹7,235.69 लाख जिस पर समान देनदारी पुस्तकों में है उन्हें छोड़कर फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन (एफआईटीएल) बैलेंस

(रु. लाख में)

चरण	संपत्ति समूह	31 मार्च, 2020 तक ऋण पोर्टफोलियो	31 मार्च, 2020 तक ईसीएल
चरण 1	ऋण	1,345,550.58	12.15
चरण 2	ऋण	783,158.15	46,091.52
चरण 3	ऋण	10,158.17	10,158.17
योग		**2,138,866.89**	**56,261.84**

(ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानिः

(रु. लाख में)

एजिंग (मार्च 31, 2020 तक)	देय नहीं	0–30 दिन पीछे देय	31–60 दिन पीछे देय	91–120 दिन पीछे देय	120 दिनों से अधिक पीछे देय	योग
सकल कैरिइंग अमाउंट'	311.96	-	-	-	-	311.96
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियों का कैरिइंग अमाउंट (हानि का नेट)	311.96	-	-	-	-	311.96
31 मार्च, 2020 तक शेष राशि	**311.96**	-	-	-	-	**311.96**

*सौर संयंत्र परिसंपत्तियों के लिए प्राप्य व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।

(रु. लाख में)

एजिंग (मार्च 31, 2019 तक)	देय नहीं	0–30 दिन पीछे देय	31–60 दिन पीछे देय	91–120 दिन पीछे देय	120 दिनों से अधिक पीछे देय	योग
सकल कैरिइंग अमाउंट'	217.40	-	-	-	-	217.40
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियों का कैरिइंग अमाउंट (हानि का नेट)	217.40	-	-	-	-	217.40
31 मार्च, 2019 तक शेष राशि	**217.40**	-	-	-	-	**217.40**

*सौर संयंत्र परिसंपत्तियों के लिए प्राप्य व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।

(ख) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम, अल्पकालिक और दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने में असमर्थता को कहते हैं, जब भी कभी वे देय हो जाएँ।

तरलता गैप विश्लेषण द्वारा तरलता की निगरानी की जाती है। तरलता जोखिम को कई रणनीतियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जैसे कि दीर्घकालिक संसाधन जुटाना, अनुमानित संवितरण एवं परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर संसाधन जुटाना।

(i) वित्त व्यवस्थाएँ

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कंपनी के पास अनाहरित उधार लेने की सुविधा उपलब्ध थी:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च 2019
अस्थाई दर		
– एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएँ)	-	-
– एक वर्ष बाद समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	75,000.00	24,500.00
– एक वर्ष बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थान)	216,173.52	51,657.06

कंपनी ने संबंधित बैंकों के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) प्लस कीमत–लागत अंतर के आधार पर बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के रूप में कुल मिलाकर ₹34,800.00 लाख (पिछले वर्ष ₹34,800.00 लाख) हासिल किए हैं। निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद ओवरड्राफ्ट को नवीनीकृत किया जाता है।

ii. वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाओं में कंपनी की वित्तीय देनदारियों को उनकी संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों के भीतर सभी गैर–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों हेतु विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए नकदी प्रवाह के समय की समझ हेतु संविदात्मक परिपक्वताएँ आवश्यक हैं।

तालिका में बताई गई राशियाँ अनुबंधित डिस्काउंटेड नकदी प्रवाह हैं।

31 मार्च, 2020 तक

(₹ लाख में)

विवरण	1–7 दिन	8–14 दिन	15– 30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने –2 महीने से अधिक	2 महीने –3 महीने से अधिक	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक	5 वर्ष से अधिक	योग
उधारियाँ	0.00	-	-	-	6,891.09	22,860.88	33,843.20	308,021.71	95,458.59	655,828.10	1,122,903.57
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	-	-	5,496.89	4,152.48	16,360.17	9,154.31	33,193.70	152,037.21	128,822.18	714,077.65	1,063,294.58

31 मार्च, 2019 तक

(₹ लाख में)

विवरण	1–7 दिन	8–14 दिन	15– 30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने –2 महीने से अधिक	2 महीने –3 महीने से अधिक	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक	5 वर्ष से अधिक	योग
उधारियाँ	1,176.09	-	-	-	2,559.92	8,475.62	29,987.76	69,516.44	295,705.49	477,881.64	885,302.96
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	-	-	27,236.20	-	20,971.67	53,838.65	90,502.50	340,692.64	63,937.26	393,870.51	991,049.45

(ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, मुख्य रूप से ब्याज दर और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव के कारण पैदा होने वाली नुकसान की संभावना को कहते हैं। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी समय–समय पर बाजार की स्थितियों और उधार की बढ़ती लागत के आधार पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है।

I. विदेशी मुद्रा जोखिमः –

कंपनी को अपने संसाधनों के बास्केट के हिस्से के रूप में विदेशी ऋण देने वाली एजेंसियों से उधार के तौर पर मिलने वाली विदेशी मुद्रा के जोखिम का सामना है। एक–साथ बड़ी मात्रा में सीमा पार परिवर्तनशील प्रवाह से इरेडा की बैलेंस शीट विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के जोखिम सो दो–चार हो सकती है। अपनी बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम को ब्याज दर और मुद्रा विनिमय (डेरिवेटिव्ज लेन–देन) के माध्यम से कम करती है। अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता एवं कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर बदलते हुए परिपक्वताओं वाले इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों को कंपनी उचित मूल्य पर करती है।

क) विदेशी मुद्रा जोखिम का सामनाः

व्यक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम भारतीय रुपये में इस प्रकार हैः –

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020			31 मार्च 2019		
	यूएसडी	यूरो	जेपीवाई	यूएसडी	यूरो	जेपीवाई
वित्तीय संपत्तियाँ						
विदेशों में बैंक बैलेंस	7,800.38	-	-	7,687.43	-	-
डेरिवेटिव संपत्तियाँ						
विदेशी मुद्रा विनिमय (स्वैप) अनुबंध	54,669.80	490.95	16095.24	10,325.95	748.96	4,357.63
वित्तीय देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा ऋण	359,140.32	286,463.22	417,691.05	334,297.01	303,271.94	353,480.50
डेरिवेटिव देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा विनिमय (स्वैप) अनुबंध	-	6,257.17	530.82	3,981.13	15,968.68	6,642.55
विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियाँ) के लिए शुद्ध एक्सपोजर	**297,877.83**	**292,228.53**	**401,919.78**	**320,310.75**	**318,491.65**	**355,765.42**
विदेशी मुद्रा जोखिम (संपत्ति) के लिए शुद्ध एक्सपोजर	-	-	-	-	-	-

(बी) संवेदनशीलता

विनिमय दरों में बदलाव के कारण, लाभ और हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है। नीचे दी गई तालिका विदेशी मुद्रा जोखिम पर भारतीय रुपये के विरुद्ध 5% के हिसाब से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि (लाभ / (–) हानि) के विवरण पर प्रभाव प्रस्तुत करती हैः' –

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	घटना	बढ़ना	घटना	बढ़ना
	विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण			
यूएसडी संवेदनशीलता	(2,291.27)	2,291.27	(2,053.11)	2,053.11
ईयूआर संवेदनशीलता	5,338.06	(5,338.06)	5,275.59	(5,275.59)
जेपीवाई संवेदनशीलता	7,703.58	(7,703.58)	6,924.35	(6,924.35)

*अन्य सभी परिवर्ती राशियों को स्थिर रखना

II. नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जिससे कि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण, एक वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी के लिए बाजार के ब्याज दरों में परिवर्तन का जोखिम, फ्लोटिंग ब्याज दरों वाले लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी की निश्चित दर वाली उधार राशि को परिशोधित लागत पर लिया जाता है। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं आते हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण, न तो कैरिइंग अमाउंट में और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में कोई उतार–चढ़ाव होगा।

क) ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक, ब्याज दर में परिवर्तन के लिए समूह की उधार की जोखिम की इस प्रकार हैः

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च 2019
परिवर्तनीय दर उधार		
घरेलू	172,627.93	98,236.60
अंतरराष्ट्रीय	391,603.46	366,009.07
कुल उधारी	**564,231.39**	**464,245.67**

ख) संवेदनशीलता

ब्याज दरों में बदलाव के परिणामस्वरूप उधारों से उच्च / निम्न ब्याज व्यय हेतु लाभ या हानि संवेदनशील होता है।

(रु. लाख में)

विवरण	विवरण	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च 2019
ब्याज दर – 50 आधार अंकों की वृद्धि *	(2,821.16)	(2,321.24)
ब्याज दर – 50 आधार अंकों की कमी *	2,821.16	2,321.24

* अन्य सभी परिवर्ती राशियों को स्थिर रखना

ग) **हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव**

डेरिवेटिव वित्तीय साधन और हेज लेखांकन

अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को हेज करने के लिए, कंपनी केवल प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉर्वर्ड्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस), क्रॉस, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शंस, स्ट्रक्चर्ड / कॉस्ट रिडक्शन प्रोडक्ट्स आदि के रूप में डेरिवेटिव वित्तीय साधनों का उपयोग करती है।

हेज अप्रभावीता, हेज संबंध की शुरुआत में निर्धारित की जाती है और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेजेड आइटम और हेजिंग साधन के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियों को लागू करती है:

– महत्वपूर्ण शर्तों के मिलान विधि का उपयोग करके निकाले गए हेजेड आइटम की शर्तों से बिल्कुल मेल खाने वाले क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के लिए आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता गुणात्मक कारकों पर आधारित होते हैं।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1: 1 का हेज अनुपात स्थापित किया है, क्योंकि हेजिंग साधनों की अंतर्निहित जोखिम तथा अनुमानित राशि हेजयुक्त सामानों के लिए समान है।

नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में मूवमेंट:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च 2019
वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	15,674.72	12,559.49
हेजिंग साधनों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	68,462.48	(3,098.18)
लाभ और हानि खाते में पुनर्वर्गीकृत राशि	(28,982.87)	6,213.49
वर्ष के अंत में शेष राशि (कर से पहले)	**55,154.33**	**15,674.72**

बैलेंस शीट पर हेज अकाउंटिंग के प्रभावों का खुलासा:

31 मार्च, 2020 तक

(रु. लाख में)

हेज और जोखिम का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेजिंग साधनों के उचित मूल्य में परिवर्तन
कैश फ्लो हेज				
विदेशी मुद्रा विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम				
(i) क्रॉस करेंसी स्वैप्स				
– यूएसडी	20–अक्टूबर –20 से 15–अप्रैल –2034	1 : 1	70.1854	40,439.14
– ईयूआर	30–दिसम्बर –2020 से 31–मई –2029	1 : 1	81.3573	9,378.67
– जेपीवाई	19–दिसंबर–2019 से 20–मार्च –2025	1 : 1	0.6430	14,538.71

हेज और जोखिम का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेजिंग साधनों के उचित मूल्य में परिवर्तन
(ii) ब्याज दर स्वैप्स				
– यूएसडी	15–जून –2020 से 15–अक्टूबर –2026	1 : 1	67.0887	1,584.63
– ईयूआर	31–मई –2020 से 30–जून –2024	1 : 1	73.2641	74.83
– जेपीवाई	19–जून –2020 से 19–जून –2024	1 : 1	0.6195	2,446.50

31 मार्च 2019 तक

(रु. लाख में)

हेज एवं जोखिम का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेजिंग साधनों के उचित मूल्य में परिवर्तन
कैश फ्लो हेज				
विदेशी मुद्रा विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम				
(i) क्रॉस करेंसी स्वैप्स				
– यूएसडी	15–अक्टूबर –2020 से 17–अक्टूबर–2033	1 : 1	66.3388	12,248.46
– ईयूआर	30–जून –2019 से 31–मई –2029	1 : 1	80.7657	(16,144.68)
– जेपीवाई	19–जून–2019 से 20–डंत–2025	1 : 1	0.6148	(592.47)
(ii) ब्याज दर स्वैप्स				
– यूएसडी	17–जून –2019 से 15–अक्टूबर –2026	1 : 1	66.5646	1,875.69
– ईयूआर	30–नवंबर–2019 से 30–जून–2024	1 : 1	72.4481	(623.29)
– जेपीवाई	19–जून –2020 से 19–जून –2024	1 : 1	0.6195	138.11

डेरिवेटिव्स के अनुमानित राशियों एवं कैरिइंग अमाउंट के विवरणों के लिए, कृपया नोट 4 – वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव वित्तीय साधन को देखें।

लाभ और हानि के विवरण पर आधारित हेज अकाउंटिंग के प्रभाव

31 मार्च 2020 तक

(रु. लाख में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय के रूप में स्वीकृत हेजिंग साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज अप्रभावीता स्वीकृत	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
कैश फ्लो हेज				
विदेशी मुद्रा विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम	68,462.48	-	(28,982.87)	विदेशी मुद्रा रूपंतरण पर लाभ / हानि

31 मार्च 2020 तक

(रु. लाख में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय के रूप में स्वीकृत हेजिंग साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज अप्रभावीता स्वीकृत	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
कैश फ्लो हेज				
विदेशी मुद्रा विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम	(3,098.18)	-	6,213.49	विदेशी मुद्रा रूपांतरण पर लाभ / हानि

40. पूँजी प्रबंधन

जोखिम प्रबंधनः

कंपनी की पूँजी प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य, नियामक पूँजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी हर समय पर्याप्त पूँजी सुनिश्चित करती है और अपने व्यवसाय को इस तरह से प्रबंधित करती है कि जिसमें पूँजी की रक्षा होती हो, संतोषजनक व्यापार वृद्धि सुनिश्चित होती हो, नकदी प्रवाह की निगरानी होती है और रेटिंग बनी रहती है।

उद्योग में दूसरों के साथ संगत के साथ–साथ कंपनी निम्नलिखित अनुपात के आधार पर पूँजी की निगरानी करती है कुल ऋण (कुल उधार) कुल 'इक्विटी' द्वारा विभाजित जैसा कि बैलेंस शीट में दिखाया गया है।

कंपनी की ऋण– इक्विटी अनुपात इस प्रकार हैः

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
लंबी अवधि का ऋण	2,185,354.50	1,875,291.66
इक्विटी (पूँजी रिजर्व सहित)	252,131.85	258,396.57
ऋण–इक्विटी अनुपात	**8.67**	**7.26**

41. वर्ष 2018–19 में, इरेडा को अग्रलिखित पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र संख्या एफ.नं.आईएनवी / डीजीजीआई / डब्ल्यूआरयू / एसटी / 06 / 2018–19 / 7336 दिनांक 24.12.2018, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, वारंगल, क्षेत्रीय इकाई के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी (एसआईओ) की ओर से, अवधि 01.04.2016 से 31.10.2018 के दौरान (वर्ष–वार) सरकार को भुगतान की गई गारंटी शुल्क / कमीशन के भुगतान के बारे में जानकारी माँगी गई है और सेवा कर / जीएसटी का भुगतान, यदि उक्त गारंटी शुल्क पर आरसीएम के आधार पर किया गया अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के साथ सरकार को भुगतान किया गया कमीशन और यदि भुगतान नहीं किया गया तो न करने के कारणों की बाबत पूछा गया है।

जीएसटी सलाहकार के परामर्श से जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक को जवाब प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, जीएसटी प्राधिकरण, हैदराबाद द्वारा हमारी कंपनी का लिखित बयान दर्ज किया गया है। 12 मार्च, 2020 को, डीजीजीआई, हैदराबाद जोन के अधिकारियों ने उपरोक्त मामले पर चर्चा के उद्देश्य से इरेडा के पंजीकृत कार्यालय का दौरा किया। इस मामले को कानूनी राय के लिए भेजा गया था। राय के आधार पर, 502.54 लाख रुपये पुस्तकों में देयता के रूप में प्रदान किए गए हैं और बाद में भुगतान किए गए हैं।

42. सेबी के दिशा–निर्देशों के तहत, "बड़ी संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूति जारी करके फंड जुटाना" इस पर आधारित जानकारी

सेबी के परिपत्र सं. एसईबीआई / एचओ / डीडीएचएस / सीआईआर / पी / 2018/144 दिनांक 26 नवंबर, 2018 के अनुपालन में, इरेडा ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए उपरोक्त परिपत्र के तहत दिए गए प्रयोज्यता मानदंडों के अनुसार एक बड़े निकाय कॉर्पोरेट के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तदनुसार निम्नलिखित का खुलासा किया जा रहा है:

1. कंपनी का नामः भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
2. सीआईएनः यू65100डीएल1987जीओआई1027265
3. वित्त वर्षः 2020 के लिए रिपोर्ट जमा कराई गई
4. उधारों के विवरणः

(रु. लाख में)

विवरण	विवरण
वित्त वर्ष (क) में किया गया वृद्धिशील उधार	313,238.09
ऋण प्रतिभूति जारी करने के माध्यम से किया जाने वाला अनिवार्य उधार (ख) = (क का 25%)	78,309.52
वित्त वर्ष (ग) में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से किए गए वास्तविक उधार	180,300.00
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में गिरावट, यदि कोई (घ) = (ख) – (ग)	-
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में, गिरावट के कारण	-

43. विंड वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के लिए भेजा गया है और एनसीएलटी द्वारा इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त किया गया है। उक्त कंपनी इरेडा द्वारा संस्थाओं को दिए गए ऋण के रूप में ₹14,380.15 लाख की राशि के लिए कॉर्पोरेट गारंटर के रूप में खड़ा है जो इसकी सहायक / सहयोगी हैं। दोनों में से एक सहायक – मेसर्स विंड वर्ल्ड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल) के खातों में ₹11,630.15 लाख का बकाया है, जो वित्त वर्ष 2017–18 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल गया था।

44. कोविड–19 से संबंधित प्रकटीकरण

क) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र ओआर.नं.बीपी.बीसी. 63 / 21.04.048 / 2020–21 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के प्रकटीकरण के अनुपालन में कोविड–19 नियामक पैकेज के संदर्भ में संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान इस प्रकार हैं:

(रु. लाख में)

सं0	विवरण	31 मार्च, 2020
(i)	एसएमए / अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशियाँ, जहाँ अधिस्थगन / स्थगन बढ़ाया गया था	110,332.13
(iI)	संबंधित राशियाँ जहाँ परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया जाता है	110,332.13
(iii)	किए गए सामान्य प्रावधान'	-
(iv)	स्लिपेज और अवशिष्ट प्रावधानों के प्रति अवधि के दौरान समायोजित सामान्य प्रावधान	-

*कंपनी ने एनबीएफसी होने के नाते, भारतीय लेखा मानक और हानियों (इंपेयरमेंट्स) की स्वीकृति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया है।

ख) कोविड–19 के प्रभाव के लिए प्रावधान

कोविड–19 वैश्विक महामारी दुनिया भर के साथ–साथ भारत में फैलती जा रही है। 24 मार्च, 2020 को, भारत सरकार ने शुरू में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में 19 दिनों तक के लिए और बढ़ा दिया गया था। सामान्य स्थिति में लौटने के लिए अपेक्षित समय के बारे में

उच्च स्तर की अनिश्चितता है। कोविड–19 महामारी से कंपनी की संपत्ति के प्रावधान पर कितना असर पड़ेगा यह भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव, इन वित्तीय वक्तव्यों के अनुमोदन की तारीख तक लगाए गए अनुमानों से कहीं अलग हो सकता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 के कोविड–19 विनियामक पैकेज से संबंधित आरबीआई दिशा–निर्देशानुसार, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 (''अधिस्थगन अवधि'') के बीच में पड़ने वाली अवधि के लिए, ऋण संस्थानों को सभी किश्तों और / या ब्याज के भुगतान पर, जो भी लागू हो, तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति दी गई है। ऐसे सभी खातों के लिए जहाँ अधिस्थगन प्रदान किया जाता है, स्थगन अवधि के दौरान संपत्ति वर्गीकरण स्थिर रहेगा।

कंपनी इस समय उपलब्ध सूचना के आधार पर कोविड–19 के संभावित प्रभाव के लिए 31 मार्च, 2020 तक प्रावधान रखती है।

45. वित्त वर्ष के दौरान यूको बैंक और मेसर्स गंगाखेड सुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के अन्य बैंकरों द्वारा धोखाधड़ी का पता चला। यूको बैंक ने 11 मई, 2020 को उक्त खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया और ओबीसी ने उक्त खाते को 21 जनवरी, 2020 को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया। कंपनी ने ₹10,000.00 लाख का परियोजना ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें से 31 मार्च, 2020 तक ₹5,107.95 लाख बकाया है। 30 सितंबर, 2019 से उक्त खाता कंपनी की बुक में एनपीए खाता है।

46. प्रकटीकरण – पीपीए से जुड़े एपी मामलों के लिए

निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय से 02 जनवरी, 2020 तक एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया है ताकि खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत न किया जा सके। तदनुसार, उधारकर्ता के बकाया ऋण को चरण III एसेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही बकाया 3 महीने से अधिक पुराना हो। हालाँकि, कंपनी ने परियोजनाओं के वित्तीय और परिचालन मापदंडों पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 2020 तक अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) के अनुसार खातों की पुस्तकों में ₹55,122.47 लाख के ऋण बकाया पर ₹6,519.77 लाख रुपये का पर्याप्त प्रावधान किया है।

(रु. लाख में)

परियोजना संख्या	उधारकर्ता का नाम	बकाया राशि	अतिदेय राशि	ईसीएल राशि
2330	अनन्तपुर ऊर्जा परियोजनाओं निजी लिमिटेड	13,677.03	1,274.83	1,367.72
2334	ज्वाला विंड प्राइवेट लिमिटेड	12,766.99	1,064.19	1,276.71
2286	एयोलस विंड पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड	14,901.33	1,915.05	1,850.85
2311	एयोलस विंड पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड	13,777.12	1,832.45	2,024.49
योग		**55,122.47**	**6,086.52**	**6,519.77**

47. आरबीआई का प्रकटीकरण

क. पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

31.03.2020 तक

सं0	पुनर्रचना के प्रकार परिसंपत्तियों का वर्गीकरण विवरण		सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई ऋण पुनर्रचना तंत्र के तहत	अन्य					कुल				
					मान	उप– मान	संदिग्ध	हानि	कुल	मान	उप– मान	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्त वर्ष के 1 अप्रैल 2019 तक के पुनर्रचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)'	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	24				24	24				24
		बकाया राशि (रु.लाख)			86,558.12				86,558.12	86,558.12				86,558.12
		भविष्य के प्रावधान (रु. लाख)			5,303.55				5,303.55	5,303.55				5,303.55
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्रचना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	5				5	5				5
		बकाया राशि (रु.लाख)			35,458.41				35,458.41	35,458.41				35,458.41
		भविष्य के प्रावधान (रु. लाख)			1,695.75				1,695.75	1,695.75				1,695.75
3	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्रचित मान श्रेणी का उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-				-	-				-
		बकाया राशि (रु.लाख)			-				-	-				-
		भविष्य के प्रावधान (रु. लाख)			-				-	-				-
4	पुनर्रचित मान अग्रिम जो वित्त वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान औरध्या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करने से रोकता है और इसलिए आगमी वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्रचित मान अग्रिमों को दिखाया जाना आवश्यक नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-				-	-				-
		बकाया राशि (रु.लाख)			-				-	-				-
		भविष्य के प्रावधान (रु. लाख)			-				-	-				-
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	5				5	5				5
		बकाया राशि (रु.लाख)			29,875.89				29,875.89	29,875.89				29,875.89
		भविष्य के प्रावधान (रु. लाख)			1,254.19				1,254.19	1,254.19				1,254.19

सं0	पुनर्रचना के प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई ऋण पुनर्रचना तंत्र के तहत	अन्य					कुल				
	परिसंपत्तियों का वर्गीकरण				मान	उप– मान	संदिग्ध	हानि	कुल	मान	उप– मान	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण													
6	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों को बट्टे खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-				-	-				-
		बकाया राशि (रु.लाख)			-				-	-				-
		भविष्य के प्रावधान (रु. लाख)			-				-	-				-
7	वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-				-	-				-
		बकाया राशि (रु.लाख)			-				-	-				-
		भविष्य के प्रावधान (रु. लाख)			-				-	-				-
8	31 मार्च, 2020 तक पुनर्रचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	24				24	24				24
		बकाया राशि (रु.लाख)			92,140.64				92,140.64	92,140.64				92,140.64
		भविष्य के प्रावधान (रु. लाख)			5,745.11				5,745.11	5,745.11				5,745.11

* मान पुनर्रचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) को आकर्षित नहीं करते ।

**आईआरएसीपी मानदंड़ों के अनुसार उपरोक्त प्रावधान का प्रकटीकरण किया गया है, जबकि कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता दी है।

ख. पूंजी

सं0	विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019
1	सीआरएआर (%)*	14.34	16.32
2	सीआरएआर – टियर I पूंजी (%)	12.55	14.65
3	सीआरएआर – टियर II पूंजी (%)	1.79	1.67
4	टियर– II पूंजी (रु. लाख) के रूप में ली गई गौण ऋण की राशि	14,970.00	14,967.88
5	स्थायी ऋण लिखत पर ली गई राशि	-	-

*आईएनडी एएस 12 "आय कर" के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व बनाया और अनुरक्षित किया जाएगा, जिसमें आस्थगित कर देयता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार सीआरएआर की गणना की गई है।

ग. निवेश

(रु. लाख में)

विवरण				मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
(1)	निवेश का मूल्य				
	(i)	निवेश का सकल मूल्य			
		क	भारत में		
			बैंकों में अल्पावधि जमा	29,201.11	8,510.60
			फ्लेक्सी जमा एमआईबीओआर के साथ लिंक किया गया	20,692.47	7,984.35
			वाणिज्यिक पत्र (पूरी तरह से क्षत)	6,899.11	6,899.11
			उपरोक्त वस्तुओं पर उपचित ब्याज	752.70	93.24
		ख	भारत से बाहर,	-	-
	(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान			
		क	भारत में	6,899.11	6,899.11
		ख	भारत से बाहर,	-	-
	(iii)	निवेश का निवल मूल्य			
		क	भारत में	50,646.27	16,588.19
		ख	भारत से बाहर,	-	-
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का संचलन				
	(i)	प्रारंभिक शेष		6,899.11	-
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान		-	6,899.11
	(iii)	कम: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / लेखन		-	-
	(iv)	अंतिम शेष		6,899.11	6,899.11

घ. व्युत्पन्नियां

✦ अग्रेषण दर करार / ब्याज दर अदला–बदली

(रु. लाख में)

विवरण		मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
(i)	अदला–बदली करार का कल्पित मूलधन	840,534.25	780,508.48
(ii)	यदि प्रतिपक्ष करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होता है तो होने वाली हानियां	71,255.99	15,432.55
(iii)	स्वैप में प्रवेश करने के लिए एनबीएफसी द्वारा लागू संपार्श्विक अपेक्षाएं	एन.ए.	एन.ए.
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	एन.ए.	एन.ए.
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	64,468.00	(11,159.81)

✦ विनियम व्यापार ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नियां - शून्य

✦ व्युत्पन्नियों में ऋण जोखिम होने पर प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) कंपनी ने ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और अन्य बेमेल देयता परिसंपत्तियों सहित विभिन्न बाजार जोखिमों को स्वीकृति दी है।

(ii) सभी व्युत्पन्न सौदे विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति (एफएमसी) की देखरेख में किए जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए, कंपनी ने व्युत्पन्न उपकरण के माध्यम से इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए आईएसडीए बैंकों के साथ दीर्घकालिक समझौतें किए हैं।

(iii) कंपनी केस टू केस आधार पर प्रतिरक्षा उपकरण अपनाकर विनियम के सक्रिय कदम उठा रही है। इस संबंध में, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, इरेडा ने 5 ऋणों की व्यवस्था के लिए 4 आईएसडीए बैंकर के साथ 8 प्रमुख स्वैप डील की है।

(iv) इरेडा ने विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन नीति को स्वीकृति दे दी है, ऐसी नीति ऋण जोखिम की अधिकतम अनुमत सीमा को परिभाषित करती है जो कि विदेशी मुद्रा के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। 31 मार्च, 2020 तक इरेडा का विदेशी मुद्रा जोखिम कुल विदेशी मुद्रा जोखिम का 24.58% (पिछले वषर्ू 24.77%) है।

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

सं0	विवरण	मुद्रा (पीओएस + सीसीआईआरएस) व्युत्पन्न	ब्याज दर (सीसीआईआरएस) व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल धन)		
	हेजिंग के लिए	€ 216,379,163.39 $ 526,906,001.58 ¥ 37,849,158,153	€ 11,114,906.03 $ 531,658,362.75 ¥ 3,516,445,185
	मूल्य (रु. लाख में)	840,534.25	73,776.35
(ii)	मार्क टू मार्केट पोजिशन		
	क) परिसंपत्ति (+) (रु. लाख में)	71,255.99	2,903.05
	ख) देयता (–) (रु. लाख में)	6,788.00	-
(iii)	ऋण जोखिम	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	अरक्षित जोखिम (प्रिंसिपल और आंशिक बचाव को बचाव नहीं माना जाएगा) (रु. लाख में)	261,350.76	

ड) प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण निम्नलिखित प्रारूप दिए गए हैं:

(रु. लाख में)

सं0	विवरण	संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या '	-
2.	एसपीवी प्रायोजित बही के अनुसार प्रतिभूति परिसंपत्तियों की कुल संख्या	-
3.	तुलनपत्र की तारीख के अनुसार एमआरआर के अनुपालन के लिए लागू एनबीएफसी द्वारा प्रतिधारित जोखिम की कुल राशि	
	क) तुलनपत्र जोखिम	
	पहली हानि	-
	अन्य	-
	ख) तुलनपत्र जोखिम	
	पहली हानि	-
	अन्य	-
4.	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए जोखिम की राशि	
	क) तुलनपत्र जोखिम	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए जोखिम	
	पहली हानि	-
	हानि	-
	ii) थर्ड पार्टी सिक्योरिटिस का एक्सपोजर	
	पहली हानि	-
	अन्य	-
	ख) ऑन–बैलेंस शीट एक्सपोजर	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए जोखिम	
	पहली हानि	
	हानि	-
	ii) थर्ड पार्टी सिक्योरिटिस का एक्सपोजर	
	पहली हानि	-
	अन्य	-
* केवल एसपीवी से संबंधित बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेन के बारे में यहां प्रतिवेदित किया जा सकता है		

परिसंपत्ति पुनर्रचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्रचना कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण

(रु. लाख में)

विवरण		मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	एससी / आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	-	-
(iii)	समग्र प्रतिफल	-	-
(iv)	विगत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल वसूली	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ / हानि	-	-

च. एनबीएफसी द्वारा किए गए लेनदेन के समुदेशन का विवरण

(रु. लाख में)

विवरण		मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	विक्रय किए गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	-	-
(iii)	समग्र प्रतिफल	-	-
(iv)	विगत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल वसूली	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ ध्हानि	-	-

छ. गैर–निष्पादित वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद / बिक्री का विवरण

- **खरीदी गई अनर्जक वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरणः**

(रु. लाख में)

विवरण			मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
1.	(क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-*
	(ख)	समग्र बकाया	-	-*
2.	(क)	इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों की संख्या	-	-
	(ख)	समग्र बकाया	-	-

*रु. 747.90 लाख का लोन दूसरे बैंक से लिया गया जिसे उनकी बही में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था.

- **बेची जाने वाली गैर–निष्पादित वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरणः**

(रु. लाख में)

विवरण		मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
1.	बिक्री खातों की संख्या	-	-
2.	समग्र बकाया	-	-
3.	प्राप्त सकल प्रतिफल	-	-

ज. मदों की देयताओं और परिसंपत्तियों का परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता स्वरूप

मार्च 31, 2020 तक

(रु. लाख में)

विवरण	7 दिन तक	8–14 दिन	14 दिन से अधिक –30/31 दिन	1 माह –2 माह से अधिक	2 माह –3 माह से अधिक	3 माह से अधिक– 6 माह तक	6 माह से अधिक –1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 से अधिक या 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	2.01	19,505.71	24,589.89	1,276.90	-	-	5,271.76	-	-	-	50,646.27
ब्याज सहित अग्रिम	1,355.30	1,089.14	1,110.51	3,043.90	9,972.26	78,647.55	252,343.97	458,349.02	289,768.57	1,206,237.52	2,301,917.72
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00
उधार	0.00	-	-	-	6,891.09	22,860.88	33,843.20	308,021.71	95,458.59	655,828.10	1,122,903.57
विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	1,682.91	1,748.05	1,784.33	-	-	5,215.30
विदेशी मुद्रा देयता	-	-	5,496.89	4,152.48	16,360.17	9,154.31	33,193.70	152,037.21	128,822.18	714,077.65	1,063,294.58

मार्च 31, 2019 तक

(रु. लाख में)

विवरण	7 दिन तक	8–14 दिन	14 दिन से अधिक –30/31 दिन	1 माह –2 माह से अधिक	2 माह –3 माह से अधिक	3 माह से अधिक– 6 माह तक	6 माह से अधिक –1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 से अधिक या 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	8,129.43	1,509.05	180.45	6,769.25	-	-	-	-	-	-	16,588.19
ब्याज सहित अग्रिम	1,807.35	2,890.91	30,525.98	2,292.47	45,288.85	150,523.78	264,666.60	279,064.89	256,513.84	1,067,249.56	2,100,824.24
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00
उधार	1,176.09	-	-	-	2,559.92	8,475.62	29,987.76	69,516.44	295,705.49	477,881.64	885,302.96
विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	1,431.63	1,452.32	4,766.27	-	-	7,650.22
विदेशी मुद्रा देयता	-	-	27,236.20	-	20,971.67	53,838.65	90,502.50	340,692.64	63,937.26	393,870.51	991,049.45

झ. जोखिम

✦ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जोखिम

विवरण				मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
क)	**सीधा जोखिम**				
	(i)	**आवासीय बंधक –**			
		आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार लेना जो उधारकर्ता द्वारा अधिकृत कर लिया जाएगा या किराए पर लिया जाएगा		-	-
	(ii)	**वाणिज्यिक रियल एस्टेट –**			
		वाणिज्यिक रियल स्टेट (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुमंजिला आवासीय भवन, बहु किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, एल और अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण। जोखिम में गैर–निधि आधारित सीमाएं शामिल होंगी		-	-
	(iii)	**मॉर्गेज बैकड सिक्योरिटी (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूति जोखिम में निवेश**			
		क)	आवासीय	-	-
		ख)	वाणिज्यिक रियल स्टेट	-	-
रियल स्टेट सेक्टर का कुल एक्सपोजर				-	-

✦ पूंजी मार्केट का एक्सपोजर

विवरण		मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
(i)	इक्विटी शेयरों, संपरिवर्तनीय बांडों, संपरिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के कॉर्पस में प्रत्यक्ष निवेश,जो कि विशेष रूप से निवेशित ऋण में शामिल नहीं है	-	-
(ii)	शेयर्स / बॉन्ड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों या शेयर (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड, संपरिवर्तनीय डिबेंचर, और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को क्लीन आधार पर अग्रिम	-	-

विवरण		मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
(iii)	किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या संपरिवर्तनीय बांड या संपरिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	-	-
(iv)	शेयरों या संपरिवर्तनीय बॉन्डों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मूख म्यूचुअल फंड्स की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूत द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जैसे जहाँ शेयरों / संपरिवर्तनीय बॉन्डों / संपरिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी म्यूचुअल फंडों की इकाइयों के अलावा प्रमुख प्रतिभूति में अग्रिमों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया जाता है	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी स्टॉकब्रोकर और गारंटी के लिए सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम	-	-
(vi)	संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरध डिबेंचर बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के विपरीत कॉर्पोरेटों को स्वीकृत ऋण	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गम के विपरीत कंपनियों को ब्रिज लोन	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधि के लिए सभी जोखिम (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	-	-

ञ. मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण.

एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण लागू एनबीएफसी से अधिक है

✦ **31.03.2020 तक सिंगल एक्सपोजर एक्सीडिंग लिमिट की सूची**

(रु. लाख में)

सं0	नाम	क्षेत्र	एक्सपोजर	% [निवल मूल्य (रु. लाख) *– 258,396.57]
1	आंध्र प्रदेश लिमिटेड की साउर्थन पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी	अल्पावधि	87,500.00	33.86%
2	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अल्पावधि	83,000.00	32.12%
3	एज्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एसपीवी	53,346.30	20.65%

* 31.03.2019 तक निवल मूल्य

✦ **31.03.2019 तक सिंगल एक्सपोजर एक्सीडिंग लिमिट की सूची**

(रु. लाख में)

सं0	नाम	क्षेत्र	एक्सपोजर	% [निवल मूल्य (रु. लाख) *– 243,336.36]
1	सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	अल्पावधि	61,091.53	25.11%
2	एज्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एसपीवी	55,237.20**	22.70%

* 31.03.2018 तक निवल मूल्य

**कंपनी अन्य संस्थानों के विक्रय की गिरावट के एक्सपोजर को कम करने की प्रक्रिया में है।

- **31.03.2020 तक सिंगल एक्सपोजर एक्सीडिंग लिमिट की सूची**

(रु. लाख में)

सं0	समूह का नाम	एक्सपोजर	% [निवल मूल्य (रु. लाख) *– 258,396.57]
1	एसीएमई ग्रुप	122,403.50	47.37%
2	रिन्यू ग्रुप	104,266.40	40.35%

* 31.03.2019 तक निवल मूल्य

- **31.03.2019 तक सिंगल एक्सपोजर एक्सीडिंग लिमिट की सूची**

(रु. लाख में)

सं0	समूह का नाम	एक्सपोजर	% [निवल मूल्य (रु. लाख) *– 243,336.36]
1	सुजलॉन ग्रुप	101,051.63	41.53%
2	एज्योर ग्रुप	95,039.00	39.06%
3	माईथ्रा ग्रुप	89,243.00	36.67%
4	ईकोरेन ग्रुप	87,883.00	36.12%

* 31.03.2018 तक निवल मूल्य

ट. विविध

- **अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों से प्राप्त पंजीकरणः**

सं0	विनियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण का विवरण
1	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U65100DL1987GOI027265
2	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	14.000012
3	लीगल एनटीटी आईडेंटीफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई नंबर	335800AXWFKW4BC99J48

- आरबीआई और अन्य विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण शून्य
- कंपनी आईएनडी एस–28 के अनुसार मैसर्स एमपी विंड फार्म लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए आईएनडी एस प्रमाणित खातों पर इक्विटी प्रक्रिया आधार पर सहभागी कंपनी में निवेश के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है।
- कंपनी के पास विदेशों में संयुक्त उद्यमों / सहायक के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।
- कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई तुलनपत्रेतर एसपीवी नहीं हैं।
- **वित्त वर्ष 2019–20 के लिए शिकायतों का प्रकटीकरणः**

ग्राहक की शिकायत

क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या (01.04.2019)	-
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1
ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	1
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (31.03.2020)	-

ठ. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन

इरेडा ने कर योग्य / कर–मुक्त / मसाला बॉन्ड / बैंक ऋण जारी करने के द्वारा संसाधन जुटाए हैं जिसके लिए उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से इन निर्गमों के लिए रेटिंग प्राप्त की है। जिसका विवरण इस प्रकार हैं: –

✦ कर–मुक्त बॉन्ड / कर योग्य बॉन्ड

रेटिंग एजेंसी	उपकरण/प्रयोजन/निर्गम	रेटिंग
आईसीआरए लिमिटेड	कर–मुक्त बांड (रु. 200,000.00 लाख) वित्तीय 2015–16 श्रेणी XIV (सार्वजनिक और निजी स्थापन)	आईसीआरए एए. (नकारात्मक) की पुष्टि
	आईसीआरए एए. (नकारात्मक) की पुष्टि	आईसीआरए एए. (नकारात्मक) की पुष्टि
इंडिया रेटिंग रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	कर–मुक्त बांड (रु. 200,000.00 लाख) वित्तीय 2015–16 श्रेणी XIV (सार्वजनिक और निजी स्थापन)	आईएनडी एएए (नकारात्मक) की पुष्टि
	कर योग्य ग्रीन बांड (रु. 70,000.00 लाख) वित्तीय 2016–17 श्रेणी VI-A और VI–बी	आईएनडी एएए (नकारात्मक) की पुष्टि
	करयोग्य बॉन्ड (रु. 86,500.00 लाख) वित्तीय 2018–19 श्रेणी VIIA और VIIB	आईएनडी एएए (नकारात्मक) की पुष्टि
	कर योग्य टियर– II उप ऋण (रु. 15,000.00 लाख) वित्तीय 2018–19 श्रेणी VIII	आईएनडी एएए (नकारात्मक) की पुष्टि
	करयोग्य बॉन्ड (रु. 180,300.00 लाख) वित्तीय 19–20 श्रेणी IX–क और IX–ख	आईएनडी एएए (नकारात्मक) की पुष्टि
सीएआरई (सीई), स्थिर पुष्टि	करयोग्य बॉड श्रेणी III, IV – V (रु. 120,000.00 लाख)	सीएआरई एएए (सीई), स्थिर पुष्टि
	कर मुक्त बॉड श्रेणी – XIII सार्वजनिक और निजी स्थापन (रु. 75,765.46 लाख वित्तीय वर्ष 13–14)	सीएआरई एएए (सीई), स्थिर पुष्टि
	कर योग्य ग्रीन बॉन्ड एसआर VIA और VIB (रु. 70,000.00 लाख) वित्तीय 2016–17	सीएआरई एए., स्थिर पुष्टि
ब्रिकवर्क रेटिंग	दीर्घकालिक कर योग्य बॉन्ड श्रेणी III, IV और V (रु. 120,000.00 लाख)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर पुष्टि
	कर मुक्त बॉड श्रेणी – XIII सार्वजनिक और निजी स्थापन (रु. 75,765.46 लाख वित्तीय वर्ष 13–14)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर पुष्टि
	करयोग्य बॉड (रु. 86,500.00 लाख) वित्तीय 2019 श्रेणी VII, और VII ख	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर पुष्टि
	कर योग्य टियर– प्प उप ऋण (रु. 15,000.00 लाख) वित्तीय 2018–19 श्रेणी VIII	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर पुष्टि
	करयोग्य बॉड (रु. 180,300.00 लाख) वित्तीय 19–20 श्रेणी प्प–ए और IX–ख	बीडब्ल्यूआर एएए, स्थिर पुष्टि

✦ बैंक लोन

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	सावधि ऋण
ब्रिकवर्क रेटिंग	बीडब्ल्यूआर एएए प्रोनाउंसड बीडब्ल्यू ट्रिपल ए) आउटलुक: स्थिर पुष्टि	आवधिक ऋण की दर रु. 220,000.00 लाख आवंटन का विवरण: • एचडीएफसी आवधिक ऋण: रु. 20,000.00 लाख • एसबीआई आवधिक ऋण: रु. 100,000.00 लाख • केनरा बैंक: रु. 50,000.00 लाख • बैंक ऑफ बड़ौदा: रु. 50,000.00 लाख वित्त वर्ष 20–21 में निर्धारित किए गए 50,000.00 लाख रुपये का अतिरिक्त आवधिक ऋण। आवंटन का विवरण है: • बैंक ऑफ बड़ौदा: रु. 50,000.00 लाख

✦ मसाला बॉन्ड

रेटिंग एजेंसी	दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग – माइग्रेशन	वर्धित राशि
मूडीज इन्वेस्टर सर्विस	बीएए 3, आउटलुक नेगेटिव	यूएसडी 300 मिलियन
फिच रेटिंग	बीबी+, आउटलुक नेगेटिव (आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव में बदल जाता है)	यूएसडी 300 मिलियन

✦ जीओआई पूर्णरूपेण सर्विस बॉन्ड

रेटिंग एजेंसी	उपकरण/प्रयोजन/निर्गम	रेटिंग
सीएआरई रेटिंग लिमिटेड	जीओआई फुली सर्विस बॉन्ड (रु. 164,000.00 लाख) वित्तीय 2016–17	एएए, स्थिर, पुष्टि
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड		
आईसीआरए लिमिटेड		

ड. जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए का संकेंद्रण

✦ अग्रिमों का संकेंद्रण

(रु. लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	855,091.44	698,364.54
कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिम का प्रतिशत	36.31%	32.65%

✦ एक्सपोजर का संकेंद्रण

(रु. लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहको का कुल अग्रिम	863,180.39	716,620.16
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर लागू एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर के लिए बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	36.66%	33.50%

✦ एनपीए का संकेंद्रण

(रु. लाख में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल एक्सपोजर	79,428.54	59,595.92

✦ क्षेत्र–वार एनपीए

सं0	क्षेत्र	उस क्षेत्र में एनपीए के लिए कुल अग्रिमों का%
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-
2.	एमएसएमई	-
3.	कॉर्पोरेट उधारकर्ता	10.08%
4.	सेवाएं	-
5.	अरक्षित वैयक्तिक ऋण	-
6.	ऑटो लोन	-
7.	अन्य वैयक्तिक ऋण	-

टिप्पणी – इरेडा कॉर्पोरेट उधारकर्ता को आरई परियोजनाओं के लिए वित्तपोषित करने के व्यवसाय में है, इसलिए निवल एनपीए% के कुल को कॉर्पोरेट उधारकर्ता में दर्शाया जाता है।

✦ एनपीए का संचलन

(रु. लाख में)

क्षेत्र			मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
(i)	निवल अग्रिम के लिए निवल एनपीए (%)		7.18%	3.74%
(ii)	एनपीए का संचलन(सकल)			
	क)	आंरभिक शेष	130,846.84	99,736.96
	ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	124,859.36	40,364.91
	ग)	वर्ष के दौरान कटौती	18,406.04	9,255.03
	घ)	आंरभिक शेष	237,300.16	130,846.84
(iii)	निवल एनपीए का संचलन			
	क)	आंरभिक शेष	77,981.67	59,124.44
	ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	104,145.05	34,407.60
	ग)	वर्ष के दौरान कटौती (बी/एफ)	18,380.66	15,550.37
	घ)	अंतिम शेष	163,746.06	77,981.67
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर, अस्थायी प्रावधान सहित)			
	क)	आंरभिक शेष	52,865.16	40,612.52
	ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	35,539.61	24,041.38
	ग)	अतिरिक्त प्रावधानों का लेखन / प्रतिलेखन	14,850.67	11,788.74
	घ)	अंतिम शेष	73,554.10	52,865.16*

*31 मार्च, 2019 तक रु. 2,776.40 लाख का अस्थायी प्रावधान शामिल है।

ढ. **गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और प्रमुख निवेशक कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे पर आरबीआई के दिनांक 04 नवंबर, 2019 के परिपत्र संख्या आरबीआई/ 2019–20 / 88 डीओआर.एनबीएफसी (पीडी) सीसी. सं. 102 / 03.10.001 / 2019– 20 के तहत प्रकटीकरण**

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार (जमा और उधारी दोनों) के आधार पर निधि संकेन्द्रण

(रु. लाख में)

सं0	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों की संख्या *	राशि	कुल जमा का %	कुल देयताओं का %
1	14	1,494,260.88	एन.ए.	59.46%

टिप्पणी :

- "महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष" को एनबीएफसी नॉन डिपोजिट टेकिंग के लिए 10% और एनबीएफसी–एनडीएसआई,एनबीएफसी–डीएस कुल देयताएं के 1% से अधिक के लिए कुल में संबद्ध प्रतिपक्ष लेखांकन या संबंधित समूह या एकल प्रतिपक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है।
- कुल देनदारियों की गणना कुल परिसंपत्तियों कम इक्विटी शेयर पूंजी और रिजर्व और अधिशेष के रूप में की गई है।

(ii) शीर्ष 20 बड़े जमा

(रु. लाख में)

सं0	बड़े जमा	राशि	कुल जमा का %
1	लागू नहीं।		

(iii) शीर्ष 10 उधार:

(रु. लाख में)

सं0	उधार	राशि	कुल उधार का %
1	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए)	208,950.00	9.56%
2	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए– II)	208,741.05	9.55%
3	7.125% ग्रीन मसाला बॉड	194,309.26	8.89%
4	यूरोपीयन इनवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)	161,340.90	7.38%
5	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी – II) से लोन	150,771.80	6.90%
6	8% कर योग्य बॉड	99,975.90	4.57%
7	7.49% कर मुक्त बॉड	88,426.52	4.05%
8	एसबीआई अवधि ऋण	84,993.17	3.89%
9	7.40% कर योग्य बॉड	80,253.84	3.67%
10	एजेंसी फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी– II) से लोन	78,897.12	3.61%

(iv) महत्वपूर्ण उपकरण / उत्पाद के आधार पर निधिकरण संकेंद्रण

(रु. लाख में)

सं0	उपकरण / उत्पाद की संख्या	राशि	कुल देयताओं का %
1	कर मुक्त बॉन्ड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रतिभूत)	275,765.46	10.97%
2	कर मुक्त बॉन्ड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रतिभूत)	456,683.92	18.17%
3	मसाला बॉड (प्रतिभूति रहित)	194,309.26	7.73%
4	बैंकों से अवधि ऋण (प्रतिभूत)	398,570.53	15.86%
5	बैंकों से अवधि ऋण (प्रतिभूति रहित)	108,043.08	4.30%
6	अन्य से अवधि ऋण (प्रतिभूति रहित)	737,012.26	29.33%

टिप्पणी :

- ''महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष'' को एनबीएफसी नॉन डिपोजिट टेकिंग के लिए 10% और एनबीएफसी–एनडीएसआई,एनबीएफसी–डीएस कुल देयताएं के 1% से अधिक के लिए कुल में संबद्ध प्रतिपक्ष लेखांकन या संबंधित समूह या एकल प्रतिपक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है।
- कुल देनदारियों की गणना कुल परिसंपत्तियों कम इक्विटी शेयर पूंजी और रिजर्व और अधिशेष के रूप में की गई है।
- "महत्वपूर्ण उपकरण / उत्पाद" को समान उपकरणों / उत्पादों के समूह के एकल उपकरण / उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डीएस कुल देनदारियों के 1% से अधिक की राशि और एनबीएफसी लेने वाली अन्य नॉन डिपोजिट टेकिंग के लिए 10% है।

(v) स्टॉक अनुपातः – इसके विवरण के साथ हेजिंग

सं0	उपकरण / उत्पाद की संख्या	अनुपात
1	कुल सार्वजनिक धन के% के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं
2	कुल देनदारियों के% के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं
3	कुल परिसंपत्ति के% के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं
4	गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता) कुल सार्वजनिक धन के% के रूप में	लागू नहीं
5	गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता) कुल देयता के% के रूप में	लागू नहीं
6	गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता) कुल परिसंपत्ति के% के रूप में	लागू नहीं
7	अन्य अल्पकालिक देयताएं, कुल सार्वजनिक निधि % के रूप में यदि कोई हो	5.09%
8	अन्य अल्पकालिक देयताएं, कुल देयताओं के % के रूप में यदि कोई हो	4.43%
9	अन्य अल्पकालिक देयताएं, कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में यदि कोई हो	4.03%

टिप्पणीः अन्य अल्पकालिक देयताओं की गणना व्यापार देयताओं की कुल राशि के रूप में की गई है, जीओआई फुली सर्विस बॉड को छोड़कर अन्य वित्तीय और गैर–वित्तीय देनदारियां

(vi) चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत सेट–अप

कंपनी के निदेशक मंडल ने परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निवेश समिति का गठन किया है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ–साथ, परिसंपत्ति देयता प्रोफाइल, जोखिम नियंत्रण प्रणाली,चलनिधि जोखिम प्रबंधन, निधिकरण और पूंजी योजना, लाभ योजना और विकास का पूर्वानुमान, विभिन्न परिदृश्यों का पूर्वानुमान और विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी की समीक्षा करता है।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ–साथ, कंपनी के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी और उपाय करती है और कंपनी के एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करती है। कंपनी पर्याप्त नकदी / निधि अधिशेष को बनाए रखकर चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है।

प्रबंधन नियमित रूप से नकदी और नकद समकक्ष की स्थिति की निगरानी करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय तुलन पत्र चलनिधि के रखरखाव और ऋण वित्तपोषण योजनाओं सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मूल्यांकन किया जाता है। (एएलएम 1, 2 और 3 विवरण की प्रस्तुति और निगरानी के माध्यम से)। कंपनी पहले से ही स्टॉक अनुपात के माध्यम से चलनिधि जोखिम का प्रबंधन और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना के लिए प्रक्रिया की स्थापना करके मौजूदा चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार कर रही है।

ण. भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर आरबीआई के दिनांक 13 मार्च, 2020 के परिपत्र संख्या आरबीआई /2019–20 /170 डीओ (एनबीएफसी) .सीसी.पीडी.सं. 109 / 22.10.106 / 2019–20 के तहत प्रकटीकरण :

(रु. लाख में)

आरबीआई के मानदंड के अनुसार परिसंपत्ति का वर्गीकरण	आईएनडी एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति का वर्गीकरण	आईएनडी एएस के अनुसार सकल रखाव राशि	आईएनडी एएस 109 के तहत आवश्यकतानुसार हानि भत्ता (प्रावधान)	कुल रखाव राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	आईएनडी एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियां						
मानक	चरण 1	1,852,982.99	18,357.73	1,834,625.26	24,184.57*	24,755.91
	चरण 2	257,070.49	25,070.51	231,999.98		
कुलयोग		**2,110,053.48**	**43,428.24**	**2,066,625.24**	**24,184.57**	**24,755.91**
गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3	**106,503.04**	**14,824.97**	**91,678.07**	**17,683.56**	**(2,858.59)**
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3	45,136.43	7,662.54	37,473.89	12,875.49	(5,212.95)
1 से 3 वर्ष	चरण 3	38,231.51	22,299.78	15,931.73	11,792.44	10,507.34
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	47,424.78	28,762.41	18,662.37	36,063.10	(7,300.69)
संदिग्ध के लिए कुल योग		**130,792.72**	**58,724.73**	**72,067.99**	**60,731.03**	**(2,006.30)**
हानि	चरण 3	**4.40**	**4.40**	**-**	**4.40**	**-**
एनपीए के लिए कुल योग		**237,300.16**	**73,554.10#**	**163,746.06**	**78,418.99**	**(4,864.89)**
अन्य वस्तुएं जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो आईएनडी 109 के कार्यक्षेत्र में हैं, लेकिन वर्तमान आय अभिज्ञान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के तहत शामिल नहीं है	चरण 1	106,997.55	541.07	106,456.48	-	541.07
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
कुलयोग		**106,997.55**	**541.07**	**106,456.48**	**-**	**541.07**

आरबीआई के मानदंड के अनुसार परिसंपत्ति का वर्गीकरण	आईएनडी एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति का वर्गीकरण	आईएनडी एएस के अनुसार सकल रखाव राशि	आईएनडी एएस 109 के तहत आवश्यकतानुसार हानि भत्ता (प्रावधान)	कुल रखाव राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	आईएनडी एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
योग	चरण 1	1,959,980.54	18,898.80	1,941,081.74	102,603.56	14,919.85
	चरण 2	257,070.49	25,070.51	231,999.98		
	चरण 3	237,300.16	73,554.10#	163,746.06		
	योग	**2,454,351.19**	**117,523.41**	**2,336,827.78**	**102,603.56**	**14,919.85**

* इसमें पुनर्निर्धारण पर प्रावधान, विशेष कोविड –19 पर सामान्य प्रावधान शामिल हैं।

रु.112.45 लाख के एनपीए खातों पर आकस्मिक शुल्क (डॉ. बाल) के प्रावधान को छोड़कर।

त. आरबीआई अधिनियम, 1943 के अनुसार तुलन पत्र का सार नीचे दिया गया है।

इरेडा के तुलनपत्र की अनुसूची

(रु. लाख में)

विवरण			बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष				
1	**गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम का ब्याज उपार्जित किया जाता है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जाता है**			
	(क)	डिबेंचरः प्रतिभूत	750,562.03	-
		: अप्रतिभूत	216,008.66	-
		(सार्वजनिक जमा के प्रयोजन के भीतर आने के अतिरिक्त)		
	(ख)	आस्थगित ऋण	-	-
	(ग)	आवधि ऋण	1,258,153.16	-
	(घ)	अंतर–कंपनी ऋण और उधार	-	-
	(ङ)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(च)	सार्वजनिक जमा	-	-
	(छ)	अन्य ऋण ओवरड्राफ्ट	-	-
2	**उपरोक्त(1) (एफ) का ब्रेक–अप (सार्वजनिक जमा राशि उपार्जित ब्याज, जिसका भुगतान नहीं किया जाता है):**			
	(क)	अप्रतिभूति डिबेंचर के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर के रूप में अर्थात् डिबेंचर जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा	-	-
परिसंपत्ति पक्ष			**बकाया राशि**	
3	**ऋणों और अग्रिमों का ब्रेकअप, जिनमें बिल रसीदें भी शामिल हैं उनके छोड़कर नीचे दिए गए (4) विवरण शामिल हैं, :**			
	(क)	प्रतिभूति	2,084,762.72	
	(ख)	अप्रतिभूति	286,672.52	

(रु. लाख में)

4	**पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों का विवरण और किराए पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना वाली अन्य परिसंपत्तियां**			
	(i)	विविध देनदारियों के तहत पट्टे पर किराये सहित पट्टे पर परसंपत्ति		
		(क)	वित्तीय पट्टा	-
		(ख)	परिचालन पट्टा	-
	(ii)	विविध देनदारों के तहत किराया शुल्क सहित किराए पर स्टॉक:		
		(क)	किराए पर परिसंपत्ति	-
		(ख)	रिपोज्सड परिसंपत्ति	-
	(iii)	एएफसी गतिविधियों के लिए अन्य ऋण		
		(क)	ऋण जहां परिसंपत्तियों को वापस कर दिया गया है	-
		(ख)	ऊपर के अतिरिक्त अन्य ऋण	-
5	**निवेश का विवरण**			
	वर्तमान निवेश			
	1.	उद्धृत		
		(i)	शेयर	
			इक्विटी	-
			प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉड	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-

(रु. लाख में)

	2.	अउद्धृत		
		(i)	शेयर	
			इक्विटी	-
			प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉन्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
		अल्पावधि जमा (ब्याज के साथ)		50,646.27
		वाणिज्यिक पत्र (हानि)		6,899.11
	दीर्घकालिक निवेश			
	1. उद्धृत			
	(i)	शेयर		
		इक्विटी		-
		प्राथमिकता		-
	(ii)	डिबेंचर और बॉन्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-
	2. अउद्धृत			
	(i)	शेयर		
		इक्विटी		12.00
		प्राथमिकता		-
	(ii)	डिबेंचर और बॉन्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

उपरोक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूह–वार वर्गीकरण

6	**श्रेणी**		**राशि (प्रावधान का निवल) (रु. लाख में)**		
			प्रतिभूत	**अप्रतिभूत**	**कुल**
	1	संबंधित पक्ष			
		(क) अनुषंगी	-	-	-
		(ख) समान समूह में कंपनियां	-	-	-
		(घ) अन्य संबंधित पक्ष	21.82	-	21.82
	2	संबंधित पक्षों के अलावा	2,011,074.34	286,672.52	2,297,746.86
	योग		**2,011,096.16**	**286,672.52**	**2,297,768.68**

(रु. लाख में)

7	**शेयरों और प्रतिभूतियों में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) के निवेशकों का समूह–वार वर्गीकरण (उद्धृत और अउद्धृत):**				
	श्रेणी			**बाजार मूल्य / विवरण या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधान का निवल)**
	1	संबंधित पक्ष			
		(क)	अनुषंगी	-	-
		(ख)	समान समूह में कंपनियां	-	-
		(घ)	अन्य संबंधित पक्ष	N.A.	12.00
	2	संबंधित पक्षों के अलावा		50,646.27	50,646.27
	कुल			**50,646.27**	**50,658.27**
8	**अन्य जानकारी**				
	विवरण				**राशि (रू. लाख में)**
	(i)	सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां			
		(क)	संबंधित पक्ष		-
		(ख)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त		237,300.16
	(ii)	सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां			
		(क)	संबंधित पक्ष		-
		(ख)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त		163,746.06
	(iii)	ऋण की ऋणमुक्ति से अर्जित परिसंपत्तियां			-

48. यह आंकड़े लाख (शेयरों की संख्या को छोड़कर) रूपयों के लगभग है। पिछले वर्ष के आंकड़ों की वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना करने के लिए जहां भी आवश्यक समझा जाता है, वहां पुनः व्यवस्थित / पुनः समूहित किया गया है।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अनुसार
जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकर
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–
आर. मित्तल
साझीदार
एम. नंबर 084470

हस्ता/–
डॉ. आर. सी. शर्मा
महाप्रबंधक
(वित्त) और सी.एफ.ओ.

हस्ता/–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन नंबर 07795952

हस्ता/–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 07448576

हस्ता/–
सुरेंद्र सुयाल
कंपनी सचिव
एम. नंबर ए11900

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.07.2020

फार्म एओसी – 1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) से संबंधित विवरण

सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

भाग ख सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

सं0	विवरण	टिप्पणियां
1	सहयोगी/संयुक्त उद्यम का नाम	मेसर्स एम.पी. पवन फार्म लिमिटेड
2	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र तारीख	31.03.2020
3	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा संघटित सहयोगी / संयुक्त उद्यम का शेयर	
क)	सं.	168,000 शेयर (बोनस शेयर के रूप में आवंटित 48,000 शेयर सहित)
ख)	सहयोगी /ज्वाइंट वेंचर में निवेश की राशि	रु. 12.00 लाख
ग)	धारित राशि की संख्या	24%
4	सहयोगी / संयुक्त उद्यम समेकित न होने के कारण	.
5	शेयरधारण के स्रोतजन्य निवल संपत्ति	रु. 55.95 लाख
6	वर्ष में लाभ / हानि	
क)	समेकन में प्रतिफलन	रु. 6.39 लाख
ख)	समेकन में प्रतिफलन नहीं किया जाएगा	रु. 20.23 लाख

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अनुसार

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकर
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

हस्ता/–
आर. मित्तल
साझीदार
एम. नंबर 084470

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–
डॉ. आर. सी. शर्मा
महाप्रबंधक
(वित्त) और सी.एफ.ओ.

हस्ता/–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन नंबर 07795952

हस्ता/–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.07.2020

हस्ता/–
सुरेंद्र सुयल
कंपनी सचिव
एम. नंबर ए11900

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सनदी लेखाकार)
जे–85, द्वितीय तल, गुलाटी कॉम्प्लेक्स,
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली –110027
टेलीफोनः 91–11–25454601, 41447118,
मोबाइलः 9811035821, 9811170568
ई–मेलः jnmitalco@rediffmail.com
jnmitalco@gmail.com
वेब–साइटः jnmitalco.com

सेवा में

सदस्य

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मंतव्य

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (कंपनी) के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक का तुलन पत्र (बैलेंस शीट) और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव का विवरण, और तब समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण, और समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स, इसके साथ–साथ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक विधि से और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2020 तक की कंपनी के मामलों की स्थिति के अनुसार, लाभ, और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस वर्ष उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष की नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मंतव्य का आधार

हमने अधिनियम (लेखा मानक) की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा (ऑडिट) की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण के भाग ''लेखा परीक्षक (ऑडिटर) की जिम्मेदारियों'' में आगे वर्णित किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के लिए कंपनी के अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियमों के अंतर्गत भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ–साथ ऑडिट के लिए आवश्यक प्रासंगिक नैतिक मूल्यों का अनुसरण करने वाली एक स्वतंत्र कंपनी हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले की प्रमुखता

जैसा कि नोट 38 (44) (ए) में समेकित वित्तीय विवरणों में वर्णित है, खातों के अतिदेय संबंध में लेकिन 29 फरवरी 2020 को मानक जहां अधिस्थगन लाभ प्रदान किया गया है, 31 मार्च 2020 को उन खातों का मंचन भारतीय रिजर्व बैंक कोविड–19 विनियामक पैकेज के अनुसार 29 फरवरी 2020 को यथोचित स्थिति के दिनों के आधार पर है।

जैसा कि नोट 38 (44) (बी) में समेकित फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्णित है, कोविड–19 महामारी का कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर प्रभाव भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं।

जैसा कि नोट 38 (21) (बी) में समेकित वित्तीय विवरणों में वर्णित है, कंपनी ने तुलनात्मक अवधि में खातों का पुनः कथन किया है और भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा डी13एए के अनुपालन के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए लेखांकन नीति को सुधार दिया है और सभी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं (हेज किए गए और हैज न किए गए), 31 मार्च 2018 को बकाया के रूप में पर एएस 11 का एएए 46 ए लागू किया गया। जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद रिजर्व अकाउंट (एफसीएमआईटीआर) और नकदी प्रवाह बचाव रिजर्व की तुलना में तुलनात्मक अवधि के लिए पुनः कथन हुआ।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उन पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में नीचे वर्णित मामलों को मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

सं0	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों की हानि – अपेक्षित क्रेडिट हानि** (देखें नोट संख्या 38 (39 ए (ii)) का समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण सहपठन लेखांकन नीति नंबर 3 (xx) कंपनी निम्नलिखित के रूप में प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर परिशोधन लागत पर किए गए ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए–तीन–चरण श्मॉडल का अनुसरण करती है: चरण 1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि तक कम जोखिम है। चरण 2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिन्होंने प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि की है, लेकिन इसमें क्षति का वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं होता है। चरण 3 ऐसी में ऋण आस्तियां शामिल हैं जिनके पास रिपोर्टिंग तिथि पर क्षति का वस्तुनिष्ठ प्रमाण है। अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12–माह ईसीएल और चरण 2 के लिए जीवनकाल ईसीएल और चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की प्रायिकता, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और हानि देते हुए डिफॉल्ट के रूप में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया उत्पाद है: डिफॉल्ट (पीडी) की संभावना – पीडी अपने वित्तीय दायित्व पर एक उधारकर्ता डिफॉल्टिंग की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है, या तो अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) तक, या दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) तक। हानि दाता डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी एक डिफॉल्ट एक्सपोजर पर कंपनी के नुकसान की सीमा की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, दावे के प्रकार और वरीयता और संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट समर्थन की उपलब्धता से भिन्न होता है। डिफॉल्ट (ईएडी) पर एक्सपोजर – ईएडी मूल्यांकन की तारीख पर बकाया जोखिम की मात्रा पर आधारित होती है, जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है। अग्र–दर्शित आर्थिक जानकारी 12–महीने और आजीवन पीडी, ईएडी और एलजीडी को निर्धारित करने में शामिल की जाती है। अपेक्षित क्रेडिट हानि की अंतर्निहित धारणाओं की निगरानी और समीक्षा सतत रूप से की जाती है। आईसीआरए एनालिटिक्स, भारतीय लेखा मानक दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक अपेक्षित क्रेडिट लॉस का विश्लेषण और गणना करने के लिए नियुक्त किया गया था। ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के ऊपर उल्लिखित मान्यताओं के किसी भी अनुचित आवेदन की स्थिति में, या तो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से ऋण दिया जा सकता है और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए, ऋण की हानि हमारे ऑडिट में मुख्य संपत्तियों को मुख्य लेखा परीक्षा मैटर माना गया है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** हमने भारतीय लेखा मानक 109 "फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स", विभिन्न विनियामक अपडेट और कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के रूप में निर्दिष्ट क्रेडिट हानि के संबंध में दिशानिर्देशों की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: ऋण संपत्ति की निगरानी, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण हानि के आकलन के सापेक्ष मुख्य आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन और परीक्षण और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा। किसी भी ऋण परिसंपत्ति खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाने के लिए विशाल और बलाघातित ऋण परिसंपत्तियों के परीक्षण के आधार पर ऋण परिसंपत्ति खातों के दस्तावेजों, संचालन / प्रदर्शन और निगरानी की सत्यापन / समीक्षा। इस तरह की ऋण परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण और इससे अपेक्षित ऋण हानि सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के नियंत्रण तंत्र की समीक्षा। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना के लिए स्वतंत्र एजेंसी मेसर्स आईसीआरए विश्लेषिकी को नियुक्त किया है और लेखा परीक्षक द्वारा उस पर अमल किया गया है।

2.	**आयकर का मामला** देखें नोट 38(3 (ए)) कंपनी के पास विवाद के तहत मामलों के संबंध में सामग्री अनिश्चित कर का प्रावधान है जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। मूल्यांकन वर्ष 1998–1999 के आकलन वर्ष 2009–2010 के लिए आयकर मामलों को माननीय उच्च न्यायालय के माननीय आईटीएटी के निर्देश पर वापस संदर्भित किया गया था, जिसे आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेज दिया था। मूल्यांकन अधिकारी ने अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर इन मामलों पर आदेश पारित नहीं किया था और कंपनी ने उपरोक्त आकलन वर्ष के लिए उठाए गए मांग के आधार पर करों को जमा किया था। इसलिए, रिटर्न के अनुसार देय कर से अधिक भुगतान की गई माँग वापस हो जाती है। उक्त वर्षों के लिए ब्याज के साथ धनवापसी करने के लिए विभाग को आवश्यक आदेश जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ रिट दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया है: – "इस बीच, प्रतिवादियों को मूल्यांकन आदेशों को आगे बढ़ाने और पूरा करने की अनुमति दी जाती है और इस पर कोई प्रभाव नहीं डाला जाता है या कोई प्रतिरोधी कार्रवाई नहीं की जाती है"	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में आयकर के साथ विवादित मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय आईटीएटी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की समीक्षा शामिल है। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया शुरू की।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई प्रासंगिक जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि अन्य जानकारी को पढ़ें और विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरण के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरण और हमारा ज्ञान या अन्य तरीके से मूर्त रूप से गलत विवरण प्रतीत होता है।

जब हमें अन्य जानकारी प्रदान की जाती है और पढ़ी जाती है, यदि यह लगता है कि इसमें जबर्दस्त रूप से कोई चूक है, तो हमें ''ऑडिटर की जिम्मेदारियों से संबंधित अन्य सूचनाएं'' के लेखा मानक 720 के अंतर्गत इस संबंध में प्रशासनिक तौर पर दायी लोगों तक इस मामले को संप्रेषित करना चाहिए।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी है जोकि वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), भारत में आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी में लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, साथ ही इसमें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") और अन्य लेखा सिद्धांतों के सह पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है, का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। इन जिम्मेदारियों में निम्नलिखित भी शामिल है रूपर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चिता प्रदान करते हुए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमानः और डिजाइन, जोकि समेकित भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक चूक विवरणों से मुक्त होते हैं।

लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में चलाने के लिए, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान से संबंधित मामलों, जैसा लागू हो, के प्रकटीकरण के लिए, लाभकारी कारोबार वाले

संस्थान पर आधारित लेखांकन के उपयोग के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन इकाई की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार होता है, न कि प्रबंधन या तो इकाई को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

निदेशक मंडल इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पूर्णरुपेण स्थूल गलत–बयानी से मुक्त हैं, चाहे वो धोखाधड़ी से हो या त्रुटिवश हो, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानक के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव उपस्थित किसी स्थूल गलत–बयानी का पता लगा पाएगी। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और इन्हें स्थूल माना जाता है, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ये यथोचित रूप से भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखा मानक के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक शंका बरकरार रखते हैं। इसके अलावा:

- हम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की गलत बयानी के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे ये धोखेबाजी हो फिर या त्रुटिगत हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऐसे ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली स्थूल गलत–बयानी का जोखिम त्रुटिगत गलत–बयानी से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत–बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए परिस्थितियों में उपयुक्त प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (प) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता कैसी है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- हम जारी संगठन के लेखांकन के आधार को प्रबंधन द्वारा उप और प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या स्थूल अनिश्चितता उन घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित है जो गतिशील संगठन के रूप में समूह की क्षमता और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई स्थूल अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट पर भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि अपनी राय को संशोधित करने के लिए इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हों। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई को वर्तमान में जारी संगठन व्यवस्था को समाप्त कर सकता है।
- हम मूल्यांकन करते हैं कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री तथा खुलासों का, और यह भी देखते हैं कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं जिसे निष्पक्ष प्रस्तुति कहा जा सके।
- हम भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के भीतर की व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की दिशा,

पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिन्हें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है, इस तरह के अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई ऑडिट की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम केवल अपनी ऑडिट राय के लिए ही जिम्मेदार हैं।

हम कंपनी के प्रशासनिक प्रभारियों और भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य निकाओं से संप्रेषण करते हैं, जिनके कि हम स्वतंत्र ऑडिटर हैं, अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का योजनाबद्ध स्कोप और समय, जिसमें ऑडिट के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई कोई भी महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है।

हम प्रशासनिक प्रभारियों को इस आशय का एक वक्तव्य भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उनके साथ हमारी स्वतन्त्रता के उचित दायरे में सभी प्रकार के संबंधों और अन्य मामलों के बारे में जहाँ तक प्रयोज्य हो सुरक्षा उपायों के संबंध में उनसे संपर्क रखा गया है।

प्रशासन प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के रूप में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसीलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, बशर्ते कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) के अनुसार आवश्यक है, कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) के अनुसार, हम "अनुलग्नक–ए", आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, आवश्यक सीमा के लिए और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (5) के संदर्भ में हम "अनुलग्नक" –बी में "भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध में जानकारी के संबंध में एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया, जो हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुरूप सर्वोत्तम थे।

ख) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित खाते की उचित पुस्तकें कंपनी द्वारा अभी तक अनुरक्षित की गई हैं। ऐसा हमारे द्वारा संबंधित पुस्तकों की जांच से स्पष्ट होता है।

ग) तुलन पत्र (बैलेंस शीट), अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह विवरण खाते की पुस्तकें लेखा की किताबों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, सह पठित कंपनियों के नियम 7 (लेखा) नियम, 2014, का अनुपालन करते हैं।

ड़) चूंकि कंपनी एक सरकारी है, अतः धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, "अनुलग्नक–ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

छ) कंपनी के नियम 11 (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति

पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है;

ii. कंपनी के पास व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भी स्थूल पूर्वदर्शित हानि नहीं थी;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

जे. एन. मित्तल और कं. के लिए
सनदी लेखाकार,
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

हस्ता/–
सीए आर. मित्तल
साझीदार
सदस्यता संख्या 084470

यूडीआईएनः 20084470AAAAEF6589

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 'क'

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैरा 1 में उल्लिखित "क"; हैं:

1.क) कंपनी पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड बनाए हुए है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है;

ख) हमें सूचित किया जाता है कि प्रबंधन ने अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया था और इस तरह के सत्यापन में किसी प्रकार की विसंगतियां नहीं पाई गई थीं।

ग) प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी के नाम पर संपत्तियां आवंटित की गई हैं, लेकिन इंडिया हैबिटेट सेंटर और अगस्त क्रांति भवन, नई दिल्ली में इसके कार्यालय परिसर के मामलों में, और जंगपुरा, नई दिल्ली में इसके आवासीय फ्लैट – शीर्षक कार्यों को अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।

2. कंपनी किसी भी प्रकार की इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

3. प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

4. अपने पूर्ण कालिक निदेशकों को दिए गए ऋणों के संबंध में, उन्हें धारा 185 के उपधारा 1 के तहत बहिष्करण में कवर किया गया है। धारा 186 का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वित्तीय कंपनियों के व्यवसाय में लगी हुई है। इसके अलावा धारा 186 के उपधारा 1 का प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी नहीं है।

5. कंपनी ने ऐसे किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और कंपनी अधिनियम की धारा 73 और 76 या किसी भी अन्य संबंधित प्रावधान और नियमों के प्रावधान लागू होते हैं।

6. प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सौर संयंत्र के संबंध में, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित किया है, और उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं।

कंपनी के मामले में आवश्यकतानुसार आगामी खाते और रिकॉर्ड बनाए और अनुरक्षित किए गए हैं।

7.क) रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी आम तौर पर उचित प्राधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया जैसे कि भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया नियमित रूप से जमा करा रही है।

ख) कंपनी निम्नलिखित केसेज में अपील की है:

अधिनियम का नाम	मूलन्यांकन किया जाने वाला वर्ष	राशि रुपये में करोड़	फोरम
आयकर अधिनियम, 1961	2010–11	13.44	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2011–12	14.96	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2012–13	15.19	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2013–14	22.16	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2014–15	15.47	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2015–16	23.11	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2016–17	27.61	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	2017–18	53.37	सीआईटी (अपील)

8. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या डिबेंचर धारकों का बकाया चुकाने से कंपनी नहीं चूकी है।

9. कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों से बांड और आवधिक ऋण के माध्यम से धन जुटाया है और धन का उपयोग दीर्घकालिक परियोजनाओं और अल्पकालिक ऋण के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

10. जानकारी के अनुसार, प्रदान किए गए स्पष्टीकरण, कंपनी द्वारा या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है। हालांकि, नोट 38 (45) को देखें, अन्य कंसोर्टियम उधारदाताओं द्वारा एक धोखाधड़ी का पता लगाया गया था, जिसमें एक पार्टी के 5,107.95 लाख रुपये के ऋण से संबंधित था।

11. सरकारी कंपनी होने के नाते, 5 जून, 2015 को जारी एमसीए अधिसूचना के संदर्भ में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12. कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

13. प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां भी प्रयोज्य हो, और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार जैसा आवश्यक है वित्तीय विवरणों आदि में खुलासा किया गया है।

14. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।

15. प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।

16. हाँ। कंपनी की आवश्यकता है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–I ए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है।

जे. एन. मित्तल और कं. के लिए
सनदी लेखाकार,
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

हस्ता/–
सीए आर. मित्तल
साझीदार
सदस्यता संख्या 084470

यूडीआईएनः 20084470AAAAEF6589

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश।

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है?

   यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ खातों के एकीकरण पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।

   उत्तर: कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम (प्रणाली) है। उपलब्ध किए गए हमारे सत्यापन और जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ खातों के एकीकरण पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के कोई निहितार्थ नहीं हैं।

2. कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा छूट / ऋण को बट्टे खाते में डालना / ऋण / ब्याज आदि के पुनर्गठन का कोई मामला है या नहीं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।

   उत्तर: कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा छूट / ऋण को बट्टे खाते में डालना / ऋण / ब्याज आदि के पुनर्गठन का कोई मामला है या नहीं।

3. क्या विशिष्ट योजनाओं के लिए केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से प्राप्त धनराशि / प्राप्य को उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखे में दर्ज किया /उपयोग किया गया था?

   विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।

   उत्तर: कंपनी को केंद्रीय एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धन प्राप्त हुआ है। उपलब्ध कराए गए हमारे सत्यापन और जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, निधियों का सही तरीके से इसकी शर्तों के अनुसार लेख–जोखा रखा गया/उपयोग किया गया।

जे. एन. मित्तल और कं. के लिए
सनदी लेखाकार,
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587छ

हस्ता / –
सीए आर. मित्तल
साझीदार
सदस्यता संख्या 084470

यूडीआईएनः 20084470AAAAEE5454
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई, 2020

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुलग्नक– ग

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (1) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2020 तक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (कंपनी) की समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:–पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक मंतव्य व्यक्त करना है। हमने वित्तीय लेखा परीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा ("मार्गदर्शन नोट") और लेखा परीक्षण के मानकों पर दिशानिर्देश नोट, आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत जिसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए आवश्यक सीमा तक निर्धारित माना जाता है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के एक ऑडिट के लिए लागू होते हैं और दोनों भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी स्थूल मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में शामिल हैं: वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, कोई स्थूल कमजोरी मौजूद है, उस जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम पर आंतरिक नियंत्रण बुनियादों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटिगत हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरे/हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो:

1. अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

2. उचित आश्वासन दें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं तथा

3. कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पहचान या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर एक स्थूल प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड (उल्लंघन) की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत–बयानी हो सकती है और इसका पता न लगे, साथ ही, भविष्य के समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

मंतव्य

हमारी राय में, निम्नलिखित के अलावा, कंपनी को 31 मार्च, 2020 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, समस्त स्थूल मामलों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है,

क) समीक्षा किए जाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल।

ख) अद्यतन किए जाने वाले अभिलेखों के रखरखाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली।

ग) विविध शीर्षकों के तहत आय के संबंध में आईटी सक्षम प्रक्रिया की तैयारी प्रगति पर है।

जे. एन. मित्तल और कं. के लिए
सनदी लेखाकार,
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

हस्ता / –
सीए आर. मित्तल
साझीदार
सदस्यता संख्या 084470
यूडीआईएनः 20084470एएएएईई5454

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई, 2020

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) को धारा 129 (4) के साथ पढ़ने के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास की मानक वित्तीय स्थिति पर भारत के नियंत्रक और महा लेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी के अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत, जोकि 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आध ाारित है, वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा जारी किए गए दिनांक 30 जुलाई 2020 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ये कहा गया है कि ऐसा किया जा चुका है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) सह पठित अधिनियम की धारा 129 (4) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। हमने (भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था) के वित्तीय विवरणों का एक अनुपूरक लेखा परीक्षण किया। इसके अलावा, निजी इकाई होने के नाते वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने और पूरक लेखा परीक्षा का संचालन करने के संबंध में अधिनियम की धारा 139 (5) और 143 (6) (ए) एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी के पूरक ऑडिट का संचालन किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य संगत कागजात तक पहुँच बनाए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से की गई पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक ही सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को सृजन करें।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और की ओर से

हस्ता / –

(संजय कुमार झा)

लेखा परीक्षा के महानिदेशक

(पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग)

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 27 / 10 / 2020

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च, 2020 तक का समेकित तुलन पत्र

(रू. लाख में)

सं0	विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
I	आस्तियां			
क	वित्तीय आस्तियाँ			
	(क) नकद और नकद समकक्ष	2	98,840.37	55,730.76
	(ख) बैंक बैलेंस ऊपर के (क) अलग	3	58,731.37	49,603.78
	(ग) व्युत्पन्न वित्तीय साधन	4	71,255.99	15,432.55
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यापार प्राप्य	5	312.98	239.59
	(II) अन्य प्राप्य		-	-
	(च) ऋण	6	2,297,768.68	2,098,598.17
	(छ) निवेश	7	-	-
	(ज) अन्य वित्तीय आस्तियां	8	2,486.44	2,847.34
	कुल (क)		**2,529,395.84**	**2,222,452.18**
ख	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) वर्तमान कर की संपत्ति (शुद्ध)	9	16,506.40	13,842.79
	(ख) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	10	14,264.10	6,856.39
	(ग) निवेश संपत्ति	11	5.09	6.10
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	12	26,468.39	30,269.45
	(च) पूंजी कार्य–प्रगति	13	0.86	0.86
	(छ) उपयोग की संपत्ति का अधिकार	14	1,714.60	-
	(ज) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	15	-	-
	(झ) अमूर्त संपत्ति	16	16.39	21.50
	(प) अन्य गैर–वित्तीय संपत्तियाँ	17	176,808.49	178,335.35
	(जे) इक्विटी विधि का उपयोग करके निवेश का लेखा–परीक्षा किया गया		55.95	49.56
	कुल (ख)		**235,840.28**	**229,382.00**
	कुल संपत्ति (क+ख)		**2,765,236.12**	**2,451,834.19**
II.	**देन–दारी और इक्विटी**			
	देयताएं			
क	**वित्तीय देनदारियाँ**			
	(क) व्युत्पन्न वित्तीय साधन	4	6,788.00	26,592.36
	(ख) देय			
	(I) व्यापार भुगतान	18		
	(i) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		45.09	60.47

(रू. लाख में)

सं0	विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देय		6,535.05	12,556.11
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	19	926,758.64	761,246.83
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूति के अलावा)	20	1,243,625.87	1,099,076.95
	(ड) अधीनस्थ दायित्व	21	14,970.00	14,967.88
	(च) अन्य वित्तीय देनदारियां	22	94,064.47	87,620.19
	कुल (क)		**2,292,787.10**	**2,002,120.78**
ख	**गैर–वित्तीय दायित्व**			
	(क) प्रावधान	23	45,581.35	16,921.74
	(ख) स्थगित कर देयता (शुद्ध)	10	-	-
	(ग) अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां	24	174,691.86	174,357.53
	कुल (ख)		**220,273.21**	**191,279.27**
ग	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर कैपिटल	25	78,460.00	78,460.00
	(ख) अन्य इक्विटी	26	173,715.81	179,974.13
	कुल (ग)		**252,175.81**	**258,434.13**
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख+ग)		**2,765,236.12**	**2,451,834.19**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1

वित्तीय विवरण पर नोट्स 38

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अनुसार
जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकर
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–
आर. मित्तल
साझीदार
एम. नंबर 084470

हस्ता/–
डॉ. आर. सी. शर्मा
महाप्रबंधक
(वित्त) और सी.एफ.ओ.

हस्ता/–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन नंबर 07795952

हस्ता/–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 07448576

हस्ता/–
सुरेंद्र सुयाल
कंपनी सचिव
एम. नंबर ए11900

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.07.2020

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के समेकित विवरण

(रू. लाख में)

सं0	विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
I	**संचालन से राजस्व**			
i)	ब्याज आय	27	224,658.02	193,320.13
ii)	शुल्क और कमीशन आय	28	2,162.65	2,370.38
iii)	व्युत्पन्न पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ	29	7,165.33	3,434.80
iv)	सौर संयंत्र संचालन से शुद्ध राजस्व	30	2,745.99	2,831.31
	परिचालन से कुल राजस्व (I)		**236,731.98**	**201,956.61**
II	अन्य आय	31	506.18	264.24
III	**कुल आय (I+II)**		**237,238.17**	**202,220.85**
IV	**व्यय**			
i)	वित्तीय लागत	32	145,920.61	118,290.25
ii)	शुद्ध रूपांतरण / लेन–देन विनिमय हानि	33	4,064.67	5,857.14
iii)	वित्तीय साधनों पर हानि	34	51,809.07	26,586.54
iv)	कर्मचारी लाभ व्यय	35	4,697.50	4,433.19
v)	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	36	2,281.20	2,335.62
vi)	अन्य व्यय	37	2,434.80	4,934.42
vii)	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय	38(28)	1,919.04	1,255.53
	कुल व्यय (IV)		**213,126.89**	**163,692.69**
V	असाधारण वस्तुओं और कर (तृतीय–चतुर्थ) से पूर्व लाभ / (हानि)		24,111.28	38,528.16
VI	**असाधारण वस्तुएं**		-	7,432.87
VII	**कर से पहले लाभ / (हानि) (V-VI)**		24,111.28	31,095.29
VIII	**कर व्यय**			
	(i) वर्तमान कर	38(30)	10,013.33	13,888.32
	(ii) आस्थगित कर		(7,357.10)	(7,783.63)
IX	एसोसिएट में लाभ का बँटावारा		6.39	(3.73)
X	सतत संचालन (VII-VIII) से अवधि के लिए लाभ / (हानि)		21,461.43	24,986.87
XI	**इस अवधि में लाभ / (हानि)**		**21,461.43**	**24,986.87**
XII	**अन्य व्यापक आय**			
(क)	(i) वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापनः			
	ग्रेच्युटी		(53.90)	38.28
	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		(150.47)	(41.77)
	सामान भत्ता		(1.05)	(0.17)

(रू. लाख में)

सं0	विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		50.62	(24.30)
	उप–योग (क)		**(154.80)**	**(27.96)**
(क)	(i) वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगारू–			
	नकदी प्रवाह बचाव रिजर्व में हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट पर लाभ / (हानि) का प्रभावी हिस्सा		39,479.61	3,115.32
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(4,386.67)	(611.68)
	उप–योग (ख)		**35,092.94**	**2,503.64**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**34,938.14**	**2,475.68**
XIII	**अवधि के लिए (X + XI) कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभप्रद लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय)**		**56,399.57**	**27,462.55**
XIV	**प्रति शेयर आय अर्जित करना (सतत संचालन के लिए) (वार्षिक)**			
	मूल (रु.)	38(13)	2.74	3.18
	डाइल्यूटेड (रु)		2.74	3.18

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1

वित्तीय विवरण पर नोट्स 38

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अनुसार
जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकर
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–
आर. मित्तल
साझीदार
एम. नंबर 084470

हस्ता/–
डॉ. आर. सी. शर्मा
महाप्रबंधक
(वित्त) और सी.एफ.ओ.

हस्ता/–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन नंबर 07795952

हस्ता/–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 07448576

हस्ता/–
सुरेंद्र सुयल
कंपनी सचिव
एम. नंबर ए11900

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.07.2020

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क	इक्विटी शेयर कैपिटल	(रू. लाख में)
	01.04.2018 तक शेष राशि	78,460.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
	31.03.2019 तक शेष राशि	78,460.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
	31.03.2020 तक शेष राशि	78,460.00

ख. अन्य इक्विटी

(रू. लाख में)

विवरण	रिजर्व और सरप्लस										नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग	कुल
				आस्थगित अनुदान								
	सामान्य रिजर्व	विशेष रिजर्व	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	फिक्स्ड आस्तियों के लिए विश्व बैंक से पूंजी अनुदान	नीदरलैंड सरकार की ओर से अनुदान	विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त	अन्य राजधानी पूर्जी अनुदान	एनबीएफसी रिजर्व	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण रिजर्व'		
01.04.2018 तक शेष राशि	95,567.70	73,651.13	16,651.93	1.99	1,678.59	8,394.84	601.44	-	(1,879.81)	(21,640.40)	(10,163.53)	**162,863.89**
त्रुटियों के सुधार का प्रभाव (नोट 38 देखें (21))	2,053.77	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,722.93)	22,722.93	**2,053.77**
शेष राशि 01.04.2018 तक	97,621.47	73,651.13	16,651.93	1.99	1,678.59	8,394.84	601.44	-	(1,879.81)	(44,363.33)	12,559.40	**164,917.66**
अवधि के दौरान लाभ									24,986.87			**24,986.87**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (शुद्ध कर)											(9,907.23)	**(9,907.23)**
अन्य व्यापक आय									(27.96)			**(27.96)**
31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	**24,958.91**	-	**(9,907.23)**	**15,051.68**
वर्ष के दौरान रिजर्व में हस्तांत्रण	10,676.86	9,000.00	4,629.11	(1.99)	(1,678.59)	(8,394.84)	(601.44)	4,882.69	(18,511.80)			-
वर्ष के दौरान दीर्घावधि के मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा रूपांतरण हानि										(106.10)		**(106.10)**
वर्ष के दौरान परिशोधन										2,738.90		**2,738.90**
लाभांश									(2,183.50)			**(2,183.50)**
कॉर्पोरेट लाभांश कर									(444.51)			**(444.51)**
31.03.2019 तक शेष राशि	**108,298.33**	**82,651.13**	**21,281.04**	-	-	-	-	**4,882.69**	**1,939.29**	**(41,730.53)**	**2,652.17**	**179,974.13**
त्रुटियों के सुधार का प्रभाव (नोट 38 (21)) देखें										(12,410.86)	12,410.86	-

(रू. लाख में)

विवरण	रिजर्व और सरप्लस										नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग	कुल
	सामान्य रिजर्व	विशेष रिजर्व	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	आस्थगित अनुदान				एनबीएफसी रिजर्व	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण रिजर्व*		
				फिक्स्ड आस्तियों के लिए विश्व बैंक से पूंजी अनुदान	नीदरलैंड सरकार की ओर से अनुदान	विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त	अन्य राजधानी पूजीं अनुदान					
31.03.2019 तक शेष राशि	108,298.33	82,651.13	21,281.04	-	-	-	-	4,882.69	1,939.29	(54,141.39)	15,063.03	**179,974.13**
अवधि के दौरान लाभ									21,461.43			**21,461.43**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (शुद्ध कर)									(154.80)		35,092.94	**34,938.14**
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	**21,306.63**	-	**35,092.94**	**56,399.57**
वर्ष के दौरान रिजर्व में हस्तांत्रण	(20,000.00)	10,820.32	4,629.11					4,300.00	250.57			-
वर्ष के दौरान दीर्घावधि के मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा रूपांतरण हानि										(51,252.72)		**(51,252.72)**
वर्ष के दौरान परिशोधन										4,048.81		**4,048.81**
लाभांश									(12,819.00)			**(12,819.00)**
कॉर्पोरेट लाभांश कर									(2,634.98)			**(2,634.98)**
31.03.2020 तक शेष राशि	**88,298.33**	**93,471.45**	**25,910.15**	-	-	-	-	**9,182.69**	**8,042.51**	**(101,345.30)**	**50,155.97**	**173,715.81**

*नोट 38 (21) देखें

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण रिजर्व के बैलेंस में हेज की गई वस्तुओं में ₹61,804.60 लाख (पिछले वर्ष ₹35,133.80 लाख) की विदेशी मुद्रा रूपांतरण हानि शामिल है, जिसके विरुद्ध ₹48,511.41 लाख (पिछले वर्ष ₹1,920.22 लाख) के डेरिवेटिव्ज पर आधारित उचित मूल्य परिवर्तन पर लाभ कैश फ्लो हेज रिजर्व के बैलेंस में शामिल किया गया था।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1

वित्तीय विवरण पर नोट्स 38

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अनुसार

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकर
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

हस्ता/–
आर. मित्तल
साझीदार
एम. नंबर 084470

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–
डॉ. आर. सी. शर्मा
महाप्रबंधक
(वित्त) और सी.एफ.ओ.

हस्ता/–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन नंबर 07795952

हस्ता/–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 07448576

हस्ता/–
सुरेंद्र सुयाल
कंपनी सचिव
एम. नंबर ए11900

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.07.2020

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(रू. लाख में)

		विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
क		**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाहः**				
		कर देने से पूर्व लाभ	24,111.28		31,095.29	
		के लिए समायोजनः				
	1	अचल आस्तियां / समायोजन की बिक्री पर हानि (शुद्ध)	0.16		(0.02)	
	2	वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि	51,809.07		26,586.54	
	3	मूल्यह्रास	2,281.20		2,335.62	
	4	लीज देनदारी पर ब्याज	10.63		-	
	5	शुद्ध रूपांतरण / लेन–देन विनिमय हानि	4,064.67		5,857.14	
	6	प्रावधान वापस लिखा गया	(10.52)		(19.34)	
	7	मसाला बॉन्ड अनुदान का परिशोधन	(130.94)		(27.33)	
	8	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	(205.42)		(3.66)	
	9	ऋण प्रतिभूतियों पर प्रभावी ब्याज दर	211.80		174.34	
	10	ऋण प्रतिभूति के अलावा अन्य पर प्रभावी ब्याज दर	3.17		(10.00)	
	11	उप ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	2.12		(32.12)	
	12	ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	1,958.50		2,796.55	
	13	व्युत्पन्न पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ	(7,165.33)		(3,434.80)	
		परिचालन परिसंपत्तियों / देयताओं में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**76,940.39**		**65,318.21**	
		परिचालन परिसंपत्तियों / देनदारियों में वृद्धि(कमी)				
	1	ऋण	(224,663.12)		(557,107.03)	
	2	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	360.89		(7,215.13)	
	3	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	1,526.85		46.33	
	4	व्यापार प्राप्य	(73.39)		1,952.03	
	5	अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां	421.58		(251.77)	
	6	अन्य वित्तीय देनदारियां	6,352.38		7,334.33	
	7	देय व्यापार	(6,036.44)		(1,273.86)	
	8	बैंक शेष नकद और नकद समकक्ष के अलावा	(9,127.59)		3,821.80	
	9	प्रावधान	428.34		(171.43)	
			(278,014.40)		**(562,642.79)**	
		असाधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह				
		असाधारण वस्तु	-		7,432.87	
		कर से पहले संचालन से उत्पन्न नकद	**(201,074.02)**		**(489,891.71)**	
		आयकर	(17,063.61)		(11,909.77)	
		संचालन से उत्पन्न शुद्ध नकद		**(218,137.63)**		**(501,801.49)**
ख		**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	1	अचल आस्तियों की खरीद	(17.78)		(928.13)	
	2	अचल आस्तियों की बिक्री	2.27		0.54	

(रू. लाख में)

	विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
	3	पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	-		(2,724.06)	
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			**(15.51)**		**(3,651.65)**
ग	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**					
	1	ऋण प्रतिभूति जारी करना (मोचन का शुद्ध)	165,300.00		76,500.00	
	2	ऋण प्रतिभूतियों के अलावा कुछ और इकट्ठा करना (चुकौती का शुद्ध)	111,498.21		284,722.99	
	3	अधीनस्थ देयताओं को इकट्ठा करना (छुटकारे का नेट)	-		15,000.00	
	4	लीज देयता के लिए भुगतान	(81.48)		-	
	5	लाभांश	(12,819.00)		(2,183.50)	
	6	कॉर्पोरेट लाभांश कर	(2,634.98)		(444.51)	
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			**261,262.75**		**373,594.98**
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि			**43,109.61**		**(131,858.16)**
	वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष			55,730.76		187,588.92
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष			98,840.37		55,730.76
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि			**43,109.61**		**(131,858.16)**
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्षों के घटक						
	भारतीय शाखा में बैंकों के साथ चालू खातों में			50,870.24		39,101.06
	विदेशी शाखा में बैंकों के चालू खातों में			2,585.08		37.21
	बैंकों के ओवरड्राफ्ट खातों में			-		3.90
	बैंकों के जमा खातों में			45,374.52		16,588.19
	बैंकों में बचत बैंक खातों में			10.19		-
	संग्रहाधीन चेक / डीडी इन हैंड एंड पोस्टेज इंप्रेस्ट			0.35		0.40
	कुल			**98,840.37**		**55,730.76**

नकदी प्रवाह विवरण के लिए नोट्स

1. पिछले वर्षों के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और जहां कहीं भी आवश्यक हुआ पुनः एकत्रित किए गए हैं।
2. इरेडा के पास ऐसा कोई नकद और नकद समतुल्य शेष नहीं है जो इरेडा के उपयोग के लिए उपलब्ध न हो।
3. कुल जमा राशि में रु 5,271.76 लाख से अधिक राशि है जिनकी 90 दिनों की मूल परिपक्वता है।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अनुसार

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकर
फर्म की पंजीकरण संख्याः 003587एन

हस्ता/–
आर. मित्तल
साझीदार
एम. नंबर 084470

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–
डॉ. आर. सी. शर्मा
महाप्रबंधक
(वित्त) और सी.एफ.ओ.

हस्ता/–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन नंबर 07795952

हस्ता/–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 07448576

हस्ता/–
सुरेंद्र सुयाल
कंपनी सचिव
एम. नंबर ए11900

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.07.2020

नोट – 1

1. कॉर्पोरेट जानकारी

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड अर्थात– इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अर्थात – मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न (श्रेणी – I) भारत सरकार का उपक्रम है। इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत किया जाता है, जो गैर–जमा राशि लेने वाली गैर–बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी) है। 1987 से, इरेडा अपने आदर्श वाक्य "ऊर्जा हमेशा के लिए" के साथ, ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता / संरक्षण के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तार करने में लगा है। "ऊर्जा हमेशा के लिए"। कंपनी के पास केरल राज्य के कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट की सौर परियोजना है।

2. तैयारी का आधार

(i) भारतीय लेखा मानक के अनुपालन से संबंधित बयान

कंपनी के वित्तीय विवरणों को सेक के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 133 के अनुसार और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, और आगे संशोधित, के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों (भारतीय लेखा मानक) के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण एक जारी प्रतिष्ठान के आधार पर और लेखांकन के क्रमिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन को अपनाया है, जिन्हें अलग–अलग आधार पर मापा गया है तथा इस तरह के आधार का खुलासा संबंधित लेखांकन नीति में किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, बशर्ते जहां एक नया जारी लेखा मानक शुरू में अपनाया गया हो अथवा या किसी मौजूदा लेखांकन मानक के संशोधन में उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

(ii) प्राक्कलन का उपयोग

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, प्राक्कलन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों, और संबंधित खुलासे की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य का परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। लेखांकन अनुमान का कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य में संभावित रूप से मान्य होता है।

लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आँकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

(क) महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

<u>आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता की मान्यता</u> – आस्थगित कर परिसंपत्तियों को किस हद तक पहचाना जा सकता है, यह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी प्रबंधन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं रखती है। और इस प्रकार, बनाए गए और अनुरक्षित किए गए विशेष रिजर्व को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसलिए, कंपनी उक्त रिजर्व पर कोई भी कर देयता नहीं बनाती है।

परिसंपत्तियों की हानि के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रासंगिकता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का आकलन करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट हो सकती है।

क्रेडिट बिगड़ा ऋण पर ब्याज आय की गैर मान्यता – क्रेडिट बिगड़ा ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय समझदारी का मामला नहीं माना जा रहा है, तनावग्रस्त संपत्ति के प्रस्तावों के परिणाम लंबित है।

(ख) महत्वपूर्ण प्राक्कलन

मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य संपत्ति के उपयोगी जीवन – प्रबंधन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास / परिशोधन योग्य संपत्ति के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितता तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती है।

निर्धारित लाभ दायित्व (डीबीओ) – डीबीओ का प्रबंधन का अनुमान कई अंतर्निहित धारणाओं जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भविष्य के वेतन में वृद्धि की प्रत्याशा पर आधारित है। इन मान्यताओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ खर्चों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य माप – वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें विकासशील अनुमान और धारणाएं शामिल हैं कि कैसे बाजार सहभागी साधन (इन्स्ट्रुमेंट) का मूल्य निर्धारण करते हैं। किसी संपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी बाजार अवलोकन डेटा का उपयोग उस सीमा तक करती है, जहां तक वह उपलब्ध हो। बाजार–अवलोकन डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग उचित मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

आयकर – महत्वपूर्ण प्राक्कलन आयकर के प्रावधान को निर्धारित करते हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान / वसूल की जाने वाली राशि और आस्थगित कर संपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता शामिल हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') – परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता की माप के लिए जटिल मॉडल के उपयोग करने और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और क्रेडिट व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण धारणाओं का उपयोग करने की जरूरत पड़ती है (उदाहरण के लिए, बकाया करने और परिणामी नुकसान करने वाले ग्राहकों की संभावना)। कंपनी ईसीएल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का आकलन करते समय निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है:

- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद / बाजार और संबंधित ईसीएल के लिए अग्रेषित परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष वेटिंग स्थापित करना;
- ईसीएल को मापने के लिए समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना; तथा
- डिफॉल्ट और हानि दी गई डिफॉल्ट की संभावना का अनुमान लगाना (डिफॉल्ट के मामले में वसूली योग्य राशि का अनुमान)।

प्रावधान: दायित्व की मान्यता और परिमाणीकरण (मुकदमों सहित) के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं, में निर्णय के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। प्रावधानों और देनदारियों की मात्रा की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है।

(iii) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि प्राथमिक आर्थिक वातावरण की कार्यात्मक मुद्रा है, जिसमें कंपनी संचालित होती है, मूल्यों को लाखों में निकटतम दो दशमलवों तक पूर्ण संख्या में बदला जाता है, बशर्ते अन्यथा न कहा गया हो।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियाँ

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मूर्त संपत्ति (पीपीई)

पीपीई (मूर्त संपत्ति) को प्रारंभ में लागत से पहचाना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत में उसके खरीद मूल्य शामिल होते हैं, जिसमें व्यापार छूट और रियायत घटाने के बाद, आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य कर शामिल होते हैं, और इसके साथ–साथ स्थान पर उस आस्ति को लाने के दौरान लगने वाले व्यय और उपयोग योग्य स्थिति में लाने आवश्यक खर्च भी शामिल होते हैं। स्टोर और पुर्जे जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं और अंतर्निहित परिसंपत्ति की वहन राशि में पूंजीकृत और जोड़े जाते हैं।

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए परवर्ती मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। नतीजतन, समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अपनी लागत से कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि के नुकसान पर, यदि कोई हो, लाए जाते हैं।

मान्यता हटाना

पीपीई के आयटम के निपटाए जाने, या जब उस आयटम से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ के उपयोग की उम्मीद नहीं की जाती है तो उससे मान्यता हटाई जाती है। पीपीई की मान्यता हटाए जाने से उत्पन्न होने वाले नुकसान या नुकसान को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, जब संपत्ति की मान्यता हटाई जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में लाई जाने वाली राशि को मान्यता दी जाती है।

कैपिटल कार्य – प्रगति पर

रिपोर्टिंग तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत का खुलासा–'कैपिटल वर्क–इन–प्रोग्रेस' के रूप में किया गया है। यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे किए जाते हैं तो लागत में खरीद मूल्य, उधार लागत तथा संपत्ति कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष लगने वाली लागत शामिल रहता है और रहती होती है। क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की व्यापार छूट और रियायत को घटाया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण / निर्माण के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि जो बैलेंस शीट की तारीख में बकाया है, को ''पूंजी अग्रिम'' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है जहां संभावना रहती कि परिसंपत्तियों के कारण भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

परिमित उपयोगी जीवन के साथ सभी अमूर्त संपत्ति बाद में लागत मॉडल पर मान्यता प्राप्त करती हैं। इन अमूर्त संपत्तियों को बाद में इसकी लागत से संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अनुमानित जीवन 5 वर्ष से अधिक नहीं है।

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

व्यय जो कि अमूर्त संपत्ति के तहत पूंजीकरण हेतु पात्रता रखता हैं, विकास के तहत ''अमूर्त संपत्ति'' के रूप में किया जाता है जब तक कि ये अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं।

मान्यता हटाना

एक अमूर्त संपत्ति के निपटान होने पर, या जब इनके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता हैं तो उसकी मान्यता हट जाती है। एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता रहित करने से उत्पन्न लाभ या हानि, शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, और संपत्ति के अमान्य होने पर संपत्ति की वहन राशि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

(ii) मूल्यह्रास और परिशोधन

नीचे दी गई संपत्ति को छोड़कर, रिटन डाउन बेसिस (डब्ल्यूडीवी) पर, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची – II में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार मूर्त पीपीई पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है:

- पुस्तकालय की पुस्तकों पर मूल्यह्रास क्रय वर्ष में /100% प्रदान आ जाता है।
- संबंधित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और संबंधित राज्य आयोग टैरिफ आदेशों के तहत दरों / कार्यप्रणाली पर सीधी रेखा पद्धति पर सौर ऊर्जा परियोजना के पीपीई पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।
- रू. 5,000/– या उससे कम की संपत्ति के संबंध में खरीद के वित्तीय वर्ष में मूल्यह्रास /100% प्रदान किया जाता है।
- सीधी रेखा के आधार पर अमूर्त संपत्ति का परिशोधन प्रदान किया जा रहा है।
- प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी पीपीई और अमूर्त संपत्ति के लिए उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो, तो लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में जिम्मेदार हैं।
- **अनुसूची II के अनुसार संपत्ति का उपयोगी जीवनः**

एसेट विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल्य लागत के % आयु के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	60 साल	5%
कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ		
लैपटॉप्स / कंप्यूटर	3 साल	5%
सर्वर्स	6 साल	5%
कार्यालय उपकरण	5 साल	5%
फर्नीचर व फिक्सचर	10 साल	5%
वाहन	8 साल	5%
अमूर्त संपत्ति	5 साल	5%

- **सीईआरसी के आदेश के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन**

एसेट विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के % आयु के रूप में अवशिष्ट मूल्य
सौर संयंत्र	25 साल	10%

(ii) सरकारी अनुदान / सहायता

कंपनी को सरकारी अनुदान प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए कंपनी की परिचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता होती है या कंपनी को कुछ योग्य मानदंडों के आधार पर वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रदान की जाती है।

सरकारी अनुदान को मान्यता तब दी जाती है जब उचित आश्वासन मिलता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करने में सक्षम होगी। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर संपत्ति और राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सरकारी तौर पर दीर्घकालिक संपत्ति खरीदने, निर्माण करने या अन्यथा प्राप्त करने की शर्त के साथ शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक बार आस्थगित आय के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर, इस तरह के अनुदान को संपत्ति के उपयोगी जीवन पर प्रणालीबद्ध लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है। संपत्ति के शेष जीवन पर अनुमानों में परिवर्तन को संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

अनुदान से संबंधित अनुदान को उस अवधि के लाभ और हानि के विवरण में आस्थगित और मान्यता प्राप्त होती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसकी भरपाई करने का इरादा है, खर्च किया जाता है।

ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों (एनआरएसई) के निर्दिष्ट क्षेत्रों में वित्तपोषण परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता को आस्थगित आय के रूप में माना और लेखांकित किया जाता है।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के तहत किए गए व्यय को वसूली योग्य माना जाता है और इसे अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों 'के तहत दिखाया जाता है। बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त सहायता उक्त खाते में जमा की जाती है।

(v) पट्टा

Θ पट्टेदार के रूप में

कंपनी अनुबंध की स्थापना के समय यह आकलन करती है कि क्या यह कोई अनुबंध है, या पट्टा है। एक अनुबंध, एक पट्टा हो सकता है अगर अनुबंध मूल्य के बदले में एक अवधि विशेष के लिए किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि:

(i) क्या अनुबंध में एक पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है;

(ii) क्या कंपनी के पास पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग के सभी आर्थिक लाभ प्रमुखता से हैं, और क्या

(iii) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

कंपनी, अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है। कंपनी लीज भुगतान करने के लिए लीज देनदारियों को मान्यता देती है और अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों को पहचानती है।

i) उपयोग का अधिकार संपत्ति

कंपनी पट्टे की शुरुआत की तारीख (यानी, अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है) पर सही उपयोग की परिसंपत्तियों को पहचानती है। उपयोग की जाने वाली संपत्ति को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि का नुकसान और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनर्भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग की सही संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त लीज देनदारी की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागत, और शुरू होने की तारीख से पहले या तारीख पर प्राप्त लीज भुगतान, प्राप्त लीज प्रोत्साहन घटाते हुए, शामिल हैं। संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर उपयोग की गई संपत्ति को मूल्यह्रास किया जाता है।

ii) लीज (पट्टे की) देनदारी

लीज की प्रारंभ की तारीख में, कंपनी लीज अवधि में किए जाने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई लीज की देनदारियों को मान्य करती है। पट्टे के भुगतानों में निश्चित भुगतान (पदार्थ में फिक्स्ड भुगतानों सहित) जिसमें से प्राप्य कोई भी लीज प्रोत्साहन घटाकर, परिवर्तनीय लीज भुगतान जो एक इंडेक्स या एक दर पर निर्भर करते हैं, और अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों का भुगतान किया जाता है। कंपनी लीज शुरू होने की तारीख पर अपने वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऋण की अवधि के लिए वृद्धिशील उधार दर एसबीआई एमसीएलआर दर है यदि ऋण 3 वर्ष तक के लिए है। 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, 3 वर्ष के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर ली जा सकती है।

iii) अल्पकालिक पट्टे और कम कीमत वाली संपत्तियों के पट्टे

अल्पकालिक पट्टों पर पट्टा भुगतान (जिसमें 12 महीने तक की लीज अवधि होती है) और निम्न मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे (रु.10, 00,000 / – तक की परिसंपत्ति के मूल्य) को पट्टे अवधि पर व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है। लीज अवधि को पट्टे की गैर–निरस्त करने की अवधि के साथ, दोनों के साथ निर्धारित किया जाता है:

क) पट्टे का विस्तार करने के लिए एक विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि यदि पट्टेदार उचित रूप से उस विकल्प का उपयोग करना निश्चित कर चुका है; तथा

ख) पट्टों को समाप्त करने के लिए एक विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि यदि पट्टेदार उचित रूप से निश्चित है कि वह उस विकल्प का उपयोग नहीं कर सकता है।

Θ एक पट्टेकार के रूप में

जब कंपनी एक पट्टेकार के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे की स्थापना पर निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा है या प्रचालन (ऑपरेटिंग) पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा पर्याप्त रूप से परिसंपत्ति के अंतर्निहित स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और रिवार्ड्स को हस्तांतरित करता है। ऐसे मामले में पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि ऐसा नहीं है, तो यह एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा संपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग हेतु है। यदि किसी व्यवस्था में पट्टे और गैर–पट्टे के घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में विचार मूल्य को आवंटित करने के लिए भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'' लागू करती है। कंपनी परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टे के भुगतान को "परिचालन से राजस्व" के हिस्से के रूप में पट्टे की अवधि के आधार पर आय के रूप में मानती है।

vi) सहायक, सहयोगी (एसोसिएट्स) और संयुक्त उद्यम में निवेश

- कंपनी लागत पर सहायक, संयुक्त उपक्रम और सहयोगियों में निवेश करती है। कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है। अधिग्रहण की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर भारत के बाहर सहायक कंपनी में निवेश किया जाता है।

- कंपनी के महत्वपूर्ण प्रभाव वाले निवेशों को सहयोगियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशी के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

- एक संयुक्त व्यवस्था जिससे दलों को व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होता है, संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति के अधिकार होते हैं, को एक संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण के अनुबंध पर सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने वाले दलों को नियंत्रण साझा करने के लिए एकमत सहमति की आवश्यकता होती है।

Θ एसोसिएट (सहयोगी) या संयुक्त उद्यम में निवेश पर क्षति (इंपेयरमेंट) हानि

यदि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में इकाई के निवेश के संबंध में हानि का एक संकेत है, तो निवेश के मूल्य को इसकी वहन मूल्य के साथ वसूली योग्य राशि की तुलना करके हानि हेतु परीक्षण किया जाता है और किसी भी परिणामी हानि को सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के वहन मूल्य के खिलाफ नुकसान का प्रभारित किया जाता है।

vii) गैर–वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी का आकलन करती है क्या ऐसा कोई संकेत हो कि किसी परिसंपत्ति को क्षति सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी संपत्ति की वसूली योग्य राशि संपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य से अधिक होती है जिससे निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य को घटाया जाता है। पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, अन्य परिसंपत्तियों या संपत्ति के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र संपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसे वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य से भुनाया जाता है जो मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, के निर्धारण में, हाल के बाजार लेन–देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि इस तरह के लेन–देन की पहचान नहीं हो सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

viii) नकद और नकद समकक्ष

नकदी के तहत – पास में मौजूद नकदी, बैंक में मौजूद नकदी के साथ–साथ बैंक ओवरड्राफ्ट में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, बैंकों के साथ मौजूद डिमांड डिपॉजिट, वाणिज्यिक–पत्र और विदेशी मुद्रा डिपाजिट्स आते हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक जमा (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ) हैं, जोकि अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

(ix) उधार लेने की लागत

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे रूप से आरोप्य सामान्य और विशिष्ट उधार की लागत को अद्यतन पूंजीकृत किया जाता है, जब जब इस तरह के निधियों के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को बंद करने के बाद परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

इस सीमा तक कि कंपनी जहां आम तौर पर धनराशि उधार लेती है और एक योग्य संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लेने की लागत उस परिसंपत्ति पर व्यय पर एक पूंजीकरण दर लागू करके निर्धारित की जाती है।

अन्य उधार लेने की लागत उस अवधि के दौरान खर्च की जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

(x) विदेशी मुद्रा लेन–देन

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेन–देन, लेनदेन की तारीखों में प्रचलित विनिमय की दरों पर मान्य किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्य वाली मौद्रिक वस्तुओं को उस तिथि में प्रचलित दरों पर रूपांतरित किया जाता है। इस तरह के लेन–देन के निपटान से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यित मौद्रिक वस्तुओं के पुनर्मापन को लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

इरेडा ने भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा डी13एए की छूट को अपनाया है, जिसके अनुसार पहली बार पॉलिसी ग्रहणकर्ता, पिछले जीएएपी के अनुसार, प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से तुरंत पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है।

तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन–देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 को बकाया दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर, उन दरों से अलग, जिन पर उन्हें शुरू में अवधि के दौरान दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए हैं, "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण रिजर्व खाता" में जमा रखे जाते हैं और इस तरह के मौद्रिक मद का, प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता द्वारा, शेष दीर्घावधि में परिशोधन होता है।

अपनी उत्पादित होने की तारीख से बारह महीने या उससे अधिक की अवधि वाले विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद को दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद कहा जाता है।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (उत्पत्ति की तारीख में बारह महीने से कम अवधि वाले) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर रुपांतरित होते हैं। ऐसे परिणामी विनिमय उतार–चढ़ाव को प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त होती है।

भारतीय लेखा मानक 21 के पैरा 27 के अनुसार, नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों के रूप में योग्य मौद्रिक वस्तुओं पर अंतर के आदान–प्रदान को, जहां तक हेज प्रभावी है, अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। तदनुसार, कंपनी नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा ऋण के रूपांतरण के कारण विनिमय अंतर को मान्य करती है।

(xi) प्रति शेयर आय

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या और मृदु संभावित इक्विटी शेयरों के एकत्रीकरण द्वारा कर के बाद समायोजित शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर की गई आय की गणना की जाती है। इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से मृदु इक्विटी शेयरों की संख्या को उचित रूप में शेयर विभाजन / रिवर्स शेयर विभाजन और बोनस शेयर के लिए समायोजित किया जाता है।

(xii) प्रावधान

एक प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास विगत इवेंट के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है, जिसके बारे में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

(xiii)आकस्मिक देयताएं

कंपनी के पास विगत इवेंट्स के कारण संभव दायित्व होता है जब आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन नोटों में खुलासा किया जाता है और दायित्व का अस्तित्व भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना पर निर्भर करता है जो कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होते हैं और अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्वों, जहां यह संभावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होता है या दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देनदारियों का निर्धारण लगातार यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है या नहीं। यदि बहिर्वाह संभावित है, तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

(xiv)आकस्मिक आस्तियां

आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन नोटों में खुलासा किया जाता है जो आमतौर पर आर्थिक लाभ की आमद की संभावना को जन्म देने वाले अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होते हैं।

आकस्मिक आस्तियों का मूल्यांकन लगातार यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या आर्थिक लाभ का प्रवाह लगभग निश्चित हो जाता है, तभी ऐसी आस्तियों और संबंधित आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

(xv) खंड रिपोर्टिंग

प्रचालन खंडों को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से सूचित किया जाता है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की पहचान मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में की गई है।

(xvi)सामग्री पूर्वावधि त्रुटियां

जिस अवधि में त्रुटि हुई, उससे पहले की अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को बहाल करके सामग्री पूर्वावधि त्रुटियां को पूर्वव्यापी आधार से ठीक किया जाता है। यदि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए संपत्ति, देनदारियों और इक्विटी की प्रारंभिक शेष राशि को पुनः

कथित किया जाता है। रू. 100,000/ – प्रति आयटम तक के पूर्वावधि आयटम, जब और जहां समायोजित / प्राप्त हों परंतु पुनः कथित न हों, लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किए जाते हैं।

(xvii) कराधान

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ 'कर से पहले लाभ' से भिन्न होता है जैसा कि आय और व्यय के मद में सूचित किया जाता है क्योंकि आय या व्यय की वस्तुएं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और ऐसे मद जो कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। कंपनी की वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या महत्वपूर्ण रूप से अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है, बशर्ते कि वे उन वस्तुओं से संबंधित हों जो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त करते हैं, इस स्थिति में, कर क्रमशः अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्य किए जाते हैं। जहां कर संयोजन व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देनदारियों की देय राशि और कर उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता प्राप्त है।

आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देनदारियों मान्य होती है।

आस्थगित कर आस्तियों को आम तौर पर केवल इस हद तक पहचाना जाता है कि संभावित तौर पर भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ आस्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि यह संभावना न रह जाए कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

वर्तमान और आस्थगित कर लाभ और हानि के विवरण में मान्य हैं, बशर्ते जब वे उन वस्तुओं से संबंधित हों जो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त हैं, इस स्थिति में, वर्तमान और स्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय में या सीधे तौर पर इक्विटी में भी मान्य होते है।

(xviii) निवेश संपत्ति

निवेश की संपत्ति किराए पर लेने और / या पूंजीगत अधिमूल्यन (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) अर्जित करने के लिए आयोजित की जाती है। शुरू में निवेश संपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेन–देन लागत भी शामिल है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी लागत मॉडल का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति के निपटान हो जाने पर उसे अमान्य किया जाता है या तब अमान्य हो जाती है जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग के लिए वर्जित किया जाता है और इस निपटान से भविष्य में किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं रह जाती है। संपत्ति की मान्यता को लेकर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और आस्तियों की वहन राशि के अंतर के रूप में गणना की जाती है) को उस अवधि में

लाभ और हानि के आंकड़ों में शामिल किया जाता है, जिसमें संपत्ति की पहचान की जाती है।

संपत्ति के वर्ग के अनुसार निवेश के गुणों का मूल्यह्रास किया जाता है और संपत्ति का जीवन काल कंपनी में उसी वर्ग की आस्ति के जीवन काल के रूप में माना जाएगा।

हालांकि निवेश मॉडल को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य नोटों में बताया गया है।

(xix) कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ जिनमें वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (जैसे कि एक भुगतान किया गया वार्षिक अवकाश) शामिल है, जहां कर्मचारियों को संबंधित सेवा, लाभ साझा करने और बोनस देय अवधि को समाप्त करने के बाद बारह महीने के भीतर अनुपस्थित रहने की संभावना है, और बारह महीनों के भीतर लाभ बंटवारे और देय बोनस, उस अवधि के अंत के बाद जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाओं और वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–मौद्रिक लाभ प्रदान करते हैं, उन्हें अतुलनात्मक आधार पर मापा जाता है।

ख) रोजगार के बाद की योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं और परिभाषित योगदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

(i) परिभाषित योगदान योजना

एक परिभाषित योगदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनी कर्मचारियों के संबंध में एक अलग निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है। कंपनी का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है कि वह निर्धारित योगदान के भुगतान के बाद आगे के योगदान का भुगतान भी करे। परिभाषित योगदान योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा किए गए योगदान को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिससे योगदान संबंधित है।

(ii) निर्धारित लाभ योजना

कंपनी का ग्रेचुएटी, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व रहता है, जिसे पात्र कर्मचारियों को कवर करने वाली परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जा रहा है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि को कर्मचारी की सेवा अवधि, अंतिम वेतन और अन्य परिभाषित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना आस्तियां अलग रखी गई हों।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति कंपनी का दायित्व प्रत्येक वार्षिक समीक्षाधीन अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त देनदारी रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित लाभ दायित्व (डीबीओ) की योजना परिसंपत्तियों को उचित मूल्य से घटाने के बाद प्राप्त वर्तमान मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र कार्यवाहियों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता / परिसंपत्ति के पुनः माप से उत्पन्न बीमांकिक लाभों / हानियों को अन्य व्यापक आय के तहत शामिल किया जाता है।

भविष्य निधि, हितकारी निधि, सेवानिवृत्ति निधि और ग्रेचुएटी के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ की देनदारी अलग–अलग ट्रस्टों में निधिबद्ध की जाती है।

कंपनी के भविष्य निधि / सेवानिवृत्ति निधि में योगदान को पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग–अलग ट्रस्टों में भेजा जाता है और इसे लाभ तथा हानि के विवरण में डेबिट किया जाता है।

(ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभः

प्रतिपूर्तिट अनुपस्थिति के संबंध में देयता, जोकि बैलेंस शीट की तारीख के बाद से एक वर्ष से अधिक समय से देय हो अथवा जिसका लाभ लिए जाने की अपेक्षा हो, का आकलन अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र कार्यक्षेत्र द्वारा प्रदर्शित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

पिछले अनुभव से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को उस लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिससे उस अवधि में लाभ और हानि निर्धारित की जाती है।

(xx) वित्तीय प्रपत्रे

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पक्ष (पार्टी) बन जाती है और इसे शुरू में लेन–देन की लागतों द्वारा समायोजित करके उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाए उनके जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य वहन करते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का परवर्ती माप नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण और परवर्ती माप

परवर्ती माप के उद्देश्य हेतु, वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियाँ
- अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियाँ

एफवीटीपीएल या एफवीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियां कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई वित्तीय उद्देश्य या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह क्षतिग्रस्त है या नहीं। हानि का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानदंड वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी पर लागू होते हैं, जो नीचे वर्णित हैं।

Θ ऋण परिशोधित लागत पर

ऋण (वित्तीय परिसंपत्ति) को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि दोनों निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

(क) वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए वित्तीय आस्तियों को धारण करना है; तथा

(ख) वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होती हैं।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए एक हानि भत्ते को परिशोधन लागत पर ली गई वित्तीय आस्तियों पर पहचाना जाता है।

⊖ एफवीटीपीएल पर वित्तीय संपत्तियाँ

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में हेजिंग उपकरणों के रूप में निर्दिष्ट और प्रभावी को छोड़कर सभी व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं, जिसके लिए हेज लेखांकन आवश्यकताओं को लागू किया जा रहा है। इस श्रेणी के आस्ति को लाभ और हानि के विवरण में मान्य लाभ और हानि सहित उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेन–देन के संदर्भ में या मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अमान्यता

वित्तीय संपत्ति (या जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह की भाग) मान्यता हटाई जाती है (यानि – कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जब वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गए हों, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और काफी हद तक सभी जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित हो जाते हैं। कंपनी वित्तीय आस्तियां को भी अमान्य कर देती है अगर उसने वित्तीय आस्तियों को हस्तांतरित कर दिया हो और हस्तांतरण अमान्य होने के योग्य हो।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और परवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर परवर्ती मापा जाता है, व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को छोड़कर, जो कि एफवीटीपीएल में किए जाते हैं, बाद में लाभ और हानि के लाभ में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर। (एफवीटीपीएल)।

वित्तीय देनदारियों की गैर मान्यता

एक वित्तीय देयता को तब मान्य किया जाता है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से अलग–अलग शर्तों पर बदल दिया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की अमान्यता और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। लाभ और हानि के विवरण में संबंधित ली जाने वाली मात्रा में अंतर को मान्यता दी जाती है।

व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (साधन)

कंपनी विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों पर विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव के जोखिम में है। कंपनी व्युत्पन्न के उपयोग सहित स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का पालन करके विदेशी विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करती है।

कंपनी का उपयोग व्युत्पन्न उपकरण मां प्रमुख स्वैप, क्रॉस करेंसी और ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए फोरवार्ड्स, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा और क्रॉस

करेंसी विकल्प, संरचित उत्पाद आदि शामिल हैं।

व्युत्पन्न को मान्यता दी जाती है और उन्हें उचित मूल्य (एमटीएम) पर मापा जाता है। आरोप्य लेन–देन लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्य होती है।

वित्तीय आस्तियों की मान्यता हटाना:

वित्तीय आस्तियों को तब पहचाना जाता है जब वित्तीय आस्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अनुबंध संबंधी अधिकार समाप्त हो जाता है, या संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अनुबंध के अधिकारों को स्थानांतरित करता है।

हेज लेखांकन

व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर लेखा–जोखा किया जाता है, इसके अलावा व्युत्पन्न के लिए नकद प्रवाह हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, जिसके लिए एक विशिष्ट लेखांकन उपचार की आवश्यकता होती है। हेज लेखांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, हेजिंग संबंध को निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है:

– हेजेड मद और हेजिंग साधन के बीच एक आर्थिक संबंध है।

– क्रेडिट जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है।

– हेजिंग संबंध का हेज अनुपात वही है जो हेज किए गए मद की मात्रा के परिणामस्वरूप होता है जो कि इकाई वास्तव में हेज करता है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की मात्रा जो इकाई वास्तव में हेज्ड आइटम की मात्रा को हेज करने के लिए उपयोग करती है।

कंपनी ने ज्यादातर व्युत्पन्न अनुबंधों को नकदी प्रवाह हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित किया है। विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए इन व्यवस्थाओं को लिया किया गया है, जिसके विरुद्ध ऋण मुद्रा विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित होती है।

- कैश फ्लो हेजिंग, विनिमय दर में उतार–चढ़ाव में बदलाव से कंपनी के नकदी प्रवाह की स्थिति की रक्षा करने और नकदी प्रवाह में परिवर्तनशीलता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार हेजिंग उपकरणों में प्रवेश करती है। लिखित सिद्धांत प्रदान करती है जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति / नीतियों के अनुरूप हो।
- हेज अकाउंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शुरू में उचित मूल्य पर पहचाने जाते हैं और बाद में बैलेंस शीट में उचित मूल्य पर रिपोर्ट किए जाते हैं।
- हेज उपकरण अनुबंध के प्रारंभ में हेजेज के रूप में नामित और प्रलेखित होते हैं। हेज इंस्ट्रूमेंट्स की प्रभावशीलता का आकलन और माप स्थापना के समय और सतत आधार पर किया जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से के रूप में संबंधित बैंकों द्वारा प्रदान किए गए एमटीएम मूल्यांकन के आधार पर / नामित हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को "कैश फ्लो हेज रिजर्व" के रूप में "अन्य व्यापक आय" में मान्य किया जाता है। अप्रभावी हिस्से को, जब भी यह घटित होता है, लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचान लिया जाता है।

- जिस समय हेज की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है, अन्य व्यापक आय में पहले से पहचाने गए किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय के भीतर पुनरावर्तन समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

- यदि हेजिंग संबंध अब हेज अकाउंटिंग के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो हेज अकाउंटिंग को उत्तरव्यापी प्रभाव से बंद कर दिया जाता है। यदि हेजिंग साधन समाप्त हो जाता है या बेच दिया जाता है या समाप्त हो जाता है, तो कैश फ्लो हेज रिजर्व में मान्यता प्राप्त हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर संचयी लाभ या हानि कैश फ्लो हेज उस अवधि तक रिजर्व में रहता है जब तक हेज प्रभावी था। कैश फ्लो हेज रिजर्व में पहले से पहचाने गए संचयी लाभ या हानि अंतर्निहित लेन–देन घटित होने पर लाभ और हानि के विवरण में हस्तांतरित किया जाता है।

क्षति

वित्तीय संपत्तियों की क्षति

Θ ऋण संपत्ति

कंपनी निम्नलिखित के रूप में प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर परिशोधन लागत पर किए गए ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए–तीन–चरण मॉडल का अनुसरण करती है:

- चरण 1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि तक कम जोखिम है।

- चरण 2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिन्होंने प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि की है, लेकिन इसमें क्षति का वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं होता है।

- चरण 3 ऐसी में ऋण आस्तियां शामिल हैं जिनके पास रिपोर्टिंग तिथि पर क्षति का वस्तुनिष्ठ प्रमाण है।

अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12–माह ईसीएल और चरण 2 के लिए जीवनकाल ईसीएल और चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की एक्पोजर, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और हानि देते हुए डिफॉल्ट के रूप में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया उत्पाद है:

डिफॉल्ट (पीडी) की एक्पोजर – पीडी अपने वित्तीय देनदारी पर, या तो अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी), या देनादारियां के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) तक उधारकर्ता डिफॉल्टिंग की एक्पोजर का प्रतिनिधित्व करता है।

दिया गया हानि डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी एक डिफॉल्ट एक्सपोजर पर कंपनी के नुकसान की सीमा का अनुमान दर्शाता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, प्रकार, और दावे की प्राथमिकता और संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट समर्थन की उपलब्धता द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार का होता है।

डिफॉल्ट (ईएडी) पर एक्सपोजर – ईएडी मूल्यांकन तिथि, जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है, पर बकाया जोखिम की मात्रा पर आधारित होता है।

अग्र–दर्शित आर्थिक जानकारी 12–महीने और आजीवन पीडी, ईएडी और एलजीडी को निर्धारित करने में शामिल की जाती है। अपेक्षित क्रेडिट हानि की अंतर्निहित धारणाओं की निगरानी और समीक्षा सतत रूप से की जाती है।

Θ ऋण के अलावा अन्य वित्तीय साधनः

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, गैर–बिल–निर्दिष्ट राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम शामिल हैं।
- वित्तीय देनदारियों में उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार भुगतान शामिल हैं।

ऋण के अलावा अन्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय साधन शुरू में उचित मूल्य पर पहचाने जाते हैं, जिसमें किसी भी सीधे आरोप्य लेन–देन योग्य लागत शामिल हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब पहचाना जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही रखे जाते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियों को तभी अमान्य किया जाता है जब कंपनी ने वित्तीय आस्तियों पर नियंत्रण न रखा हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन्हें नीचे दिए गए अनुसार मापा जाता हैः

क) <u>नकद और नकद समकक्ष</u>

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकदी निम्न में शामिल मानी जाती है। बैंक में, बैंकों के साथ मांग जमा, नकद ऋण, सावधि जमा और विदेशी मुद्रा जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध, जो मांग पर चुकाने योग्य होते हैं और उन्हें कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का भाग माना जाता है। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं।

ख) <u>व्यापार प्राप्य</u>

कंपनी व्यापार प्राप्यों पर क्षति हानि भत्ते की मान्यता के लिए ''सरलीकृत दृष्टिकोण'' का अनुसरण करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक प्रारंभिक तिथि से, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर जीवन भर ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ते को मान्यता देता है। कंपनी प्राप्तियों के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर क्षति हानि भत्ते का निर्धारण करती है, ऐतिहासिक रूप से व्यापार प्राप्य के अपेक्षित जीवन पर डिफॉल्ट दरों का अवलोकन किया जाता है और इसे आगे के अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है।

ग) <u>अन्य देनदारियां</u>

अन्य देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है, और प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए बाद में परिशोधन पर ले जाया जाता है। इन वित्तीय साधनों के लिए, इन उपकरणों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण वहन मात्रा उचित मूल्य को सही करती है।

(xxi) लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांश और अंतरिम लाभांश उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें उन्हें क्रमशः निदेशक मंडल द्वारा और शेयरधारक की बैठक में अनुमोदित किया जाता है।

(xxii) उचित मूल्य मापन और प्रकटीकरण

कंपनी वित्तीय उपकरणों को मापती है, जैसे प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्न।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए एक व्यवस्थित लेन–देन में माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच प्राप्त किया जाएगा या देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस अनुमान के आधार पर परिसंपत्ति को बेचने के लिए या फिर देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन होता है:

- संपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में

कंपनी द्वारा मूल या सर्वाधिक लाभप्रद बाजार सुलभ होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार के प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे। जिसमें जोखिम के बारे में धारणाओं को शामिल करते हुए, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक हित में काम करते हैं। एक गैर–वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य माप एक बाजार प्रतिभागी की आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में संपत्ति का उपयोग करके या किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचने के माध्यम से ध्यान में रखता है।

कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध होते हैं, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हैं और अप्रमाणित आदानों के उपयोग को कम करते हैं।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किए गए हैं, न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो संपूर्ण मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, निम्नानुसार हैं:

- स्तर 1 – समान बाजारों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, गैर–अवलोकनीय है।

  नियमित रूप से वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त संपत्ति और देनदारियों के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी निर्धारित करती है कि क्या पुनर्वितरण वर्गीकरण के आधार पर पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है (न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो कि संपूर्ण मूल्य माप के रूप में महत्वपूर्ण है)।

(xxii) राजस्व मान्यता

ⓗ ब्याज आय

ब्याज आय का हिसाब सभी वित्तीय परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है (क्रेडिट क्षति वित्तीय आस्तियों पर ब्याज आय को छोड़कर, कंपनी इन्हें मान्यता नहीं देती) को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय साधनों की लाइन में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्य किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो आरंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का सटीक अनुमान लगाती है। ईआईआर की गणना लेन–देन की लागत और फीस को ध्यान में रखकर की जाती है, जो कि भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। क्रेडिट क्षतिग्रस्त आस्तियों पर ब्याज आय रसीद के आधार पर मान्य होती हैं।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज का समय पर भुगतान करने के कारण रिबेट को संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय पर देय संपूर्ण ब्याज राशि की प्राप्ति पर मान्यता प्राप्त है और यह संबंधित ब्याज आय के मुकाबले शुद्ध है।

क्रेडिट क्षतिग्रस्त आस्तियों से बरामद रकम को निम्नलिखित तरीके से विनियोजित किया जाता है:

1. आकस्मिक शुल्क
2. ब्याज
3. उत्कृष्ट सिद्धांत।

ⓗ अन्य राजस्व

- राजस्व (उन वस्तुओं के अलावा, जिनके लिए भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय साधनों के लिए प्रयोज्य है) को भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार मान्य किया गया है।

  ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व, ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए लेखांकन के एक व्यापक मॉडल को रेखांकित करता है। कंपनी भारतीय लेखा मानक 115 में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को मान्य करती है।

- <u>सौर संयंत्र से राजस्व</u>

  जब प्रदर्शन दायित्व समय पर संतोषप्रद होता है सौर संयंत्र से आय को मान्य किया जाता है।

- <u>शुल्क और कमीशन से राजस्व</u>

  शुल्क और कमीशन को समय के आधार पर एक बिंदु पर मान्यता दी जाती है जब ऐसी फीस जमा करने की संभावना स्थापित होती है।

(xxiv) व्यय

व्यय का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। प्रीपेड खर्च रु. 50,000/ – प्रति मद के रूप में और जब भी घटित / समायोजित / प्राप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए समेकित नोट्स

नोट 2: नकद और नकद समकक्ष

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
I. नकद और नकद समकक्ष		
क) हाथ में नकदी	-	-
ख) बैंकों के साथ बैलेंसः		
क) अनुसूची बैंकों के साथ चालू खाता		
– भारतीय शाखाओं में	50,870.24	39,101.06
– विदेशी शाखाओं में		
(i) यूएसडी में	2,585.08	37.21
ख) जमा खाता (शेष परिपक्वता 3 माह से कम)		
(i) आईएनआर– लघु अवधि जमा		
– इरेडा	45,374.52	16,588.19
ग) सेविंग्स बैंक अकाउंट		
– भारतीय शाखाओं में	10.19	-
ग) संग्रहाधीन चेक / डीडी इन हैंड एंड पोस्टेज इंप्रेस्ट	0.35	0.40
घ) ओवरड्राफ्ट खातों में	-	3.90
कुल (क+ख+ग+घ)	**98,840.37**	**55,730.76**

कैश और कैश समकक्षों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं जैसा कि ऊपर दी गई रिपोर्टिंग अवधि के अंत में है।

नोट 3: नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
क) बैंकों के साथ निश्चित किए गए शेष		
क) चालू खाते में		
– एमएनआरई	2.15	2.15
– एमएनआरई जीओआई पूरी तरह से सेवा बॉन्ड बैंक खाता	358.26	371.25
– इरेडा (बांड्स पर ब्याज)	43.25	38.75
– इरेडा लाभांश खाता	0.10	0.10
– एसडब्ल्यूएचएस का एमएनआरई कार्यान्वयन	357.95	0.00
उप कुल (क)	**761.70**	**412.26**
ख) बचत खाते में		
– एमएनआरई यूएनडीपी खाता	56.07	31.46
– एमएनआरई नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड	0.06	0.06
– इरेडा (एमएनआरई जीबीआई कोष)	1,500.70	10,428.34

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
एमएनआरई रूफटॉप और अन्य छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र	10,955.34	2961.49
एमएनआरई चैनल साझीदारों के लिए पूंजी सहायता	5,794.61	5,479.27
इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष	4,078.16	89.46
एमएनआरई–राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरणों का संगठन	0.01	0.01
एमएनआरई–यू एस – भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्त सुविधा (यूएसआईसीईएफ)	765.59	0.00
उप कुल (ख)	**23,150.55**	**18,990.10**
ग) जमा खाते में (आईएनआर)		
इरेडा[1]	36.44	34.11
एमएनआरई	17.25	17.25
एमएनआरई– राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	5.74	5.47
एमएनआरई– इरेडा को–जेनेरेशन	35.31	33.21
इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष	23,382.05	21,621.04
एमएनआरई जीओआई पूर्णतः सेवा बॉन्ड बैंक	855.29	840.12
उप कुल (ग)	**24,332.06**	**22,551.20**
घ) जमा खाते में (विदेशी मुद्रा)		
डॉलर जमा (एडीबी)[2]	5,215.30	7,650.22
उप कुल (घ)	**5,215.30**	**7,650.22**
उप कुल (क) = (क+ख+ग+घ)	**53,459.61**	**49,603.78**
जमा खाता (शेष परिपक्वता 3 महीने से अधिक)		
आईएनआर सावधि जमा	5,271.76	0.00
उप कुल (ख)	**5,271.76**	**0.00**
कुल (क+ख)	**58,731.37**	**49,603.78**

कंपनी भारत सरकार की कुछ योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। संबंधित योजना के तहत विभिन्न एजेंसियों को संवितरण के लिए प्राप्त धन, एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए निर्विवाद धन (ब्याज सहित, यदि कोई हो) योजना के नामित निधियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। नोट 38 (32) देखें।

[1]राशि रुपये में चुलानी के सिविल विविध रिट याचिका 2009 के 28928 पर, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.2.2009 को पारित आदेश के अनुसार, 36.44 लाख रुपये की राशि को ब्याज सहित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खन्ना मार्केट, लोधी रोड, नई दिल्ली में एफडीआर के रूप में रखा गया।

[2]कंपनी ने डॉलर डिपॉजिट के विरुद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लिया है जो नोट 20 के तहत दिखाया गया है।

नोट 4: व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (साधन)

कंपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के लिए व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश करती है। व्युत्पन्न लेन–देन में देनदारियों को हेज करने के लिए आगे की ओर, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस मुद्रा स्वैप आदि शामिल हैं। ये व्युत्पन्न लेन–देन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार या अव्यवहार्य उद्देश्य के लिए।

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2019 तक		
भाग I	**संवैधानिक राशियाँ**	**उचित मूल्य – संपत्ति**	**उचित मूल्य – देयताएं**	**संवैधानिक राशियाँ**	**उचित मूल्य – संपत्ति**	**उचित मूल्य – देयताएं**
मुद्रा के व्युत्पन्न						
मूल धन केवल स्वैप	766,757.90	66,990.78	6,788.00	703,487.40	14,249.82	26,395.59
विदेशी मुद्रा आगे अनुबंध	-	-	-	-	-	-
उप–कुल (i)	**766,757.90**	**66,990.78**	**6,788.00**	**703,487.40**	**14,249.82**	**26,395.59**
(ii) ब्याज दर के व्युत्पन्न						
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	73,776.35	4,265.21	-	77,021.07	1,182.74	196.77
उप कुल (ii)	**73,776.35**	**4,265.21**	**-**	**77,021.07**	**1,182.74**	**196.77**
कुल व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (i+ii)	**840,534.25**	**71,255.99**	**6,788.00**	**780,508.48**	**15,432.55**	**26,592.36**

विवरण	31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2019 तक		
भाग II	**संवैधानिक राशियाँ**	**उचित मूल्य – संपत्ति**	**उचित मूल्य – देयताएं**	**संवैधानिक राशियाँ**	**उचित मूल्य – संपत्ति**	**उचित मूल्य – देयताएं**
उपरोक्त (भाग I) में शामिल हेजिंग तथा जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए ग्रहण किए जाने वाले डेरिवेटिव्स निम्नानुसार हैं: –						
(i) नकदी प्रवाह हेजिंग:–						
मुद्रा के व्युत्पन्न	702,287.06	60,797.70	6,788.00	644,539.60	13,675.53	24,849.06
ब्याज दर के व्युत्पन्न	73,776.35	4,265.21	-	77,021.07	1,182.74	196.77
उप योग (i)	**776,063.41**	**65,062.91**	**6,788.00**	**721,560.67**	**14,858.27**	**25,045.83**
(ii) अनडिजाइन डेरिवेटिव्ज: –						
मुद्रा के व्युत्पन्न	64,470.84	6,193.08	-	58,947.81	574.29	1,546.53
ब्याज दर के व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
उप–कुल (ii)	**64,470.84**	**6,193.08**	**-**	**58,947.81**	**574.29**	**1,546.53**
कुल व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (i+ii)	**840,534.25**	**71,255.99**	**6,788.00**	**780,508.48**	**15,432.55**	**26,592.36**

जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण के लिए नोट 38 (39) देखें

नोट 5: प्राप्य

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
ए. व्यापार प्राप्य		
प्राप्तियों को अच्छा माना जाता है – सुरक्षित	-	-
प्राप्तियों को अच्छा माना जाता है – असुरक्षित	312.98	239.59
प्राप्य जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-
प्राप्य क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-
उप कुल (क)	312.98	239.59
हानि हानि के लिए भत्ता (ख)	-	-
कुल (क–ख)	**312.98**	**239.59**

नोट 6: ऋण

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
क) ऋण		
सावधि ऋण	2,354,784.13	2,138,866.89
फ्रंट अंत शुल्क समायोजन	(5,575.09)	(3,660.27)
सकल लागत पर सकल ऋण	**2,349,209.04**	**2,135,206.62**
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	254.77	254.77
ब्याज और एमएनआरई ऋण पर देय	664.69	664.69
कर्मचारियों को ऋण	301.47	321.68
संबंधित पक्षों को ऋण	11.09	8.23
ब्याज उपार्जित और ऋणों पर देय	19,681.55	10,906.50
द्रवीकृत क्षति उपार्जित और देय	61.05	96.53
ब्याज उपार्जित है, लेकिन ऋणों के कारण नहीं	1,240.84	1,221.88
ब्याज उपार्जित, लेकिन संबंधित पक्ष के ऋणों पर देय नहीं	10.74	6.04
कुल (क) – सकल	**2,371,435.24**	**2,148,686.93**
घटाना: क्षति हानि भत्ता	73,666.55	50,088.76
कुल (क) – शुद्ध	**2,297,768.68**	**2,098,598.17**
ख) उपरोक्त का उप–वर्गीकरण:		
प्रतिभूति–वार वर्गीकरण		

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
(i) मूर्त संपत्तियों द्वारा प्रतिभूतित		
सावधि ऋण	2,062,536.52	2,097,237.33
कर्मचारियों को ऋण	301.47	321.68
संबंधित पक्षों को ऋण	11.09	8.23
ब्याज उपार्जित और ऋणों पर देय	19,681.55	10,906.50
द्रवीकृत क्षति उपार्जित और देय	61.05	96.53
ब्याज उपार्जित है, लेकिन ऋणों के कारण नहीं	1,240.84	1,221.88
ब्याज उपार्जित, लेकिन संबंधित पक्ष के ऋणों पर देय नहीं	10.74	6.04
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	254.77	254.77
ब्याज और एमएनआरई ऋण पर देय	664.69	664.69
अमूर्त संपत्ति द्वारा प्रतिभूतित	-	-
बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया		
– बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूतित सावधि ऋण	-	433.70
(iv) असुरक्षित		
सावधि ऋण	286,672.52	37,535.59
कुल (ख) – सकल	**2,371,435.24**	**2,148,686.93**
घटानारू नुकसान घाटा भत्ता	73,666.55	50,088.76
कुल (ख) – शुद्ध	**2,297,768.68**	**2,098,598.17**
सी) **(I)** भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	428,484.42	224,854.01
(ii) अन्य (निर्दिष्ट करें)	1,942,950.82	1,923,832.92
कुल (ग) (I) सकल	**2,371,435.24**	**2,148,686.93**
घटानाः नुकसान घाटा भत्ता	73,666.55	50,088.76
कुल (ग) (I) – शुद्ध	**2,297,768.68**	**2,098,598.17**
ग) (I) भारत के बाहर ऋण	-	-
घटानाः नुकसान घाटा भत्ता	-	-
कुल (ग) (II) शुद्ध	-	-
कुल ग (I) और ग (II)	**2,297,768.68**	**2,098,598.17**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने, उधारकर्ताओं को 31.03.2020 तक शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे हैं, सिवाय उन मामलों को छोडकर जहां ऋणों को वापस प्राप्त कर लिया गया हो या अदालत / एनसीएलटी के समक्ष लंबित किया गया हो। उक्त शेष राशि के 5.15% की पुष्टि प्राप्त हुई है। शेष ऋण परिसंपत्तियों में से रु. 2,233,601.06 लाख जिसके लिए शेष राशि की पुष्टि नहीं हुई है, 89.47% ऋण मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा, 0%, सरकार की गारंटी के माध्यम स/सरकार को ऋण और 10.53% असुरक्षित ऋण हैं।

क्रेडिट जोखिम पर प्रकटीकरण के लिए, नोट 38 (39) देखें।

नोट 7: निवेश

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	कीमत*	कीमत*
एसोसिएट में निवेश		
एमपी विंड फार्म लिमिटेड (24% इक्विटी वाले) में निवेश	-	-
कुल – सकल (क)	-	-
भारत के बाहर निवेश	-	-
भारत में निवेश	-	-
कुल (ख)	-	-
घटाना: हानि घाटा के लिए भत्ता (सी)	-	-
कुल – नेट (घ) = (क) – (ग)	-	-

*एसोसिएट में निवेश के रूप में भारतीय लेखा मानक 28 के अनुरूप लागत पर मापा जाता है.

नोट 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
प्रतिभूति जमा	45.21	17.76
कर्मचारियों को अग्रिम	36.41	49.42
संबंधित पक्षों को अग्रिम	1.90	-
अन्य प्राप्य:–		
एफडीआर – उधारकर्ता	1,927.72	805.18
वाणिज्यिक पत्र	6,899.11	6,899.11
घटाना: क्षति हानि भत्ता	(6,899.11)	(6,899.11)
अन्य	475.20	1,974.97
कुल	**2,486.44**	**2,847.34**

नोट 9: वर्तमान कर आस्तियाँ (शुद्ध)

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
आयकर जमा– पहले के वर्ष'	107,300.28	94,536.58
घटाना: कर के लिए प्रावधान – पहले के वर्ष	92,389.39	77,889.39
शुद्ध कर आस्तियां (देयताएं) – पहले के वर्ष	**14,910.89**	**16,647.19**
अग्रिम आयकर और टीडीएस – वर्तमान वर्ष	15,995.51	11,695.60
घटानारू कर के लिए प्रावधान – वर्तमान वर्ष	14,400.00	14,500.00
शुद्ध कर आस्तियां (देयताएं) – वर्तमान वर्ष	**1,595.51**	**(2,804.40)**
कुल	**16,506.40**	**13,842.79**

*इसमें पहले वर्ष की माँगों के सापेक्ष रु. 10,437.20 लाख (विगत वर्ष रु. 9,369.10 लाख) जमा किए गए आयकर रुपये भी शामिल हैं।

नोट 10: आस्थगित कर आस्तियाँ / देयता (नेट)

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
क. लाभ और हानि अनुभाग		
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	102.05	85.02
ग्रेचुएटी का प्रावधान	0.08	(0.61)
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का प्रावधान	160.82	167.78
बीमार छुट्टी का प्रावधान	87.38	91.05
बैगेज भत्ते का प्रावधान	3.69	3.66
प्रदर्शन प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	281.40	342.44
क्षति	28,313.22	18,496.30
मसाला बॉन्ड अनुदान – पुस्तकों में आस्थगित	-	66.02
फ्रंट एंड फीस – पुस्तकों में आस्थगित	367.83	822.12
उप कुल	**29,316.47**	**20,073.78**
आस्थगित कर देनदारियां		
मूल्यह्रास	5,047.92	6,440.62
विदेशी मुद्रा हानि अनुवाद अंतर	9,951.61	6,642.02
बांड	104.55	135.83
उप कुल	**15,104.07**	**13,218.47**
कुल (क)	**14,212.40**	**6,855.31**
ख. ओसीआई अनुभाग		
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
ग्रेच्युटी पर जीवनांकिक हानि	13.57	-
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ पर जीवनांकिक हानि	37.87	12.28
सामान भत्ता पर जीवनांकिक हानि	0.26	0.05
उप कुल	**51.70**	**12.33**
आस्थगित कर देनदारियां		
ग्रेचुएटी पर जीवनांकिक लाभ	-	11.25
उप कुल	**-**	**11.25**
कुल (ख)	**51.70**	**1.08**
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति / (देयता) (क+ख)	**14,264.10**	**6,856.39**

नोट 11: निवेश संपत्ति

(रू. लाख में)

विवरण	निवेश संपत्ति (भवन – आवासीय)
सकल खंड	
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	**8.75**
जोड़ना	-
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**8.75**
जोड़ना	-
घटाना: निपटान / बिक्री /स्थानांतरण	-
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**8.75**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	**1.44**
मूल्यह्रास व्यय	1.21
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**2.65**
मूल्यह्रास व्यय	1.01
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**3.66**
कैरीइंग राशि	
31 मार्च 2019 तक	**6.10**
31 मार्च 2020 तक	**5.09**

नोट 12: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण *

(रू. लाख में)

विवरण	भवन				संयंत्र एवं यंत्र		वाहन	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय के उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	लीजहोल्ड–आईएचसी**	लीजहोल्ड–एकेबी **	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
सकल खण्ड											
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	**172.34**	**2,110.10**	**129.93**	**2,181.53**	**28,636.54**	**103.35**	**39.25**	**80.44**	**28.47**	**-**	**33,481.96**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	57.95	754.76	390.59	16.65	8.33	3.86	-	**1,232.14**
घटाना: वर्ष के दौरान निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-	-	-	-	-	1.73	-	0.28	0.77	-	**2.77**
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**172.34**	**2,110.10**	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**492.21**	**55.89**	**88.49**	**31.56**	**-**	**34,711.32**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	6.05	-	5.91	4.49	-	**16.45**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	(172.34)	(2,110.10)	-	-	-	-	-	-	-	-	**(2,282.45)**
घटाना: वर्ष के दौरान निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-	-	-	-	-	5.48	-	2.35	3.17	-	**10.99**
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**-**	**-**	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**492.78**	**55.89**	**92.05**	**32.89**	**-**	**32,434.33**
संचित मूल्यह्रास											
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	**20.71**	**227.87**	**12.34**	**126.15**	**1,642.89**	**47.63**	**12.31**	**21.86**	**5.59**	**-**	**2,117.34**
मूल्यह्रास व्यय	18.02	203.25	11.17	134.62	1,753.22	171.02	12.92	17.47	5.08	-	**2,326.79**
घटानारू निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-	-	-	-	-	1.51	-	0.19	0.56	-	**2.26**
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**38.73**	**431.12**	**23.51**	**260.77**	**3,396.11**	**217.14**	**25.23**	**39.15**	**10.11**	**-**	**4,441.87**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	(38.73)	(431.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	**(469.85)**
मूल्यह्रास व्यय	-	-	10.11	132.77	1,729.11	106.52	9.50	10.45	4.02	-	**2,002.49**
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-	-	-	-	-	4.67	-	1.48	2.42	-	**8.57**
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**-**	**-**	**33.62**	**393.53**	**5,125.23**	**318.99**	**34.73**	**48.12**	**11.71**	**-**	**5,965.93**

(रू. लाख में)

विवरण	भवन				संयंत्र एवं यंत्र		वाहन	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय के उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	लीजहोल्ड–आईएचसी**	लीजहोल्ड–एकेबी **	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
कैरीइंग राशि											
31 मार्च 2019 तक	**133.61**	**1,678.98**	**106.42**	**1,978.72**	**25,995.18**	**275.07**	**30.67**	**49.34**	**21.45**	**-**	**30,269.45**
31 मार्च 2020 तक	**-**	**-**	**96.31**	**1,845.95**	**24,266.07**	**173.79**	**21.17**	**43.94**	**21.18**	**-**	**26,468.39**

**कंपनी ने अपने पीपीई के वहन मूल्यों के साथ जारी रहना तय किया है, क्योंकि भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तारीख को पिछले एएसएपी के अनुसार मापा गया।

** भारतीय लेखा मानक 116 के पैरा सी11 के अनुसार, जिन पट्टों को भारतीय लेखा मानक 17 के उपयोग से वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, प्रारंभिक उपयोग की तारीख पर आस्ति के उपयोग–का–अधिकार और पट्टे की देयता की वहन राशि भारतीय लेखा मानक 17 के उपयोग से मापी गई लीज आस्ति और लीज देयता की वहन राशि होगी। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में लीजहोल्ड संपत्तियों के मामले में लीज आस्ति की वहन राशि, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक116 के अनुसार उपयोग की गई आस्ति के अधिकार के रूप में उसी राशि को आगे लाया गया है। नोट 38 (12) देखें।

नोट 13: कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूपी)

(रू. लाख में)

विवरण	राशि
कार्यशील पूंजी	
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	**303.19**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.86
उधार की लागत पूंजीकृत	-
घटानारू संपत्ति संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति में स्थानांतरण	303.19
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**0.86**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
उधार की लागत पूंजीकृत	-
घटानाः संपत्ति संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति में स्थानांतरण	-
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**0.86**

नोट 14: उपयोग की संपत्ति का अधिकार

(रू. लाख में)

विवरण	राशि			
उपयोग की संपत्ति का अधिकार	**विवरण**			**कुल**
	एक पट्टे के तहत उपयोग का अधिकार –आरआईएनएल	**लीजहोल्ड– आईएचसी**	**लीजहोल्ड– एकेबी**	
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	173.27	-	-	**173.27**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	172.34	2,110.10	**2,282.45**
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**173.27**	**172.34**	**2,110.10**	**2,455.71**
संचित मूल्यह्रास				
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	-	-	-	-
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	-	-	-	-
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	38.73	431.12	**469.85**
मूल्यह्रास व्यय	74.26	15.71	181.30	**271.27**
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**74.26**	**54.44**	**612.42**	**741.12**
कैरीइंग राशि				
31 मार्च 2019 तक	-	-	-	-
31 मार्च 2020 तक	**99.01**	**117.90**	**1,497.68**	**1,714.60**

नोट 38(12) देखें

नोट 15: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(रू. लाख में)

विवरण	सॉफ्टवेयर, विकास के दौर में
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	**5.59**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
घटाना: अमूर्त संपत्ति में स्थानांतरण	5.59
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**-**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
घटाना: अमूर्त संपत्ति में स्थानांतरण	-
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**-**

नोट 16: अमूर्त संपत्ति

(रू. लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल खंड	
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	**37.93**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3.91
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	**-**
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**41.84**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1.33
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
शेष राशि 31 मार्च, 2020 तक	**43.18**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2018 तक शेष	**12.72**
परिशोधन खर्च	7.62
घटाना: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
31 मार्च 2019 तक संचित मूल्यह्रास	**20.35**
परिशोधन खर्च	6.44
घटाना: निपटान / बिक्री /स्थानांतरण पर समाप्त	-
31 मार्च 2020 तक संचित मूल्यह्रास	**26.79**
कैरीइंग राशि	
31 मार्च 2019 तक	**21.50**
31 मार्च 2020 तक	**6.39**

नोट 17: अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
एनबीसीसी परिसर में पार्किंग सहित पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम (कार्यालय और निवास परिसर की खरीद के लिए)।	12,647.83	12,647.83
जीओआई पूर्णतः सेवा बांड प्राप्य	163,879.20	163,879.20
अन्य प्राप्य	204.81	60.96
अन्य अग्रिम	6.66	1,662.80
आईपीओ खर्च–आस्थगित	-	84.56
कुल	**176,808.49**	**178,335.35**

नोट 18: देय

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
व्यापार देय		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	45.09	60.47
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देय	6,535.05	12,556.11
कुल	**6,580.14**	**12,616.57**

नोट 19: ऋण प्रतिभूतियाँ

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
बांडः–		
(I) कर मुक्त बॉन्ड – गैर परिवर्तनीय रिडीमेंबल डिबेंचर (प्रतिभूतित)		
(कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) पर पारिपासु शुल्क द्वारा प्रतिभूतित।)		
(i) 8.16% कर मुक्त बांड्स	7,575.90	7,575.90
(सीरीजXIII ट्रेंच–आई–आईए– 2013–14) (13/03/2024 को प्रतिदेय)		
(ii) 8.41% कर मुक्त बांड्स	10,529.14	10,529.14
(सीरीजXIII ट्रेंच–आई–आईबी– 2013–14) (13/03/2024 पर प्रतिदेय)		
(iii) 7.17% कर मुक्त बांड्स	28,400.00	28,400.00
(सीरीज XIV प्राइवेट IC- 2015.16) (01/10/2025 को प्रतिदेय)		
(iv) 7.28% कर मुक्त बांड्स	10,889.06	10,889.06
(सीरीज ग्प्ट ट्रेन्च I-IA- 2015.16 2015–16) (21/01/2026 पर प्रतिदेय)		
(v) 7.53% कर मुक्त बांड्स	12,788.59	12,788.59
(सीरीज XIV ट्रेन्च– I-IB- 2015.16) (21/01/2026 पर प्रतिदेय)		
(vi) 8.55% कर मुक्त बांड्स	12,307.69	12,307.69
(सीरीज XIII ट्रेंच–आई–आईआईए– 2013–14) (13/03/2029 पर प्रतिदेय)		

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
(vii) 8.80% कर मुक्त बांड्स	23,455.08	23,455.08
(सीरीज XIII ट्रेन्च– I-IIB- 2013.14) (13/03/2029 पर प्रतिदेय)		
(viii) 8.56% कर मुक्त बांड्स	3,600.00	3,600.00
(सीरीज XIII ट्रेंच–आई–आईसी– 2013–14) (27/03/2029 पर प्रतिदेय)		
(ix) 7.49% कर मुक्त बांड्स	88,426.52	88,426.52
(सीरीज XIV ट्रेन्च- I-IIA- 2015–16) (21/01/2031 को प्रतिदेय)		
(x) 7.74% कर मुक्त बांड्स	48,351.53	48,351.53
(सीरीज XIV ट्रेन्च– I-IIB- 2015.16) (21/01/2031 को प्रतिदेय)		
(xi) 8.55% कर मुक्त बांड्स	3,881.23	3,881.23
(सीरीज XIII ट्रेन्च– 2013–14) (21/01/2034 को प्रतिदेय)		
(xii) 8.80% कर मुक्त बांड्स	14,416.42	14,416.42
(सीरीज XIII ट्रेंच–आई– IIIB- 2013–14) (21/01/2034 को प्रतिदेय)		
(xiii) 7.43% कर मुक्त बांड्स	3,644.42	3,644.42
(सीरीज XIV ट्रेन्च I-IIIA- 2015–16) (21/01/2036 को प्रतिदेय)		
(xiv) 7.68% कर मुक्त बांड्स	7,499.88	7,499.88
(सीरीज XIV ट्रेन्च– I-IIIB- 2015–16) (21/01/2036 को प्रतिदेय)		
उप–कुल (क)	**275,765.46**	**275,765.46**
(II) टैक्सेबल बॉन्ड – गैर परिवर्तनीय रिडीमेंबल डिबेंचर (प्रतिभूतित)		
(i) 8.85% कर योग्य बांड्स	-	15,000.00
(श्रृंखला II- 2009–10) (13/01/2020 पर प्रतिदेय)		
(ii) 8.87% कर योग्य बांड्स	15,000.00	15,000.00
(सीरीज III- 2010–11ट्रेंच–आई) (24/09/2020 को प्रतिदेय)		
(iii) 9.49% कर योग्य बांड्स	30,000.00	30,000.00
(सीरीज IV- 2012–13) (04/06/2022 को चुकाया गया)		
(iv) 8.44% कर योग्य बांड्स	30,000.00	30,000.00
(सीरीज वीए–2013–14) (10/05/2023 पर प्रतिदेय)		
(v) 9.02% कर योग्य बांड्स	25,000.00	25,000.00
(सीरीज III- 2010–11 – ट्रेंच II) (24/09/2025 को प्रतिदेय)		
(vi) 8.12% कर योग्य ग्रीन बॉन्ड	20,000.00	20,000.00
(सीरीज VI A - 2016–17) (24/03/2027 को प्रतिदेय)		
(vii) 8.05% कर योग्य ग्रीन बॉन्ड्स	50,000.00	50,000.00
(सीरीज VI B - 2016–17) (29/03/2027 को प्रतिदेय)		
(viii) 8.49% कर योग्य बांड्स	20,000.00	20,000.00

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
(सीरीज वीबी– 2013–14) (10ध्05ध्2028 को प्रतिदेय)		
(ix) 8.51% कर योग्य बांड्स	27,477.12	27,475.41
(सीरीज VIIA- 2018–19) (03/01/2029 को प्रतिदेय)		
(x) 8.47% कर योग्य बांड्स	58,977.06	58,975.34
(सीरीज VIIB- 2018.19) (17ध्01/2029 को प्रतिदेय)		
(xi) 8% कर योग्य बांड्स	99,975.90	-
(सीरीज IX A- 2019.20) (24/09/2029 को प्रतिदेय)		
(xii) 7.40% कर योग्य बांड्स	80,253.84	-
(सीरीज IX B- 2019–20) (03/03/2030 को प्रतिदेय)		
उप–कुल (ख)	**456,683.92**	**291,450.75**
मसाला बॉन्ड्स (अप्रतिभूत)		
7.125% ग्रीन मसाला बॉन्ड	194,309.26	194,030.63
(सीरीज I- 2017–18) (10/10/2022 पर प्रतिदेय)		
उप–कुल (ग)	**194,309.26**	**194,030.63**
कुल बांड (क+ख+ग)	**926,758.64**	**761,246.83**
भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ	732,449.38	567,216.21
ऋण प्रतिभूतियाँ भारत से बाहर	194,309.26	194,030.63
कुल	**926,758.64**	**761,246.83**

नोट :

1. बांड्स को पुनः जारी करने के लिए, इरेडा द्वारा जारी किए गए कर योग्य बॉन्ड्स के लिए, संबंधित बांड्स के सूचना ज्ञापन (इंफॉर्मेशन मेमोरंडम) के तहत खंड होता है।

2. कंपनी ने उस वर्ष के दौरान 8.85% कर योग्य बांड – (श्रृंखला II– 2009–10) (आईएसआईएनः आईएनई202ई07047) (15,000.00 लाख रुपये) भुनाया है, जिस वर्ष के दौरान इस तरह के बांड को फिर से जारी करने के लिए इसे सक्रिय रखने का अधिकार था।

नोट 20: उधार (ऋण प्रतिभूति के अलावाँ)

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
क. सावधि ऋण		
(I) बैंकों से		
क अवधि ऋण – प्रतिभूतित		
(i) बैंक ऑफ बड़ौदा (आईएनआर ऋण)	961.26	2,813.27
(बीओबी लंदन के साथ यूएस + जमा द्वारा प्रतिभूतित)		
(15.01.2003 से शुरू होकर 15.07.2021 तक छमाही आधार पर पुनर्भुगतान. रु 19,147,506 से रु. 96,126,342 के बीच की किस्तें।)		
(ii)एशियाई विकास बैंक (एडीबी – I) से ऋण	5,240.73	7,646.66
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर पैरी–पासु (बराबर–बराबर) शुल्क द्वारा सुरक्षित और आगे की गारंटी भारत सरकार द्वारा)		
(15.01.2003 से शुरू होकर छमाही आधार पर पुनर्भुगतान यूएस + 398,900 से लेकर यूएस + 2,428,269 तक की किस्तों में।)		
(iii) केएफडब्ल्यू ऋण– v	69,936.90	73,612.92
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर पैरी–पासु शुल्क द्वारा प्रतिभूतित)		
(अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती दिनांक 30.12.2018 से शुरू होकर यूरो 5,263,000 की 16 किस्तों में 30.12.2027 तक और प्रत्येक 3,264,000 यूरो की 3 किस्तों में।)		
(iv) एचडीएफसी सावधि ऋण	11,666.67	18,333.33
(100% कवर के साथ 90 दिनों तक कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) और प्राप्य पर पैरी–पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(28.03.2019 से शुरू होने वाले त्रैमासिक आधार पर चुकौती। शेष प्रतिदाय प्रत्येक रु. 166,666,663 की 11 किस्तों में चुकौती शेष)		
(v) एसबीआई सावधि ऋण	84,993.17	75,490.00
(सुरक्षा कवरेज के अधीन कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) के दृष्टि बंधक के माध्यम से पहले पैरी–पासु शुल्क द्वारा सुरक्षित) कुल संस्वीकृत सीमा का 100: होगा।		
(20 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाने वाला सावधि ऋण बकाया। पहला भुगतान 22.09.2019 को होने वाला है)		
(vi) नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक (एनआईबी)	-	2,470.40
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर पैरी–पासु शुल्क द्वारा प्रतिभूतित)		

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
(दिनांक 17.12.2012 से 17.06.2019 तक प्रत्येक US$ 3,571,428.58 की 8 किस्तें तथा प्रत्येक US$ 3,571,428.56 की 6 किस्तों द्वारा छमाही आधार पर चुकौती)		
(vii)एशियाई विकास बैंक (एडीबी – II) से ऋण II	150,771.80	138,342.60
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर पैरी–पासु (बराबर–बराबर) शुल्क द्वारा प्रतिभूतित)		
(दिनांक 15.04.2020 से 15.10.2034 तक प्रत्येक US$ 6,666,666 की 29 समान किस्तें तथा प्रत्येक US$ 6,666,686 की 30वीं किस्तों द्वारा छमाही आधार पर चुकौती)		
(viii) केनरा बैंक से ऋण	15,000.00	-
कंपनी के मानक आस्तियों पर– (कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) पर पारिपासु शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
(20 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाने वाला सावधि ऋण बकाया। पहला भुगतान 27.06.2021 को होने वाला है)		
(ix) बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण II	60,000.00	-
(सुरक्षा कवरेज के अधीन कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) के दृष्टि बंधक के माध्यम से पहले पैरी–पासु शुल्क द्वारा सुरक्षित) कुल संस्वीकृत सीमा का 100% होगा। मानक संपत्ति से संबंधित पुस्तक ऋण / उधार प्राप्य का दृष्टि बंधक।		
(31.12.2020 से शुरू होने वाली 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकौती।)		
उप कुल (क)	**398,570.53**	**318,709.19**
ख. अवधि ऋण – अप्रतिभूत		
केएफडब्ल्यू ऋण– I	19,495.85	19,151.97
(i) (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती 30.12.2009 से शुरू होकर 30.12.2039 तक यूरो 586,451.79 प्रत्येक की 28 किस्तों में, यूरो 586,963.08 की 32 किस्तें और यूरो 586,963 की 1 किस्त)।		
(ii) केएफडब्ल्यू ऋण– II	3,547.88	7,760.92
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(30.09.2012 से 30.09.2020 से छमाही आधार पर पुनर्भुगतान प्रत्येक किस्त यूरो 2,858,000 की 16 किस्तों में और यूरो 4,272,000 की एक किस्त।)		
(iii) केएफडब्ल्यू ऋण– III	16,585.84	15,517.95

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(छमाही आधार पर पुनर्भुगतान में 30.06.2020 से शुरू होकर 30.12.2049 तक की 3 किस्तें प्रत्येक यूरो 332,000 की 9 किस्तें और यूरो 333,000 की 51 किस्तें।)		
(iv) केएफडब्ल्यू ऋण– IV	55,367.51	69,069.66
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(छमाही आधार पर पुनर्भुगतान में 30.06.2014 से शुरू होकर 30.12.2022 तक की 16 किस्तें प्रत्येक यूरो 11,111,000 की 9 किस्तें और यूरो 11,112,000 की 2 किस्तें।)		
(v) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण II (आईबीआरडी– II)	1,998.86	5,322.59
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.12.2005 से शुरू होकर 15.06.2020 तक अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती 1,309,700 यूएसडी से 2,651,500 यूएसडी तक की किस्तों में)		
(vi) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण III (आईबीआरडी – III)	8,325.69	3,278.64
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(छमाही आधार पर पुनर्भुगतान में 30.06.2014 से शुरू होकर 15.10.2035 तक की 27 किस्तें प्रत्येक यूरो 2,677,500.00 की 9 किस्तें और यूरो 2,707,500.00 की 28वीं किस्त।)		
(vii) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण III (आईबीआरडी– III) (सीटीएफ)	2,721.46	1,043.67
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(छमाही आधार पर पुनर्भुगतान में 15.04.2027 से शुरू होकर 15.10.2056 तक की 20 किस्तें प्रत्येक यूरो 230,000.00 की 9 किस्तें और यूरो 460,000.00 की 40 किस्तें।)		
उप कुल (ख)	**108,043.08**	**121,145.40**
बैंकों से कुल ऋण (ग = क + ख)	**506,613.61**	**439,854.59**
दूसरों से		
घ. अवधि ऋण – प्रत्याभूतित		
भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक	-	1,600.00

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर पैरी–पासु (बराबर–बराबर) शुल्क द्वारा प्रतिभूतित)		`
(ब्याज /9.35%, तिमाही आधार पर देय है, 10.06.2016 से शुरू होने वाली प्रत्येक ₹ 70,000,000 की 14 किश्तों में और अंतिम किस्त ₹ 20,000,000 रुपये है।)		
उप कुल (घ)	-	**1,600.00**
ड़ सावधि ऋण – अप्रतिभूत		
(i) एनसीईएफ– इरेडा से ऋण	7,710.18	8,614.81
(33 – 40 संरचित त्रैमासिक किस्तों में चुकौती।)		
(ii) ऋण I एजेंस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी)	42,632.13	43,513.34
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(31.07.2016 से शुरू होकर 31.01.2031 तक अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती, प्रत्येक किस्त यूरो 2,333,333.33 की 30 किस्तों में।)		
(iii) ऋण प्प एजेंस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी– II)	78,897.12	74,645.18
(30.11.2019 से शुरू होकर 30.05.2029 तक अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती, प्रत्येक किस्त यूरो 50,00,000 की 20 किस्तों में।)		
(iv) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण I	208,950.00	187,560.00
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(20.6.2021 से 20.06.2041 से शुरू होने वाले छमाही के आधार पर चुकौती, जेपीवाई 731,720,000 की 1 किस्त और जेपीवाई 731,707,000 प्रत्येक की 40 किस्तें।)		
(v) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए– प्प) से ऋण II	208,741.05	165,920.50
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(20.03.2024 से 20.03.2044 से शुरू होने वाले छमाही के आधार पर चुकौती, जेपीवाई 73,10,00,000 की 1 किस्त और जेपीवाई 73,09,75,000 प्रत्येक की 40 किस्तें।)		
(vi) यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)	161,340.90	148,956.24
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(ट्रेन्च I – अर्ध वार्षिक आधार पर चुकौती, 26.09.2019 से शुरू होकर 26.03. 2035 तक, यूएस $ 662,000 प्रत्येक की 32 किस्तों में होगी।)		

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
(ट्रेंच II – छमाही आधार पर पुनर्भुगतान, 15.07.2020 से शुरू होकर 15.07. 2036 तक, यूएस $ 1,999636.36 की 32 किस्तों में और यूएस $ 1,999,636. 48 की 1 किस्त।)		
(ट्रेंच III – छमाही के आधार पर चुकौती 16.02.2021 से शुरू होकर 15.08. 2036 तक यूएस $ 4,005,375 प्रत्येक की 32 किस्तों में।)		
(vii) भारत सरकार	28,740.87	27,236.20
(अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) के खिलाफ – द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना (आईएनआर ऋण))		
(छमाही आधार पर पुनर्भुगतान में 15.10.2010 से शुरू होकर 15.04.2035 तक की 20 किस्तें प्रत्येक यूरो 625,000 की 9 किस्तें और यूरो 1,250,000 की 30 किस्तें।)		
उप–कुल (ड)	**737,012.26**	**656,446.27**
दूसरों से कुल ऋण (च = घ + ड)	**737,012.26**	**658,046.27**
कुल सावधि ऋण (क = ग + च)	**1,243,625.86**	**1,097,900.86**
मांग पर देय ऋणः–		
सुरक्षित		
बैंकों से		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.00	1,176.09
(पुस्तक ऋण पर परी पासु शुल्क द्वारा सुरक्षित)		
उप कुल	**0.00**	**1,176.09**
कुल (क + ख)	**1,243,625.87**	**1,099,076.95**
भारत के बाहर उधार	105,331.28	108,027.50
भारत के बाहर उधार	1,138,294.58	991,049.45
कुल	**1,243,625.87**	**1,099,076.95**

नोट 21: अधीनस्थ देनादारियां

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक परिशोधित लागत पर	31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर
अप्रतिभूत		
9.23% इरेडा कर योग्य अप्रतिभूत	14,970.00	14,967.88
(22/2/2029 को अधीनस्थ टियर– II बांड–चुकौती)		
कुल (क)	**14,970.00**	**14,967.88**

भारत में अधीनस्थ देयताएँ	14,970.00	14,967.88
भारत के बाहर अधीनस्थ देयताएँ	-	-
कुल (ख)	**14,970.00**	**14,967.88**

नोट – 22: अन्य वित्तीय देनदारियाँ

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक
इरेडा–राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	29,847.82	27,084.89
ब्याज और अन्य प्रभार उपार्जित लेकिन उधारों पर देय नहीं	39,369.34	36,149.92
अन्य भुगतानः		
एमएनआरई प्रोग्राम फंड्स	944.85	944.85
एमएनआरई को–जेनेरेशन विशिष्ट अनुदान	34.96	32.86
राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	5.80	5.53
एमएनआरई जीबीआई फंड	1,500.70	10,428.34
राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा का संगठन	0.01	0.01
रूफ टॉप और अन्य छोटे पैमाने पर सौर परियोजना	10,955.34	2,961.49
चौनल के लिए एमएनआरई कैपिटल सब्सिडी	5,794.61	5,528.97
एमएनआरई ऋयूएस – भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्त सुविधा (यूएसआईसीईएफ) योजना	765.59	-
एमएनआरई यूएनडीपी फंड	56.07	31.46
एमएनआरई एसडब्ल्यूएचएस	357.95	357.95
लावारिस बॉन्ड ब्याज	47.58	38.75
इरेडा से एनसीईएफ को देय	464.03	1,924.52
लीज देयता	102.42	-
अन्य	3,817.39	2,130.65
कुल	**94,064.47**	**87,620.19**

नोट 23: प्रावधान

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
–छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान	405.46	289.21
–ग्रेचुएटी का प्रावधान	54.22	(40.34)
–सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का प्रावधान	789.47	612.50
–बीमार छुट्टी का प्रावधान	347.19	309.70
–बैगेज भत्ते का प्रावधान	15.70	12.63
वित्तीय साधनों पर आकस्मिक प्रावधान (ऋण)	43,969.31	15,738.04
कुल	**45,581.35**	**16,921.74**

नोट 24: अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक
भविष्य निधि देय	47.68	-
सांविधिक देय	830.83	261.13
भारत सरकार पूर्णतः सेवा बांड्स	164,000.00	164,000.00
एमएनआरई को देय एमआईबीओआर जमा पर ब्याज (भारत सरकार पूरी तरह से सेवित बांड्स)	1,092.75	1,090.57
अन्य	23.40	24.19
निधि पोषित ब्याज सावधि ऋण	7,235.69	7,432.87
लेन–देन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान का आस्थगित आय भाग	-	130.94
अग्रिम वेतन शुल्क अग्रिम में प्राप्त हुआ	1,461.52	1,417.83
कुल	**174,691.86**	**174,357.53**

नोट 25: इक्विटी शेयर कैपिटल

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक
क) अधिकृत शेयर पूंजी		
6,000,000,000 (पिछले वर्ष 6,000,000,000) रुपये के इक्विटी शेयर, प्रत्येक रु 10 का	600,000.00	600,000.00
कुल	**600,000.00**	**600,000.00**
ख) जारी किया गया, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया		
₹784,600,000 रुपये के इक्विटी शेयर। पूरी तरह से प्रदत्त प्रत्येक रु 10 का (पिछले वर्ष 78,46,00,000) रुपये के इक्विटी शेयर	78,460.00	78,460.00
पूरी तरह से प्रदत्त		
कुल	**78,460.00**	**78,460.00**

बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्यः –

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक रु. 10)	784,600,000	78,460.00	784,600,000	78,460.00
जोड़ें:– वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस लाया गया	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक रु. 10)	784,600,000	78,460.00	784,600,000	78,460.00

5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों का विवरणः

विवरण	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
	शेयरों की संख्या	% रखे	शेयरों की संख्या	% रखे
भारत सरकार	784,600,000	100	784,600,000	100

नोट 26: अन्य इक्विटी

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(क) रिजर्व्स और अधिशेष		
(i) विशेष रिजर्व	93,471.45	82,651.13
(ii) डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	25,910.15	21,281.04
(iii) सामान्य रिजर्व	88,298.33	108,298.33
(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण रिजर्व (एफसीएमआईटीआर)	(101,345.31)	(54,141.39)
(v) प्रतिधारित कमाई	8,042.51	1,939.29
(vi)एनबीएफसी रिजर्व	9,182.69	4,882.69
(ख) नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग		
(i) नकद प्रवाह हेज रिजर्व *	50,155.98	15,063.04
कुल अन्य इक्विटी (क+ख)	**173,715.81**	**179,974.13**

* नोट 38 देखें (21)

अन्य इक्विटी का विवरण नीचे दिया गया है:

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
विशेष रिजर्व्स		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत		
वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	82,651.13	73,651.13
जोड़ें: वर्तमान वर्ष स्थानांतरण	10,820.32	9,000.00
घटाना: वर्तमान अवधि में वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के अंत में बैलेंस	**93,471.45**	**82,651.13**
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व		
वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	21,281.04	16,651.93
जोड़ें: वर्तमान वर्ष स्थानांतरण	4,629.11	4,629.11
घटाना: वर्तमान अवधि में वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के अंत में बैलेंस	**25,910.15**	**21,281.04**
सामान्य रिजर्व		
वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	108,298.33	97,621.47

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
जोड़ें: वर्तमान वर्ष स्थानांतरण	(20,000.00)	10,676.86
घटाना: वर्तमान अवधि में वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के अंत में बैलेंस	**88,298.33**	**108,298.33**
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण रिजर्व (एफसीएमआईटीआर)'		
वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	(54,141.39)	(44,363.33)
परिवर्धन: वर्ष के दौरान परिवर्धन	(51,252.72)	(12,516.96)
घटाना: वर्ष के दौरान परिशोधन	(4,048.81)	(2,738.90)
वर्ष के अंत में बैलेंस	**(101,345.31)**	**(54,141.39)**
प्रतिधारित कमाई		
साल की शुरुआत में प्रतिधारित कमाई	1,939.29	(1,879.81)
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	21,461.43	24,986.87
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(154.80)	(27.96)
घटाना: वित्त वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तावित लाभांश	12,819.00	-
घटाना: वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	2,634.98	-
घटाना: वित्त वर्ष 2017–18 के लिए प्रस्तावित लाभांश	-	2,183.50
घटाना: प्रस्तावित लाभांश वित्त 2017–18 पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	444.51
घटाना: विशेष रिजर्व में स्थानांतरण	10,820.32	9,000.00
घटाना: डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरण	4,629.11	4,629.11
घटाना: जनरल रिजर्व में / (से) के लिए स्थानांतरण	(20,000.00)	-
घटाना: एनबीएफसी रिजर्व में स्थानांतरण	4,300.00	4,882.69
वर्ष के अंत में बैलेंस	**8,042.51**	**1,939.29**
एनबीएफसी रिजर्व (आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी)		
वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	4,882.69	-
परिवर्धन: वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,300.00	4,882.69
घटाना: वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-
वर्ष के अंत में बैलेंस	**9,182.69**	**4,882.69**
नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग		
नकदी प्रवाह हेज रिजर्व'		
वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	15,063.04	12,559.40
हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ / हानि का प्रभावी भाग	39,479.61	3,115.32
घटाना: ऊपर का आयकर	(4,386.67)	(611.68)
वर्ष के अंत में बैलेंस	**50,155.98**	**15,063.04**
कुल	**173,715.81**	**179,974.13**

* नोट 38 (21) देखें।

रिजर्व का स्वरूप और उद्देश्य

1. **विशेष रिजर्व:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के तहत आयकर कटौती का लाभ उठाने के लिए विशेष रिजर्व बनाए गए हैं, कर से पहले लाभ का 20% लाभ दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से आता है।

2. **डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व:** डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को डिबेंचर / बॉन्ड के मोचन के उद्देश्य से रिटेंड कमाई से बनाया जाता ह। यह रिजर्व कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में निवेशित रहता है।

3. **जनरल रिजर्व (सामान्य रिजर्व):** जनरल रिजर्व का उपयोग समय–समय पर विनियोग आय के लिए मुनाफे को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे में स्थानांतरण करके बनाया जाता है।

4. **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण रिजर्व (एफसीएमआईटीआर):** विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतर रिजर्व खाता, लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा उधारों पर असंबद्ध विदेशी मुद्रा लाभ / हानि का प्रतिनिधित्व करता है जो संबंधित उधारों के कार्यकाल में परिशोधन होता है।

5. **प्रतिधारित आय:** कंपनी द्वारा अर्जित आय में सीधे मान्यता प्राप्त प्रतिधारित आय, लाभांश वितरण तथा अन्य रिजर्व से और को स्थानांतरण घटाके, लाभ और अन्य व्यापक आय के मद का प्रतिनिधित्व करती है।

6. **एनबीएफसी रिजर्व:** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी (1) के तहत बनाया गया रिजर्व, वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / 20% की शुद्ध कमाई से हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करता है।

7. **नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग**: कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रेषित अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है।

नोट 27: ब्याज आय

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
	अमूर्त लागत पर मापा गया वित्तीय आस्तियों पर ब्याज	अमूर्त लागत पर मापा गया वित्तीय आस्तियों पर ब्याज
ऋण परिचालन से ऋण पर ब्याज	216,310.13	182,565.07
बैंकों के पास जमा राशि पर ब्याजः–		
आईएनआर–लघु अवधि जमा	4,999.78	7,297.01
लघु अवधि जमा–विदेशी मुद्रा	166.57	258.56
अन्य ब्याज आयः–		
एसबी खाते पर ब्याज	0.19	-
अवकलन ब्याज	3,181.35	2,767.73
वाणिज्यिक पत्रों पर ब्याज	-	431.75
कुल	**224,658.02**	**193,320.13**

नोट 28: शुल्क और कमीशन आय

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
क) व्यापार सेवा शुल्क		
(i) ऋण पर आवेदन शुल्क	1,034.00	1,203.00
(ii) आवेदन शुल्क – त्वरित मूल्यह्रास	-	0.40
(iii) आवेदन शुल्क – पीढ़ी आधारित प्रोत्साहन	-	(14.06)
(iv) बोली प्रसंस्करण शुल्क	16.60	-
(v) परामर्श शुल्क प्राप्त हुआ	4.00	-
कुल व्यवसाय सेवा शुल्क	**1,054.60**	**1,189.34**
ख) व्यापार सेवा शुल्क		
(i) सेवा शुल्क – यूएनडीपी कार्यक्रम निधि	0.34	0.50
(ii) सेवा शुल्क – सृजन आधारित प्रोत्साहन	479.40	499.18
(iii) सेवा शुल्क – सीपी, एसएनए और पीए के लिए एमएनआरई पूंजी सब्सिडी (सहायता राशि)	-	6.99
(iv) सेवा शुल्क दृ शीर्ष छत (रूफ टॉप) और अन्य लघु सौर ऊर्जा परियोजना	167.78	351.83
कुल व्यवसाय सेवा शुल्क	**647.52**	**858.51**
ग) गारंटी कमीशन	**460.54**	**322.53**
कुल (क + ख + ग)	**2,162.65**	**2,370.38**

नोट 29: उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि)*

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों पर शुद्ध लाभ/ हानि)		
(i) व्युत्पन्न		
–विदेशी मुद्रा ऋण के लिए लिए गए व्युत्पन्न कवर पर उचित मूल्य परिवर्तन	7,165.33	3,434.80
उचित मूल्य परिवर्तनः		
– प्राप्त	-	-
– अप्राप्त	7,165.33	3,434.80
उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल शुद्ध लाभ / (हानि)	**7,165.33**	**3,434.80**

*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन अर्जित ब्याज आय / व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले अन्य से अलग हैं।

नोट 30: सौर संयंत्र प्रचालन से राजस्व (शुद्ध)

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
सौर संयंत्र संचालन से राजस्व	2,802.03	2,889.09
घटानाः बिजली की बिक्री पर छूट	56.04	57.78
कुल	**2,745.99**	**2,831.31**

नोट 31: अन्य आय

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
प्रावधान वापस लिखा गया	10.52	19.34
अशोध्य ऋण वसूला	299.36	153.85
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	27.02	26.94
मसाला बॉन्ड अनुदान का परिशोधन	130.94	27.33
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ	0.59	0.15
किराए से आय	6.60	6.60
अन्य	31.15	30.03
कुल	**506.18**	**264.24**

नोट 31: वित्तीय लागत

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
	वित्तीय देनदारियों पर वित्त लागत को उचित मूल्य पर परिशोधित लागत के माध्यम से मापा जाता है	वित्तीय देनदारियों पर वित्त लागत को उचित मूल्य पर परिशोधित लागत के माध्यम से मापा जाता है
उधार पर ब्याज	68,764.45	52,865.72
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	64,741.63	55,445.03
अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज	1,384.50	144.14
अन्य उधार लागत	10,730.88	9,610.80
लेन – देन की लागत	288.52	224.56
लीज देनदारी पर ब्याज	10.63	-
कुल	**145,920.61**	**118,290.25**

नोट 33: शुद्ध रूपांतरण / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ)

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
शुद्ध रूपांतरण / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ)	15.86	3,118.25
एफसीएमआईटीआर का परिशोधन	4,048.81	2,738.90
कुल	**4,064.67**	**5,857.14**

नोट 34: वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रभाव

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
	वित्तीय उपकरणों पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है	वित्तीय उपकरणों पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है
ऋण *	51,809.07	26,586.54
कुल	**51,809.07**	**26,586.54**

* वहन मूल्य पर ऋण का मूल्य तय किया जाता है

नोट 35: कर्मचारी लाभ व्यय

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी	4,028.85	3,721.37
भविष्य निधि और अन्य निधियों का योगदान	422.54	377.89
कर्मचारी कल्याण खर्च	236.23	274.02
मानव संसाधन विकास खर्च	9.88	59.92
कुल	**4,697.50**	**4,433.19**

नोट 36: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	2,002.49	2,326.79
अमूर्त संपत्ति पर मूल्यह्रास	6.44	7.62
संपत्ति निवेश पर मूल्यह्रास	1.01	1.21
संपत्ति उपयोग के अधिकार पर मूल्यह्रास	271.27	-
कुल	**2,281.20**	**2,335.62**

नोट 37: अन्य खर्च

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
किराया, कर और ऊर्जा लागत	546.99	262.22
मरम्मत और रखरखाव	376.31	501.89
संचार लागत	30.24	36.92
छपाई और लेखन सामग्री	23.40	41.16
विज्ञापन और प्रचार	84.77	257.60
निर्देशक की फीस, भत्ते और खर्च	19.20	18.40
लेखा परीक्षक की फीस और खर्च	29.75	10.75
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	575.13	328.05
बीमा	6.85	13.26
अशोध्य ऋण	77.13	2,490.57
क्रेडिट रेटिंग व्यय (निगरानी सहित)	188.86	179.22
अचल संपत्ति की बिक्री पर नुकसान	0.75	0.13
आईपीओ खर्च	144.77	-
अन्य व्यय	330.64	794.26
कुल	**2,434.80**	**4,934.42**

नोट – 38

लेखांकन पर टिप्पणियाँ

1. कंपनी एक सरकारी कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत ह। भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य नियामक द्वारा जारी कोई भी दिशा–निर्देश प्रयोजनीय होते ही लागू किया जाता है।

   तुलन पत्र (बैलेंस शीट), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ और हानि का विवरण, एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं जो भारतीय लेखा मानक में अनुपालन हेतु आवश्यक हैं. भारतीय लेखा मानक 7–नकदी प्रवाह के विवरण की आवश्यकता के अनुसार नकदी प्रवाह के विवरण को प्रस्तुत किया गया है।

   31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, भारतीय लेखा मानक के अनुरूप कंपनी द्वारा तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण थे। 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए और कंपनी ने आईजीएएपी के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए, जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (संशोधित) के तहत अधिसूचित लेखा मानक भी शामिल हैं।

2. **भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –36 "संपत्ति की क्षति" के संबंध में प्रकटीकरण**

   कंपनी, प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, इस बात का आकलन करती है कि क्या किसी संपत्ति और /या नकदी पैदा करने वाली इकाई की हानि का कोई संकेत है। प्रत्येक आस्ति और / या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि से तुलना करके आस्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया जाता है, शुद्ध विक्रय मूल्य या मूल्य से अधिक होने के कारण आस्तियों के निरंतर उपयोग से अनुमानित भविष्य के नकदी के वर्तमान मूल्य से उपयोग में मूल्य निर्धारित किया जाता है। कंपनी को चालू और विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कोई हानि/क्षति नहीं हुई है।

3. **भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) –37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति" के संबंध में प्रकटीकरण**

   क) आकस्मिक देयताएं:

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
आयकर मामले	18,533.17	13,195.98
बोली प्रत्याभूति के लिए, इरेडा की "आरई आपूर्तिकर्ता / निर्माता / ईपीसी संविदाकार को गारंटी सहायता" योजना के तहत जारी की गई गारंटी।	24,176.00	6,676.00
गारंटी– इरेडा की लेनदार परिवर्धन आंशिक योजना (क्रेडिट एनहैन्समेंट स्कीम) के तहत बिना शर्त और वसूली योग्य आंशिक क्रेडिट गारंटी।	8,000.00	9,000.00
भुगतान सुरक्षा कोष के निर्माण के लिए जारी की गई गारंटी।	14,400.00	14,400.00
जारी किए गए कम्फर्ट और बकाया के पत्र	60,421.55	78,513.82
अन्य*	265.70	230.79
कुल	**125,796.42**	**122,016.59**

पिछले मामले देखें – मूल्यांकन वर्ष 1998–99 – मूल्यांकन वर्ष 2009–10:

मूल्यांकन वर्ष 1998–99 से लेकर मूल्यांकन वर्ष 2002–03 तक के आयकर मामलों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश

पर मूल्यांकन अधिकारी को तथा वर्ष मूल्यांकन वर्ष 2003–04 से लेकर मूल्यांकन वर्ष 2009–10 तक के आयकर मामलों को माननीय आईटीएटी (एओ के रूप में संदर्भित) के दिशा निर्देश में मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेजा गया था। मूल्यांकन अधिकारी ने अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर इन मामलों पर आदेश पारित नहीं किया था और कंपनी ने उपरोक्त आकलन वर्ष के लिए उठाई गई मांग के आधार पर करों को जमा किया था।

पूर्वगामी को देखते हुए, रिटर्न के अनुसार देय कर पर और उसके ऊपर भुगतान की गई माँगें वापसी योग्य (रिफंडएबल) हो जाती हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018– 19 के दौरान, विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है कि वो उपरोक्त वर्षों के लिए रिफंड देने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करे। दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया "इस बीच, उत्तरदाताओं को मूल्यांकन के आदेशों को आगे बढ़ाने और पूरा करने की अनुमति दी जाती है और इस पर कोई प्रभाव न डाला जाए या कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।" मामले में अंतिम निर्णय अभी भी लंबित है।

* इरेडा की सेवा से बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के रूप में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को संदर्भित करता है। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं है।

ख) आकस्मिक आस्तियां: शून्य।

एसोसिएट के मामले में, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति की राशि शून्य है।

4. प्रतिबद्धताएँ

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:		
एनबीसीसी प्लाजा (आवासीय, वाणिज्यिक और पार्किंग स्थल को मिलाकर) में नए कार्यालय स्थान के अधिग्रहण के संदर्भ में पूंजी अनुबंध का आकलित मूल्य*।	92.92	92.92
कुल	92.92	92.92

* एनबीसीसी संपत्ति के मूल्य पर सेवा कर / जीएसटी / वैट से संबंधित मामला न्यालायाधीन है और एनबीसीसी ने इसके लिए कोई मांग नहीं उठाई है। इसलिए, इसमें शामिल करों की मात्रा वर्तमान में मात्रात्मक नहीं है। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के कारण उपरोक्त एनबीसीसी परिसर को सौंपने में देरी हो रही है।

5. कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिनके लिए कंपनी पर बकाया है, जो कि 31 मार्च, 2020 (पिछले वर्ष: शून्य) तक 45 दिनों से अधिक का बकाया हो। जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इस जानकारी को प्रकट करना आवश्यक है, कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान निर्धारित की गई है।

(रू. लाख में)

सं0	विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	वर्ष के अंत तक बकाया अदत्त मूल राशि	45.09	60.47
2	वर्ष के अंत तक अदत्त बकाया ब्याज	-	-
3	वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज	-	-
4	भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज और भुगतानी, परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-

(रू. लाख में)

सं0	विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
5	वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और बकाया भुगतानी	-	-
6	बाद के वर्षों में भी देय ब्याज और भुगतानी, ऐसी तारीख तक जब उपरोक्त ब्याज का भुगतान छोटे उद्यमों को वास्तव में किया जाता है।	-	-

एसोसिएट्स के मामले में, कंपनी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत विक्रेताओं से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिली है। हालाँकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस अधिनियम के तहत वर्ष के अंत तक अभुक्त राशि से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यक है।

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –21 के संबंध में खुलासा "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव"

(रू. लाख में)

विवरण	2019–20	2018–19
	डेबिट / (क्रेडिट)	डेबिट / (क्रेडिट)
लाभ और हानि के विवरण में शुद्ध डेबिट / (क्रेडिट) की गई विनिमय अंतर की राशि	4,064.67	5,857.14
अन्य व्यापक आय में शुद्ध डेबिट / (क्रेडिट) की गई विनिमय अंतर की राशि	23,696.71	(9,535.14)

वर्ष के दौरान कंपनी ने, आम तौर पर पहले भारत स्वीकृत विदेशी मुद्रा विनिमय / लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं पर हानि के संबंध में लेखांकन सिद्धांत लेखा मानक 11 के पैरा 46 ए "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव" के सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित त्रुटि को ठीक किया नोट नंबर 38 (21) देखें.

7. भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) –23 "उधार लेने की लागत" के संबंध में खुलासा – शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

8. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

क) भविष्य निधि: वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु. 206.25 लाख के खर्च को मान्यता दी है (पिछले वर्ष: पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित प्रतिशत पर प्रोविडेंट फंड में योगदान के संबंध में रु. 199.98 लाख) और लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया गया। इसके अलावा, भविष्य की अवधि में, ब्याज की वैधानिक दर पर आधारित फंड परिसंपत्तियों में, यदि कोई हो, तो ठीक–ठाक कमी करना कंपनी का दायित्व होता है। 31 मार्च 2020 तक पीएफ ट्रस्ट के यहाँ कोई घाटा नहीं है।

ख) अधिवार्षिता लाभ निधि (परिभाषित अंशदान फंड): वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु. 163.55 लाख (पिछले वषर्रू रु. 141. 22 लाख) पात्र कर्मचारियों के पूर्व निर्धारित प्रतिशत पर सुपरैन्यूएशन फंड / नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में योगदान के संबंध में लाभ और हानि के विवरणी के लिए शुल्क लिया गया।

अन्य लाभ :

ग) अर्जित अवकाश लाभ (ईएल): प्रति वर्ष 30 दिन अर्जन। सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार नकदीकरण। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर एचपीएल को मिलाकर अधिकतम 300 दिनों की नकदीकरण।

घ) **हाफ पे लीव बेनिफिट (एचपीएल):** प्रति वर्ष 10 पूर्ण दिन का संग्रहण। सेवा में रहते हुए कोई नकदीकरण नहीं। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर एचपीएल को मिलाकर अधिकतम 300 दिनों की नकदीकरण। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एक्चुरियल वैल्यूएशन कंपनी के सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार, अर्जित रु.91.76 लाख (पिछले वर्ष) है: रु. 27.34 लाख)।

ङ) **ग्रेच्युटी :** सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की बढ़ोतरी । वेस्टिंग अवधि 5 वर्ष है और भुगतान सीमित है रु. 20.00 लाख 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन के बाद। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एक्चुरियल वैल्यूएशन कंपनी के सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार, ग्रेच्युटी की राशि रु.105.52 (पिछले वर्ष) है: रु. रोल कर्मचारियों के लिए 39.44 लाख)।

च) **पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी) (सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ) :** कंपनी एक्चुअरीअल वैल्यूएशन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के उपयोग से सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा निर्धारित लाभ योजनाओं में योगदान करती है। योजना के तहत पात्र पूर्व कर्मचारियों और पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने रु. 252.54 लाख (पिछले वर्ष) प्रदान किए हैं: रु. 112.04 लाख) पीआरएमबी की ओर।

छ) **सामान भत्ता:** सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर बसने के हकदार होते हैं और वे बैगेज भत्ता के लिए पात्र होते हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने रु. 3.07 लाख (पिछले वर्ष) प्रदान किए हैं: रु. 1.85 लाख) बैगेज अलाउंस की ओर।

लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) और अन्य खुलासे के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न निर्धारित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

✦ **दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(रू. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी की छुट्टी	अर्जित अवकाश	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)
शुरुआत के रूप में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2019-20	872.82	309.70	289.20	12.63	612.50
	2018-19	802.39	282.36	205.68	10.78	517.32
ब्याज लागत	2019-20	66.42	23.56	22.00	0.96	46.61
	2018-19	60.98	21.45	15.63	0.81	39.31
वर्तमान सेवा लागत	2019-20	55.21	20.81	43.60	1.05	37.19
	2018-19	49.92	19.42	40.04	0.85	30.92
विगत सेवा लागत	2019-20	-	-	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-	-
लाभ का भुगतान किया	2019-20	-50.28	-54.27	-56.21	-	-57.31
	2018-19	-21.24	-	-20.14	-	-16.87
अधिग्रहण समायोजन में	2019-20	-	-	-	-	-
	2018-19	-	-	3.55	-	-
दायित्वों पर जीवनांकिक (एक्चुरियल) हानि / (लाभ)	2019-20	47.13	47.37	106.85	1.04	150.46
	2018-19	-19.22	-13.54	44.43	0.17	41.79
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2019-20	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46
	2018-19	872.82	309.70	289.20	12.63	612.50

✦ नियोजित संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रू. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी की छुट्टी	आर्जित अवकाश	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2019-20	913.16	-	-	-	-
	2018-19	463.42	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	2019-20	62.72	-	-	-	-
	2018-19	54.27	-	-	-	-
नियोक्ता का योगदान	2019-20	11.48	-	-	-	-
	2018-19	416.71	-	-	-	-
लाभ का भुगतान किया	2019-20	-50.28	-	-	-	-
	2018-19	-21.24	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2019-20	937.08	-	-	-	-
	2018-19	913.16	-	-	-	-

✦ बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

(रू. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी की छुट्टी	अर्जित अवकाश	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित मूल्य	2019-20	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46
	2018-19	872.82	309.70	289.20	12.63	612.50
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2019-20	937.08	-	-	-	-
	2018-19	913.16	-	-	-	-
तुलन पत्र में शुद्ध देयता को मान्यता दी गई	2019-20	-54.22	-347.19	-405.45	-15.70	-789.46
	2018-19	40.33	-309.70	-289.20	-12.63	-612.50

✦ बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

(रू. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी की छुट्टी	अर्जित अवकाश	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	2019-20	55.21	20.81	43.60	1.05	37.19
	2018-19	49.92	19.42	40.04	0.85	30.92
कटौती लाभ / हानि सहित विगत सेवा लागत	2019-20	-	-	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	2019-20	66.42	23.56	22.00	0.96	46.61
	2018-19	60.98	21.45	15.63	0.81	39.31
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित वापसी	2019-20	69.49	-	-	-	-
	2018-19	35.22	-	-	-	-
वर्ष में शुद्ध जीवनांकिक (नेट एक्चुएरियल) (लाभ) / हानि को मान्यता दी गई	2019-20	-	47.37	106.85	-	-
	2018-19	-	-13.54	44.43	-	-
आय स्टेटमेंट में मान्यता प्राप्त व्यय	2019-20	52.14	91.76	172.47	2.02	83.80
	2018-19	75.68	27.34	100.11	1.67	70.24

✦ एक्चुअरीअल एसेसमेंट

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी की छुट्टी	अर्जित अवकाश	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)	(वित्त–पोषित)
छूट की दर	2019-20	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
	2018-19	7.61%	7.61%	7.61%	7.61%	7.61%
वेतन वृद्धि की दर	2019-20	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
	2018-19	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
विधि का उपयोग किया	2019-20	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयुसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयुसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयुसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयुसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयुसी)
	2018-19					

✦ संवेदनशीलता लाभ परिभाषित लाभ दायित्व का विश्लेषण

(रू. लाख में)

क) छूट की दर में परिवर्तन का प्रभाव	ग्रेच्युटी	बीमारी की छुट्टी	अर्जित अवकाश	बैगेज	पीआरएमबी
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	-39.37	-12.43	-18.65	-0.62	-27.23
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	42.23	13.20	20.23	0.67	28.62
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	**ग्रेच्युटी**	**बीमारी की छुट्टी**	**अर्जित अवकाश**	**बैगेज**	**पीआरएमबी**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46

0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	20.58	13.17	20.18	0.68	29.01
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	-20.87	-12.48	-18.72	-0.63	-27.88

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता, महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव को गिना नहीं जाता। भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर के रूप में संवेदनशीलता, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पहले पेंशन में वृद्धि की दर प्रयोज्य नहीं है।

एसोसिएट्स के मामले में, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

परिभाषित योगदान योजना

कंपनी के कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड / ईएसआई द्वारा कवर किया जाता है, जिसके लिए कंपनी मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में मापा गया परिभाषित योगदान करती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित योगदान दिया है:

(रू. लाख में)

ग्रेच्युटी	2019-20	2018-19
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	1.43	1.35
कर्मचारी राज्य बीमा में नियोक्ता का योगदान	0.33	1.77

निर्धारित लाभ योजनाएँ

कंपनी ने ग्रेच्युटी आदि के लिए कोई औपचारिक परिभाषित लाभ योजना नहीं पेश की है। तदनुसार, लाभ की दायित्वों में बदलाव, योजना परिसंपत्तियों के आय में परिवर्तन, अवधि के लिए लागत, आदि का पता नहीं लगाया जा सकता है। हालाँकि वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी देयता का पता लगाया जाता है और खातों में बताया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए देय ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए देयता क्रमशः ₹9.92 लाख और ₹1.95 लाख हो गया है और इसके लिए प्रदान किया गया है।

9. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –108 के संबंध में प्रकटीकरणः "परिचालन खंड"

(i) संचालन खंडे

भारतीय लेखा मानक 108 में परिभाषित के रूप में "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, सीएमडी, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और व्यापार क्षेत्रों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों को व्यक्तिगत व्यवसाय खंड में राजस्व और व्यय रिकॉर्ड में लगातार लागू किया जाता है, और इन्हें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निर्धारित किया जाता है।

कंपनी 2 खंडों में काम करती है – नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता (ईई) क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियां और केरल के कासरगोड में सौर संयंत्र संचालन के माध्यम से बिजली उत्पादन. कंपनी के लिए प्रमुख राजस्व आरई एंड ईई सेक्टर में वित्तपोषण गतिविधियों के क्षेत्र से आता है। अन्य ऑपरेटिंग सेगमेंट– सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन एक रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं है। कंपनी भारत में काम करती है, इसलिए इसे केवल घरेलू सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी ही माना जाता है। जैसा कि खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से एकल व्यवसाय / भौगोलिक खंड के रूप में माना जाता है।

(ii) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

हमारे राजस्व में 10 प्रतिशत या अधिक योगदान देने वाला कोई भी बाहरी ग्राहक नहीं है।

(iii) भौगोलिक जानकारी

आस्ति की स्थानिक स्थिति के अनुसार परिचालनों के स्थान पर बाहरी ग्राहकों से राजस्व और इसके गैर–वर्तमान आस्तियों के बारे में जानकारी निम्न हैं:

(रू. लाख में)

विवरण	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर तात्कालिक परिसंपत्तियाँ*	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
भारत**	236,731.98	201,956.61	204,732.36	206,824.94
भारत के बाहर	-	-	-	-
कुल	**236,731.98**	**201,956.61**	**204,732.36**	**206,824.94**

* इस राशि में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजी कार्य–में–प्रगति, निवेश संपत्ति, उपयोग की संपत्ति का अधिकार, विकास के तहत अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम और भारत सरकार पूर्णतया सेवा बाण्ड धन प्राप्य शामिल है।

* इसमें पहले वर्ष की माँगों के सापेक्ष रु. 7,165.33 लाख (विगत वर्ष ₹ 3,434.80 लाख रुपये) की राशि शामिल है, जो कि व्युत्पन्न के उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ से संबंधित है, जिसे बाहरी ग्राहकों द्वारा राजस्व का हिस्सा नहीं माना जाता है।

(iv) प्रमुख उत्पादों से राजस्व

प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए बाहरी ग्राहकों से राजस्व निम्नानुसार हैं:

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
ब्याज आय	224,658.02	193,320.13
शुल्क और कमीशन आय	2,162.65	2,370.38
व्युत्पन्न के उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ *	7,165.33	3,434.80
सौर संयंत्र संचालन से राजस्व	2,745.99	2,831.31
कुल	**236,731.98**	**201,956.61**

* उन्हें बाहरी ग्राहकों से राजस्व का हिस्सा नहीं माना जाता है।

10. भारतीय लेखा मानक 24 के संबंध में प्रकटीकरण "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण"

क) सरकार के अलावा अन्य के लिए प्रकटीकरण और सरकार से संबंधित संस्थाएँ

i संबंधित पक्ष की सूची

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध का प्रकार	अवधि (01.04.2018 से 31.03.2020)
मेसर्स एम.पी. विंडफार्मस लिमिटेड	एक संयुक्त क्षेत्र ने एमपी उर्जा विकास निगम लिमिटेड (25%), समेकित ऊर्जा कंसल्टेंट्स लिमिटेड (49.5%), इरेडा (24%) और अन्य (1.5%) के सहयोग से सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को हटा दिया।	अवधि (01.04.2019 से 31.03.2020) अवधि (01.04.2018 से 31.03.2019)

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध का प्रकार	अवधि (01.04.2018 से 31.03.2020)
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		
श्री बी.पी. यादव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक – सरकारी नामिनी	01.04.2019 से 31.03.2020 01.04.2018 से 31.03.2019
श्री प्रवीण कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2019 से 31.12.2019 01.03.2019 से 31.03.2019
श्री के.एस. पोपली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	– 01.04.2018 से 28.02.2019
श्री एस.के. भार्गव	निदेशक– वित्त	01.04.2019 से 31.01.2020 01.04.2018 से 31.03.2019
श्री चिंतन नवीनभाई शाह	निदेशक –तकनीकी निदेशक– वित्त ''	01.04.2019 से 31.03.2020 01.04.2018 से 31.03.2019
श्री अरुण कुमार	निदेशक – सरकारी नामिनी	01.04.2019 से 29.07.2019 28.01.2019 से 31.03.2019
सुश्री गार्गी कौल	निदेशक – सरकारी नामिनी	– 01.04.2018 से 21.12.2018
श्री प्रवीण गर्ग	निदेशक – सरकारी नामिनी	29.07.2019 से 11.02.2020
श्री अमितेश कुमार सिन्हा	निदेशक – सरकारी नामिनी	24.01.2020 से 31.03.2020
श्री विमलेंद्र ए पटवर्धन	निदेशक – सरकारी नामिनी	17.02.2020# से 31.03.2020
श्री अभिषेक महावर	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020 01.04.2018 से 31.03.2019
सुश्री इंदु बाला	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 से 18.03.2020 01.04.2018 से 31.03.2019
सुश्री मधुश्री एम.	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020 01.04.2018 से 31.03.2019
डॉ. गांगिडी एम. रेड्डी	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020 01.04.2018 से 31.03.2019
श्री संजय जैन	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 से 31.03.2020 12.04.2018 से 31.03.2019
डॉ. आर. सी. शर्मा	जीएम (एफ एंड ए) और मुख्य वित्तीय अधिकारी ***	01.02.2020 से 31.03.2020
श्री सुरेन्द्र सुयाल	कंपनी सचिव	01.04.2019 से 31.03.2020 01.04.2018 से 31.03.2019

श्री बी.पी. यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई (सरकार नामित निदेशक, इरेडा (आईआरईडीए)) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा (आईआरईडीए) को 02.01.2020 से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

** श्री चिंतन नवीनभाई शाह को 01.02.2020 से 05.05.2020 की अवधि के लिए निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया गया था।

*** डॉ. आर. सी. शर्मा, जीएम (एफ एंड ए) को मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) प्रभावी रूप से 01.02.2020 से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

डीआईएन आवंटन तिथि।

कंपनी के नियंत्रण में न्यास / निधि

- इरेडा (आईआरईडीए) कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास
- इरेडा (आईआरईडीए) लिमिटेड कर्मचारी उपदान निधि न्यास

- इरेडा (आईआरईडीए) कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास
- इरेडा (आईआरईडीए) कर्मचारी हितकारी निधि
- इरेडा (आईआरईडीए) मुद्रा जोखिम प्रशासन निधि

ii संबंधित पक्षों को मुआवजा

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक लाभ		
उपस्थिति शुल्क (स्वतंत्र निदेशकों के लिए) *	19.20	18.40
अन्य (कार्यात्मक निदेशकों को वेतन) **	181.06	235.68
कार्यात्मक निदेशकों को रोजगार उपरांत लाभ	13.25	19.06
कुल	**213.51**	**273.14**

***उपस्थिति शुल्क**

(रू. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	अभिषेक महावर	6.40	5.80
2	इंदु बाला	2.60	2.60
3	जी.एम. रेड्डी	5.60	5.20
4	मधुश्री एम स्वामी	3.60	4.40
5	संजय जैन	1.00	0.40
	कुल	**19.20**	**18.40**

** विवरण के तहत

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	श्री के एस पोपली, (सीएमडी)[1]		श्री प्रवीण कुमार (सीएमडी)[2]	श्री बी.पी. यादव (सीएमडी)		श्री एस.के. भार्गव, (डीएफ)[4]		चिंतन नवीनभाई शाह, (डीटी)		डॉ आर सी शर्मा, (सीएफओ)[5]	श्री के एस पोपली, (सीएमडी)[1]	
		2019-20	2018-19	2019-20	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2019-20	2018-19
1	वेतन और भत्ते	-	84.03	-	-	-	83.49	63.44	30.24	27.66	6.28	43.68	33.69
2	अनुलाभ का मूल्य	-	5.60	-	-	-	4.33	5.48	4.01	0.48	0.83	2.59	6.00
क	भविष्य निधि	-	3.05	-	-	-	2.73	2.99	2.56	2.44	0.53	2.63	2.38
ख	सेवानिवृत्ति योगदान	-	2.29	-	-	-	1.82	2.24	1.5	1.83	-	1.45	1.78
ग	चिकित्सा	-	2.99	-	-	-	1.64	2.92	1.81	1.70	0.33	1.73	1.64
	कुल	**-**	**97.96**	**-**	**-**	**-**	**94.01**	**77.07**	**40.12**	**34.11**	**7.97**	**52.08**	**45.49**

1. 28.02.2019 को श्री के.एस.पोपली ने अधिवर्षिता प्राप्त की।
2. श्री प्रवीण कुमार ने 01.03.2019 से 31.12.2019 तक सीएमडी के रूप में कार्य किया।

3. श्री बी.पी. यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई (सरकार नामित निदेशक, इरेडा (आईआरईडीए)) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा (आईआरईडीए) को 02.01.2020 से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
4. श्री एस के भार्गव ने 31.01.2020 को अधिवर्षिता प्राप्त की।
5. डॉ. आर. सी. शर्मा, जीएम (सीएफओ) को मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ) दिनांक 01.02.2020 से प्रभावी।

नोट:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार मासिक शुल्क के भुगतान पर प्रति माह 1000 किलोमीटर की सीलिंग (उच्चतम सीमा) तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार की अनुमति दी गई है।
- कार्यात्मक निदेशकों के लिए उपदान निधि के लिए योगदान अलग से निर्धारण योग्य नहीं है क्योंकि एलआईसी में योगदान कर्मचारी वार नहीं बनाया गया है।
- कार्यात्मक निदेशक को अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ आदि का प्रावधान जीवनांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

iii केएमपी से और इसके लिए ऋण:

(रू. लाख में)

विवरण	श्री के एस पोपली, (सीएमडी)[1]		श्री एस के भार्गव, (डीएफ)		श्री चिंतन नवीनभाई शाह, (डीटी)		डॉ. आर.सी. शर्मा, (सीएफओ)	श्री के एस पोपली, (सीएमडी)[1]	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2019-20	2018-19
केएमपी को ऋण									
वर्ष की शुरुआत में ऋण	-	-	-	0.64	-	-	15.86	14.27	11.89
ऋण उन्नत	-	-	-	-	-	-	-	1.90	6.00
चुकौती मिली	-	-	-	0.64	-	-	4.14	3.84	4.29
ब्याज लगाया	-	-	-	-	-	-	0.72	0.52	0.66
ब्याज प्राप्त किया	-	-	-	-	-	-	1.56	-	-
ब्याज सहित वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-	-	-	-	-	10.88*	12.85	14.27
केएमपी को ऋण	-								

* राशि में कंपनी द्वारा देय रु. 0.09 लाख रुपये की राशि शामिल है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर्मचारी ऋण नीतियों के संदर्भ में विभिन्न ऋणों को विस्तारित किया जाता है। केएमपी को ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर दिया जाता है जो कंपनी के अन्य कर्मचारियों के लिए विस्तारित किए जाते हैं। संबंधित पक्षों के लिए कोई लंबित प्रतिबद्धता नहीं है।

ख सरकार के साथ और सरकार की दूसरी संस्थाओं के साथ की गई लेन–देन के लिए प्रकटीकरण संस्थाएँ

(रू. लाख में)

सरकार / सरकारी संस्थाओं का नाम	कंपनी के साथ संबंध का स्वरूप	लेन–देन का स्वरूप	2019–20 के दौरान लेन–देन	2018–19 के दौरान लेन–देन	शेष राशि 31 मार्च 2020 तक	शेष राशि 31, मार्च 2019 तक
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	प्रशासनिक मंत्रालय	ऋण चुकौती– एमएनआरई के माध्यम से आईडीए	874.96	871.97	28,740.87	27,236.20
		ब्याज भुगतान	205.05	210.83	-	-
		गारंटी भुगतान	9,623.16	8,472.66	-	-
		एमएनआरई की ओर से कर योग्य बॉन्ड का उठाना	-	-	भारत सरकार पूर्णतः सेवा बांड्स सीरीज– I : 61,000.00 सीरीज– IA : 22,000.00 सीरीज– IB : 81,000.00 कुल : 164,000.00	

इरेडा (आईआरईडीए) भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है। उसी सरकार के नियंत्रण / संयुक्त नियंत्रण में संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेन–देन निम्नानुसार हैं:

(रू. लाख में)

कंपनी का नाम	लेन–देन का स्वरूप	2019–20 के दौरान लेन–देन	2018–19 के दौरान लेन–देन	31, मार्च 2020 को शेष राशि	31, मार्च 2019 को शेष राशि
आंध्रा बैंक	ऋण की चुकौती	115.92	76.31	-	115.92
पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	ऋण की चुकौती	46,000.00	90,000.00	-	-
पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	ऋण का संवितरण	-	46,000.00	-	46,000.00
आरईडब्ल्यूए उल्टा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का संवितरण	2,417.70	4,117.56	9,990.36	7,572.66
भारतीय स्टेट बैंक	ऋण की चुकौती	671.37	1,103.72	494.06	1,165.43
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	सीएसआर गतिविधियों के लिए सौर आधारित प्रेरण और एसपीवी सड़कों की रोशनी की आपूर्ति	183.69	-	-	-
आवास और शहरी विकास निगम लि.	ग्राउंड रेंट और लाइसेंस फीस अदा की	7.69	-	-	-
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, यूनिट अशोक होटल	होटल का भुगतान	16.45	-	-	-
भारतीय जीवन बीमा निगम	किराया हैदराबाद शाखा कार्यालय के लिए	5.01	5.01	0.34	0.09

(रू. लाख में)

कंपनी का नाम	लेन–देन का स्वरूप	2019–20 के दौरान लेन–देन	2018–19 के दौरान लेन–देन	31, मार्च 2020 को शेष राशि	31, मार्च 2019 को शेष राशि
राष्ट्रीय निर्माण निगम लिमिटेड	किराए पर लेने की जगह के लिए रख रखाव शुल्क	8.98	4.13	0.42	1.46
इंडिया लिमिटेड का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन।	इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क	9.12	9.22	1.88	2.22
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	किराए पर ली गई जगह का किराया	93.71	94.14	(0.04)	(26.43)
भारतीय सौर ऊर्जा निगम	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	8.22	4.13	(9.37)	(9.37)
भारतीय सौर ऊर्जा निगम	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	-	134.65	352.78	352.78

कासरगोड सौर परियोजना कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के ऋण पर रु. 3,469.57 लाख (पिछले वर्षः ₹6,555. 13 लाख) हासिल किए हैं और कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के ऋण पर रु. 46,787.29 लाख (पिछले वर्षः रु. 91,180.03 लाख) का पुनर्भुगतान प्राप्त किया है।

सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ उपर्युक्त लेन–देन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण लेन–देन कवर करते हैं। कंपनी ने अन्य लेन–देन जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई यात्रा और अन्य सीपीएसयू के साथ जमा आदि में भी प्रवेश किया है। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए खुलासा नहीं किया गया है। सभी लेन–देन बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।

एम.पी. विंड फार्म लिमिटेड से संबंधित प्रकटीकरण – एसोसिएट– संबंधित पार्टी

संबंधित पार्टी लेन–देन

विवरण	
संबंधित पार्टियाँ	
स्वामित्व कंपनी	कॉन्सोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट्स लिमिटेड
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	प्रबंध संचालकः डी पी एस धाकड़ निदेशकः राजन देब

(रू. लाख में)

संबंधित पार्टी लेन–देन	31, मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31, मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
सेवाओं की बिक्री	0.00	0.00
कॉन्सोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट्स लिमिटेड		
सेवाओं का लाभ उठाया		
किराया भुगतान किया गया (लागू करों सहित)	5.61	5.33
कॉन्सोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट्स लिमिटेड		

(रू. लाख में)

संबंधित पार्टी लेन–देन	31, मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31, मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
सेवा प्राप्त – परामर्श (कर छोड़कर)		
कॉन्सोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट्स लिमिटेड	0.00	10.00
प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक		
डी पी एस धाकड़ (फिक्स पारिश्रमिक)	6.00	6.00

11. प्रकटीकरण जैसा कि नियमन 34 (3) और 53 (एफ) अनुसूची सेबी के साथ अग्रणी के रूप में सेबी (लिस्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 आवश्यक हैं

सहयोगी (असोसिएट्स)		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
		31, मार्च 2020 तक की राशि	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	31 मार्च, 2019 तक राशि	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि
1	ऋण के रूप में ऋण और अग्रिम				
क	एसोसिएट्स को	-		-	
ख	जिन कंपनियों में निदेशक रुचि रखते हैं				

12. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116 "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 के प्रारंभिक आवेदन की तारीख के साथ भारतीय लेखा मानक 116 लागू किया है। कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करके भारतीय लेखा मानक 116 के रूप में इंडस्ट्रीज लागू किया है, जिसके तहत 01 अप्रैल, 2019 को बनाए रखा आय में प्रारंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव को मान्यता दी गई है। कंपनी अपनी लीज व्यवस्था के सभी उपर्युक्त दृष्टिकोण को 01 अप्रैल, 2019 तक लागू कर चुकी है।

भारतीय लेखा मानक 116 के पैरा सी11 के अनुसार, जिन पट्टों को भारतीय लेखा मानक 17 के उपयोग से वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, प्रारंभिक उपयोग की तारीख पर आस्ति के उपयोग–का–अधिकार और पट्टे की देयता की वहन राशि भारतीय लेखा मानक 17 के उपयोग से मापी गई लीज आस्ति और लीज देयता की वहन राशि होगी। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में लीजहोल्ड संपत्तियों के मामले में लीज आस्ति की वहन राशि, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक116 के अनुसार उपयोग की गई आस्ति के अधिकार के रूप में उसी राशि को आगे लाया गया है।

(क) भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार उपयोग के अधिकार के रूप में लेखांकित लीज का विवरण

कंपनी ने दिल्ली, हैदराबाद आदि में कार्यालय स्थान के लिए विभिन्न पक्षों के साथ समझौते किए हैं। प्रत्येक समझौते और किराये के भुगतान का कार्यकाल अलग–अलग है। हमने लीज के लिए भारतीय लेखा मानक 116 के तहत नए माप सिद्धांतों को उन पट्टों के लिए लागू किया है, जिन पर लघु अवधि (शॉर्ट टर्म) लीज के तहत छूट कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप नहीं है।

(ख) भारतीय लेखा मानक 116 के रूप में खाते की नीति में परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार है:

(रू. लाख में)

विवरण	लीजहोल्ड–आईएचसी	लीजहोल्ड–एकेबी	आरआईएनएल लीज	31 मार्च 2020 तक
संपत्ति संयंत्र और उपकरणों में कमी	133.61	1,678.98	-	**1,812.59**
द्वारा लीज देनदारी में वृद्धि	-	-	102.42	**102.42**
द्वारा उपयोग के अधिकारों में वृद्धि	133.61	1,678.98	99.01	**1,911.60**
द्वारा वित्त लागत में वृद्धि	-	-	10.63	**10.63**
द्वारा मूल्यह्रास में वृद्धि	-	-	74.26	**74.26**
द्वारा स्थगित कर देयता में शुद्ध वृद्धि	106.24			**106.24**

(ग) पट्टे की देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण

(रू. लाख में)

विवरण	लीजहोल्ड–आईएचसी	लीजहोल्ड–एकेबी	आरआईएनएल लीज	31 मार्च 2020 तक
7 दिन तक	-	-	6.79	**6.79**
15 दिन (1 माह) तक 7 से अधिक दिन	-	-	-	**-**
30/31 दिन (1 माह) तक 15 से अधिक दिन	-	-	-	**-**
1 महीने –2 महीने से अधिक	-	-	6.79	**6.79**
2 महीने –3 महीने से अधिक	-	-	6.79	**6.79**
3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	-	-	20.37	**20.37**
6 महीने से अधिक 1 वर्ष	-	-	40.74	**40.74**
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	-	-	27.16	**27.16**
3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक	-	-	-	**-**
5 वर्षों से अधिक	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2020 को कुल गैर–रियायती लीज देनदारियाँ	-	-	108.63	**108.63**
31 मार्च, 2020 को वित्तीय स्थिति के विवरण में लीज देनदारियाँ शामिल हैं	-	-	102.42	**102.42**
वर्तमान	लागू नहीं	लागू नहीं	75.73	**लागू नहीं**
गैर वर्तमान	लागू नहीं	लागू नहीं	26.69	**लागू नहीं**

(घ) लाभ और हानि की संविधि में मान्यता प्राप्त है

(रू. लाख में)

विवरण	लीजहोल्ड–आईएचसी	लीजहोल्ड–एकेबी	आरआईएनएल लीज	31 मार्च, 2020 को अवधि समाप्त हो गई
लीज देनदारी पर ब्याज	-	-	10.63	**10.63**
अंतर्निहित आस्ति के वर्ग द्वारा उपयोग के अधिकार वाली आस्ति के लिए मूल्यह्रास शुल्क	15.71	181.30	74.26	**271.27**

(ड) लाभ और हानि की संविधि में मान्यता प्राप्त हैं

(रू. लाख में)

विवरण	लीजहोल्ड–आईएचसी	लीजहोल्ड–एकेबी	आरआईएनएल लीज	31 मार्च, 2020 को अवधि समाप्त हो गई
पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह	-	-	81.48	**81.48**

(च) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है

(रू. लाख में)

विवरण	लीजहोल्ड–आईएचसी	लीजहोल्ड–एकेबी	आरआईएनएल लीज	31 मार्च 2020 तक
संपत्तियों के सही उपयोग के अतिरिक्त	172.34*	2,110.10*	173.27	**2,455.71**
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सही–उपयोग की परिसंपत्तियों की वहन राशि।	117.90	1,497.68	99.01	**1,714.60**

भारतीय लेखा मानक 116 के पैरा सी 11 के अनुसार, वो पट्टे जिन्हें भारतीय लेखा मानक 17 के द्वारा वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की वहन राशि और प्रारंभिक आवेदन की तारीख में पट्टा देयता, उस तिथि से तुरंत पूर्व, जिससे भारतीय लेखा मानक 17 के रूप में लागू करने के लिए मापा गया था, लीज देनदारी की वहन राशि होगी। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में लीजहोल्ड संपत्तियों के मामले में लीज आस्ति की वहन राशि, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक116 के अनुसार उपयोग की गई आस्ति के अधिकार के रूप में उसी राशि को आगे लाया गया है।

(छ) अन्य प्रकटीकरण

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को अवधि समाप्त हो गई
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	9.12

13. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –33 के संबंध में खुलासा "प्रति शेयर आय (ईपीएस)"

(क) मूल ईपीएस

मूल ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले सामान्य शेयरों की कमाई और भारित औसत संख्या इस प्रकार हैः

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए लाभ (हानि), कंपनी के मालिकों के लिए (रु. लाख)	21,461.43	24,986.87
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय (ए) (रु. लाख)	21,461.43	24,986.87
प्रति शेयर बेसिक कमाई के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	784,600,000	784,600,000
बेसिक ईपीएस (क/ख) (रुपये में)	**2.74**	**3.18**

(ख) मृदु (डाइल्यूटेड) ईपीएस

मृदु (डाइल्यूटेड) ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले सामान्य शेयरों की कमाई और भारित औसत संख्या इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए लाभ (हानि), कंपनी के मालिकों के लिए (रु. लाख)	21,461.43	24,986.87
प्रति शेयर मृदु (डाइल्यूटेड) आय की गणना में उपयोग की गई आय (ए) (लाख रुपये) लाख)	21,461.43	24,986.87
प्रति शेयर बेसिक कमाई के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	784,600,000	784,600,000
मृदु (डाइल्यूटेड) ईपीएस (ए/बी) (रूपये में)	**2.74**	**3.18**

14. लाभांशे

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के अनुसार ओ.एम. कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग पर दिनांक 27.05.17, लाभांश के भुगतान के लिए दिशा–निर्देशों के साथ, कंपनी को कर के बाद लाभ का 30% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश (पीएटी) या नेट मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने वर्ष 2018–19 के लिए रु. 12,819.00 लाख रुपये के अंतिम लाभांश का भुगतान किया।

15. संपत्तियों पर बनाई गई सुरक्षा

i सुरक्षा के रूप में अनुमानित किए गए परिसंपत्तियां

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
हमारे ऋण और अग्रिम के आधार पर पैरी–पासू (बराबर–बराबर) पर पहला शुल्क (कंपनी की पुस्तक ऋण)		
वित्तीय आस्तियाँ		
कर निशुल्क बॉन्ड	275,765.46	275,765.46
बैंक उधार *	171,659.84	95,423.00
विदेशी मुद्रा ऋण	225,949.43	222,072.58
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
अस्थायी प्रभार		
वित्तीय आस्तियाँ	-	-
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-

इसके अलावा, कर योग्य बॉन्ड, दिनांक 31.03.2020 को रु. 456,683.92 लाख रुपये (पिछले वर्ष: रू. 291,450.75 लाख) की राशि, नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित हैं।

* कंपनी के बैंक ऋणों के संबंध में बनाए गए शुल्कों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. स.	ऋणदाता संस्था	निर्मित चार्ज का विवरण
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	बुक ऋणों के दृष्टि बंधक के माध्यम से प्रथम पैरी–पासू (बराबर–बराबर) शुल्क, कुल स्वीकृति सीमा और दृष्टि बंधक के पुस्तक ऋण / मानक प्रापर्टी से संबंधित प्राप्य ऋण के 100% के अधीन, प्रथम पैरी–पासू (बराबर–बराबर) शुल्क।
2	एचडीएफसी	100% कवर के साथ 90 दिनों तक के बुक ऋण और प्राप्तियों पर पैरी–पासू (बराबर–बराबर) प्रभार।
3	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	100% ऋण राशि के अधीन पुस्तक ऋणों के अनुमान के माध्यम से प्रथम पारी पासु शुल्क।
4	केनरा बैंक	प्रथम पैरी–पासू (बराबर–बराबर) प्रभार (बुक ऋण) मानक आस्तियों (एसेट्स) पर।

ii. पुस्तक ऋण पर ऋणात्मक ऋण द्वारा सुरक्षित

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
ऋणात्मक ग्रहणाधिकार (कंपनी की पुस्तक ऋण)		
वित्तीय आस्तियाँ	456,683.92	291,450.75
कर योग्य बॉन्ड्स	-	-
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां		

16. कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रेषित अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है।

17. उधार लेने वाली संस्थाओं की परिसंपत्तियों आदि के माध्यम से रखी गई प्रतिभूति के अलावा, कंपनी ने बैंकों द्वारा जारी की गई एफडीआर और गारंटी को रखा हुआ है जिसकी राशि है रु. 5,938.06 लाख और क्रमशः रु. 18,041.58 लाख (पिछले वर्षः रु. 5,740.05 लाख और रु. ऋण के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में क्रमशः रु. 24,527.25 लाख)।

18. इरेडा के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव्ज जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा ऋण (बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 40%) पर एक खुला जोखिम अनुमन्य है। 31 मार्च, 2020 तक खुला एक्सपोजर रु.261,350.75 लाख (पिछले वर्षः रु. 245,459.71 लाख रुपये) है जो बकाया फॉरेक्स उधार का 24.58% (पिछले सालः 24.77%) है और यह अनुमेय सीमा के भीतर है।

उक्त खुला प्रकटीकरण (एक्सपोजर) में रु 46,343.40 लाख रुपए समतुल्य यूरो 61,474–891.72 की आंशिक हेजिंग, यूरो मुद्रा ऋण के लिए मूल रूप से केवल स्वैप (यूएसडी / आईएनआर) (पिछले वर्षः रू. 42,522.98 लाख यूरो के 61,474,891.72 डॉलर के बराबर) लेकर, की गई।

19. भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज एएस) 40 के अनुसार प्रकटीकरण – "निवेश संपत्ति"

i. जंगपुरा, दिल्ली में आवासीय फ्लैट

ii आय और व्यय का विवरणः

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
किराए से आय	6.60	6.60
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय	0.04	1.25

iii. निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

संपत्ति के बाजार मूल्य का आकलन (प्रमाणित वैल्यूअर द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार) 211.00 लाख रुपये पर 31.03.2020 (पिछले वर्ष रू. 248.00 लाख रुपये) के रूप में किया गया है।

20. भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज के रूप में) 27 – "अलग वित्तीय विवरण"

कंपनी के सहयोगी के संबंध में निम्नलिखित जानकारी है:

इकाई का नाम	व्यापार / समावेश का देश	समूह गैर–नियंत्रित हितों द्वारा स्वामित्व	मुख्य गतिविधियाँ	संबंध	लेखा विधि	कैरीइंग राशि (रु. लाख में)
एसोसिएट में निवेश						
एमपी विंड फार्म लिमिटेड में निवेश	मध्य प्रदेश– भारत	24%	ऊर्जा का सृजन	सहयोगी	इक्विटी पद्धति	12.00

* वित्तीय वर्ष 1996–97 में उक्त कंपनी द्वारा जारी बोनस शेयरों के संबंध में रू. 4.80 लाख को छोड़कर।

21. भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक एएस) 8 के अनुसार प्रकटीकरण – "लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन"

(क) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और नियमों के अनुसार, सह पठित भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों पर आधारित गतिविधियों पर व्यय के लिए मार्गदर्शन नोट का पालन करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों की गतिविधियों पर खर्च को बहाल किया। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 8 "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन" के अनुसार, "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय" के तहत लाभ और हानि के विवरण में वर्तमान वर्ष का खर्च रू. 1,919.04 लाख और पिछले वर्ष की इसी शेष राशि को रू. 1,255.53 रुपये के स्थान पर रू. 1,221.00 लाख। "कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड" के साथ "अन्य वित्तीय देनदारियों" के तहत 01 अप्रैल, 2018 को 2,053.77 लाख रुपये के साथ शेष राशि के किए गए खुलासे को प्रारंभिक सामान्य रिजर्व (ओपनिंग जनरल रिजर्व) के साथ समायोजित किया गया है। नतीजतन, अन्य वित्तीय देनदारियों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी फंड शून्य हो गया है। तदनुसार पिछले वर्ष की प्रति इक्विटी शेयर आय 3.44 रुपये से 3.11 रुपये तक सीमित कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप रू. 0.33 रुपये की कमी आई है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय/विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा लाभ /हानि के लिए लेखांकन में त्रुटि का सुधार

31 मार्च, 2019 तक, 31 मार्च, 2018 को लंबी अवधि के लिए विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के बकाया होने की सूचना पर होने वाले विनिमय अंतर, हेज किए गए आइटम के अलावा, एक "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतर अंतर खाता" (एफसीएमआईटीआर) में जमा होते हैं तथा और प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता द्वारा इस तरह के दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा डी13एए के अनुसार – पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों को एफसीएमआईटीआर में सभी अर्हक दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के लिए विनिमय लाभ/हानि रिकॉर्ड करने के लिए उचित रूप से संशोधित किया है और लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद के कार्यकाल में परिशोधन किया है। जहाँ इस तरह की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्रभावी हेज में हेज आइटम के रूप में नामित किया गया है, कंपनी ने परिशोधित लाभ और हानि में पहचानी गई ऐसी वस्तुओं के लिए विनिमय लाभ / हानि की मात्रा के बराबर राशि को पुनर्वर्गीकृत किया है।

तदनुसार, कंपनी ने अपनी तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित बदलाव किए हैं:

- भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा डी13एए के अनुपालन के लिए विदेशी मुद्रा लेन–देन के लिए नीति में संशोधन किया गया है और
- तुलनात्मक अवधि की वित्तीय जानकारी नीचे दी गई है।

इक्विटी में परिवर्तन के सारांश के अनुरूप परिवर्तन के साथ अन्य इक्विटी के भाग के हिस्से के रूप में विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतर रिजर्व अकाउंट (एफसीएमआईटीआर) और कैश फ्लो (नकद प्रवाह) हेज रिजर्व (सीएफएचआर) में परिवर्तनः

(रू. लाख में)

विवरण	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतर रिजर्व (एफसीएमआईटीआर) (जैसा कि पहले बताया गया है)	वृद्धि/(कमी)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतर रिजर्व (एफसीएमआईटीआर) (बहाल)
01 अप्रैल 2018	(21,640.39)	(22,722.93)	(44,363.32)
वर्ष के दौरान परिवर्धन	(106.10)	(15,732.51)	(15,838.61)
वर्ष के दौरान परिशोधन	2,738.90	3,321.65	6,060.55
31 मार्च, 2019	(19,007.59)	(35,133.80)	(54,141.39)

(रू. लाख में)

विवरण	नकद प्रवाह कैश फ्लो हेज रिजर्व (जैसा कि पहले बताया गया है)	वृद्धि/(कमी)	नकद प्रवाह (कैश फ्लो) हेज रिजर्व (बहाल)
01 अप्रैल 2018	(10,163.53)	22,722.93	12,559.40
हेजिंग साधनों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	(3,098.18)	-	(3,098.18)
लाभ और हानि खाते में पुनर्वर्गीकृत राशि	(6,197.37)	12,410.86	6,213.49
31 मार्च, 2019 (कर से पहले)	(19,459.08)	35,133.80	15,674.72

(रू. लाख में)

लाभ और हानि का विवरण (सारांश)	31 मार्च, 2019 (जैसा कि पहले बताया गया है)	वृद्धि/(कमी)	31 मार्च, 2019 (पुनर्कथित)
इस साल का लाभ	24,413.46	-	24,990.60
अन्य व्यापक आय			
ऐसे आयटम जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(27.96)	-	(27.96)

(रू. लाख में)

लाभ और हानि का विवरण (सारांश)	31 मार्च, 2019 (जैसा कि पहले बताया गया है)	वृद्धि / (कमी)	31 मार्च, 2019 (पुनर्कथित)
वे आयटम जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा	(9,295.55)	12,410.86	3,115.31
कुल अन्य व्यापक आय	(9,323.51)	12,410.86	3,087.35
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	15,089.95	12,410.86	28,077.95

22. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल देनदारियों पर पाबंदी लगाना

भारतीय लेखा मानक 16 का अपेंडिक्स 'ए' मौजूदा डीकमिशनिंग, और समान देनदारियों में बदलावों के लिए, जिस संपत्ति से संबंधित है, उसकी लागत में कटौती, या इसी तरह की देयता को जोड़ने या कटौती करने के लिए निर्दिष्ट परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। संपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि फिर उसके शेष उपयोगी जीवन पर भावी मूल्यह्रास होती है। ईपीसी संविदाकार द्वारा सौर संयंत्र को सौंपने की प्रक्रिया अभी भी लंबित है। वर्ष के दौरान सौर संयंत्र से संबंधित डीकमीशनिंग देनदारियाँ, अगर कोई हो, अभी तक पता लगाने योग्य है। इसलिए, संबंधित वर्ष के दौरान सौर प्लांटों से संबंधित देनदारियों की डीकमीशनिंग नहीं की गई है।

23. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किया गया और दिनांक 30.07.2020 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

24. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कंपनी के पास सौर ऊर्जा संयंत्र है। आईआरपीए और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 को / रू. 4.95 / केडब्ल्यूएच, या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार, इरेडा ने केएसईआरसी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट को मंजूरी देने के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश में दिनांक 14.02.18 को अंतरिम टैरिफ को मार्च, 2018 तक ₹3.90 रुपये प्रति यूनिट करने का अनुमोदन किया है। वित्तीय वर्ष 2018– 19 के दौरान, केएसईआरसी ने एक टैरिफ आदेश पारित किया है और प्रति यूनिट रु. 3.83 का टैरिफ निर्धारित किया है। तदनुसार, कंपनी ने केएसईबीएल को बिजली के वितरण पर सकल राजस्व को मान्यता दी है।

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		
क्र.सं.	विवरण	यूनिट बिका हुआ (मिल।)	दर प्रति यूनिट (रू.)	कुल (रू. लाख में)
i)	पावर का सृजन	73.16	3.83	2,802.03
		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		
क्र.सं.	विवरण	यूनिट बिका हुआ (मिल।)	दर प्रति यूनिट (रू.)	कुल (रू. लाख में)
i)	पावर का सृजन	75.43	3.83	2,889.09*

* टैरिफ में अंतर के समायोजन के बाद शुद्ध.

क) राजस्व का विपुंजन

नीचे दिया गया सेट ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विपुंजन है:

सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व (रू. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**राजस्व**		
संचालन से शुद्ध राजस्व		2,745.99	2,831.31
2	**प्राथमिक भौगोलिक बाजार**		
घरेलू राजस्व		2,745.99	2,831.31
अंतर्राष्ट्रीय राजस्व		-	-
कुल राजस्व		**2,745.99**	**2,831.31**
3	**राजस्व मान्यता का समय**		
बिंदु पर		-	-
समय तक		2,745.99	2,831.31
कुल राजस्व		**2,745.99**	**2,831.31**

नोटः केएसईबीएल बिजली की बिक्री के लिए एकल ग्राहक है।

ख) व्यापार प्राप्य और अनुबंध शेष

निम्नलिखित तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है:–

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
व्यापार प्राप्य (नेट) (सौर संयंत्र)	311.96	217.40

25. सौर ऊर्जा परियोजना

कंपनी ने केरल राज्य में कासरगोड में स्थित इरेडा (आईआरईडीए) के 50 मेगावाट के सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014–15 में सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। वित्त वर्ष 2016–17 में इसे रु. 29,398.48 लाख में पूंजीकृत किया गया है। बदले में, इरेडा की ओर से एसईसीआई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के रूप में) ने मेसर्स जक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड को ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) के तौर पर चुना है। वह सोलर पीवी पावर प्लांट की डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एक निर्धारित राशि पर करेंगे। निर्धारित राशि है रू.26,929.25 लाख से अधिक 8% प्रबंधन शुल्क (कर सहित) रू.2,456.32 लाख रुपये एसईसीआई को देय और ₹12.92 लाख वित्त वर्ष 2016–17 से ब्याज दिया जा रहा है। सौर पार्क डेवलपर को निकासी शुल्क के लिए अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए रू.1,500.00 लाख रुपये (करों को छोड़कर) की राशि को वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजीकृत किया गया था। वित्त वर्ष 2018– 19 के दौरान, रुपये की एक और राशि रु. 812.71 लाख का भुगतान किया गया था और पूंजीकृत किया गया था. सौर परियोजना लीजहोल्ड भूमि पर स्थापित की गई है, जिसके लिए कोई भी पट्टे का किराया देय नहीं है। भूमि के संबंध में पट्टा समझौते का निष्पादन वर्ष के अंत तक लंबित है।

आईआरपीए और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 @ 4.95 / केडब्ल्यूएच, या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर पीपीए पर

हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार इरेडा ने केएसईआरसी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट को मंजूरी देने के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश में दिनांक 14.02.18 को अंतरिम टैरिफ को अनुमोदित किया है। अनुमोदित राशि है ₹ 3.90 प्रति यूनिट। इसके अलावा, केएसईआरसी ने अपने आदेश में दिनांक 06.02.19 को प्रति यूनिट 3.83 रुपये के स्तर पर टैरिफ को मंजूरी दी थी। यह भी निम्नानुसार आगे के आदेश में दिया गया है:

- केएसईबी लिमिटेड, इस आदेश में निर्दिष्ट इक्विटी की राशि तक सीमित, आरओई पर चुकाए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति करेगा। कर का दावा करने के लिए, डेवलपर केएसईबी लिमिटेड को ऐसे कर के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

- केएसईबी लिमिटेड प्रतिपूर्ति करेगा, इरेडा / आरपीसीकेएल द्वारा भुगतान की गई भूमि पट्टा राशि, उपर्युक्त के अलावा, यदि कोई हो, तो सब्सिडी के रूप में कम राशि प्राप्त हुई।

तदनुसार, इरेडा (आईआरईडीए) ने आरपीसीकेएल के विरुद्ध रू. 1313.00 लाख रुपये का दावा किया था, आरपीसीकेएल ने दावे और इस मूल्य राशि के संबंध में नकारात्मक जवाब दिया था। इसके अलावा, इरेडा (आईआरईडीए) ने, निर्धारित टैरिफ की समीक्षा के लिए एक समीक्षा याचिका के साथ, टैरिफ ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) से संपर्क किया। इसके बावजूद, पीढ़ी की आय रु. 3.83 प्रति यूनिट के हिसाब से तय की गई है।

संयंत्र की प्रचालन स्वीकृति (प्लांट का ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस) हो चुकी है और कंपनी ने 09.03.2020 को प्रचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। प्लांट हैंडओवर और टेकओवर को ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस की तारीख से एक साल बाद किया जाना है और सफलतापूर्वक 18% की सीयूएफ प्राप्त करना है। अंतिम स्वीकृति तब अनुबंध की शर्तों के अनुरूप आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर होगी। उपरोक्त के बाद, जब तक परियोजना को सौंपने और टैरिफ के निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया गया, तब तक आस्ति की किसी भी हानि का आकलन नहीं किया गया है।

26. पट्टों के भवनों के संबंध में हस्तांतरण विलेख – एक आवासीय फ्लैट जिसकी कीमत 41.43 लाख रुपये है (31 मार्च, 2020 तक की कीमत रू. 5.09 लाख (पिछले वर्षः रू. 6.10 लाख), कार्यालय परिसर–आईएचसी की कीमत रू. 439.57 लाख (लागत के रूप में वहन करना) 31 मार्च, 2020 रू. 117.90 लाख (पिछले वर्षः रू. 133.61 लाख)), और कार्यालय परिसर–एकेबी की लागत ₹4,227.58 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 तक कैरिइंग लागत@ रू. 1,497.68 लाख (पिछले वर्षः रू. 1,678.98 लाख), अभी कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना है. लागत में भूमि का आनुपातिक मूल्य शामिल है जिसे अलग से निर्धारित और हिसाब नहीं दिया गया है. इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर समग्र मूल्य पर मूल्यह्रास का प्रभार लगाया गया है। नोट संख्या 38 (12) का संदर्भ लें।

27. सभी आवासीय और कार्यालय परिसरों के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक संपत्ति कर की मांग का भुगतान किया गया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यालय भवन के संबंध में संपत्ति कर का भुगतान 31 मार्च 2020 तक इंडिया हैबिटेट सेंटर की मांग के अनुसार किया गया है, जो इकाई क्षेत्र पद्धति पर आधारित था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने 1994–2004 की अवधि के लिए उपयुक्त मूल्य की गणना के लिए सुविधाओं के क्षेत्र के लिए प्राप्त लाइसेंस शुल्क को शामिल करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर के साथ एक मुद्दा उठाया है। यह मामला अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पास लंबित है। यदि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ फैसला दिया, तो नगरपालिका कर के खाते से संबंधित देयता को पुनः निर्धारित करना होगा, जो इस स्तर पर पता नहीं लगाई जा सकती है।

28. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में, इरेडा (आईआरईडीए) को निदेशक मंडल की एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समिति का गठन करना आवश्यक है और कंपनी को, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार की गई गणना के आधार पर, कंपनी के तीनों तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों के औसत शुद्ध वित्तीय लाभ का 2% वित्तीय खर्च करना होगा। तदनुसार, इरेडा के पास निदेशक मंडल की एक सीएसआर समिति है जिसमें 4 निदेशक शामिल हैं, इसमें एक स्वतंत्र निदेशक होता है।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली सकल राशि का विवरणः

(रू. लाख में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	1,340.01	1,221.00
2	विगत वर्ष से अग्रेषित	2,019.24	2,053.77
3	खर्च करने के लिए आवश्यक सकल राशि	3,359.25	3,274.77
4	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1,919.04	1,255.53
5	अनिर्दिष्ट राशि	1,440.21	2,019.24

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए, बोर्ड ने रुपये के सीएसआर बजट को मंजूरी दी थी। रू. 1340.01 लाख (पिछले वर्षः रू. 1,221.00 लाख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कर से पहले औसत स्टैंडअलोन प्रॉफिट टैक्स के 2% के आधार पर हैं। एक वर्ष में स्वीकृत परियोजनाएं बाद के वर्षों में पूरी हो जाती हैं और परियोजना के पूरा होने के विभिन्न चरणों में मील का पत्थर जुड़ा हुआ भुगतान होता है। इसके अलावा, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएसआर बजट गैर–उत्तरदायी है और जिस उद्देश्य के लिए इसे आवंटित किया गया था, उसके उपयोग के लिए अगले वर्ष के लिए किसी भी आवंटित राशि को आगे बढ़ाया जाता है।

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित नई परियोजनाएं, कुल रु. 2,30.88 लाख का पिछला परिव्यय (पिछले वर्ष रू. 1,560.19 लाख रुपये) के कुल परिव्यय के साथ निम्नलिखित नई परियोजनाओं को सीएसआर के तहत इरेडा द्वारा वित्तपोषित करने की मंजूरी दी गईः

(रू. लाख में)

क्र. सं	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	विवरण	क्रियान्वयन एजेंसी	स्थिति–31.03.2020
1	पीएम को राहत कोष में दान	750.00	सीधे इरेडा (आईआरईडीए) द्वारा	पूरा हो गया
स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल				
2	पीएम को राहत कोष में दान	200.00	सीधे इरेडा (आईआरईडीए) द्वारा	पूरा हो गया
पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण				
3	आरई – 350 सौर पीवी एस्पिरेशनल जिले में इंडक्शन कुक स्टोव आधारित	262.50	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	प्रगति में
4	नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित आरई फाउंडेशन की ओर कॉर्पस का निर्माण	200.00	सीधे इरेडा (आईआरईडीए) द्वारा	प्रगति में
आकांक्षात्मक जिला विकास				
5	उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और चंदौली में आकांक्षात्मक जिला विकास कार्यक्रम	804.00	उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, केंद्रीय भंडार	प्रगति में

क्र. सं	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	विवरण	क्रियान्वयन एजेंसी	स्थिति–31.03.2020
6	रायचूर में आकांक्षात्मक जिला विकास कार्यक्रम	80.60	सीधे इरेडा (आईआरईडीए) द्वारा	प्रगति में
7	यादगीर में आकांक्षात्मक जिला विकास कार्यक्रम	96.53	सीधे इरेडा (आईआरईडीए) द्वारा	प्रगति में
8	बलरामपुर और चंदौली के आकांक्षापूर्ण (एस्पिरेशनल) जिलों के लिए 3000 पीपीई किट की आपूर्ति	37.25	केंद्रीय भंडार	प्रगति में
कुल परिव्ययः		**2,430.88**		

सीएसआर गतिविधियों पर वर्ष के दौरान खर्च की गई राशिः

(रू. लाख में)

क्र. सं	विवरण	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
		2019-20			2018-19		
(i)	किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	1,911.77	-	1,911.77	1,244.84	-	1,244.84
(ii)	(i) उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	7.27	-	7.27	10.70	-	10.70
कुल		**1,919.04**	**-**	**1,919.04**	**1,255.53**	**-**	**1,255.53**

वर्ष के दौरान, रू. 1,919.04 लाख (पिछले वर्षः रु. 1,255.53 लाख रुपये) वर्ष के दौरान, की राशि खर्च की गई है। वर्ष के दौरान जारी किए गए निधियों में से रु. 1,321.52 लाख वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत परियोजनाओं और रुपये के संतुलन से संबंधित हैं रू. 597.52 लाख पहले के वर्षों (पिछले वर्ष) में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित हैंः रू. 1, 255.53 लाख की कुल राशि खर्च की गई थी, जिसमें से रु. 776.06 लाख वित्त वर्ष 2018–19 में स्वीकृत और संवितरित परियोजनाओं पर व्यय और पूर्व वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए शेष) से संबंधित था।

29. लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षक		
• सीमित समीक्षा	1.50	1.50
• सांविधिक लेखा – परीक्षा	6.00	6.00
• कर लेखा परीक्षा (टैक्स ऑडिट)	2.00	2.00
अन्य सेवाएं		
• प्रमाणन शुल्क	2.25[1]	1.70
• आईएफसीएस लेखा परीक्षा	2.00[2]	-
• डीआरएचपी आईपीओ संबंधित	16.00[2]	15.00
कुल	**29.75**	**26.45**

टिप्पणियाँ:

1. राशि में से, रु. 1.25 लाख वित्त वर्ष 2018–19 से संबंधित है।
2. वित्त वर्ष 2018–19 से संबंधित है।

30. आस्थगित कर भारतीय लेखा मानक– 12 'आय कर' के अनुसार प्रकटीकरण

क) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान आयकर व्यय का संबंध:		
वर्तमान वर्ष	10,013.33	13,888.32
पूर्व वर्षों का समायोजन	-	-
उप कुल (क)	10,013.33	13,888.32
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(7,357.10)	(7,783.63)
पूर्व में मान्यता प्राप्त कर हानि, कर क्रेडिट या पूर्व अवधि का अस्थायी अंतर (स्थगित कर व्यय को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है)	-	-
उप कुल (ख)	(7,357.10)	(7,783.63)
कुल (ग = क+ख)	**2,656.23**	**6,104.69**
नकदी प्रवाह हेज रिजर्व (डी) में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ के प्रभावी हिस्से पर कर व्यय को मान्यता दी गई	4,386.67	611.68
कुल कर व्यय (ग+घ)	**7,042.90**	**6,716.37**

ख) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
जीवनांकिक (एक्चुरियल) (लाभ) / हानि	(50.62)	24.30
नकदी प्रवाह बचाव रिजर्व में हेजिंग साधन पर प्रभावी हिस्से पर आयकर	4,386.67	611.68
कुल	**4,336.05**	**635.98**

ग) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टैक्स और ओसीआई से पहले लाभ	63,385.46	34,206.95
लागू आयकर दर (:)	25.17%	34.94%
अपेक्षित आय कर	15,952.85	11,953.28
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
मूल्यह्रास	(1,745.27)	4.26
आस्थगित आइटम और ओसीआई समायोजन	4,304.98	1,449.47
46 ए का उपचार	(11,880.28)	-
आईपीओ व्यय और हानि	3,258.82	644.65

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
धारा 43 बी और अन्य के तहत नेट अस्वीकृति	134.58	104.92
आयकर अधिनियम 1961 की कटौती यू / एस 36 (1) का लाभ	(3,480.36)	(3,766.49)
सीएसआर खर्च और अन्य की गैर–अनुमति	482.98	426.72
अचल आस्ति (फिक्स्ड एसेट्स) समायोजन	0.04	(0.01)
अन्य कटौती योग्य कर व्यय	(0.50)	(0.69)
अतिरिक्त कर प्रदान किया गया	15.07	225.04
अंतिम वर्ष के खातों में समायोजन	-	(4,324.78)
कुल कर व्यय (नकदी प्रवाह बचाव रिजर्व में हेजिंग साधन पर लाभ के प्रभावी हिस्से पर मान्य कर व्यय सहित)	7,042.90	6,716.37
खाता आय पर वास्तविक प्रभावी आयकर दर (%)	11.11%	19.63%

नोट : चालू वित्त वर्ष में लागू कर की दर 34.94% से घटकर 25.17% हो गई है क्योंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत कर /@ 22% (प्लस प्रयोज्य अधिभार और उपकर) का भुगतान करने का विकल्प अपनाया है।

घ) आस्थगित कर की गतिविधि

2019-20

(रू. लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2019 तक शुद्ध शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त है	ओसीआई में मान्य	31 मार्च 2020 तक शुद्ध शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	85.02	17.03	-	102.05
ग्रेचुएटी का प्रावधान	(0.61)	0.69	-	0.08
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का प्रावधान	167.78	(6.96)	-	160.82
बीमार छुट्टी का प्रावधान	91.05	(3.66)	-	87.38
बैगेज भत्ते का प्रावधान	3.66	0.02	-	3.69
प्रदर्शन प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	342.44	(61.04)	-	281.40
क्षति	18,496.30	9,816.93	-	28,313.22
फ्रंट एंड फीस – पुस्तकों में आस्थगित	822.12	(454.29)	-	367.83
मसाला बॉन्ड अनुदान – पुस्तकों में आस्थगित	66.02	(66.02)	-	-
कुल	**20,073.77**	**9,242.70**	**-**	**29,316.47**
ओसीआई अनुभाग				
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
उपदान पर जीवनांकिक हानि	-	-	13.57	13.57
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ पर जीवनांकिक हानि	12.28	-	25.59	37.87
सामान भत्ते पर जीवनांकिक लाभ	0.05	-	0.21	0.26
कुल	**12.33**	**-**	**39.37**	**51.70**

(रू. लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2019 तक शुद्ध शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त है	ओसीआई में मान्य	31 मार्च 2020 तक शुद्ध शेष
आस्थगित कर देनदारियां				
मूल्यह्रास	6,440.62	(1,392.70)	-	5,047.92
विदेशी मुद्रा हानि रूपांतरण अंतर	6,642.02	3,309.59	-	9,951.61
बांड	135.83	(31.28)	-	104.55
कुल	**13,218.47**	**1,885.60**	-	**15,104.07**
ओसीआई अनुभाग				
आस्थगित कर देनदारियां				
उपदान पर जीवनांकिक हानि	11.25	-	(11.25)	-
कुल	**11.25**	-	**(11.25)**	-
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति / (देयता)	**6,856.38**	**7,357.10**	**50.62**	**14,264.10**

2018 - 19

(रू. लाख में)

विवरण	01 अप्रैल 2018 तक शुद्ध शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त है	ओसीआई में मान्य	31 मार्च 2019 तक शुद्ध शेष
आस्थगित कर आस्ति				
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	60.06	24.96	-	85.02
ग्रेचुएटी का प्रावधान	94.74	(95.35)	-	(0.61)
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का प्रावधान	129.08	38.70	-	167.78
बीमार छुट्टी का प्रावधान	82.46	8.59	-	91.05
बैगेज भत्ते का प्रावधान	4.00	(0.34)	-	3.66
कर रोकना	101.21	(101.21)	-	-
वेतन संशोधन का प्रावधान	30.56	(30.56)	-	-
प्रदर्शन प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	274.97	67.47	-	342.44
क्षति	9,850.55	8,645.75	-	18,496.30
फ्रंट एंड फीस – पुस्तकों में आस्थगित	-	822.12	-	822.12
मसाला बॉन्ड अनुदान – पुस्तकों में आस्थगित	-	66.02	-	66.02
कुल	**10,627.63**	**9,446.14**	-	**20,073.77**
ओसीआई अनुभाग				
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
उपदान पर जीवनांकिक हानि	4.24	-	(4.24)	-

(रू. लाख में)

विवरण	01 अप्रैल 2018 तक शुद्ध शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त है	ओसीआई में मान्य	31 मार्च 2019 तक शुद्ध शेष
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ पर जीवनांकिक हानि	21.99	-	(9.71)	12.28
सामान भत्ते पर जीवनांकिक लाभ	-	-	0.05	0.05
कुल	**26.23**	**-**	**(13.90)**	**12.33**
आस्थगित कर देनदारियां				
मूल्यह्रास	5,180.05	1,260.57	-	6,440.62
विदेशी मुद्रा हानि रूपांतरण अंतर	6,246.83	395.19	-	6,642.02
बांड	129.07	6.76	-	135.83
कुल	**11,555.96**	**1,662.51**	**-**	**13,218.47**
ओसीआई अनुभाग				
आस्थगित कर देनदारियां				
सामान भत्ते पर जीवनांकिक लाभ	0.86	-	(0.86)	-
उपदान पर जीवनांकिक हानि	-	-	11.25	11.25
कुल	**0.86**	**-**	**10.39**	**11.25**
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति / (देयता)	**(902.95)**	**7,783.63**	**(24.30)**	**6,856.38**

ड) कटौती योग्य अस्थायी अंतर / अप्रयुक्त कर नुकसान / अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे बढ़ाया

विवरण	31 मार्च 2020 तक	समाप्ति तिथि	31 मार्च 2019 तक	समाप्ति तिथि
कटौती योग्य अस्थायी अंतर / अप्रयुक्त कर हानि / अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं

च) कुल वर्तमान कर और आस्थगित कर जो सीधे इक्विटी के लिए मान्य है

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
	-	-
कुल	-	-

एसोसिएट के मामले में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देनदारियों को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि प्रबंधन की राय में, कोई उचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त आय उपलब्ध होगी, जिसके खिलाफ इन्हें वसूल किया जा सकता हो।

31. अतिरिक्त जानकारी

क) विदेशी मुद्रा में व्ययः

- यात्रा पर रु. 6.13 लाख (पिछले वर्ष रू. 14.84 लाख)
- ब्याज और प्रतिबद्धता खर्च रू. 16,311.45 लाख (पिछले वर्षः रू. 15,522.07 लाख). इसके अलावा, रुपये की हेजिंग लागत रू. 42,812.71 लाख (पिछले वर्षः रू. 36,781.83 लाख रुपये) की हेजिंग लागत का भुगतान किया गया है।

ख) विदेशी मुद्रा में आयः

- ब्याजः रू. 166.57 लाख (पिछले वर्षः रू. 228.00 लाख)

ग) मैसर्स केएफडब्ल्यू ने रू. 140.58 का भुगतान किया (पिछले वर्षः रू. शून्य लाख) टीए कार्यक्रम के अंतर्गत सीधे नियुक्त सलाहकारों को तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के तहत भारत में सोलर पीवी प्रोजेक्ट पाइपलाइन के लिए तकनीकी सहायता आदि के लिए केएफडब्ल्यू लाइनों के क्रेडिट के संबंध में प्रति प्रत्यक्ष संवितरण प्रक्रियाओं के तहत इरेडा के लिए 0.6 मिलियन यूरो मंजूर की गई। शून्य (पिछले वर्षः रू. शून्य) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से कैपिटल सब्सिडी की मद में प्राप्त हुआ था।

घ) मैसर्स केएफडब्ल्यू ने रू. 206.40 लाख (पिछले वर्षः रू. 53.51 लाख) सीधे सलाहकार के लिए टीए कार्यक्रम के तहत काम पर रखे गए सलाहकार के तहत यूरो 1 की के खिलाफ प्रत्यक्ष संवितरण प्रक्रिया के तहत इरेडा के लिए केएफडब्ल्यू VI लाइन के संबंध में क्षमता निर्माण उपायों और इरेडा के लिए संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के लिए विशेषज्ञ सेवाओं के लिए ऋण की मंजूरी।

ड) विश्व बैंक ने आईबीआरडी III लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सौर पार्कों परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के वित्तपोषण में सहायता के लिए यूएसडी 2 मिलियन का स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) अनुदान स्वीकृत किया है। वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने रुपये की प्रतिपूर्ति की सीटीएफ अनुदान के तहत इरेडा को शून्य लाख।

32. एमएनआरई कार्यक्रम निधि

कंपनी ने अपनी गतिविधियों के अलावा समझौता ज्ञापन (मोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कार्यक्रमों को लागू किया। प्रत्येक समझौता ज्ञापन के निर्धारण में, एमएनआरई ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक सहमति राशि रखी है। एमएनआरई ऋणों पर ब्याज देय आधार पर दिया लेखांकित किया जाता है। जैसा कि एमएनआरई कार्यक्रम के ऋण से उत्पन्न आय कंपनी की आय नहीं है और ऋण की संपत्ति भी एमएनआरई से संबंधित है, उसी प्रकार आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान प्रयोजनों के लिए नहीं माना जाता है। संबंधित कार्यक्रमों के बंद होने पर, कंपनी को एमयूआरई के क्रेडिट की राशि (उस पर पर अर्जित ब्याज सहित) को सेवा प्रभार, अपरिवर्तनीय चूक और अन्य देय, जैसा कि एमओयू में निर्धारित है, को घटा कर, एमएनआरआई को राशि स्थानांतरण करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त अवधि के दौरान एमएनआरई के देय राशि, राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ अलग–अलग बैंक खातों में बचत बैंक /अल्पावधि जमा आदि में बैंक शेष के रूप में दिखाए गई राशि, अप्रयुक्त धन पर ब्याज सहित, नकद और नकद समकक्षों में शामिल को छोड़कर (नोट 3 देखें), और इसी देयता को बैलेंस शीट में अन्य वित्तीय देनदारियों (संदर्भ नोट 22) के तहत दिखाया गया है।

33. जेनेरेशन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) और पूंजी सहायता राशि (सब्सिडी) योजना, एमएनआरई

इरेडा (आईआरईडीए) एमएनआरई की ओर से पवन और सौर क्षेत्रों के लिए पीढ़ी आधारित प्रोत्साहन (जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव) और कैपिटल सब्सिडी के वितरण के लिए एक निधि प्रशासक (फंड एडमिनिस्ट्रेटर) है। इन योजनाओं के तहत, एमएनआरई की योजना के अनुसार जीबीआई दावेदारों को उसी के संवितरण के उद्देश्य से एमएनआरई द्वारा इरेडा (आईआरईडीए) को विशिष्ट निधि राशि प्रदान की जाती है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, धन की प्राप्ति और उपयोग

गतिविधि है। जीबीआई धनराशि के किसी और रिलीज के लिए, इरेडा (आईआरईडीए) को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित खर्च के लेखा परीक्षित विवरण के साथ उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त आवश्यकता पूरी तरह से आईआरईडीए द्वारा अनुपालन की जाती है और एमएनआरई द्वारा अब तक कुछ भी आवश्यक नहीं किया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने योजना के खातों की लेखा परीक्षा नहीं की है।

34. एमएनआरई जीओआई पूर्णतः सेवा बॉन्ड बैंक

ओ.एम. के संदर्भ में एफ15 (4)–बी (सीडीएन) / 2015 दिनांक 03.10.16 के पदों में, इरेडा (आईआरईडीए) को भारत सरकार द्वारा ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय शक्ति, ऑफ–ग्रिड /वितरित और विकेंद्रित नवीकरणीय शक्ति से संबंधित एमएनआरई योजनाओं / कार्यक्रमों के लिए और निगमों और स्वायत्त निकायों में निवेश के लिए, पूरी तरह से सेवित बांडों के माध्यम से रू. 400,000.00 लाख रुपये की राशि जुटाने के लिए कहा गया था। 25.01.17 को एमएनआरई और आईआरईडीए के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो दोनों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। एमओयू के पेज 5 पर जनरल क्लॉज के पैरा न (सी) विशेष रूप से परिभाषित करते हैं कि एमएनआरई बॉन्ड के उधार को कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय गणना के लिए संपत्ति / देयता न माना जाए। इसका तात्पर्य यह है कि एमएनआरई बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि को उधार के साथ–साथ परिसंपत्तियों में परिलक्षित किया जाएगा, हालांकि, इरेडा (आईआरईडीए) के उधार /परिसंपत्तियों या आय / व्यय पर उसी का कोई प्रभाव नहीं होगा।

इरेडा ने रु. वर्ष 2016–17 के दौरान एमएनआरई की ओर से रू. 164,000.00 लाख रुपये जीओआई पूरी तरह से सेवा बांड और नोट नंबर 23 के तहत दिखाए गए हैं – अन्य गैर–वित्तीय दायित्व। उसके एवज में 31 मार्च, 2020 तक विभिन्न योजनाओं / परियोजना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशानुसार ₹163,879.20 लाख (31 मार्च, 2019 तक ₹163,879.20 लाख) वितरित किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से हासिल होने वाले वसूली योग्य राशि के रूप में उक्त राशि को नोट संख्या 16 – अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ – के तहत दिखाया गया है. यह राशि एमआईबीओआर लिंक्ड डिपॉजिट में रखी गई थी। इस पर 31 मार्च, 2020 तक हासिल होने वाले ₹1,103.40 लाख उपार्जित ब्याज (31 मार्च, 2019 तक ₹1,090.57) को नोट संख्या 23 – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियाँ – के तहत दिखाया गया है। 31 मार्च, 2020 तक शेष संचयी राशि (उपार्जित / अर्जित ब्याज सहित) ₹855.29 लाख (31 मार्च, 2019 तक ₹840.12 लाख) है। जिसे एमआईबीओआर लिंक्ड टर्म डिपॉजिट में रखा गया है और इंडसइंड बैंक के साथ चालू खाते में रखा हुआ है। 31 मार्च, 2020 तक यह राशि ₹258.26 लाख (31 मार्च, 2019 तक ₹371.25 लाख) है। इसे नोट नंबर 3 – संबंधित सब हेड्स में अन्य बैंक बैलेंस – के तहत दिखाया गया है।

वर्ष के दौरान, भारत सरकार पूरी तरह से सेवा बॉन्ड पर रु. 12,434.70 लाख भुगतान के कारण बन गया और उसी को भारत सरकार से प्राप्त किया गया और निवेशक को भुगतान किया गया।

उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय फंडों को वित्तीय परिसंपत्तियों– अन्य बैंक बैलेंस, करंट / सेविंग बैंक / डिपॉजिट अकाउंट के तहत दिखाया गया है और इस तरह की देनदारी को – अन्य वित्तीय देनदारियाँ – के तहत दिखाया गया है।

35. मनरेगा से प्राप्त / प्रोत्साहन प्राप्त किया गया और उनका बीहड़ क्षेत्र में प्रवेश किया गया

क) ब्याज सब्सिडी

सरकार की नीति के अनुसार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कोजेनेरेशन, लघु हाइड्रो, ब्रिकेटिंग, बायोमास, सौर तापीय एवं अपशिष्ट से ऊर्जा जैसे कार्यक्रमों को एनपीवी के आधार पर और सौर एवं सोलर फोटोवोल्टिक कार्यक्रमों को वास्तविक आधार पर लागू करने वाले उधारकर्ताओं लिए ब्याज सब्सिडी जारी की जाती है।

कार्यक्रम–वार ब्याज सब्सिडी के विवरण निम्नानुसार हैं:

(i) एनपीवी आधार पर ब्याज सब्सिडीः–

(रू. लाख में)

सेक्टर का नाम	बायो–मास को–जेनेरेशन	लघु हाइड्रो	उप कुल (ए)
31 मार्च 2020	215.01	1.83	**216.84**
31 मार्च 2019	215.01	1.83	**216.84**

(ii) वास्तविक आधार पर ब्याज सब्सिडीः –

(रू. लाख में)

सेक्टर का नाम	सोलर थर्मल सेक्टर	एसपीवी डब्ल्युपी 2000–01	एसपीवी डब्ल्युपी 2001–02	एसपीवी डब्ल्युपी 1999–00	एसपीवी डब्ल्युपी विनिर्माण	एसपीवी डब्ल्युपी 2002–03	त्वरित सौर जल तापन प्रणाली	उप कुल (बी)	संपूर्ण योग (ए+बी)
31 मार्च 2020	0.04	(-)51.35	(-)1,36.03	(-)6.85	(-)2.97	(-)41.39	0.10	**(-)238.45**	**(-) 21.61**
31 मार्च 2019	0.04	(-)51.35	(-)1,36.03	(-)6.85	(-)2.97	(-)41.39	0.10	**(-)238.45**	**(-) 21.61**

ख) वास्तविक आधार

वर्ष के दौरान, रु. शून्य (पिछले वर्ष : रु. शून्य) एमएनआरई से कैपिटल सब्सिडी की ओर प्राप्त हुआ था। उपलब्ध कुल पूंजीगत सब्सिडी राशि में से रु. शून्य (पिछले वर्षः रु. शून्य) उधारकर्ताओं को पूंजी सब्सिडी योजना के नियमों और शर्तों के अनुपालन पर पारित किया गया था।

36. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 18 (7) (बी) (ii) के संदर्भ में, कंपनी को सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए बॉन्ड्स के 25% तक को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता होती है। कंपनी ने डीआरआर के लिए एक प्रावधान किया है, ताकि कर मुक्त बांड्स के संबंधित कार्यकाल में आवश्यक राशि प्राप्त की जा सके। इस हिसाब से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रू. 4,629.11 लाख प्रदान किए गए हैं (पिछले वर्षः रू. 4,629.11 लाख)।

37. एनबीएफसी रिजर्व

डीएनबीआर (पीडी) सीसी.नं.092 / 03.10.001 / 2017–18 के संदर्भ में, इरेडा को आरबीआई अधिनियम की धारा 45–आईसी, 1934 के तहत, कर पश्चात लाभ का / 20% का एनबीएफसी रिजर्व बनाना आवश्यक है। तदनुसार ₹ 3500.00 लाख की राशि (पिछले वर्षः रु. एनबीएफसी रिजर्व में स्थानांतरित कर दी गई है।

38. वित्तीय साधनों से संबंधित प्रकटीकरण

I. उचित मूल्य माप

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(रू. लाख में)

विवरण (31 मार्च, 2020)	परिशोधित लागत	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पी एंड एल के माध्यम से	
वित्तीय संपत्तियाँ					
नकद और नकद समकक्ष	98,840.37				98,840.37
निर्धारित बैंक बैलेंस	58,731.37				58,731.37
व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (साधन)			65,062.91	6,193.07	71,255.99
व्यापार प्राप्य	312.98				312.98

(रू. लाख में)

विवरण (31 मार्च, 2020)	परिशोधित लागत	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पी एंड एल के माध्यम से	
कुल	2,297,768.68				2,297,768.68
ऋण		12.00			12.00
निवेश	2,486.44				2,486.44
अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	**2,458,139.85**	**12.00**	**65,062.91**	**6,193.07**	**2,529,407.84**
अन्य वित्तीय संपत्तियाँ					
वित्तीय देनदारियाँ			6,788.00		6,788.00
व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (साधन)	6,580.14				6,580.14
व्यापार देय	926,758.64				926,758.64
ऋण प्रतिभूतियाँ	1,243,625.87				1,243,625.87
उधार (ऋण प्रतिभूति के अलावा)	14,970.00				14,970.00
अधीनस्थ देनदारियाँ	94,064.47				94,064.47
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	**2,285,999.11**	**-**	**6,788.00**	**-**	**2,292,787.10**
कुल वित्तीय देनदारियाँ					

(रू. लाख में)

विवरण (31 मार्च, 2019)	परिशोधित लागत	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पी एंड एल के माध्यम से	
वित्तीय संपत्तियाँ					
नकद और नकद समकक्ष	55,730.76				55,730.76
निर्धारित बैंक बैलेंस	49,603.78				49,603.78
व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (साधन)			14,858.27	574.29	15,432.55
व्यापार प्राप्य	239.59				239.59
ऋण	2,098,598.17				2,098,598.17
निवेश		12.00			12.00
अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	2,847.34				2,847.34
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	**2,207,019.63**	**12.00**	**14,858.26**	**574.29**	**2,222,464.18**
वित्तीय देनदारियाँ					
व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण (साधन)			25,045.83	1,546.53	26,592.36
व्यापार देय	12,616.57				12,616.57
ऋण प्रतिभूतियाँ	761,246.83				761,246.83
उधार (ऋण प्रतिभूति के अलावा)	1,099,076.95				1,099,076.95
अधीनस्थ देनादारियां	14,967.88				14,967.88
अन्य वित्तीय देनदारियां	87,620.19				87,620.19
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**1,975,528.42**	**-**	**25,045.83**	**1,546.53**	**2,002,120.78**

ii. उचित मूल्य पदानुक्रम

यह खंड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए किए गए निर्णय और अनुमानों की व्याख्या करता है जो –

क) उचित मूल्य पर स्वीकृत किए तथा मापे जाते हैं, और

ख) परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए जाने वाले इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर पर आधारित एक स्पष्टीकरण तालिका के नीचे दिया गया है।

ग) भौतिकता को देखते हुए, हमने कर्मचारी ऋण और सुरक्षा जमाओं की छूट को नजरअंदाज कर दिया है।

कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी साधन, ट्रेडेड बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी उद्धृत कीमत होती है। सभी इक्विटी साधनों (बॉन्ड्स सहित) का उचित मूल्य जिनका कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है उनके मूल्य का निर्धारण विचाराधीन अवधि के अंत में समापन मूल्य का उपयोग करके किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स का मूल्य निर्धारण एनएवी समापन का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: इसके लिए रिकॉर्ड किए हुए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले सभी इनपुट्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होते हैं।

स्तर 3: ऐसी तकनीक जिसमें इनपुट्स का उपयोग किया जाता है, जो रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है जो कि गैर–सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे अवलोकन योग्य बाजार डाटा पर आधारित नहीं होती है।

क) वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31 मार्च, 2020 तक*

(रू. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय संपत्तियाँ :–			
हेजेज के रूप में नामित डेरिवेटिव्ज			
मूल धन केवल स्वैप	-	-	60,797.70
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	4,265.21
हेजेज के रूप में नामित न किए गए डेरिवेटिव्ज			
मूल धन केवल स्वैप	-	-	6,193.07
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	-	-	**71,255.99**
वित्तीय देनदारियाँ			
हेजेज के रूप में नामित डेरिवेटिव्ज			
मूल धन केवल स्वैप	-	-	6,788.00
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
हेजेज के रूप में नामित न किए गए डेरिवेटिव्ज			

(रू. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
मूल धन केवल स्वैप	-	-	-
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियाँ	-	-	**6,788.00**

*राशियों को उनके उचित मूल्य पर दिखाया जाता है.

ऐसी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिन्हें परिशोधित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है

(रू. लाख में)

31 मार्च, 2020 तक*	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय संपत्तियाँ			
परिशोधन पर आधारित वित्तीय संपत्तियाँ:			
कंपनियों को लोन	-	-	2,276,461.95
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	-	-	**2,276,461.95**
वित्तीय देनदारियाँ			
परिशोधन पर आधारित वित्तीय देनदारियाँ:			
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	926,758.64
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	1,243,625.87
अधीनस्थ देनदारियाँ	-	-	14,970.00
कुल वित्तीय देनदारियाँ	-	-	**2,185,354.50**

*राशियों को उनके उचित मूल्य पर दिखाया जाता है.

ख. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31 मार्च, 2020 तक*

(रू. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय संपत्तियाँ :–			
हेजेज के रूप में नामित डेरिवेटिव्ज			
मूल धन केवल स्वैप	-	-	13,675.53
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	1,182.74
हेजेज के रूप में नामित न किए गए डेरिवेटिव्ज			
मूल धन केवल स्वैप	-	-	574.29
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	-	-	**15,432.55**
वित्तीय देनदारियाँ			
हेजेज के रूप में नामित डेरिवेटिव्ज			
मूल धन केवल स्वैप	-	-	24,849.06
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	196.77

(रू. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
हेजेज के रूप में नामित न किए गए डेरिवेटिव्ज			
मूल धन केवल स्वैप	-	-	1,546.53
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**26,592.36**

*राशियों को उनके उचित मूल्य पर दिखाया जाता है.

ऐसी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिन्हें परिशोधित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है

(रू. लाख में)

31 मार्च, 2020 तक*	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय संपत्तियाँ			
परिशोधन पर आधारित वित्तीय संपत्तियाँ:			
कंपनियों को लोन	-	-	2,086,037.32
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	**-**	**-**	**2,086,037.32**
वित्तीय देनदारियाँ			
परिशोधन पर आधारित वित्तीय देनदारियाँ:			
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	761,246.83
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	1,099,076.95
अधीनस्थ देनदारियाँ	-	-	14,967.88
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**1,875,291.66**

*राशियों को उनके उचित मूल्य पर दिखाया जाता है.

III उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

एमटीएम गणना, रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया डेरिवेटिव साधन के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन पर आधारित होती है.

रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण.

महत्वपूर्ण अवलोकनहीन इनपुट्स (स्तर 3) का उपयोग करके उचित मूल्य माप

ऐसी पूर्व–कर दर, जो मौजूदा बाजार में मुद्रा के वास्तविक मूल्य के आँकलनों और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाती हो.

निम्न तालिका 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए स्तर 3 को आइटम्स में परिवर्तन प्रस्तुत करती है:

(रू. लाख में)

विवरण	डेरिवेटिव साधन	डेरिवेटिव वस्तु
डेरिवेटिव लेखांकन में डेरिवेटिव सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ / (हानियाँ)	7,165.32	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत लाभ / (हानियाँ)	68,462.48	(28,982.87)

(रू. लाख में)

विवरण	डेरिवेटिव साधन	डेरिवेटिव वस्तु
31 मार्च 2020 तक	**75,627.80**	**(28,982.87)**
डेरिवेटिव लेखांकन में डेरिवेटिव सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ / (हानियाँ)	3,434.80	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत लाभ / (हानियाँ)	(3,098.18)	6,213.49
31 मार्च 2019 तक	**336.62**	**6,213.49**

IV मूल्यांकन प्रक्रियाएँ

हेज समझौते के एमटीएम मूल्य के मूल्यांकन के लिए, इरेडा स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन, जो विनिमय दर आदि में बाजार की स्थिति में उतार–चढ़ाव पर विचार के बाद इस तरह के मूल्यांकन प्रदान करते हैं.

V परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
वित्तीय संपत्तियाँ	**कैरीइंग अमाउंट**	**लेन–देन का मूल्य**	**कैरीइंग अमाउंट**	**लेन–देन का मूल्य**
परिशोधित लागत पर आधारित वित्तीय संपत्तियाँ:				
कंपनियों को लोन	2,276,461.95	2,282,037.04	2,086,037.32	2,089,697.59
कुल वित्तीय संपत्तियाँ	**2,276,461.95**	**2,282,037.04**	**2,086,037.32**	**2,089,697.59**

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
वित्तीय देनदारियाँ	**कैरीइंग अमाउंट**	**लेन–देन का मूल्य**	**कैरीइंग अमाउंट**	**लेन–देन का मूल्य**
परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ:				
ऋण प्रतिभूतियाँ	926,758.64	927,565.46	761,246.83	762,265.46
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,243,625.87	1,243,632.70	1,099,076.95	1,099,086.95
अधीनस्थ देनदारियाँ	14,970.00	15,000.00	14,967.88	15,000.00
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**2,185,354.50**	**2,186,198.16**	**1,875,291.66**	**1,876,352.41**

व्यापार प्राप्य, व्यापार के भुगतान, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक बैलेंस, अन्य वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के कैरीइंग अमाउंट को उनके अल्पकालिक स्वरूप के कारण उनके उचित मूल्यों के समान ही माना जाता है.

उधार के लिए उचित मूल्य, कंपनियों को ऋण, ऋण प्रतिभूतियों की गणना, वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है. उन्हें अपने क्रेडिट जोखिम सहित अवलोकनहीन इनपुट्स के समावेश के कारण, उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

गैर–वर्तमान उधारों के उचित मूल्य, मौजूदा उधार दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह पर आधारित हुआ करता हैं. उन्हें अपने क्रेडिट जोखिम सहित अवलोकनहीन इनपुट्स के उपयोग के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

39. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम को जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, पहचान माप एवं निगरानी के माध्यम से जोखिम सीमाओं और अन्य नियंत्रणों के अधीन प्रबंधित किया जाता है. निदेशक मंडल, समग्र जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण एवं जोखिम प्रबंधन रणनीतियों तथा सिद्धांतों को अनुमोदित करने के लिए जिम्मेदार है.

जोखिम समिति के पास जोखिम रणनीति तय करने और सिद्धांतों, फ्रेमवर्क, नीतियों और सीमाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होती है. जोखिम समिति, जोखिम से संबंधित निर्णयों का प्रबंधन करने, जोखिम स्तर की निगरानी करने तथा बोर्ड को उसे रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है. कंपनी का वित्त एवं कोष विभाग, अपनी संपत्तियों तथा देयता और समग्र वित्तीय संरचना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है. वित्त एवं कोष, कंपनी की फंडिंग और तरलता के लिए भी जिम्मेदार होता है.

कंपनी की गतिविधियाँ ही उसे बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और क्रेडिट जोखिम से दो–चार करती हैं. कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा जोखिम से दो–चार होने को हेज करने के लिए, विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय साधन, कंपनी में स्थापित किए गए है. डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल विशेष रूप से हेजिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है और न कि ट्रेडिंग या आशान्वित व्यापार संबंधी साधन के रूप में. एक विदेशी मुद्रा एवं डेरिवेटिव्स जोखिम प्रबंधन नीति, एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति कंपनी में मौजूद है तथा मुद्रा एवं ब्याज दर के जोखिम को कम/समाप्त करने के लिए हेजिंग साधनों का उपयोग किया जाता है.

यह नोट जोखिम के स्रोतों के बारे में बताता है, जिनसे कंपनी दो–चार होती है और ये कि कैसे कंपनी वित्तीय विवरणों में, जोखिम तथा हेज लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन करती है.

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला एक्सपोजर	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति. (ऋण और एड्वांस), व्यापार प्राप्य, डेरिवेटिव वित्तीय साधन,	एजिंग विश्लेषण क्रेडिट रेटिंग्स	बैंक जमाओं, क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, लेटर ऑफ क्रेडिट, हेजिंग ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग की विविधता
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	रोलिंग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम– विदेशी मुद्रा विनिमय	विदेशी मुद्रा विनिमय दर के कारण वित्तीय साधन का उचित मूल्य या भविष्य में नकदी प्रवाह में में उतार–चढ़ाव होगा	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा अनुबंध
बाजार जोखिम दर	परिवर्तनीय दरों पर दीर्घकालिक उधार	संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर स्वैप्स
बाजार जोखिम– सुरक्षा मूल्य	वाणिज्यिक पत्र में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण

क ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम, उधार परिचालन में निहित जोखिम होता है और उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में कमी तथा उधारकर्ताओं द्वारा चुकौती में बकाये के जोखिम से उत्पन्न होता है. क्रेडिट जोखिम का आँकलन करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली कंपनी में चलन में है. अन्य क्रेडिट जोखिम शमन उपायों के साथ–साथ जोखिम कम करने के लिए, परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाहरी एजेंसियों द्वारा रेटिंग तथा क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन, उपयुक्त स्ट्रक्चरिंग इस प्रक्रिया में शामिल है.

कंपनी साझा क्रेडिट जोखिम विशेषता के आधार पर अपने जोखिमों को अपने छोटे–छोटे समरूप पोर्टफोलियो में विभाजित करती है, जैसाकि निम्नलिखित क्रम में नीचे उल्लिखित है:

- सुरक्षित / असुरक्षित अर्थात् ऋण सुरक्षित हैं या नहीं, इस पर आधारित.
- सुरक्षा का स्वरूप अर्थात् सुरक्षा का स्वरूप यदि ऋण निश्चित तौर पर सुरक्षित हों.
- ऋण का स्वरूप अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जिसमें ऋण को बढ़ाया गया है.

वित्तीय साधन की शेष अवधि से इतर होने वाले बकाया के जोखिम में परिवर्तन पर विचार करके प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक शुरुआती पहचान किए जाने तक क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हो चुकी है या नहीं, इसका आँकलन किया गया है. यह निर्धारित करने में कि शुरुआती पहचान तक बकाया जोखिम काफी बढ़ गया है, कंपनी 30 दिनों से अधिक के अतिदेय को एक पैरामीटर के रूप में मानती है. इसके अतिरिक्त, कंपनी किसी भी अन्य अवलोकन योग्य इनपुट को क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत मानती है.

जब कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि तक हानि का वस्तुनिष्ठ प्रमाण होता है, तो कंपनी बकाया की स्थिति में, एक वित्तीय साधन को परिभाषित करती है. उसके तहत इन ऋणों का मूल्यांकन चरण III के अंतर्गत परियोजना के बकाया होने के समय, प्रदर्शन/संचालन की बुनियाद पर केस–टू–केस आधार पर किया जाता है.

कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और एड्वांस के प्रावधान को मान्यता दी है.

संपार्श्विक और अन्य ऋण वृद्धि

अपेक्षित संपार्श्विक की राशि और स्वरूप, क्रेडिट जोखिम के आँकलन पर निर्भर करता है. संपार्श्विक (कोलैटरल) के मुख्य प्रकार हैं – एफडीआर/बीजी, केस–टू–केस के आधार पर प्रमोटर से जुड़ी अचल संपत्ति और कॉर्पोरेट गारंटी पर चार्ज.

क) कंपनी व्यक्तिगत काउंटर पार्टियों तथा उद्योग सांद्रताओं के लिए स्वीकार करने जा रही उस जोखिम की राशि पर सीमाएँ निर्धारित करने के साथ ही उन सीमाओं से संबंधित खतरों की निगरानी करके क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करती है और उसे नियंत्रित करती है.

i. अपेक्षित क्रेडिट घाटे के लिए प्रावधान

चरण	श्रेणी	श्रेणी का विवरण	चरण
चरण 1	मानक संपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ काउंटर–पार्टी के पास दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता हो और जहाँ बकाया का जोखिम नगण्य या शून्य/नियमित रूप से भुगतान करने वाली संपत्तियाँ हों	12 महीने ईसीएल
चरण 2	बढ़ी हुई क्रेडिट जोखिम वाले ऋण	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रारंभिक मान्यता के बाद से ही क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो.	पूरी अवधि के दौरान अपेक्षित ऋण हानियाँ
चरण 3	ऋण– असमर्थ	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ बकाया और बट्टे खाते में डाले जाने की उच्च संभावना हो जहाँ वसूली की कम संभावना हो.	पूरी अवधि के दौरान अपेक्षित ऋण हानियाँ

ii महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

वित्तीय संपत्तियों की क्षति

क) ऋण के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल)

(रू. लाख में)

चरण	संपत्ति समूह	31 मार्च, 2020 तक ऋण पोर्टफोलियो	मार्च 31,2020 तक ईसीएल
चरण I	ऋण	1,852,982.99	18,357.73
चरण II	ऋण	257,070.49	25,070.51
चरण III	ऋण	237,300.16	73,554.10
कुल		**2,347,353.64***	**116,982.34**

*7,235.69 लाख के बैलेंस फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन (एफआईटीएल) को छोड़कर जिसके बराबर देनदारी बहियों में अस्तित्व में है।

(रू. लाख में)

चरण	संपत्ति समूह	31 मार्च, 2019 तक ऋण पोर्टफोलियो	मार्च 31,2019 तक ईसीएल
चरण I	ऋण	1,345,550.58	12.15
चरण II	ऋण	783,158.15	46,091.52
चरण III	ऋण	10,158.17	10,158.17
कुल		**2,138,866.89**	**56,261.84**

ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानिः

(रू. लाख में)

एजिंग (मार्च 31, 2020 तक)	देय नहीं	0–30 दिन पीछे देय	31–60 दिन पीछे देय	91–120 दिन पीछे देय	120 दिनों से अधिक पीछे देय	कुल
सकल कैरिइंग अमाउंट'	311.96	-	-	-	-	311.96
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियों का कैरिइंग अमाउंट (हानि का नेट)	311.96	-	-	-	-	311.96
बैलेंस 31 मार्च, 2020 तक	**311.96**	-	-	-	-	**311.96**

*सौर संयंत्र परिसंपत्तियों के लिए प्राप्य व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है.

(रू. लाख में)

एजिंग (मार्च 31, 2020 तक)	देय नहीं	0–30 दिन पीछे देय	31–60 दिन पीछे देय	91–120 दिन पीछे देय	120 दिनों से अधिक पीछे देय	कुल
सकल कैरिइंग अमाउंट'	217.40	-	-	-	-	217.40
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियों का कैरिइंग अमाउंट (हानि का नेट)	217.40	-	-	-	-	217.40
बैलेंस 31 मार्च, 2019 तक	**217.40**	-	-	-	-	**217.40**

*सौर संयंत्र परिसंपत्तियों के लिए प्राप्य व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है.

ख. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम, अल्पकालिक और दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने में असमर्थता को कहते हैं, जब भी कभी वे देय हो जाएँ.

तरलता गैप विश्लेषण द्वारा तरलता की निगरानी की जाती है. तरलता जोखिम को कई रणनीतियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जैसे कि दीर्घकालिक संसाधन जुटाना, अनुमानित संवितरण एवं परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर संसाधन जुटाना.

(i) वित्तीय व्यवस्थाएँ

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कंपनी के पास अनाहरित उधार लेने की सुविधा उपलब्ध थी:

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2010	31 मार्च 2019
अस्थाई दर		
एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएँ)	-	-
एक वर्ष बाद समाप्त होने वाले (बैंक ऋण)	75,000.00	24,500.00
एक वर्ष बाद समाप्त होने वाले (वित्तीय संस्थान)	216,173.52	51,657.06

कंपनी ने संबंधित बैंकों के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) प्लस कीमत–लागत अंतर के आधार पर बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के रूप में कुल मिलाकर ₹34,800.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 34,800.00 लाख) निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद ओवरड्राफ्ट को नवीनीकृत किया जाता है. निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद ओवरड्राफ्ट का नवीनीकरण किया जाता है।

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाओं में कंपनी की वित्तीय देनदारियों को उनकी संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों के भीतर सभी गैर–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों हेतु विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए नकदी प्रवाह के समय की समझ हेतु संविदात्मक परिपक्वताएँ आवश्यक हैं.

तालिका में बताई गई राशियाँ अनुबंधित डिस्काउंटेड नकदी प्रवाह हैं.

31 मार्च, 2020 तक

(रू. लाख में)

विवरण	1–7 दिन	8–14 दिन	15–30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने –2 महीने से अधिक	2 महीने –3 महीने से अधिक	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
उधारियाँ	0.00	-	-	-	6,891.09	22,860.88	3,843.20	308,021.71	95,458.59	655,828.10	1,122,903.57
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	-	-	5,496.89	4,152.48	16,360.17	9,154.31	33,193.70	152,037.21	128,822.18	714,077.65	1,063,294.58

31 मार्च, 2019 तक

(रू. लाख में)

विवरण	1–7 दिन	8–14 दिन	15–30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने –2 महीने से अधिक	2 महीने –3 महीने से अधिक	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
उधारियाँ	1,176.09	-	-	-	2,559.92	8,475.62	29,987.76	69,516.44	295,705.49	477,881.64	885,302.96
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	-	-	27,236.20	-	20,971.67	53,838.65	90,502.50	340,692.64	63,937.26	393,870.51	991,049.45

ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, मुख्य रूप से ब्याज दर और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव के कारण पैदा होने वाली नुकसान की संभावना को कहते हैं. ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी समय–समय पर बाजार की स्थितियों और उधार की बढ़ती लागत के आधार पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है.

I. विदेशी मुद्रा जोखिमः

कंपनी के पास अपने संसाधनों के बास्केट के हिस्से के रूप में विदेशी ऋण देने वाली एजेंसियों से उधार के रूप में विदेशी मुद्रा का एक्सपोजर है। देश से बाहर के बेड़े फ्लोज के साथ मिलकर होने वाली परिवर्तनशीलता से इरेडा की बैलेंस शीट विनिमय दर के जोखिम से संवेदनशील बन सकती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपनी नीति के अनुसार, कंपनी ब्याज दर और मुद्रा स्वैप्स (डेरिवेटिव लेन–देन) के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करती है। कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर उचित मूल्य पर किए गए इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों में अलग–अलग परिपक्वताएँ होती हैं।

क. विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजरः

व्यक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम भारतीय रुपये में इस प्रकार हैः

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
	यूएसडी	यूरो	जेपीवाई	यूएसडी	यूरो	जेपीवाई
वित्तीय संपत्तियाँ						
विदेशों में बैंक बैलेंस	7,800.38	-	-	7,687.43	-	-
डेरिवेटिव संपत्तियाँ						
विदेशी मुद्रा विनिमय (स्वैप) अनुबंध	54,669.80	490.95	16,095.24	10,325.95	748.96	4,357.63
वित्तीय देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा ऋण	359,140.32	286,463.22	417,691.05	334,297.01	303,271.94	353,480.50
डेरिवेटिव देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा विनिमय (स्वैप) अनुबंध	-	6,257.17	530.82	3,981.13	15,968.68	6,642.55
विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियाँ) के लिए शुद्ध एक्सपोजर	**297,877.83**	**292,228.53**	**401,919.78**	**320,310.75**	**318,491.65**	**355,765.42**
विदेशी मुद्रा जोखिम (संपत्ति) के लिए शुद्ध एक्सपोजर	-	-	-	-	-	-

ख. संवेदनशीलता

विनिमय दरों में बदलाव के कारण लाभ और हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गीय वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है। नीचे दी गई तालिका विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर भारतीय रुपये के विरुद्ध 5% के विदेशी मुद्रा विनिमय में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ और हानि के विवरण (लाभ/(–) हानि) पर प्रभाव प्रस्तुत करती है':

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	घटना	बढ़ना	घटना	बढ़ना
	विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण			
यूएसडी संवेदनशीलता	(2,291.27)	2,291.27	(2,053.11)	2,053.11
ईयूआर संवेदनशीलता	5,338.06	(5,338.06)	5,275.59	(5,275.59)
जेपीवाई संवेदनशीलता	7,703.58	(7,703.58)	6,924.35	(6,924.35)

*अन्य सभी परिवर्ती राशियों को स्थिर रखना

II. नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जिससे कि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण, एक वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा. कंपनी के लिए बाजार के ब्याज दरों में परिवर्तन का जोखिम, फ्लोटिंग ब्याज दरों वाले लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित है. कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है.

कंपनी की निश्चित दर वाली उधार राशि को परिशोधित लागत पर लिया जाता है. इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं आते हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण, न तो कैरिइंग अमाउंट में और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में कोई उतार–चढ़ाव होगा.

क. ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक, ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति समूह की उधार का एक्सपोजर इस प्रकार है:

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
परिवर्तनीय दर उधार		
घरेलू	172,627.93	98,236.60
अंतरराष्ट्रीय	391,603.46	366,009.07
कुल उधारी	**564,231.39**	**464,245.67**

ख. संवेदनशीलता

ब्याज दरों में बदलाव के परिणामस्वरूप उधारों से उच्च/निम्न ब्याज व्यय के प्रति लाभ या हानि संवेदनशील होती है.

(रू. लाख में)

विवरण	कर के बाद लाभ पर पड़ने वाला प्रभाव	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
ब्याज दर – 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी'	(2,821.16)	(2,321.24)
ब्याज दर – 50 आधार अंकों की कमी'	2,821.16	2,321.24

*अन्य सभी परिवर्ती राशियों को स्थिर रखना।

ग) हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

डेरिवेटिव वित्तीय साधन और हेज लेखांकन

अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को हेज के लिए, कंपनी डेरिवेटिव वित्तीय साधनों, प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), क्रॉस मुद्रा और ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), क्रॉस, मुद्रा और क्रॉस मुद्रा विकल्प, संरचित/लागत में कमी करने वाले उत्पादों आदि का उपयोग करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेजेड आइटम और हेजिंग साधन के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से हेज अप्रभावीता, हेज संबंध की शुरुआत में निर्धारित की जाती है. कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियों को लागू करती है:

– महत्वपूर्ण शर्तों के मिलान विधि का उपयोग करके क्रॉस–करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के लिए, जो हेज किए गए आइटम की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हों, आर्थिक संबंध एवं हेज प्रभावशीलता गुणात्मक कारकों पर आधारित होते हैं।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि अंतर्निहित जोखिम और हेजिंग उपकरणों की काल्पनिक राशि हेजेड आइटम के लिए समरूप हैं।

नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में उतार–चढ़ाव:

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	15,674.72	12,559.49
हेजिंग साधनों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	68,462.48	(3,098.18)
लाभ और हानि खाते में पुनर्वर्गीकृत राशि	(28,982.87)	6,213.49
वर्ष के अंत में बैलेंस (कर से पहले)	**55,154.33**	**15,674.72**

बैलेंस शीट पर हेज अकाउंटिंग के प्रभावों का खुलासा:

31 मार्च 2020 तक

(रू. लाख में)

हेज और जोखिम का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग साधनों के उचित मूल्य में परिवर्तन
कैश फ्लो हेज				
विदेशी मुद्रा विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम				
क्रॉस करेंसी स्वैप्स				
यूएसडी	20–अक्टूबर –20 से 15–अप्रैल –2034	1 : 1	70.1854	40,439.14
ईयूआर	30–दिसम्बर –2020 से 31–मई –2029	1 : 1	81.3573	9,378.67
जेपीवाई	19–दिसंबर–2019 से 20–मार्च –2025	1 : 1	0.6430	14,538.71
ब्याज दर स्वैप्स				
यूएसडी	15–जून –2020 से 15–अक्टूबर –2026	1 : 1	67.0887	1,584.63
ईयूआर	31–मई –2020 से 30–जून –2024	1 : 1	73.2641	74.83
जेपीवाई	19–जून –2020 से 19–जून –2024	1 : 1	0.6195	2,446.50

31 मार्च 2020 तक (रू. लाख में)

हेज और जोखिम का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग साधनों के उचित मूल्य में परिवर्तन
कैश फ्लो हेज				
विदेशी मुद्रा विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम				
क्रॉस करेंसी स्वैप्स				
यूएसडी	15–अक्टूबर–2020 से 17–अक्टूबर–2033	1 : 1	66.3388	12,248.46
ईयूआर	30–जून –2019 से 31–मई –2029	1 : 1	80.7657	(16,144.68)
जेपीवाई	19–जून–2019 से 20–मई–2025	1 : 1	0.6148	(592.47)
ब्याज दर स्वैप्स	17–जून –2019 से 15–अक्टूबर –2026			
यूएसडी	30–नवंबर–2019 से 30–जून–2024	1 : 1	66.5646	1,875.69
ईयूआर	19–जून–2020 से 19–जून –2024	1 : 1	72.4481	(623.29)
जेपीवाई	19–जून–2020 से 19–जून–2024	1 : 1	0.6195	138.11

डेरिवेटिव्स के अनुमानित राशियों एवं कैरिइंग अमाउंट के विवरणों के लिए, कृपया नोट 4 – वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव वित्तीय साधन को देखें.

लाभ और हानि के विवरण पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव

31 मार्च 2020 तक (रू. लाख में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय के रूप में स्वीकृत हेजिंग साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज अप्रभावीता स्वीकृत	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
कैश फ्लो हेज				
विदेशी मुद्रा विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम	68,462.48	-	(28,982.87)	विदेशी मुद्रा रूपांतरण पर लाभ / हानि

31 मार्च 2020 तक (रू. लाख में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय के रूप में स्वीकृत हेजिंग साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज अप्रभावीता स्वीकृत	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
कैश फ्लो हेज				
विदेशी मुद्रा विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम	(3,098.18)	-	6,213.49	विदेशी मुद्रा रूपंतरण पर लाभ/हानि

40. पूँजी प्रबंधन

जोखिम प्रबंधनः

कंपनी की पूँजी प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य, नियामक पूँजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है. इस उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी हर समय पर्याप्त पूँजी सुनिश्चित करती है और अपने व्यवसाय को इस तरह से प्रबंधित करती है कि जिसमें पूँजी की रक्षा होती हो, संतोषजनक व्यापार वृद्धि सुनिश्चित होती हो, नकदी प्रवाह की निगरानी होती हो

और रेटिंग बनी रहती हो.

उद्योग में दूसरों के साथ संगत बनाए रखने के साथ–साथ कंपनी निम्नलिखित अनुपात के आधार पर पूँजी की निगरानी करती हैः कुल ऋण (कुल उधार) कुल 'इक्विटी' द्वारा विभाजित जैसा कि बैलेंस शीट में दिखाया गया है.

कंपनी की ऋण– इक्विटी अनुपात इस प्रकार हैः

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
लंबी अवधि का ऋण	2,185,354.50	1,875,291.66
इक्विटी (पूँजी रिजर्व सहित)	252,131.85	258,396.57
ऋण–इक्विटी अनुपात	**8.67**	**7.26**

41. वर्ष 2018–19 में, इरेडा को अग्रलिखित पत्र प्राप्त हुआ है. पत्र संख्या एफ.नं.आईएनवी/डीजीजीआई/डब्ल्यूआरयू/एसटी/06/2018–19/7336 दिनांक 24.12.2018, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, वारंगल, क्षेत्रीय इकाई के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी (एसआईओ) की ओर से, अवधि 01.04.2016 से 31.10.2018 के दौरान (वर्ष–वार) सरकार को भुगतान की गई गारंटी शुल्क/कमीशन के भुगतान के बारे में जानकारी माँगी गई है और सेवा कर/जीएसटी का भुगतान, यदि उक्त गारंटी शुल्क पर आरसीएम के आधार पर किया गया अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के साथ सरकार को भुगतान किया गया कमीशन और यदि भुगतान नहीं किया गया तो न करने के कारणों की बाबत पूछा गया है.

जीएसटी सलाहकार के परामर्श से जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक को जवाब प्रस्तुत किया गया था. इसके अलावा, जीएसटी प्राधिकरण, हैदराबाद द्वारा हमारी कंपनी का लिखित बयान दर्ज किया गया है. 12 मार्च, 2020 को, डीजीजीआई, हैदराबाद जोन के अधिकारियों ने उपरोक्त मामले पर चर्चा के उद्देश्य से इरेडा के पंजीकृत कार्यालय का दौरा किया. इस मामले को कानूनी राय के लिए भेजा गया था. राय के आधार पर, 502.54 लाख रुपये बहियों में देयता के रूप में प्रदान किए गए हैं और बाद में भुगतान किए गए हैं.

42. सेबी के दिशा–निर्देशों के तहत, "बड़ी संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूति जारी करके फंड जुटाने" पर आधारित जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती हैः

सेबी के परिपत्र सं. एसईबीआई / एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर /पी/2018/144 दिनांक 26 नवंबर, 2018 के अनुपालन में, इरेडा ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए उपरोक्त परिपत्र के तहत दिए गए प्रयोज्यता मानदंडों के अनुसार एक बड़े निकाय कॉर्पोरेट के रूप में अपनी पहचान बनाई है. तदनुसार निम्नलिखित का खुलासा किया जा रहा हैः

1. कंपनी का नामः भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लि.
2. सीआईएनः यू65100डीएल1987जीओआई027265
3. वित्तीय वर्ष 2020 के लिए रिपोर्ट दर्ज
4. उधारों के विवरणः

(रू. लाख में)

विवरण	विवरण
वित्त वर्ष (क) में किया गया वृद्धिशील उधार	313,238.09
ऋण प्रतिभूति जारी करने के माध्यम से किया जाने वाला अनिवार्य उधार (ख) = (क का 25%)	78,309.52
वित्त वर्ष (ग) में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से किए गए वास्तविक उधार	180,300.00
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में गिरावट, यदि कोई (घ) = (ख) – (ग)	-
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में, गिरावट के कारण	-

43. विंड वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के लिए भेजा गया है और एनसीएलटी द्वारा इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त किया गया है. उक्त कंपनी इरेडा द्वारा संस्थाओं को दिए गए ऋण के रूप में ₹14,380.15 लाख की राशि के लिए कॉर्पोरेट गारंटर के रूप में खड़ा है जो इसकी सहायक/सहयोगी हैं. सहायक के एक के खातों में से दो – एम/एस। विंड वर्ल्ड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल) के पास रू.11,630.15 लाख रुपये का बकाया है, जो वित्त वर्ष 2017–18 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल गया था।

44. कोविड 19 से संबंधित प्रकटीकरण

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकटीकरण के अनुसार परिपत्र ओआर.एन.पी.बी.सी. 63/21.04.048/2020–21 दिनांक 17 अप्रैल, 2020, को एसेट वर्गीकरण से संबंधित और कोविड –19 नियामक पैकेज के संदर्भ में प्रावधान इस प्रकार हैं:

(रू. लाख में)

सं0	विवरण	31 मार्च, 2020
(i)	एसएमए /अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशियाँ, जहाँ अधिस्थगन/ स्थगन बढ़ाया गया था	110,332.13
(ii)	संबंधित राशियाँ जहाँ परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया जाता है	110,332.13
(iii)	किए गए सामान्य प्रावधान'	-
(iv)	स्लिपेज और अवशिष्ट प्रावधानों के प्रति अवधि के दौरान समायोजित सामान्य प्रावधान	-

'कंपनी ने एनबीएफसी होने के नाते, भारतीय लेखा मानक और हानियों (इंपेयरमेंट्स) की स्वीकृति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया है.

(ख) कोविड–19 के प्रभाव के लिए प्रावधान

कोविड–19 वैश्विक महामारी दुनिया भर के साथ–साथ भारत में फैलती जा रही है. 24 मार्च, 2020 को, भारत सरकार ने शुरू में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में 19 दिनों तक के लिए और बढ़ा दिया गया था. सामान्य स्थिति में लौटने के लिए अपेक्षित समय के बारे में उच्च स्तर की अनिश्चितता है. कोविड–19 महामारी से कंपनी की संपत्ति के प्रावधान पर कितना असर पड़ेगा यह भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं. वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव, इन वित्तीय वक्तव्यों के अनुमोदन की तारीख तक लगाए गए अनुमानों से कहीं अलग हो सकता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी.

27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 के कोविड–19 विनियामक पैकेज से संबंधित आरबीआई दिशा–निर्देशानुसार, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 (''अधिस्थगन अवधि'') के बीच में पड़ने वाली अवधि के लिए, ऋण संस्थानों को सभी किश्तों और/या ब्याज के भुगतान पर, जो भी लागू हो, तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति दी गई है. ऐसे सभी खातों के लिए जहाँ अधिस्थगन प्रदान किया जाता है, स्थगन अवधि के दौरान संपत्ति वर्गीकरण स्थिर रहेगा.

कंपनी इस समय उपलब्ध सूचना के आधार पर कोविड–19 के संभावित प्रभाव के खिलाफ 31 मार्च, 2020 तक प्रावधान रखती है.

45. वित्त वर्ष के दौरान यूको बैंक और मेसर्स गंगाखेड सुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के अन्य बैंकरों द्वारा धोखाधड़ी का पता चला। यूको बैंक ने 11 मई, 2020 को खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया है, और ओबीसी ने 21 जनवरी, 2020 को उक्त खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया है। कंपनी ने ₹10,000.00 लाख रुपये के परियोजना ऋण को मंजूरी दी है। जिसमें से 31 मार्च, 2020 तक ₹5,107.95 लाख रुपये बकाया हैं। उक्त खाता 30 सितंबर, 2019 से कंपनी की बहियों में एनपीए है।

46. प्रकटीकरण – पीपीए मुद्दे से जुड़े एपी मामलों के लिए

निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय से 02 जनवरी, 2020 तक एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया है ताकि खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत न किया जा सके. तदनुसार, उधारकर्ता की बकाया ऋण चरण III एसेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही अतिदेय अधिक से अधिक 3 महीने पुरानी है। हालाँकि, कंपनी ने रुपये का पर्याप्त प्रावधान किया है। रू. 6,519.77 रुपये के स्थान पर परियोजनाओं की वित्तीय और परिचालन मापदंडों पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 2020 तक अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) के अनुसार खातों की बहियों में रू. 55,122.47 लाख।

(रू. लाख में)

परियोजना संख्या	उधारकर्ता का नाम	बकाया राशि	अतिदेय राशि	ईसीएल राशि
2330	अनन्तपुर ऊर्जा परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	13,677.03	1,274.83	1,367.72
2334	ज्वालय विंड प्राइवेट लिमिटेड	12,766.99	1,064.19	1,276.71
2286	एवलस विंड पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड	14,901.33	1,915.05	1,850.85
2311	एवलस विंड पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड	13,777.12	1,832.45	2,024.49
कुल:		**55,122.47**	**6,086.52**	**6,519.77**

47. खातों के समेकन के बारे में अनुसूची III के तहत आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रू. लाख में)

समूह में संस्था का नाम	नेट संपत्तियाँ, यानी कुल संपत्ति माइनस कुल देनदारियाँ		लाभ या हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी		कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी	
31 मार्च, 2020	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**
इरेडा	252,119.85	99.98	21,455.04	99.97	34,938.14	100	56,393.18	99.99
एम. पी. विंडफार्म्स लिमिटेड	55.95	0.02	6.39	0.03	-	-	6.39	0.01
कुल	**252,175.81**	**100**	**21,461.43**	**100**	**34,938.14**	**100**	**56,399.57**	**100**
समूह में संस्था का नाम	**नेट संपत्तियाँ, यानी कुल संपत्ति माइनस कुल देनदारियाँ**		**लाभ या हानि में हिस्सेदारी**		**अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी**		**कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी**	
31 मार्च, 2019	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**
इरेडा	258,384.57	99.98	24,990.60	100	2,475.68	100	27,466.28	100
एम. पी. विंडफार्म्स लिमिटेड	49.56	0.02	-3.73	-0.00	-	0	-3.73	-0.00
कुल	**258,434.13**	**100**	**24,986.87**	**100**	**2,475.68**	**100**	**27,462.55**	**100**

48. समूह में संस्था का नाम

क) पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

31.03.2020 तक

क्र सं	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत	अन्य					कुल				
	संपत्ति वर्गीकरण				मानक	उप–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उप–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण													
1	वित्त वर्ष की पहली अप्रैल, 2019 तक पुनर्गठित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	24				24	24				24
		बकाया राशि (लाख रुपये)			86,558.12				86,558.12	86,558.12				86,558.12
		उसमें प्रावधान (लाख रुपये)			5,303.55				5,303.55	5,303.55				5,303.55
2	वर्ष के दौरान ताजा पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	5				5	5				5
		बकाया राशि (लाख रुपये)			35,458.41				35,458.41	35,458.41				35,458.41
		उसमें प्रावधान (लाख रुपये)			1,695.75				1,695.75	1,695.75				1,695.75
3	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-				-	-				-
		बकाया राशि (लाख रुपये)			-				-	-				-
		उसमें प्रावधान (लाख रुपये)			-				-	-				-
4	पुनर्गठित मानक एड्वांसेज जो वित्त वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम भार को आकृष्ट करने के लिए समाप्त हो जाते हैं और इसलिए अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पुनर्गठित मानक एड्वांसेज के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए।	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-				-	-				-
		बकाया राशि (लाख रुपये)			-				-	-				-
		उसमें प्रावधान (लाख रुपये)			-				-	-				-

क्र सं	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत	अन्य					कुल				
	संपत्ति वर्गीकरण				मानक	उप–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उप–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण													
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	5				5	5				5
		बकाया राशि (लाख रुपये)			29,875.89				29,875.89	29,875.89				29,875.89
		उसमें प्रावधान (लाख रुपये)			1,254.19				1,254.19	1,254.19				1,254.19
6	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों के राइट–ऑफ	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-				-	-				-
		बकाया राशि (लाख रुपये)			-				-	-				-
		उसमें प्रावधान (लाख रुपये)			-				-	-				-
7	वर्ष के दौरान बंद हो गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-				-	-				-
		बकाया राशि (लाख रुपये)			-				-	-				-
		उसमें प्रावधान (लाख रुपये)			-				-	-				-
8	31 मार्च, 2020 तक पुनर्निर्मित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	24				24	24				24
		बकाया राशि (लाख रुपये)			92,140.64				92,140.64	92,140.64				92,140.64
		उसमें प्रावधान (लाख रुपये)			5,745.11				5,745.11	5,745.11				5,745.11

* स्टैंडर्ड रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस के आंकड़े को छोड़कर जो उच्च प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) को आकृष्ट नहीं करते हैं।

**उपरोक्त प्रावधान का प्रकटीकरण आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार किया गया है, हालाँकि कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और एड्वांसेज के प्रावधान को मान्यता दी है।

ख) पूँजी

क्र.स.	विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
1	सीआरएआर (%)*	14.34	16.32
2	सीआरएआर – टियर I पूँजी (%)	12.55	14.65
3	सीआरएआर – टियर II पूँजी(%)	1.79	1.67
4	टियर– II पूँजी के रूप में जुटाई गई अधीनस्थ ऋण की राशि (लाख रुपये)	14,970.00	14,967.88
5	स्थायी ऋण साधन के जारी करने के द्वारा राशि	-	-

*भारतीय लेखा मानक 12 "आयकर" के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित किए गए बचाकर रखे गए विशेष रिजर्व को आस्थगित कर देयता के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, सीआरएआर की गणना की गई है।

ग) निवेश

(रू. लाख में)

विवरण				31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(1)	निवेश का मूल्य				
	(i)	निवेश का सकल मूल्य			
		क)	भारत में		
			बैंकों के साथ अल्पावधि जमा	29,201.11	8,510.60
			एमआईबीओआर साथ लिंक्ड फ्लेक्सी जमा	20,692.47	7,984.35
			वाणिज्यिक पत्र (पूरी तरह से इम्पेर्ड)	6,899.11	6,899.11
			उपरोक्त वस्तुओं पर उपार्जित ब्याज	752.70	93.24
		ख)	भारत के बाहर,	-	-
	(ii)	मूल्यह्रास का प्रावधान			
		क)	भारत में	6,899.11	6,899.11
		ख)	भारत के बाहर	-	-
	(iii)	निवेश का शुद्ध मूल्य			
		क)	भारत में	50,646.27	16,588.19
		ख)	भारत के बाहर.	-	-
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में पाए जाने वाले प्रावधानों उतार–चढ़ाव।				
	(i)	प्रारंभिक बैलेंस		6,899.11	-
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		-	6,899.11
	(iii)	घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का राइट–ऑफ/ राइट–बैक		-	-
	(iv)	समाप्ति के समय बैलेंस		6,899.11	6,899.11

घ) डेरिवेटिव

✦ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट/इंटरेस्ट रेट स्वैप

(रू. लाख में)

विवरण		31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(i)	स्वैप समझौतों के काल्पनिक प्रिंसिपल	840,534.25	780,508.48
(ii)	ऐसे घाटे जो अगर प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो खर्च हो जाएँगे	71,255.99	15,432.55
(iii)	स्वैप में प्रवेश करने पर लागू एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	एन.ए	एन.ए
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होने वाली क्रेडिट जोखिम की एकाग्रता	एन.ए	एन.ए
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	64,468.00	(11,159.81)

✦ एक्सचेंज–ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट (आईआर) डेरिवेटिव्स – शून्य

✦ डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) कंपनी ने ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और अन्य परिसंपत्ति–देयता बेमेल सहित विभिन्न बाजार जोखिमों को मान्यता दी।

(ii) सभी डेरिवेटिव सौदे विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति (एफएमसी) की देख–रेख में किए जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए, कंपनी ने आईएसडीए बैंकों के साथ दीर्घकालिक समझौते किए हैं ताकि डेरिवेटिव उपकरण के माध्यम से इस तरह के जोखिम को हेज किया जा सके।

(iii) कंपनी केस के आधार पर हेजिंग उपकरणों को अपनाकर एक्सचेंज के उतार–चढ़ाव के जोखिम से बचाव के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। इस संबंध में, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, इरेडा ने 5 मूल ऋणों के लिए 4 आईएसडीए बैंक के साथ 8 प्रिंसिपल ओनली स्वैप डील की है।

(iv) इरेडा में बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा एवं डेरिवेटिव्स रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है, इस तरह की पॉलिसी ओपन एक्सपोजर की अधिकतम अनुमेय सीमा को परिभाषित करती है जो कि विदेशी मुद्रा के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। 31 मार्च, 2020 तक इरेडा की विदेशी मुद्रा एक्सपोजर, कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का 24.58% (पिछले वर्षः 24.77%) है।

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा (पीओएस. सीसीआईआरएस) डेरिवेटिव्स	ब्याज दर (सीसीआईआरएस) डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक प्रिंसिपल राशि)		
	हेजिंग के लिए	€ 216,379,163.39 $ 526,906,001.58 ¥ 37,849,158,153	€ 11,114,906.03 $ 531,658,362.75 ¥ 3,516,445,185
	मूल्य (रुपये लाख में)	840,534.25	73,776.35

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा (पीओएस. सीसीआईआरएस) डेरिवेटिव्स	ब्याज दर (सीसीआईआरएस) डेरिवेटिव्स
(ii)	मार्क टू मार्केट पोजिशन		
	क) संपत्ति (+) (रुपये लाख में)	71,255.99	2,903.05
	ख) संपत्ति (-) (रुपये लाख में)	6,788.00	-
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	N.A.	N.A.
(iv)	अनहेजेड एक्सपोजर (प्रिंसिपल और पार्ट हेज के लिए हेज नहीं माना जाता है) (रुपये लाख में)	261,350.76	

ड) प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

प्रतिभूतिकरण से संबंधित ये प्रकटीकरण नीचे दिए गए प्रारूप में किए गए हैं:

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेन–देन के लिए लागू एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या'	-
2.	एसपीवी की प्रायोजित बहियों के अनुसार प्रतिभूतियों की कुल राशि	-
3.	बैलेंस शीट की तारीख तक एमआरआर के अनुपालन के लिए लागू एनबीएफसी द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि	
	क) ऑफ–बैलेंस शीट एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	-
	अन्य	-
	ख) ऑन–बैलेंस शीट एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	-
	अन्य	-
4.	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेन–देन के लिए एक्सपोजर की राशि	
	क) ऑफ–बैलेंस शीट एक्सपोजर	
	i) अपने स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	-
	नुकसान	-
	ii) थर्ड–पार्टी प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	-
	अन्य	-
	ख) ऑन–बैलेंस शीट एक्सपोजर	
	i) अपने स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	-
	अन्य	-
	ii) ऑन–बैलेंस शीट एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	-
	अन्य	-
केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेन–देन से संबंधित एसपीवी की रिपोर्ट यहाँ की जा सकती है		

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण

(रू. लाख में)

विवरण		31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध)	-	-
(iii)	समग्र प्रतिफल	-	-
(iv)	पहले के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
(v)	शुद्ध बही मूल्य के विरुद्ध समग्र लाभ /हानि	-	-

च) लागू एनबीएफसी द्वारा किए गए असाइनमेंट लेनदेन का विवरण

(रू. लाख में)

विवरण		31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	विक्रय किए गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध)	-	-
(iii)	समग्र प्रतिफल	-	-
(iv)	पहले के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
(v)	शुद्ध बही मूल्य के विरुद्ध समग्र लाभ /हानि	-	-

छ) खरीदे/बेचे गए गैर–निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण

- **खरीदे गए गैर–निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरणः**

(रू. लाख में)

विवरण			31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
1.	क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-*
	ख)	सकल बकाया	-	-*
2.	क)	इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्गठन किए गए खातों की संख्या	-	-
	ख)	सकल बकाया	-	-

रू.747.90 लाख रुपये का ऋण दूसरे बैंक से लिया गया जिसे उनकी पुस्तकों में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

- **बेचे जाने वाले वित्तीय संपत्तियों का विवरणः**

(रू. लाख में)

विवरण		31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
1.	बेचे गए खातों की संख्या	-	-
2.	सकल बकाया	-	-
3.	प्राप्त समग्र प्रतिफल	-	-

ज) एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कुछ आइटमों का एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पैटर्न

31 मार्च 2020 तक

(रू. लाख में)

विवरण	7 दिन तक	8–14 दिन	14 दिनों से अधिक–30/31 दिन	1 महीने से अधिक –2 महीने	2 महीने से अधिक –3 महीने	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमा	2.01	19,505.71	24,589.89	1,276.90	-	-	5,271.76	-	-	-	50,646.27
ब्याज सहित एड्वांसेज	1,355.30	1,089.14	1,110.51	3,043.90	9,972.26	78,647.55	252,343.97	458,349.02	289,768.57	1,206,237.52	2,301,917.72
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00
उधारियाँ	0.00	-	-	-	6,891.09	22,860.88	33,843.20	308,021.71	95,458.59	655,828.10	1,122,903.57
विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ	-	-	-	-	-	1,682.91	1,748.05	1,784.33	-	-	5,215.30
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	-	-	5,496.89	4,152.48	16,360.17	9,154.31	33,193.70	152,037.21	128,822.18	714,077.65	1,063,294.58

31 मार्च 2019 तक

(रू. लाख में)

विवरण	7 दिन तक	8–14 दिन	14 दिनों से अधिक–30/31 दिन	1 महीने से अधिक –2 महीने	2 महीने से अधिक –3 महीने	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमा	8,129.43	1,509.05	180.45	6,769.25	-	-	-	-	-	-	16,588.19
ब्याज सहित एड्वांसेज	1,807.35	2,890.91	30,525.98	2,292.47	45,288.85	150,523.78	264,666.60	279,064.89	256,513.84	1,067,249.56	2,100,824.24
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00
उधारियाँ	1,176.09	-	-	-	2,559.92	8,475.62	29,987.76	69,516.44	295,705.49	477,881.64	885,302.96
विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ	-	-	-	-	-	1,431.63	1,452.32	4,766.27	-	-	7,650.22
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	-	-	27,236.20	-	20,971.67	53,838.65	90,502.50	340,692.64	63,937.26	393,870.51	991,049.45

झ) एक्सपोजर्स

✦ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक्सपोजर

श्रेणी			31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
क.	प्रत्यक्ष एक्सपोजर			
	(i)	आवासीय गिरवी –		
		आवासीय संपत्ति पर गिरवी द्वारा पूरी तरह से प्रत्याभूतित उधार लेना जिस पर उधारकर्ता द्वारा कब्जा किया जाएगा या किराए पर दिया जाएगा	-	-
	(ii)	वाणिज्यिक रियल एस्टेट –		
		वाणिज्यिक रियल एस्टेट (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु–परिवार आवासीय भवन, बहु–किराए पर व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर गिरवी द्वारा प्रत्याभूतित ऋण देना। एक्सपोजर में गैर–निधि आधारित लिमिट्स भी शामिल होंगी।	-	-
	(iii)	गिरवी–समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतियों के एक्सपोजर		
		क आवासीय	-	-
		ख वाणिज्यिक रियल एस्टेट	-	-
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुल एक्सपोजर			-	-

✦ पूंजी बाजार के लिए एक्सपोजर

विवरण		31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, वह राशि जिसका कि कॉरपोरेट ऋण में विशेष रूप से निवेश न किया गया हो	-	-
(ii)	शेयरों/बॉन्ड्स/डिबेंचर्स या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या शेयरों में निवेश के लिए व्यक्तियों हेतु एक स्वच्छ आधार पर एड्वांसेज (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचर्स और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-	-
(iii)	किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए एड्वांसेज जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचर्स या इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	-	-
(iv)	स्टॉकब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी प्रत्याभूतियाँ और स्टॉकब्रोकर्स को दिए जाने वाले प्रतिभूतित एवं अप्रतिभूतित एड्वांसेज	-	-
(v)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, वह राशि जिसका कि कॉरपोरेट ऋण में विशेष रूप से निवेश न किया गया हो	-	-
(vi)	शेयर्स की प्रतिभूति/डिबेंचर्स बॉन्ड्स या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अथवा संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रमोटर्स के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट्स के लिए स्वीकृत ऋण	-	-

विवरण		31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(vii)	अपेक्षित इक्विटी फ्लोज/निर्गमन के विरुद्ध कंपनियों को ब्रिज लोन	-	-
(viii)	वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए सभी एक्सपोजर्स (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	-	-

ट) मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण,

एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण लागू एनबीएफसी से अधिक है

✦ 31.03.2020 तक के अनुसार, सीमाओं से अधिक के एकल एक्सपोजर्स की सूची (रू. लाख में)

क्र. सं.	नाम	क्षेत्र	एक्सपोजर	% [शुद्ध मूल्य (₹ लाख)* –258,396.57]
1	आंध्र प्रदेश लिमिटेड की साउथर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	अल्पावधि	87,500.00	33.86%
2	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अल्पावधि	83,000.00	32.12%
3	एज्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एसपीवी	53,346.30	20.65%

*31.03.2019 तक शुद्ध मूल्य।

✦ 31.03.2019 तक के अनुसार, सीमाओं से अधिक के एकल एक्सपोजर्स की सूची (रू. लाख में)

क्र. सं.	नाम	क्षेत्र	प्रिंसिपल ओ. एस.	% [शुद्ध मूल्य (₹ लाख)* –258,396.57]
1	सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	अल्पावधि	61,091.53	25.11%
2	एज्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एसपीवी	55,237.20**	22.70%

*31.03.2018 तक शुद्ध मूल्य।

*कंपनी अन्य संस्थानों के लिए डाउन–सेल एक्सपोजर की प्रक्रिया में है।

✦ 31.03.2020 तक के अनुसार, सीमाओं से अधिक के समूह एक्सपोजर्स की सूची (रू. लाख में)

क्र.सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर	% [शुद्ध मूल्य (₹ लाख)* –258,396.57]
1	एसीएमई समूह	122,403.50	47.37%
2	आरईएनईडब्ल्यू समूह	104,266.40	40.35%

*31.03.2019 तक शुद्ध मूल्य।

✦ 31.03.2019 तक के अनुसार, सीमाओं से अधिक के समूह एक्सपोजर्स की सूची (रू. लाख में)

क्र.सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर	% [शुद्ध मूल्य (₹ लाख)* –243,336.36]
1	सुजलॉन ग्रुप	101,051.63	41.53%
2	एज्योर समूह	95,039.00	39.06%
3	एमवाईटीआरएएच समूह	89,243.00	36.67%
4	ईसीओआरईएन समूह	87,883.00	36.12%

*31.03.2018 तक शुद्ध मूल्य।

ठ) **विविध**

अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों से प्राप्त पंजीकरणः

क्र.सं.	नियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण के विवरण
1	कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U65100DL1987GOI027265
2	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	14.000012
3	लीगल एंटिटी आईडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई नंबर	335800AXWFKW4BC99J48

- आरबीआई और अन्य नियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माने का खुलासाः शून्य।
- कंपनी मैसर्स एमपी विंड फार्म लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए भारतीय लेखा मानक प्रमाणित खातों पर आधारित इक्विटी पद्धति के अनुसार भारतीय लेखा मानक – 28 के अनुसार एसोसिएट कंपनी में निवेश के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है।
- कंपनी के पास विदेशों में ज्वाइंट वेंचर्स/सहायक कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।
- कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई ऑफ–बैलेंस शीट एसपीवी नहीं हैं।
- **वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान शिकायतों का प्रकटीकरणः**

ग्राहक शिकायतें

क)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या (01.04.2019)	-
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1
ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	1
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (31.03.2020)	-

ड) **वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग और रेटिंग का माइग्रेशन**

इरेडा ने कर योग्य /कर–मुक्त/मसाला बॉन्ड/बैंक ऋण जारी करने के द्वारा संसाधन जुटाए हैं जिसके लिए उसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से इन निर्गमनों के लिए रेटिंग्स प्राप्त हुई हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

- **कर–मुक्त बांड्स/कर योग्य बॉन्ड**

	साधन/प्रयोजन/जारी करना	रेटिंग
आईसीआरए लिमिटेड	कर मुक्त बॉन्ड्स (₹200,000.00 लाख) राजकोषीय 2015–16 सीरीज XIV (सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट)	आईसीआरए एए+(नकारात्मक) पुनः पुष्टि की गई
	कर योग्य ग्रीन बांड्स (₹70,000.00 लाख) राजकोषीय 2016–17 सीरीज VI-V तथा VI-बी	आईसीआरए एए+(नकारात्मक) पुनः पुष्टि की गई

	साधन/प्रयोजन/जारी करना	रेटिंग
इंडिया रेटिंग्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	कर मुक्त बॉन्ड (₹200,000.00 लाख) राजकोषीय 2015–16 सीरीज XIV (सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट)	आईसीआरए एए +(नकारात्मक) पुनः पुष्टि की गई
	कर योग्य ग्रीन बांड्स (₹70,000.00 लाख) राजकोषीय 2016–17 सीरीज VI-V तथा VI-बी	आईसीआरए एए +(नकारात्मक) पुनः पुष्टि की गई
	कर योग्य बांड्स (₹86,500.00 लाख) राजकोषीय वर्ष 2018–19 सीरीज VII-V तथा VIIबी	आईएनडी एएए (नकारात्मक) पुनः पुष्टि की गई
	कर योग्य टियर– II उप ऋण (₹15,000.00 लाख) राजकोषीय 2018–19 सीरीज VIII	आईएनडी एएए (नकारात्मक) पुनः पुष्टि की गई
	कर योग्य बांड्स (₹180,300.00 लाख) राजकोषीय 19–20 सीरीज IX-V तथा IX-बी	आईएनडी एएए (नकारात्मक) पुष्टि की गई
सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड	कर योग्य बॉन्ड्स सीरीज III, IV और V (₹1,20,000.00 लाख)	सीएआरई एएए (सीई), स्थिर पुनः पुष्टि
	कर मुक्त बांड सीरीज तेरहवें सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट (रु 75,765.46 लाख वित्तीय वर्ष 13–14)	सीएआरई एएए (सीई), स्थिर पुनः पुष्टि
	कर योग्य ग्रीन बॉन्ड्स सीरीज VI-V तथा VIबी (₹70,000.00 लाख) राजकोषीय 2016–17	सीएआरई एए, स्थिर पुनः पुष्टि
ब्रिकवर्क रेटिंग्स	दीर्घकालिक कर योग्य बॉन्ड्स सीरीज III, IV तथा V (₹120,000.00 लाख)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर पुनः पुष्टि
	टैक्स फ्री बॉन्ड्स सीरीज– XIII सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट (₹75,765.46 लाख वित्तीय वर्ष 13–14)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई), स्थिर पुनः पुष्टि
	कर योग्य बॉन्ड्स (₹86,500.00 लाख) राजकोषीय 2019 सीरीज VIIA तथा VIIB	बीडब्ल्यूआर एएए, स्थिर पुनः पुष्टि
	कर योग्य टियर– II उप ऋण (₹15,000.00 लाख) राजकोषीय 2018–19 सीरीज आठवीं	बीडब्ल्यूआर एएए, स्थिर पुनः पुष्टि
	कर योग्य बॉन्ड (₹180,300.00 लाख) राजकोषीय 19–20 सीरीज IX-V – IX-बी	बीडब्ल्यूआर एएए, स्थिर पुनः पुष्टि

✦ **बैंक ऋण**

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	सावधि ऋण
ब्रिकवर्क रेटिंग	बीडब्ल्यूआर एएए उच्चारण बीडब्ल्यूआर ट्रिपल–ए) आउटलुकः स्थिर पुनः पुष्टि	✦ सावधि ऋण ने कुल ₹220,000.00 लाख। आवंटन का विवरणः • एचडीएफसी सावधि ऋणः ₹20,000.00 लाख • एसबीआई सावधि ऋणः ₹100,000.00 लाख • केनरा बैंकः ₹50,000.00 लाख • बैंक ऑफ बड़ौदाः ₹50,000.00 लाख ✦ वित्त वर्ष 20–21 में रेट किए गए ₹50,000.00 लाख का अतिरिक्त सावधि ऋण। आवंटन का विवरण हैः • बैंक ऑफ बड़ौदाः ₹50,000.00 लाख

- **मसाला बांड्स**

रेटिंग एजेंसिया	दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग – माइग्रेशन	राशि जुटाई
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस	बीएए3, आउटलुक नेगेटिव	यूएसडी 300 मिलियन
फिच रेटिंग	बीबी़, आउटलुक नेगेटिव (आउटलुक स्थिर से नकारात्मक में बदल गया)	यूएसडी 300 मिलियन

- **भारत सरकार पूर्णतः सेवा बांड्स**

रेटिंग एजेंसी	साधन / प्रयोजन / जारी करना	रेटिंग
सीएआरई रेटिंग लिमिटेड	भारत सरकार पूर्णतः सेवा बांड (₹164,000.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2016–17	एएए, स्थिर, पुनः पुष्टि
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड		
आईसीआरए लिमिटेड		

ढ. जमा, एड्वांसेज, एक्सपोजर और एनपीए की सांद्रता

- **एड्वांसेज की सांद्रता**

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एड्वांसेज	855,091.44	698,364.54
कुल एड्वांसेज में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को एड्वांसेज का प्रतिशत	36.31%	32.65%

- **एक्सपोजर की सांद्रता**

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल एक्सपोजर	863,180.39	716,620.16
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर लागू एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर के लिए बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को एक्सपोजर्स का प्रतिशत	36.66%	33.50%

- **एनपीए की सांद्रता**

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
कुल चार एनपीए खातों के लिए एक्सपोजर	79,428.54	59,595.92

✦ क्षेत्रवार एनपीए

क्र.सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल एड्वांसेज के एनपीए का %
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-
2.	एमएसएमई	-
3.	कॉर्पोरेट उधारकर्ता	10.08%
4.	सेवा	-
5.	असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण	-
6.	ऑटो ऋण	-
7.	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-

नोट – इरेडा, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से संबद्ध कॉर्पोरेट उधारकर्ता को वित्तपोषण करने के व्यवसाय में है, इसलिए कुल सकल एनपीए : को कॉर्पोरेट उधारकर्ता में दिखाया गया है।

✦ एनपीए का मूवमेंट

(रू. लाख में)

विवरण			31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(i)	शुद्ध एड्वांसेज का शुद्ध एनपीए (%)		7.18%	3.74%
(ii)	एनपीए (सकल) का मूवमेंट			
	क	प्रारंभिक बैलेंस	130,846.84	99,736.96
	ख	वर्ष के दौरान परिवर्धन	124,859.36	40,364.91
	ग	वर्ष के दौरान परिवर्धन	18,406.04	9,255.03
	घ	समाप्ति के समय बैलेंस	237,300.16	130,846.84
(iii)	नेट एनपीए का मूवमेंट			
	क	प्रारंभिक बैलेंस	77,981.67	59,124.44
	ख	वर्ष के दौरान परिवर्धन	104,145.05	34,407.60
	ग	वर्ष के दौरान कटौती (बी/एफ)	18,380.66	15,550.37
	घ	समाप्ति के समय बैलेंस	163,746.06	77,981.67
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों का मूवमेंट (मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर, फ्लोटिंग प्रावधान सहित)			
	क	प्रारंभिक बैलेंस	52,865.16	40,612.52
	ख	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	35,539.61	24,041.38
	ग	अतिरिक्त प्रावधानों का राइट–ऑफ / राइट–बैक	14,850.67	11,788.74
	घ	समाप्ति के समय बैलेंस	73,554.10	52,865.16*

*31 मार्च 2019 तक ₹2,776.40 लाख का फ्लोटिंग प्रावधान शामिल है।

ण. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई / 2019–20 / 88 डीओआर.एनबीएफसी (पीडी) सीसी नंबर 102 / 03.10.001 / 2019–20 दिनांक 04 नवंबर, 2019 के तहत प्रकटीकरण।

i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधारी दोनों) के आधार पर धन सांद्रता:

(रू. लाख में)

क्र.सं.	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या'	राशि	कुल जमा का %	कुल देयताओं का %
1	14	1,494,260.88	लागू नहीं	59.46%

ध्यान दें :

- एक ''महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष'' का मतलब है – एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डीएस कुल देनदारियों के 1% से अधिक, और एनबीएफसी लेने वाली अन्य गैर–जमा राशि के 10% से अधिक के लिए संबद्ध या संबद्ध समकक्षों का एकल प्रतिपक्ष या समूह।
- कुल देनदारियों की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और रिजर्व तथा अधिशेष को कम करके की गई है।

ii) शीर्ष 20 बड़े जमा:

(रू. लाख में)

क्र.सं.	बड़ी जमा	राशि	कुल जमा का %
लागू नहीं			

iii) शीर्ष 10 उधार:

(रू. लाख में)

क्र.सं.	उधारियाँ	राशि	कुल उधार का %
1	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)	208,950.00	9.56%
2	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए–II)	208,741.05	9.55%
3	7.125% ग्रीन मसाला बॉन्ड	194,309.26	8.89%
4	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)	161,340.90	7.38%
5	एशियाई विकास बैंक (एडीबी –II) से ऋण II	150,771.80	6.90%
6	8% कर योग्य बांड्स	99,975.90	4.57%
7	7.49% कर मुक्त बांड्स	88,426.52	4.05%
8	एसबीआई सावधि ऋण	84,993.17	3.89%
9	7.40% कर योग्य बांड्स	80,253.84	3.67%
10	एजेंस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी–II) से ऋण II	78,897.12	3.61%

iv) महत्वपूर्ण साधन / उत्पाद के आधार पर अनुदान सांद्रता:

(रू. लाख में)

क्र.सं.	साधन / उत्पाद की संख्या	राशि	कुल देयताओं का :
1	कर मुक्त बॉन्ड – गैर परिवर्तनीय रिडीमेंबल डिबेंचर (प्रतिभूतित)	275,765.46	10.97%
2	कर योग्य बॉन्ड्स – गैर परिवर्तनीय रिडीमेंबल डिबेंचर (प्रतिभूतित)	456,683.92	18.17%
3	मसाला बॉन्ड्स (अप्रतिभूतित)	194,309.26	7.73%
4	बैंकों से सावधि ऋण (अप्रतिभूतित)	398,570.53	15.86%

क्र.सं.	साधन / उत्पाद की संख्या	राशि	कुल देयताओं का :
5	बैंकों से ऋण (अप्रतिभूतित)	108,043.08	4.30%
6	दूसरों से ऋण (अप्रतिभूतित)	737,012.26	29.33%

नोट :

- एक ''महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष'' का मतलब है – एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डीएस कुल देनदारियों के 1% से अधिक, और एनबीएफसी लेने वाली अन्य गैर–जमा राशि के 10% से अधिक के लिए संबद्ध या संबद्ध समकक्षों का एकल प्रतिपक्ष या समूह।
- कुल देनदारियों की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और रिजर्व तथा अधिशेष को कम करके की गई है।
- एक ''महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष'' का मतलब है – एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डीएस कुल देनदारियों के 1% से अधिक, और एनबीएफसी लेने वाली अन्य गैर–जमा राशि के 10% से अधिक के लिए संबद्ध या संबद्ध समकक्षों का एकल प्रतिपक्ष या समूह।

v) स्टॉक अनुपातः

सं0	साधन / उत्पाद की संख्या	अनुपात
1	कुल सार्वजनिक धन के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं
2	कुल देनदारियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं
3	कुल संपत्ति के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं
4	कुल सार्वजनिक निधि के % के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	लागू नहीं
5	कुल देयताओं के % के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	लागू नहीं
6	कुल संपत्ति के % के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	लागू नहीं
7	अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कुल सार्वजनिक धन का % के रूप में कोई भी	5.09%
8	अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कुल देनदारियों का % के रूप में कोई है	4.43%
9	अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कुल संपत्ति का % के रूप में कोई भी	4.03%

ध्यान दें: अन्य वित्तीय और गैर–वित्तीय देनदारियों को भारत सरकार पूर्णतः सेवा बांड्स को छोड़कर, अन्य अल्पकालिक देनदारियों की गणना व्यापार कुल देय राशियों के रूप में की गई है।

vi) तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत सेट–अप

कंपनी के निदेशक मंडल ने एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, जोखिम प्रबंधन समिति और निवेश समिति का गठन किया है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, अन्य बातों के साथ–साथ, एसेट–लायबिलिटी प्रोफाइल, रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, फंडिंग, और कैपिटल प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग तथा ग्रोथ अनुमानों, विभिन्न परिदृश्यों का पूर्वानुमान और विश्लेषण, तथा आकस्मिक योजनाओं की तैयारी की समीक्षा करती है।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ–साथ, कंपनी के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी और माप करती है और कंपनी के एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करती है। कंपनी पर्याप्त नकदी / ट्रेजरी अधिभार को बनाए रखकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।

प्रबंधन नियमित रूप से नकदी और नकद समकक्ष की स्थिति की निगरानी करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और बैलेंस शीट तरलता के रखरखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन करता है। (एएलएम 1, 2, और 3 स्टेटमेंट की प्रस्तुति और निगरानी के माध्यम से)। कंपनी पहले से ही तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना और स्टॉक अनुपात के माध्यम से तरलता जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रक्रिया की स्थापना करके मौजूदा तरलता जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार पर काम कर रही है।

त. भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र संख्या आरबीआई / 2019–20 / 170 डीओ (एनबीएफसी). सीसी.पीडी. नंबर 109 / 22.10.106 / 2019– 20 दिनांक 13 मार्च, 2020 के तहत प्रकटीकरण:

(रू. लाख में)

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखा मानक के अनुसार सकल कैरीइंग अमाउंट	भारतीय लेखा मानक 109 के तहत अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	कैरीइंग अमाउंट	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखा मानक 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच में अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
फारमिंग संपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	1,852,982.99	18,357.73	1,834,625.26	24,184.57*	24,755.91
	चरण 2	257,070.49	25,070.51	231,999.98		
उप कुल		**2,110,053.48**	**43,428.24**	**2,066,625.24**	**24,184.57**	**24,755.91**
गैर–निष्पादित संपत्तियाँ (एनपीए)						
उपमानक	चरण 3	106,503.04	14,824.97	91,678.07	17,683.56	(2,858.59)
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3	45,136.43	7,662.54	37,473.89	12,875.49	(5,212.95)
1 से 3 साल	चरण 3	38,231.51	22,299.78	15,931.73	11,792.44	10,507.34
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	47,424.78	28,762.41	18,662.37	36,063.10	(7,300.69)
संदिग्ध के लिए उप–कुल		**130,792.72**	**58,724.73**	**72,067.99**	**60,731.03**	**(2,006.30)**
हानि	चरण 3	4.40	4.40	-	4.40	-
एनपीए के लिए सबटोटल		**237,300.16**	**73,554.10#**	**163,746.06**	**78,418.99**	**(4,864.89)**
अन्य वस्तुएं जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ आदि, जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंड के तहत शामिल नहीं हैं	चरण 1	106,997.55	541.07	106,456.48	-	541.07
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप योग		**106,997.55**	**541.07**	**106,456.48**	**-**	**541.07**
कुल	चरण 1	1,959,980.54	18,898.80	1,941,081.74	102,603.56	14,919.85
	चरण 2	257,070.49	25,070.51	231,999.98		
	चरण 3	237,300.16	73,554.10#	163,746.06		
	कुल	**2,454,351.19**	**117,523.41**	**2,336,827.78**	**102,603.56**	**14,919.85**

* पुनर्निर्धारण प्रावधान में विशेष कोविड–19 सामान्य प्रावधान शामिल हैं।

* ₹112.45 लाख के एनपीए खातों पर आकस्मिक शुल्क (डीआर. बैल.) पर प्रावधान को छोड़कर।

थ. आरबीआई अधिनियम, 1943 के अनुसार बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट नीचे दिया गया है।

इरेडा की बैलेंस शीट की अनुसूची

(रू. लाख में)

विवरण			बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष				
1	**गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और एड्वांसेज पर ब्याज का समावेश होता है, लेकिन भुगतान नहीं किया जाता है:**			
	क	डिबेंचरः प्रतिभूतित	750,562.03	-
		अप्रतिभूतित	216,008.66	-
		(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आनेवाले के अलावा)		
	ख	स्थगित क्रेडिट्स	-	-
	ग	सावधि ऋण	1,258,153.16	-
	घ	अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और उधार	-	-
	ड	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	च	सार्वजनिक जमा	-	-
	छ	अन्य ऋण ऋओवरड्राफ्ट	-	-
2	**ऊपर (1) (एफ) का ब्रेक–अप (बकाया राशि जमा सार्वजनिक ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया):**			
	क	अप्रतिभूतित डिबेंचर के रूप में	-	-
	ख	आंशिक रूप से प्रतिभूतित डिबेंचर के रूप में यानी डिबेंचर जहाँ प्रतिभूति के मूल्य में कमी है	-	-
	ग	अन्य सार्वजनिक जमा	-	-
संपत्ति साइड			**बकाया राशि**	
3	**ऋणों और एड्वांसेज का ब्रेक–अप, जिनमें बिल प्राप्य भी शामिल हैं (नीचे दिए गए (4) में शामिल हैं,:**			
	क	सुरक्षित		2,084,762.72
	ख	असुरक्षित		286,672.52
4	**लीज्ड एसेट्स का ब्रेक–अप और भाड़े पर स्टॉक और अन्य परिसंपत्तियाँ एएफसी गतिविधियों की ओर गिनती करते हुए**			
	(i)	विविध देनदारियों के तहत पट्टे पर किराये सहित संपत्ति		
		क वित्तीय पट्टा		-
		ख ऑपरेटिंग लीज		-
	(ii)	विविध ऋणी के तहत किराया शुल्क सहित किराया पर स्टॉकः		
		क भाड़े पर संपत्तियाँ		-
		ख प्रत्याशित संपत्तियाँ		-
	(iii)	अन्य ऋण एएफसी गतिविधियों की ओर गिनती करके		
		क ऋण जहां परिसंपत्तियों को वापस कर दिया गया हो		-
		ख ऊपर (ए) के अलावा अन्य ऋण		-

(रू. लाख में)

विवरण				बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष					
5	निवेश का ब्रेक–अप				
	वर्तमान निवेश				
	1.	उद्धरित			
		(i)	शेयर		
			क) इक्विटी		-
			ख) वरीयता		-
		(ii)	डिबेंचर और बांड्स		-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
		(v)	अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)		-
	2.	गैर उद्धृत			
		(i)	शेयर		
			(ग) इक्विटी		-
			(घ) वरीयता		-
		(ii)	डिबेंचर और बांड्स		-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
		(v)	अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)		
		अल्पावधि जमा (उपार्जित ब्याज के साथ)			50,646.27
		वाणिज्यिक पत्र (हानि पूरी तरह से प्रदान की गई)			6,899.11
	लंबी अवधि का ऋण				
	1	उद्धृत			
		(i)	शेयर		
			(ग) इक्विटी		-
			(घ) वरीयता		-
		(ii)	डिबेंचर और बांड्स		-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
		(v)	अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)		-
	2	गैर उद्धृत			
		(i)	शेयर		
			(ग) इक्विटी		12.00
			(घ) वरीयता		-
		(ii)	डिबेंचर और बांड्स		-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
		(v)	अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

(रू. लाख में)

ऊपर (3) और (4) के रूप में वित्तपोषित संपत्ति का उधारकर्ता समूह–वार वर्गीकरण

6	श्रेणी		राशि (प्रावधान का नेट) (रुपये लाख)		
			प्रतिभूतित	अप्रतिभूतित	कुल
	1	संबंधित पार्टियाँ			
		क सहायक	-	-	-
		ख एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
		ग अन्य संबंधित पक्ष	21.82	-	21.82
	2	संबंधित पक्षों के अलावा	2,011,074.34	286,672.52	2,297,746.86
	कुल		**2,011,096.16**	**286,672.52**	**2,297,768.68**
7	**शेयरों और प्रतिभूतियों में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) के निवेशक समूह–वार वर्गीकरण (उद्धृत और अउद्धृत):**				
	श्रेणी		**बाजार मूल्य / ब्रेक अप या उचित मूल्य या एनएवी**		**बही मूल्य (प्रावधान का नेट)**
	1	संबंधित पार्टियाँ			
		क सहायक	-		-
		ख एक ही समूह में कंपनियां	-		-
		ग अन्य संबंधित पक्ष	लागू नहीं		12.00
	2	संबंधित पक्षों के अलावा	50,646.27		50,646.27
	कुल		**50,646.27**		**50,658.27**
8	अन्य सूचना				
	विवरण				राशि (रुपये लाख)
	(i)	सकल गैर–निष्पादित संपत्तियाँ			
		क संबंधित पार्टियाँ			-
		ख संबंधित पक्षों के अलावा			237,300.16
	(ii)	नेट नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स			
		क संबंधित पार्टियाँ			-
		ख संबंधित पक्षों के अलावा			163,746.06
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अर्जित संपत्ति			-

49. ये आंकड़े लाख (निकटतम शेयर्स को छोड़कर) के निकटतम रुपयों तक के लिए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना करने के लिए जहाँ भी आवश्यक समझा जाता है, वहां पुनः व्यवस्थित पुनः समूहित किया गया है।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अनुसार

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकर
आईसीएआई रजि. नं.: 003587एन

हस्ता/–
आर. मित्तल
साझीदार
एम. नंबर 084470

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–
डॉ. आर. सी. शर्मा
महाप्रबंधक
(वित्त) और सी.एफ.ओ.

हस्ता/–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन नंबर 07795952

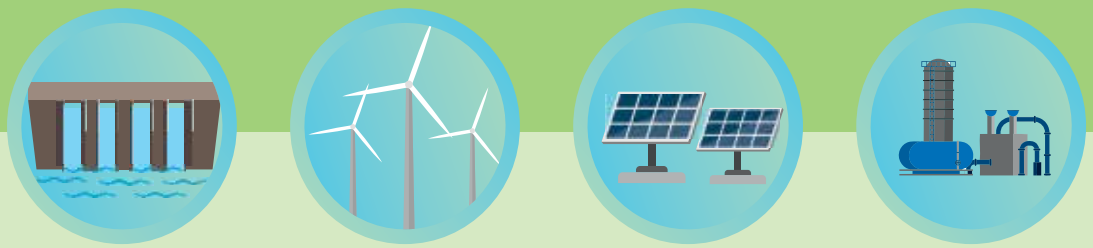
हस्ता/–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 07448576

हस्ता/–
सुरेंद्र सुयाल
कंपनी सचिव
एम. नंबर ए11900

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.07.2020

31.03.2020 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के खातों का विवरण

सं0	कार्यक्रम क्षेत्र	बैलेंस दिनांक 01.04.2019 तक	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	वर्ष के दौरान ब्याज अर्जित किया	सेवा प्रभार पुनर्प्राप्त करने योग्य / बैंक चार्जेज घटाए गए	वापसी की गई राशि	पास की गई राशि / सब्सिडी दी गई	31.03.2020 को कुल फंड	31.03.2020 को बकाया ऋण	31.03.2020 तक ब्याज बकाया	बैंक के साथ बैलेंस वर्तमान ए / सी और एफडी	इरेडा के साथ बैलेंस	कुल	कुल धन
1.	एसपीवी. एमएफजी. लोन– (32046)	47,156,222	0	0	0	0	0	47,156,222	14,773,000	38,668,526	40,562	(6,325,867)	53,482,088	47,156,222
2.	एसपीवी। यूएसईआर लोन (32290. 32425. 32045)	117,622,213	0	0	0	0		117,622,213	9,561,880	21,241,506	1,695,895	85,122,932	32,499,281	117,622,213
3.	एसपीवी. यूएस सब्सिडी (32424. 32044)	(84,805,257)	0	0	0	0	0	(84,805,257)	0	0	0	(84,805,257)	0	(84,805,257)
4.	एसपीवी. बाजार (32,142)	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
5.	सौर थर्मल– (32081)	16,670,624	0		0	0	0	16,670,624	1,142,039	6,565,341	132,179	8,831,065	7,839,559	16,670,624
6.	एसपीवी. यूएस सब्सिडी –2002–2003– (32869)	(110)	0	0	0	0	0	(110)	0	0	34,458	(34,568)	34,458	(110)
7.	एसपीवी. यूएसएसयू एसआईडीवाई –2003–2004– (32968)	(220)	0	0	0	0	0	(220)	0	0	37,177	(37,397)	37,177	(220)
8.	सीओ जनरल इंटर्नेशनल सब्सिडी	21,501,324	0	0	0	0	0	21,501,324	0	0	0	21,501,324	0	21,501,324
9.	सौर थर्मल पर ब्याज सब्सिडी	3,952	0	0	0	0	0	3,952	0	0	0	3,952	0	3,952
10.	एसपीवी. यूएसईआर लोन 2000–01– (32636) पर ब्याज सब्सिडी	(5,135,405)	0	0	0	0	0	(5,135,405)	0	0	0	(5,135,405)	0	(5,135,405)
11.	एसपीवी. यूएसईआर लोन 2001–02 पर ब्याज सब्सिडी	(13,602,787)	0	0	0	0	0	(13,602,787)	0	0	0	(13,602,787)	0	(13,602,787)
12.	एसपीवी एमएफजी– (32591) पर ब्याज सब्सिडी	(296,898)	0	0	0	0	0	(296,898)	0	0	0	(296,898)	0	(296,898)
13.	एसपीवी –99–2000 पर ब्याज सब्सिडी	(684,937)	0	0	0	0	0	(684,937)	0	0	0	(684,937)	0	(684,937)
14.	एसपीवी –02–03 पर ब्याज सब्सिडी	(4,138,701)	0	0	0	0	0	(4,138,701)	0	0	0	(4,138,701)	0	(4,138,701)
15.	छोटे जल पर ब्याज सब्सिडी	182,677	0	0	0	0	0	182,677	0	0	0	182,677	0	182,677
	कुल	**94,484,698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,484,698**	**25,476,919**	**66,475,373**	**1,940,272**	**592,135**	**93,892,564**	**94,484,698**



इरेडा
IREDA

आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ/आईईसी, 27001: 2013 प्रमाणित

(एक मिनी रत्न श्रेणी–1 पीएसयू)

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

पंजीकृत कार्यालयः 1 तल, कोर –4ए, ईस्ट कोर्ट, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003

दूरभाषः 011–24682206–19, फैक्सः 91–11–24682202

कॉर्पोरेट कार्यालयः 3 तल, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली –110066

फोनः 011–26717400–12 फैक्सः 91–11–26717416

वेबसाइटः **www.ireda.in**

Sharad